मध्यप्रदेश दर्शन
१९५७

★

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्यप्रदेश

ग्वालियर
गवर्नमेण्ट रीजनल प्रेस
१९५७

आमुख

ऐतिहासिक महत्व की तिथि १ नवम्बर १९५६ से मध्यप्रदेश का नवगठित राज्य अस्तित्व में आया है। महाकोशल, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल के सम्मिलन से भारत के इस हृदय-भाग का नवनिर्माण हुआ है। पृथक्-पृथक् प्रशासनों के अंतर्गत रहे हुए उक्त क्षेत्रों को सांस्कृतिक साम्य, भाषा की एकता व एक-सी सामाजिक परम्पराओं के मृदु बंधनों ने सुव्यवस्थित आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुविधा तथा राष्ट्रीय ऐक्य व सुदृढ़ता के महत्वाकांक्षी दृढ़ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एकसूत्रता म आवद्ध कर दिया है। 'मध्यप्रदेश दर्शन' इसी नवगठित राज्य की आर्थिक व सामाजिक कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास है।

प्रस्तुत ग्रंथ में राज्य के विभिन्न घटकों का एकीकृत परिचय, आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों का सिंहावलोकन, विकास की गति व क्षमताओं का विवेचन किया गया है तथा राज्य के संबंध में सांख्यिकीय जानकारी को यथोचित विवरण सहित समन्वित किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृति, कृषि, जनजीवन, विद्युतीकरण, उद्योग, खनिज संपत्ति, शिक्षा, समाज-कल्याण, लोक-स्वास्थ्य, लोक-वित्त, सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना आदि विषयों पर विभिन्न लेखों द्वारा प्रकाश डाला गया है; तथा 'दर्शन' में सम्मिलित सांख्यिकीय जानकारी को सुस्पष्ट बनाने के हेतु मानचित्र, चित्रलेख व रेखाचित्रों का भी समावेश किया गया है। राज्य के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थानों के चित्र आदि देकर पुस्तक को आकर्षक व सहज ही ग्राह्य बनाने का प्रयास किया गया है।

पुनर्निर्माण की इस वेला में यह प्रकाशन प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा,—ऐसी आशा है। भविष्य में इस प्रकाशन को नियमित वार्षिक प्रकाशन बनाने की भी योजना है। 'मध्यप्रदेश दर्शन' के प्रकाशन में विभिन्न विभागों से संबंधित सामग्री के रूप में विभागीय प्रमुखों का सहयोग मिला है। राज्य के सूचना एवं प्रकाशन विभाग, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन व श्री रामगोपालजी महेश्वरी का सहयोग भी उल्लेखनीय है। शासकीय मुद्रणालय के अधीक्षक श्री जी० एन० पार्थसारथी, उप-अधीक्षक श्री बी० एस० होलकर, सहायक अधीक्षक श्री एस० पी० निगम व मुद्रणालय के अन्य कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनके प्रयत्नों से यह प्रकाशन यथासमय व यथोचित रूप में प्रकाशित हो सका है।

आशा है कि यह प्रकाशन अपने उद्देश्य में सफल होगा।

भोपाल
२५ जुलाई, १९५७

मा० म० मेहता,
डी., फिल., डी., लिट,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालक, मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

भारतीय इतिहास में नवीन अध्याय सृजित करनेवाला, १ नवम्बर १९५६, वह ऐतिहासिक दिवस था जिसने अनेक स्वप्नों को साकार रूप प्रदान किया। पुराने राज्यों का अस्तित्व मिटा, राज्यों ने नवीन रूप ग्रहण किया और भारत के मानचित्र में राज्यों की सीमाओं ने नवीन मोड़ धारण किये—ऐसे मोड़ जिन्होंने भारतीय जनता को परस्पर और भी दृढ़ता के साथ बांधने तथा उन्हें अटूट एकता के सुदृढ़ सूत्रों में पिरो सकने की शक्ति अपने में छिपा रखी है। इन नयी सीमा-रेखाओं में देश के विभिन्न राज्यों की अनेकता व विविधता में एकरूपता स्थापित करने की क्षमता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार देश में राज्यों का पुनर्गठन करके भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय का सृजन किया गया है।

राज्य पुनर्गठन के इस साहसपूर्ण कदम की पृष्ठभूमि में एक सुदीर्घ इतिहास छिपा पड़ा है। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन आकस्मिक संयोग न होकर एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। राज्य पुनर्गठन उस भावना का मूर्तरूप है जिसका कि जन्म आंग्ल-शासन के समय में ही हो गया था। वास्तव में भारतवर्ष में राज्यों का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन होना अपरिहार्य था। यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो कहना होगा कि भारत में भूतपूर्व राज्यों का निर्माण किसी सुव्यवस्थित आधार पर हुआ ही नहीं था तथा जो राज्य सीमाएँ बन गई थीं वे शासकों के जय-पराजय के फलस्वरूप उद्भूत भू-भागों की सीमाएँ मात्र थीं। ऐतिहासिक काल में भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों का उदय व निर्माण प्रत्यक्षत: राजा-महाराजाओं, नवाब-बादशाहों व शासन एवं सत्ता की स्वार्थपरता, साम्राज्य-लोलुपता अथवा संधि-विग्रह के परिणामस्वरूप होता रहा है। इस प्रकार राज्यों के निर्माण में न तो जनता की इच्छाओं व भावनाओं का ही आदर किया जाता था और न ही उसमें राष्ट्रहित एवं देशहित के पावन उद्देश्यों पर ही ध्यान दिया जाता था। फलस्वरूप राष्ट्रहित को उपेक्षित करनेवाले व राज्य विस्तार की लोलुपता से जन्मे राज्य, सत्ताधारियों की स्वार्थमय प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के सिवाय देश के व्यापक हित, उन्नयन तथा जनता-जनार्दन की सुख-समृद्धि हेतु प्रयास नहीं कर पाये। विदेशी दासता की अवधि में भी शासनकर्त्ताओं ने इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। तात्पर्य यह कि स्वतंत्रता के पूर्व तक राज्य-निर्माण के मूलभूत आधारों—यथा संस्कृति, भाषा व आर्थिक उत्थान आदि तथ्यों पर विचार ही नहीं किया गया। किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश की लोकप्रिय व जनता द्वारा चुनी हुई गणतांत्रिक सरकार इस संबंध में उदासीन कैसे रह सकती थी?

प्राक्कथन

भारतीय इतिहास में नवीन अध्याय सृजित करनेवाला, १ नवम्बर १९५६, वह ऐतिहासिक दिवस था जिसने अनेक स्वप्नों को साकार रूप प्रदान किया । पुराने राज्यों का अस्तित्व मिटा, राज्यों ने नवीन रूप ग्रहण किया और भारत के मानचित्र में राज्यों की सीमाओं ने नवीन मोड़ धारण किये—ऐसे मोड़ जिन्होंने भारतीय जनता को परस्पर और भी दृढ़ता के साथ बांधने तथा उन्हें अटूट एकता के सुदृढ़ सूत्रों में पिरो सकने की शक्ति अपने में छिपा रखी है । इन नयी सीमा-रेखाओं में देश के विभिन्न राज्यों की अनेकता व विविधता में एकरूपता स्थापित करने की क्षमता है । राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार देश में राज्यों का पुनर्गठन करके भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय का सृजन किया गया है ।

राज्य पुनर्गठन के इस साहसपूर्ण कदम की पृष्ठभूमि में एक सुदीर्घ इतिहास छिपा पड़ा है। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन आकस्मिक संयोग न होकर एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है । राज्य पुनर्गठन उस भावना का मूर्तरूप है जिसका कि जन्म आंग्ल-शासन के समय में ही हो गया था । वास्तव में भारतवर्ष में राज्यों का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन होना अपरिहार्य था । यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो कहना होगा कि भारत में भूतपूर्व राज्यों का निर्माण किसी सुव्यवस्थित आधार पर हुआ ही नहीं था तथा जो राज्य सीमाएँ वन गई थीं वे शासकों के जय-पराजय के फलस्वरूप उद्भूत भू-भागों की सीमाएँ मात्र थीं । ऐतिहासिक काल में भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों का उदय व निर्माण प्रत्यक्षत: राजा-महाराजाओं, नवाब-बादशाहों व शासन एवं सत्ता की स्वार्थपरता, साम्राज्य-लोलुपता अथवा संधि-विग्रह के परिणामस्वरूप होता रहा है। इस प्रकार राज्यों के निर्माण में न तो जनता की इच्छाओं व भावनाओं का ही आदर किया जाता था और न ही उसमें राष्ट्रहित एवं देशहित के पावन उद्देश्यों पर ही ध्यान दिया जाता था । फलस्वरूप राष्ट्रहित को उपेक्षित करनेवाले व राज्य विस्तार की लोलुपता से जन्मे राज्य, सत्ताधारियों की स्वार्थमय प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के सिवाय देश के व्यापक हित, उन्नयन तथा जनता-जनार्दन की सुख-समृद्धि हेतु प्रयास नहीं कर पाये । विदेशी दासता की अवधि में भी शासनकर्त्ताओं ने इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी । तात्पर्य यह कि स्वतंत्रता के पूर्व तक राज्य-निर्माण के मूलभूत आधारों—यथा संस्कृति, भाषा व आर्थिक उत्थान आदि तथ्यों पर विचार ही नहीं किया गया । किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश की लोकप्रिय व जनता द्वारा चुनी हुई गणतांत्रिक सरकार इस संबंध में उदासीन कैसे रह सकती थी ?

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् राज्यों के पुनर्गठन की भावना बलवती होती, गई। राज्यों के पुनर्गठन का आधार यद्यपि प्रारंभ में एकभाषा-भाषी राज्यों की रचना था, तथापि राष्ट्र के वृहत्तर हित, प्रशासनिक सुविधा तथा समुदाय के सर्वतोमुखी कल्याण के हेतु, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के प्रश्न के साथ ही सांस्कृतिक एकता व आर्थिक उत्थान की संभावनाएँ आदि महत्वपूर्ण कारणों का भी समावेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप देश में एकभाषा-भाषी राज्यों के साथ ही द्विभाषा-भाषी राज्यों का स्वरूप भी सामने आया। इसके मूल में एक ओर जहाँ एक भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्य व्यवस्था कर, राज्य की जनता के उत्थान के लिए अधिक सुविधाएँ प्रस्तुत करना था, वहीं दूसरी ओर देश में सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता, दक्ष एवं सुव्यवस्थित प्रशासन तथा आर्थिक विकास को लोक-कल्याणकारी आधारशिला प्रस्थापित करना था।

राष्ट्र कल्याण के इन्हीं व्यापक उद्देश्यों को लेकर भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसने राज्य पुनर्गठन संबंधी समस्त प्रश्नों का गहन अध्ययन कर भारत सरकार को अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं। उक्त अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे पारित कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ बनाया गया। इसी अधिनियम के अनुसार १ नवम्बर १९५६ को नवीन राज्यों का निर्माण हुआ। और फलस्वरूप विंध्य, सतपुड़ा व अरावली की शैल-मालाओं की छत्रछाया में स्थित तथा चम्बल, नर्मदा, सोन, बेतवा, क्षिप्रा, केन व महानदी सदृश सरिताओं की कलकल-निनादिनी पीयूष-सलिल-धाराओं से स्नात, २६१ लाख की जनशक्ति से गौरवान्वित १७१ हजार वर्गमील क्षेत्र में विस्तृत इस सुविशाल मध्यप्रदेश का नवनिर्माण हुआ।

इसी दिन महाकोशल, विंध्यप्रदेश, सुनेल-परिवृत्तरहित मध्यभारत, भोपाल व सिरोंज उप-विभाग क्षेत्रों के सम्मिलन से उद्भूत हिंदी भाषा-भाषी नवीन मध्यप्रदेश के निर्माण का स्वप्न साकार हुआ—प्रयासों को सफलता मिली तथा प्रयत्नों को लक्ष्य प्राप्ति। अपनी सुविस्तृत रत्नगर्भा वसुन्धरा के अंतराल में विभिन्न खनिजों को लिये, अनेक उद्योगों को आश्रय दिये, भविष्य की विकास संभावनाओं से परिपूर्ण व एक सुदृढ़ प्रशासन-व्यवस्था को आमंत्रण देते हुए मध्यप्रदेश का आविर्भाव हुआ। निश्चय ही नूतन मध्यप्रदेश का निर्माण देश के हृदयभाग में स्थित क्षेत्र की संस्कृति के इतिहास का एक गौरवशाली पृष्ठ है।

नवगठित मध्यप्रदेश में सम्मिलित विविध घटक क्षेत्रों का सम्मिलन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप ही हुआ है। नूतन मध्यप्रदेश जहां एक ओर एक ही संस्कृति व भाषा का क्रीड़ास्थल है वहीं दूसरी ओर वह आर्थिक दृष्टि से भी पर्याप्त सुदृढ़ है। साथ ही राज्य में अनेकानेक आर्थिक व प्राकृतिक साधनों की बहुलता से विकास की अपरिमित संभावनाएं हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस संबंध में अपना यह मत व्यक्त किया है—"हमारे अनुमान से मध्यप्रदेश का नवीन राज्य वित्तीय दृष्टि से पर्याप्त राजस्व बचत वाला रहेगा। राज्य के बढ़ते हुए विकास-व्यय के अतिरिक्त भी ऐसा ज्ञात होता है कि राज्य का राजस्व आय-व्ययक सुसंतुलित रहेगा। अन्ततः यह कहा जा सकता है कि नवगठित शासन को वित्तीय स्थिति संबंधी कम-से-कम कठिनाई होगी"। इसीके आगे, नव मध्यप्रदेश

के निर्माण के संबंध में, राज्य पुनर्गठन आयोग ने लिखा है—"मध्यप्रदेश के आठ मराठी जिलों को पृथक् करने के फलस्वरूप शेष १४ जिलों के भविष्य का प्रश्न हमारे समक्ष आता है। इस प्रश्न पर हमें अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों—मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल के भविष्य के साथ विचार करना है।" महाकोशल क्षेत्र को मिलाकर मध्यप्रदेश का निर्माण करनेवाले शेष घटक क्षेत्रों—मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल के विलयन के पक्ष में आयोग के निम्नांकित निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं:—

"हमने मध्यभारत को वर्तमान स्वरूप अथवा सीमा परिवर्तनों के साथ पृथक् राज्य रखने के प्रस्ताव का गहन परीक्षण किया है। समष्टिरूप से हमें लगता है कि मध्यभारत के विलयन के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वे उतने सवल नहीं हैं। साथ ही और भी अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिनसे कि यह सिद्ध होता है कि दीर्घकाल में बड़ी इकाई का निर्माण ही वांछनीय होगा"।

विंध्यप्रदेश के संबंध में आयोग ने लिखा है—"यह राज्य प्रारंभ में 'ख' श्रेणी के राज्य के रूप में निर्मित हुआ; किन्तु बाद में केन्द्रीय प्रशासित इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यह सोचा गया कि राज्य के राजनैतिक व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इसे 'ख' श्रेणी के राज्यों के समान प्रशासित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जब भारत सरकार ने निर्णय लिया था तब भारत सरकार का विचार विंध्यप्रदेश को विभाजित कर पड़ोसी राज्यों में सम्मिलित कर देने का था। भारत सरकार ने जिन कारणों से विंध्यप्रदेश को पृथक् इकाई न रखने का निर्णय किया था, वे आज भी उतने ही महत्व के हैं।" आयोग ने विंध्यप्रदेश व भोपाल के विलयन के संबंध में अपना दृढ़मत व्यक्त करते हुए कतिपय तथाकथित असुविधाओं के विषय में लिखा है—"इसमें कोई शंका नहीं कि विंध्यप्रदेश व भोपाल को किसी संपन्न राज्य का अंग बनाने से होनेवाले लाभ, इस विलयन से होनेवाली कतिपय प्रारंभिक असुविधाओं की (यदि कोई असुविधाएँ हुई तो) क्षतिपूर्ति कर सकेंगे।"

भोपाल की स्थिति का विवेचन करते हुए आयोग ने लिखा है—"भोपाल राज्य का पृथक् अस्तित्व राज्य के विलयन के समय दिये गये वचन के कारण है, जिसमें कि भोपाल राज्य को पांच वर्षों तक मुख्यायुक्त के प्रशासन में रखने का प्रावधान था।" इस संबंध में राज्य मंत्री श्री एन० गोपालस्वामी आयंगार ने संसद् में कहा था—"भोपाल का एक छोटा-सा ऐसा तबका भी है जोकि विलयन के पक्ष में नहीं है तथा भोपाल को पृथक् इकाई के रूप में रखने के पक्ष में है; किन्तु वर्तमान समय में मेरा विश्वास है कि अधिकांश जनता भोपाल का विलयन चाहती है। किन्तु फिलहाल हम अपने वचन के कारण विलयन नहीं कर सकते और जब तक कि मैं भोपाल के नवाब को इस अवधि के पूर्व विलयन हेतु तैयार नहीं कर लेता, भोपाल राज्य को वर्तमान प्रशासन में ही रखना चाहिये।" राज्य पुनर्गठन आयोग ने आगे लिखा है—"यह अवधि (५ वर्ष की) अब समाप्त हो चुकी है अतएव जो कठिनाई थी वह भी अब भोपाल के विलयन के मार्ग में नहीं आती। भोपाल के विलयन से एक लाभ तो यह होगा कि इस क्षेत्र का अधिक आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। अनेक स्थानों पर नर्मदा नदी मध्यप्रदेश व भोपाल की सीमा निर्धारित करती है और इस सीमा पर कई स्थानों पर बहुत-सी योजनाएँ चल रही हैं, अथवा शुरू होनेवाली हैं, पर ये योजनाएं मध्यप्रदेश की सीमा में स्थित हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि जबलपुर

के निकट नर्मदा नदी पर एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। बांध से निकाली जानेवाली दो प्रमुख नहरों में से एक से भोपाल का काफी भाग लाभान्वित होगा।"

मध्यप्रदेश में विलयित होनेवाले राज्यों में से पूर्व मध्यभारत, पूर्व विन्ध्यप्रदेश व पूर्व भोपाल के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग के उक्त निष्कर्षों से राज्य के पुनर्गठित वर्तमान रूप के निर्माण की आवश्यकता के साथ ही साथ विलयित राज्यों का लाभ भी स्पष्ट हो जाता है।

नवगठित मध्यप्रदेश की संपन्नता एवं भविष्य के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग का अभिमत विशेष उल्लेखनीय है जिसमें कहा गया है—"देश के इस भाग में ऐसे राज्य (पुनर्गठित मध्यप्रदेश) के निर्माण व सन् १८६१ से चले आ रहे मध्यप्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभिक व संक्रामक काल में कुछ प्रशासनिक समस्याएँ अवश्य उत्पन्न होंगी किन्तु असुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ काल में देश के मध्य में एक सुसंगठित शक्तिशाली व उन्नत इकाई के निर्माण से होनेवाले लाभ इतने अधिक होंगे कि हमें प्रस्तावित सीमाओं सहित नवीन राज्य के निर्माण की अनुशंसा करने में तनिक भी हिचक नहीं है।" राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं एवं अभिमतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि नवीन राज्य निःसंदेह एक उन्नत एवं संपन्न राज्य होगा।

'मध्यप्रदेश दर्शन' नवोदित मध्यप्रदेश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का समंकोयुक्त शब्दचित्र प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत प्रकाशन में नवगठित राज्य संबंधी प्राप्य आर्थिक व सांख्यिकीय सामग्री का संकलन, एकीकरण व निर्वचन कर मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति व विकास की भावी संभावनाओं के आकलन का समुचित प्रयत्न किया गया है। यथासंभव रूप में 'दर्शन' में, राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उद्भूत, नवगठित राज्य संबंधी प्रायः समस्त परिवर्तनों को समाविष्ट कर लिया गया है; जहा कहीं भी तत्संबंधी परिवर्तनों को समायोजित नहीं किया जा सका है वहाँ आवश्यक टिप्पणियां देकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। नवगठित राज्य के विविध घटक क्षेत्रों के संबंध में अद्यावधि सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध न हो सकने के कारण कतिपय अध्यायों में सांख्यिकीय समंक कुछ पुराने वर्षों के देने पड़े हैं। उसी प्रकार भूतपूर्व मध्यप्रदेश के महाकोशल (१७ जिले) व विदर्भ (८ जिले) के पृथक्-पृथक् समंकों के अभाव में कुछ स्थानों पर संपूर्ण पूर्व मध्यप्रदेश के ही समंक दिये गये हैं। नूतन राज्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रामाणिक एवं पूर्ण सांख्यिकीय समंक सामग्री की प्राप्ति में अनेकानेक कठिनाइयां उपस्थित हैं तथापि 'दर्शन' में यथासंभव अधिकाधिक विश्वसनीय जानकारी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। आशा है प्रस्तुत सामग्री द्वारा नवगठित राज्य की विशद आर्थिक व सामाजिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी व जिज्ञासु पाठकों को नवगठित राज्य की गौरवशाली ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परंपराओं तथा राज्य की भावी आर्थिक-सामाजिक समृद्धि की रूपरेखा का परिचय प्राप्त हो सकेगा।

विषय-सूची

तालिका-सूची

मध्यप्रदेश की कहानी समंकों में

भौगोलिक स्थिति	१८° उत्तर अक्षांश से २६½° उत्तर अक्षांश व ७४° पूर्व देशांश से ८४½° पूर्व देशांश तक
क्षेत्रफल (हजार वर्गमीलों में)	१७१
जनसंख्या—१९५१ (लाखों में)	२६१
ग्रामीण (लाखो मे)	२३०
नगरीय (लाखों मे)	३१
पुरुप जनसंख्या (लाखों में)	१३३
स्त्री जनसंख्या (लाखों में)	१२८
प्रति १,००० पुरुपों पीछे स्त्री जनसख्या	९६७
कृपि पर आश्रित जनसंख्या (लाखों मे)	२०३
गैरकृपिकार्यों पर आश्रित जनसंख्या (लाखों मे)	५८
अनुसूचित जातियाँ (लाखों मे)	३५
अनुसूचित जनजातियाँ (लाखों मे)	३९
जनसख्या का घनत्व (प्रति वर्गमील)	१५२
सकल जनसख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ..	८८.०
सकल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ..	१२.०
कृपिकार्यों पर आश्रित सकल जनसंख्या का प्रतिशत ..	७८.०
अकृपिकार्यों पर आश्रित सकल जनसंख्या का प्रतिशत ..	२२.०
साक्षरता प्रतिशत	
पुरुप	१६.२१
स्त्रियां	३.२५
कुल औसत साक्षरता	९.८४
प्रशासकीय विस्तार	
कमिश्नरियाँ	७
आरक्षी उपमहानिरीक्षकों के परिक्षेत्र	६
जिले	४३
तहसीलें	१९०
नगर	२०२
आबाद ग्राम	७०,०३८

उद्योग

सूती वस्त्रोद्योग मिलें—१९५६	. १९
करघों को संख्या—१९५६	१२,५७०
तकुओं को संख्या—१९५६	४,९९,०८४
शक्कर की मिलें—१९५६	६

आय-व्ययक अनुमान—१९५७–५८

आय (हजार रुपयों में)	५,०८,८५४
व्यय ,, ...	५,४३,६९४
घाटा ,, ...	३४,८४०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५६–६१)

योजनाकालीन कुल व्यय (लाख रुपयों में)	१,९०,९०.२७
कृषि एवं सामुदायिक विकास पर व्यय (लाख रुपयों में)	४,२६७.८४
सिंचाई एवं विद्युत् विकास पर व्यय (लाख रुपयों में) ..	७,२७३.३७
उद्योग एवं खनिज पर व्यय (लाख रुपयों में) ..	१,०३४.४६
यातायात एवं संवहन पर व्यय (लाख रुपयों में) ..	१,२९९.६२
व्यापार एवं वाणिज्य	६.०८
समाज सेवाओं पर व्यय (लाख रुपयों में)	४,८७४.३७
विविध व्यय (लाख रुपयों में)	३४०.६१

सामुदयिक विकास सेवा—१९५६

सामुदायिक विकास संवर्ग	५०
राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग	११२
समस्त सामुदायिक विकास संवर्गो व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गो के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	५८,९८७
समस्त सामुदायिक विकास संवर्गो व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गो के अन्तर्गत ग्राम संख्या	३१,६५५

जन प्रतिनिधित्व

लोकसभा में प्रतिनिधित्व	३६
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व	१६
राज्य विधान-सभा सदस्य संख्या	२८८

मध्यप्रदेश का प्रशासकीय संगठन

राज्यपाल

परमश्रेष्ठ राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर

मंत्रिमंडल

		अधीनस्थ विभाग.
मुख्य मंत्री	डॉ. कैलासनाथ काटजू ..	सामान्य प्रशासन, गृह, प्रचार तथा प्रकाशन, शिकायतें, योजना तथा विकास एवं समन्वय.
राजस्व मंत्री ..	श्री भगवंतराव मंडलोई ..	राजस्व, सर्वेक्षण तथा व्यवस्था, भू-अभिलेख, भूमि-सुधार तथा स्वायत्त शासन.
उद्योग मंत्री ..	श्री तख्तमल जैन ..	वाणिज्य एवं उद्योग (सड़क-यातायात व राज्य उद्योग), कृषि.
शिक्षा तथा विधि मंत्री.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा ..	शिक्षा, विधि तथा शारीरिक शिक्षा, पर्यटन.
वन तथा प्राकृतिक संसाधन मंत्री.	श्री शम्भूनाथ शुक्ल ..	वन तथा प्राकृतिक संसाधन.
वित्त मंत्री ..	श्री मिश्रीलाल गंगवाल ..	वित्त, पृथक् राजस्व, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा पंजीयन.
लोककर्म मंत्री ..	श्री शंकरलाल तिवारी ..	लोककर्म विभाग——सड़कें व भवन-निर्माण तथा सिचाई (चम्बल परियोजना को छोड़कर), विद्युत्.
श्रम मंत्री	श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ ..	श्रम, पुनर्वास, आवास तथा चम्बल परियोजना.
जन-जाति कल्याण मंत्री.	राजा नरेशचन्द्रसिंह ..	जन-जाति कल्याण.
खाद्य मंत्री	श्री ए. क्यू. सिद्दीकी ..	कारागार, खाद्य एवं नागरिक सम्पूर्ति.
समाज-कल्याण मंत्री ..	श्री गणेशराम अनन्त ..	समाज-कल्याण (शारीरिक शिक्षा को छोड़कर) तथा सहकारिता.
लोकस्वास्थ्य मंत्राणी.	रानी पद्मावतीदेवी ..	लोकस्वास्थ्य.

उप-मंत्रिगण

	अधीनस्थ विभाग.
मौलाना इनायतुल्ला खां तरजी मशरिकी ..	सूचना एवं प्रकाशन, योजना तथा विकास.
श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान	कृषि एवं सहकारिता.
श्री शिवभानु सोलंकी	श्रम, पुनर्वास, समाज-कल्याण (शारीरिक शिक्षा को छोड़कर) व जनजाति कल्याण.
श्री सज्जनसिंह विश्नार	वन, प्राकृतिक संसाधन, कारागार तथा खाद्य एवं नागरिक सम्पूर्ति.
श्री मथुराप्रसाद दुबे	वित्त, पृथक् राजस्व, पंजीयन, लोकस्वास्थ्य तथा आर्थिक व सांख्यिकी.
श्री नरसिंहराव दीक्षित	गृह.
श्री केशोलाल गोमाश्ता	वाणिज्य एवं उद्योग (राज्य उद्योग व सड़क-यातायात सहित).
श्री जगमोहनदास	राजस्व, सर्वेक्षण तथा व्यवस्था, भू-अभिलेख, भूमि-सुधार व स्वायत्त शासन.
श्री दशरथ जैन	लोक कर्म विभाग (सड़कें व भवन-निर्माण एवं सिंचाई), विद्युत् (चम्बल परियोजना को छोड़-कर).

विधान-सभा

अध्यक्ष	श्री कुंजीलाल दुबे.
उपाध्यक्ष	रिक्त.

राजस्व मंडल

अध्यक्ष	श्री वृजराज नारायण, आई. ए. एस.
सदस्य	श्री आर. एस. शुक्ला, आई. ए. एस.
सदस्य	श्री के. एल. पंचोली, आई. ए. एस.

आयुक्त

जबलपुर संभाग ..	श्री आर. सी. व्ही. पी. नरोना, आई. सी. एस.
इन्दौर संभाग	श्री टी. एस. पवार, आई. ए. एस.
रीवा संभाग	श्री जे. के. चौधरी, आई. ए. एस.
रायपुर संभाग	श्री सी. एल. गुप्ता, आई. ए. एस.
बिलासपुर संभाग ..	श्री एस. के. श्रीवास्तव, आई. ए. एस.
ग्वालियर संभाग ..	श्री एस. पी. मेहता, आई. ए. एस.
भोपाल संभाग	श्री एम. पी. द्विवेदी, आई. ए. एस.

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	.. ..	श्री डी. व्ही. रेगे, आई. सी. एस. (अवकाश प्राप्त)
सदस्य	.. ..	श्री एन. पद्मनाभन शास्त्री
सदस्य	.. ..	श्री एच. सी. सेठ
सदस्य	.. ..	श्री एस. एस. पाण्डे
सदस्य	.. ..	श्री ई. एम. जोशी
सदस्य	.. ..	श्री राजा धोंड़ीराज

सचिवालय

सचिव

मुख्य सचिव	श्री एच. एस. कामथ, आई. सी. एस.
विशेष सचिव (एकीकरण)	श्री एस. पी. मुशरान, आई. ए. एस.
शिक्षा विभाग	श्री आर. पी. नायक, आई. सी. एस.
वित्त विभाग	श्री बी. एल. पाण्डे, आई. ए. एस.
योजना तथा विकास विभाग.	श्री पी. एस. बापना, आई. ए. एस.
कृषि विभाग	श्री एल. ओ. जोशी, आई. ए. एस.
लोक कर्म विभाग ..	श्री एन. पी. दीक्षित, आई. ए. एस.
स्वायत्त शासन विभाग ..	श्री आर. सी. रॉय पोद्दार, आई. ए. एस.
वाणिज्य तथा उद्योग विभाग.	श्री पी. डी. चटर्जी, आई. ए. एस.
गृह विभाग	श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, आई. ए. एस.
राजस्व विभाग	श्री एन. डी. गुप्ता, आई. ए. एस.
विधि विभाग	श्री यदुनन्दन भारद्वाज

अतिरिक्त सचिव

एकीकरण विभाग ..	श्री जे. एस. दवे

संयुक्त सचिव

योजना एवं विकास विभाग.	श्री एन. सुन्दरम्, आई. ए. एस.

विभागीय प्रमुख

आरक्षी महानिरीक्षक ..	श्री बी. जी. घाटे, आई. पी. एस.
मुख्य अभियन्ता लोक कर्म विभाग (सड़क, भवन-निर्माण)	श्री एच. आर. गुप्ता
संचालक, लोक-शिक्षण ..	श्री ई. डब्ल्यू. फ्रेंकलिन
मुख्य वन-संरक्षक ..	श्री आर. एन. दत्ता
मुख्य अभियंता सिचाई ..	श्री एम. एल. सूद, आई. एस. ई.
व्यवस्थापन आयुक्त ..	श्री जे. के. वर्मा, आई. ए. एस.
संचालक, कृषि विभाग ..	श्री आर. सी. मुराव, आई. ए. एस.
संचालक, उद्योग विभाग ..	श्री पी. के. दवे, आई. ए. एस.
संचालक, समाज-कल्याण ..	श्री जी. एल. शुक्ला
संचालक, जन-जाति कल्याण.	श्री टी. सी. ए. रामानुजाचारी, आई. ए. एस.
संचालक, सूचना व प्रकाशन.	श्री आई. एस. परिहार

अधीक्षक, शासन मुद्रण व लेखन-सामग्री.	श्री जी. एन. पार्थसारथी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ..	श्री एम. पी. दुबे, आई. ए. एस.
कारागार महानिरीक्षक ..	डॉ. आर. एम. भण्डारी
श्रम आयुक्त	श्री डब्ल्यू. व्ही. ओक, आई. ए.एस.
परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा.	श्री शीतलासहाय
जी. ओ. सी. नगरसेना ..	श्री पी. सी. राय, आई. पी. एस.
यातायात आयुक्त ..	श्री वी. पी. पाठक
पंजीयक, सहकारी समितियाँ	श्री जी. जगत्पती, आई. ए. एस.
संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ ..	डॉ. जी. एल. शर्मा
शासकीय शिल्पकार ..	श्री डी. जी. करंजगांवकर
संचालक, भाषा विभाग ..	श्री. डब्ल्यू. एन. पण्डित
संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म.	श्री एस. के. बरुआ
संचालक, आर्थिक व सांख्यिकी.	डॉ. एम. एम. मेहता
विक्रय-कर आयुक्त ..	श्री के. सी. तिवारी, आई.ए.एस.
आबकारी आयुक्त ..	श्री एम. क्यू. खान, आई. ए. एस.
संचालक, नागरिक सम्पूर्ति.	श्री आर. एन. बिसारिया
नगरपालिका महानिरीक्षक.	श्री एच. एन. सामंत
लोकस्वास्थ्य अभियान्त्रिक.	श्री एन. एन. शाह

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम. हिदायतुल्ला

उच्च न्यायालय, जबलपुर

न्यायाधीश

न्यायमूर्ति श्री वी. आर. सेन
न्यायमूर्ति श्री वी. के. चौधरी
न्यायमूर्ति श्री जी. पी. भट्ट
न्यायमूर्ति श्री टी. पी. नायक
न्यायमूर्ति श्री वी. के. चतुर्वेदी
न्यायमूर्ति श्री टी. सी. श्रीवास्तव

उच्च न्यायालय, इन्दौर शाखा

न्यायाधीश

न्यायमूर्ति श्री पी. वी. दीक्षित
न्यायमूर्ति श्री वी. आर. नेवास्कर
न्यायमूर्ति श्री एस. एम. सम्वत्सर

उच्च न्यायालय, ग्वालियर शाखा

न्यायाधीश

न्यायमूर्ति श्री अब्दुलहकीम खां

राजस्वमंत्री श्री भगवन्तराव मंडलोई

उद्योगमंत्री श्री तख्तमल जैन

शिक्षामंत्री डा० शंकरदयाल शर्मा

वन तथा प्राकृतिक संसाधन मंत्री
श्री शम्भूनाथ शुक्ल

वित्तमंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल

लोककर्ममंत्री श्री शंकरलाल तिव

श्रममंत्री श्री वी० वी० द्रविड़

जनजाति-कल्याणमंत्री राजा नरेश

स्वास्थ्य मंत्राणी रानी पद्मावती देवी

[illegible]मंत्री श्री ए० क्यू० सिद्दीकी

समाज-कल्याण मंत्री श्री गणेशराम अनन्त

उपमंत्री मौलाना इनायतुल्लाखां तर्जी मशरीकी

उपमंत्री श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान

उपमंत्री श्री शिवभानु सोलंकी

उपमंत्री श्री मथुराप्रसाद दुवे

श्री सज्जनसिंह विश्नार

उपमंत्री श्री नरसिंहराव दीक्षित

उपमंत्री श्री केशोलाल गोमास्ता

उपमंत्री श्री जगमोहनदास

उपमंत्री श्री दशरथ जैन

भारत का हृदय नूतन मध्यप्रदेश

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नवगठित मध्यप्रदेश अपना चिरप्राचीन गौरवशाली ऐतिहासिक महत्व रखता है। मानवीय जीवन के उषाकाल से ही मध्यप्रदेश का इतिहास सभ्यता, संस्कृति एवं विकास के स्वर्णिम पृष्ठ चित्रित करता आया है। मध्यप्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण देश की समस्त प्रमुख राजनैतिक व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से प्रभावित भी हुआ है। इसी कारण यदि इसे समस्त देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी प्रदेशों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक उत्थान-पतन का संगम-स्थल कहा जाय तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास में हमें सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने-वाली इस मध्यभागवासी भारतीय जनता की जीवनकथा का परिचय मिलता है। यह भू-भाग वीरता, विद्या, कलाकौशल और सांस्कृतिक विकास में कभी पीछे नहीं रहा, इसका महिमामण्डित मस्तक सदैव उन्नत रहा है।

मध्यप्रदेश की सुरम्य वसुंधरा ने अनेक प्रभुत्वशाली और वीर सत्ताओं के जन्म और विकास के साथ हो अनेक महापुरुषों और लोकनायकों का प्रताप समय-समय पर देखा है जिनकी पावन स्मृतियां आज भी उसके अंचल में छिपी हुई हैं। मध्यप्रदेश की इस पावन गौरवशाली भूमि ने ऐसी-ऐसी महान् आत्माओं के दर्शन किए हैं जिनके स्मरणमात्र से आज भी हमारा मस्तक उन्नत हो जाता है। आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, वाण-भट्ट, भवभूति इत्यादि संस्कृत साहित्य के अमर रत्नों ने इस भूमि में निवास किया था। इसी भूमि पर हिंदी साहित्य के महारथी जगनिक, केशव, विहारी, पद्माकर आदि महानु-भावों ने हिंदी साहित्य की जड़ों को सींचा है। इस भूमि ने कार्त्तवीर्य अर्जुन, सम्राट् अशोक, विन्ध्यशक्ति, समुद्रगुप्त, अकवर महान् व महादजी सिंधिया सदृश पराक्रमी शासकों का सुव्यवस्थित शासन देखा है। इसी भूमि ने महारानी दुर्गावती और आल्हा ऊदल की वीरता के गुण गाए और इसी भूमि ने शाक्त, शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन और इस्लाम आदि सभी धर्मों का प्रसार पाकर सांस्कृतिक चेतना को जागृत रखा।

राज्य के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विकास के अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के चारों घटक राज्यों—महाकोशल, पूर्व मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश व भोपाल—की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचय निम्न पृष्ठों में दिया जा रहा है।

महाकोशल

प्राचीन काल में मध्यप्रदेश का बहुत-सा भाग दण्डकारण्य कहलाता था। वर्तमान छत्तीसगढ़ उस समय कोशल कहलाता था तथा उत्तरीय जिलों का समावेश 'डाहल' प्रदेश में होता था।

इतिहास के आदिकाल पाषाणयुग के ओजार मध्यप्रदेश मे प्राप्त हुए हैं। नर्मदा की सुरम्य घाटी मे पाषाणयुगीन सभ्यता और संस्कृति फली-फूली, व उसका विकास हुआ। नरसिंहपुर क समीप भुतरा नामक स्थान में उस काल के प्राचीन औजार भी मिले हैं। सन् १९३२ मे नर्मदा घाटी मे पाषाणयुग के अवशेषो की खोज करने के हेतु येल और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयो से एक विशेषज्ञ दल आया था, जिसे अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सागर तथा जबलपुर जिलो मे भी उत्तर पाषाणयुगीन औजार प्राप्त हुए हैं। ताम्र-युग मे भी मध्यप्रदेश के इस भाग मे मानवीय सभ्यता का विकास हुआ था। जबलपुर और बालाघाट जिले में ताम्रकालीन औजार प्राप्त हुए है। मध्यप्रदेश के इस भाग मे प्रागैतिहासिक काल के अवशेषस्वरूप तत्कालीन चित्रकारी भी अनेक स्थानों पर प्राप्त होती हे जो कि कबरा पहाड़ ओर सिंघनपुर की गुफाओं तथा आदमगढ, पचमढी आदि मे देखने को मिलती हैं।

वैदिककालीन इतिहास से स्पष्ट होता है कि आर्यो का प्रसार इस भाग मे उपनिषद्-काल तक हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण के 'रेवोत्तरस' पद से रेवा (नर्मदा) नदी का नामोल्लेख स्पष्ट होता है। रामायण से ज्ञात होता हे कि दशरथ का समकालीन मधु नामक जो यादव वंशी राजा राज्य करता था उसके राज्य का प्रसार यमुना से लेकर गुजरात तक था और उसमे विन्ध्य-सतपुडा का भाग भी सम्मिलित था। उन दिनों यही भाग दण्डकारण्य वन कहलाता था। राम को अपने वनवास के बहुत से दिन नर्मदा और छत्तीसगढ के प्रदेशो मे काटने पडे। महाभारत के अनुसार इस प्रदेश पर चंद्रवंशीय एवं सूर्यवंशीय राजाओं का अधिकार रहा। इक्ष्वाकुवंशीय मान्धाता के ज्येष्ठपुत्र पुरकुत्स का राज्य नर्मदा प्रदेश पर भी व्याप्त था।

ईसवी पूर्व ६०० के लगभग यह भाग अवन्ती महाजनपद मे सम्मिलित था और कुछ उत्तरीय भाग चेदि महाजनपद के अन्तर्गत भी था। बौद्ध-जैन काल मे उत्तरीय जिलो मे बौद्ध धर्म तथा दक्षिण कोशल अर्थात् छत्तीसगढ मे जैन धर्म के प्रसार का अनुमान किया जाता है। नन्दवंश के राज्यकाल मे महाकोशल भी उनके राज्यान्तर्गत था। तत्पश्चात् इस प्रदेश पर चन्द्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य हुआ और उसके बाद बिंदुसार और अशोक का। अशोक के शिलालेख मध्यप्रदेश मे मिलत हैं। जबलपुर जिले के रूपनाथ मे तत्कालीन शिलालेख हैं। अशोक के समय निश्चयत यह प्रदेश उन्नत वस्था मे था। इस प्रदेश मे मौर्यकालीन अवशेष तुरतुरिया, त्रिपुरी आदि स्थानो मे प्राप्त हुए हैं

मौर्यों क पश्चात् इस प्रदेश का कुछ भाग शुंगो के अधिकार मे चला गया। इस समय दक्षिण मे सातवाहनो का प्रभाव बढ रहा था। शातकर्णि प्रथम के शासनकाल मे डाहल उसके राज्य मे मिला लिया गया था और त्रिपुरी पर उसका अधिकार था। गौतमीपुत्र शातकर्णि का राज्य सतपुडा और विन्ध्यभूमि तक व्याप्त हो गया था। इस प्रकार मध्य-प्रदेश के इस भाग पर लगभग ईसवी सन् २०० तक सातवाहनों ने राज्य किया।

सातवाहनकालीन सिक्के जबलपुर, होशंगाबाद, रायगढ इत्यादि जिलो मे मिले हैं। इस प्रदेश मे तत्कालीन शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि इस भाग पर कुशानों और कर्दमकों का भी राज्य रहा है। जबलपुर के निकट कुशानकालीन मूर्तियां पाई गई हैं तथा छिंदवाड़ा में कर्दम और क्षत्रप महाक्षत्रपो के अनेक सिक्के मिले हैं।

मध्यप्रदेश का यह भाग ईसा की तीसरी शताब्दी तक सातवाहनों के अधिकार में रहा। तत्पश्चात् इस पर वाकाटकों का आधिपत्य हो गया। विन्ध्यशक्ति प्रथम वाकाटक राजा था। उसके पश्चात् प्रवरसेन राजा हुआ। प्रवरसेन के समय बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक प्रदेश इनके अधिकार में था। प्रवरसेनकालीन अनेक ताम्रपत्र छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल आदि जिलों में पाए गए हैं। इसके पश्चात् इस भाग पर 'स्वर्णयुग' की सृष्टि करनेवाले गुप्त वंश का आधिपत्य हुआ। समुद्रगुप्त के समय महाकोशल में महेंद्र, बस्तर में व्याघ्रराज तथा बैतूल में आटविक राजाओं का प्रभुत्व था। समुद्रगुप्त को दक्षिणापथ की विजययात्रा के समय इन सभी ने उसके सम्मुख पराजय स्वीकार करली थी। इसके पश्चात् रामगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय राजा हुआ। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त का मध्यप्रदेश से घनिष्ट संबंध रहा। इसकी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था।

गुप्तवंशीय शासन में यह प्रदेश सुखसम्पन्न था तथा इसमें कला और साहित्य का अच्छा विकास हुआ। मध्यप्रदेश के इस भाग में गुप्तकालीन अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। अनुमान है कि तिगवा मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। एरन से प्राप्त बुद्ध-कालीन लेख से ज्ञात होता है कि उसके राज्यकाल में एरन में भगवान् जनार्दन का एक स्तंभ खड़ा किया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के सकौर, सिवनी, बैतूल, जबलपुर आदि भागों में प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात् मध्यप्रदेश के इस भाग में नलवंश, शरभपुरीय राजवंश, पाण्डुवंश आदि राजवंशों का भी आधिपत्य रहा और इनके बाद प्रतापी कलचुरि आए जिनके राजत्वकाल में इस भाग ने अच्छी उन्नति की।

कलचुरि हैहयवंशी थे। पहले इनकी राजधानी माहिष्मती में थी। उसके बाद उनकी शाखाएं त्रिपुरी और रतनपुर में चली गईं। त्रिपुरी के कलचुरियों को डाहलमण्डल का राजा कहा जाता था। कोकल्लदेव इनका प्रथम राजा था। कोकल्ल के एक पुत्र मुग्धतुंग ने दक्षिण कोशल के सोमवंशियों से पाली (बिलासपुर जिला) छीन ली थी। इसका छोटा पुत्र युवराजदेव भी बड़ा प्रतापी था। कारीतलाई से प्राप्त शिलालेख में उसके द्वारा गुर्जर, गौंड, कोशल इत्यादि देशों को जीतने का वर्णन है। कलचुरि वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। यह तो हुई त्रिपुरी के कलचुरियों की कथा किन्तु रतनपुर में भी कलचुरियों ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहा जाता है कि कोकल्ल के १८ पुत्रों में से एक पुत्र ने दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) के तुम्पाण में अपनी राजधानी बनाई जो बाद में रतनपुर ले आई गई। रत्नराज ने रतनपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। रतनपुर के कलचुरियों में आजल्लदेव नामक राजा ने कान्यकुब्ज और बुन्देलखण्ड के राजाओं से मित्रता कर आसपास के प्रदेशों को जीतना शुरू किया। अमर-कण्टक से गोदावरी तक उसने धूम मचा दी थी। इसके बाद इस भाग पर अनेक पराक्रमी कलचुरि राजाओं जैसे कोकल्लदेव द्वितीय, गांगेयदेव इत्यादि ने राज्य किया।

मध्यप्रदेश के इस भाग में कलचुरिकालीन पुरातत्व की प्रचुर सामग्री मिली है जोकि तत्कालीन वैभव का चित्र प्रस्तुत करती है। युवराजदेव ने शैव आचार्यों के धर्मप्रचारार्थ काफी सहायता की थी। लक्ष्मणराज के समय कारीतलाई में विष्णुमंदिर का निर्माण हुआ था। गांगेयदेव ने सोने के सिक्के चलाए थे। महापराक्रमी कर्ण ने अमरकण्टक के मंदिरों का निर्माण कराया था। नरसिंहदेव के शासन में भेड़ाघाट में वैद्यनाथ मंदिर

का निर्माण हुआ था। कलचुरियों के समय ही त्रिपुरी, बिलहरी, चंद्रेह, गुर्गी, रत्नपुर, शिवरीनारायण, राजिम आदि स्थानों में अनेकानेक मंदिरों का निर्माणकार्य हुआ। इसके साथ ही इस भाग पर प्रतिहार, चंदेल व परमारवंशीय राजाओं ने भी राज्य किया। वस्तरभूमि पर इस समय नागवंशीय राजाओं का अधिकार रहा।

इन छोटे-मोटे राजाओं के पश्चात् पुनः इस भाग पर गोंडों और मुसलमानों ने सुव्यवस्थित रूप से राज्य किया। इस भाग में गोंडों के राज्य की बहुलता होने से ही मुसलमान इतिहासकारों ने इसका नाम गोंडवाना रखा था। गढ़ाकटंगा स्थित गोंडवंश बहुत पराक्रमी एवं शक्तिशाली था, जिसने अनेक वर्षों तक मध्यप्रदेश के इस भाग में सफलता-पूर्वक शासन किया। जादौराय ने प्रसिद्ध तांत्रिक सुरभि पाठक के संयोग से गढ़ा में गोंड-राज्य की नींव डाली। तत्संबंधी अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। ईसवी सन् १,२०० के लगभग गढ़ा के गोंडराज्य की स्थापना हो चुकी थी। गढ़ाराज्य के महत्व को परिलक्षित कर 'गढ़ा राज्यत्रयो गुणा' कहा जाता है। गोंडवंश में संग्रामसिंह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके अधिकार में ५२ गढ़ थे जिन पर प्रमुखतः गोंड ही राज्यासीन थे और जो संग्रामशाह के मातहत थे। ये गढ़ सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, मण्डला. नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नागपुर, होशंगाबाद और बिलासपुर जिलों तक फैले थे। संग्रामशाह का शासनकाल ईसवी सन् १४८० से १५४२ तक था। अपने राज्यकाल में उसने सिंगोरगढ़ किले को दुर्भेद्य बना दिया। उस समय सिंगोरगढ़, गढ़ामण्डला और चौरागढ़ स्थान उसके सैनिक केंद्र थे। संग्रामशाह की मृत्यु पर उसका पुत्र दलपतशाह राजा हुआ। उसने दुर्गावती से शादी की। दलपतशाह ने सिंगोरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। दलपत-शाह का शासन विलासिता से बीता। उसकी मृत्यु के समय उसका पुत्र वीरनारायण पांच वर्ष का होने से उसके बाद विधवा रानी दुर्गावती ने राज्य संभाला।

दुर्गावती शक्तिशाली रानी थी। अबुलफजल के अनुसार वह बड़ी बहादुर थी। तीर और बंदूक चलाने में उसकी बराबरी बिरले ही करते थे। वह वीरता में चण्डी थी और उसके सौन्दर्य के संबंध में एक संस्कृत कवि ने कहा है—'मदनसदृश रूपः सुन्दरी यस्यु दुर्गा'। रानी दुर्गावती ने १५ वर्ष तक बड़ी योग्यता से शासन किया।

किसी कारणवश जब सम्राट् अकबर ने आसफखां को दुर्गावती पर आक्रमण करने को भेजा तब फलतः इस युद्ध में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। इस युद्ध से गोंड राजवंश की बड़ी क्षति हुई और यहीं से उनका पतन प्रारंभ हुआ। यहां युद्ध में विजय प्राप्त कर आसफखां ने चौरागढ़ के किले पर अपना अधिकार जमाया, जिसमें कि गढ़ावंश की अतुल सम्पत्ति और खजाना भरा पड़ा था जिसे उसने अपने अधिकार में कर लिया।

आसफखां के जाने के बाद गढ़ा में अव्यवस्था हो गई। ऐसा ज्ञात होता है कि तत्पश्चात् गढ़ा की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली से मुगल कर्मचारी भेजे जाते थे। ये ही राजस्व वसूल करते थे। गोंडराजा शक्तिहीन थे और नाममात्र के राजा थे। इस काल में मधुकरशाह, प्रेमनारायण, हृदयशाह, नरेंद्रशाह इत्यादि गोंड राजाओं ने शासन किया। अंतिम राजा की मृत्यु के पश्चात् मराठों ने गढ़ामण्डला के राज-गोंड घराने की लीला समाप्त कर अपना अधिकार जमा लिया।

गढ़ा के गोंडवंश के सदृश ही देवगढ़ का भी गोंड राजवंश था जिसने कि मध्यप्रदेश की इस भूमि पर राज्य किया। जाटवा नामक गोंडवीर इस वंश का जन्मदाताथा

जाटवा का राज्य १५९० ईसवी में देवगढ़ में था। अकबर के समय जाटवा मुगलों के अधीन था। देवगढ़ के इस गोंडवंश में कोकशाह, बख्तबुलंद, चांदसुल्तान इत्यादि राजा हुए।

महाकोशल का यह समस्त भाग गोंड शासन के अधीन रह चुका है। पहले शत्रु से रक्षा करने के लिए तीर, तलवार, भाले आदि का उपयोग किया जाता था किन्तु मुगलों से सम्पर्क होने पर सैनिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। अबुलफजल ने गोंडवाने की सीमा के विषय में लिखा है—"उस राज्य के पूर्व में रतनपुर (झारखण्ड प्रदेश) व पश्चिम में रायसेन था जिसकी लम्बाई १५० कोस थी। उत्तर में पन्ना (बुंदेलखंड) और दक्षिण में दक्खन सूबा था जिसकी चौड़ाई ८० कोस थी। वह राज्य गढ़ाकटंगा कहलाता था। मुगल राज्यकाल में गोंडराज्यीय शासनपद्धति भी मुगलों के चरणचिह्नों का अनुसरण करती रही। राज्य में दीवान रहते थे। सेना का सेनापति किलेदार या बक्षी कहलाता था। जमाबंदी का काम आमिल के अधीन था। गढ़ के किलेदार ठाकुर या दीवान कहलाते थे। चौधरी और कानूनगो परगनों का प्रबंध करते थे। पटेल ग्राम के मुखिया थे।"

गोंड शासनकाल में अनेक इमारतें और किले बनाए गए। मध्ययुगीन प्रासादों की कलाभिरुचिता इनमें नहीं दिखाई देती तथापि इनमें आरण्यक सभ्यता का दर्शन होता है। गोंडकालीन किले जबलपुर, सागर, मण्डला, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मदनशाह ने मदनमहल भी बनवाया जिसका जीर्णोद्धार संग्रामशाह ने करवाया था। नर्मदातटीय ब्रह्मणघाट पर दुर्गावती द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है तथा रामनगर में रानी सुन्दरी खत्रानी का मोतीमहल है। इस प्रदेश में संग्रामशाहकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की भाषा हिंदी थी यद्यपि मुगल आधिपत्य के पश्चात् उसपर फारसी का प्रभाव पड़ने लगा था। निजामशाह के समय पं० लक्ष्मीधर ने 'गजेन्द्रमोक्ष' काव्य की रचना की थी। रामनगर प्रशस्ति का लेखक जयगोविंद काव्य-मीमांसा और वेदों का विद्वान् था। पं० रूपनाथ ने 'रामविजय' काव्य व 'गणेशनृपवर्णनम्' की रचना की थी।

गोंडों के पश्चात् इस भाग पर मुसलमानों का शासन हुआ। सर्वप्रथम खिलजी अला-उद्दीन इस भाग में आया। देवगिरी जाते समय इसने सांडियाघाट के समीप नर्मदा पार की थी। अनुमान है कि ईसवी सन् १३०९ के लगभग सागर जिले का भाग मुसलमानों के कब्जे में चला गया होगा। इसके बाद तुगलकों का राज्य भी सागर में रहा। तैमूरलंग के आक्रमण (सन् १३९८ ई०) से दिल्ली का मुसलमानी राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। इस समय मध्यप्रदेश का यह भाग बहमनी और मालवा के सूबेदारों के आधिपत्य में था और दमोह पर खिलजियों का अधिकार रहा होगा क्योंकि गयासशाह के समय का जो एक फारसी लेख प्राप्त हुआ है उससे ज्ञात होता है कि ई० सन् १४८० में दमोह किले की पश्चिमी दीवार बनवाई गई। फरिश्ता के अनुसार मलिक फारुख १२ हजार सवारों का सूबेदार सतपुड़ा की घाटियों में स्थित समस्त गोंड राजाओं से पेशकाश वसूल करता था। फारुकियों का मुख्य किला असीरगढ़ था। फारुकियों के शासनकर्त्ताओं का हिन्दुओं के प्रति उदार भाव था। इस काल में सिंगाजी नामक एक प्रसिद्ध संत भी हुए।

सम्राट् अकबर के शासनकाल में भी महाकोशल का कुछ भाग विदर्भ सरकार के अंतर्गत था। इसी समय बुंदेलखण्ड में बुंदेलों का शासन था। सन् १७२८ ई० से छत्रसाल

वाघ गुफाओं आदि में तत्कालीन अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं, जोकि स्वर्णयुग की महत्ता एवं सुखसमृद्धि के प्रतीक हैं। गुप्तकालीन युग में इस भाग में वैष्णव एवं शैवधर्म का अच्छा प्रचार रहा होगा; यह तत्कालीन दुर्गा की मूर्ति; एकमुख लिंग, कुबेर के चित्र इत्यादि से स्पष्ट होता है।

कुमारगुप्त प्रथम के काल से ही इस प्रदेश पर हूणों का आक्रमण हुआ और वाद में वे ग्वालियर तक पहुंच गए। गुप्तवंशावसान के इसी समय यशोधर्मन के नेतृत्व में मालव-जाति ने पुनः शक्ति एकत्रित की व सम्पूर्ण प्रदेश पर अपना एकछत्र राज्य स्थापित किया। उन्होंने ई० सन् ५३२-३३ में हूणों को भी हराया जिसके जयस्तंभ मन्दसौर में बनाए गए। इसी समय गुप्तों की एक छोटी-सी शाखा मालवा में राज्य कर रही थी, जिनका स्थानेश्वर के वर्धनों से संघर्ष हुआ था। हर्ष ने इस भाग पर सफलतापूर्वक शासन किया और इन दिनों मालवा में अनेक युद्ध हुए, यह वाण के 'हर्षचरित्र' से प्रकट होता है। हर्ष की मृत्यु के उपरान्त इस प्रदश के विभिन्न भागों पर भिन्न-भिन्न राजाओं का अधिकार हो गया। कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहारों के अधिकार में कन्नौज के आसपास का प्रदेश था। वैसे ही विदिशास्थित प्रदेश राष्ट्रकूटों के अधिकार में चला गया था। इस काल के भी कुछ अवशेष इस प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि उस काल में इस प्रदेश में वौद्ध व जैन धर्म का सम्यक् प्रचार था। ग्यारसपुर, घमनार, पोलडोंगर, राजापुर इत्यादि में तत्कालीन वुद्धावलम्बी अवशेष हैं। वैसे ही ग्वालियर, अमरोल, चुरली, कोटा, महुआ इत्यादि में तत्कालीन मंदिर हैं।

ईसा की दसवीं सदी में उत्तर के प्रतिहार व दक्षिण के राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो चली थी और मालवा में परमार व ग्वालियर में कच्छवाह जाति ने बल संगठित कर लिया था। सियाक द्वितीय प्रथम परमार राजा था। उस वंश में वाक्पति एवं मुंज प्रतापी राजा हुए। मुंज एवं तैल के युद्ध इतिहास-प्रसिद्ध हैं। मुंज स्वयं बहुत विद्वान् एवं साहित्य-प्रेमी था। मुंज के पश्चात् भोज राजा हुआ जोकि बहुत प्रसिद्ध है एवं उसके नाम के साथ अनेकों किवदन्तियां एवं कथा-कहानियां जुड़ गई हैं। वह भी कला का प्रेमी था और उसके दरवार में विद्वानजन उसके राज्याश्रय में थे। इस वंश में फिर उदयादित्य व अर्जुनवर्मन् राजा हुए। इस काल में कला, साहित्य व संस्कृति की अच्छी उन्नति हुई, जिसका अधिकांश श्रेय राजा भोज को है। इसी काल में उदयपुर, नेमावर, जामली, वदनावर, ऊन इत्यादि के भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भोज ने धार नगरी का पुनर्निर्माण कराया। भोज-शाला उस काल में प्रसिद्ध विद्या-केंद्र था। ग्वालियर, नरवर व दुवकुण्ड में इस समय कच्छवाह वंश का शासन था। इस काल में ग्वालियर, सुहानिया, सरवाया, मितौली आदि में मंदिर भी वनाए ये जो आज भी अपने युग की सम्पन्नता पर प्रकाश डालते हैं।

ईसा की ११वीं शताब्दी से इस प्रदेश पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए। इन आक्रमणकारियों में महमूद प्रथम था। वाद में मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया। सन् १२५१ में वलवान ने ग्वालियर, चन्देरी, नरवर आदि सव प्रदेश अपने अधिकार में कर लिए। सन् १३०५ में मालवा भी दिल्ली के मुसलमानी शासन में मिला लिया गया। मुहम्मदशाह (१३८९-१३९४) के राजत्वकाल में दिलावरखां गोरी ने मालवा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसकी राजधानी धार थी। उसके बाद उसका पुत्र होशंगशाह १४०५ में गद्दी पर बैठा। उसने

भेड़ाघाट में संगमरमर की धवल चट्टानों के बीच नर्मदा की शीतल धारा जो बंदरकूदनी के नाम से प्रसिद्ध है (जबलपुर जिला)

बुंदेल ने अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। छत्रसाल ने मुगलों से अनेक लड़ाइयाँ लडी। इन दिनो महाकोशल के अनेक स्थानों पर उसके द्वारा युद्ध किए गए। सागर जिले के इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, धमोनी, रामगढ़, कंजिया, मडियाधे, रहली, रामगिर, शाहगढ, बांसाकला आदि स्थानों में छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किए। बंगस के विरुद्ध युद्ध मे पूना के बाजीराव पेशवा ने छत्रसाल की सहायता की थी। इस युद्ध में छत्रसाल की विजय हुई। फलस्वरूप उन्होंने पेशवा को अपना तृतीय पुत्र मानकर काल्पी, जालौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हृदयनगर इत्यादि प्रदेश दिए जिनके अन्तर्गत महाकोशल का कुछ भाग आता है।

सन् १७३२ ई० में सागर का बहुत-सा प्रदेश पेशवाओं के अधीन आ गया था, जिसका प्रबंधक गोविंद बल्लाल खेर था। गोविंदराव ने सागर-दमोह का प्रबंध बालाजी गोविंद को सौंपा था। संवत् १८३७ में जबलपुर मे बिसाजी गोविंद राज्य-प्रबंधक था। उसी समय मण्डला नरेश नरहरशाह के सेनापति गंगागिरी ने जबलपुर पर आक्रमण किया। इसमें बिसाजी की मृत्यु हुई और मराठों ने भागकर सागर में आश्रय लिया। इस पर बालाजी ने बापूजी नारायण को गोंडों से युद्ध करने के लिए भेजा। मदद के लिए आबासाहब मोरो की भी सेना आ गई और मराठों ने चौरागढ़ पर आक्रमण कर गोंडों के राज्य पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। सन् १७९८ में मण्डला और जबलपुर के जिले पूना के पेशवा ने रघोजी भोंसले द्वितीय को दे दिए। इसी समय मीरखां पिंडारी ने सागर पर घेरा डाला। भोंसलों ने सागर की रक्षा की और इस कारण चौरागढ़ और धमोनी का भाग भी भोंसलों को मिल गया। सन् १८१८ में अंग्रजों ने पूना का पेशवाई राज्य हड़प लिया और यह कह कर कि सागर का इलाका पेशवाओं का है, सागर का राज्य भी जब्त कर लिया। आबासाहब रघुनाथराव के समय सागर मे सुप्रसिद्ध हिंदी कवि पद्माकर का निवास था।

अंग्रेज अपनी घातक नीति के कारण धीरे-धीरे संपूर्ण देश पर अपनी प्रभुसत्ता का जाल बिछाने में सफलता पा रहे थे। मध्यप्रदेश का यह भाग भी धीरे-धीरे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रारंभ में नर्मदा और सागर टेरिटरी का भाग मिलाकर यह भाग अंग्रेजी शासन की इकाई बनाया गया था पर सन् १९०३ में इस भाग में बरार मिलाकर मध्यप्रदेश और बरार के नाम से एक बड़ा प्रांत बना दिया गया। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् बरार को पूर्णतः मध्यप्रान्त मे विलीन कर मध्यप्रदेश नामक राज्य की रचना की गई।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रताप्राप्ति के अनंतर मध्यप्रदेश में १ जनवरी १९४८ से छत्तीसगढ़ की देशी रियासते; यथा बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, छुईखदान, खैरागढ़ आदि को विलीनीकृत कर दिया गया है। फलस्वरूप यह एक सुदृढ़ एवं सम्पन्न इकाई बन गया है। अब राज्यपुनर्गठन आयोग के सुझावों के अनुसार महाकोशल नवगठित मध्यप्रदेश का एक घटक अंग है, जिसके साथ पूर्व मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश व भोपाल राज्यों का सहयोग एक सुखी व समृद्ध प्रदेश का निर्माण करेगा।

पूर्व मध्यभारत

प्राचीन एतिहासिक तथ्य के अनुसार चर्मण्वती (चम्बल) व शुक्तिमती (केन) नदियों द्वारा आवृत्त यह प्रदेश राजा ययाति के शासन में था जिसने वानप्रस्थाश्रम जाते समय यह भाग अपने पुत्र यदु को दे दिया था। बाद में यदुवंश यादव व हैहयों में विभाजित

हुआ। इन्हीं हैहयों ने मध्यभारत पर शासन किया। हैहयवंशीय कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा प्रतापी शासक था जिसने माहिष्मती पर विजय प्राप्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में हैहयों की एक शाखा ने विदिशा में भी शासन किया। ईसा से पूर्व ६ वीं शताब्दी में यह प्रदेश 'प्रद्योत वंश' के अधीन था जो दशार्ण भी कहलाते थे। चण्डप्रद्योत इस वंश का प्रतापी शासक था जिसने उज्जयिनी को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न बनाया था। बुद्धकालीन साहित्य में तत्संबंधी विवरण भी मिले हैं। इस राजा ने लगभग २३ वर्ष शासन किया। यह इतना शक्तिशाली था कि आसपास के राजा इससे सदा भयभीत रहते थे। 'मज्झिम निकाय' के अनुसार राजगृह के राजा अजातशत्रु ने इसके आक्रमण के भय से अपना दुर्ग अधिकाधिक सुदृढ़ बनवाने के प्रयत्न किए थे।

इसके पश्चात् अवंती पर मागधीय शैशुंग, नंद एवं मौर्यो का आधिपत्य रहा। इस युग में विदिशा, माहिष्मती और उज्जयिनी व्यापार के अच्छे केंद्र थे जिनका भरुकच्छ व सुपरिक बंदरस्थानों के माध्यम से बेबीलोनिया व परशिया के प्रदेशों से व्यापार होता था। युवराज अशोक उज्जयिनी प्रदेश का राज्यप्रबंध देखता था। ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी में मगध का राज्य पुष्यमित्र शुंग के अधिकार में आ गया और फलस्वरूप इस भाग पर भी उसका राज्य हो गया। उस काल में अग्निमित्र विदिशा का राज्यप्रबंधक व सेनापति था। इसी वंश में भाण्डक भी राजा हुआ। शुंगवंशी शासनकाल में तक्षशिला का हेलिओडोरस भाण्डक के राजदरबार में आया था तथा उसने बेसनगर में गरुड़स्तंभ बनवाया। इससे ज्ञात होता है कि इस काल में भी विदिशा में वैष्णव धर्म का प्रभाव था। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' से भी शुंगवंशीय अग्निमित्र संबंधी जानकारी मिलती है।

ईसा की प्रथम शताब्दी के प्रारंभ काल में दक्षिण के सातवाहनों के आक्रमणों ने पूर्व मध्यभारत में शुंग व कण्व राज्यों को छिन्न-भिन्न कर दिया था तथा सातवाहनों ने निश्चय ही विदिशा के आसपासवाले प्रदेश पर अपना अधिकार जमाया होगा। मालवा प्रदेश में तत्कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। फिर इस प्रदेश के उत्तरी भाग पर कनिष्क का अधिकार हो गया। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात् क्षत्रप नहपान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया जिसके राज्यान्तर्गत उस समय यह प्रदेश था। सन् १२४ ई० में पुनः गौतमी पुत्र शातकर्णि ने इस भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में फिर इस प्रदेश पर रुद्रदमन का आधिपत्य हो गया। इसी समय उत्तरी मध्यभारत में नागवंश का शासन चल रहा था जिनके प्रमुख केंद्र थे—कांतिपुरी, पद्मावती तथा विदिशा। इस युग के सिक्के अनेक स्थानों में प्राप्त हुए हैं। पद्मावती स्थित नागवंश का वर्णन 'विष्णु पुराण' में प्राप्त होता है। भवभूति के 'मालती-माधव' में भी इस नगरी का भव्य व आकर्षक वर्णन है।

ईसा की चौथी शताब्दी में इस भाग में मालव लोगों का शासन रहा। इसी समय मगध में गुप्तवंश प्रबल शक्ति संचित कर रहा था। चौथी शताब्दी के मध्यकाल में गुप्तों ने समस्त मध्यभारत क्षेत्र को अपने राज्यान्तर्गत कर लिया था। इलाहबाद का समुद्रगुप्तकालीन स्तंभलेख इसका साक्षी है। जैसा कि ऊपर कहा गया है गुप्त काल 'स्वर्णयुग' माना जाता है। अतः इस काल में इस प्रदेश का भी अच्छा विकास हुआ व इसमें कला एवं साहित्य का भी पूर्ण विकास हुआ। पवाया, तमान, बेसनगर, उदयगिरी, मन्दसौर,

जवलपुर में निर्मित शहीद स्मारक भवन जो अव सांस्कृतिक गतिविधियों
एवं अनुसंधान का केन्द्र वन गया है

माण्डू को अपनी राजधानी बनाया। उसने २७ वर्ष तक राज्य किया और अपने राज्य का खूब प्रसार किया। इसके बाद गजनीखान व महमूदखान राजा हुए और फिर इस प्रदेश पर खिलजियों का अधिकार हो गया। महमूद खिलजी प्रथम राजा था। उसने ३३ वर्ष राज्य किया। उसका अधिकांश समय युद्धों में बीता। मेवाड़ के राणा के विरुद्ध एक युद्ध में विजयी होने के उपलक्ष में उसने माण्डू में एक सतमंजिला जयस्तंभ बनवाया। उसके वैयक्तिक गुणों के कारण इस युग में मालवा एक सम्पन्न व महत्वपूर्ण प्रदेश बन गया था। उसके बाद घियासुद्दीन, नासिरुद्दीन व महमूद द्वितीय क्रमशः राजा हुए। इसके बाद गुजरात के शासक मुजफ्फरशाह ने सन् १५२६ में मालवा पर चढ़ाई कर उसे अपने राज्य में मिला लिया।

इस उपर्युक्त काल में जब-जब भी मौका मिला राजपूत राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने का प्रयत्न किया। राजा मानसिंह (सन् १४७९-१५१७) ग्वालियर का प्रतापी राजा हुआ। उसने राज्य में सिंचाई साधनों की व्यवस्था की व तालाब बनवाये। वह संगीत का बड़ा प्रेमी था, साथ ही स्थापत्य में भी उसे अभिरुचि थी। उसने ग्वालियर में मानमंदिर बनवाया जोकि कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसी काल में माण्डू में जामा-मसजिद, अशरफी महल, महमूद का मकबरा, होशंगशाह का मकबरा, जहाज महल, हिंडोलामहल इत्यादि पठान स्थापत्यकला की सुंदर-सुंदर इमारतें बनीं।

इसके पश्चात् इस प्रदेश पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। सन् १५८२ ई० में बाबर ने ग्वालियर जीतकर यह प्रदेश अपने राज्य मे मिला लिया। तबसे १८ वी शताब्दी तक यह प्रदेश मुगलों की सल्तनत के अन्तर्गत रहा। मालवा ई० सन् १५३४ तक गुजरात के राज्याधीन रहा, फिर हुमायूं ने इसपर अपना अधिकार जमाया। हुमायूं के मालवा छोड़ते ही खिलजीवंशीय मल्लूखान ने नर्मदा और भेलसा के बीच के प्रदेश पर अपना अधिकार जमाकर कादिरशाह के नाम से माण्डू में अपना राज्य करना शुरू कर दिया। सन् १५४२ में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया, तथा शुजाखान को वहां का प्रबंध सौंपा। शुजाखान के बाद बाजबहादुर राजा बना जिसे रानी दुर्गावती से हार खानी पड़ी थी। सन् १५६१ में अकबर के एक सरदार आदमखान ने मालवा को फतह किया और फलस्वरूप मालवा भी सल्तनते मुगलिया में मिला लिया गया।

औरंगजेब के शासनकाल में उसकी एकपक्षीय नीति के कारण मुगलशासन जर्जर हो उठा था। राज्य में आन्तरिक असंतोष तो था ही, बाहरी शत्रु भी मौका पाकर आक्रमण की तैयारी में रहते थे। इस समय छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों की शक्ति उत्कर्ष को प्राप्त हो उठी थी। सन् १७३२ के लगभग छत्रसाल ने मध्यभारत के मध्यवर्ती कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। सन् १७२८ से मराठे निरंतर उत्तर की ओर बढ़ने के शक्तिशाली प्रयत्न कर रहे थे। इसी वर्ष चिमनाजी पेशवा ने मुगल सूबेदार गिरधरबहादुर का पराभव किया। पुनः ५ वर्ष बाद मल्हारराव होल्कर तथा राणोजी सिंधिया ने मुगल सल्तनत द्वारा भेजे गए जयसिंह अम्बर से मुकाबला किया। फल यह हुआ कि शांति कायम रखने के लिए मुगलों द्वारा मराठों को चौथ देना कबूल करना पड़ा। सन् १७३६ में मराठों ने पुनः मुगलों पर बाजीराव पेशवा प्रथम के नेतृत्व में आक्रमण किया। इस आक्रमण के फलस्वरूप मराठों ने नर्मदा और चम्बल के बीच के समस्त भाग पर अपना अधिकार जमा लिया और उन्हें ५० लाख रुपये अतिरिक्त भी मिले।

इन आक्रमणों में राणोजी सिंधिया व मल्हारराव होल्कर प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में मध्यभारत के भिन्न-भिन्न भागों को अपने राज्यान्तर्गत लेकर उसपर राज्य किया। उत्तर के ये मराठे सरदार पूना के पेशवा के प्रतिनिधि रूप में शासन चलाते थे। उनकी सेना की सुव्यवस्था आदि के लिए राज्य का कुछ भाग उनके स्वयं के उपयोगार्थ रखा जाता था। ग्वालियर, इन्दौर, धार, देवास आदि मराठा राज्य इसी पद्धति पर चलाए जाते थे।

सन् १७६१ की पानीपत की लड़ाई से बचे हुए महादजी सिंधिया ने अपनी शक्ति बढ़ाई। अपने वैयक्तिक गुणों के कारण राजनीति के क्षेत्र में उनका महत्व काफी बढ़ गया। वे पेशवा के प्रतिनिधिस्वरूप शासन चलाते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् मराठों का जोर जरा कम हो गया। इसी काल में अंग्रेज धीरे-धीरे अपना राज्यविस्तार कर रहे थे और यद्यपि रियासती राजाओं को अपनी रियासतों पर राज्य करने का अधिकार था किन्तु वास्तव में देखा जाय तो अंग्रेज ही प्रमुख रूप से उनकी राजनीति को प्रभावित करते थे। यही स्थिति पूर्वमध्यभारत की इन अनेकानेक देशी रियासतों की थी और स्वतंत्रताप्राप्ति के पूर्व तक ऐसी ही स्थिति रही।

स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् देश के समक्ष ये देशी रियासतें एक जटिल समस्या बनकर आईं। देश की प्रायः ९ करोड़ जनता जोकि ५०० से अधिक देशी राज्यों के अधीन थी, अभी भी परतंत्र थी। भारत सरकार ने एकीकरण की नीति अपनाई और सरदार वल्लभभाई पटेल के असाधारण राजनैतिक कौशल से यह समस्या हल हो पाई। मध्यभारत के निर्माण हेतु २२ अप्रैल १९४८ को ग्वालियर, इन्दौर और मालवा के विभिन्न राज्यों के नरेशों की एक बैठक हुई जिसमें एक अनुबंध हुआ जिसके फलस्वरूप २८ मई १९४८ को मध्यभारत संघ का उद्‌घाटन हुआ। पूर्व मध्यभारत का निर्माण ग्वालियर, इन्दौर, धार, नरसिंहगढ़, सीतामऊ, पिपलौदा, अलीराजपुर, जोवट, कठीवाड़ा, मथवाड़, देवास, राजगढ़, खिलचीपुर, झाबुआ, पठारी, कुरवाई, बड़वानी, रतलाम, सैलाना, मोहम्मदगढ़, नीमखेड़ा (भूमट) और राजगढ़ (भूमट) आदि २५ राज्यों के एकीकरण से हुआ जोकि अब नवगठित मध्यप्रदेश राज्य का भाग बन गया है।

पूर्वविन्ध्यप्रदेश

रामायणकाल में विन्ध्यप्रदेश का भू-भाग कोशल प्रान्त के अन्तर्गत था। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती को प्राप्त 'विदिशा' राज्य की राजधानी कुशावती नगरी थी जो केन नदी के किनारे पर कहीं स्थित थी। महाभारतकाल में विन्ध्यप्रदेश के कैमूर पर्वत के उत्तर का भाग कारुप प्रदेश व दक्षिण का भाग विराटराज्य के अन्तर्गत था। सोन के किनारे पर स्थित वर्तमान सोहागपुर प्राचीन विराटपुरी नाम से विराटेश्वर की राजधानी थी। इसी विराटराज्य में पाण्डवों ने अपनी गुप्तवास की अवधि पूर्ण की थी। कुन्तलपुर (वर्तमान कौंडिया, चंदिया से ४ मील दक्षिण) भी महाभारतकाल में सम्पन्न नगर था जिसके कि आज केवल जीर्णशीर्ण अवशेष ही दिखते हैं। कहते हैं कि वनवासकाल में कुन्ती ने ही इसे बसाया था। बौद्धकालीन युग में वर्तमान विन्ध्यप्रदेश 'मज्झिम' प्रदेश के अन्तर्गत था। भगवान् बुद्ध के केश और नाखून लेकर शाम्पक नामक एक बौद्ध ने वागुड़ प्रदेश के शासक विड्‌डयू के राजत्वकाल में बरदावती नामक स्थान में एक वृहद् स्तूप का निर्माण कर उसमें बौद्ध सिद्धान्तों को उत्कीर्ण कराया था।

इसके पश्चात् इस प्रदेश के अशोक महान् के राज्याधीन होने के प्रमाण मिलते हैं। अशोक शासनकालीन अनेक स्थान इस भाग में पाये जाते हैं। गुरगी, गिद्धैला और मिरगौती में बौद्धकालीन चिह्न मिलते हैं। इतिहासप्रसिद्ध भरहुत का स्तूप भी इसी भाग में है। यद्यपि भरहुत के स्तूप तथा वेदिका का निर्माणकाल विवादास्पद है तथापि अनुमानतः भरहुत के स्तूप तथा वेदिका का निर्माण मौर्यकाल से शुंगकाल तक चलता रहा। भरहुत का प्राचीन नाम वरदावती था। इतिहासज्ञ टालेमी (Ptolemy) ने इसका नाम वरदावती लिखा है, जो भरहुत का यूनानी अनुवाद है। जनरल कनिंघम ने अपने 'स्तूप ऑफ भरहुत' में इसका पुराना नाम 'वलसेवत' लिखा है। भरहुत उस काल में एक समृद्धिशाली नगर व व्यापारिक केन्द्र था। अशोक के अनंतर यह प्रदेश शुंगवंशी राजाओं के अधिकार में रहा। भरहुत के शिल लेखों में भी शुंगवंशीय राजाओं का वर्णन पाया जाता है।

शुंगों के पश्चात् इस भू-भाग पर नागवंशी राजाओं का अधिकार हुआ। नागवंशी राजा यादववंशी क्षत्रिय थे। नागवंश ने प्रायः नौ शताब्दियों तक विदिशा में राज्य किया। किन्तु शकों के आक्रमणों से राज्य नष्ट होने पर इन्होंने विन्ध्यभूमि पर अपना राज्य-स्थापित किया। सर्वप्रथम धर्मवर्मन के पुत्र वंगा ने विन्ध्यप्रदेश में किलकिला राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी नागावध में बनाई। नागों का राज्य मध्यप्रान्त, बुंदेलखंड तथा मालवा में था। नाग शैवमतावलंबी थे। राज्यशासन नागसंघ द्वारा चलाया जाता था, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे। स्पष्ट है कि नागों के काल से ही यहां गणतंत्रात्मक शासनप्रणाली आरम्भ हुई। नागों ने अनेक शैव मंदिरों का निर्माण कराया था जिनके भग्नावशेष यहां आज भी पाए जाते हैं। इनके समय की स्थापत्यकला को 'नाग चित्रकला' कहते हैं। वि० सं० ५०-९० के बीच एक बार पुनः शकों ने इनपर प्रवल आक्रमण किया जिससे भागकर ये जंगलों में छिप गए किन्तु वि० सं० १९० में पुनः इनका उत्थान हुआ और इन्होंने शकों का पराभव कर उन्हें गंगा-यमुना के पार तक भगा दिया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपना नाम 'नवनाग' रखा। साथ ही उनका एक और नाम भारशिव भी चल पड़ा था। इन्होंने प्रायः वि० सं० ३७० तक राज्य किया और फिर इस प्रदेश पर वाकाटकों का अधिपत्य हो गया

वाकाटक धीरे-धीरे पूर्वी बघेलखण्ड में अपनी प्रभुता का विकास कर रहे थे। भीमसेन वाकाटक (वि० सं० ३०५-३५७) ने विन्ध्य-पृष्ठ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस उपलक्ष्य में अपना नाम 'विन्ध्यशक्ति' रखा। वाकाटक वंश के प्रवरसेन, पृथ्वीसेन इत्यादि कई राजाओं ने इस भूमि पर राज्य किया। वाकाटकों के समय बांधवगढ़ जिसका वर्णन इतिहासज्ञ टालेमी ने 'वलन्तिपुर गान' नाम से किया है, एक उन्नत स्थान था।

तत्पश्चात् समुद्रगुप्त ने वाकाटकों पर चढ़ाई कर इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय समस्त बघेलखंड की तत्कालीन भूमि गुप्तों के अधीन थी, तथा वाकाटक, उच्छकल्प व परिव्राजक गुप्तों के आश्रित थे। गुप्तकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का चरम उत्कर्ष हुआ। इसके पश्चात् इस प्रदेश की प्रमुख राजसत्ताओं में कलचुरि व चंदेलों का नाम आता है। ईसा की नवीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक ये राज्य फले-फूले। बघेलखंड उस समय कलचुरि-साम्राज्यान्तर्गत तथा बुंदेलखंड चंदेल-साम्राज्यान्तर्गत था। कलचुरियों का शासन बहुत ही व्यवस्थित एवं सुदृढ़ था। उस

समय शासन-मण्डल में महाराज, महारानी व महाराजपुत्र के अतिरिक्त निम्न कर्मचारी भी होते थे—महामंत्री, महामात्य, महासामन्त, महापुरोहित, महाप्रतीहार, महाक्षपटलिक, महाप्रमात्र, महाश्वसाधनिक, महाभाण्डागारिक तथा महाध्यक्ष। शासन-मण्डल के गठन से तत्कालीन सुगठित राज्यव्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। कलचुरिवंश के कोकल्ल—देव, युवराजदेव प्रथम, कोकल्लदेव द्वितीय, यशकरणदेव आदि प्रतापी राजाओं ने इस भूमि पर राज्य किया। कलचुरियों के समय के अनेक ताम्रपत्र आदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं। कलचुरि शासकों ने स्थान-स्थान पर मंदिर इत्यादि वनवाए जिनमें से कुछ अभी भी वर्तमान हैं। इस शासनकाल में शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों की समान रूप से उन्नति हुई।

वुन्देलखंड में चंदेलों का आधिपत्य था। नान्हुक (वि० स० ८५७-८८२) चंदेल-वंश का प्रथम कीर्तिवान् राजा था। जयशक्ति विजयशक्ति (वि० स० ९०७-९३२) के शासनान्तर्गत समस्त बुंदेलखंड शामिल था। इसके वाद हर्ष, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमर्दिदेव इत्यादि अनेक चंदेलवंशी राजा हुए। इतिहासप्रसिद्ध वीरशिरोमणि आल्हा ऊदल परमर्दिदेव (वि० स० १२२२-१२५९) के शासनकाल में ही थे। चंदेलों का अंतिम प्रतापी राजा भोजवर्मन हुआ। इसके पश्चात् १६०२ में शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया और इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिसिंह मारा गया जिससे चंदेलों का प्रभुत्व मिट गया। चंदेल राजा राहिल ने महोवा में राहिल-सागर का निर्माण कराया था। खजुराहो में इस वंश के अनेक शिलालेख मिलते हैं। साथ ही इस काल के अनेक शिलालेख व दानपत्र भी वारी, दुर्ग, ककरेडी आदि स्थानों में मिलते हैं जिनसे तत्कालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। खजुराहो के अमर मंदिर व बुंदेलखंड के रमणीय तालाव आज भी चंदेलों की कीर्ति को प्रकाशित कर रहे हैं।

इसके पश्चात् इस भू-भाग पर गोंडों का आधिपत्य हुआ जिनकी राजधानी गढ़ाकटंगा थी। इसके वाद पूर्व विन्ध्यप्रदेश के छोटे-छोटे जागीरदारों ने अपनी-अपनी स्वतंत्र जागीरें वनाली और यह भूमि-भाग कभी मराठों और कभी मुगलों द्वारा शासित किया जाता रहा। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन के सूत्र दृढ़ होने पर पूर्व विन्ध्यप्रदेश के अनेक छोटे-छोटे जागीरदारों को उनसे मित्रता कर लेनी पड़ी तथा वे येनकेनप्रकारेण ब्रिटिशसत्ता के ही अधीनस्थ-से रहते आए। अंग्रेजों ने अपनी नीति के कारण रियासतों के शासकों को अपंग वना दिया था। अंग्रेजों की नीति ही ऐसी थी कि कोई भी शासक एक वार उनके जाल में फंसने के वाद निकल नहीं पाता था तथापि १८५७ के स्वातंत्र्यसंग्राम में कई रियासतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी शासनकाल में यह प्रदेश मध्यभारत एजेन्सी का एक अंग था किन्तु स्वातंत्र्यप्राप्ति के पश्चात् दिनांक २ अप्रैल १९४८ को रीवां तथा वुंदेलखंड के ३४ साधारण राज्यों के विलयन से विन्ध्यप्रदेश का निर्माण हुआ और अव पूर्ण विंध्यप्रदेश नवगठित मध्यप्रदेश में शामिल हो गया है।

भोपाल

अनुमान किया जाता है कि आर्यों के दक्षिण गमन से पूर्व भोपाल भू-भाग में अनार्यों का वासस्थान रहा होगा। जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में भोपाल महाकान्तार का एक भाग था और सर्वप्रथम मुनि अगस्त्य ने दक्षिण की ओर जाते समय भोपाल में भी प्रवेश किया था। दक्षिण में आर्यों का गमन मुनि अगस्त्य के दक्षिण-पदार्पण से ही माना

जाता है। यही स्थिति भोपाल की भी समझना चाहिए अर्थात् इसके पश्चात् ही इस भू-भाग पर आर्य आए होंगे।

भोपाल में बौद्ध धर्म का भी अच्छा प्रचार रहा होगा। अशोक ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर अनेकानेक स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ लिखवाए थे। सांची का स्तूप तो इतिहासप्रसिद्ध है ही। निश्चय ही अशोक के उज्जयिनी अधिवासकाल में यह भू-भाग अशोक के राज्य में रहा होगा। अशोक का राज्यकाल २७३ ई० स० से २३६ ई० स० तक था। सांची के स्तूप उस समय बौद्धधर्मावलंबियों के लिए आकर्षण के केंद्र-बिन्दु थ और आज भी उनका महत्व कम नहीं है। भारतीय इतिहास में गुप्तवंश के राज्यकाल को सुख, समृद्धि और सम्पन्नता का युग कहा जाता है इस काल में कला, साहित्य और संस्कृति की आशातीत उन्नति और विकास हुआ, इसी कारण इसे भारतीय इतिहास में 'स्वर्ण युग' के नाम से संबोधित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भोपाल भाग का संबंध गुप्त वंश से आता है तथा अनुमान है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, भोपाल उसके राज्यान्तर्गत रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल वि० सं० ४३२ से ४७० तक रहा। सांची के निकट उदयगिरि में चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाई गई गुफाएं विद्यमान हैं।

गुप्तवंशीय शासन की शक्ति क्षीण होने पर बहुत काल तक यह प्रदेश गोंड इत्यादि जातियों द्वारा शासित रहा। इस काल का ऐतिहासिक विवेचन उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात् पुनः इस प्रदेश पर महाराजा भोज के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। महाराजा भोज ११वीं शताब्दी में मालवा के शासक थे। जनप्रसिद्ध है कि भोपाल प्रदेश का पूर्व नाम भोजपाल था। कालान्तर में 'ज' का लोप होकर वह 'भोपाल' रह गया। भोजपाल से संभवतः भोज द्वारा पाले गए प्रदेश की ध्वनि निकलती है। भोपाल प्रदेश का भोजपुर इस प्रदेश में महाराजा भोज के शासन का स्वयंसिद्ध प्रमाण है। महाराजा भोज के शासनकाल में निश्चय ही भोपाल भू-भाग में सांस्कृतिक चेतना का जागरण हुआ होगा। महाराजा भोज स्वयं अत्यन्त विद्वान् एवं उच्चकोटि के कला-पारखी थे। भोज की सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय 'सरस्वती कण्ठाभरण,', 'राजमृगाकरण', 'भोजप्रबंध' व 'कीर्तिकौमुदी' इत्यादि ग्रंथों से मिलता है। भोजपुर के विशाल एवं कलापूर्ण शिवमंदिर का सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष महत्व है। भोजकाल के मालवा में तांत्रिक कापालिकों का प्राबल्य था। साथ ही मालवा व तत्समीपवर्ती प्रदेशों में पाशुपत सम्प्रदाय का भी प्राधान्य था। स्वयं भोज पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। कालान्तर में भोपाल पर मुगलों और मराठों का शासन हुआ। साथ ही भोपाल पर बीच-बीच में छोटे-छोटे जागीरदारों का राज्य हो जाता था जोकि केन्द्रीय सत्ता अर्थात मुगलों द्वारा नियुक्त सूबेदारों से लड़कर स्वतंत्र हो जाया करते थे। सारांश यह है कि इस काल में भोपाल में किसी एक राजसत्ता ने नियमित रूप से शासन नहीं किया। मुगलों की शक्ति क्षीण होने पर मराठों ने आक्रमण कर भोपाल को अपने आधिपत्य में ले लिया। मराठों ने भोपाल से २६ मील दूर रायसेन नामक स्थान में एक विशाल दुर्ग बनवाया जिसमें कि ९ मुख्य प्रवेशद्वार थे। यह किला १३वीं शताब्दि में बनवाया गया था तथा अपने काल में काफी महत्वपूर्ण था।

इसके पश्चात् भोपाल के इतिहास-क्रम का व्यवस्थित पता नहीं लगता किन्तु भोपाल के ऐतिहासिक पटल पर हमें एकाएक सरदार दोस्त मोहम्मद खान का उल्लेख मिलता है।

किसी सुसंगठित केंद्रीय शासन के अभाव में एक शक्तिशाली अफगान सैनिक प्रतिनिधि सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर भोपाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यही नहीं इस सरदार ने भोपाल को एक संगठित राज्य के रूप में व्यवस्थित किया एवं अपने वंश की स्थापना की जिसने कि प्रायः दो शताब्दियों तक निर्बाध रूप से इस प्रदेश पर शासन किया। उल्लेखनीय है कि इस शासनकाल में इस प्रदेश पर ४ बेगमों ने भी कुशलता एवं नीतिमत्ता से सफलतापूर्वक राज्य किया। राज्य करनेवाली इन बेगमों में से अन्तिम बेगम ने अपने पुत्र नवाब हमीदुल्ला खान को राज्य दे दिया जिन्होंने कि मई १९४९ तक भोपाल राज्य के विलीनीकरण तक इस प्रदेश पर राज्य किया और तत्पश्चात् सन् १९४९ में केंद्रीय शासन के आदेशानुसार मुख्य आयुक्त ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भोपाल का राज्यसंचालन अपने हाथों में ले लिया। अब पूर्व-भोपाल मध्यप्रदेश में सम्मिलित होगया है।

नवगठित मध्यप्रदेश के इन घटक क्षेत्रों के एतिहासिक व सांस्कृतिक अध्ययन एवं पुरातत्त्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यद्यपि विभिन्न कालों में ये प्रदेश एक ही राजसत्ता द्वारा परिचालित नहीं किए गए हैं तथापि उनमें एक सांस्कृतिक आत्मा झांकती है। अब प्रशासनिक व आर्थिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ है, जो आनेवाली पीढ़ी को अपने स्वर्णिम अतीत तथा महिमामण्डित इतिहास से निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

सूचना स्रोत.—१. "श्री शुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ।"
२. "कल्चरल हेरीटेज ऑफ मध्यभारत।"

संस्कृति

नर्मदा, चम्बल, ताप्ती, इन्द्रावती, सोन, बेतवा व क्षिप्रा की धाराओं से उपकृत एवं विन्ध्या, सतपुड़ा और मेकल की सुरम्य शृंखलाओं से अलंकृत मध्यप्रदेश की भूमि के लिये १ नवम्बर १९५६ वह ऐतिहासिक अवसर था जबकि नवगठित प्रदेश के विशाल जनजीवन ने सर्वप्रथम अपने में एक नवीन पारस्परिक बंधुत्व एवं सांस्कृतिक एकता का अनुभव किया। राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्य के इतिहास ने करवट बदली है, परिस्थितियों ने नवीन दिशा ग्रहण की है तथा भावनाओं ने नवीन मोड़ लिया है जिनके कारण युग-युग से विशृंखलित जनजीवन नवगठित मध्यप्रदेश के रूप में एक ही सूत्र में आवद्ध होगया है।

नव मध्यप्रदेश के निर्माण को केवल आकस्मिक संयोग न कहकर एक ऐतिहासिक प्रक्रिया कहना अधिक उचित होगा। बताते हैं कि विक्रमादित्य की न्याय-वाणी को महाकोशल ने भी सुना था तथा राजा भोज के दरबार में रेवातटवासियों का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व था। सांची की प्रतिध्वनि तो सदियों से सतपुड़ा, मेंकल एवं विन्ध्या के शिखरों में गूंजती रही है। फिर भला सतपुड़ा, मेकल एवं विन्ध्या की उपत्यकाओं में पलनेवाला जनजीवन एक ही भाषा, एक ही संस्कृति एवं एक ही विचार प्रवाह की एकात्म दृष्टि से कैसे विमुख रह सकता था? यही कारण है कि अब हमने नव मध्यप्रदेश के रूप में अपनी चिरसंचित आकांक्षाओं की पूर्ति का सन्देश पाया है। अब सम्पूर्ण नये राज्य में जनतंत्रीय लोककल्याणकारी शासन की दुन्दुभी बज रही है, जिसमें हमें अपने भावी विकास के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं तथा हमारे कानों में गूंज रहा है उस समाजवादी नवसमाज का सन्देश जिसका आधार शासन की बहुमुखी लोककल्याणकारी भावना है। आज हमारे नव-निर्माण की भित्ति हमारा बीता हुआ इतिहास है जिसमें कि हमने नवगठित प्रदेश की विभिन्न राजनैतिक इकाइयों की सांस्कृतिक एकता का पाठ पढ़ा है।

मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, भोपाल एवं महाकोशल को एक ही प्रशासनिक सूत्र में आवद्ध कर नव मध्यप्रदेश का निर्माण करना हमारे उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति की आदि प्रक्रिया है। नव मध्यप्रदेश के निर्माण ने हमें अपने विकासमय लक्ष्य की उस देहरी पर ला खड़ा किया है जहां कि हम अपने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। नव मध्यप्रदेश की चारों क्षेत्रीय इकाइयों के पीछे एक ही सांस्कृतिक परंपरा गौरवशाली इतिहास तथा एक ही सामाजिक नव चेतना है। नवगठित राज्य के निर्माण के पूर्व हमारी आर्थिक व सामाजिक शक्तियां विशृंखलित थीं तथा रेवा, चम्बल, सोन, बेतवा व क्षिप्रा के उपकारों से उपकृत एवं विन्ध्या, सतपुड़ा तथा मेकल की छाया में पली लगभग

२६१ लाख जनसंख्या का जनजीवन अपने विशाल आर्थिक साधनों, गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामूहिक विकास के लिये उत्साहित सामाजिक लोकचेतना का लाभ नहीं उठा पाता था किन्तु अब हम एक ही भाषा, एक ही संस्कृति एवं एक ही परंपराओं के लोग एक सूत्र में गुंथ गए हैं। राज्यों का यह नवगठन नवगठित प्रदेश के जनजीवन के द्रुतगामी विकास का द्योतक है। पिछली जनगणना के समंकों के अनुसार नवगठित राज्य के लगभग २६१ लाख व्यक्तियों में लगभग ७३.८७ प्रतिशत अर्थात् सकल जनसंख्या में से १९,२९५ हजार व्यक्ति राष्ट्रभाषा हिन्दी व्यवहार में लाते हैं, तथा हिन्दी ही उनकी मातृभाषा है।

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विन्ध्या एवं सतपुड़ा के आंचल में फैली सुरम्य वनश्री के आदिवासी जनजीवन को भी नहीं भुलाया जा सकता जिसके स्वरों में आज भी मध्यप्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक आत्मा के दर्शन होते हैं। मध्यप्रदेश में लगभग ३९ लाख आदिमजाति जनसंख्या है जोकि राज्य की सकल जन-संख्या की १५ प्रतिशत के लगभग है तथा सम्पूर्ण भारतीय आदिमजाति जन-संख्या की लगभग २० प्रतिशत है। मध्यप्रदेश के आदिवासी उसके प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं तथा आज भी इन आदिवासियों के सुमधुर लोकगीतों के स्वरों तथा आदिवासी युवतियों के लोकनृत्यों की तालों व पायल की झंकारों में इस क्षेत्र के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के दर्शन होते हैं। महाकोशल के पहाड़ी वनाच्छादित क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासी गोंडों का करमा नृत्य तो अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त कर चुका है तथा मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल क्षेत्रों के एकान्त भागों में बसनेवाली गोंड व भील जातियों का भी अपना-अपना पृथक् महत्व है। नव मध्यप्रदेश की प्राचीन संस्कृति के स्मृति-चिह्नों को जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम प्रदेश के चारों कोनों में फैले हुए इन आदिमजाति कलाकारों के जीवन को संवारें तथा राज्य की श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर को मूर्त्तिमान रखने हेतु इन लोककलाकारों की कला को एक विकासशील नव-स्वर प्रदान करें।

मध्यप्रदेश के अक्षुण्ण सांस्कृतिक गौरव के दर्शन हमें बड़े-बड़े नगरों एवं कस्बों में नहीं होंगे। उसके लिये हमें रेवा के कछार को छानना होगा तथा विन्ध्या की सुरम्य वनश्री के दर्शन करने होंगे। "मध्यप्रदेश की आत्मा का निवास उसके विस्तृत भू-भाग पर फैली सतपुड़ा, विन्ध्या एवं मेकल की उत्तुंग श्रृंखलाओं में, उसकी कलकल निनाद करती हुई सलिलधाराओं में तथा निसर्ग का सुमधुर श्रृंगार करनेवाली वन वीथियों में है।"

मध्यप्रदेश की महिमामण्डित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ कलचुरियों की स्थापत्य कला, चन्देलवंशियों का गौरवशाली इतिहास तथा मौर्य, गुप्त एवं गोंड नरेशों की सांस्कृतिक परंपराएं संवर्धित हैं। मध्यप्रदेश की संस्कृति राजा भोज जैसे विद्वानों एवं छत्रसाल जैसे पराक्रमी वीरों की परंपरा में पली है। सम्पूर्ण नवगठित मध्यप्रदेश सदियों से सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई रहा है जिसका महत्व राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन शब्दों में प्रतिपादित किया है कि "नूतन मध्यप्रदेश का निर्माण करनेवाले घटक महाकोशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी अधिक काल तक किसी एक ही प्रशासन के अन्तर्गत नहीं रहे हैं तथापि यह सत्य है कि प्रस्ता-

चचाई-प्रपात (रीवां)

उदयेश्वर का मनोहारी मन्दिर

२६१ लाख जनसंख्या का जनजीवन अपने विशाल आर्थिक साधनों, गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामूहिक विकास के लिये उत्साहित सामाजिक लोकचेतना का लाभ नहीं उठा पाता था किन्तु अव हम एक ही भापा, एक ही संस्कृति एवं एक ही परंपराओं के लोग एक सूत्र में गुंथ गए हैं। राज्यों का यह नवगठन नवगठित प्रदेश के जनजीवन के द्रुतगामी विकास का द्योतक है। पिछली जनगणना के समंकों के अनुसार नवगठित राज्य के लगभग २६१ लाख व्यक्तियों में लगभग ७३.८७ प्रतिशत अर्थात् सकल जनसंख्या में से १९,२९५ हजार व्यक्ति राष्ट्रभापा हिन्दी व्यवहार में लाते हैं, तथा हिन्दी ही उनकी मातृभापा है।

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विन्ध्या एवं सतपुड़ा के आंचल में फैली सुरम्य वनश्री के आदिवासी जनजीवन को भी नहीं भुलाया जा सकता जिसके स्वरों में आज भी मध्यप्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक आत्मा के दर्शन होते हैं। मध्यप्रदेश में लगभग ३९ लाख आदिमजाति जनसंख्या है जोकि राज्य की सकल जन-संख्या की १५ प्रतिशत के लगभग है तथा सम्पूर्ण भारतीय आदिमजाति जन-संख्या की लगभग २० प्रतिशत है। मध्यप्रदेश के आदिवासी उसके प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं तथा आज भी इन आदिवासियों के सुमधुर लोकगीतों के स्वरों तथा आदिवासी युवतियों के लोकनृत्यों की तालों व पायल की झंकारों में इस क्षेत्र के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के दर्शन होते हैं। महाकोशल के पहाड़ी वनाच्छादित क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासी गोंडों का करमा नृत्य तो अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त कर चुका है तथा मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल क्षेत्रों के एकान्त भागों में वसनेवाली गोंड व भील जातियों का भी अपना-अपना पृथक् महत्व है। नव मध्यप्रदेश की प्राचीन संस्कृति के स्मृति-चिह्नों को जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम प्रदेश के चारों कोनों में फैले हुए इन आदिमजाति कलाकारों के जीवन को संवारें तथा राज्य की श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर को मूर्त्तिमान रखने हेतु इन लोककलाकारों की कला को एक विकासशील नव-स्वर प्रदान करें।

मध्यप्रदेश के अक्षुण्ण सांस्कृतिक गौरव के दर्शन हमें बड़े-बड़े नगरों एवं कस्बों में नहीं होंगे। उसके लिये हमें रेवा के कछार को छानना होगा तथा विन्ध्या की सुरम्य वनश्री के दर्शन करने होंगे। "मध्यप्रदेश की आत्मा का निवास उसके विस्तृत भू-भाग पर फैली सतपुड़ा, विन्ध्या एवं मेकल की उत्तुंग शृंखलाओं में, उसकी कलकल निनाद करती हुई सलिलधाराओं में तथा निसर्ग का सुमधुर शृंगार करनेवाली वन वीथियों में है।"

मध्यप्रदेश की महिमामण्डित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ कलचुरियों की स्थापत्य कला, चन्देलवंशियों का गौरवशाली इतिहास तथा मौर्य, गुप्त एवं गोंड नरेशों की सांस्कृतिक परंपराएं संवंधित हैं। मध्यप्रदेश की संस्कृति राजा भोज जैसे विद्वानों एवं छत्रसाल जैसे पराक्रमी वीरों की परंपरा में पली है। सम्पूर्ण नवगठित मध्यप्रदेश सदियों से सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई रहा है जिसका महत्व राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन शब्दों में प्रतिपादित किया है कि "नूतन मध्यप्रदेश का निर्माण करनेवाले घटक महाकोशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी अधिक काल तक किसी एक ही प्रशासन के अन्तर्गत नहीं रहे हैं तथापि यह सत्य है कि प्रस्ता-

चचाई-प्रपात (रीवां)

उदयेश्वर का मनोहारी मन्दिर

साँची का प्रसिद्ध स्तूप

साँची का नव-निर्मित विहार

वित नव मध्यप्रदेश के विविध घटक अपनी संस्कृति, परम्पराओं तथा नागरिकों के रीति-रिवाजों की दृष्टि से एक हैं तथा उनकी सांस्कृतिक सामाजिक एकता अक्षुण्ण है।

नवगठित मध्यप्रदेश भारत का हृदय है तथा यह क्षेत्र युगों-युगों से अपनी महान् सांस्कृतिक परम्पराओं, अद्वितीय कलाकृतियों एवं अभिनव साहित्यिक स्वरों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक जीवन में शुद्ध रक्त संचारित करता रहा है; साथ ही साहित्य, कला-कौशल एवं वीर-वैभव का केन्द्र भी रहा है। ऐतिहासिक तत्वान्वेषियों को यह अविदित नहीं है कि संस्कृत वाङ्मय के आदिकवि महर्षि वाल्मीकि, असाधारण विद्याओं के भण्डार तपोनिधि पराशर, अष्टादश पुराणों के रचयिता कृष्णद्वैपायन, वैष्णव धर्म के प्रधानाचार्य वल्लभाचार्य एवं शीघ्रबोध के सुलेखक पंडित काशिनाथ मिश्र इसी भूमि के जाज्वल्यमान रत्न थे तथा महाकवि कालिदास, भवभूति एवं बाणभट्ट जैसे उद्भट साहित्यस्रष्टाओं की प्रेरणा का स्रोत, विन्ध्या-सतपुड़ा के सुदीर्घ आंचल पर फैले नैसर्गिक सौंदर्य का हरीतिमायुक्त क्रीडास्थल ही था। हिन्दी भाषा, जिसे हमने राष्ट्रभाषा पद पर आसीन कर गौरवान्वित किया है, नव मध्यप्रदेश के उपकारों को विस्मृत नहीं कर सकती जिसकी भूमि ने बारहवीं सदी में 'जगद्विनोद' के रचयिता रीतिकालीन कवि पद्माकर तथा सोलहवीं सदी में हिन्दी के प्रथमाचार्य कवीन्द्र केशवदास एवं कविवर बिहारी की साहित्य धारा को जन्म देकर उसे नववाणी प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया है।

मध्यप्रदेश में स्थित सांची के पवित्र स्तूप, क्षिप्रा के रम्य तट पर स्थित अवन्तिका के पावन प्रासाद, भोजपुर की उत्कृष्ट कलाकृतियां, खजुराहो के हृदयाकर्षक नयनाभिराम दृश्य, गुर्गी के मध्ययुगीन खंडहर, त्रिपुरी की कलचुरिकालीन स्थापत्यकला तथा सिरपुर मठों के ध्वंसावशेष मध्यप्रदेश की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति की पुनीत धरोहर हैं जोकि युगों-युगों तक केवल मध्यप्रदेश एवं उसके पड़ोसी राज्यों को ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण भारत को महान् सांस्कृतिक प्रेरणा देती रहेंगी।

महाकोशल, पूर्व मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल को मिलाकर मध्यप्रदेश का निर्माण केवल एक राजनैतिक अथवा प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नहीं है। वरन् इस गठन के परिणामस्वरूप हम अपने महान् ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरव से परिचित हो सके हैं तथा नवगठित राज्यान्तर्गत आने वाले विशाल आर्थिक संसाधनों एवं मानव-शक्तियों को सुसंगठित कर अपने सामूहिक नव-निर्माण की विकासशील आधारशिला निर्माण कर सके हैं।

आशा है कि मध्यप्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राज्य के जन-जन को गरिमा एवं महानता का सन्देश देते हुए राज्य के जनजीवन को अभ्युत्थान, उत्कर्ष एवं महानता की ओर सतत एवं निरन्तर बढ़ते रहने की पावन प्रेरणा प्रदान करेगी।

प्रशासकीय विस्तार

नवगठित मध्यप्रदेश के घटक राज्य पर्याप्त समय तक किसी एक शासनसूत्र के अन्तर्गत प्रशासित नहीं हुए हैं, परन्तु फिर भी संस्कृति, सभ्यता, भाषा एवं जनजीवन की अन्य परम्पराओं की दृष्टि से इन घटकों में अटूट एकता रही है। ऐतिहासिक घटनाचक्रों एवं राजनैतिक कारणों के फलस्वरूप महाकोशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से एक होते हुए भी, पृथक्-पृथक् बने रहे हैं। समय के साथ इन प्रदेशों की एकता के मध्य एक अनावश्यक कृत्रिम रेखा का रूप उभरता जा रहा था किन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों के अनुसार शासन ने विन्ध्या व सतपुड़ा की छत्रछाया में पलनेवाले इस विशाल क्षेत्र को, जोकि भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक परम्पराओं की दृष्टि से एक है, एक नवीन प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया है जिसके फलस्वरूप इस सुदृढ़ प्रशासकीय इकाई के नवविकास के नवीन मार्ग प्रशस्त हो गए हैं।

भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश का निर्माण निम्न क्षेत्रों के सम्मिलन से हुआ है :—

(१) मन्दसौर जिले के सुनेल टप्पे को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यभारत।
(२) सम्पूर्ण पूर्व भोपाल राज्य।
(३) सम्पूर्ण पूर्व विन्ध्यप्रदेश राज्य।
(४) महाकोशल के १७ जिले।
(५) राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज उपखण्ड।

इन पृथक्-पृथक् इकाइयों में निम्नांकित जिले हैं :—

महाकोशल के १७ जिले

जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, निमाड़, मण्डला, बैतूल, छिंदवाड़ा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी एवं दमोह।

पूर्व मध्यभारत के १६ जिले

भिण्ड, गिर्द, मुरैना, शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इन्दौर, देवास, रतलाम, धार, झाबुआ, निमाड़ व सुनेल टप्पे को छोड़कर मन्दसौर।

पूर्व विन्ध्यप्रदेश के ८ जिले

दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवां, सीधी व शहडोल।

पूर्व भोपाल के २ जिले

सीहोर व रायसेन

इस प्रकार मध्यप्रदेश में ४३ जिलों का समावेश हुआ है जिनका क्षेत्रफल १७१ हजार वर्गमील तथा जनसंख्या २६१ लाख है। राज्य में २०२ शहर तथा ७०,०३८ आबाद ग्राम हैं। राज्य की इतनी विस्तारशाली भूमि एवं विपुल जनसंख्या को दृष्टिगत

रखते हुए प्रशासकीय सुविधा के लिये सम्पूर्ण राज्य को ७ संभागों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक एक आयुक्त के अधिकार में है तथा जिनके मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, रीवां, इन्दौर, ग्वालियर व भोपाल में हैं। निम्नांकित तालिका में इन प्रशासकीय संभागों के अन्तर्गत सम्मिलित जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, शहर तथा ग्रामों से सम्बन्धित जिलेवार सूचना प्रस्तुत की गई है जिनसे राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है:—

तालिका क्रमांक १

प्रशासकीय संभाग

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग-मीलों में)	जनसंख्या	घनत्व (प्रति वर्गमील)	शहर	आबाद ग्राम
१	२	३	४	५	६
१. रायपुर संभाग ..	३०,८७६	४०,३५,५०८	१३१	१२	११,००५
रायपुर ..	८,२०५	१६,४०,००६	२००	४	३,७७०
दुर्ग ..	७,५८०	१४,८१,७५६	१९६	७	४,०८१
वस्तर ..	१५,०११	९,१३,७४६	६१	२	३,१५४
बिलासपुर संभाग ..	२१,२५७	३४,२१,११८	१६१	१४	८,१३१
रायगढ़ ..	४,९८७	८,६१,४९७	१७३	५	२,२०४
बिलासपुर ..	७,६५७	१७,३७,६६०.	२२७	५	३,४२७
सरगुजा ..	८,६१३	८,२२,०४१	९५	४	२,४३०
जबलपुर संभाग ..	२९,३४५	४६,११,८५०	१६०	२६	१३,१२८
जबलपुर ..	३,९२६	१०,४५,५९६	२६६	५	२,३२०
मंडला ..	५,१२२	५,४७,६२०	१०७	१	२,०६७
बालाघाट ..	३,६१४	६,१३,३७९	१९२	३	१,३०४
छिंदवाड़ा ..	४,७१७	६,४६,४३०	१३७	३	१,८८४

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग-मीलों में)	जनसंख्या	घनत्व (प्रति वर्गमील)	शहर	आबाद ग्राम
१	२	३	४	५	६
सागर	४,७५०	६,३६,१११	१३४	७	१,८२७
नरसिंहपुर	१,९७८	३,३९,११०	१७१	४	[illegible]
सिवनी	३,२१६	४,३४,०६१	१३५	१	१,५६०
दमोह	२,०२२	३,५७,४६३	१७७	२	१,१३८
४. रीवां संभाग	२२,८७०	३४,१०,३७६	१४९	५३	१०,५१५
रीवां	२,५१३	६,३३,७०६	२५२	१४	२,१२०
सीधी	४,०७२	४,६४,३०२	११४	..	१,७३२
सतना	२,७४०	५,५५,६०३	२०३	१४	१,७३४
पन्ना	२,७८१	२,५८,७०३	९३	५	[illegible]
छतरपुर	३,३८१	४,८१,१४०	१४२	९	१,१२८
टीकमगढ़	१,९४८	३,६६,१६५	१८८	३	८४६
शहडोल	५,४११	६,५०,७५७	१२०	१४	१,१७३
५. इन्दौर संभाग	२७,३२७	४६,४६,८३१	१७०	४३	१०,८२१
इन्दौर	१,५६३	५,९६,६२२	३८२	३	३२८
रतलाम	१,६८६	३,८३,८९४	२२८	५	१,०१०
उज्जैन	२,३१३	५,४४२६७	२३५	५	१,११३
मन्दसौर	४,०११	६,०६,६१८	१५१	११	१,६००
देवास	२,७६१	३,४५,३०६	१२५	२	१,०१७

निम्नांकित तालिका राज्य के इन संभागों की ग्रामीण-नगरीय व स्त्री-पुरुष जनसंख्या का पृथक्-पृथक् विभाजन प्रस्तुत करती है :—

तालिका क्रमांक २

ग्रामीण-नगरीय व स्त्री-पुरुष जनसंख्या

(१९५१)

क्रमांक	संभाग	पुरुष	स्त्रियां	योग	ग्रामीण	नगरीय
१	२	३	४	५	६	७
१	रायपुर	१९,८०,९६१	२०,५४,५४७	४०,३५,५०८	३८,१२,४८२	२,२३,०२६
२	बिलासपुर	१७,०२,३२१	१७,१८,८७७	३४,२१,१९८	३२,८०,२००	१,४०,९९८
३	जबलपुर	२३,७७,८०८	२३,२२,०४२	४६,९९,८५०	४०,७४,७४०	६,२५,११०
४	रीवां	१७,४६,५४२	१६,६३,८३४	३४,१०,३७६	३१,४२,१९१	२,६८,१८५
५	इन्दौर	२३,८२,७६०	२२,६४,०७१	४६,४६,८३१	३५,८२,७०४	१०,६४,१२७
६	ग्वालियर	१४,९४,८६६	१३,१६,२०८	२८,११,०७४	२३,८४,४७५	४,२६,५९९
७	भोपाल	१५,६९,६७८	१४,७७,१३९	३०,४६,८१७	२६,६१,९१७	३,८४,९००
	योग ..	१,३२,५४,९३६	१,२८,१६,७१८	२,६०,७१,६५४	२,२९,३८,७०९	३१,३२,९४५

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

इसके अतिरिक्त राज्य की जनता की शांति व सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के हेतु आरक्षी उप-महानिरीक्षकों के अधीनस्थ ग्वालियर, जबलपुर, रीवां इन्दौर व रायपुर इन पांच परिक्षेत्रों का निर्माण किया गया है। इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत निम्नांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं :—

(१) ग्वालियर परिक्षेत्र

ग्वालियर आयुक्त का पूर्ण संभाग तथा भोपाल आयुक्त के संभाग के रायसेन, शाजापुर व सिरोंज उपविभाग सहित विदिशा तथा राजगढ़ जिले।

(२) जबलपुर परिक्षेत्र

जबलपुर आयुक्त का पूर्ण संभाग तथा होशंगाबाद व बैतूल जिले।

(३) रायपुर परिक्षेत्र

रायपुर तथा बिलासपुर आयुक्तों के संभाग

(४) इन्दौर परिक्षेत्र

इन्दौर के आयुक्त का संभाग।

(५) रीवां परिक्षेत्र

रीवां के आयुक्त का संभाग।

साथ ही राज्य में एक छठे उप-महानिरीक्षक भी हैं जिनका मुख्यालय भोपाल में है। निम्नांकित तालिका में पुलिस परिक्षेत्रों के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र व उनका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या संबंधी जानकारी दी गई है:—

तालिका क्रमांक ३
आरक्षी उप-महानिरीक्षकों के परिक्षेत्र

परिक्षेत्रों के नाम	सम्मिलित जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या	घनत्व (प्रति वर्ग-मील)
१	२	३	४	५
१. ग्वालियर	गिर्द, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, राजगढ़।	२७,९४०	४३,७६,३३२	१५७
२. जबलपुर	जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, मण्डला, दमोह, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल।	३७,११७	५६,६०,२९३	१५२
३. रायपुर	रायपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा.	५२,१३३	७४,५६,७०६	१४३

भूमि

भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश राज्य विस्तार की दृष्टि से बम्बई को छोड़कर देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल १७१ हजार वर्ग मील है तथा यह १८° उत्तर अक्षांश से २६½° उत्तर अक्षांश और ७४° पूर्व देशांश से ८४½° पूर्व देशाश में स्थित है। राज्य को उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बम्बई, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार राज्य चारों ओर से घेरे हुए हैं। मध्यप्रदेश का निर्माण पूर्व मध्यभारत (सुनेल टप्पे को छोड़कर) विन्ध्यप्रदेश, भोपाल, महाकोशल एवं राजस्थान के सिरोंज उप-विभाग को मिलाकर हुआ है।

प्राकृतिक रचना

मध्यप्रदेश को प्रकृति का अमित वरदान प्राप्त है। ऊंची शैलमालाओं, द्रुतगामी सरिताओं, सघन वनवीथियों, नदियों के कछारो व लावा के पठारों से इस राज्य की भूमि का निर्माण हुआ है। सतपुड़ा व विन्ध्या के शैल-शिखर जहां इस प्रदेश को उच्च-समभूमियां और वन सम्पत्ति प्रदान करते हैं वहीं नर्मदा और चम्बल सदृश नदियां उपजाऊ मैदान भी। इसके अतिरिक्त राज्य की महानदी, बेतवा, ताप्ती, इन्द्रावती, काली सिध, सोन, केन, क्षिप्रा इत्यादि नदियां भूमिसिंचन एवं विद्युत्-उत्पादन हेतु बड़ी उपयोगी है। प्राकृतिक रचना की दृष्टि से समस्त राज्य को निम्नांकित विभागों मे विभाजित किया जा सकता है:—

१. गिर्द व ग्वालियर विभाग
२. सतपुड़ा की उच्चसमभूमि
३. मालवा का पठार
४. नर्मदा की घाटी
५. छत्तीसगढ का मैदान

भूमि का उपयोग

राज्य की अर्थ-व्यवस्था कृषिप्रधान होने के कारण भूमि राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रफल की ष्टि मे भारत के अन्य राज्यों की तुलना मे मध्यप्रदेश का स्थान

(('००० एकड़ों में))

३३,६१७

३७,५४०

११,४४१

६,४६४

१८,०६८

शुद्ध बोया गया क्षेत्र

वनाच्छादित क्षेत्र

कृषि के हेतु अप्राप्य भूमि

पड़ती भूमि को छोड़कर अन्य
न जोती गई भूमि

पड़ती भमि

परिक्षेत्रों के नाम	सम्मिलित जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या	घनत्व (प्रति वर्ग-मील)
१	२	३	४	५
४. इन्दौर ..	इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंद-सौर, देवास, धार, झाबुआ, निमाड़, खरगोन।	२७,३२७	४६,४६,८३१	१७०
५. रीवां ..	रीवां, सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल।	२२,८७०	३४,१०,३७६	१४९
*६. भोपाल.	सीहोर	३,६६५	५,२१,११६	१४२

*भोपाल आरक्षी उप-महानिरीक्षक साथ में अपराध व रेलवे पुलिस संबंधी कार्य भी देखेंगे

सूचना स्रोत.— जनगणना, १९५१

विशाल मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न प्रमुख विभागों का वितरण राज्य सरकार ने निम्न-प्रकार से किया है। राज्य के प्रमुख नगरों में विभिन्न विभागों की स्थापना की गई है, जिनका विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है:—

भोपाल

राज्यपाल एवं शासकीय स्थापना
सचिवालय
राज्य विधान-सभा
आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय
सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय
आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालय
अधीक्षक, शासन मुद्रणालय एवं लेखनसामग्री
लोक-सेवा आयोग (अस्थायी रूप से इन्दौर में)
लोकस्वास्थ्य अभियांत्रिकी
कारावास महानिरीक्षक
लोकशिक्षा संचालक
आयुक्त का कार्यालय
महालेखापाल का उप-कार्यालय
पोस्टमास्टर-जनरल का उप-कार्यालय, एवं विभिन्न संभागीय कार्यालय

जबलपुर

आयुक्त का कार्यालय
उच्च न्यायालय
यातायात आयुक्त का कार्यालय
प्रधान सेनानी नगरसेना
मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल
संचालक भूमि सुधार का कार्यालय
विभिन्न संभागीय कार्यालय

इन्दौर

आयुक्त का कार्यालय
उद्योग संचालक
मुख्य वाष्पपित्र निरीक्षक
मुख्य निर्माणी निरीक्षक
श्रम आयुक्त
औद्योगिक न्यायाधिकरण
विक्री-कर आयुक्त
मुख्य विद्युत् अभियांत्रिक
समाजकल्याण संचालक
खाद्य एवं नागर पूर्ति संचालक
पंजीयक सहकारी समितियाँ
स्वास्थ्यसेवा संचालक तथा विभिन्न संभागीय कार्यालय

ग्वालियर

आयुक्त का कार्यालय
स्थानीय निधि लेखा परीक्षक
संचालक यातायात सेवाएँ
मुख्य अभियंता लोककर्म विभाग (सड़कें व भवन)
बन्दोबस्त आयुक्त व भू-अभिलेख संचालक
उत्पाद शुल्क आयुक्त
राजस्व मण्डल
महानिरीक्षक नगरपालिकायें
महालेखापाल का कार्यालय
पंजीयन व मुद्रांक महानिरीक्षक
पोस्टमास्टर-जनरल का कार्यालय तथा विभिन्न संभागीय कार्यालय

रीवां

आयुक्त का कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक
कृषि संचालक
पशु चिकित्सा संचालक तथा विभिन्न संभागीय कार्यालय

रायपुर

आयुक्त का कार्यालय
मुख्य अभियांत्रिकी लोक-निर्माण विभाग (सिंचाई)
भौमिकी एवं खनिकर्म संचालक
आदिमजाति कल्याण संचालक, तथा विभिन्न संभागीय कार्यालय

मध्यप्रदेश के व्यापक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश की प्रशासकीय व्यवस्था काफी विस्तारशाली एवं सक्षम है। आशा है कि विकास के हर नए चरण के साथ मध्यप्रदेश अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एवं शांति व सुख-स्वास्थ्य तथा समृद्धि की अधिकाधिक संभावनाएं जुटाकर जनकल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूर्णरूपेण सफल बनाएगा।

दूसरा है। सन् १९५३-५४ के सूचनाप्राप्त ग्राम अभिलेखों के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल १,०७,१३० हजार एकड़ भूमि है जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

तालिका क्रमांक ४

भूमि का उपयोग

(१९५३-५४)

(हजार एकड़ों में)

वर्गीकरण	भूमि	कुल भूमि की तुलना में प्रतिशतता
सूचना प्राप्त ग्राम अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रफल ..	१,०७,१३०	१००.००
वनाच्छादित	३३,६१७	३१.३८
कृषि के हेतु अप्राप्य	११,४४१	१०.६८
पड़ती भूमि को छोड़कर अन्य न जोती गई भूमि ..	१८,०६८	१६.८७
पड़ती भूमि	६,४६४	६.०३
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	३७,५४०	३५.०४

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य की कुल १,०७,१३० हजार एकड़ भमि में से ३१.३८ प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है, १०.६८ प्रतिशत भूमि कृषि के हेतु अप्राप्य है, १६.८७ प्रतिशत भूमि पड़ती भूमि को छोड़कर अन्य न जोती गई भूमि है, ६.०३ प्रतिशत भमि पड़ती भूमि तथा ३५.०४ प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है।

प्रति व्यक्ति पीछे भूमि

भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति पीछे प्राप्त भूमि संबंधी स्थिति काफी अच्छी है। राज्य में औसत रूप से प्रति व्यक्ति पीछे ४.१९ एकड़ उपलब्ध भमि है। निम्नांकित तालिका अन्य राज्यों के तत्संबंधी तुलनात्मक समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक ५

विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति पीछे भूमि-क्षेत्र

(एकड़ों में)

राज्य	प्रति व्यक्ति पीछे भमि
१	२
आंध्र	२.१६
बिहार	१.१०
बम्बई	२.५४
मध्यप्रदेश	४.१९

राज्य	प्रति व्यक्ति पीछे भूमि
१	२
मद्रास	१.०७
उड़ीसा	२.६३
पंजाव	१.८८
राजस्थान	५.३२
उत्तरप्रदेश	१.१५
आसाम	६.०२
पश्चिमी वंगाल	०.८४
जम्मू एवं काश्मीर	१३.४६
केरल	०.६९
मैसूर	२.४४
कुल राज्यों का औसत	२.२२
सम्पूर्ण देश का औसत	२.२५

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि-समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य में प्रति व्यक्ति के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक भूमि है, अतः सामान्यतः राज्य में विकास की संभावनाएं काफी हैं, तथा भूमि पर जनसंख्या का भार अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

भूमि के प्रकार

मध्यप्रदेश में प्रायः सभी प्रकार की भूमि पाई जाती है जिनमें निम्नांकित प्रकार प्रमुख हैं; यथा—गहरी काली भूमि, काली भुरभुरी भूमि, उपजाऊ भूमि, लाल पीली भूमि, रेतीली भूमि, मिश्रित भूमि इत्यादि। विभिन्न प्रकार की भूमियां प्रदेश में अनेक प्रकार की फसलें पैदा कर राज्य को समृद्धि प्रदान करती हैं।

जलवायु

देश के अन्य भागों के समान ही मध्यप्रदेश में गर्मी, वर्षा एवं ठण्ड—तीन प्रमुख ऋतुएं होती हैं। राज्य में वर्षा मौसमी हवाओं से मिलती है। सामान्यतः समस्त राज्य में वर्षा ३०" से ६०" तक होती है। महाकोशल में वर्षा ३०" से ६०" तक होती है। मालवा में ३०" से ४०" विन्ध्यप्रदेश में ३०" से ३५" तथा भोपाल में ३०" से ५०" तक वर्षा होती है। गिर्द विभाग में वर्षा अपेक्षाकृत कम तथा छत्तीसगढ में लगभग ६०" तक वर्षा होती है।

निम्नांकित तालिका में मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज वर्षा के समंक दर्शाये गये हैं:—

तालिका क्रमांक ६

वर्षा

(जनवरी से दिसम्बर १९५६ तक)

(इंचों में)

केन्द्र	कुल वर्षा
१	२
इन्दौर	३१.८५
श्योपुर कलान	५१.९७
ग्वालियर	३८.२१
बेरागढ़	४५.०४
रतलाम	२९.९३
नीमच	३९.५३
सतना	५४.१८
उमरिया	४५.६३
छतरपुर	४८.००
गुना	५२.२१
अलीराजपुर	४२.०२
भीखनगांव	३३.९६
ठिकरी	३६.०५
राजगढ़	५१.४५
रायपुर	६२.९९
रायगढ़	६०.२०
पेंढ्रा	७६.०५
चांपा	६३.०१
अम्बिकापुर	९२.०८
सागर	६७.०६
जबलपुर	६५.१२
जगदलपुर	६२.७५
मंडला	५६.५२
पंचमढ़ी	७८.८२
बैतूल	४६.१०

निम्नांकित तालिका में राज्य के कुछ प्रमुख स्थानों में

तालिका

कुछ प्रमुख स्थानों

(१९

केन्द्र	जनवरी		फरवरी	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
१	२	३	४	५
१. अम्बिकापुर	७६.४	४७.६	७८.४	४८.८
२. अलीराजपुर	८२.४	५३.८	८७.९	५३.४
३. वैतूल	८०.४	५३.०	८४.३	५३.६
४. भोपाल (वैरागढ़)	७८.१	५२.३	८३.१	५३.७
५. चांपा	८२.८	५७.५	८५.३	६०.१
६. छिंदवाड़ा	७८.८	५१.३	८२.७	५३.५
७. गुना	७५.९	४८.७	८२.४	४७.९
८. ग्वालियर	७३.२	४७.९	७९.९	४१.८
९. होशंगाबाद	८१.४	५६.१	८६.५	५७.८
१०. इंदौर	७९.६	५१.५	८५.६	५२.३
११. जबलपुर	८१.०	५१.०	८५.०	५१.४
१२. जगदलपुर	८४.८	५४.७	८६.९	५४.९
१३. कांकेर	८२.२	५५.४	८४.६	५६.९
१४. खण्डवा	८५.५	५५.२	८९.९	५५.८
१५. मंडला	८०.४	४८.२	८३.२	४८.१
१६. नीमच	७६.६	५०.३	८१.४	५३.६
१७. नवगांव	७४.४	४७.९	८१.०	४७.५
१८. पंचमढ़ी	७३.६	४८.९	७७.४	४८.८
१९. पेंड्रा	७७.३	५३.१	७९.८	५४.९
२०. रायगढ़	८५.४	५७.१	८७.०	५८.८
२१. रायपुर	८२.९	५७.८	८६.१	६०.४
२२. राजगढ़	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
२३. रतलाम	७९.९	५३.०	८४.५	५५.६
२४. सागर	७६.८	५३.३	८१.३	५६.९
२५. सतना	७६.६	४९.३	८१.४	४९.७
२६. सिवनी	८०.२	५३.६	८३.८	५५.६
२७. श्योपुरकलां (मुरैना)	७५.६	४६.५	अप्राप्य	अप्राप्य
२८. उमरिया	७८.९	४८.७	८१.८	४९.१

अधिकतम व न्यूनतम तापमान दर्शाया गया है

क्रमांक ७

का तापमान

५६) (फरनहाइट में)

मार्च		अप्रैल		मई		जून	
अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
६	७	८	९	१०	११	१२	१३
९१.१	६०.२	९९.८	६९.३	१०१.२	७७.०	८६.०	७३.२
९७.०	६३.८	१०२.६	७२.९	१०१.७	७८.७	९३.८	७८.१
९४.५	६१.४	९९.९	७०.६	१०१.१	७७.५	८८.५	७३.८
९३.७	६३.२	१०१.०	७२.२	१०५.५	८०.६	९३.२	७६.०
९८.१	७०.०	१०६.१	७८.२	१०७.३	८४.१	९१.०	७७.०
९३.१	६२.९	९९.३	७३.०	१०१.२	७९.२	८८.२	७४.३
९३.५	५९.७	१०२.१	६७.५	१०८.५	७९.९	९८.६	७९.३
९०.०	६३.४	१०२ ०	७३.६	११०.४	८५.८	१०४.४	८६.२
९७.३	६६ ७	१०४.३	७४.७	१०७.९	८२.१	९४.७	७७.३
९४.४	६२.०	१००.२	७०.८	१०२.४	७७.३	९२.३	७४.५
९६.०	६२.०	१०४.३	६९.५	१०७.९	८१.७	९३.१	७७.१
९७.३	६६.७	१०२.५	७३.०	९९.०	७५.५	८७.९	७२.७
९६.२	६८.६	१०२.९	७७.२	१०२.३	८४.३	८८.६	७६.६
९९.५	६६.१	१०४.८	७४.९	१०५.७	८१.९	९४.५	७७.६
९४.८	५६.७	१०२.६	६५.३	१०५.१	७७.१	९२.१	७४.१
९२.४	६३.७	१००.२	७२.५	१०५.४	८०.३	९६.४	७८.१
९२.६	५९.६	१०३.४	६८.६	११०.५	८१.७	९९.७	८१.२
८७.७	५८.५	९३.९	६८.६	९६.६	७६.६	८२.९	७०.६
९१.३	६६.०	९९.२	७५.१	१०१.८	८०.०	८६.९	७३.४
९९.३	७०.०	१०७.२	७९.२	१०७.१	८३.७	९०.६	७७.२
९८.७	७२.५	१०५.७	८०.३	१०५.९	८४.३	९०.७	७६.३
९५.८	६१.४	१०३.७	७१.३	१०९.६	८२.४	९८.८	८०.२
९३.९	६४.५	१००.९	७२.९	१०१ .९	७८.२	९४.१	७८.५
९३.०	६६.८	१००.५	७५.३	१०६.२	८०.८	९३.४	७४.६
९३.१	६२.०	१०३.३	७१.२	१०८.०	८१.३	९७.२	७१.८
९५.७	६५.७	१०१.९	७४.०	१०३.४	७९.६	८९.९	७३.७
९२.७	६१.५	१०२.५	७१.४	१०९.३	८३.०	१०२.५	८५.३
९३.९	६१.५	१०३.०	७१.१	१०७.२	८२.४	९५.१	७८.०

तालिका

कुछ प्रमुख स्थानों

(१९५६

केन्द्र	जुलाई		अगस्त	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
१	१४	१५	१६	१७
१. अंबिकापुर	८४.३	७२.८	८३.५	७२.६
२. अलीराजपुर	८३.३	७४.१	८३.८	७१.०
३. बैतूल	७९.८	७१.१	८०.२	७०.२
४. भोपाल (बैरागढ़)	८२.५	७२.४	८२.८	७०.९
५. चांपा	८७.२	७६.८	८६.९	७६.५
६. छिन्दवाड़ा	८०.३	७१.४	८१.०	७०.४
७. गुना	८५.५	७३.७	८४.४	७२.३
८. ग्वालियर	९०.२	७७.७	८९.१	७७.४
९. होशंगाबाद	८३.६	७३.६	८३.८	७३.३
१०. इन्दौर	८१.७	७१.७	८१.८	७०.०
११. जबलपुर	८५.२	७४.५	८४.६	७३.९
१२. जगदलपुर	८२.६	७१.१	८३.५	७१.४
१३. कांकेर	८३.३	७४.९	८४.०	७४.७
१४. खंडवा	८४.८	७३.६	८५.७	७२.८
१५. मंडला	८५.०	७३.०	८४.५	७३.५
१६. नीमच	८४.६	७३.७	८३.३	७२.५
१७. नवगांव	९०.४	७७.१	८८.१	७५.३
१८. पंचमढ़ी	७४.३	६७.२	७३.८	६६.६
१९. पेंढ्रा	८३.३	७१.६	८३.०	७१.८
२०. रायगढ़	८८.०	७६.७	८७.८	७६.५
२१. रायपुर	८५.६	७४.९	८६.१	७५.०
२२. राजगढ़	८८.०	७६.७	८५.३	७३.०
२३. रतलाम	८२.६	७२.८	८१.७	७१.५
२४. सागर	८३.४	७१.५	८२.०	७०.५
२५. सतना	८८.२	७६.०	८६.१	७४.१
२६. सिवनी	८१.९	७१.७	८३.२	७१.२
२७. श्योपुरकलां (मुरैना)	८७.५	७६.६	८६.१	७५.६
२८. उमरिया	८६.७	७४.२	८४.५	७३.७

क्रमांक ७

का तापमान

समाप्त) (फेरनहाइट में)

सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
८३.१	७१.५	८१.९	६५.७	७६.१	५२.६	७५.०	४६.८
८७.६	७०.५	८८.५	६४.६	८५.२	५८.१	८२.८	५१.२
८२.२	६९.५	८३.३	६३.९	७६.६	५५.९	७८.९	५०.५
८५.८	७०.३	८५.९	६५.२	७९.०	५५.०	७७.८	५१.६
८७.१	७६.२	८६.६	७२.८	८२.९	६२.३	८१.५	५७.९
८२.०	६९.९	अप्राप्य	अप्राप्य	७६.७	५५.२	७६.९	४९.६
८८.६	७१.३	८६.३	६४.५	८०.२	४८.९	७७.८	४७.३
९२.०	७५.६	८७.२	६६.९	८१.३	४७.१	७६.०	४४.८
८७.४	७४.६	८८.१	६९.९	७९.६	५९.०	७८.९	५४.६
८५.२	६९.२	८५.५	६३.७	८०.७	५४.८	८०.१	५०.४
८६.८	७३.५	८७.०	६८.०	७९.६	५५.०	७९.६	५०.६
८५.२	७१.२	८४.५	६७.८	८९.८	६०.४	८३.५	५३.३
८५.१	७३.६	८५.१	६८.८	८२.३	६०.४	८१.०	५४.२
८८.८	७३.१	९१.०	६६.९	८४.०	५८.४	८४.९	५१.९
८५.२	७२.१	८५.६	६६.३	७८.६	५३.२	७८.८	४७.८
८७.४	७१.६	८३.०	६५.१	७९.६	५४.८	७७.९	५०.७
९१.०	७१.५	८७.८	६६.०	८०.०	४९.१	७७.५	४५.३
७६.५	६७.०	७७.५	६१.२	७०.९	४९.४	७१.४	४६.३
८२.७	७१.३	८१.७	६६.४	७५.७	५५.९	७५.२	५२.५
८८.४	७५.८	८८.१	७२.९	८४.६	६३.४	८२.९	५७.५
८६.९	७५.२	८६.६	७१.७	८३.१	६१.९	८१.४	५७.६
८८.३	७२.३	अप्राप्य	अप्राप्य	८२.१	५०.६	८१.४	४७.९
८६.५	७१.४	८६.४	६५.९	८२.७	५८.०	८०.५	५२.९
८५.२	६९.८	८५.३	६६.०	७६.८	५७.४	६७.९	५५.३
८६.५	७४.३	८६.२	६९.२	७८.२	५३.८	७७.२	५०.०
८३.६	७०.६	८४.१	६७.०	७७.५	५७.३	७७.८	५२.६
९०.२	७३.४	८३.३	६६.७	७६.४	५०.०	७२.८	४७.८
८५.८	७३.०	८५.७	६६.५	७७.१	५२.७	७१.१	४८.४

सूचना स्रोत.—क्षेत्रीय वेधशाला, सोनेगांव (नागपुर)

उपर्युक्त तालिका से राज्य के कुछ प्रमुख स्थानों का ऋतुओं के अनुसार अधिकाधिक व न्यूनतम तापक्रम ज्ञात होता है

जनजीवन

जनसंख्या की दृष्टि से भारत के नूतन मानचित्र मे मध्यप्रदेश का सातवां क्रम आता है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की जनसंख्या २६१ लाख है। निम्नांकित तालिका पुनर्गठित राज्यों की तुलना मे मध्यप्रदेश की जनसंख्या संबंधी स्थिति को स्पष्ट करती है:—

तालिका क्रमांक ८

पुनर्गठित राज्यों की जनसंख्या

राज्य	जनसंख्या (लाखों मे)	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्गमील)	भारत की तुलना मे जनसंख्या की प्रतिशतता
१	२	३	४
आंध्र	३१३	२९६	८.७
आसाम ..	९१	१०६	२.५
बिहार ..	३८४	५८०	१०.६
बम्बई ..	४८३	२५२	१३.४
केरल	१३५	९२८	३.८
मध्यप्रदेश ..	२६१	१५३	७.२
मद्रास ..	३००	५९८	८.३
मैसूर ..	१९४	२६२	५.४
उड़ीसा ..	१४६	२४४	४.०
पंजाब ..	१६१	३४०	४.५
राजस्थान ..	१५९	१२०	४.४
उत्तरप्रदेश ..	६३२	५५७	१७.५
पश्चिमी बंगाल ..	२६७	७६४	७.४
जम्मू व काश्मीर	४४	४८	१.२
कुल राज्य ..	३,५७०	२८८*	९८.९
कुल केन्द्र प्रशासित प्रदेश	४१	१४९	१.१
भारत	३,६११	२८५	१००.००

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्यप्रदेश का सातवां क्रम आता है जबकि उत्तरप्रदेश,बम्बई,विहार,आंध्रप्रदेश,मद्रास व पश्चिमी बंगाल का क्रम क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां व छठवां है। मध्यप्रदेश की कुल जन-संख्या की प्रतिशतता भारत की जनसंख्या की तुलना में ७.२ है जबकि उत्तरप्रदेश, बम्बई, विहार, आंध्रप्रदेश की यही प्रतिशतता क्रमशः १७.५, १३.४, १०.६ व ८.७ है। जहां तक जनसंख्या के घनत्व का प्रश्न है मध्यप्रदेश की जनसंख्या का घनत्व १५३ व्यक्ति प्रति वर्ग-मील है। भारत के अन्य राज्यों का यह घनत्व केरल में सर्वाधिक ९२८ व्यक्ति प्रति वर्गमील है तथा पश्चिम बंगाल, मद्रास, विहार में यही घनत्व क्रमशः ७६४, ५९८ तथा ५८० व्यक्ति प्रति वर्गमील है।

मध्यप्रदेश की कुल २६१ लाख जनसंख्या में नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता १२.०३ व ८७.९७ है। उसी प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष व स्त्रियों की प्रतिशतता क्रमशः ५०.८३ व ४९.१७ है। निम्नांकित तालिका राज्य में स्त्री-पुरुष अनुपात-संबंधी विविध समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक ९

पुरुष व स्त्री जनसंख्या
(१९५१)

दशवार्षिक अवधि	जनसंख्या			कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशतता	कुल जनसंख्या में स्त्रियों की प्रतिशतता	प्रति १,००० पुरुषों पीछे स्त्रियों की संख्या.
	कुल संख्या	पुरुष	स्त्रियां			
१	२	३	४	५	६	७
१९०१ ..	१,६८,११,१९९	८४,४७,१८०	८३,६४,०१९	५०.२५	४९.७५	९९०
१९११ ..	१,९३,८६,५०५	९७,६३,१५५	९६,२३,३५०	५०.३६	४९.६४	९८६
१९२१ ..	१,९१,१८,५३१	९६,८५,७८४	९४,३२,७४७	५०.६६	४९.३४	९७४
१९३१ ..	२,१२,९८,९५९	१,०७,९३,१८८	१,०५,०५,७७१	५०.६७	४९.३३	९७३
१९४१ ..	२,३९,२६,०७३	१,२१,४५,३८१	१,१७,८०,६९२	५०.७६	४९.२४	९७०
१९५१ ..	२,६०,०५,८२३	१,३२,१९,७९९	१,२७,८६,०२४	५०.८३	४९.१७	९६७

टिप्पणी.—मिरोंज व सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

जनसंख्या में वृद्धि
(जनसंख्या
लाखों में)
३००
२५०
२००
१५०
१००
५०
०
३००
२५०
२००
१५०
१००
५०
०
१९०१
१९११
१९२१
१९३१
१९४१
१९५१

जनसंख्या प्रति वर्गमील	जिला
१	२
१०१ से १२५	शिवपुरी, गुना, देवास, बैतूल, मंडला, शहडोल एवं सीधी
१२६ से १५० ..	मुरैना, निमाड़ (खरगौन), सीहोर, विदिशा, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, निमाड़ (खंडवा)
१५१ से २००	झाबुआ, टीकमगढ़, मंदसौर, राजगढ़, धार, नरसिंहपुर, शाजापुर, दमोह, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर एवं रायगढ़
२०१ से २५०	रतलाम, उज्जैन, दतिया, सतना एवं बिलासपुर
२५० से ऊपर	इन्दौर, भिंड, जबलपुर, रींवा एवं ग्वालियर (गिर्द)

सूचना स्रोत.—जनगणना प्रतिवेदन, १९५१

इस प्रकार उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में सर्वाधिक घने बसे जिले इन्दौर, भिंड, ग्वालियर, जबलपुर एवं रींवा हैं। इसके विपरीत सबसे कम घनत्व वाला बस्तर जिला है जहां प्रति वर्गमील में जनसंख्या का घनत्व केवल ५० से ७५ व्यक्ति ही है।

शहर, गांव और जनसंख्या

राज्य में कुल २०२ नगर एवं ७०,०३८ आबाद गांव है। निम्नांकित तालिका में जनसंख्या के अनुसार नगरों और कस्बों की संख्या दी गई है :—

तालिका क्रमांक १३

जनसंख्यानुसार नगरों और कस्बों का वर्गीकरण

गांव, कस्बे, शहर	गांवों और नगरों की संख्या.	जनसंख्या.
१	२	३
५०० से कम जनसंख्यावाले	५७,३४९	१,१५,१७,८२०
५०० से १,००० जनसंख्यावाले	९,६९७	६५,४६,१२४
१,००० से २,००० जनसंख्यावाले	२,५३५	३३,१५,८३०
२,००० से ५,००० जनसंख्यावाले	५६६	१५,९५,८३३
५,००० से १०,००० जनसंख्यावाले	९७	६,५२,६८५
१०,००० से २०,००० जनसंख्यावाले	३८	५,२६,५५६
२०,००० से ५०,००० जनसंख्यावाले	२२	६,१७,२०३
५०,००० से १,००,००० जनसंख्यावाले ..	५	३,४१,६५५
१,००,००० से ऊपर जनसंख्यावाले	५	९,८८,२४५

टिप्पणी.—सिरोंज व सुनेल के समंकों का समायोजन नहीं किया गया है.

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

८२°
८४°
यप्रदेश
या (१९५१)
= ७० मील
१४०
२१०
मील
सीधी
२४°

निम्नांकित तालिका में राज्य के कुछ प्रमुख नगरों की जनसंख्या संबंधी सूचना दी जा रही है:—

तालिका क्रमांक १४

राज्य के प्रमुख नगरों की जनसंख्या

नगर	१९५१			१९४१	प्रति हजार पुरुषों पीछे स्त्रियों की संख्या (१९५१)	दशवार्षिक वृद्धि दर (१९४१-५१)
	पुरुष	स्त्रियां	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या		
१	२	३	४	५	६	७
इन्दौर	१६७,६४२	१४३,२१७	३१०,८५९	२०३,६९५	८५४	+४१.७
ग्वालियर	१२७,२६५	११४,३१२	२४१,५७७	१८२,४९२	८९८	+२७.९
जबलपुर	१४०,२२४	११६,७७४	२५६,९९८	१७८,३३९	८३३	+३६.१
उज्जैन	६८,७६२	६१,०५५	१२९,८१७	८१,२७२	८८८	+४६.०
भोपाल	५४,०३९	४८,२९४	१०२,३३३	७५,२२८	८९४	+३०.५

सूचना स्रोत.—भारत का सांख्यिकीय संक्षेप, १९५३-५४

तालिका क्रमांक १५

आयु के अनुसार जनसंख्या का विभाजन

(न्यादर्श जनसंख्या—१० प्रतिशत)

आयु वर्ग	ग्रामीण जनसंख्या		नगरीय जनसंख्या		योग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत.
	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां		
१	२	३	४	५	६	७
१ वर्ष से कम	३८,४२७	३८,०२८	५,३४५	४,१६०	८५,९६०	३.२९७
१ वर्ष से ४ वर्ष तक ..	१,१८,७४८	१,१६,२८६	१५,२०९	१४,६०२	२,६४,८४५	१०.१५८
५ वर्ष से १४ वर्ष तक ..	३,००,१०१	२,७५,८३२	३६,८००	३४,०३४	६,४६,७६७	२४.८०७
१५ वर्ष से २४ „ ..	१,८९,११७	१,८५,७९९	३१,४४५	२७,३५१	४,३४,५१२	१६.६६६
२५ वर्ष से ३४ „ ..	१,९६,३६९	१,९०,४०९	२६,३७५	२३,४५४	४,३६,६०७	१६.७४६
३५ वर्ष से ४४ „ ..	१,५४,८४९	१,३८,११६	२०,५१४	१६,२५१	३,२९,७३०	१२.६४७
४५ वर्ष से ५४ „ ..	९८,०४३	९२,२५७	१३,७९८	१०,८५९	२,१४,९५७	८.२४५
५५ वर्ष से ६४ „ ..	४९,९२५	५५,८१२	६,६४८	७,१०९	१,१९,४९४	४.५८३
६५ वर्ष से ७५ „ ..	१८,९५५	२५,२७७	२,६७७	३,११९	५०,०२८	१.९१९
७५ वर्ष व उससे अधिक ..	८,००४	१०,६२९	१,१४६	१,३५५	२१,१३४	०.८११
न बताई गई आयु ..	१,३३९	९०६	२९२	६११	३,१४८	०.१२१

टिप्पणी.—सिरोंज व सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

जीविका के अनुसार जनसंख्या का विभाजन

(१९५१)

८.०२%
१.१२%
४.१३%
८.७४%
१.०४%
५.१८%
६.०९%
५५.६८%

कृषि पर आश्रित

भू-स्वामी कृषक व उनके आश्रित

पूर्णतः अथवा मुख्यतः दूसरों की भूमि पर खेती करनेवाले व उनके आश्रित

खेती करनेवाले श्रमिक व उनके आश्रित

खेती न करनेवाले भू-स्वामी और कृषि-भाड़ा प्राप्त करनेवाले

गैरकृषि साधनों पर आश्रित

कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन

वाणिज्य

यातायात

अन्य सेवाएं व विविध साधन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ५ वर्ष से १४ वर्ष तक के आयुवर्ग में जनसंख्या का सर्वाधिक भाग (२४.८०७ प्रतिशत) आता है। दूसरे क्रम का आयुवर्ग २५ वर्ष से ३४ वर्ष तक का वर्ग है जिसकी प्रतिशतता १६.७४६ है। तत्पश्चात् १५ से २४ वर्ष, ३५ से ४४ वर्ष तथा १ से ४ वर्ष वाले आयुवर्गों का क्रमशः तीसरा (१६.६६६ प्रतिशत), चौथा (१२.६४७ प्रतिशत) तथा पांचवां (१०.१५८ प्रतिशत) क्रम आता है।

जीविका के अनुसार जनसंख्या

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभाग ७८ प्रतिशत जनता अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर व २२ प्रतिशत गैरकृषि साधनों पर अवलम्बित रहती है। राज्य की २०३ लाख जनसंख्या कृषिसाधनों पर अवलम्बित है जबकि ५८ लाख जनसंख्या गैरकृषिसाधनों पर आश्रित है। जनसंख्या का वितरण निम्न प्रकार है:—

तालिका क्रमांक १६

कृषि पर आश्रित जनसंख्या

(लाखों में)

	पुरुष	स्त्रियां	योग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
१	२	३	४	५
१. भू-स्वामी कृषक व उनके आश्रित ..	७३	७२	१४५	५५.५६
२. पूर्णतः अथवा मुख्यतः दूसरों की भूमि पर खेती करनेवाले और उनके आश्रित.	८	८	१६	६.१३
३. खेती करनेवाले श्रमिक व उनके आश्रित.	२०	२०	४०	१५.३३
४. खेती न करनेवाले भू-स्वामी और कृषि भाड़ा प्राप्त करनेवाले कृषक व उनके आश्रित.	१	१	२	०.७६
कुल ..	१०२	१०१	२०३	७७.७८

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

गैरकृषि साधनों पर आश्रित जनसंख्या का विशेष विवरण निम्न प्रकार है:--

तालिका क्रमांक १७

गैरकृषि जनसंख्या

(लाखों में)

	पुरुष	स्त्रियां	योग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत.
१	२	३	४	५
१. कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन ..	१२	११	२३	८.८१
२. वाणिज्य	६	५	११	४.२१
३. यातायात	२	१	३	१.१५
४. अन्य सेवाएं व विविध साधन ..	११	१०	२१	८.०५
कुल ..	३१	२७	५८	२२.२२

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

उपर्युक्त समंकों से स्पष्ट होता है कि राज्य के प्रति १०० व्यक्तियों में (जिनमें उनके आश्रित भी सम्मिलित हैं) ५६ मुख्य रूप से अपने खेतों के स्वामी कृषक हैं, ६ मुख्य रूप से दूसरों की भूमि बोनेवाले कृषक हैं, १५ भूमिहीन श्रमिक हैं और १ जमींदार है। अपने जीविकोपार्जन हेतु ९ व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन साधनों पर आश्रित हैं, तथा ४ वाणिज्य पर, १ यातायात पर व ८ अन्य सेवाओं तथा विविध सा नों पर आश्रित हैं।

निम्नांकित तालिका में मध्यप्रदेश की कृषि व गैरकृषि जनसंख्या की आर्थिक स्थिति दर्शाई गई है:—

तालिका क्रमांक १८

आर्थिक स्थिति के अनुसार जनसंख्या

(लाखों में)

	कृषि जनसंख्या		गैरकृषि जनसंख्या	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
१	२	३	४	५
१. स्वावलम्बी	६३	३१	१९	३३
२. कमानेवाले आश्रित ..	४३	२१	६	१०
३. न कमानेवाले आश्रित ..	९७	४८	३३	५७

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कृषि एवं गैरकृषि जनसंख्या में क्रमशः ३१ व ३३ प्रतिशत लोग स्वावलम्बी हैं, २१ प्रतिशत व १० प्रतिशत लोग कमानेवाले आश्रित हैं व ४८ प्रतिशत व ५७ प्रतिशत लोग न कमानेवाले आश्रित हैं।

साक्षरता

मध्यप्रदेश में हर १०० व्यक्तियों में १० व्यक्ति साक्षर हैं। उसी प्रकार राज्य के पुरुषों की साक्षरता प्रतिशतता १६.२ प्रतिशत है, तथा स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशतता ३.३ प्रतिशत है। निम्नांकित तालिका राज्य के साक्षरता-संबंधी समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक १९

साक्षरता प्रतिशतता

संभाग.	पुरुष	स्त्रियां	योग
१	२	३	४
रायपुर संभाग	१४.९	२.६	८.६
बिलासपुर संभाग	१२.९	२.३	७.६
जबलपुर संभाग	२०.७	४.८	१२.८
रीवां संभाग	१०.७	१.१	६.०
इन्दौर संभाग	२१.३	५.४	१३.५
ग्वालियर संभाग	१४.३	२.२	८.६
भोपाल संभाग	१४.९	२.९	९.१
मध्यप्रदेश का योग.	१६.२	३.३	९.८

टिप्पणी.—सिरोंज व सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत.—जनगणना प्रतिवेदन, १९५१

अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां

निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक २०

अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां

	पुरुष	स्त्रियां	योग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
१	२	३	४	५
अनुसूचित जातियां ..	१७,४४,२११	१७,४६,५५०	३४,९०,७६१	१३.३७
अनुसूचित जनजातियां.	१९,४४,३२७	१९,२०,९२७	३८,६५,२५४	१४.८३
योग ..	३६,८८,५३८	३६,६७,४७७	७३,५६,०१५	२८.२०

टिप्पणी.—सिरोंज व सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट ोता है कि राज्य में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ३४,९०,७६१ व ३८,६५,२५४ है। राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में इनकी प्रतिशतता क्रमशः १३.३७ व १४.८३ आती है।

धर्म के अनुसार जनसंख्या

१९५१ की जनगणनानुसार मध्यप्रदेश में विभिन्न धर्मों को माननेवालों की जनसंख्या की जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट होती है:—

तालिका क्रमांक २१

धर्म के अनुसार जनसंख्या

(१९५१)

धर्म	कुल संख्या	कुल जनसंख्या की प्रतिशतता	पुरुष	स्त्रियां
१	२	३	४	५
हिन्दू	२,४६,५३,२७६	९४.७९९	१,२५,१४,१८७	१,२१,३९,०८९
मुसलमान	१०,४०,३४५	४.००१	५,३७,२०६	५,०३,१३९
जैन	१,८०,१९१	०.६९३	९६,०१८	८४,१७३
सिख	३९,८७७	०.१५३	२२,४२३	१७,४५४
ईसाई	८१,००५	०.३११	४३,३८८	३७,६१७
पारसी	२,०६६	०.००८	१,१९५	८७१
बुद्ध	२,२११	०.००९	२,१४६	१४५
यहूदी	३२१	०.००१	१६४	१५७
अन्य	६,४४१	०.०२५	३,०७२	३,३६९

टिप्पणी.—सिरोंज व सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत.—जनगणना, १९५१

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में हिन्दू जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिशतता (९४.७९१) है, यद्यपि राज्य में प्रायः सभी प्रमुख ... के माननेवाले लोग रहते हैं।

भाषा के अनुसार जनसंख्या

मध्यप्रदेश के विस्तारशाली भू-भाग में अनेकानेक भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, तथापि राज्य में हिंदी बोलनेवालों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य की ७६.७८ प्रतिशत जनसंख्या हिंदी बोलती है, जब कि उर्दू, मराठी, राजस्थानी, गुजराती व सिंधी बोलनेवालों की यही प्रतिशतता क्रमशः १.४१, २.२४, ३.४५, ०.४५ व ०.४९ है। निम्नांकित तालिका में प्रमुख भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या प्रस्तुत की गई है:–

तालिका क्रमांक २२

बोली जानेवाली भाषाओं के अनुसार जनसंख्या

(१९५१)

भाषा	पुरुष	स्त्रियां	योग	कुल योग में प्रतिशतता.
१	२	३	४	५
१. हिंदी	१,०१,८३,७६६	९७,८२,२०६	१,९९,६५,९७२	७६.७८
२. उर्दू	१,९०,३०९	१,७५,६६०	३,६५,९६९	१.४१
३. मराठी	२,९१,२९९	२,९१,५२२	५,८२,८२१	२.२४
४. राजस्थानी	४,५७,३३१	४,३९,३१३	८,९६,६४४	३.४५
५. गुजराती	६०,४१५	५५,८१७	१,१६,२३२	०.४५
६. सिंधी	६९,९४२	५८,०९९	१,२८,०४१	०.४९
७. पंजाबी	३२,०६१	२८,०७४	६०,१३५	०.२३

भाषा	पुरुष	स्त्रियां	योग	कुल योग में प्रतिशतता.
१	२	३	४	५
८. बंगाली	१०,८८१	८,६८८	१९,५६९	०.०८
९. तेलगू	१४,४६६	१३,६७२	२८,१३८	०.११
१०. तामिल	५,१७९	४,४९४	९,६७३	.०४
११. कन्नड़	१,९३१	२,०९७	४,०२८	०.०२
१२. मलयालम	१,२०२	३४८	१,५५०	०.०१
१३. अन्य	१९,०१,०१७	१९,२६,०२४	३८,२७,०४१	१४.७२

टिप्पणी.—सिरोंज व सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत.—जनगणना प्रतिवेदन, १९५१

कृषि एवं पशुधन

कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का वह केंद्रबिन्दु है जिसके चारों ओर हमारी समस्त आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां घूमती हैं। राज्य की प्रायः ७८ प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से कृषि-कार्यों पर निर्भर है। सन् १९५१ की जनगणनानुसार राज्य में २०,३५० हजार व्यक्ति कृषि-जनसंख्या के अन्तर्गत आते हैं। सन् १९५३-५४ में राज्य का कुल ३७,५४० हजार एकड़ क्षेत्रफल बोया गया था। निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश का भारत के साथ तत्संबंधी तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक २३
कृषि-जनसंख्या एवं क्षेत्रफल

		कुल जनसंख्या १९५१ ('००० में)	कृषि-जनसंख्या १९५१ ('००० में)	कुल बोया गया क्षेत्रफल १९५३-५४ ('००० एकड़ों में)	प्रति व्यक्ति भूमि (एकड़ों में)
मध्यप्रदेश	..	२६,१०२	२०,३५०	३७,५४०	४.१९
भारत	..	३,६१,१०१	२,४८,९९६	३,१३,०५८	२.२५

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सन् १९५३-५४ में भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल की तुलना में मध्यप्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्रफल की प्रतिशतता ११.९९ है। उसी प्रकार मध्यप्रदेश की कृषि-जनसंख्या भारत की कृषि-जनसंख्या की तुलना में ८.१७ प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष १९५१ में राज्य में प्रति व्यक्ति पीछे औसत रूप से ४.१९ एकड़ भूमि प्राप्त थी, जब कि भारत में प्रति व्यक्ति पीछे २.२५ एकड़ ही भूमि थी।

भूमि का उपयोग

सन् १९५३-५४ के सूचना प्राप्त ग्राम अभिलेखों के अनुसार मध्यप्रदेश में १,०७,१३० हजार एकड़ भूमि है, जिसमें ३३,६१७ हजार एकड़ क्षेत्र वनाच्छादित है, ११,४४१

हजार एकड क्षेत्र कृषि के हेतु अप्राप्य है, ६,४६४ हजार एकड़ भूमि पड़ती है, १८,०६८ हजार एकड़ भूमि पड़ती भूमि को छोड़कर अन्य न जोती गई भूमि है तथा ३७,५४० हजार एकड़ क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया है। निम्नाकित तालिका मध्यप्रदेश में भूमि का उपयोग प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक प्रकार की भूमि की भारत की तुलना मे प्रतिशतता भी स्पष्ट करती है :—

तालिका क्रमांक २४

भूमि का उपयोग

(१९५३-५४)

मोंड़ क(हजा)र

राज्य.	सूचनाप्राप्त ग्राम अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रफल		वन		कृषि हेतु अप्राप्य		पडती भूमि को छोड़कर अन्य न जोती गई भूमि		पडती भूमि		शुद्ध बोया गया क्षेत्र	
	क्षेत्रफल.	भारत की तुलना मे प्रतिशतता.	क्षेत्रफल.	भारत की तुलना मे प्रतिशतता.	क्षेत्रफल.	भारत की तुलना मे प्रतिशतता.	क्षेत्रफल.	भारत की तुलना मे प्रतिशतता.	क्षेत्रफल.	भारत की तुलना मे प्रतिशतता.	क्षेत्रफल.	भारत की तुलना में प्रतिशतता.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
मध्यप्रदेश	१,०७,१३०	१४.९	३३,६१७	२६.३	११,४४१	९ ६	१८,०६८	१८.४	६,४६४	१०.६	३७,५४०	१२.०
भारत ..	७,१८,९७३	..	१,२८,०२४	..	१,१८,६१४	..	९८,०८४	..	६१,१९३	..	३,१३,०५८	..

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समक, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार

सहस्रधारा, महेश्वर (निमाड)

चित्रकूट का जल-प्रपात (वस्तर जिला)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि समस्त भारत की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य का ग्राम अभिलेखों के अनुसार सूचनाप्राप्त क्षेत्रफल १४.९ प्रतिशत है। भारत की तुलना में राज्य का २६.३ प्रतिशत क्षेत्रफल वनान्तर्गत आता है। उसी प्रकार भारत की तुलना में राज्य का ९.६ प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के हेतु अप्राप्य है, १०.६ प्रतिशत क्षेत्र पड़ती भूमि है, १८.४ प्रतिशत क्षेत्र पड़ती भूमि को छोड़कर अन्य न जोती गई भूमि है तथा १२.० प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है।

उपर्युक्त तालिका में मध्यप्रदेश राज्य की भारत से तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट की गई है। निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश राज्य के दो विभिन्न वर्षों, यथा सन् १९५२-५३ एवं सन् १९५३-५४, के भूमि के उपयोग संबंधी तुलनात्मक समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक २५

भूमि का उपयोग—तुलनात्मक समंक

('००० एकड़ों में)

वर्गीकरण.	वर्ष १९५२-५३	वर्ष १९५३-५४	आधिक्य (+) या कमी (−)
	क्षेत्रफल.	क्षेत्रफल.	क्षेत्रफल.
१. भारत के सर्वेयर जनरल के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र.	१०९,३८२	१०९,३८२	..
२. ग्राम अभिलेखों के अनुसार, जिसकी सूचना मिली, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल.	१०६,९३०	१०७,१३०	+२००
३. वन	३२,७५२	३३,६१७	+८६५
४. कृषि के लिए अप्राप्य	१३,१३८	११,४४१	−१,६९७
५. वर्त्तमान पड़ती छोड़ न जोती हुई अन्य भूमि.	१८,५२८	१८,०६८	−४६०
६. वर्त्तमान पड़ती भूमि	६,१८१	६,४६४	+२८३
७. वास्तविक बोया गया कुल क्षेत्र ..	३६,३३१	३७,५४०	+१,२०९
८. एकाधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	४,०४७	४,००७	−४०
९. कुल बोया गया क्षेत्रफल ..	४०,३७८	४१,५४७	+१,१६९

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष १९५२-५३ की तुलना में वर्ष १९५३-५४ में ग्राम अभिलेखों के अनुसार २०० हजार एकड़ अधिक भूमि की सूचना प्राप्त हुई। वनान्तर्गत क्षेत्र में ८६५ हजार एकड़ों की वृद्धि हुई। कुल बोए गए क्षेत्रफल में १,१६९ हजार एकड़ों की वृद्धि हुई तथा वास्तविक बोए गए क्षेत्र में १,२०९ हजार एकड़ भूमि से वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि इन्हीं वर्षों में १,६९७ हजार एकड़ भूमि

कृषि के लिए प्राप्त हुई तथा वर्तमान पड़ती को छोड़ न जोती हुई अन्य भूमि में ४६० हजार एकड़ों का ह्रास हुआ। निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश एवं अन्य पुनर्गठित राज्यों के तत्सबंधी तुलनात्मक समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक २६

पुनर्गठित राज्यों में भूमि का उपयोग

(१९५३–५४)

('००० एकड़ों में)

राज्य	ग्राम अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रफल, जिनकी सूचना प्राप्त हुई	वन	कृषि के लिए अप्राप्य	पड़ती भूमि को छोड़ न जोती गई अन्य भूमि	पड़ती भूमि	कुल बोया गया क्षेत्र.
१	२	३	४	५	६	७
मध्यप्रदेश ..	१,०७,१३०	३३,६१७	११,४४१	१८,०६८	६,४६४	३७,५४०
आंध्र ..	६६,१३८	१२,३०२	११,९१६	७,६९५	६,९५३	२७,२७२
बम्बई ..	१,२०,६१९	१५,६२९	२०,३६८	१०,६७८	७,९१२	६६,०३२
मद्रास ..	३१,९६७	४,७५७	५,४८८	३,८१२	३,८७६	१४,०३४
पंजाब ..	३०,२९०	८३१	७,७३६	२,६१५	२,२१४	१६,८९४
उत्तरप्रदेश ..	७२,५११	८,४७९	११,११६	८,२०८	३,७४९	४०,९५९
आसाम ..	३५,७६४	१५,७९७	१०,०९२	३,६५८	१,१३६	५,०८१
विहार ..	४२,४४१	८,८४१	५,५१५	२,८८१	५,९७२	१९,२३२
बम्बई ..	१,२०,६१९	१५,६२९	२०,३६८	१०,६७८	७,९१२	६६,०३२
केरल ..	९,३७२	२,४६०	१,०४२	१,०२७	५१२	४,३३१

मैसूर ..	४५,९२५	६,४१३	४,३९५	६,७७९	३,३६०	२४,३७८
उड़ीसा ..	३८,४०१	१०,१२५	५,३२९	६,१६४	२,६६७	१४,११६
राजस्थान ..	८४,५११	३,२६०	१८,३९२	२२,२१७	१४,०३२	२६,६९०
पश्चिमी बंगाल ..	२२,११५	२,०८८	३,७६९	१,११४	१,१७७	१३,२४७
जम्मू तथा काश्मीर ..	५,९०२	१,३८०	१,६९५	७२१	४२५	१,६८१
राज्यों का कुल योग ..	७,१३,२४६	१,२५,९७९	१,१८,२९४	९६,४३७	६१,०४९	३,११,४८७
केंद्रशासित प्रदेशों का योग ..	५,७२७	२,०४५	३२०	१,६४७	१४४	१,५७१
भारत—कुल योग ..	७,१८,९७३	१,२८,०२४	१,१८,६१४	९८,०८४	६१,१९३	३,१३,०५८

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अन्य अनेक राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य की भूमि के उपयोग-संबंधी स्थिति काफी अच्छी एवं सुदृढ़ है, जो कि सामान्यतः राज्य के आर्थिक विकास में साधक सिद्ध होगी।

भूमि के प्रकार

मध्यप्रदेश के सुविस्तृत क्षेत्र में अनेक प्रकार की भूमि पाई जाती है। राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भूमि के प्रकार नीचे दिये जा रहे हैं:—

(१) गहरी काली भूमि.—नरसिंहपुर, होशंगाबाद व निमाड़ जिले में अधिकांशतः पाई जाती है। यह गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयोगी है।

(२) **काली भुरभुरी भूमि.**—शिवपुरी, गुना, मन्दसौर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, शाजापुर, देवास, इन्दौर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, बैतूल तथा निमाड़, सिवनी व बालाघाट के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह भूमि कपास और ज्वार की खेती के लिए अधिक अनुकूल होती है।

(३) **उपजाऊ भूमि.**—मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों के अधिकांश भाग में पाई जाती है।

(४) **लाल-पीली भूमि.**—बस्तर व रायगढ़ जिले के कुछ थोड़े-से भाग में पाई जाती है।

(५) **रेतीली भूमि.**—रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, शहडोल, सीधी, मण्डला, जबलपुर, रायगढ़, दुर्ग तथा बस्तर जिले के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसके सपाट मैदानों में चावल की पैदावार बहुतायत से होती है।

(६) **मिश्रित भूमि.**—दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवां, दमोह, भिण्ड व मुरैना जिले के पूर्वी भाग में पाई जाती है।

सिंचित क्षेत्र.—वर्ष १९५३-५४ के समंकों के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल २,०५७ हजार एकड़ों में सिंचाई की जाती थी जो कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र की तुलना में ३.८३ प्रतिशत है। वर्ष १९५३-५४ में भारत में कुल ५३,६९४ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी। उल्लेखनीय है कि सन् १९५१-५२ से मध्यप्रदेश में सिंचित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि दृष्टिगत हो रही है। सन् १९५१-५२ में कुल १,९८० हजार एकड़ भूमि सींची जाती थी, सन् १९५२-५३ में १,९९६ हजार एकड़ भूमि सींची जाती थी, जब कि सन् १९५३-५४ में २,०५७ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती थी।

निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश व भारत की सन् १९५३-५४ में कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता-संबंधी समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक २७

बोया गया क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र

(१९५३-५४)

('००० एकड़ों में)

राज्य	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	सकल बोया गया क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	खण्ड ५ की खण्ड ४ में प्रतिशतता
१	२	३	४	५	६
मध्यप्रदेश.	३७,५४०	२,०५७	४१,५४७	२,०९१	५.०३
भारत..	३१३,०५८	५३,६९४	३५१,७०५	५९,८३५	१७.०१

सूचना स्रोत:—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सन् १९५३-५४ में राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता ५.०३ थी, जबकि भारत की यही प्रतिशतता १७.०१ थी।

कृषि-उपज

मध्यप्रदेश की विस्तारशाली एवं विभिन्न प्रकार की भूमि में अनेकानेक उपजें होती हैं जो कि राज्य को धनधान्य से सम्पन्न कर राज्य की जनता के हेतु सुख-समृद्धि के साधन जुटाती हैं। मध्यप्रदेश की उपजों को खरीफ तथा रबी उपजों में विभाजित किया जा सकता है। खरीफ उपजों में चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, कपास, गन्ना, मूंगफली, कोदों-कुटकी जैसे छोटे धान्य आदि आते हैं तथा रबी उपजों में गेहूं, चना, अलसी, तिलहन, जौ आदि उपजें।

निम्नांकित तालिका वर्ष १९५५-५६ की कृषि-उत्पादन-संबंधी स्थिति को स्पष्ट करती है:—

तालिका क्रमांक २८

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(१९५५–५६)

(हजार टनों में)

	खाद्यान्न				दालें	कुल खाद्यान्न
	चावल	गेहूँ	अन्य	योग		योग
	१	२	३	४	५	६
मध्यप्रदेश	२८६१	१३५८	१६१७	५८३६	१५०१	७३३७

गुड़	मूंगफली	तिलहन अन्य तिलहन	योग	कपास हजार (गांठों में)
७	८	९	१०	११
८९	१६८	२८२	४५०	४१९

टिप्पणी.—समंक फसलों के नवीनतम पूर्वानुमानों पर आधारित हैं एवं प्रावधिक हैं

सूचना स्रोत:—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका के अनुसार मध्यप्रदेश में सन् १९५५-५६ में ७,३३७ हजार टन कुल खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें २,८६१ हजार टन चावल, १,३५८ हजार टन गेहूं, १,५०१ हजार टन दालें तथा १,६१७ हजार टन अन्य खाद्यान्न सम्मिलित हैं। मध्यप्रदेश में इसी वर्ष ४५० हजार टन तिलहन का उत्पादन होने का अनुमान है जिसमें १६८ हजार टन मूंगफली तथा २८२ हजार टन अन्य तिलहन सम्मिलित हैं। साथ ही इस वर्ष राज्य में ४१९ हजार गांठें कपास उत्पादित किया गया तथा ८९ हजार टन गुड़ भी तैयार हुआ।

निम्नांकित तालिकाओं में मध्यप्रदेश के वर्ष १९५२-५३ से १९५५-५६ तक प्रमुख फ़सलों का उत्पादन, प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा प्रमुख फसलों की प्रति एकड़

औसत उपज-संबंधी समंक प्रस्तुत किए जा रहे हैं:—

तालिका क्रमांक २९

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार टनों में)

उपज	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६*
चावल	२,५१२	२,६३६	२,४३५	२,८६१
गेहूं	१,०६९	१,१३३	१,४११	१,३५८
ज्वार	९३३	१,१७०	१०८१	७२५
बाजरा	११९	८८	९३	८८
मक्का	१९८	२१६	२२०	२३४
जौ	१६७	१०२	१३५	१३६
चना	६१५	५९२	७४४	७०६
तूअर	२४३	३३९	२७२	३३९
गुड़	८०	८२	७४	८९
मूंगफली	१००	११७	२०५	१६८
अण्डी	३	४	३	३
तिल	८८	१२१	११६	९८
अलसी	९७	१००	१०५	१२४
राई व सरसों ..	४५	४६	४९	५७
कपास (हजार गांठों में).	३९३	४१९	४३३	४१९
तम्बाकू	२	४	३	३

*समंक नवीनतम फसल पूर्वानुमानों पर आधारित है एवं प्रावधिक हैं

सूचना स्रोत:—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका क्रमांक ३०

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

('००० एकड़ों में)

उपज	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६*
चावल	९,३३५	९,४७३	९,३६३	९,४१७
गेहूं	५,०३९	५,२४८	५,७१६	५,९७६
ज्वार	५,३८४	५,६५८	५,३५०	५,१८३
बाजरा	१,०७५	५२२	५१७	५२९
मक्का	१,१०५	१,०५१	१,०१३	१,०३४
जौ	४७८	३७५	४१०	४१५
चना	३,४४७	३,४३०	३,३८८	३,५००

उपज			१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६*
तूअर	..	..	९१८	१,०४८	१,०१३	९९७
गन्ना	..	..	८०	६७	७१	७६
मूंगफली	..	..	६०८	४९६	८१०	६५४
अरंडी	..	..	२०	२२	२१	२०
तिल	..	..	१,०३९	१,२१६	१,२२३	१,१०६
अलसी	..	..	१,२२९	१,२३५	१,२३२	१,२९३
राई व सरसों	..	..	३११	३१५	३२२	३३४
कपास	..	..	२,०७३	२,१०७	२,३५६	२,३२४
तम्बाकू	..	..	१७	२०	१४	१६

*समंक नवीनतम फसल पूर्वानुमानों पर आधारित हैं एवं प्रावि क हैं

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका क्रमांक ३१

प्रमुख फसलों की प्रति एकड़ औसत उपज

(पौण्डों में)

उपज			१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६*
चावल	..	..	६०२	६२३	५८३	६८१
गेहूं	..	..	४७५	४८३	५५३	५०९
ज्वार	..	..	३८८	४६३	४५३	३१३
बाजरा	..	..	२४८	३७८	४०३	३७२
मक्का	..	..	४०१	४६०	४८६	५०७
जौ	..	..	७८२	६०९	७३८	७३४
चना	..	..	४००	३८७	४९२	४५२
गन्ना	..	..	२,२४०	२,७०८	२,३३५	२,६२३
मूंगफली	..	..	३६८	५२८	५६७	५७५
अरंडी	..	..	३३६	४०७	३२०	२२४
तिल	..	..	१८९	२२३	२१२	१९८
अलसी	..	..	१७७	१८१	१९१	२१५
राई व सरसों	..	..	३२४	३२७	३४१	३८२
कपास	..	..	७४	७८	७२	७१
तम्बाकू	..	..	२६३	४४८	४८०	४२०

*समंक नवीनतम फसल के पूर्वानुमानों पर आधारित हैं एवं प्रावि क हैं

सूचना स्रोत.—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

कृषि-उत्पादन के देशनांक

उपर्युक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि यदि समष्टि रूप से कुछ प्रमुख फसलों के समंक देखे जावें तो कृषि-उत्पादन का विकास सन्तोषप्रद हुआ है। सन् १९५०-५१

को आधारवर्ष १०० मानते हुए निम्नांकित तालिका में विविध वर्षों के कृषि-उत्पादन के सूचनांक दर्शाये गए हैं:—

तालिका क्रमांक ३२
कृषि-उत्पादन के सूचनांक
(आधारवर्ष १९५०-५१=१००)

फसलें.	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६*
चावल	१७४	१७१	१८०	१६६	१९५
गेहूं ..	७३	१०२	१०८	१३५	१३०
ज्वार..	११०	१८०	२२६	२०९	१४०
चना ..	१०५	१०५	१०१	१२७	१२१
कपास	९७	१४७	१५६	१६२	१५६

*टिप्पणी.—समंक नवीनतम फसल पूर्वानुमान के अनुसार

सूचना स्रोतः—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

कृषि के उपकरण व औजार

राज्य की कृषि व्यवस्था अभी भी पुराने कृषि औजारों व उपकरणों पर आश्रित है यद्यपि कृषि क्षेत्र में नवीन यंत्र-सामग्री भी शनैः-शनैः अपनाई जा रही है। निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश के कृषि-उपकरणों एवं औजारों-सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करती है :—

तालिका क्रमांक ३३
कृषि के उपकरण व औजार
(१९५१)

उपकरण व औजार	संख्या
हल (लकड़ी के)	३४,६५,६२०
हल (लोहे के)	२५,१४८
गाड़ियां	१४,७८,२२०
गन्ने का रस निकालने के घाने (शक्ति-चालित) ..	६६६
गन्ने का रस निकालने के घाने (बैलों के द्वारा चलनेवाले)	१४,४१६
ट्रेक्टर	५८६
तेल इंजिन	२,१८१
बिजली के पंप	१९०
तेल घानियां	२१,२५५

सूचना स्रोत.—पशुगणना प्रतिवेदन, १९५१, खण्ड २ (विस्तृत तालिकाएँ)

उपर्युक्त विवेचन से राज्य की कृषि-संबंधी स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता ने निःसंदेह राज्य के कृषि-विकास में अपरिमित योगदान दिया है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि-विकास को और भी त्वरित गति प्रदान करेगी। राज्य सरकार भी कृषि-विकास हेतु प्रयत्नशील है तथा आशा है कि नवगठित मध्यप्रदेश कृषि-उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर तो है ही साथ ही अपनी उन्नत कृषि-व्यवस्था के माध्यम से देश के प्रमुख अन्न भंडारों के रूप में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनावेगा।

कृषि-उत्पादन के सूचनांक
(आधार वर्ष १९५०-५१=१००)

पशुधन

जनशक्ति के समान ही पशुधन भी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों का विशिष्ट अंग होता है। पशुओं का महत्त्व न केवल कृषि-अर्थ-व्यवस्था में ही प्रमुख रूप से रहता है बल्कि औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत राष्ट्र भी अपने पशुधन की महत्ता को कम नहीं कर सकते। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य सर्वथा सम्पत्तिशाली है। मध्यप्रदेश की विशाल पशु-सम्पत्ति इसकी विकासशील अर्थ-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

मध्यप्रदेश में यांत्रिक कृषि की न्यूनता एवं राज्य की अर्थ-व्यवस्था मूलतः कृषि-प्रधान होने से कृषि हेतु पशुधन का सापेक्षिक महत्त्व है। अधिकांश कृषि-कार्य पशुओं की सहायता से ही किये जाते हैं। राज्य की पशुधन-संबंधी स्थिति सन्तोषप्रद है। सन् १९५१ की पशुगणनानुसार राज्य में कुल ३०,६४२ हजार पशु थे; किंतु सन् १९५६ की पशुगणनानुसार राज्य में अब ३४,३५१ हजार पशु हैं। उल्लेखनीय है कि सन् १९५६ की गणनानुसार राज्य का पशुधन समस्त भारत के पशुधन की तुलना में ११.१९ प्रतिशत है। सन् १९५१ में यही प्रतिशतता १०.४९ थी अर्थात् सन् १९५१-५६ की कालावधि में राज्य के पशुधन में १२.१० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी अवधि में भारत के पशुधन में ५.०९ प्रतिशत वृद्धि हुई है। निम्नांकित तालिका राज्य की पशुधन-संबंधी स्थिति स्पष्ट करती है:—

तालिका क्रमांक ३४

पशुधन

(१९५१–१९५६)

(हजारों में)

पशुधन	१९५१	१९५६	वृद्धि (+) या कमी (−)	प्रतिशत वृद्धि
१	२	३	४	५
गोधन	२१,०९४	२२,५६०	+१,४६६	६.९५
भैंस	४,८०९	४,९९५	+१८६	३.८७
भेड़	६९२	८९८	+२०६	२९.७७
बकरी	३,४२१	५,२२०	+१,७९९	५२.५९
घोड़े	२५३	२५३	..	..
अन्य पशु	३७३	४२५	+५२	१३.९४
योग ..	३०,६४२	३४,३५१	+३,७०९	१२.१०

सूचना स्रोतः—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सन् १९५१ की अपेक्षा सन् १९५६ में राज्य में ३,७०९ हजार पशु अधिक थे अर्थात् इन वर्षों में राज्य के कुल पशुधन में १२·१० प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य में २२,५६० हजार गोधन, ४,९९५ हजार भैंसें, ८९८ हजार भेड़ें, ५,२२० हजार बकरियां, २५३ हजार घोड़े तथा ४२५ हजार अन्य पशु हैं। विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि बकरियों की (५२.५९ प्र०श०) हुई है। भेड़ों की २९.७७ प्रतिशत तथा गोधन की ६.९५ प्रतिशत, अन्य पशुओं की १३.९४ प्रतिशत वृद्धि हुई है किंतु घोड़ों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

वन-सम्पत्ति

वन राष्ट्र की वहुमूल्य सम्पत्ति है। राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता में वनों का महत्त्वपूर्ण योग है। एक ओर वनोत्पत्ति से जहां अनेक वृहत्प्रमाण व कुटीर उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है वहां दूसरी ओर इमारतों के लिए अनेक प्रकार की लकड़ी, पशुओं के लिए भोजन, देश के लिए ईंधन व औषधियों की पूर्ति भी बड़ी मात्रा में वन्य क्षेत्रों से होती है। भारत जैसे कृपिप्रधान देश में जहां कृषि प्रमुख उद्यम है, वनों का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख स्थान है। वन भूमि की उर्वरा-शक्ति को वढ़ाने तथा भूमिक्षरण रोकने में सहायक होते हैं। जलवायु को सुखद तथा स्वास्थ्यवर्द्धक बनाने में भी इनका हाथ रहता है। इसी लिये तो हमारे देश में वन-महोत्सव जैसे राष्ट्रीय उत्सव की सम्पन्नता का संकल्प किया गया है।

वन-सम्पत्ति की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक समृद्ध राज्य है। आज हमारे राज्य में समष्टि रूप से ६७,५१८ वर्ग मील क्षेत्र में वन विस्तृत है। निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश में विभिन्न वर्षों में वनों के विस्तार संबंधी जानकारी प्रस्तुत करती है:--

तालिका क्रमांक ३५

वनाच्छादित क्षेत्र

(१९५०-५१ से १९५३-५४)

('००० एकड़ों में)

वर्ष	ग्राम अभिलेखों के अनुसार (सूचना प्राप्त) कुल भौगोलिक क्षेत्र	वनाच्छादित क्षेत्रफल	कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन-क्षेत्र का प्रतिशत
१	२	३	४
१९५०-५१ ..	१,०६,५७१	२३,६६६	२२.२
१९५१-५२ ..	१,०६,७१५	३०,७६१	२८.८
१९५२-५३ ..	१,०६,९३०	३२,७५२	३०.६
१९५३-५४ ..	१,०७,१३०	३३,६१७	३१.४

सूचना स्रोत:--पुनर्गठित राज्यों के कृपि समंक, कृपि मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त समंकों से ज्ञात होता है कि राज्य में सन् १९५०-५१ से वन-क्षेत्र में निरंतर विस्तार होता रहा है। सन् १९५०-५१ में राज्य में कुल २३,६६६ हजार एकड़ क्षेत्र वनाच्छादित था जब कि सन् १९५३-५४ में यही बढ़कर ३३,६१७ हजार एकड़ हो गया। अर्थात् सन् १९५०-५१ में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनों की प्रतिशतता केवल २२.२ थी किन्तु सन १९५३-५४ में यही प्रतिशतता ३१.४ हो गई। १९५६-५७ के समंकों के अनुसार राज्य के समस्त भौगोलिक क्षेत्र का लगभग ३९.५ प्रतिशत भाग राज्य के वन विभाग के नियंत्रण में है।

मध्यप्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वन-सम्पत्ति है यह तो हमें उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात हो जाता है किन्तु उल्लेखनीय यह है कि भारत के समस्त राज्यों में मध्यप्रदश वनों में सर्वाधिक समृद्ध है। निम्नांकित तालिका में भारत के राज्यों की वन-संबंधी तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की जा रही है:—

तालिका क्रमांक ३६
विभिन्न राज्यों में वन-क्षेत्र
(१९५३-५४)

('००० एकड़ों में)

राज्य	वनान्तर्गत क्षेत्र	भारत के कुल वन-क्षेत्र में प्रतिशत
१	२	३
मध्यप्रदेश	३३,६१७	२६.३
आसाम	१५,७९७	१२.३
बम्बई	१५,६२९	१२.२
आंध्रप्रदेश	१२,३०२	९.६
उड़ीसा	१०,१२५	७.९
बिहार	८,८४१	६.९
उत्तरप्रदेश	८,४७९	६.६
मैसूर	६,४१३	५.०
केरल	७,४६०	१.९
मद्रास	४,७५५	३.७
पंजाब	८३१	०.७
राजस्थान	३,२६०	२.६
पश्चिमी बंगाल ..	२,०८८	१.६
जम्मू तथा काश्मीर ..	१,३८०	१.१
केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र ..	२,०४५	१.६
भारत का कुल वन-क्षेत्र ..	१२८,०२४	१००.००

सूचना स्रोत:—पुनर्गठित राज्यों के कृषि समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि समस्त भारत में मध्यप्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। मध्यप्रदेश के पश्चात् आसाम, बम्बई, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य आते हैं, जिनका वन-क्षेत्र क्रमशः १५,७९७ हजार, १५,६२९ हजार, १२,३०२ हजार व १०,१२५ हजार एकड़ भूमि पर व्याप्त है। जहां-तक कुल भारत के वन-क्षेत्र की तुलना में राज्य के वन-क्षेत्र की स्थिति का प्रश्न है, मध्यप्रदेश का यह प्रतिशत वर्ष १९५३-५४ में २६.३ था। इसी अवधि में आसाम, बम्बई, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा इत्यादि की यही प्रतिशतता क्रमशः १२.३, १२.२, ९.६ तथा ७.९ थी किन्तु आज मध्यप्रदेश का वन-क्षेत्र देश के सकल वन-क्षेत्र के लगभग ३४ प्रतिशत भाग में विस्तृत है। निम्न सारिणी में मध्यप्रदेश के विविध घटक राज्यों में वन-क्षेत्र की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित की गई है जिससे ज्ञात हो सकेगा कि वर्ष १९५६-५७ में राज्य के वन-क्षेत्र की स्थिति क्या थी :—

तालिका क्रमांक ३७

राज्य के घटक क्षेत्रों में वन-क्षेत्र

(१९५६-५७)

(क्षेत्रफल वर्ग मीलों में)

घटक क्षेत्र	प्रथम श्रेणी के सुरक्षित वन-क्षेत्र	संरक्षित वन	अवर्गीकृत वन	सकल वन-क्षेत्र
महाकोशल	१९,१००	१०,४५३	११,२०१	४०,७५४
भूतपूर्व मध्यभारत	७,३७८	७,५९५	८७२	१५,८४५
सिरोंज	१७५	..	..	१७५
भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश	५,३१०	१००	३,२५०	८,६६०
भूतपूर्व भोपाल	१,३१५	..	७६९	२०८४
	३३,२७८	१८,१४८	१६,०९२	६७,५१८

सूचना स्रोत:—मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, रीवां

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में समस्त वन-क्षेत्र ६७,५१८ वर्ग मीलों में विस्तृत है जिसमें से ४५,७५४ वर्ग मील क्षेत्र महाकोशल क्षेत्र में है तथा भूतपूर्व मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, भोपाल व राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में सम्मिलित सिरोंज क्षेत्र में क्रमशः १५,८४५, ८,६६०, २,०८४ तथा १७५ वर्ग मील क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इस प्रकार नवगठित मध्यप्रदेश का वन-क्षेत्र सकल भारतवर्ष के क्षेत्र के लगभग ३४ प्रतिशत भाग में विस्तृत है। राज्य के सकल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग ३२.५ प्रतिशत भाग राज्य के वन विभाग के नियंत्रण में है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति पीछे १.६ एकड़ वन-क्षेत्र आता है।

वनों के प्रकार

मध्यप्रदेश में अनेक प्रकार के वन पाये जाते हैं, जिनमें सागौन के वन तथा मिश्रित पर्णपाती वन अधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध हैं। मिश्रित पर्णपाती (Deciduous) वन साज,

धावड़ा, तेंदू आदि इमारती लकड़ी प्रदान करनेवाले होते हैं तथा मध्यप्रदेश में इस प्रकार के वन रायपुर, बालाघाट, होशंगाबाद, मण्डला, दुर्ग, उमरिया, सीधी, निमाड़ तथा शिवपुरी जिलों में अधिकता से पाये जाते हैं। राज्य के वनों का दूसरा प्रमुख प्रकार है सागौन के वन। उल्लेखनीय है कि राज्य में सर्वोत्तम प्रकार का एवं विपुल मात्रा में सागौन उत्पन्न होता है। सागौन के वन प्रमुखतः बोरी रेंज (इटारसी), जबलपुर, सागर, बैतूल एवं अन्य कई स्थानों में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बांस, साल, पलाश, बबूल, महुआ, सलाई व अंजन आदि के समृद्ध वन भी हैं जो कि यत्र-तत्र पाये जाते हैं। साल के वृक्ष प्रमुख रूप से मंडला, बालाघाट, दक्षिणी रायपुर, विन्द्राबनगढ़, दक्षिणी बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, उमरिया, सीधी व शहडोल क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

वनोत्पत्ति

हमारे वन प्राकृतिक सम्पत्ति के अगाध भंडार हैं। वनों के बाहुल्य के साथ ही उनमें अधिकाधिक वनोत्पत्ति होना भी महत्वपूर्ण है और इसी कारण वनों को राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है। मध्यप्रदेश के वनसम्पत्ति के अक्षय स्रोत हैं। समस्त देश को सर्वोत्तम प्रकार की सागौन की लकड़ी हमारे वनों में ही सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। वैसे ही बांस, तेंदू के पत्ते, महुआ, गोंद, हर्रा, लाख, चिरोंजी, कत्था और अन्य औषधियां आदि भी हमारे वनों में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती हैं। वनोत्पत्तियों को मुख्यतः दो शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है प्रमुख वनोत्पत्ति एवं गौण वनोत्पत्ति। प्रमुख वनोत्पत्ति के अंतर्गत इमारती लकड़ी एवं ईंधनयोग्य लकड़ी सम्मिलित की जाती है जब कि गौण वनोत्पत्ति में अन्य वन्य उत्पत्तियों का समावेश होता है।

वनोद्योग

वनों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की वनोत्पत्तियों का अनेक प्रकार के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। किसी राज्य या राष्ट्र का औद्योगिक विकास एक सीमा तक वनों द्वारा प्राप्त वनोत्पत्तियों की मात्रा पर निर्भर रहता है। बिना वनोत्पत्तियों के कागज, मादक द्रव्य, लाख, वार्निश पेंट, बीड़ी, रस्सी, टोकनी आदि बनाने के दीर्घप्रमाप व लघुप्रमाप उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। वनोत्पत्तियों पर आधारित उद्योगों का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकरण किया जा सकता है:—

१. रासायनिक उद्योग:—
 (१) कागज बनाना
 (२) चमड़ा पकाना या शल्कन उद्योग
 (३) कत्था उद्योग
 (४) लाख तथा चमड़ा उद्योग
 (५) लकड़ी का कोयला बनाना
 (६) रूसा का तेल बनाना
 (७) मादक द्रव्य उद्योग
 (८) वार्निश पेंट उद्योग

२. यांत्रिक:—
 (१) माचिस

(२) प्लायवुड
(३) लकड़ी चीरने के कारखाने
(४) मिरा, धामन, हल्दुआ आदि से खिलौने व हैण्डिल आदि बनाना
(५) कृषि-औजार बनाना
(६) टोकनी और चटाई आदि बनाना

३. भेषजिको (Pharmaceutical) उद्योग:—
(१) करंजा, आंवला इत्यादि का तेल बनाना
(२) त्रिफला बनाना (हर्र, बहेड़ा व आंवला के चूर्ण से)
(३) जड़ी-बूटियों से आयुर्वेदिक व यूनानी दवाइयां तैयार करना

मध्यप्रदेश में विविध प्रकार की वनोत्पत्तियों की विपुल सम्पदा से सम्पन्न वनों का बाहुल्य है। इस प्रकार यहां वनोद्योग के लिए अति आवश्यक कच्चे माल का भी बाहुल्य है। बांस उद्योग द्वारा राज्य का एक काफी बड़ा जन-समुदाय अपनी जीविकार्जन कर रहा है और बांस उद्योग पूर्ण प्रगति पर है। तेंदू के पत्तों से भी हजारों परिवार अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। जबलपुर, कटनी, सागर, रीवां, सतना इत्यादि क्षेत्रों में तेंदू की पत्तियों पर आधारित बीड़ी उद्योग बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। राज्य की वन-सम्पत्ति के आधार पर हमारे राज्य में भारत का सर्वप्रथम अखबारी कागज का कारखाना नेपा मिल स्थापित किया गया है। विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में कत्था और माचिस सदृश उद्योग भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी राज्य के अनेकों कुटीर तथा लघु-प्रमाप उद्योग ऐसे हैं जिनके कच्चे माल की पूर्ति वनों के माध्यम से ही होती है। इस समय राज्य में नेपा, शिवपुरी, ग्वालियर, उमरिया, छिंदवाड़ा व रायपुर आदि स्थानों में विविध उद्योगों में वनोत्पत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। नेपा स्थित कागज के कारखाने में सलाई लकड़ी व बांस के गूदे का वृहत् मात्रा में उपयोग किया जाता है। शिवपुरी स्थित कत्था कारखाने में खैर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है तथा ग्वालियर, डबरा स्थित दियासलाई कारखानों में सेमल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उमरिया, रायपुर, बिलासपुर आदि स्थानों में पलाश, घोंट तथा कुसुम वृक्षों से प्राप्त लाख का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उमरिया में शासन द्वारा संचालित लाख कारखाना है। छिंदवाड़ा स्थित पेण्ट कारखाने में भिलवा के बीजों का उपयोग किया जाता है। ग्वालियर स्थित चमड़ा-शोधन-गृहों में बबूल की लकड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। हाल ही में शहडोल के पास १०० टन कागज बना सकने की क्षमतायुक्त कागज मिल की स्थापना हेतु ठेका दिया गया है तथा बस्तर के पास एक विशाल लकड़ी कारखाने की स्थापना की योजना शासन के विचाराधीन है। राज्य में विविध वनोत्पत्तियों का उपयोग देवास, श्योपुर, बिलासपुर व रतलाम आदि स्थानों में क्रमशः चमड़ा उद्योग, खिलौने बनाना व देशी औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है।

वन-राजस्व

वन मध्यप्रदेश की आय के प्रमुख साधन हैं। वन जितने सम्पन्न होंगे एवं वनोत्पत्तियों का जितना समुचित विदोहन किया जावेगा उतनी ही वनों से आय अधिक होगी। मध्य-प्रदेश के विस्तृत एवं सम्पन्न वन-क्षेत्रों से भी राज्य को प्रति वर्ष अच्छी आय होती है। पुन-रीक्षित अनुमानों के अनुसार १ नवम्बर सन् १९५६ से ३१ मार्च सन् १९५७ तक की अवधि

में मध्यप्रदेश में वनों से २८,४३० हजार रुपयों के राजस्व-प्राप्ति का अनुमान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि के लिए समस्त राज्य का राजस्व २,६९,८८२ हजार रुपये आंका गया है, जिसकी तुलना में वन-राजस्व १०.५३ प्रतिशत है। उसी प्रकार सन १९५७-५८ के आय-व्यय अनुमानों के अनुसार वनों से कुल ५९,४८६ हजार रुपयों की आय का अनुमान किया गया है, जो वर्ष की कुल आय में १२.२२ प्रतिशत होता है। निम्नांकित तालिका में मध्यप्रदेश को आय की कुछ प्रमुख मदों संबंधी सूचना प्रस्तुत की जा रही है:—

तालिका क्रमांक ३८
राज्य की आय के कुछ साधन

(हजार रुपयों में)

आय के साधन	१ नवम्बर सन् १९५६ से ३१ मार्च सन् १९५७ तक		वर्ष १९५७-५८*	
	पुनरीक्षित अनुमानित आय	सकल आय का प्रतिशत	आय-व्ययक अनुमान	सकल आय का प्रतिशत
१	२	३	४	५
भू-राजस्व ..	५६,९२७	२१.०९	९६,७१४	१९.८८
केन्द्रीय शासन से प्राप्त ..	३८,३२७	१४.२०	५७,१५०	११.७५
राजस्व संचिति से स्थानान्तरण।	३२,३६२	११.९९	..	..
वन	२८,४३०	१०.५३	५९,४८६	१२.२३
समस्त साधनों द्वारा कुल आय	२,६९,८८२	..	४,८६,५५९	..

* समंक अन्तरिम आयव्ययक के हैं

सूचना स्रोत :—मध्यप्रदेश राज्य का आय-व्ययक अनुमान-पत्रक, १९५७-५८

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की आय-प्राप्ति में वनों का प्रमुख स्थान है। भू-राजस्व, केंद्रीय शासन से प्राप्त अनुदानों व राजस्व संचिति से स्थानान्तरित राशि सदृश, इन तीन मदों के पश्चात् वन ही राजस्व-प्राप्ति का प्रमुख मद है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय

वनों के समुचित विकास, सुरक्षा व सुव्यवस्था के हेतु राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल २ २ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत भूमि-संरक्षण, वृक्षारोपण, वनोद्योगों को प्रोत्साहन, सीमा-निर्धारण, पर्यवेक्षण, वन-क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास और वन विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण सदृश कार्यक्रमों को समाविष्ट किया गया है। निम्न सारिणी में नवगठित मध्यप्रदेश के विविध घटक क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में वन-विकास हेतु निर्धारित योजनाओं संबधी समंक दिये जारहे हैं जिससे ज्ञात हो सकेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल

में राज्य के भिन्न भाग में वन-विकास हेतु द्वितीय योजनाएँ कार्यान्वित की जावेंगी व तत्संबंधी व्यय कितना होगा :—

तालिका क्रमांक १९

राज्य के घटक क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वनविकास योजनाएँ

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत व्यय
महाकोशल	२२	१४१.३४
मध्यभारत	१२	७३.८०
विन्ध्यप्रदेश	१४	७४.१०
भोपाल	१०	४७.८२
	५८	३३७.०७

सूचना स्रोतः—मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, रीवा

इसके अतिरिक्त कम संख्या में प्राप्य वन्य जीवों की नस्ल का बिल्कुल ही लोप न हो जावे इस हेतु योजना में राष्ट्रीय पार्कों और सेंक्चुअरीज की स्थापना का भी प्रावधान है। मण्डला जिले में व शिवपुरी में राष्ट्रीय पार्क तथा टीकमगढ़ और सुहागपुर में क्रमशः गेम सेंक्चुअरी और राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं।

विकास की संभावना

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि हमारा राज्य वन-सम्पदा में सम्पन्न है तथा उसमें विकास की विपुल संभावनाएं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में यद्यपि बहुत कुछ क्षतिपूर्त्ति हो गई है तथापि अभी बहुत कुछ करना शेष है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता विकास की गति में और एक अगला कदम होगी तथा आशा है कि वन हमारी समृद्धि में अधिकाधिक सहायक होंगे।

तेली की लाट, ग्वालियर (किला)

महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ग्वालियर

भूमि-सुधार

भूमि की समस्या भारतवर्ष के लिए सदैव से ही एक विकट समस्या रही है, यही कारण है कि उसपर समय-समय पर काफी विचार-विमर्ष होता रहा है तथा इस ओर सुधारात्मक कदम भी उठाये गये हैं। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्वकाल तक भूमि-सुधार की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति न हो सकी थी। अप्रैल सन् १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ तथा उसी वर्ष योजना आयोग की केन्द्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पूर्ण देश के लिए एक व्यापक भूमि-सुधार कार्यक्रम अपनाया गया जिससे कि सम्पूर्ण देश में भूमि-सुधार कार्यक्रम के विभिन्न अंगों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। वैसे पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही बिहार, बम्बई, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा बंगाल आदि राज्यों में राज्य एवं कृषकों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करनेवाले वर्ग के विलीनीकरण संबंधी कानून आदि के रूप में भूमि-सुधार कार्य शुरू हो गये थे।

भूमि-सुधार योजना के अनुसार पिछले वर्षो में जो कदम उठाये गये तथा जो कार्य आगे भी जारी रहेंगे वे निम्न हैं :—

(१) राज्य एवं खेतिहरों के मध्य दलाल का कार्य करनेवाले मध्यवर्ती वर्ग का उन्मूलन।

(२) किसानों का लगान कम किया जाना तथा बेदखली प्रथा का अन्त कर भूमि पर किसानों के मौरूसी हक सुरक्षित बनाये रखने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में एक निश्चित रकम चुका देने की सुविधाएँ दी जाना।

(३) जमींदार स्वयं काश्त के लिए कितनी जमीन रख सकेगा, इसकी सीमा निर्धारित की जाना।

(४) भू-सम्पत्ति संबंधी अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाना।

(५) भूमि के अपखंडन एवं पुनर्विभाजन को रोकना, भूमि की चकबंदी करना तथा सहकारी कृषि का विकास करना।

योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित भूमि-सुधार संबंधी केंद्रीय समिति की सिफारिशों का पालन प्रायः प्रत्येक राज्य द्वारा किया गया है तथा नवगठित मध्यप्रदेश के चारों घटकों में इस दिशा में व्यापक कदम उठाये गये हैं।

मालगुजारी उन्मूलन के पश्चात् भू-स्वामित्वाधिकार शासन के हाथ में आते ही नवगठित महाकोशल-क्षेत्रीय १७ जिलों में शासन ने तुरन्त यह आदेश दिया कि किसानों एवं ग्रामवासियों को निस्तार संबंधी जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय तथा गांववाले जिस जमीन या निकटवर्ती जमीन का उपयोग पहले करते थे वे सुविधाएँ भी पूर्ववत् रखी जावें। ग्रामवासियों एवं कृषकों को निस्तार संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने तथा निस्तार संबंधी समस्याओं के हल के लिए सरकार ने

विशेप रूप से निस्तार अधिकारियों की नियुक्ति की तथा एक भूमि-सुधार संचालक और तीन भूमि-सुधार प्रतिसंचालकों का एक निरीक्षक दल भी नियुक्त किया गया।

इसी समय पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व मंत्री श्री भगवंतराव जी मंडलोई की अध्यक्षता में एक राज्य भूमि-सुधार समिति भी गठित की गई थी। दस सदस्यों की इस भूमि-सुधार समिति ने उत्तरप्रदेश, बम्बई, हैदराबाद एवं अन्य भारतीय राज्यों का दौरा करके भूमि-सुधार संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। इस भूमि-सुधार समिति द्वारा हाल ही में प्रकाशित प्रतिवेदन में भूमि-सुधार कार्यों का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि भूमि-सुधार कार्यक्रम स्वयं कोई साध्य न होकर समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसका प्रमुख ध्येय ग्रामीण जनता की आर्थिक समृद्धि प्रशस्त करने के साथ-ही-साथ अन्य विविध सामाजिक लाभों को प्राप्त करना है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, कतिपय विशिष्ट श्रेणी के कृपकों के लिये स्थायी कृपकाधिकार नियत करने, भूमि की चकबंदी करने तथा भूमि के खंडन-अपखंडन को प्रतिबंधित करने के साथ-ही-साथ व्यक्तिगत स्वामित्व में अपेक्षाकृत अधिक भूमि रखने की प्रवृत्ति को प्रबंधित करने संबंधी अनुशंसाएँ की हैं। इन अनुशंसाओं के साथ-ही-साथ समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास की दृष्टि से सिंचाई, उत्तम बीज वितरण, साख सुविधाएँ प्रदत्त करने, यातायात व संवहन सुविधाओं को विकसित करने तथा कृपकों को कृषि संबंधी तांत्रिक सहायता देने व विपणन संबंधी उचित व्यवस्था करने संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने को भी आवश्यक माना है। समिति ने अपनी अनुशंसाओं को ग्राम्य-आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिपादित करते हुए इन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की योजनाओं की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता देने का मत व्यक्त किया है। भूतपूर्व मध्यभारत शासन द्वारा श्री तख्तमल जी जैन की अध्यक्षता में बिठाई गयी भूमि-सुधार समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में राज्य में भूमि-सुधार हेतु जो अनुशंसाएँ व्यक्त कीं वे इनसे अधिक भिन्न नहीं हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भू-आगम संहिता, सन् १९५४ (M. P. Land Revenue Code) की रचना देश में अपने प्रकार का पहला प्रयास है, जिससे कि सम्पूर्ण प्रदेश के भूमि-सुधार आन्दोलन को नवीन बल प्राप्त हो सका तथा जिसके अनुसार अक्टूबर सन् १९५५ से सम्पूर्ण पूर्व मध्यप्रदेश में कृषि-संबंधी व्यापक सुधारों को प्रयोग में लाया जा सका। वैसे इसके पूर्व भी सन् १९४६ में मध्यप्रांत एवं बरार धारासभा द्वारा कृषि-क्षेत्र के मध्यस्थों (जमींदार आदि) के उन्मूलनार्थ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था तथा इसी के संदर्भ में आगे चलकर मध्यप्रदेश विधानसभा ने सन् १९५० में मध्यप्रदेश भू-स्वामित्व उन्मूलन अधिनियम स्वीकृत किया था, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति २२ जनवरी सन् १९५१ को प्राप्त हुई। इस प्रकार ३१ मार्च सन् १९५१ को राज्य शासन द्वारा ४३,००० गांवों के भू-स्वामित्व पर अधिकार कर लिया गया तथा इसके द्वारा राज्य एवं कृपकों के बीच मध्यक का कार्य करनेवाले विभिन्न जमींदारों, मालगुजारों एवं जागीरदारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया

नवगठित मध्यप्रदेश की विविध क्षेत्रीय इकाइयों में भूमि-संबंधी समस्याएँ भिन्न-भिन्न हैं। महाकोशल की भूमि-संबंधी प्रमुख समस्या छोटे-छोटे चकों की है, जो

आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद इकाइयां नहीं कही जा सकतीं। निम्नांकित तालिका में भूतपूर्व मध्यप्रदेश के चकों के वितरण एवं आकार संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है :—

तालिका क्रमांक ४०

***भूतपूर्व मध्यप्रदेश में चकों का वितरण एवं आकार**

आकार एकड़ों में	स्वामित्व तथा आधिपत्यवाली भूमि				स्वतः कृषकों का खेतिहर क्षेत्र			
	चकों का संख्या (हजारों में)	चकों का प्रतिशत	क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)	क्षेत्रफल का प्रतिशत	चकों का संख्या (हजारों में)	चकों का प्रतिशत	क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)	क्षेत्रफल का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५ से कम	२,६४८	५९·४	५,०७५	१३·६	२,५५३	६०·७	४,७८२	१४·६
५ से १०	८४२	१८·९	५,९८८	१६·२	७७९	१८·५	५,५३१	१६·९
१० से १५	३७६	८·४	४,५९२	१२·३	३४४	८·२	४,१९५	१२·८
१५ से ३०	३८५	८·७	७,९६५	२१·४	३५०	८·३	७,२१८	२२·१
३० से ४५	१०५	२·४	३,८०६	१०·२	९५	२·२	३,४०१	१०·४
४५ से ६०	४२	०·९	२,१५९	५·८	३७	०·९	१,९०७	५·८
६० से ऊपर	६०	१·३	७,६१७	२०·५	४९	१·२	५,७०५	१७·४
योग ..	४,४५८	१००·०	३७,२०२	१००·०	४,२०७	१००·०	३२,७३९	१००·०

सूचना स्रोत:—द्वितीय पचवर्षीय योजना, १९५६

* महाकोशल एवं विदर्भ के पृथक् समंक अनुपलब्ध हैं

भूमि-सुधार संबंधी नवीन कार्यक्रम को अपनाने के पूर्व नवगठित मध्यप्रदेश की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में पृथक्-पृथक् प्रकार की भूमि-आगम पद्धतियां प्रचलित थीं तथा सभी जगह मालगुजार, जमींदार, जागीरदार एवं पट्टेदार नाम से मध्यकों का गांवों में जाल-सा बिछा था किन्तु आगे चलकर अधिनियम बनाकर जमींदारी की दोषपूर्ण प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

भूमि-सुधार के नवीन कार्यक्रम को अपनाने के पूर्व भूतपूर्व मध्यभारत में विलीन हुए राज्यों में भूमि-व्यवस्था की विभिन्न शासन-प्रणालियां प्रचलित थीं तथा कई राज्यों में तो भूमि-व्यवस्था संबंधी कोई विधान ही न था। मध्यभारत में उस समय कुल १,३२१ जागीरें थीं, जिनका क्षेत्रफल ८,४४९ वर्गमील था तथा जिनमें ११,२८,५३२ व्यक्ति निवास करते थे जागीरों के अतिरिक्त केवल पूर्व मध्यभारत में ही १,२२,००० जमींदारियां थीं, जिनका क्षेत्र पूर्व मध्यभारत के आधे क्षेत्रफल के बराबर था। यहां जमींदारी एवं रैयतवारी दोनों प्रकार की लगान-पद्धतियां प्रचलित थीं जो कि अनेक प्रकार से दोषपूर्ण थीं। भू-आगम संबंधी उपरोक्त दोषपूर्ण पद्धतियों के निवारणार्थ राज्य शासन ने सर्वप्रथम भू-आगम अधिनियम में संशोधन किये, कृषकों को बेदखलियों से बचाकर उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न किया तथा जमींदारों के पुलिस, फौजदारी, कस्टम वसूली एवं माल-संबंधी अधिकार समाप्त कर समस्त अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। शासन ने गांवों में पटवारियों की नियुक्ति एवं भू-अभिलेख-संग्रह कार्य को अपने हाथ में लेकर उसके उचित प्रबंध की भी व्यवस्था की।

सन् १९४९ में जागीरदारी-कृषि-भूमि-उन्मूलन विधेयक स्वीकार कर लिया गया। इसके फलस्वरूप कृषकों को खोये हुए अधिकार पुनः प्राप्त हो गये, साथ ही जागीरदारों द्वारा अविचारपूर्वक वन-कटाई रोकने की दृष्टि से कटाई निरोधक विधेयक स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त तत्कालीन मध्यभारत राज्य शासन ने भूमि के संबंध में यह तथ्य मूलरूप से स्वीकार किया कि भूमि का सच्चा अधिकारी वही है जो कि उसे जोतता है तथा कृषक एवं शासन के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार कृषकों का शोषण करनेवाली शक्तियों को समाप्त कर दिया गया।

जून सन् १९५१ में तत्कालीन मध्यभारत राज्य शासन विधान-सभा द्वारा मध्यभारत जमींदारी समाप्ति विधान स्वीकृत किया गया तथा नवम्बर सन् १९५१ में जागीरदारी समाप्ति विधान स्वीकृत किया गया। उपरोक्त दोनों विधान भूमि-सुधार की दिशा में मध्यभारत के क्रांतिकारी कदम निरूपित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लगान के संबंध में भी १ जनवरी सन् १९५४ से संशोधित बन्दोबस्त विधान लागू किया गया, जिसके अनुसार अब लगान की औचित्यपूर्ण समान दरें निश्चित हो रही हैं।

पूर्व मध्यभारत शासन द्वारा भूमि-सुधार संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम मर्यादा ५० एकड़ निर्धारित की गई है। अतएव आगे अब ५० एकड़ से अधिक भूमि किसीको भी नहीं दी जावेगी तथा राजस्व विधान द्वारा भूमि की न्यूनतम सीमा १५ एकड़ निश्चित करलेने के कारण अब आगे के लिए १५ एकड़ से कम के बंटवारे को रोक दिया गया है जिससे कि भविष्य में आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद होनेवाले खेतों का टुकड़ों में विभाजन संभव न हो सकेगा। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अनुसार बंजर एवं अनुपजाऊ भूमि का पट्टा उसी व्यक्ति को दिया जावेगा जो कि उस भूमि को खेती के योग्य उपजाऊ बनाने को तैयार हो। ऐसे पट्टों पर प्रारंभ के दस वर्षों में कोई लगान नहीं लिया जाता तथा २० वर्ष की समाप्ति पर उनसे पूरा भू-राजस्व लेना प्रारंभ किया जावेगा।

भूमि-सुधार संबंधी कार्यों को तीव्र गति देने के लिए तथा भूमि-सुधार संबंधी

८४°
प्रदेश
संख्या व घनत्व
७० मील
१४०
२१०
२४°

भूमि-सुधार संबंधी सिफारिशों के क्रियान्वय हेतु सम्पूर्ण राज्य में तकावी-वितरण तथा चकबन्दी-संबंधी कार्यक्रम अपनाया गया है।

उपनिवेशीकरण की दिशा में पूर्व मध्यभारत के देवास जिले के निमनपुर क्षेत्र मे पर्याप्त कार्य किया गया है तथा अभी तक २३५ भूमिहीन कुटुम्बों को ३,०९५ एकड़ भूमि दी गई है। वर्ष १९५१-५२ में चक ब्लाकों की १,७८,८०३ एकड़ भूमि में तथा सन् १९५२-५३ में १,८१,०५१ एकड़ भूमि में खेती की गई। चकबन्दी की दिशा में ये विकास के अंक अपना पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। आदिवासी जनता के भूमि-संबंधी हितों को सुरक्षित रखने तथा तकावी संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पूर्व मध्यभारत शासन ने यह नियम बनाया था कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के अतिरिक्त किसी को भी भूमि नहीं दी जावेगी तथा किसानों को भूमि समुन्नति ऋण विधयक तथा कृपकाधिकार ऋण विधेयक के अन्तर्गत कम व्याज एवं सरल प्रभागों में उदारतापूर्वक ऋण बांटा जायगा।

मध्यभारत में भूमि-संबंधी चकों के वितरण-संबंधी आंकड़े निम्न सारिणी में दिए गय हे जिनसे भूमि-संबंधी विविध इकाइयों तथा उनके स्वामित्व-संबंधी तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है:—

तालिका क्रमांक ४१

भूतपूर्व मध्यभारत में चकों का वितरण एवं आकार

आकार एकड़ों में	स्वामित्व तथा आधिपत्यवाली भूमि				स्वतः कृपकों का खेतिहर क्षेत्र			
	चकों की संख्या (हजारों में)	चकों का प्रतिशत	क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)	क्षेत्रफल का प्रतिशत संख्या	चकों की (हजारों मे)	चकों का प्रतिशत	क्षत्रफल (हजार एकड़ों में)	क्षेत्रफल का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५ से कम	६५२	४५.६	१,४१४	९.६	६२७	४६.४	१,३५२	१०.३
५ से १०	३२३	२२.६	२,३२५	१६.०	३०७	२२.७	२,२०२	१६.७
१० से १५	१७३	१२.१	२ १२४	१४.५	१६२	१२.०	१,९८७	१५.१
१५ से ३०	१९३	१३.५	४,००४	२७.३	१७९	१३.२	३,६९१	२८.०
३० से ४५	५१	३.५	१,८३१	१२.५	४५	३.३	१,६२८	१२.३
४५ से ६०	१८	१.३	९२१	६.३	१६	१.२	७९१	६.१
६० से अधिक	१९	१.४	२,०२४	१३.८	१६	१.२	१,५१६	११.५
योग	१,४२९	१००.०	१४,६४३	१००.०	१,३५२	१००.०	१३,१८३	१००.०

सूचना स्रोत:—द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सन् १९५६

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व मध्यभारत में ५ एकड़ से कम भूमि के चकों की संख्या सर्वाधिक (६५२) है जबकि सबसे कम उन चकों की संख्या (१८) है जो कि ४५ से ६० एकड़ भूमि के हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में ५ से कम एकड़ के चकों का प्रतिशत ४५.६ है जबकि सबसे कम प्रतिशत ४५ से ६० एकड़ भूमि के चकों का है।

भूमि-सुधार संबंधी नवीन सुधार कार्यान्वित करने के पूर्व सम्पूर्ण विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में, जिसमें कि बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड की ३५ रियासतों का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है, भूमि पर जमींदारों व जागीरदारों का स्वामित्व था तथा वे विभिन्न रूपों में कृषकों का शोषण किया करते थे। कृषकों के इस शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से तथा कृषि के क्षेत्र में व्यापक भूमि-सुधारों को लागू करने की दृष्टि से सन् १९५२ में तत्कालीन विन्ध्यप्रदेश विधान-सभा द्वारा विन्ध्यप्रदेश जागीरदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार विधेयक स्वीकृत किया गया जिसे सन् १९५३ में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार १ जुलाई सन् १९५३ से पूर्व विन्ध्यप्रदेश की ९५ प्रमुख जागीरों पर राज्य के राजस्व विभाग का आधिपत्य होगया। साथ ही इससे विन्ध्यप्रदेश के किसानों का वर्षों से शोषण करनेवाले जागीरदारों एवं पवाईदारों के स्वामित्व का भी अंत होगया।

विन्ध्यप्रदेश में भूमि-सुधार संबंधी अधिनियम कार्यान्वित होने के पूर्व जो जागीरें सम्पूर्ण राज्य मे बड़ी संख्या में विद्यमान थीं, उन्हें कृषि-राजस्व संबंधी आय के आधार पर निम्न ३ श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:—

१.	५,०००) या इससे अधिक की कुल वार्षिक आयवाली जागीरें ..	१२०
२.	१,०००) से अधिक एवं ५,०००) से कम की कुल वार्षिक आयवाली जागीरें.	३८६
३.	१,०००) से कम की कुल वार्षिक आयवाली जागीरें	२१,२१६
	योग ..	२१,७२२

उपरोक्त जागीरों को समाप्त करने तथा उनकी क्षतिपूर्त्ति करने में एक व्यवस्थित क्रम अपनाया गया तथा प्रथम कोटि की समस्त जागीरों को सन् १९५३ में ही उन्मूलित कर दिया गया। द्वितीय श्रेणी की जागीरों को १ जनवरी सन् १९५४ तक तथा तृतीय श्रेणी की जागीरों को जो कि संख्या में सर्वाधिक थीं, १ जुलाई सन् १९५४ तक उन्मूलित कर दिया गया।

तत्कालीन विन्ध्यप्रदेश शासन ने भूमि-सुधार की दिशा में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की थीं—

१. जागीरदार पहले कानूनी रूप से अधिक भूमि-कर लिया करते थे किन्तु अब भूमि-कर की दर घटा दी गई।
२. नियमित अधिकारी होने पर भी काश्तकार पट्टेदारी अधिकारों के '५५-४५' के अधिकारी नहीं थे किन्तु अब उन्हें ये अधिकार दे दिये गये।
३. अब जागीरदारों की जमीन जोतनेवाले को भी पट्टेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये।

४. पड़ती भूमि भू-हीन कृपकों के बीच वितरित की जाने लगी। २६ जनवरी सन् १९५५ को पूर्व विन्ध्यप्रदेश शासन के सूचना एवं प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति के अनुसार सन् १९५४ में कुल २०,४५९ एकड़ पड़ती भूमि भू-हीनों में वितरित की गई।

५. प्रत्येक कारतकार को ५ महुए के वृक्ष दिये गये।

इसके अतिरिक्त पूर्व विन्ध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जमीन की नाप-जोख के लिए भी एक सुसंगठित दल तैयार किया गया तथा भूमि-सुधार संबंधी कार्यों की शिक्षा दी जा सके इसके लिए बादोबाग पटवारी प्रशिक्षणशाला को कानूनगो प्रशिक्षणशाला के स्तर तक ला दिया गया।

पूर्व विन्ध्यप्रदेश भाग के कृपि-क्षेत्र में पिछले वर्षों से व्यापक भूमि-सुधार के कार्यक्रम को बड़ी तत्परता से अपनाया गया है किन्तु फिर भी वहां भूमि-संबंधी समस्याओं का सर्वथा अंत हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज भी विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में खेतों के छोटे-छोटे चकों की विपुलता है। निम्न तालिका में विन्ध्यप्रदेश के चकों-संबंधी समंक दर्शाये गये हैं:—

तालिका क्रमांक ४२

भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश में चकों का वितरण एवं आकार

आकार एकड़ों में	स्वामित्व तथा आधिपत्यवाली भूमि		स्वतः कृपकों का खेतिहर क्षेत्र	
	चकों की संख्या (हजारों में)	क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)	चकों की संख्या (हजारों में)	क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)
१	२	३	४	५
१० से १५	५१	६३१	५०	६१६
१५ से ३०	६४	१,३४३	६३	१२९६
३० से ४५	१९	६९०	१८	६५७
४५ से ६०	७	३८३	७	३६१
६० से ऊपर	९	९६८	८	८५४
योग	१५०	४,०१५	१४६	३,७८४

सूचना स्रोत:—द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सन् १९५६

टिप्पणी—विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में भू-स्वामित्व संबंधी गणना केवल १० एकड़ से अधिक आकार के चकों की की गई थी, अतएव १० एकड़ से कम आकार के चकों के समंक उपलब्ध नहीं हैं।

भूदान

महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया भूदान यज्ञ, सत्य एवं अहिंसा के मार्ग मे एक नया प्रयोग है। देश के भूमिहीन कृषकों को भूमि-समस्या के हल हेतु अहिंसा एवं हृदयपरिवर्तन को विचारधारा पर आधारित भूदान के रूप मे रक्तहीन क्रांति का संदेश आज देश के कोने-कोने मे फैल गया है।

सम्पूर्ण देश मे हजारों की संख्या मे भूदान कार्यकर्त्ता गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर मानव की प्रसुप्त लोक-कल्याणकारी भावनाओं को जागृत कर रहे हैं तथा लोगों से उस बँटवारे का आग्रह करते हैं जिसमें सम्पूर्ण समाज का हित निहित है। भूदान यज्ञ हमारी मानसिक क्रांति का द्योतक है जिसके अनुसार देश में नवीन मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा हो सकेगी। आचार्य भावे के शब्दों में "समाज के किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह अपनी आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति पर अधिकार रखे जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शोषण संभव हो सके"। आचार्य भावे की कल्पना का समाज एक शोषणविहीन सर्व-कल्याणकारी समाज है जिसका आधार ग्राम-शासन है।

आचार्य भावे का भूदान यज्ञ इसी सामाजिक-आर्थिक विषमता के निवारण का अपने प्रकार का एक अभिनव प्रयोग है। इसके अनुसार आचार्यजी प्रत्येक भूमिधारी से उसकी भू-सम्पत्ति का छठवां भाग दान मे मांगते हैं। दान मे प्राप्त भूमि का वितरण बाद में उसी ग्राम या क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों मे कर दिया जाता है। इस प्रकार भूदान यज्ञ मे दोहरी प्रक्रिया निहित है—एक ओर इस कार्य मे जहां सम्पत्ति के ऐच्छिक विभाजन का प्रश्न निहित है वहीं दूसरी ओर भूमिहीन कृषकों की आर्थिक समृद्धि का प्रश्न भी सम्मिलित है। भूदान का उद्देश्य भूमि की प्राप्ति एवं वितरण तक ही सीमित नहीं है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका कि अंतिम ध्येय मानव-चेतना के उच्च भावों को जागृत कर एक सर्वगुणसम्पन्न समाज मे नये मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। आचार्य भावे मानव की उच्च विचार-धारा में आस्था रखते है तथा उनका विश्वास है कि जनशक्ति के उच्च भावों को सामूहिक रूप से जागृत कर एक सर्वांगीण विकासशील सर्व-कल्याणकारी समाज की सृष्टि की जा सकती है जहां कि आर्थिक-सामाजिक विषमता नाममात्र को भी नही होगी तथा समाज का प्रत्येक घटक शोषण से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। भूदान यज्ञ का अविर्भाव इसी सृष्टि का प्रथम चरण है तथा आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में भूदान यज्ञ, सम्पतिदान यज्ञ, कूपदान यज्ञ एव ज्ञानदान यज्ञ के पवित्र उद्‌घोषों द्वारा एक शोषणविहीन सर्व-कल्याणकारी समाज की स्थापना के प्रयत्न चल रहे हैं।

नवगठित मध्यप्रदेश मे भूदान की जागृति की कहानी आचार्य विनोबा की दिल्ली पदयात्रा की कहानी के साथ सन्निहित है जबकि १८ सितम्बर १९५१ को उन्होंने उमरनला में अपने सहयात्रियों एवं अनुयायियों के साथ प्रवेश किया, जहां कि पहले दिन ही उन्हें

• यात्रियों की थकान मिटा देने वाला पचमढ़ी का जल-प्रपात (होशंगाबाद जिला

होशंगाबाद के निकट सुरक्षित प्रागैतिहासिक भित्ति-चित्र

३०० ग्रामवासियों के बीच ५० एकड़ जमीन प्राप्त हुई। आचार्यजी ने मध्यप्रदेश के इस क्षेत्र में सर्वप्रथम बार १० दिनों में १४ गांवों की पदयात्रा की तथा कुल २३१६ '४९ एकड़ भूमि दान में प्राप्त की। १८ सितम्बर १९५१ का दिवस हमारे प्रदेश में भूदान यज्ञ के श्रीगणेश का महान् दिन था जबकि पहली बार गांवों ने आचार्य भावे की वाणी को सुना तथा गरीब एवं अमीर सभी वर्गों ने मिलकर आर्थिक विषमता के निवारण हेतु संयुक्त प्रयत्नों की शुरूआत की। निम्न तालिका में नवगठित मध्यप्रदेश के उन १४ ग्रामों के भूमिदान नमंकों को दिया जा रहा है जहां कि आचार्य भावे स्वयं गये तथा ग्रामवासियों के समक्ष भूदान आन्दोलन के विविध पक्षों को स्पष्ट करते हुए उनसे ग्राम पुनर्निर्माण से सम्बंधित इस महान् आन्दोलन को सफल बनाने का निवेदन किया:—

तालिका क्रमांक ४३

राज्य के दक्षिणी जिलों में भूदान

(१८ सितम्बर से २७ सितम्बर १९५२ तक)

दिनांक	स्थान	जनसंख्या	दान में प्राप्त भूमि (एकड़ों में)
१८ सितम्बर १९५१	उमरनाला	३००	५०.८०
१९ सितम्बर १९५१	छिन्दवाड़ा	२५,०००	५४.००
१९ सितम्बर १९५१	सरना	..	३.५५
१९ सितम्बर १९५१	बैनगांव	..	११.५०
२० सितम्बर १९५१	सिगौड़ी	१,२९५	७९.५५
२१ सितम्बर १९५१	अमरवाड़ा	२,९५५	१०८.१३
२१ सितम्बर १९५१	कुनावूल	..	१.००
२१ सितम्बर १९५१	जुंगारवली	..	९.००
२२ सितम्बर १९५१	सरलकपा	३२०	५०.९५
२३ सितम्बर १९५१	हर्रई	१,६६९	१०३३.३३
२४ सितम्बर १९५१	कंदेली	४८	५.००
२५ सितम्बर १९५१	नरसिंगपुर	१३,०००	६२.९३
२६ सितम्बर १९५१	करेली	३,०००	३१९.००
२७ सितम्बर १९५१	बरमान	९३१	५२०.३५
१४ गांवों में प्राप्त कुल भूमि			२,३१६.४९

सूचना स्रोत:—"विनोबा एण्ड हिज मिशन"

उपरोक्त १४ गावों में कुल २०१ दानदाताओं ने भूमि दी जिनमें बरमान, करेली एवं हर्रई में लोगों ने १०० एकड़ भूमि से भी अधिक भूमि तक के दान दिये हैं।

इसी पदयात्रा के समय विन्ध्य क्षेत्र एवं राज्य के मध्यवर्ती भाग में भी भूदान की शुरूआत हुई तथा इन क्षेत्रों में आचार्यजी के भूदान आन्दोलन का आशातीत स्वागत किया गया। ११ अक्टूबर १९५१ को आचार्यजी अपने सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं के साथ प्रथम वार टीकमगढ़ में भूदान की ज्योति लाये। उनकी प्रेरणा से वहां ५ दिनों में भूदान का एक नया वातावरण तैयार किया गया जिसके फलस्वरूप ६ महीनों के अन्दर ही विन्ध्य क्षेत्र में १,०३८ एकड़ भूमि एकत्रित की जा सकी।

भूदान ज्ञान प्रसार की दृष्टि से नवगठित मध्यप्रदेश का तीसरा क्षेत्र डवरा है जहां कि आचार्यजी ने एकत्रित कार्यकर्त्ताओं को भूदान यज्ञ के महान् कार्य के लिये दीक्षित किया। मध्यभारत क्षेत्र प्राचीन राजाओं एवं जागीरदारों का एक सुदृढ़ गढ़ रहा है अतएव वहां भूस्वामित्व की मात्रा भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। आचार्यजी ने ग्वालियर में प्रथम वार जागीरदारों, उद्योगपतियों एवं नाढ्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना को चुनौती दी।

आचार्य जी के उद्‌बोधन एवं मध्यभारत के भूदान कार्यकर्त्ताओं की लगन का ही परिणाम था कि १९ सितम्बर से २३ सितम्बर तक ५ दिनों में ही वहां ५०० एकड़ भूमि एकत्रित करली गई।

आचार्य विनोवा भावे की "दिल्ली पदयात्रा" वास्तव में भूदान क्रांति की यात्रा की प्रथम कड़ी थी जिसने सम्पूर्ण मध्यप्रदेश, भूतपूर्व मध्यभारत एवं विन्ध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा उत्तरभारत में नवीन क्रान्ति की लहर जागृत कर दी। आचार्यजी की इस ऐतिहासिक यात्रा के परिणामस्वरूप नवगठित मध्यप्रदेश में विशेपकर जवलपुर, कटनी, सागर, रायपुर, रीवां, टीकमगढ़, सतना, ग्वालियर, विदिशा तथा इन्दौर में इस आर्थिक-सामाजिक क्रान्ति की सफलता हेतु एक नवीन जागृति का सूत्रपात हो सका है तथा विविध केन्द्रों में सर्वोदय संघों की स्थापना, भूदान की टोलियों का गठन तथा भूमि प्राप्ति हेतु सामूहिक पदयात्राओं का आयोजन किया गया। नवीन मध्यप्रदेश में आयोजित भूमिदान-कार्यों की जुलाई १९५२ तक की प्रगति का चित्रण निम्न तालिका में किया गया है :—

तालिका क्रमांक ४४
भूदान में प्राप्त भूमि
(जून १९५२ तक)

घटक	प्राप्त भूमि (एकड़ों में)
१	२
(१) भूतपूर्व मध्यप्रदेश*	८,२९०
(२) मध्यभारत क्षेत्र	२,०००
(३) विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र	१,०३८
(४) भोपाल क्षेत्र	अप्राप्य.

सूचना स्रोत:—"विनोवा एण्ड हिज मिशन"
*महाकोशल के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

भूदान-संबंधी उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सितम्बर १९५१ में मध्यप्रदेश में प्रथम वार भूदान के कार्य का श्रीगणेश होने पर १९५२ तक की उपरोक्त प्रगति संतोषप्रद ही है। आगे चलकर अप्रैल १९५२ में सेवापुरी (बनारस) में १३, १४, १५ एवं १६ अप्रैल को एक अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसने भूदान क्रान्ति को एक नई गति दी तथा वहां प्रत्येक प्रान्त के कार्यकर्त्ताओं के लिये भूमि-संग्रहण संबंधी लक्ष्य निर्धारित किये गये। मध्यप्रदेश में इस लक्ष्य-निर्धारण के कारण एक नवीन स्फूर्ति आई तथा मार्च १९५४ तक मध्यप्रदेश ने अपने लक्ष्य के अधिकांश अंशों की पूर्त्ति कर ली। निम्न तालिका में नवीन मध्यप्रदेश की विविध क्षेत्रीय इकाइयों के लिये भूमि-संग्रहण संबंधी लक्ष्य एवं लक्ष्य-पूर्त्ति संबंधी समंक दिये गये हैं:—

तालिका क्रमांक ४५
भूदान का लक्ष्य-निर्धारण एवं पूर्त्ति

घटक	सेवापुरी अधिवेशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य (एकड़ों में)	संग्रहीत भूमि (मार्च १९५४ तक)	दान-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
(१) भूतपूर्व मध्यप्रदेश*	१,००,०००	६५,६८४	१२,०००
(२) मध्यभारत क्षेत्र	१,२५,०००	६०,७५७	४,७९९
(३) विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र	४०,०००	४,९६३	८२३
(४) भोपाल क्षेत्र ..	अप्राप्य	अप्राप्य	..

सूचना स्रोत:—"विनोवा एण्ड हिज मिशन"

*महाकोशल के समंक पृथक् उपलब्ध नहीं हैं

मार्च १९५४ के पश्चात् हमारी राज्य सरकारों का ध्यान भी भूदान यज्ञ की ओर गया तथा भूदान की क्रान्ति को वल देने हेतु तत्कालीन मध्यप्रदेश एवं मध्यभारत सरकारों द्वारा भूमिदान संबंधी अधिनियम पारित किये गये। साथ ही विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल में भी भूदान में प्राप्त भूमि के पंजीयन एवं पुनर्वितरण की सुविधा हेतु तत्संबंधी नियमों को शिथिल किया गया तथा सरकारी एवं गैर सरकारी विविध स्रोतों द्वारा भूमिदान यज्ञ को प्रोत्साहन दिया गया। अगले पृष्ठ की सारिणी में नवगठित मध्यप्रदेश की भूदान-संबंधी प्रगति को दर्शाया गया है जिससे ज्ञात होगा कि नवगठित मध्यप्रदेश में भूमिदान-संबंधी प्रयत्न किस गति से चल रहे हैं।

तालिका क्रमांक ४६

भूदान आन्दोलन की प्रगति

(३१ अक्टबर १९५६ तक)

	एकत्रित भूमि (एकड़ों में)	दानदाताओं की संख्या	भूमि-वितरण (एकड़ों में)	लाभान्वित परिवारों की संख्या	संपत्तिदान (रुपयों में)	ग्रामदान की संख्या	जीवन-दानियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
महाकोशल	१०,५१९	३५,१९६	२१,८३५	५,३५४	१८,८३१	..	..
भूतपूर्व मध्यभारत एवं भोपाल	६१,९४६	९,०९०	३,०९४	९१७	२७,५९५	१०	४४
भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश ..	१०,८६७	२,४८६	१,९९२	५४१	६,८२३	..	..
योग ..	१,६३,३३२	४६,७७२	२६,९२१	६,८१२	५३,२४९	१०	४४

सूचना स्रोत:—आर्थिक समीक्षा—इन्दौर कांग्रेस अधिवेशन विशेपांक, जनवरी १९५७।

उपरोक्त सारिणी से स्पप्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश में भूदान आन्दोलन क्रमशः अधिक सफलता प्राप्त करता जा रहा है तथा प्रदेश में भूमि एकत्रीकरण का कार्य, वितरण कार्य तथा भूमि प्राप्त करनेवाले परिवारों को भूमि को सफलता के साथ संगठित करने की सुविधाएं देने का कार्य शासकीय व गैर-शासकीय स्तर पर तीव्र गति से चल रहा है। राज्य में भूमिदान के साथ ही साथ सम्पत्तिदान एवं ग्रामदान के आन्दोलन का भी विकास हुआ है तथा क्रमशः जनता में भूदान के नवीन सामाजिक मूल्यों की ओर आस्था विकसित होती जा रही है। नवगठित मध्यप्रदेश मूलतः एक कृपिप्रधान देश है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करती है। भूदान आन्दोलन ने प्रदेश में नवीन भूमि-सुधारों का प्रचार किया है; यही कारण है कि इस प्रदेश में सर्वसामान्य जनता का झुकाव भूदान आन्दोलन की ओर अधिक बढ़ता जा रहा है।

भूदान आन्दोलन केवल भूमि-समस्या के समाधान का ही प्रतीक न होकर एक आन्तरिक क्रांति का परिचायक है जिसका कि प्रत्यक्ष प्रभाव चाहे शीघ्र परिलक्षित न हो किन्तु कालान्तर में भूदान की विचारधारा हमारे लोक-मानस पर अपना स्पष्ट प्रभाव दर्शा सकेगी। मध्यप्रदेश में भूदान के साथ ही साथ सम्पत्तिदान एवं कूपदान का अभियान भी चल रहा है जिसका अंतिम लक्ष्य सर्वसामान्य जनमानस में एक ऐसी प्रवृत्ति का सृजन करना है जिसका कि आधार शोषण एवं व्यक्तिगत स्वामित्व की साम्राज्यवादी भावना न होकर 'जियो एवं जीने दो' की सर्वकल्याणकारी प्रवृत्ति का सृजन करना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मध्यप्रदेश सदैव से ही भारतीय परंपराओं के अनुकूल अहिंसक क्रान्तियों का समर्थक रहा है, अतएव आगामी वर्षों में भी यह भूदान की विचारधारा को अधिक तीव्र गति से ग्रहण कर अपनी प्रगतिशील लोक-चेतना का प्रमाण देगा।

सिंचाई

कृषि तथा उद्योग हमारी अर्थ-व्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ हैं। जिस प्रकार किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास के लिये विद्युतीकरण आवश्यक है, उसी प्रकार कृषि के सर्वांगी विकास के लिये सिंचाई सुविधायें अपरिहार्य हैं। मध्यप्रदेश मूलतः कृषिप्रधान राज्य है। कृषि के हेतु किसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है किंतु वर्षा की अनिश्चितता कृषि-विकास में बाधक सिद्ध होती है। इसीलिए सिंचाई-साधनों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। निम्नांकित तालिका में १७१ हजार वर्ग मील क्षेत्रफलवाले विशाल मध्यप्रदेश में सिंचन कार्यों की प्रगति के विश्लेषणार्थ वर्ष १९५३-५४ में बोया गया क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र दर्शाया गया है:—

तालिका क्रमांक ४७

बोया गया तथा सिंचित क्षेत्र—खाद्यान्न व गैर-खाद्यान्न

(१९५३-५४)

(हजार एकड़ों में)

	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	सकल बोया गया क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र			सकल बोये गये क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
				खाद्यान्न	गैर-खाद्यान्न	योग	
	१	२	३	४	५	६	७
मध्यप्रदेश ..	३७,५४०	२,०५७	४१,५४७	१,८०६	२८५	२,०९१	५.०२
कुल राज्यों का योग .. (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर)	३,११,४८७	५३,५१३	३,४९,७०४	४८,९२५	१०.६६२	५९,५८७	१७.०४
भारत का योग ..	३,१३,०५८	५३,६९४	३,५१,७०५	४९,१३६	१०,६९९	५९,८३५	१७.०१

सूचना स्रोत:—पुनर्गठित राज्यों के कृषि-समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष ही राज्य में सिंचाई के सभी साधनों का उपयोग किया गया है, किन्तु सिंचाई सुविधा प्रदान करने में अन्य साधनों की अपेक्षा नहरों का स्थान अग्रिम रहा है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि वर्ष १९४९-५० से लेकर १९५३-५४ तक कुल सिंचित भूमि में से क्रमशः ४७.५५, ३९.८१, ४४.७५, ४६.९९ तथा ४३.३२ प्रतिशत भूमि नहरों के द्वारा ही सींची गई थी तथा शेष सिंचाई तालाब, कुओं तथा अन्य साधनों द्वारा की गई थी। वर्ष १९४९-५० से लेकर १९५२-५३ तक नहरों द्वारा की जानेवाली सिंचाई में वर्षानुवर्ष वृद्धि ही हुई है। वर्ष १९४९-५० में जबकि ८४५ हजार एकड़ भूमि ही नहरों द्वारा सींची गई थी, वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में नहरोंद्वारा क्रमशः ८७७, ८८६ तथा९३८ हजार एकड़ भूमि सींची गई थी। राज्य में सिंचाई कार्यों में नहरों के पश्चात् कुओं द्वारा की गई सिंचाई भी उल्लेखनीय है। राज्य में कुओं द्वारा वर्ष १९४९-५० में ५८१ हजार एकड़, १९५०-५१ में ६०५ हजार एकड़, १९५१-५२ में ६११ हजार एकड़, १९५२-५३ में ६६१ हजार एकड़ तथा १९५३-५४ में ६६७ हजार एकड़ भूमि सींची गई थी। ऐसे ही यदि राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं द्वारा होनेवाली सिंचाई की प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाये तो कहा जा सकता है कि राज्य में वर्ष १९४९-५० में ३२.७०, १९५०-५१ में २७.४६, १९५१-५२ में ३०.८६, १९५२-५३ में ३३.१२ तथा १९५३-५४ में ३२.४२ प्रतिशत भूमि कुओं द्वारा सींची गई थी। सरकारी एवं वैयक्तिक प्रयास तथा पारस्परिक सहयोग द्वारा इस साधन से की जानेवाली सिंचाई में वर्षानुवर्ष वृद्धि भी उपरोक्त तालिका से परिलक्षित होती है।

यद्यपि राज्य में मद्रास आदि राज्यों की भांति तालावों का महत्त्व सर्वोपरि नहीं है किन्तु सिंचाई कार्यों में तालाबों द्वारा सिंचित भूमि की मात्रा विलकुल महत्त्वहीन भी नहीं है। वर्ष १९५३-५४ में राज्य की कुल सिंचित भूमि में से १९.३५ प्रतिशत भूमि पर तालाबों द्वारा सिंचाई की गई थी। इन प्रमुख साधनों के अतिरिक्त प्रति वर्ष ही अन्य गौण साधनों द्वारा भी राज्य में सिंचाई-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य में चावल, गेहूं, चना, ज्वार, कपास इत्यादि अनेक प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं। निम्नांकित तालिका में वर्ष १९४९-५० से १९५३-५४ की अवधि में विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है :—

तालिका क्रमांक ४९

मुख्य फसलों के अंतर्गत सिंचित्र क्षेत्र

(१९४९-५० से १९५३-५४ तक)

(हजार एकड़ों में)

उपजें		१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
चांवल	..	१००३	१,३६६	११५१	१०७४	१२४७
गेंहूं	..	२७५	२९६	२८६	३७५	३३६

उपजें		१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
ज्वार	..	(अ)	१	१	(अ)	(अ)
मक्का	..	१२	५	३७	१४	३
जौ	..	१२३	१२९	१३८	१४०	११२
चना	..	८०	७३	८४	९४	७२
तूअर	..	(अ)	(अ)	(अ)	(अ)	(अ)
गन्ना	..	८४	८१	९६	६८	५९
कपास	..	६	१५	१०	११	७
सब उपजों के अंतर्गत-सिंचित क्षेत्र		१,८०८	२,२४७	२,०२९	२,०४४	२,०९१

सूचना स्रोतः—पुनर्गठित राज्यों के कृषि-समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

अ = ५०० एकड़ से कम ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्य उपजों की तुलना में प्रतिवर्ष ही सबसे अधिक सिंचाई चावल के अंत ेत क्षेत्र में की गई है जिसका कि प्रमुख कारण चावल की खेती के लिए अधिक जलपूर्ति की आवश्यकता ही है। वर्ष १९४९-५० में सब फसलों के अंतर्गत १,८०८ हजार एकड़ भूमि सिंचित की गई थी, जिसमें से ५५.५ प्रतिशत सिंचाई चावल की खेती में हुई है जबकि गेहूं की फसल में १५.२, जौ में ६.८, चना में ४.४, तथा गन्ने में ४.६ प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई व्यवस्था की जा सकी थी। वर्ष १९५३-५४ में राज्य की कुल उपजों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में से गेहूं बोई गई भूमि का प्रतिशत १६.१ था। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष जौ, मक्का, चना तथा गन्ना बोई भूमि में से भी क्रमशः ११२, ३, ७२ व ५९ हजार एकड़ भमि सींची गई थी तथा अन्य वर्षो में भी इन उपजों को सिंचाई पर समुचित ध्यान दिया गया था। उपरिनिर्दिष्ट पांच वर्षो मे उपज के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो ज्ञात होगा कि सब उपजों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई (२,२४७ हजार एकड़) वर्ष १९५०-५१ में तथा सबसे कम सिंचाई (१,८०८ हजार एकड़) वर्ष १९४९-५० में की गई थी। वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३ व १९५३-५४ के सिंचाई-समंक क्रमशः २,०२९, २,०४४ तथा २,०९१ हजार एकड़ रहे।

मध्यप्रदेश में सिंचित क्षेत्र के सम्यक विवरण के उपरांत भारतीय सिंचाई व्यवस्था में मध्यप्रदेश का स्थान निर्धारण करने हेतु देश के कुछ राज्यों के सिंचित क्षेत्र संबंधी तुलनात्मक आंकड़े अगले पृष्ठ पर दी तालिका में दिये जा रहे हैं।

तालिका क्रमांक ५०

विभिन्न राज्यों में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र

(हजार एकड़ों में)

	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
१	२	३	४	५	६
(१) मध्यप्रदेश	१,७७७	२,२०३	१,९८०	१,९९६	२,०५७
(२) उत्तरप्रदेश	१०,८७८	११,९५९	१२,७६०	१२,७६०	१२,५८७
(३) बम्बई	२,५३६	२,८४५	३,५१८	३,१७२	३,४३३
(४) मैसूर	१,६००	१,५१६	१,५२२	१,५२६	१,६३३
(५) आसाम	१,३२७	१,३३९	१,३७४	१,३७४	१,३७४
(६) केरल	७४४	७४४	७४४	७९८	८१०
(७) जम्मू एवं काश्मीर	७०१	६४४	६५१	६८३	६४९
(८) आन्ध्र प्रदेश	*६,१०२	५,७२७	५,९७१	५,६९३	६,५८५
(९) बिहार	५,१३६	५,१३६	३,९२५	४,६१७	४,१९७
(१०) मद्रास	४,८९३	४,४७६	४,८३४	४,४५१	५,२३९
(११) उड़ीसा	२,३२७	२,५१७	२,५२२	१,९३५	१,७३९
(१२) पंजाब	६,६३५	६,४०३	६,५१९	७,१२३	७,४७९
(१३) राजस्थान	२,१४५	२,९४३	२,४९४	३,१९	२,८७६
(१४) पश्चिमी बंगाल	२,७८८	२,९०५	२,९७७	२,८९°	·,८५५
कुल राज्य	४९,५८९	५१,३५७	५१,७९१	५२,२२३	५३,५१३
सम्पूर्ण भारत	४९,७९७	५१,५२९	५२ ०१३	५२,४०७	५३,६९४

सूचना स्रोतः—पुनर्गठित राज्यों के कृषि-समंक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

* टिप्पणीः—साधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र के समंक उपलब्ध न होने से २४ हजार एकड़ भूमि शामिल नहीं की जा सकी

८२°
८४°
यप्रदेश
त्रफल
= ७० मील
१४०
२१०
मील
दे
श
सीधी
४,०७२

राष्ट्रीय नवनिर्माण के कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश की सिंचाई सुविधाओं को समुचित स्थान प्रदान किया गया है। पंचवर्षीय योजना के सुपरिणाम तो आज हमारे सम्मुख हैं ही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उच्च एवं आशाप्रद लक्ष्य भी राज्य में होनेवाली भावी प्रगति के उद्घोषक हैं।

*द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रमुख सिंचाई योजनायें

सन् १९५६ से १९६१ की अवधि में क्रियान्वित की जानेवाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्यप्रदेश के लिये अनेक प्रमुख और गौण सिंचाई परियोजनाओं का समावेश किया गया है जिनमें से कतिपय प्रमुख योजनाओं का वर्णन निम्न प्रकार से है :—

तवा नदी योजना

तवा नदी योजना राज्य की बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं में से एक है। इस योजना पर किया जानेवाला कुल व्यय १,३९५.०० लाख रुपये अनुमानित किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर ४०० लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। इस परियोजना का उच्च लक्ष्य भी उल्लेखनीय है। इसकी समाप्ति पर ६,००,००० एकड़ भूमि सिंचित होगी जो निश्चित ही अधिक उत्पादन में सहायक होगी। इस विशाल योजना का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में समाप्त नहीं किया जा सकेगा। तवा नदी बाँध होशंगाबाद जिले में इटारसी-जबलपुर के मध्य में बनाया जायगा। तथा इससे उत्पन्न विद्युत् नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद व भोपाल के क्षेत्रों को दी जावेगी।

दुधवा योजना

इस परियोजना का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था जिसपर कुल १४४.४५ लाख रुपये का व्यय अनुमानित किया गया है। इस धनराशि में से ५० लाख रुपयों की धनराशि तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय की जा चुकी है तथा शेष १०० लाख रुपये द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में व्यय होने की आशा है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना से १,४०,००० एकड़ भूमि सींची जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह बाँध रायपुर जिले में महानदी नदी पर कांकेर से १८ मील पूर्व में बनाया जारहा है।

गोंदली तालाब योजना तथा तांदुला मुख्य नहर योजना

यह योजना भी उन बड़ी योजनाओं में से है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपूर्ण रह गई हैं। इसपर कुल अनुमानित व्यय ५६५.६४ लाख रुपये है जिसमें से ५६ लाख रुपये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही व्यय किये जा चुके हैं। शेष धनराशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय होगी। इस योजना से ७,५०० एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी। गोंदली योजना के अंतर्गत यह बाँध दुर्ग जिले में बालोद से ५ मील दूर गोंदली ग्राम के पास बनाया जारहा है।

सरोदा योजना

यह योजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवशिष्ट योजना है जिसका लक्ष्य दुर्ग जिले की १८,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाना है। इस योजना पर कुल ५४.३० लाख रुपया व्यय होगा। यह बांध दुर्ग जिले की कवर्धा तहसील के उतानी नाले पर बनाया जारहा है।

---

*पूर्व मध्यप्रदेश, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश तथा भोपाल की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार।

चंबल घाटी योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारम्भ होनेवाली तथा द्वितीय योजना के अंतर्गत सम्मिलित की जानेवाली मध्यप्रदेश की सर्वाधिक उपयोगी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। चंबल नदी जल का अटूट भंडार तथा मध्यप्रदेश और राजस्थान की संयुक्त संपत्ति है। इसलिए इसकी समाप्ति पर १४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई किये जाने के लक्ष्य में से ७ लाख एकड़ भूमि राजस्थान को तथा ७ लाख एकड़ भूमि मध्यप्रदेश की सींची जावेगी। इस परियोजना का व्यय २१९३.३० लाख रुपये अनुमानित किया गया है। इसकी गणना राज्य की प्रमुख वहुउद्देश्यीय योजनाओं में है।

विला नदी परियोजना

यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किये जानेवाले नवीन कार्यों में से एक है। ४६ लाख रुपये की लागत से तैयार की जानेवाली इस योजना से राज्य की १५,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।

इन कुछ प्रमुख परियोजनाओं के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में अनेक प्रमुख, मध्यम और गौण सिंचाई परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं जिनके कार्यान्वित होने से राज्य को समुचित सिंचाई-सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को विशाल परियोजनाओं से लाभान्वित नहीं किया जा सका है वहां कुओं, नल-कुओं तथा यथासंभव तालावों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय जल व विद्युत् आयोग के सहयोग से अवतक वर्ष १९५६-५७ तक लगभग १३ कूपनलिकायें वन चुकी हैं तथा आगामी ३ वर्षों में लगभग ५० और कूपनलिकायें तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस मद पर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में लगभग ३५ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। सम्पूर्ण रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य की प्रमुख, मध्यम तथा गौण सिंचाई कार्यों पर ४५००.१५ लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

निम्न तालिका में राज्य की कतिपय महत्त्वपूर्ण सिंचाई परियोजना संबंधी समंक दिये हैं। इन योजनाओं के संबंध में केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा राज्य के लोक-कर्म विभाग (सिंचाई शाखा) द्वारा भू-मापन व सर्वेक्षण संबंधी कार्य संचालित किये जारहे हैं तथा इन योजनाओं को नवगठित राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिया जावेगा :—

तालिका क्रमांक ५१
प्रस्तावित सिंचाई परियोजनायें

परियोजना	जिला	लागत (लाख रुपये)	सिंचाई लक्ष्य (एकड़ों में)
१. हसदेव	विलासपुर ..	२०००	४,००,०००

जहाजमहल, माण्डू (पंद्रहवीं शताब्दी)

होशंगशाह का मकबरा, माण्डू (धार)

परियोजना	जिला	लागत (लाख रुपये)	सिंचाई लक्ष्य (एकड़ों में)
३. हप	विलासपुर ..	२३०	८०,०००
४. जोंक	रायपुर ..	५००	१,००,०००
५. खरखरा	दुर्ग ..	१४८	४०,०००
६. पिपरिया नाला ..	दुर्ग ..	६५	१६,०००
७. अपरवैनगंगा ..	सिवनी वालाघाट.	१५००	१,५०,०००
८. वर्गी डैम	जवलपुर ..	३०००	११,००,०००
९. सुक्ता	निमाड़ (खंडवा)	१५७	५६,०००
१०. कोलार	सीहोर ..	४००.	१,००,०००
११. पार्वती	राजगढ़ ..	८००	२,५०,०००
१२. सिंधलहाइडल योजना.	शिवपुरी ..	५००	५०,०००
१३. सागर नदी ..	विदिशा ..	४००	१,२०,००
१४. हलाली	..	४२०	८२,०००
१५. अपर परियट तालाव..	जवलपुर ..	५०	..

सूचना स्रोत:—मुख्य अभियन्ता, लोक-कर्म विभाग (सिंचाई शाखा), रायपुर

उपरोक्त समंकों से स्पष्ट है कि आगामी कुछ वर्षों में राज्य के कृषि-क्षेत्र में विविध सिंचाई योजनाओं के परिणामस्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन होने जारहे हैं। सिंचाई संबंधी अपने उत्तरदायित्वों के पूर्ण निर्वाह हेतु राज्य के लोक-कर्म विभाग की सिंचाई शाखा को क्रमशः अधिक सक्षम वनाया जारहा है। हाल ही में इस विभाग द्वारा भारी मिट्टी खोदने में सहायक लगभग २ करोड़ रु. की मशीनों को खरीदा गया है तथा बहुत शीघ्र ही इस विभाग में डिजाइन संगठन, भूमि अनुसंधान संगठन व यांत्रिक संगठन स्थापित किया जारहा है।

हाल ही में स्वीकृत १ सिंचाई योजना के अनुसार सिवनी जिले की लखदौन तहसील में १५ करोड़ की सकल लागत से केंद्रीय सरकार द्वारा बैनगंगा नदी पर एक विशाल वांध बनाया जायगा जिससे कि ३॥ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी व ६,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस कार्य पर लगभग २ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। शेष कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जावेगा।

मोटे तौर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में २,६२,००० एकड़ भूमि सींचे जाने की संभावना है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नवनिर्माण के कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश की सिंचाई सुविधाओं को भी समुचित स्थान प्राप्त हुआ है जो कि कृषि की सर्वांगीण प्रगति के लिए आवश्यक है। आशा है कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस राज्य में सिंचाई संवंधी कार्यक्रम सुचारु रूप से पूरे किये जा सकेंगे।

विद्युत्-प्रसार

विद्युत्-शक्ति के प्रादुर्भाव ने विकास को एक नवीन गति प्रदान की है। औद्योगिक प्रगति के अनेकानेक कार्यक्रम विद्युत्-शक्ति पर ही आधारित होते हैं। विद्युत्-शक्ति ने मानव के भौतिक उन्नयन के क्षेत्र में एक अभिनव क्रांति उपस्थित कर दी है। आर्थिक संयोजन के इस युग में जबकि हम एक सुनियोजित प्रगति-पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, विद्युत् का महत्त्व और भी वर्द्धमान हो गया है। आयोजन के इस काल में विद्युत् द्वारा यातायात, उद्योग आदि के समुचित विकास का पथ प्रशस्त हो गया है। विद्युत्-शक्ति आज के युग के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो गई है इसीलिए विद्युत्-उत्पादन एवं उपभोग के समंकों से आज राष्ट्रों की प्रगति व सुख-समृद्धि आंकी जाती है।

नवगठित मध्यप्रदेश मे भी विद्युत्-प्रसार की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है। निम्नांकित समंकों से नवगठित मध्यप्रदेश के घटकों की विद्युत्-उत्पादन व उपभोग संबंधी जानकारी का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है:--

तालिका क्रमांक ५२

विद्युत्-उत्पादन व उपभोग

(१९५४)

घटक	विद्युत्-उत्पादन (लाख किलोवाट अवर्स में)	विद्युत्-उपभोग (लाख किलोवाट अवर्स में)	अनुमानित मध्यवर्षीय जनसंख्या (लाखों में)	प्रति व्यक्ति पीछे विद्युत्-उपभो (किलोवाट अवर्स में)
१	२	३	४	५
*पूर्व मध्यप्रदेश ..	१,८६७.६७	१,५६१.६१	२१६.९८	७.२०
पूर्व मध्यभारत ..	३७२.४९	३०५.९०	८१.६४	३.७५
पूर्व विन्ध्यप्रदेश ..	१९.५०	१६.६५	३६.४०	०.४६
पूर्व भोपाल ..	६९.७१	४७.१४	८.५४	५.५२

*टिप्पणी.--महाकोशल व विदर्भ के पृथक्-पृथक् समंक अनुपलब्ध हैं

सूचना स्रोत:--केन्द्रीय जल एवं विद्युत्-शक्ति आयोग (विद्युत्-शक्ति शाखा), भारत सरकार

उपर्युक्त समंकों से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश में सम्मिलित मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल क्षेत्रों में सन् १९५४ में क्रमशः ३७२.४९ लाख, १९.५० लाख व

६९.७१ लाख किलोवाट अवर्स विद्युत्-उत्पादन हुआ। महाकोशल क्षेत्र के तत्संबंधी समंक अप्राप्य हैं तथापि समष्टि रूप से पूर्व मध्यप्रदेश के ये समंक देखने से ज्ञात होता है कि इसी वर्ष वहां १,८६७.६७ लाख किलोवाट अवर्स विद्युत्-उत्पादन हुआ था। उसी प्रकार विद्युत्-उपभोग के समंक देखने से स्पष्ट होता है कि सन् १९५४ में मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल क्षेत्रों में क्रमशः ३०५.९० लाख, १६.६५ लाख व ४७.१४ लाख किलोवाट अवर्स विद्युत्-शक्ति का उपभोग किया गया। पूर्व मध्यप्रदेश में इसी वर्ष कुल १,५६१.६१ लाख किलोवाट अवर्स विद्युत्-शक्ति का उपभोग किया गया। इन विविध घटकों के विद्युत्-उत्पादन, विद्युत्-उपभोग व मध्यवर्षीय जनसंख्या के समंकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सन् १९५४ में पूर्व मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल में क्रमशः ३.७५, ०.४६ व ५.५२ किलोवाट अवर्स विद्युत् का प्रति व्यक्ति पीछे उपभोग किया गया। पूर्व मध्यप्रदेश का यह औसत ७.२० किलोवाट अवर्स रहा।

अभी राज्य मे ४,००० किलोवाट उत्पादनक्षमता-शक्ति का रायपुर पायलट पॉवर स्टेशन, १७,००० किलोवाट शक्ति का चान्दनी पॉवर हाउस, ९,२५० किलोवाट का जबलपुर पॉवर हाउस, ३,२०० किलोवाटवाला कटनी पावर हाउस व ३,००० किलोवाट का इटारसी पॉवर स्टेशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। पूर्व मध्यभारत की कुल ३१,००० किलोवाट उत्पादनक्षमता में १४,००० किलोवाट शक्ति की उत्पादनक्षमतावाले इन्दौर पावर हाउस व ४,५०० किलोवाट उत्पादनक्षमतावाले ग्वालियर थर्मल स्टेशन के अतिरिक्त भी अन्य कई विद्युत्-गृह सम्मिलित हैं। पूर्व विंध्यप्रदेश तथा भोपाल क्षेत्रों में स्थित विद्युत्-गृहों की उत्पादनक्षमता क्रमशः ५,९८५ किलोवाट व ३,६०० किलोवाट है।

हाल ही की योजनाओं में ९०,००० किलोवाट विद्युत्-उत्पादनक्षमतावाला कोरबा थर्मल स्टेशन व २५,००० किलोवाट उत्पादनवाला ग्वालियर थर्मल स्टेशन विशेष महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश विद्युत्-मण्डल राज्य के विद्युत्-प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। इस मण्डल द्वारा भूतपूर्व मध्यप्रदेश में होशंगाबाद जिले की विद्युत् योजना, गोंदिया की द्वितीय विस्तार योजना और रायपुर व बिलासपुर विस्तार योजनाओं सदृश विद्युत्-विकास योजनायें सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश में ग्रिड योजनायें भी जारी हैं। एक ग्रिड योजना के अंतर्गत रायपुर का विद्युत्-केन्द्र आता है जहां से रायपुर के ३० मील आसपास के स्थानों तक विद्युत्-पूर्ति की व्यवस्था है। एक अन्य ग्रिड योजना द्वारा जबलपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के अतिरिक्त जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी विद्युत्-शक्ति वितरित की जाती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत्-प्रसार

राज्य की सर्वतोमुखी आर्थिक प्रगति के लिए विद्युत्-उत्पादन की महती आवश्यकता को देखते हुए राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे इस मद पर समुचित द्रव्यराशि व्यय की जा रही है एवं तत्संबंधी लक्ष्य भी वास्तव में उतने ही महत्वाकांक्षी हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे मध्यप्रदेश में विद्युत्-प्रसार पर लगभग २४ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

विद्युत् योजनायें

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित विद्युत् योजनायें बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। चम्बल योजना सदृश विशाल योजना के लक्ष्यों को देखते हुए राज्य के त्वरित विकास की आशा बंधती है। इसकी सफलता निश्चय ही राज्य म एक क्रांति का नवनिर्माण कर देगी। चम्बल योजना के अतिरिक्त कोरबा थर्मल विद्युत्-केन्द्र, कटनी विद्युत्-गृह, भोपाल के विद्युत्-गृह का विकास आदि अनेकानेक विद्युत्-विकास योजनायें राज्य के अधिकाधिक भाग में विद्युत् जाल फैलाने के प्रशंसनीय प्रयास हैं।

आशा है कि राज्य अपने लक्ष्यों में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त कर विद्युत्-विकास एवं प्रसार से राज्य में कृषि, उद्योग, सिंचाई इत्यादि के विकास द्वारा आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त कर उसके जन-जन को अधिक सुखी व समृद्ध बनाएगा।

महाकालेश्वर मन्दिर, उज्जैन

सिद्धनाथ मन्दिर, नेमावर (देवास जिला)

खनिज सम्पत्ति

आधुनिक अर्थव्यवस्था में खनिज सम्पत्ति प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान मानी जाती है। खनिज सम्पत्ति का आधार प्राप्त करके ही आज के युग की औद्योगिक व्यवस्था गतिशील होती है तथा देश में औद्योगिक विकास का सूत्रपात होता है। इसीलिये खनिज सम्पत्ति को किसी भी देश के औद्योगिक उत्थान की मूल धुरी निरूपित किया गया है। मध्यप्रदेश में कोयला, लोहा, मैंगनीज, चूने का पत्थर, खनिज मिट्टी व बॉक्साइट की खानों का बाहुल्य है। यह राज्य अपनी खनिज सम्पत्ति एवं विविध अन्यान्य औद्योगिक साधनों एवं सामग्री के बल पर आगामी कुछ ही वर्षों में देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन सकेगा। भूगर्भवेत्ताओं के विविध अन्वेषणों से यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि मध्यप्रदेश का दक्षिणी-पूर्वी भाग विशाल खनिज संसाधनों का क्षेत्र है, तथा प्रदेश के कुछ अन्य भागों में भी खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं।

मध्यप्रदेश की खनिज सम्पत्ति एवं उसके अन्य प्राकृतिक और औद्योगिक साधनों के परिणामस्वरूप ही दुर्ग जिले में भिलाई का विशाल लौह-इस्पात कारखाना स्थापित हो रहा है। उसी प्रकार भोपाल में बिजली की सामग्री के कारखाने की स्थापना किये जाने की योजना भी राज्य के औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से सक्षम होने का ही प्रमाण है। निम्न तालिका से नवगठित मध्यप्रदेश के प्रमुख खनिज द्रव्यों की खदानों की व उनमें काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है :—

तालिका क्रमांक ५३

प्रमुख खनिज पदार्थ

खनिज	*खदान संख्या (१९५६)	खदान संख्या (१९५३)	सेवानियोजित व्यक्तियों की संख्या (१९५३)
१	२	३	४
कोयला	६७	५२	३५,८५६
बॉक्साइट	६	६	३१७
फेल्सपर	२	३	अप्राप्य
फायर क्ले	२२	२	१६१
ग्रेफाइट	१	१	१०

खनिज	*खदान संख्या (१९५६)	खदान संख्या (१९५३)	सेवानियोजित व्यक्तियों की संख्या (१९५३)
१	२	३	४
कच्चा लोहा	३	१	१००
चूने का पत्थर	९७	३३	६,०६३
मैंगनीज	२७७	१६८	४२,२२२
अभ्रक	१	१	अप्राप्य
स्टेटाइट	१२	६	१५७
चीनी मिट्टी	९	९	अप्राप्य
हीरा	३	२	२,१६९
डोलामाइट	१	१	अप्राप्य
तांवा	१	१	,,
एसवस्टस	२	१	,,
केलसाइट	१	अप्राप्य	,,
सिलीका रेती	३	,,	,,
ओकर	३६	,,	,,

सूचना स्रोत:—मुख्य खान निरीक्षक की वार्षिक विज्ञप्ति, १९५३, धनवाद
*संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में लोहा, कोयला, मैंगनीज आदि की खदानें प्रचुर मात्रा में हैं। मैंगनीज पर तो मध्यप्रदेश का एक प्रकार से एकाधिकार-सा ही है। यह कहा जा सकता है कि राज्य में उपलब्ध मैंगनीज की खदानें मध्यप्रदेश ही नहीं देश की एक महती आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं तथा देश में औद्योगिक विकास के साथ ही साथ विदेशी विनिमय उपार्जन में भी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अगले पृष्ठ की तालिका में मध्यप्रदेश के खनिज-उत्पादन के समंक दिये गये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश विविध खनिज द्रव्यों के उत्पादन में क्रमशः प्रगति कर रहा है तथा प्रति-वर्ष राज्य का खनिज-उत्पादन बढ़ रहा है।

८४°
देश
क्षेत्रफल
७० मील
१४०
२१०
२४°
२४°

तालिका क्रमांक ५४

खनिज-उत्पादन

(वर्ष १९४९ से १९५४ तक)

खनिज	इकाई		१९४९	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४
१	२		३	४	५	६	७	८
कोयला ..	(टनों में) ..	..	२६,२६,१२५	३४,७८,०११	३५,९९,६०१	३९,३४,९३१	४१,५२,३६१	४३,२४,२१७
बॉक्साइट	(टनों में) ..	..	१५,५२१	२७,९७७	१३,५६७	१९,०९८	२५,२२३	२४,३६१
चीनी मिट्टी	(टनों में) ..	..	..	१२०	१,००५	१,३७३	२३,३०१	५१६
[illegible] ..	(टनों में) ..	..	३२५	७७४	५२०	७०७	१,५६६	१,५०१
[illegible]	(टनों में) ..	..	२८,५८१	३६,८३०	२६,७४४	३२,२३८	१२,८६३	१३,०२५
चूने का पत्थर	(टनों में) ..	..	६,६३,८०१	६,५४,१४०	७,०७,३०१	७,४७,९६०	८,७९,११७	११,००,२११
मैंगनीज ..	(टनों में) ..	..	२,३८,८६१	३,२०,६९७	३,८०,४५६	४,२८,२३७	५,७९,४०८	४,२६,८११
डोलोमाइट	(टनों में) ..	..	..	..	१३,१२८	३,५८७	१५,०८०	११,४४२
कच्चा लोहा	(टनों में) ..	..	..	..	..	१,३६८	३,६३६	१,१११
[illegible] ..	(हंड्रेडवेटों में)	..	३,०४३	८,६३०	७,३५६	८,७९२	६,७८०	४,१००
[illegible] ..	(हंड्रेडवेटों में)	..	४५,११३	३४,०००	२८,२३०	२६,४१२	३४,०२१	४२,६०१
हीरा ..	(कैरेटों में)	..	..	१,४८३	१,९७४	२,०५४	२,०२२	१,८००

सूचना स्रोत:—मुख्य खनन निरीक्षक, धनबाद की वार्षिक विज्ञप्तियां

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में खनिज-उत्पादन की वृद्धि क्रमशः हो रही है। वर्ष १९४९ में कोयले का उत्पादन २६,१६,१२५ टन था, जबकि वही उत्पादन वर्ष १९५४ में ४३,२४,२१७ टन हो गया। यह कोयला प्रदेश की उन खानों से निकाला गया है जो कि पहले से ही काम कर रही हैं। हाल में ही कतिपय नवीन कोयले की खानों की खोज हुई है तथा इससे राज्य की कोयला-उत्पत्ति के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सृजन होने जा रहा है। इसी प्रकार मैंगनीज, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी व हीरे आदि के उत्पादन में भी राज्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा इन बहुमूल्य खनिज द्रव्यों का उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है। निम्न तालिका में मध्यप्रदेश के विविध खनिजोद्योगों में सेवानियोजित व्यक्तियों के समंक प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि खनिजोद्योगों द्वारा राज्य में हजारों व्यक्तियों की रोटी की समस्या का समाधान हो रहा है:—

तालिका क्रमांक ५५

मुख्य खदानों में सेवानियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या

खदानें	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३
१	२	३	४	५	६
कोयला	२५,०१२	३३,२९७	३४,३८०	३४,८३३	३५,८५६
बॉक्साइट	२११	१,३२५	२१९	३८५	३१७
फायर क्ले	४८१	५८८	४७१	५०८	१६१
चूने का पत्थर	६,१२०	८,३९८	६,१२१	६,३३४	६,०६३
मैंगनीज	८,१४१	१२,८२१	१९,६३६	२९,३८०	४२,२२२
स्टेटाइट	३४२	२०९	१८०	१०९	१५७
ग्रेफाइट	४१	४२	२८	११	१०
कच्चा लोहा	..	..	..	५१	१००
हीरा	..	२,०२३	१,९३४	१,५५३	२,१६९

सूचना स्रोतः—मुख्य खदान-निरीक्षक, धनबाद की वार्षिक विज्ञप्तियां

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में खदानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः वृद्धि हो रही है। नवीन भू-सर्वेक्षणों के आधार पर निकट भविष्य मे ही सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, शहडोल एवं कोरबा की खदानों में अधिक कोयला-उपलब्धि की संभावनाएं हैं। साथ ही बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि जिलों में मैंगनीज, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, लोहा तथा डोलोमाइट जैसे बहुमूल्य खनिज बड़ी मात्रा में भूमिगत हैं। इन नवीन खनिज-क्षेत्रों के विकास से न केवल राज्य का खनिज-उत्पादन ही बढ़ेगा बल्कि अधिकाधिक व्यक्तियों को खनिजोद्योगों एवं उनपर आश्रित अन्य उद्योगों मे अधिकाधिक सेवानियोजन प्राप्त हो सकेगा। निम्न पंक्तियों मे राज्य मे उपलब्ध विविध खनिज द्रव्यों के उत्पादन परिमाण, खदानों की स्थिति व खनिजोत्पादन की भावी संभावनाओं का विवरण दिया गया है।

कोयला

कोयला मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति का मुख्य स्रोत है। मध्यप्रदेश में सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, छिंदवाड़ा एवं शहडोल की निकटवाली खदानें प्रदेश के कोयला-उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ की कोयले की खदानें जिनमें तातापानी, रामकोला, बीसमपुर, झिलमिली, सोनहार व कुरसिया सम्मिलित हैं, लगभग ८८० वर्गमील के क्षेत्र मे फैली है तथा इन खदानों मे अनुमानतः ९,५७० लाख टन कोयला सचित है। शहडोल जिले के अन्तर्गत बाधवगढ़ तहसील मे उमरिया, कोडाट, जटिला, नौरोजाबाद तथा सोहागपुर तहसील के धनपुरी, कोतमा, राजनगर, बुढ़ार तथा सोहागपुर में भी कोयले की सम्पन्न खदानें हैं। इंडियन माइन्स एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत आनेवाली खदानों की संख्या सन् १९५६ में ६७ थी। मध्यप्रदेश में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्रों को प्रमुखतः पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

(१) उत्तरी छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र

जिसमें तातापानी, रामकोला, झिलमिली (सरगुजा), सोनहट, झगराखंड, कुरसिया, कोरियागढ़ एवं बीसमपुर की कोयला खदानें सम्मिलित हैं।

(२) दक्षिणी छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र

जिसमें बिलासपुर जिले का कोरबा कोयला क्षेत्र तथा मांद नदी का क्षेत्र व रायगढ़ (रायगढ़ जिला) की कोयला खदानें सम्मिलित हैं।

उपरोक्त दोनों कोयला क्षेत्रों के मध्य सरगुजा जिले के लाखनपुर व रामपुर कोयला क्षेत्र भी आते हैं जिनमें कि बनसार, पंचमैनी, सेंदुरगढ़ तथा महासमुंद की खदानें सम्मिलित हैं।

(३) उत्तरी सतपुड़ा का मैदानी कोयला क्षेत्र

इसमें होशंगाबाद जिले का मोहपानी व गोटीतोरिया के कोयला क्षेत्र आते हैं।

(४) दक्षिणी सतपुड़ा का मैदानी कोयला क्षेत्र

जिसे कि पेंचघाटी कोयला क्षेत्र व कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तथा ये दोनों क्षेत्र छिंदवाडा जिले में स्थित हैं। इसी के अन्तर्गत तवा घाटी

के कोयला क्षेत्र भी आते हैं जो कि बैतूल जिले में स्थित हैं। इन क्षेत्र में पाथरखेड़ा, दुलहरा तवा, शाहपुर तवा व शाहपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र है।

(५) उमरिया, सोहागपुर व जहिला कोयला क्षेत्र

ये विन्ध्याचल के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। उमरिया, सोहागपुर तथा जहिला कोयला क्षेत्र में खदानें चालू हैं।

मध्यप्रदेश के कोयला भण्डारों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरगुजा जिले के तातापानी व रामकोला कोयला क्षेत्रों का विस्तार दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत हैं जो कि ३ मील चौड़ा व ४० मील लम्बा है तथा दूसरा भाग राजखेतरा के दक्षिणी ओर लगभग २५ मील लम्बा फैला है जिसका क्षेत्रफल लगभग १८० वर्गमील है। इसी प्रकार झिलमिली व कोरिया कोयला क्षेत्र में लगभग १,६०० से २,००० लाख टन कोयले का भण्डार अनुमानित किया गया है। मध्यप्रदेश की कोयला व लौह सम्पत्ति से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने विशाल इस्पात का कारखाना भिलाई में स्थापित किया है। राज्य में कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग इस दृष्टि से समृद्ध हैं किन्तु राज्य के उत्तरी जिले कोयले से वंचित हैं।

कच्चा लोहा

भारत सरकार के विविध भूगर्भ अनुसन्धानों से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के विविध भागों में कच्चे लोहे के अटूट भण्डार भरे पड़े हैं। मुख्यतः दुर्ग, बस्तर, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, निमाड़, देवास, धार, इन्दौर, राजपुर, मन्दसौर व ग्वालियर के निकट भागों में कच्चे लोहे के समृद्ध भण्डार अनुमानित किये गये हैं। दुर्ग जिले में अधिकांश लौह खदानें जिले के दक्षिण भाग में स्थित हैं तथा डाली-राजहरा लौह-क्षेत्र में अत्यन्त ही उत्तम प्रकार का लोहा उपलब्ध है जहां अनुमानतः १२,००,००,००० टन लोहे का भंडार भूमिगत है। बस्तर जिले में अनुमानतः १,३२,९०,००,००० टन लोहा भूमिगत है।

भूतपूर्व मध्यभारत के विविध भागों में सभी प्रकार का लोहा उपलब्ध है, जो कि प्रमुखतः विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, मन्दसौर, ग्वालियर, इन्दौर व झाबुआ जिलों में पाया गया है।

इनके अतिरिक्त जबलपुर, होशंगाबाद, नीमच, रतनपुर व रातपुर के पास भी कच्चे लोहे के भण्डारों का अनुमान किया गया है। वर्त्तमान दशा में उपरोक्त लौह-भण्डारों में से बहुत ही कम लोहे का उपयोग हो रहा है किन्तु निकट भविष्य में मध्यप्रदेश का औद्योगिक विकास होते ही प्रायः समस्त लौह-भण्डारों से खनिज-उत्पादन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जावेगा।

मैंगनीज

मध्यप्रदेश मैंगनीज के भण्डार के नाम से प्रसिद्ध है। यहां मैंगनीज न केवल अत्यधिक मात्रा में ही उत्पन्न होता है बल्कि उच्च कोटि का भी होता है। राज्य में मैंगनीज के मुख्य स्रोत बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा एवं झाबुआ में पाये जाते हैं। कतिपय छोटी-छोटी मैंगनीज की खदानों का पता बिलासपुर जिले के विभिन्न भागों में भी लगा है। उपरोक्त समस्त जिलों में वर्त्तमान खुली खदानों तथा भूगर्भस्थ मैंगनीज भण्डारों की दृष्टि से बालाघाट का जिला सर्वाधिक सम्पन्न है जहां कि

वर्ष १९५३ में लगभग ८ करोड़ रुपये के मूल्य का ५,१६,५५८ टन मैंगनीज निकाला गया था। निम्न सारिणी में मध्यप्रदेश के पांच प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों के वर्ष १९५३ व १९५४ के उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं जिनसे राज्य की मैंगनीज खदानों की उत्पादन-स्थिति प्रदर्शित होती है:—

तालिका क्रमांक ५६
मैंगनीज खदानों में उत्पादन
(१९५३-५४) (टनों में)

खदानें	१९५३	१९५४
१	२	३
बालाघाट	५,१६,५५८	३,९६,०९९
छिंदवाड़ा	३७,५४४	२४,९०२
झाबुआ	१६,०६१	५,०८५
जबलपुर	८,८४५	८०५
बिलासपुर	४००	..

सूचना स्रोत.—"इण्डियन मिनरल्स" भारत का भू-सर्वेक्षण भाग, १०, संख्या १

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में बालाघाट की मैंगनीज खदानों का ही उत्पादन वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक है तथा अन्य क्षेत्रों में मैंगनीज के सम्पत्तिशाली भण्डार होते हुए भी भूतत्वान्वेषण की कठिनाइयों एवं पूंजी सम्बन्धी कमी के कारण नयी खदानों से मैंगनीज नहीं निकाला जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में शक्ति-स्रोतों के विकास का प्रावधान रखा गया है, साथ ही राज्य के खनिजोद्योगों के विकास का भी प्रावधान रखा गया है जिनसे मैंगनीज के नये स्रोत उद्घाटित होने पर उत्पादन-वृद्धि की पूर्ण संभावना है। बालाघाट जिले में मैंगनीज की खदानें वैहर, बालाघाट तथा वारासिवनी तहसीलों में, छिंदवाड़ा जिले की सौंसर तहसील में तथा झाबुआ जिले में बड़वाहा तहसील एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पास हैं। धार जिले के काटकुट, कनार नदी, बरेल, भानर, कनार रतनगढ़, पोलिगाल व गोमिया कुंड आदि जंगली क्षेत्रों में भी मैंगनीज पाया जाता है। झाबुआ जिले में मैंगनीज की खदानें अलीराजपुर तहसील, जोबट तहसील, झाबुआ तहसील, थांदला तहसील व कजली डोंगरी, रंभापुर, पदमाली, नानपुरा, थनिकवाड़ा, झारली, नगरिया, नैकोट, देवीगढ़ तथा [illegible] गांवों में हैं। ग्वालियर जिले में भी मैंगनीज की खदानें पायी गई, किन्तु अभी उनका विकास नहीं हो पाया है तथा भूगर्भ-ज्ञान सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण खनिज पदार्थों को अधिक परिमाण में निकाला नहीं गया है।

चूने का पत्थर

चूने का पत्थर भी मध्यप्रदेश में बहुतायत से पाया जाता है तथा चूने के पत्थर के प्रमुख उत्पादन केन्द्र क्रमशः जबलपुर, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सतना, मुरैना, ग्वालियर, मन्दसौर, शिवपुरी एवं इन्दौर जिले हैं। जबलपुर जिले में चूने के पत्थर की अधिकांश खदानें कटनी व झुकेही के आसपास स्थित है, जहां से कैमोर के सीमेण्ट कारखानों तथा जबलपुर जिले के अन्य कारखानों को सम्पूर्ति होती है। साथ ही यहां से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा व देश के अन्य भागों में भी चूना भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंचल से यानी रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग जिले में चूने के पत्थर का क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट दोनों पाये जाते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों में चूने के भट्टे हैं। देवझार स्थल से भिलाई इस्पात योजना तक एक वर्ग मील भूमि पर अनुमानतः २,५०,००,००० टन उच्च कोटि का चूने का पत्थर जमा है। बिलासपुर जिले के हिर्री ग्राम में पाव वर्ग मील क्षेत्र में ४०,००,००० टन डोलोमाइट भी है।

मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों में तथा उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों में भी चूने का विस्तृत भण्डार है जिनमें ग्वालियर, मन्दसौर, झाबुआ व धार जिलों की खदानें अधिक सम्पन्न हैं। इन जिलों में चूने का पत्थर बाग, जोबट, अलीराजपुर, ग्वालियर, जौरा, नैगांव, मोरार, लहपुरा अरोरा, फसउली, उटीला व बड़वाह आदि स्थानों में पाया जाता है। हाल ही मे किये गये अनुसन्धानों से विदित हुआ है कि बड़वाह के निकट चूने के पत्थर का क्षेत्र लगभग ६२१ एकड़ क्षेत्र में फैला है जहां कि अनुमानतः २१,५०,००,००० टन चूने का पत्थर संचित है। मन्दसौर जिले में जावद, निंबाहेरा, चितौर, मुवाखेरा, खेरा, कन्डखा तथा बिसालवास आदि स्थानों में चूने का पत्थर संचित है जहां से कि मात्र मुवाखेरा में ५०,००,००० टन खनिज निकलने का अनुमान है तथा मुरैना, शिवपुरी तथा गुना जिलों में यह द्रव्य कैलारस, पालपुर, कुनुघाटी, बाकसपुरा, जवाहिरगढ़, गढ़ी, सिंगोली व बजरंगगढ़ आदि स्थानों में संचित है जहां से कि हजारों टन चूने का पत्थर सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सतना जिले में सतना तथा मैहर क्षेत्र में उच्च श्रेणी के चूने का पत्थर भूमिगत है। इस पत्थर के आधार पर सतना में एक सीमेण्ट कारखाना बन रहा है।

डोलोमाइट

यह भी चूने का ही एक प्रकार है तथा इस द्रव्य की उपलब्धि के प्रमुख केन्द्र जबलपुर जिले में कटनी, झुकेही, कैमोर, बिलासपुर जिले में परसोदा, जैरामनगर, खैरा, रामतोला, हरदी, रायपुर जिले में भाटापारा, पटमार (बलोदा बाजार रोड), झाबुआ में झाबुआ के आसपास के क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त सतना, रीवां, मैहर, सीधी, इन्दौर व ग्वालियर जिलों में भी अनेकों स्थलों पर डोलोमाइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है।

बॉक्साइट

बॉक्साइट अल्यूमिनियम निर्माण का मुख्य अंग है तथा इसका प्रयोग अशुद्ध मिट्टी के तेल के शोधन, दवा, रंग व विविध तेजाब बनाने के कारखानों में भी किया जाता है। मध्यप्रदेश का यह सौभाग्य है कि उसे बॉक्साइट के अमूल्य भण्डार जबलपुर, बालाघाट, रायगढ़, शहडोल, बिलासपुर, झाबुआ, शिवपुरी, गुना, विदिशा तथा मन्दसौर जिले के

सिवरीनारायण मन्दिर (विलासपुर जिला)

शिवमन्दिर, पाली (बिलासपुर जिला)

स्थान	अनुमानित संचित द्रव्य (टनों में)
१४. गुना जिला (भूतपूर्व म. भा.)	१५,०००
१५. इसारगढ़ नगर व समीपवर्ती क्षेत्र (भूतपूर्व म. भा.) ..	३०,०००
१६. विदिशा जिला (भूतपूर्व म. भा.)	१०,०००
	१४,०८४,७००

सूचना स्रोतः—(१) 'मिनरल्स इन मध्यप्रदेश' संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश शासन,

(२) "इकानॉमिक जिआलॉजी एण्ड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ़ मध्य-भारत"

(३) जिआलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बुलेटिन संख्या १०, भारत सरकार

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के पास बॉक्साइट जैसे अमूल्य खनिज की अपार सम्पत्ति है, तथा यह भण्डार प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। उपरोक्त समंक तो केवल उन क्षेत्रों की सम्पत्ति प्रकट करते हैं जहां कि आवश्यक अन्वेषण हो चुके हैं तथा जहां के संचय का आकलन हो चुका है। किन्तु इन भण्डारों के अतिरिक्त भी गुना, मन्दसौर, गिर्द, बालाघाट, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर आदि जिलों में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कि बॉक्साइट की खदानें पाई जाती हैं किन्तु इन खदानों से कितना बॉक्साइट निकाला जा सकेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

हीरा व जवाहरात

उपरोक्त कतिपय महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश का पन्ना जिला हीरे व बहुमूल्य रत्नों का अपूर्व भण्डार है। यहां के हीरे सम्पूर्ण देश में प्रसिद्ध हैं तथा प्रतिवर्ष लाखों रुपये के हीरे व बहुमूल्य रत्न पन्ना जिले की हीरा खदानों से निकाले जाते हैं। वर्ष १९५४ में इन खदानों से जो हीरे निकाले गये थे उनका मूल्य ४ लाख रुपये से भी अधिक था। मध्यप्रदेश में हीरे की खदानें भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश के पन्ना, चरखारी, बिजावर तथा अजयगढ़ क्षेत्रों में उपलब्ध हैं जहां कि सम्पूर्ण भारत का लगभग ९५ प्रतिशत हीरे का उत्पादन होता है। शेष ५ प्रतिशत उत्पादन मद्रास एवं अजमेर-मेवाड़ की खदानों से उपलब्ध होता है।

अगले पृष्ठ की सारणी में 'पन्ना डायमंड मायनिंग सिंडिकेट' द्वारा पिछले अठारह वर्षों में निकाले गये हीरा आदि जवाहरातों के विषय में जानकारी दी गई है जिससे ज्ञात हो सकेगा कि पन्ना स्थित हीरा खदानें राज्य की खनिज समृद्धि में अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि पन्ना की हीरा खदानों के उत्पादन में समय-समय पर घटबढ़ होती रही है किन्तु अब शासन का ध्यान भी देश की इन प्रमुख हीरा खदानों की ओर गया है तथा आशा है कि शीघ्र ही इन खदानों का विकास संभव हो सकेगा जिससे कि देश में हीरों जैसे बहुमूल्य द्रव्य की तो उपलब्धि बढ़ेगी ही साथ ही शासन की आय के स्रोतों में भी हीरा खदानों के कारण वृद्धि संभव हो सकेगी।

निम्न सारणी में मध्यप्रदेश के कतिपय महत्वपूर्ण खनिज-क्षेत्रों के उत्पादन का प्रचलित मूल्य दिया गया है:—

तालिका क्रमांक ५९

खनिज उत्पादन-क्षेत्र, परिमाण व मूल्य

खनिज	वर्ष	
	१९५३	१९५४
	मूल्य (रुपयों में)	मूल्य (रुपयों में)
१	२	३
१. एसबेस्टस—		
झाबुआ	३,०००	१,५००
२. बॉक्साइट—		
जबलपुर	३,३३,११५	२,६९,२५९
३. कोयला—		
बिलासपुर	..	..
कोरिया	..	..
पेंच घाटी	..	..
रायगढ़	..	..
रीवां	..	..
४. कोरण्डम—		
रीवां	६४,४१८	६१,४०२
५. हीरा तथा जवाहरात (कैरटों में)—		
पन्ना	५,६१,६२०	४,७४,३२६
६. फैल्सपर—		
छिन्दवाड़ा	७,२६०	१२,५४०
जबलपुर	४,८४०	१,४५८
७. ग्रेफाइट—		
बैतूल	३,३९०	२,०५०

खनिज	वर्ष १९५३ मूल्य (रुपयों में)	वर्ष १९५४ मूल्य (रुपयों में)
१	२	३
८. कच्चा लोहा——		
ग्वालियर	१५,०००	१८०
बालाघाट	६००	..
बिलासपुर	६०३	..
दुर्ग	२,०४०	..
जबलपुर	२३,१५५	..
मंडला	४१७	..
९. मैंगनीज——		
झाबुआ	२४,९८,४५५	७,०६,८१५
बालाघाट	८,००,६६,४९०	५,५०,५४,७०३
बिलासपुर	६२,०००	..
छिन्दवाड़ा	५८,१९,३२०	३४,६१,३७८
जबलपुर	१३,७०,९७५	१,११,८९५
१०. गेरू——		
बैतूल	९२	..
होशंगाबाद	१,५२०	१,५३०
जबलपुर	२३,१५०	५२,१६४
सतना	७१,१४१	१,१७,०२५
११. सैलीमनाइट——		
रीवां तथा सतना	४४,०००	१६,०००
१२. स्टेटाइट——		
जबलपुर	९९,८६०	१,४१,०२१
१३. संगमरमर (टाल्क)——		
जबलपुर	१,०१,८६६	१,०७,९२७
१४. फायर क्ले व सफेद क्ले——		
जबलपुर	२,७३,३१०	२,९६,६८२
१५. सिलिका रेती——		
जबलपुर	२,६६१	..

सूचना स्रोतः—(१) "इण्डियन मिनरल्स"
(२) जिआलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, खण्ड १०, भाग १
(३) संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश विविध औद्योगिक खनिज द्रव्यों में सम्पन्न है तथा ये द्रव्य राज्य के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में केन्द्रित न होकर विविध भागों में फैले हुए हैं। इस तरह मध्यप्रदेश में विविध खनिज द्रव्यों पर आधारित उद्योग-धंधों का विकास राज्य के विविध भागों में विकेन्द्रित पद्धति पर हो सकता है। अनेक भागों में लोहा, कोयला, मैंगनीज व बॉक्साइट एक ही क्षेत्र में या आसपास प्राप्त होने के कारण इन द्रव्यों पर आधारित उद्योगों के शीघ्र विकास की संभावनायें हैं। मध्य-प्रदेश के विशाल शक्तिस्रोत व खनिज संसाधन उसकी भावी औद्योगिक समृद्धि के प्रतीक हैं। आशा है राज्य के विविध खनिज स्रोतों को देखते हुए शीघ्र ही मध्यप्रदेश में लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना एवं अन्य विविध औद्योगिक मिट्टियों पर आधारित उद्योगों का विकास हो सकेगा तथा राज्य के बहुमूल्य खनिज भण्डार राज्य की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के माध्यम सिद्ध हो सकेंगे।

निम्न सारिणी में नवगठित मध्यप्रदेश के कतिपय महत्वपूर्ण खनिज द्रव्यों के उत्पादन के पिछले तीन वर्षों के सूचनांक दिये गये हैं जिससे ज्ञात होता है कि हमारे प्रदेश में नवीन अनुसन्धानों व औद्योगिक साहस के परिणामस्वरूप क्रमशः वर्ष-प्रति-वर्ष खनिज उत्पादन में वृद्धि हो रही है :—

तालिका क्रमांक ६०

खनिज उत्पादन के सूचकांक

(आधार वर्ष १९५०=१००)

खनिज	१९५१	१९५२	१९५३
१. कोयला	१०३	११३	११९
२. बॉक्साइट	४८	६८	९०
३. फायर क्ले	७३	८८	३५
४. चूने का पत्थर	१०८	११४	१३४
५. मैंगनीज	११९	१३४	१८१

सूचना स्रोतः—मुख्य खदान निरीक्षक, धनबाद की वार्षिक विज्ञप्तियाँ

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष १९५१ में हमारे प्रदेश में कोयला, बॉक्साइट, फायर क्ले, चूने का पत्थर व मैंगनीज के उत्पादन के सूचनांक क्रमशः १०३, ४८, ७३, १०८ व ११९ थे किन्तु १९५२ में उत्पादन में वृद्धि के कारण यही सूचनांक क्रमशः ११३, ६८, ८८, ११४ व १३४ हो गये। आगे चलकर इन महत्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के उत्पादन में और भी वृद्धि हुई है (केवल फायर क्ले छोड़कर) जिनके कि प्रतीक १९५३ के सूचकांक हैं जो क्रमशः ११९, ९०, ३५, १३४ व १८१ के अंक प्रदर्शित करते हैं। खनिज उत्पादन के ये समृद्धिशाली समंक हमारे भावी

औद्योगिक विकास के चरण-चिह्न हैं। हाल ही में रूसी खनिज विशेषज्ञों द्वारा मध्यप्रदेश की कोरबा कोयला खदानों का अनुसन्धान किये जाने पर उन्होंने कहा है कि कोरबा की कोयला खदानों का समुचित विदोहन करने पर उन खदानों से १९६०-६१ तक लगभग ४० लाख टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जा सकेगा। इस समय कोरबा की कोयला खदानों में से दो खदानों पर कार्य चल रहा है तथा विश्वास किया जाता है कि १९५८ तक कोरबा क्षेत्र में विस्तृत रूप से कोयला खनन कार्य आरंभ हो जायगा जिनमें यंत्रीकरण की विधियों को प्रयुक्त किया जायगा ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक लक्ष्य निर्देशित उत्पादन (४० लाख टन प्रति वर्ष) प्राप्त किया जा सके।

भिलाई का इस्पात उद्योग

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश की विकास योजनाओं के लिए सन् १९६० तक हमें ४५ लाख टन तैयार इस्पात की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पर देश में विकास कार्यों की प्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि देश की आवश्यकता निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक होगी। इस समय जो उद्योग इस क्षेत्र में कार्यशील थे उनसे केवल २४ लाख टन तैयार इस्पात ही प्राप्त हो सकता था। इसके पश्चात् लगभग २१ लाख टन तैयार इस्पात की और आवश्यकता पड़ती। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सरकार ने देश में तीन इस्पात के कारखाने खोलने का निर्णय किया है। ये तीन कारखाने क्रमशः भिलाई (मध्यप्रदेश), रूरकेला (उड़ीसा) एवं दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में स्थापित हो रहे हैं। उपर्युक्त तीनों कारखाने देश की बढ़ती हुई इस्पात की मांग की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार हम इन्हें राष्ट्र-निर्माण के भावी आधार-स्तंभ की संज्ञा भी दे सकते हैं। भिलाई एवं उसके आसपास का क्षेत्र इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है कि सहज ही में यहां पर यह उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में इस्पात उद्योग की कहानी प्रारंभ होती है सन् १८८२ से जब देश के महान् उद्योगपति श्री जमशेदजी ताता ने चांदा में लोहे का कारखाना स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने इस क्षेत्र का पूर्णरूप से सर्वेक्षण किया तथा इस क्षेत्र में भूगर्भित लोहे, कोयले एवं मैंगनीज के विशाल भंडार ने उन्हें यहां पर इस्पात उद्योग प्रारंभ करने को प्रेरित किया; पर तत्कालीन सरकार की उदासीनता से उन्हें कोई प्रोत्साहन न मिल सका।

सन् १९४४ में भारत सरकार ने देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक नये इस्पात के कारखाने की स्थापना का निश्चय किया एवं तदनुसार सलाह देने के लिए आयरन एण्ड स्टील (मेजर) पैनल की स्थापना की। पैनल ने देश में उपलब्ध कच्चे लोहे के संबंध में आंकड़े एकत्रित किये तथा देश में बढ़ती हुई इस्पात की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देश में ५ लाख टन वार्षिक उत्पादन-क्षमतावाले कम-से-कम दो इस्पात के कारखाने स्थापित किये जावें। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि मध्यप्रदेश राज्य इन कारखानों में से एक के लिए उपयुक्त स्थान दे देगा; पर तत्कालीन सरकार द्वारा इस संबंध में उपस्थित कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सका था।

२ फरवरी १९५५ को भारत सरकार ने सोवियत संघ की सरकार से भिलाई में एक इस्पात कारखाने की स्थापना हेतु प्रारंभिक समझौता किया। इस समझौते में

यशवन्त सागर सायफन, इन्दौर

महू (इन्दौर जिला) से लगभग ४ मील दूर सुरम्य जलप्रपात
पातलपानी की रेखानुकृति

जिनकी मुख्य शर्तें थीं कि सोवियत सरकार भिलाई में एक इस्पात का कारखाना स्थापित करने में भारत सरकार की सहायता करेगी तथा इस कारखाने की स्थापना हेतु आवश्यक यंत्रादि एवं प्रौद्योगिक ज्ञान की पूर्ति भी सोवियत सरकार करेगी। साथ ही सोवियत सरकार लगभग ७०० भारतीयों को रूस में लोहे, इस्पात एवं खनिज उद्योगों में प्रशिक्षण देगी। ये विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त कर भिलाई उद्योग में कुशलता-पूर्वक कार्य कर सकेंगे। सोवियत सरकार साख के आधार पर कारखाने के लिए उपर्युक्त आवश्यक सामग्री देगी जिसका भुगतान १२ वार्षिक किस्तों में किया जायगा। ब्याज की दर २॥ प्रतिशत निर्धारित की गई है।

फरवरी १९५६ में सोवियत विशेषज्ञों ने ३५ खंडों में विभक्त अपना विस्तृत प्रति-वेदन भारत सरकार के स्वीकारार्थ प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में प्रस्तुत नवीन सर्वेक्षण के फलस्वरूप कारखाने की उत्पादन-क्षमता जो पहले १० लाख टन निर्धारित की गई थी, बढ़ाकर १३ लाख टन कर दी गई। समस्त योजना का निर्माण इस प्रकार होगा कि भविष्य में इसकी उत्पादन क्षमता २५ लाख टन वार्षिक तक बढ़ाई जा सकेगी। साथ ही सोवियत विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि पूर्व निर्धारित दो भट्टियों के स्थान पर तीन भट्टियां स्थापित की जायें ताकि समय-समय पर अन्य भट्टियों की सफाई हो सके एवं समय-असमय किसी एक भट्टी के खराब हो जाने पर दूसरी भट्टी से काम लिया जा सके। भारत सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार करके कुछ संशोधनों के साथ इसे ८ मार्च १९५६ को स्वीकार कर लिया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अनुसार भिलाई इस्पात उद्योग का समस्त पूंजी-व्यय ११० करोड़ रुपये होगा। सोवियत सरकार को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपलक्ष्य में २.५ करोड़ रुपये की राशि तथा सामग्री, यंत्र एवं अन्य प्रौद्योगिक सहायता आदि के लिए ६३ करोड़ रुपये की राशि प्रदत्त की जायगी। पहले इसपर लगभग ४३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था। देश के साधनों द्वारा ही जिन सामानों की पूर्ति की जावेगी तथा भिलाई में जो यांत्रिक कार्य होगा उसका मूल्य अनुमानतः ४७ करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार सेवाओं की लागत न जोड़ने पर ही समस्त राशि का योग ११० करोड़ रुपये होता है। ११० करोड़ रुपये की इस राशि में सोवियत विशेषज्ञों तथा भिलाई में कार्य करनेवाले भारतीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं है।

इस्पात का यह कारखाना भिलाई में स्थापित किये जाने का कारण यह है कि भिलाई के निकटवर्ती क्षेत्रों में वे सब सुविधाएँ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हैं जिनकी आवश्यकता इस्पात उद्योग की स्थापना एवं विकास में सहायक है। ये सुविधाएं निम्न-लिखित हैं:—

(१) उपयोगी खनिज पदार्थ.—इस्पात निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही उनकी उपलब्धि निकट के ही क्षेत्रों से होनी आवश्यक है क्योंकि दूर से खनिज पदार्थ लाने में यातायात-व्यय अधिक होता है। इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों में कच्चा लोहा, कोयला फायर-क्ले, बॉक्साइट, मैंगनीज, फेल्सपर, सिलीका, टंगस्टन आदि मुख्य हैं। इनमें प्रायः सभी खनिज पदार्थ न्यूनाधिक मात्रा में भिलाई के आसपास अथवा राज्य के अन्य भागों में उपलब्ध हैं।

कच्चा लोहा—इस्पात उद्योग की मुख्य एवं आधारभूत वस्तु कच्चे लोहे की प्राप्ति है। भिलाई से लगभग ५० मील दक्षिण की ओर डल्ली = राजहरा पर्वत = श्रणियों में उत्तम श्रणी क कच्चे लोहे की खदाने है। इस क्षेत्र में १,१४० लाख टन कच्चे लोहे के संचय का अनुमान लगाया गया है। डल्ली = राजहरा क्षेत्र के लगभग ३० मील दक्षिण में राजघाट का क्षत्र है जहां ८,००० लाख टन कच्चा लोहा भूगर्भित है। इसके कुछ ही दूर दक्षिण में वालादित्ता क्षत्र है जहां ६,००० लाख टन स भी अधिक उत्तम श्रेणी क कच्चे लोह का संचय बताया जाता है। इस प्रकार इस्पात उद्योग क सबस महत्वपूर्ण कच्चे माल अर्थात् कच्चे लोहे में यह राज्य सम्पन्न है।

राजहरा क्षत्र की खदानों में पाय जानवाल कच्चे लोहे का रासायनिक परीक्षण करने पर उसमें विभिन्न पदार्थ निम्नलिखित प्रतिशत में पाय गय हैं:—

लोहा	६८ स ६९ प्रतिशत तक
फास्फोरस	०.०५ प्रतिशत
गंधक	०.०६ ,,
मैंगनीज	०.१४ ,,
सिलिका	०.०६ ,,

कोयला—कोयला इस्पात उद्योग क लिए दूसरा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है तथा वह भी प्रदेश मे प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है। पेंचघाटी, कन्हान और कोरबा के कोयला-क्षेत्रों में लगभग ६६० लाख टन से भी अधिक कोयले के संचय का अनुमान है। यह कोयला यद्यपि इस्पात उद्योग की दृष्टि स रानीगंज एवं झरिया क कोयले जैसा उत्तम नहीं कहा जा सकता पर फिर भी उसे वैज्ञानिक रीतियों द्वारा लोहे की भट्टियों में प्रयुक्त करने क लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। राज्य के भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग न अनुसंधान द्वारा पता लगाया है कि यदि गोरेदेवा और कन्हान क कोयले को तीन और एक के अनुपात में वैज्ञानिक रीतियों द्वारा मिश्रित किया जावे तो औद्योगिक उपयोग क लिए अच्छा कोक तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुमान लगाया गया है कि इस राज्य में ५,००० एकड़ के क्षेत्र में २७२ लाख टन उत्तम कोकिंग कोल और ५२.५ लाख टन उत्तम स्टीम कोल क संचय हैं। कोयल की समीपता के कारण कोयला कारखान तक कम व्यय पर लाया जा सकता है।

फायर क्ले—फायर क्ले गोरेदेवा (कोरबा कोयला क्षेत्र) क ३ मील दक्षिण में उपलब्ध है। यह क्षेत्र लचमी इन्तानाला क आसपास ही है जहां इस धातु की लगभग ५०० गज लम्बी तह जमी है। कोरबा कोयला क्षेत्र के आसपास भी फायर क्ले पाया जाता है।

बॉक्साइट—बॉक्साइट राज्य क महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों में स एक है। यह जबलपुर जिले की कटनी तहसील में, बालाघाट जिले की बैहर तहसील में और कोरबा कोयला क्षत्र क आसपास प्रचुर मात्रा में संचित है। इसके अतिरिक्त मंडला एवं सिवनी क आसपास भी बॉक्साइट के कुछ संचय होने का अनुमान है। केवल जबलपुर जिले के ही जिन बॉक्साइट संचयों का पता लग चुका है उनमें ५० से ६० लाख टन उत्तम

श्रेणी का बॉक्साइट प्राप्त हो सकता है। राज्य के अन्य भागों में भी बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में संचित है तथा वहां से भिलाई को सुगमता से उपलब्ध हो सकता है।

चूना एवं डोलोमाइट—कच्चे लोहे से इस्पात-निर्माण की क्रिया में चूने का पत्थर व डोलोमाइट दो प्रधान सहायक वस्तुएं हैं। चूने का पत्थर व डोलोमाइट आसपास के क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाता है। अनुमान है कि राज्य के १,५०० वर्गमील के क्षेत्र में लगभग ११० लाख टन उपर्युक्त वस्तुओं के संचय हैं।

मैंगनीज़—मैंगनीज-उत्पादन में मध्यप्रदेश सर्वोपरि है। प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत-श्रेणियों में उत्तम प्रकार के मैंगनीज के भंडार हैं। ये भंडार बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में फैले हुए हैं। यह क्षेत्र लगभग १२८ मील लम्बा तथा २० मील चौड़ा है। जबलपुर जिले में भी मैंगनीज की कुछ खदानें हैं। अनुमान है कि बिलासपुर, मंडला तथा बस्तर जिलों में भी मैंगनीज के कुछ भंडार हैं। मैंगनीज बालाघाट जिले के उकवा, कटेझिरिया, मरबोली, नेदरा, कटंगझिरी, रामारामा, बोटेझिरी, कोचेवाही, सेलवा, जाम, चिकमारा, पोनिया, तिरोड़ी, सुकली, सीतापाथर, मिरगपुर, हटोड़ा और गर्वा में, छिंदवाड़ा के गोबर वर्धाना, बुदकुम-गोटी, सीतापुर और कच्छीना में पाया जाता है।

(२) जल—भिलाई में औद्योगिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि भिलाई की जनसंख्या के रखाने का कार्य प्रारंभ होने पर २ लाख हो जायगी। हाल में दुर्ग के वर्तमान नलघर से पानी की पूर्ति की जायगी। इसके अतिरिक्त मरोड़ा बांध नं. २ का निर्माण-कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस बांध से इस्पात कारखाने के यंत्र को ठंडा रखने के जलाशय में जिसे मरोड़ा बांध नं. १ कहा जायगा, पानी भेजा जायगा। मरोड़ा बांध नं. २ में पेय जल को साफ करने के लिए जो यंत्र लगाया जारहा है वह प्रतिदिन ७० लाख गैलन पेय जल की पूर्ति कर सकेगा।

१० लाख टन इस्पात प्रति वर्ष तैयार करने के लिए लगभग २ अरब घनफुट पानी की आवश्यकता होती है। यह जलपूर्ति ६,७१,२०,००,००० घनफुट क्षमतावाले तांदुला बांध से की जायगी। ३,१८,७०,००,००० घनफुट क्षमता का गोंदली बांध भी इस्पात कारखाने की जलपूर्ति में सहायता देगा। इस्पात कारखाने के समीप ही मरोड़ा बांध नं. २ बनाया जा रहा है जिससे जलाशय में २० करोड़ घनफुट पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। कारखाने के यंत्रों को ठंडा रखने के लिए मरोड़ा बांध नं. १ में जलपूर्ति मरोड़ा बांध नं. २ से की जायगी।

(३) विद्युत्-शक्ति—भिलाई की औद्योगिक एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कोरबा में कोयला से चालित एक ९० मेगवाटवाले विद्युत्-गृह का निर्माण किया जायगा। इसमें से ६० मेगवाट विद्युत्-शक्ति इस्पात कारखाने में ही आवश्यक होगी तथा शेष समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों एवं नागरिक आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध हो सकेगी। कोरबा में कोयले की सुगमता से उपलब्धि के कारण यहां का विद्युत्-उत्पादन-व्यय अपेक्षाकृत कम होगा। मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल द्वारा ६,००० किलोवाट शक्ति के प्रारंभिक विद्युत्-गृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(४) यातायात—भिलाई बंबई-कलकत्ता मुख्य रेल लाइन पर स्थित है। साथ ही विजगापट्टम बंदरगाह से इसका प्रत्यक्ष संबंध है अतः यहां से माल के लाने व लेजाने की अच्छी सुविधाएँ प्राप्त हैं। कच्चा माल लाने के लिए भिलाई से डल्ली-राजहरा तक ६० मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुर्ग से कोरबा (बिलासपुर) तक दुहरी लाइन डालने की योजना भी रेलवे द्वारा शीघ्र कार्यान्वित होने की आशा है। साथ ही भिलाई क्षेत्र में माल के परिवहन के लिए १६ रेल को लाइनों का निर्माण-कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इनमें से दो बनकर तैयार हो चुकी हैं।

(५) श्रम—भिलाई एवं उसके आसपास के क्षेत्र में मुख्य धंधा कृषि है। यह क्षेत्र अभीतक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। इस उद्योग के प्रारंभ होने से यहां सस्ता श्रम उचित मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही यहां के निवासियों को इस उद्योग में कार्य मिल जाने से उनका जीवन-स्तर भी ऊपर उठ सकेगा।

(६) अन्य सुविधाएँ—भिलाई के आसपास विस्तीर्ण भूक्षेत्र है। साथ ही यहां की भूमि कड़ी है तथा बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए उपयोगी है। अभी छत्तीसगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। इस्पात उद्योग के स्थापित होने पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग व धमतरी में कई नये सहायक उद्योगों का प्रादुर्भाव होगा जो यहां की औद्योगिक उन्नति के परिचायक होंगे।

प्रारंभिक उत्पादन-क्षमता

भिलाई कारखाने की प्रारंभिक उत्पादन-क्षमता १० लाख टन इस्पात प्रति वर्ष तैयार करने की है पर इसका निर्माण इस प्रकार किया जायगा कि क्रमशः इसकी वार्षिक उत्पादन-शक्ति २५ लाख टन तक बढ़ाई जा सके। कारखाने में प्रमुख रूप से निम्नलिखित परिमाण में वस्तुएँ निर्मित की जावेंगीः—

	टन
रेल की पटरियां	१,००,०००
स्लीपर बार	९०,०००
निर्माण के काम में आनेवाला भारी सामान	१,७५,०००
व्यापारिक छड़ें	२,३५,०००
रीरोलिंग के लिए ब्लेड्स	१,५०,०००
कुल योग ..	७,५० ०००

३१ दिसम्बर १९५८ तक तीन कोक ओवन बैटरियां, दो ब्लास्ट फर्नेस, दो ओपन अर्थ फर्नेस और एक ब्लूमिंग मिल के तैयार हो जाने की आशा है। कारखाने के अन्य आवश्यक यंत्र एवं उपकरण आदि ३१ दिसम्बर १९५९ तक तैयार होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे।

प्रमुख विभाग

भिलाई इस्पात कारखाने के निम्नलिखित प्रमुख उत्पादन के अंग रहेंगे:—

(१) कोक की विशाल भट्टी।

(२) एक ब्लास्ट फर्नेस प्लांट और उससे संबंधित कारखाना।

(३) इस्पात गलाने का प्लांट।
(४) लोहे के इनगॉट की कास्टिंग, हैंडलिंग और स्ट्रिपिंग की व्यवस्था।
(५) सोकिंग पिट्स।
(६) विभिन्न लौह व इस्पात उत्पादनों की रोलिंग मिलें व प्लांट्स।
(७) सिंटरिंग प्लांट।
(८) भिलाई कारखाने तथा वस्ती के लिए जल, विद्युत् एवं गैस के निर्माण तथा पूर्ति के लिए विभिन्न विभाग।
(९) उप-उत्पादन के उपयोग के लिए सहायक यंत्रादि।
(१०) मरम्मत व अन्य कार्यों के लिए ऑक्जीलियरी शॉप्स।

कार्य की प्रगति—भिलाई में इस्पात के कारखाने की विभिन्न मशीनों के निर्माण हेतु मास्को में "भारतीय इस्पात मिल निर्माण कार्यालय" की स्थापना की गई है। यह कार्यालय सोवियत संघ के ३३ विभिन्न संघीय एवं जनतंत्रीय मंत्रालयों के साथ सम्पर्क रखकर निर्माण संवंधी सभी प्रश्नों को एक सूत्र में बांधता है। इस कार्यालय के अंतर्गत कार्य करनेवाले विभिन्न यांत्रिकों ने ३३८ प्रकार के डिजाइन तैयार किये हैं। साथ ही प्रत्येक यंत्र की आकृति एवं रूप-रेखा तैयार करते समय भारतीय जलवायु एवं परिस्थितियों का विशेष रूप में ध्यान रखा गया है। भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त कई नये प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है तथा अवशिष्ट यंत्रों में आवश्यकतानुसार सुधार किया जारहा है। कुछ मुख्य यंत्रों का, जिनकी स्थापना इस उद्योग में होगी, विवरण निम्न प्रकार है:—

ब्लूमिंग मिल—यह इस्पात के कारखाने की मुख्य मिल होगी। ब्लूमिंग मिल दस टन वजन तक के धातु-पिंडों को दवाकर धातु के ऐसे डले तैयार करेगी जिनके परिच्छेद का क्षेत्रफल ४०० वर्ग सेण्टीमीटर होगा। साथ ही यांत्रिकों के एक दल ने विद्युत् द्वारा स्वचालित धातु-पिंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जानेवाले एक मौलिक यंत्र की रूप-रेखा तैयार की है। एक दूसरे दल ने इन यंत्रों में तेल देने की एक जटिल यंत्र-व्यवस्था की रूप-रेखा भी तैयार की है।

रेल की पटरियां तैयार करने का प्लांट—रूसी यांत्रिक श्री गियार्गी रिवमिच के नेतृत्व में यांत्रिकों के एक दल ने रेल की पटरियां एवं अन्य उपयोगी सामान तैयार करने के लिए एक यंत्र की रूप-रेखा तैयार की है। इस यंत्र की विशेषताएं निम्न हैं:—इसमें चार रोल स्टैंड हैं। यह २,५०० और ५,००० अश्व-शक्ति की चार शक्तिशाली विद्युत् मोटरों से चलाया जाता है। यह मशीन एक मीटर लम्वाई में ४४.६ किलोग्राम वजनवाली विभिन्न आकृतियों की बेलित धातु और रेल की पटरियां वनाने के लिए तैयार की गई है। यह चौड़ी एवं साधारण ओंठवाली धन्नियां भी तैयार करेगी।

रोलिंग मिल—भिलाई इस्पात उद्योग के लिए मास्को के केन्द्रीय मशीन निर्माण डिजाइन कार्यालय में दो रोलिंग मिलों की रूप-रेखा तैयार की गई है। इनमें से पहली ५०—१७० मिलीमीटर परिच्छेद की इस्पात की विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं के उत्पादन के लिए है। दूसरी मिल जो कि शेपिंग मिल है, २२—७६ मिलीमीटर तक के गोल

परिच्छेदवाली धातु की वस्तुएं तैयार करने के लिए हे। ये दोनों ही यंत्र अत्यंत कार्यक्षम एवं स्वचालित पद्धति पर चलनेवाले हैं। इनके अतिरिक्त ३५० टन तक भार उठाने-वाली एक क्रेन की रूपरेखा भी तैयार की गई है।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इस कारखाने की रूप-रेखा तैयार करते समय भारतीय जलवायु का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है तथा व्यवस्था इस प्रकार की की जायगी कि कर्मचारीवर्ग को अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सके। उदाहरणार्थ कार-खाने की खिड़कियां इस ढंग की बनाई जावेंगी कि सूर्य की तेज गरमी एवं वर्षा से अच्छी तरह से बचाव हो सके। इमारतें ईंटों की रहेंगी एवं तापक्रम के अनुकूल रंग से पोती जावेंगी। सोवियत यांत्रिकों ने कारखाने के सभी गरम विभागों में वायु को ठंडा रखने की विशेष व्यवस्थाओं का प्रबंध किया है जिसके कारण तापमान सामान्य स्तर पर रहेगा ताकि श्रमिक गरमी और घुटन का अनुभव नहीं करेंगे।

रूसी एवं भारतीय उच्च अधिकारियों के लिए ३० भवनों का निर्माण हो चुका है। इन भवनों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीमेंट एवं अन्य सामान के रखने के लिए १५ लाख रुपये की लागत से गोदामों का निर्माण भी जारी है। मुख्य कारखाने से ३ मील दूर भिलाई में कार्य करनेवालों के लिए एक नगर का निर्माण किया जा रहा है। इस नगर को इस्पात कारखाने से उत्पन्न भीषण गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए कारखाने एवं नगर के मध्य १ मील चौड़ी हरित शृंखला (GREEN BELT) का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में वृक्ष लगाये जावेंगे। वृक्षारोपण का कार्य मध्यप्रदेश वन-विभाग की ओर से प्रारम्भ हो चुका है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भविष्य में भिलाई न केवल मध्यप्रदेश वरन् सम्पूर्ण देश के औद्योगिक स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। इस उद्योग से इस प्रदेश की अपरिमित उन्नति होगी। साथ ही भिलाई भावी भारत की समृद्धि एवं रूसी-भारतीय सहयोग का प्रतीक होगा।

यातायात

आज का आर्थिक युग उत्पादित पदार्थ के विनिमय हेतु यातायात के साधनों पर ही निर्भर रहता है; अतएव देश क आर्थिक विकास में यातायात का बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है। आज हमारा देश जब राष्ट्रीय नवनिर्माण की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वय में कटिबद्ध है, आधिक्यवाले स्थान से अभाववाले स्थल तक आवश्यकीय वस्तु पहुंचाने के लिए सुसंगठित सुनियोजित यातायात प्रणाली का महत्व स्वयंसिद्ध है। आधुनिक युग में यातायात के साधनों ने इस द्रुतगति से प्रगति की है कि समय तथा दूरी दोनों ही महत्वहीन हो गये हैं। यातायात एवं परिवहन के साधनों ने सारे विश्व को मानों एक बड़े नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी जनसम्पर्क में सहायक होने की दृष्टि से यातायात के साधनों ने अपूर्व सेवा की है।

मध्यप्रदेश का देश में विस्तार की दृष्टि से दूसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से सातवां क्रम है। विपुल प्राकृतिक एवं आर्थिक साधनों से युक्त इस राज्य में यदि सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली की व्यवस्था हो जाय तो यह राज्य देश की अर्थव्यवस्था में गौरवशाली स्थान प्राप्त कर सकेगा। चारों इकाइयों के विलीनीकरण से जिस नवगठित मध्यप्रदेश की रचना हुई है उसमें पहाड़ी भू-भाग भी काफी है जिससे न केवल रेलमार्गों का निर्माण-व्यय असाध्य होता है, बल्कि सड़कों के निर्माण में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य की यातायात-संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए उसके विविध साधनों का सारभूत उल्लेख निम्न प्रकार से है:—

रेलमार्ग

आज के युग में यातायात के प्रमुख साधनों में रेलमार्गों का प्रेक्षणीय स्थान है। इस साधन ने भारत के सामाजिक-आर्थिक जीवन में क्रांति ही उपस्थित करदी है किन्तु रेल-सुविधाओं की दृष्टि से मध्यप्रदेश उतना समृद्ध नहीं है जितने कि देश के उत्तर-प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब आदि अन्य राज्य हैं। यद्यपि राज्य के ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर आदि प्रमुख नगर रेलमार्गों द्वारा देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रों से जुड़े हुए हैं तथापि अभी विन्ध्यप्रदेश तथा बस्तर जैसे क्षेत्रों के अनेक स्थान रेलमार्गों द्वारा अगम्य हैं।

राज्य के कतिपय प्रमुख रेलमार्गों का विवरण इस प्रकार है:—मद्रास से बैतूल, इटारसी, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर होता हुआ दिल्ली; नागपुर से प्रारम्भ होकर इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना आदि स्थानों से होते हुए इलाहाबाद; इलाहाबाद से सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा व भुसावल होते हुए बम्बई; कटनी से बीना तथा बीना-गुना-कोटा रेलमार्ग प्रदेश के विभिन्न भागों को देश के विविध उत्तरीय क्षेत्रों से जोड़ता है। राज्य के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर व रायगढ़ आदि नगर दक्षिण-पूर्वी रेलवे लाइन पर नागपुर से कलकत्ता जानेवाले रेलमार्ग पर स्थित हैं। इन प्रमुख रेलमार्गों के अतिरिक्त राज्य में लघ्वन्तर (Narrow Gauge)

तथा मानान्तर (Meter Gauge) श्रेणी के भी रेलमार्ग हैं। मानान्तर रेलमार्ग में खंडवा से इन्दौर, रतलाम आदि स्थानों पर जानेवाला रेलमार्ग प्रमुख है। छिंदवाड़ा से मंडला, ग्वालियर से शिवपुरी, श्योपुर तथा भिंड, उज्जैन से आगर तथा बालाघाट से जबलपुर जानेवाले रेलमार्ग लघ्वन्तर रेलमार्गों की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान रेलमार्गों की अपर्याप्तता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में पटरियों का जाल-सा बिछाने की दिशा में भी केन्द्रीय सरकार सजग है।

इस समय मध्यप्रदेश का परिवहन तीन रेल प्रशासनों से होता है —

(१) मध्य रेलवे:—इसके द्वारा राज्य के अधिकांश उत्तरी, उत्तरी-पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिणी-पश्चिमी भाग में यातायात होता है।

(२) दक्षिणी-पूर्वी रेलवे:—इसके द्वारा रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग तथा शहडोल जिलों सदृश पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी प्रदेशों में यातायात होता है।

(३) पश्चिमी रेलवे:—इसके द्वारा रतलाम, मन्दसौर, इन्दौर, उज्जैन तथा नागदा सदृश उत्तरी-पश्चिमी भागों में यातायात होता है।

सम्पूर्ण रूप से यदि राज्य की रेलमार्ग-संबंधी स्थिति की चर्चा की जाय तो कहा जा सकता है कि यद्यपि राज्य के अधिकांश प्रमुख नगर रेलमार्गों द्वारा संबद्ध है, किन्तु फिर भी राज्य का काफी बड़ा भाग यातायात की इस सुविधा से वंचित है। अनेक कारणों से राज्य के रेलवे विस्तार में वैसी प्रगति नहीं हो पाई है जैसी कि आर्थिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित है। इस अभाव के प्रमुख कारण निःसंदेह राज्य के पार्वत्य भू-भाग के कारण लगनेवाला अधिक व्यय, आर्थिक दृष्टि से विकसित नगरों का अभाव तथा पर्याप्त साधनों की कमी ही है। किन्तु राज्य के इस अभाव ने केन्द्रीय सरकार का यथोचित ध्यान आकृष्ट किया है। फलस्वरूप नवनिर्माण एवं विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योजना आयोग ने राज्य के रेल यातायात की प्रगति के लिए पर्याप्त बल दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों की क्षमता-वृद्धि की दिशा में तथा यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएँ देने की दिशा में केन्द्रीय सरकार काफी सजग रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आशाप्रद लक्ष्य तथा भिलाई इस्पात उद्योग के स्थापित किये जाने से रेलों द्वारा अगम्य क्षेत्रों में भी रेलों की सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

इस प्रसंग में राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव भी विचारणीय हैं। रेलमार्गों की अपर्याप्तता देखते हुए आयोग ने व्यक्त किया है कि मध्यप्रदेश में रेलमार्गों की अवश्य ही वृद्धि करनी होगी। इसीलिए आयोग ने जबलपुर को ललितपुर और झांसी से संबद्ध करने का मत अभिव्यक्त किया है। इसके फलस्वरूप जबलपुर से मध्य रेलवे व दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर चुने हुए दो स्थानों को नये रेल मार्गों द्वारा मिला देने से तथा विन्ध्यप्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जानेवाला एक नया रेल मार्ग बना देने से मध्य-प्रदेश की रेल द्वारा यातायात व आवागमन की स्थिति वर्तमान काल की अपेक्षा अधिक सन्तोषजनक हो सकेगी। रेलमार्गों के समुचित विकास की परमावश्यकता देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्वालियर

से शिवपुरी, गुना तथा आगर होते हुए उज्जैन जानेवाले एक नवीन रेलमार्ग के निर्माण किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सतना और रीवां तथा बस्तर व धमतरी या राजनांदगांव को रेल द्वारा संलग्न करने का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। इन विचाराधीन रेलमार्गों के निर्माण किए जाने से राज्य के चार उत्तरी जिलों (ग्वालियर, शिवपुरी गुना तथा उज्जैन) का एक-दूसरे से संबंध हो जायगा और बस्तर के लिए नितांत आवश्यकीय रेलमार्ग का निर्माण भी हो सकेगा। इस प्रकार सभी ओर से आवश्यकीय बल दिये जाने के कारण यातायात के साधनों में प्रमुख स्थान रखनेवाले इस साधन के समुचित विकास के दिन अब दूर नहीं हैं।

सड़क यातायात

यातायात के प्रमुख साधनों में सड़क द्वारा किये जानेवाले आवागमन का भी प्रेक्षणीय स्थान है। जे० बेन्हम के शब्दों में "सड़कें किसी भी राज्य की धमनियां व रक्तशिराएँ हैं, जिनमें से सुधार संचारित होते हैं।" मध्यप्रदेश में रेल यातायात की तुलना में सड़कों का विकास अधिक हो सकता है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष १९५०-५१ तथा १९५५-५६ में नगरपालिका के अन्तर्गत सड़कों के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न घटकों में सड़कों की लम्बाई दर्शायी गयी है।

तालिका क्रमांक ६१

नगरपालिका सड़कों के अतिरिक्त सड़कों की लम्बाई

(३१ मार्च १९५६ तक)

(मीलों में)

घटक	१९५१		१९५६	
	कच्ची	पक्की	कच्ची	पक्की
१	२	३	४	५
*पूर्व मध्यप्रदेश ..	५,५९४	६,४६७	४,७२८†	९७,००†
मध्यभारत ..	२३४	४,०१५	२०८	४,५९७
विंध्यप्रदेश ..	१,११९	१,११७	१,२८७‡	१,३६८‡
भोपाल	४८६	४२५	५७२	५७६

* महाकोशल तथा विदर्भ के पृथक् समंक अनुपलब्ध हैं

† समंक प्रावधिक हैं

‡ समंक सन् १९५४ से संबंधित हैं

सूचना स्रोत:—'रोड फैक्ट्स ऑफ इण्डिया'—परामर्शयंत्री (सड़क विकास), यातायात मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ३१ मार्च १९५६ तक पूर्व मध्यभारत के क्षेत्रों में ४,५९७ मील लम्बी पक्की सड़कें तथा २०८ मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं।

सन् १९५१ की तुलना में सन् १९५६ में यहां पक्की सड़कों की लम्बाई में ५८२ मील की वृद्धि हुई। भोपाल में भी सन् १९५६ में ५७६ मील लम्बी पक्की सड़कें व ५७२ मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं। सन् १९५१ की तुलना में सन् १९५६ में भोपाल क्षेत्र की पक्की व कच्ची सड़कों की लंबाई में क्रमशः १५१ मील व ८६ मीलों की वृद्धि हुई। सन् १९५४ के समंकों के अनुसार विन्ध्यप्रदेश में १,३६८ मील लम्बी पक्की सड़के व १,२८७ मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं। सन् १९५१ की तुलना में सन् १९५४ में विन्ध्यप्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई में २५१ मील एवं कच्ची सड़कों की लम्बाई में १६८ मील की वृद्धि हुई है। महाकोशल के तत्संबंधी पृथक् समंक अप्राप्य हैं किन्तु समष्टि रूप से पूर्व मध्यप्रदेश के समंकों को देखने से ज्ञात होता है कि सन् १९५६ में वहां कुल क्रमशः ७,९०० व ४,०२८ मील लम्बी पक्की व कच्ची सड़कें थीं। सन् १९५४ के समंकों के अनसार पूर्व मध्यप्रदेश के विदर्भ क्षेत्र में पक्की व कच्ची सड़कों की लम्बाई क्रमशः २,४६३ मील व ४११ मील थी। इस प्रकार अनुमानतः सन् १९५६ में महा-कोशल क्षेत्र में लगभग ५ हजार मील लम्बी पक्की व लगभग ४ हजार मील लम्बी कच्ची सड़कें होंगी। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि नवगठित राज्य में कच्ची सड़कों की अपेक्षा पक्की सड़कें ही अधिक हैं।

देश के अन्य राज्यों की तुलना में सड़क यातयात की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य, उत्तरप्रदेश व वम्वई जैसे समतल तथा आर्थिक सुसम्पन्न राज्यों की भांति समृद्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण यहां का प्राकृतिक ढांचा ही है। विन्ध्या तथा सतपुड़ा के पहाड़ी भागों एवं पठारों तथा घने एवं अगम्य वनों के कारण राज्य में सड़क-निर्माण के कार्यों में सदा ही विघ्न उपस्थित होता रहा है किन्तु फिर भी राज्य में सड़कों का निर्माण-कार्य अनेक राज्यों से अधिक हो सका है।

राज्य के राष्ट्रीय राजपथों में आगरा से बम्बई जानेवाला राष्ट्रीय राजपथ, जो कि मध्यभारत क्षेत्र में ५०० मील तक उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, सर्वप्रमुख है। इसके अतिरिक्त राज्य में अन्य राजपथ भी हैं। १ नवम्वर १९५६ तक के समंकों के अनुसार राज्य के विभिन्न राजपथों की लंबाई १,२६९ मील है। राज्य के राष्ट्रीय राजपथों की यदि देश के विभिन्न राज्यों से तुलना की जाय तो कहा जा सकता है कि उत्तरप्रदेश, वम्वई तथा आंध्र राज्यों को छोड़कर देश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राज-पथ मध्यप्रदेश में ही है। निम्न तालिका में देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई का दिग्दर्शन किया गया है :—

तालिका क्रमांक ६२

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई

(१ नवम्वर १९५६ तक)

(मीलों में)

राज्य	लम्वाई
१	२
१. मध्यप्रदेश	१,२६९
२. वम्वई	२,३८६

राज्य	लम्बाई
१	२
३. आंध्र प्रदेश	१,४१०
४. विहार	१,१७३
५. मद्रास	१,०७३
६. उड़ीसा	८५१
७. आसाम	७९६
८. पंजाव	७६९
९. पश्चिमी वंगाल	७२२
१०. मैसूर	५२५
११. राजस्थान	४७०
१२. जम्मू एवं काश्मीर	३२४
१३. केरल	२४८
१४. उत्तरप्रदेश	१,३९०
राज्यों का योग ..	१३,४०६
भारत का योग ..	१३,८००

सूचना स्रोत:—परामर्श यंत्री (सड़क विकास), यातायात मंत्रालय, सड़क विभाग, भारत सरकार

सड़कों के परिवहन विकास का संकेत वे वाहन भी देते हैं जो कि राज्य में चालू हैं। वर्ष १९५४-५५ में मध्यप्रदेश में १२,५८९ मोटर गाड़ियां थीं। राज्य में प्रति एक लाख जनसंख्या पीछे मोटरगाड़ियों की व्यवस्था भी देश के कुछ राज्यों से अधिक हो सकी है। वर्ष १९५४ में मध्यप्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पीछे ४८ मोटरगाड़ियों की व्यवस्था थी- जवकि उत्तरप्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पीछे ४४, विहार में ३८, मैसूर में ३४ तथा उड़ीसा में ४२ थी।

सम्पूर्ण रूप से यदि सड़क यातायात की चर्चा की जाय तो राज्य में यातायात की सुविधाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां आवश्यकीय प्रगति नहीं हो सकी है। इसका प्रमुख कारण राज्य का प्राकृतिक ढांचा ही है। राज्य की पक्की सड़कों में २ अधिकांश राष्ट्रीय राजपथ हैं अथवा नगरपालिकाओं तथा लोककर्म विभाग द्वारा निर्मित हैं। पक्की सड़कें या तो रेल-मार्गों की पूरक हैं अथवा राजपथों और कस्बों तथा ग्रामों को जोड़ने के हेतु वनाई गई हैं। अभी कुछ वर्षों में राज्य की वस सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सड़कों के निर्माण की दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है। किन्तु फिर भी आज ग्रामों की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। पक्की सड़कों के अभाव में ग्रामीण जनता को विशेषत: वर्षा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; तथापि कहीं-कहीं जनता ने ही श्रमदान द्वारा सड़कें तैयार की हैं और कहीं-कहीं सरकारी प्रयत्नों से भी ये कठिनाइयां हल की गई हैं। वैसे ही राज्य में पर्यटन सुविधा हेतु यातायात के साधनों में प्रगति आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की

दृष्टि से भी नवीन राज्य में परिवहन-प्रगति की अत्यधिक आवश्यकता है। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए आशा की जा सकती है कि इस अवधि में सड़क परिवहन में पर्याप्त उन्नति हो जायगी।

वायु यातायात

आधुनिक युग में वायु यातायात ने विश्व के स्थानों को इतने पास ला दिया है कि अब स्थानों की दूरी मीलों में नहीं बल्कि घंटों में नापी जाती है। पिछले वर्षों में यातायात के साधनों के रूप में वायुयान द्वारा की जानेवाली सेवाओं से स्पष्ट है कि वायुमार्ग आधुनिक यातायात प्रणाली के लिये अपरिहार्य हैं। राज्य में भोपाल, ग्वालियर तथा इन्दौर में नागर विमानतल हैं जो कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास, नागपुर आदि प्रमुख नगरों से सम्बद्ध हैं।

राज्य में यातायात व्यवस्था-संबंधी उक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि यद्यपि मध्यप्रदेश राज्य में परिवहन सुविधा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य होना शेष है, किन्तु आशा है कि निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सत्प्रयासों से राज्य की प्रशासन-क्षमता-वृद्धि हेतु गुणकारी तथा प्रभावोत्पादक यातायात प्रणाली का प्रादुर्भाव होगा जो कि न केवल राज्य के सुदूरतर स्थानों को संबंधित कर सकेगी बल्कि राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के हेतु कारणीभूत होगी।

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजपथ
(१ नवम्बर १९५६ को)
(मीलों में)
३,०००
२,०००
१,०००
०
बम्बई
आंध्रप्रदेश
उत्तरप्रदेश
मध्यप्रदेश
बिहार
मद्रास
उड़ीसा
आसाम
पंजाब
पश्चिमी बंगाल

व्यापार एवं वाणिज्य

व्यापार एवं वाणिज्य राज्य की आर्थिक अवस्था के सूचनांक कहे जा सकते हैं जिनकी प्रगति पर राज्य की आर्थिक समृद्धि भी निर्भर करती है। व्यापार एवं वाणिज्य का उत्कर्ष निश्चय ही राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता का परिचायक होता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व मध्यप्रदेश व्यापार में यद्यपि काफी पिछड़ा हुआ रहा है तथापि अब राज्य के व्यापारिक क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है।

नवगठित मध्यप्रदेश में कच्चे माल का विपुल भंडार है, जो हमारे लिये बहुमूल्य सम्पत्ति व व्यापारिक प्रगति का मुख्य साधन है। सीमेंट, सूती कपड़े और कांच के सामान आदि औद्योगिक उत्पादनों और तिलहन सदृश कृषि-उत्पादनों का भी राज्य की व्यापार-व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

निम्न तालिका में दिए गए समंकों से नवगठित मध्यप्रदेश के प्रमुख निर्यातों संबंधी स्थिति का अनुमान हो सकता है:—

तालिका क्रमांक ६३

प्रमुख निर्यात

(हजार मनों में)

प्रमुख वस्तुएं	भूतपूर्व मध्यप्रदेश		मध्यभारत, भोपाल एवं विन्ध्यप्रदेश	
	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५१-५२	१९५२-५३
१	२	३	४	५
जानवरों की हड्डियाँ ..	२५५	१०५	१४२	५७
सीमेंट	६,०९३	५,५३२	१,१९९	९०२
कोयला एवं कोक ..	३७,८७४	३७,७३३	१२,२३५	११,५८४
रंग	७७४	४६६	९८	१५७
कांच	४७	३५	१४	६

प्रमुख वस्तुएं	भूतपूर्व मध्यप्रदेश		मध्यभारत, भोपाल एवं विन्ध्यप्रदेश	
	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५१-५२	१९५२-५३
कच्चा चमड़ा ..	४७	४०	८	८
कच्ची त्वचा ..	५४	४४	१७	२०
पका हुआ चमड़ा एवं त्वचा	५	७	२	४
कच्चा जूट	२	१	१	,
लोहे की छड़ें एवं चादरें	५९४	५४९	१०४	२०१
लाख व चपड़ा ..	३३०	२०७	२४	२३
मेंगनीज	१६,२१८	२१,८३४	२७७	६१०
कपास	३,१२०	३,८८१	२३९	३५१
मूंगफली	२५२	९३	६०	९१
तिल	४६०	६३६	१०७	२०३
घी	४	२	२	२
शक्कर	२७	६५	५८	६४
चाय	१२५	८३	११	९
तम्बाखू	२३	१२	१४	१२
इमारती व जलाऊ लकड़ी	४२३	२६०	३	१२
ऊन	२	३	१०	११

सूचना स्रोतः—अकाउन्ट्स रिलेटिंग टू दी इनलैंड (रेल एण्ड रिवरबोर्न) ट्रेड ऑफ इंडिया

टिप्पणी.—उपर्युक्त तालिका में मध्यप्रदेश संबंधी आंकड़े सम्पूर्ण भूतपूर्व मध्यप्रदेश के निर्यात के हैं। महाकोशल के समंक अलग से अप्राप्य हैं

मध्यप्रदेश में होनेवाले निर्यात में उक्त प्रमुख वस्तुओं के अतिरिक्त सूती व रेशमी कपड़े, पशुओं के सींग, हर्रा, खाद्यान्न, दूध एवं खली आदि वस्तुओं का भी निर्यात होता है।

निर्यात के अतिरिक्त राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात भी करना पड़ता है। राज्य के आयात व्यापार में जूट के सामान, शक्कर, लोहे की चादरें, तेल, तम्बाखू और सूती कपड़ों का स्थान विशेष उल्लेखनीय है।

निम्न तालिका से नवगठित मध्यप्रदेश की प्रमुख आयातसंबंधी स्थिति का अनुमान किया जा सकता है:—

तालिका क्रमांक ६४

प्रमुख आयात

(हजार मनों में)

प्रमुख वस्तुएं	भूतपूर्व मध्यप्रदेश		मध्यभारत, भोपाल एवं विन्ध्यप्रदेश	
	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५१-५२	१९५२-५३
१	२	३	४	५
जानवरों की हड्डियां ..	१	१	१२	९
सीमेंट	८३	१९६	५८३	८५३
कोयला एवं कोक ..	१०,००४	११,३४३	१४,०५३	१२,८९४
रंग	११	२	१	१
कांच	४४	४८	२५	२२
कच्चा चमड़ा ..	२	५	४	५
कच्ची त्वचा ..	२	३	२	३
कच्चा जूट ..	२	२	..	..
लोहे की छड़ें व चादरें	१,३७३	१,१७०	७२०	५०६
लाख व चपड़ा ..	१	९	१	२
मेंगनीज	..	२	..	..

प्रमुख वस्तुएं	भूतपूर्व मध्यप्रदेश		मध्यभारत, भोपाल एवं विन्ध्यप्रदेश	
	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५१-५२	१९५२-५३
१	२	३	४	५
मूंगफली	२२७	३९	१९	८
पक्का चमड़ा एवं त्वचा	९	८	९	७
तिल	१५	३६	३	१२
घी	१	३	..	..
शक्कर	१,१५६	१,३८६	६०६	६५०
चाय	१३८	५५	४०	३५
तम्बाखू	२२३	१६१	९४	८४
इमारती व जलाऊ लकड़ी	१४	११०	१२	६
ऊन	२	२	१	४
रबर	६	४	..	..

सूचना स्रोतः—अकाउन्ट्स रिलेटिंग टू दी इनलैंड (रेल एन्ड रिवरबोर्न) ट्रेड ऑफ इंडिया

टिप्पणी—उपर्युक्त तालिका में मध्यप्रदेश विषयक आंकड़े सम्पूर्ण भूतपूर्व मध्यप्रदेश के आयात के हैं। महाकोशल के मनके अलग से अप्राप्य हैं।

उपर्युक्त पदार्थों के अतिरिक्त राज्य में पशुओं, कॉफी, सूखे मेवे, अनाज, फल व चमड़े का सामान आदि वस्तुओं का भी आयात होता है।

उक्त दोनों तालिकाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में आयात की अपेक्षा निर्यात की मात्रा अधिक है और निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में अधिकांशतः कच्चा माल ही रहता है किन्तु यदि राज्य में ही इसे निर्मित-माल में परिणत किया जा सके तो राज्य की अधिक प्रगति हो सकेगी। राज्य के व्यापार की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि हम जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उन्हींका आयात भी करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे राज्य में आयात की जानेवाली वस्तुएं या तो अपेक्षाकृत

कम अच्छे किस्म की होती है अथवा कच्चे माल के निर्यात करने के उपरान्त हम उसी माल को पक्के अथवा सुधरे हुए रूप में आयात करते हैं।

वाणिज्य विकास में खनिज पदार्थों व बड़े उद्योगों के अतिरिक्त कुटीर-उद्योग भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर कुटीर-उद्योग भी सफलता-पूर्वक चल रहे हैं। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग की पूर्ण प्रगति तभी संभव है जब कि राज्य में बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों का पूर्ण विकास हो तथा निर्मित-माल का अधिकाधिक निर्यात हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में उद्योगों के विकास पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। उनके विकास के परिणामस्वरूप निर्मित माल का बाहुल्य संभव हो सकेगा तथा निश्चय ही हम व्यापार एवं वाणिज्य में द्रुतगति से विकास कर समृद्धि का पथ प्रशस्त कर सकेंगे।

सहकारिता आन्दोलन

सहकारिता मानव-जीवन का मूल मंत्र है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में यह धारणा बन गई है कि जो व्यक्ति जीवन की दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते उनके लिये संसार में कोई स्थान नहीं है किन्तु यदि मानव एवं समाज के अविच्छिन्न संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में एक मानव दूसरे पर इस प्रकार आश्रित है कि विना सहकारिता के कोरी प्रतिस्पर्धा से उनका काम नहीं चल सकता। केवल नैतिक दृष्टि से ही सहकारिता समाज के लिये उपादेय नहीं है बल्कि आर्थिक जगत में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारिता आन्दोलन कृषि एवं उद्योगों के विकास एवं पारस्परिक सहायता के उच्च आदर्श के माध्यम से विपणन की सुव्यवस्थित पद्धतियों में वृद्धि कर अपने सदस्यों को उच्च भौतिक प्रगति के साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अतएव किसी भी देश के आर्थिक कल्याण के लिये सहकारिता अपरिहार्य है। मध्यप्रदेश में भी सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के लिये काफी क्षेत्र है। राज्य में वर्ष १९५४-५५ के समंकों के अनुसार १८,१५१ सहकारी समितियां हैं, जिनके ५,८७,५१७ व्यक्ति सदस्य हैं तथा जिनकी अंशपूंजी १,०६,४८,१०१ रुपये है। विभिन्न सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता तथा अंशपूंजी आदि का विश्लेषण करनेवाली निम्नलिखित तालिका में राज्य की सहकारी समितियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है:—

तालिका क्रमांक ६५

सहकारी समितियां—संख्या, सदस्यता एवं पूंजी
(१९५४-५५)

समितियां	कृषि		गैर कृषि	
	साख	गैर-साख	साख	गैर-साख
१	२	३	४	५
संख्या	१६,०४९	७०२	४३५	९६५
कुल संख्या में प्रतिशत	८८.४	३.९	२.४	५.३

समितियां	कृषि		गैर कृषि	
	साख	गैर-साख	साख	गैर-साख
१	२	३	४	५
सदस्यता	४,०१,२४१	६९,८५५	६०,२८४	५६,१३७
कुल सदस्यता में प्रतिशत	६८.३	११.९	१०.३	९.५
अंशपूंजी (रु. में) ..	५९,२७,८२१	११,२२,६४६	२०,२१,५८६	१५,७६,०४८
कुल अंशपूंजी में प्रतिशत	५५.७	१०.५	१९.०	१४.८
संचित कोष एवं अन्य निधि (रु. में)	७६,७६,५६२	९,१२,६७९	११,५२,५७९	११,११,२०५
कुल निधि में प्रतिशत	७०.८	८.४	१०.६	१०.२
क्रियाशील पूंजी (रु. में)	५३,८,५३,४८८	५४,३२,६८१	१,२५,४२,६७३	६४,४२,२७१
कुल क्रियाशील पूंजी में प्रतिशत	६८.६	७.०	१६.१	८.३
वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण (रु. में)	३,२७,८१,८४०	५३,४९,२०५	५७,८७,८०८	२१,६१,८७१
वर्षान्तर्गत दिये गये कुल ऋण में प्रतिशत	७१.१	११.६	१२.६	४.७

टिप्पणी:—महाकोशल के समंक वर्ष १९५५-५६ से संबंधित हैं।

सूचना स्रोत:—(१) भारत में सहकारी आन्दोलन विषयक सांख्यिकीय तालिका १९५४-५५, रिजर्व बैंक आफ इंडिया

(२) भूतपूर्व मध्यप्रदेश के सहकारी विभाग के सहकारिता संबंधी प्रतिवेदन

(३) पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश ने सहकारी आन्दोलन के लाभकारी परिणामों को समझकर इसकी सफलता के लिये यथासंभव सहयोग दिया गया है। राज्य में कुल १८,१५१ सहकारी समितियां थीं, जिसमें से कृषि साख समितियों की संख्या सर्वाधिक (८८.४ प्रतिशत) थी; किन्तु गैर-कृषि साख समितियों की संख्या सबसे कम (२.४ प्रतिशत) थी। राज्य की सहकारी समितियों की सदस्यता संबंधी आंकड़े भी उत्साहवर्धक कहे जा सकते हैं। उपरनिर्दिष्ट वर्ष में ही राज्य की कुल १८,१५१ सहकारी समितियों के ५,८७,५१७ सदस्य थे। इनमें से कृषि साख समिति के ६८.३ प्रतिशत, कृषि-गैर-साख समितियों के ११.९ प्रतिशत, गैर-कृषि साख समितियों के १०.३ प्रतिशत तथा गैर-कृषि-गैर-साख समितियों के ९.५ प्रतिशत सदस्य थे। तालिका में उल्लिखित अंशपूंजी संबंधी आंकड़े राज्य की सहकारी समितियों की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के परिचायक हैं। वर्ष १९५४-५५ में राज्य की विभिन्न सहकारी समितियां १,०६,४८,१०१ रुपये की अंशपूंजी से अपना कार्य करती थीं जिसमें से अधिक योग-दान कृषि समितियों से ही प्राप्त हुआ था। यदि राज्य की सहकारी समितियों में लगी हुई अंशपूंजी में विविध प्रकार की सहकारी समितियों की प्रतिशतता विपयक चर्चा की जाय तो कहा जा सकता है कि कुल अंशपूंजी में कृषि साख समितियों ने ५५.७, कृषि गैर-साख समितियों ने १०.५, गैर-कृषि साख समितियों ने १९.० तथा गैर-कृषिगैर-साख समितियों ने १४.८ प्रतिशत सहयोग दिया था। समितियों के संचित कोष एवं अन्य निधियां, क्रियाशील पूंजी एवं वर्षान्तिर्गत दिये हुए ऋण की मात्रा भी आर्थिक नीति तथा स्थिति की द्योतक है। वर्ष १९५४-५५ में राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों का १,०८,५३,०२५ रुपये संचित कोष एवं अन्य निधिकोष, ७,७८,७१,११३ रुपये क्रिया-शील पूंजी तथा ४,६०,८०,७२४ रुपये वर्षान्तिर्गत दिया हुआ ऋण था, जिसमें कि कृषि साख समिति का सर्वाधिक रुपया क्रमशः ७०.८, ६८.६ तथा ७१.१ प्रतिशत सम्मिलित था।

यदि राज्य की कृषि तथा गैर-कृषि सहकारी समितियों का तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो स्पष्ट है कि यहां सभी दृष्टि से कृषि सहकारी समितियां ही अधिक सफल रही हैं। इसके पश्चात् यदि साख और गैर-साख समितियों के समंकों का तुलनात्मक निरीक्षण किया जाय तो विदित होता है कि राज्य ने अधिक मात्रा में साख सिद्धांत को ही अपनाया है।

राज्य के सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर प्रकाश डालने हेतु मध्यप्रदेश राज्य से अन्य राज्यों के तुलनात्मक समंक भी उपयोगी होंगे। इसी उद्देश्य से अधोलिखित तालिका में सन् १९५१-५२ की देश के कुछ राज्यों की जिन पर राज्य पुनर्गठन का प्रभाव नहीं पड़ा है अथवा नगण्य है, सहकारिता संबंधी स्थिति दर्शायी गई है:—

तालिका क्रमांक ६६
कुछ राज्यों में सहकारी समितियां
(१९५१-५२)

	संख्या		सदस्यता		अंशपूंजी	
	संख्या	भारत की कुल सहकारी समितियों की संख्या में प्रतिशत	सदस्यता	भारत की कुल सहकारी सदस्यता में प्रतिशत	अंशपूंजी (रुपयों में)	भारत में कुल सहकारी अंशपूंजी में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
ध्यप्रदेश	१४,९१६	८.०	४,३६,०११	२.८	७,३७०	१.३
त्तरप्रदेश	३६,५२२	११.७	३०,८३,०८१	१३.५	४३,४१६	१०.१
बिहार	१५,९१६	८.६	७,२४,९१४	४.६	१०,२४९	२.१
श्चिमी बंगाल	१५,६६८	८.४	१०,००,३७०	६.३	३१,१५७	६.३
ड़ीसा	५,५५३	३.०	३,१४,२१५	२.०	७,०११	१.२
ासाम	२,९१०	१.६	२,६७,२७०	१.७	५,०१३	१.०
भारत का योग	१,८५,६५०	१००.०	१,५७,८३,५७१	१००.०	४,१०,८१६	१००.०

सूचना स्रोत:—(१) भारत का सांख्यिकीय संक्षेप—१९५२-५३
(२) पंजीयक, सहकारी समितियाँ, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में वर्ष १९५१-५२ में १४,९१६ सहकारी समितियां कार्यरत थीं जबकि उत्तरप्रदेश और बिहार में क्रमशः ३६,५२२ एवं १५,९९६ तथा उड़ीसा व आसाम में क्रमशः ५,५५३ तथा २,९१० समितियां थीं। यदि भारत की कुल सहकारी समितियों में राज्यों के इस सहयोग को प्रतिशतता द्वारा स्पष्ट किया जावे तो कहा जावेगा कि भारत की कुल सहकारी समितियों में मध्यप्रदेश ने ८.० प्रतिशत योगदान दिया था जबकि उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल ने क्रमशः १९.७ तथा ८.४ प्रतिशत सहयोग प्रदान किया था। इसी प्रकार सदस्यता तथा अंशपूंजी के संबंध में भी मध्यप्रदेश की स्थिति मध्यम है।

सहकारी समितियों के प्रकार

सामान्य रूप से सहकारी समितियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है—कृषि तथा गैर-कृषि। इसके अतिरिक्त इनका विभाजन साख और गैर-साख समितियों में भी किया गया है। इस प्रकार हमें प्रमुखतः चार प्रकार की सहकारी समितियां दृष्टिगत होती हैं:—

(१) कृषि समितियां—(अ) साख, (ब) गैर-साख।

(२) गैर-कृषि समितियां—(अ) साख, (ब) गैर-साख।

कृषि समितियां

प्रायः ऐसा देखा गया है कि अपनी आवश्यकतानुसार ही प्रत्येक देश ने सहकारिता को अपनाया है। इंग्लैंड में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को आश्चर्यजनक सफलता मिली है। फ्रांस में उत्पादक सहकारी समितियों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। इटली में जहां श्रमजीवी सहकारी समितियां अधिक सफल हुई हैं, वहां डेनमार्क ने सहकारिता का उपयोग कृषि के लिये किया है। देश की ही भांति कृषि-प्रधान राज्य मध्य-प्रदेश में भी कृषि संबंधी सहकारी समितियों का स्थान सर्वोपरि है। ये कृषि समितियां दो प्रकार की होती हैं—साख और गैर-साख—जिनमें से साख समितियां अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। भारतीय कृषकों की निर्धनता तथा अशिक्षा और महाजन का भयंकर ऋण उन्हें महाजन का क्रीतदास बना देता है। इसलिये कृषि साख समितियों की स्थापना से ही वे इस कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। इन समितियों के सदस्य वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो कृषि द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करते हों तथा एक ही ग्राम के निवासी हों। इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को साख सुविधायें प्रदान करना तथा मित-व्ययता को प्रोत्साहित करना रहता है। किन्तु कृषि-क्षेत्र में गैर-साख समितियों का महत्व भी कम नहीं है। ये समितियां मुख्यतः चकबंदी, बीज तथा खाद की पूर्ति से संबंधित रहती हैं। फलस्वरूप भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के निर्धन कृषकों की अनेक कृषि संबंधी समस्याओं को इन समितियों ने हल कर दिया है। गैर-कृषि साख समितियों से न केवल सस्ते मूल्य पर उत्तम बीज एवं खाद की व्यवस्था हो सकी है बल्कि छोटे भूखंडों का एकीकरण किये जाने से भूमि का अपव्यय भी रोका जा सका है।

मध्यप्रदेश राज्य में भी यथासंभव कृषि (साख और गैर-साख) समितियों की स्थापना की गई है। वर्ष १९५४-५५ में राज्य में इस प्रकार की कुल १६,७५१ समितियां थीं जिनके ४,७१,०९६ सदस्य थे तथा जो ७,०५,४६७ रुपये की अंशपूंजी से अपना कार्य

करती थीं। अधोलिखित तालिका द्वारा राज्य की कृषि समितियों की प्रगति का चित्र उपस्थित किया गया है:—

तालिका क्रमांक ६७

सहकारी कृषि समितियां

(१९५४-५५)

	सदस्यता			अंशपूंजी		संचित कोष एवं अन्य निधि		क्रियाशील पूंजी		वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण	
समितियों के प्रकार	संख्या	सदस्यता	प्रति समिति पीछे औसत सदस्यता	अंशपूंजी (रु. में)	प्रति सदस्य पीछे अंश पूंजी (रु.)	संचित कोष (रु.)	प्रति सदस्य पीछे संचित कोष (रु.)	क्रियाशील पूंजी (रु.)	प्रति समिति पीछे क्रियाशील पूंजी (रु.)	वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण (रु.)	प्रति सदस्य वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण (रु.)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
साख	१६,०४९	४,०१,२४१	२५	५९,२७,८२१	१५	७६,७६,५६२	१९.१	५,३४,५३,४८८	३,३३१	३,२७,८१,८४०	८१.७
गैर-साख	७०२	६९,८५५	१००	११,२२,६४६	१६	९,१२,६७९	१३.१	५४,३२,६८१	७,७३९	५३,४९,२०५	७६.६
योग	१६,७५१	४,७१,०९६	२८	७०,५०,४६७	१५	८५,८९,२४१	१८.२	५,८८,८६,१६९	३,५१५	३,८१,३१,०४५	८०.९

टिप्पणी :—महाकोशल के समंक सन् १९५५-५६ के हैं

सूचना स्रोत:—तालिका क्रमांक ६९ के अनुसार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में कृषि गैर-साख समितियों की अपेक्षा कृषि साख समितियाँ ही अधिक सफल रही हैं; चूंकि राज्य में इनकी आवश्यकता भी अधिक है। राज्य में वर्ष १९५४-५५ में १६,०४९ कृषि साख समितियां थीं, जिनके ४,०१,२४१ व्यक्ति सदस्य थे तथा जिनका कार्य ५९,२७,८२१ रुपये की अंशपूंजी से चलता था जबकि उस वर्ष तक कृषि गैर-साख समितियां सिर्फ ७०२ थीं, जिनके ६९,८५५ व्यक्ति सदस्य थे तथा जिनकी ११,२२,६४६ रुपये की अंशपूंजी थी।

गैर-कृषि समितियां

राज्य के कृषि-प्रधान होने के कारण कृषि संबंधी सहकारी समितियों की उपादेयता तो स्पष्ट ही है किन्तु सहकारिता का उद्देश्य निर्बल का बल तथा निर्धन का धन होने के कारण गैर-कृषि क्षेत्रों में भी इसका महत्व विस्मृत नहीं किया जा सकता। गैर-कृषि समितियां साख सुविधाओं की दृष्टि से दो प्रकार की समितियों में वर्गीकृत की जाती हैं–(अ) गैर-कृषि साख समितियां तथा (ब) गैर-कृषि गैर-साख समितियां। गैर-कृषि साख समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्रों में पूंजीवाद के सन्मुख नतमस्तक होने से बचाने या आर्थिक अत्याचार को रोकने की दृष्टि से साख सुविधाएं प्रदान करना है और गैर-कृषि गैर-साख समितियों का कार्य उपभोक्ताओं के लिये दुकान आदि की व्यवस्था करना, श्रमिकों और अनुसूचित जातियों के लिये गृह व्यवस्था करना तथा अपने सदस्यों के लिये जीवन बीमा आदि की व्यवस्था करना इत्यादि है। वर्ष १९५४-५५ के समंकों के अनुसार राज्य में कुल १,४०० गैर-कृषि समितियां थीं। समितियों के अन्य विवरण संबंधी समंक निम्नलिखित तालिका में दिये जा रहे हैं:—

तालिका क्रमांक ६८

गैर-कृषि समितियां

(१९५४ ५५)

समितियों के प्रकार	सदस्यता			अंशपूंजी (रु. में)		संचित कोष एवं अन्य निधि (रु. में)		क्रियाशील पूंजी (रु. में)		वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण (रु. में)	
	संख्या	सदस्यता	प्रति समिति पीछे सदस्यों की संख्या	अंशपूंजी	प्रति सदस्य पीछे अंशपूंजी	संचित कोष	प्रति सदस्य पीछे संचित कोष	क्रियाशील पूंजी	प्रति समिति पीछे क्रियाशील पूंजी	वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण	प्रति सदस्य पीछे वर्षान्तर्गत दिया गया ऋण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
साख	४३५	६०,२८४	१३९	२०,२१,५८६	३४	११,५२,५७९	१९.१	१,२५,४२,६७३	२८,८३४	५७,८७,८०८	९६.०
गैर-साख	९६५	५६,१३७	५८	१५,७६,०४८	२८	११,११,२०५	१९.८	६४,४२,२७१	६,६७६	२१,६१,८७१	३८.५
योग	१,४००	१,१६,४२१	८३	३५,९७,६३४	३०.९	२२,६३,७८४	१९.४	१,८९,८४,९४४	१३,५६१	७९,४९,६७९	६८.३

टिप्पणी:—महाकोशल के समंक सन् १९५५-५६ के हैं

सूचना स्रोत:—तालिका क्रमांक ६९ के अनुसार

पूर्व निर्देशित समंकों से स्पष्ट है कि संख्या की दृष्टि से गैर-कृषि क्षेत्रों में गैर-साख समितियों की ही अधिक प्रगति हो रही है, जबकि कृषि-क्षेत्र में साख समितियां ही अधिक सफल रही हैं। किन्तु सदस्यता तथा अंशपूंजी की दृष्टि से गैर-कृषि गैर-साख समितियों से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा अधिक अंशपूंजी एकत्रित की जा सकी है। राज्य में वर्ष १९५४-५५ में ९६५ गैर-कृषि गैर-साख समितियां थीं, जिनके ५६,१३७ सदस्य थे, तथा जिनका कार्य १५,७६,०४८ रुपये की अंशपूंजी से किया जाता था; जबकि साख समितियां सिर्फ ४३५ ही थीं; किन्तु उनके ६०,२८४ व्यक्ति सदस्य थे तथा जिनकी व्यवस्था २०,२१,५८६ रुपये की अंशपूंजी से की जाती थी। उपर्निर्दिष्ट वर्ष में गैर-कृषि साख समितियों की संख्या कम थी, किन्तु इनसे प्रति समिति पीछे अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं। फलस्वरूप प्रति सदस्य पीछे अंशपूंजी भी इन समतियों की ही अपेक्षाकृत अधिक रही है। वर्ष १९५४-५५ में यहां गैर-कृषि साख समितियों की प्रति समिति पीछे सदस्यों की संख्या १३९ थी, जबकि गैर-कृषि गैर-साख समितियों के तत्संबंधी समंक ५८ ही थे। इसी प्रकार प्रति सदस्य पीछे अंशपूंजी भी गैर-कृषि साख समितियों में ३४ रुपये लगाई गई थी, जबकि गैर-कृषि गैर-साख समितियों में प्रति सदस्य पीछे २८ रुपये की अंशपूंजी ही लगाई गई थी। क्रियाशील पूंजी तथा वर्षान्तर्गत दिये गये ऋण की दृष्टि से भी गैर-कृषि साख समितियों के समंक ही अधिक हैं क्योंकि साख समितियां मुख्यतः ऋण देने से ही अधिक संबंधित रहती हैं। सम्पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष १९५४-५५ में सहकारिता आन्दोलन के कदम सुदृढ़ करने के लिये गैर-कृषि क्षेत्रों में भी १,४०० सहकारी समितियां कार्यरत थीं जिनसे प्रति समिति पीछे ८३ व्यक्ति लाभान्वित हुये थे तथा जिनके सहयोग से प्रति सदस्य पीछे ३१ रुपये की अंशपूंजी प्राप्त हुई थी।

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के इस अध्ययन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में गैर-कृषि वर्ग की अपेक्षा कृषि वर्ग के संबंध में ही सहकारी आन्दोलन अधिक सफल रहा है अर्थात् सहकारिता ने राज्य में नगरीय आवश्यकताओं की अपेक्षा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक की है क्योंकि वर्ष १९५४-५५ में राज्य की कुल १८,१५१ सहकारी समितियों में से कृषि समितियों की संख्या ९२.३ प्रतिशत थी, जिनकी सदस्यता राज्य की कुल सदस्यता की ८०.२ प्रतिशत तथा अंशपूंजी कुल पूंजी की ६६.२ प्रतिशत थी; जबकि गैर-कृषि समितियों की संख्या कुल संख्या की ७.७ प्रतिशत, सदस्यता कुल सदस्यता की १९.८ प्रतिशत तथा अंशपूंजी कुल सहकारी पूंजी की ३३.८ प्रतिशत ही थी। साथ ही यदि राज्य की साख तथा गैर-साख समितियों का तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो कहा जावेगा कि यहाँ गैर-साख समितियों से साख समितियां ही अधिक संगठित हो सकी हैं; क्योंकि वर्ष १९५४-५५ में राज्य में १६,४८४ साख समितियां थीं जिनके ४,६१,५२५ व्यक्ति सदस्य थ तथा जो ७९,४९,४०७ रुपये की अंशपूंजी से अपना कार्य करती थीं; जबकि गैर-साख समितियां केवल १,६६७ ही थीं जिनके १,२५,९९२ सदस्य थे तथा जिन्हें २६,९८,६९४ रुपये की अंशपूंजी प्राप्त हुई थी। मध्यप्रदेश में कृषि वर्ग से संबंधित साख समितियों की अपेक्षाकृत अधिक प्रगति हुई है, जिससे स्पष्ट है कि यहां अपेक्षाकृत कृषि वर्ग में साख सुविधाओं की ही अधिक पूर्ति हो रही है, जबकि समृद्ध आर्थिक जीवन के लिये सभी प्रकार की समितियों की परमावश्यकता है। इस प्रकार सहकारिता

का एक अंग अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी विकास को दिया गया स्थान तथा उसमें निर्धारित लक्ष्य राज्य में सहकारी आन्दोलन की भावी प्रगति के द्योतक हैं।

नवनिर्माण के इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में सहकारी विभाग को सुसंगठित करने के अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां भी खोली गई हैं जो कि कृषि, गैर-कृषि, साख, गैर-साख सभी क्षेत्रों में सदस्यों को लाभान्वित करेंगी। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्यतः सहकारी भू-रहन अधिकोष, क्रय समितियां, राजकीय गोदाम निर्माण, प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियों आदि की व्यवस्था की जावेगी। कार्य को सुचारु रूप से चलाने की योग्यता प्राप्त कराने हेतु सहकारी समितियों संबंधी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायगा तथा राज्य में सहकारी विकास निधि एवं सहकारी साख सहायता निधि की सुविधायें भी प्राप्त हो सकेंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जानेवाले इन कार्यों के लिये राज्य में ३७८.८० लाख रुपये व्यय किये जावेंगे, जिसमें ९०.२१ लाख रुपये गोदामों तथा विपणन पर व्यय किये जावेंगे। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य राज्य में सहकारिता आन्दोलन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे।

वर्ष १९५७–५८ में सहकारिता विकास कार्यक्रम

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य में सहकारिता कार्यक्रम के समुचित संगठन व विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए २३ अप्रैल १९५७ से २५ अप्रैल १९५७ तक सहकारिता विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों की गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें कि वर्ष १९५७-५८ की अवधि में राज्यव्यापी सहकारिता कार्यक्रम संचालित करने संबंधी योजना निर्धारित की गई थी। इस अवधि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम अनुसार कुल ८१.८० लाख रुपयों की योजना स्वीकृत की है। इस राशि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ७२.५० लाख रुपयों का ऋण भी लिया जायगा जिससे कि राज्य की सहकारी साख समितियों को अंशपूंजी के रूप में वित्तीय सहायता दी जावेगी। वर्ष १९५७-५८ में लगभग ८०० लाख रुपयों का अनुदान विविध सहकारी समितियों को दीर्घकालीन व अल्पकालीन ऋण के रूप में दिया जावेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि के प्रयत्न किये जायेंगे जिसमें भी कृषि का अपना विशिष्ट महत्व है अतएव द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सामुदायिक विकास योजनाओं व विविध सहकारिता कार्यक्रमों के द्वारा राज्य के कृषि-उत्पादन में वृद्धि की जावेगी।

महाकोशल एवं मध्यभारत घटकों में केन्द्रीय सहकारी अधिकोषों की शाखाओं के माध्यम से कृषि सहकारी समितियों का विकास कार्य करवाया जायगा। इस संबंध में अनुमान है कि वर्ष १९५७-५८ में प्राथमिक साख समितियों की संख्या लगभग २,००० हो जावेगी।

सहकारिता आन्दोलन के विकास हेतु राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार

सेवा संवर्ग तथा सामुदायिक विकास संवर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अवश्य ही किये जाना चाहियेः—

(अ) प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग की स्थापना तिथि से तीन वर्षों के अन्दर निम्न कार्य की पूर्ति होना चाहियेः—

(१) कम से कम ३० प्रतिशत कृषकों को सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत लाना चाहिये।

(२) कम से कम एक नवीन विपणन समिति का संगठन किया जाना चाहिये अथवा पूर्व संगठित किसी विपणन समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

(ब) प्रत्येक सामुदायिक विकास संवर्ग के अन्तर्गत निम्नांकित तीनवर्षीय कार्यक्रम पूर्ण किया जाना चाहियेः—

(१) कम से कम ५० प्रतिशत कृषक सहकारिता योजनाओं के अंतर्गत लिये जाना चाहिये।

(२) कम से कम २ विपणन समितियों का संगठन किया जाना चाहिये।

सहकारिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विपणन का साख से संबंध स्थापित करने की दृष्टि से वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में स्थापित साख समितियों के लिये यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विपणन समिति के अंतर्गत ५ वृहत् समितियों को रखा जावे। साथ ही यह प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक वृहत् समिति के सदस्य केवल अपनी समिति से संबंधित विपणन समिति से ही आवश्यक वस्तुएं खरीदें। इस समय राज्य में दो उच्च अधिकोष क्रमशः जबलपुर व ग्वालियर में हैं जिनके कि अन्तर्गत महाकोशल व भूतपूर्व मध्यभारत के विविध सहकारी अधिकोष कार्य करते हैं। किन्तु अब शासन द्वारा उपरोक्त दोनों अधिकोषों के एकीकरण का विचार किया जारहा है ताकि सहकारिता के क्षेत्र में अधिक दक्षतापूर्वक कार्य किया जा सके। इन अधिकोषों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु विविध सहकारी समितियों व संबंधित सहकारी अधिकोषों से निवेदन किया गया है कि वे इन अधिकोषों के अंश अधिकाधिक संख्या में क्रय करें। वर्ष १९५६-५७ के अंत तक महाकोशल के २३ अधिकोषों में से १३ अधिकोषों ने जबलपुर-स्थित अधिकोष में २,२०,४५० रुपये की पूंजी विनियोजित की थी तथा मध्यभारत घटक के ग्वालियर स्थित अधिकोष में १,६७,४०० रुपयों की अंशपूंजी विनियोजित की गई थी।

सहकारिता विकास कार्यक्रम का योजनाबद्ध विभाजन

सहकारिता विकास कार्यक्रम के अनुसार वर्ष १९५७-५८ में सम्पूर्ण कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यों में विभाजित किया गया हैः—

(१) वृहत्‌मान सहकारी समितियों का संगठन

(२) कृषक संघों अथवा विपणन समितियों का विकास

(३) केंद्रीय अधिकोषों का विकास कार्यक्रम

(४) जबलपुर व ग्वालियरस्थित दो उच्च अधिकोषों का विकास कार्यक्रम (Scheme for development of Apex Banks)

(५) सहकारी उद्योगों का विकास कार्यक्रम

(६) सहकारी कृषि योजनायें

(७) दो उच्च विपणन समितियों का विकास कार्यक्रम (एक महाकोशल क्षेत्र के लिये व एक विन्ध्यप्रदेशीय क्षेत्र हेतु)
(८) भाण्डागार प्रमण्डलों की स्थापना
(९) सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास व स्थापन
(१०) सहकारी विकास निधि स्थापना संवंधी योजनायें
(११) सहकारिता के विकास हेतु प्रचार-प्रसार योजनायें
(१२) विदेश में सहकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना
(१३) सहकारिता विकास हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति संवंधी योजना

उपरोक्त योजनावद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष १९५७-५८ में सम्पूर्ण राज्य में कुल ३१० वृहत्‌मान समितियों की स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है। वर्ष १९५६-५७ में इसी प्रकार की १०८ समितियाँ संगठित की गई थीं। इन समितियों के संगठन हेतु यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग अथवा सामुदायिक विकास संवर्ग में कम से कम ५ वृहत्‌मान समितियों की स्थापना की जाना चाहिये।

विपणन समितियों के विकास हेतु वर्ष १९५७-५८ में ४० विपणन समितियों की स्थापना की जावेगी। वर्ष १९५६-५७ में कुल २० विपणन समितियाँ संगठित की गई थीं। राज्य में सहकारी विपणन संस्थाओं के विकासार्थ एक राज्यव्यापी योजना वनाई गई है जिसके अनुसार ३१० वृहत्‌मान समितियां वर्ष १९५७-५८ में संगठित की जानेवाली हैं। साथ ही १३० गोदामों व ४१ विपणन समितियों का निर्माण किया जाने को है। सहकारी कृषि समितियों के विकासार्थ सम्पूर्ण राज्य में १.८१ लाख रुपया वर्ष १९५७-५८ की अवधि में व्यय किया जावेगा। सम्पूर्ण राज्य में २१ नई सहकारी समितियों की स्थापना की जावेगी। महाकोशल में १, मध्यभारत क्षेत्र में १६, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र व भोपाल में २-२ समितियाँ गठित की जावेंगी। वर्ष १९५७-५८ में सहकारिता विकास निधि की भी स्थापना की जावेगी जिसमे कि राज्य शासन द्वारा समष्टि रूप से ६.८० लाख रुपया व्यय किया जावेगा। इस राशि में से ४.१५ लाख रुपया सहायता व प्रत्याभूति कार्यो पर व्यय किया जावेगा। सहकारिता कार्यक्रम व्यापक रूप से प्रसार-प्रचार प्राप्त कर सके इस हेतु २०,००० रुपयों की योजना स्वीकृत की गई है। सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करनेवाले अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके इस हेतु ३.६ लाख रुपया वर्ष १९५७-५८ में व्यय करने का प्रावधान रखा गया है जिससे जवलपुर, राजगढ़ तथा आगर की प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास किया जावेगा तथा एक नवीन प्रशिक्षणशाला की स्थापना तिगरा में की जावेगी। विदेशों में उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके इसके लिये १३,००० रुपयों का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में सहकारिता विकास हेतु व्यापक प्रयत्न किये जारहे हैं जिससे कि सहकारिता के विकास हेतु राज्य-व्यापी वातावरण तैयार हो सकेगा।

संयुक्त स्कंध प्रमडंल एवं अधिकोषण

पूंजी वाणिज्य एवं व्यवसाय की जीवन-शक्ति है। पूंजी के द्वारा ही किसी व्यवसाय विशेष को प्रोत्साहित किया जा सकता है। संयुक्त स्कंध प्रमंडलों का प्रवर्त्तन एवं उनका संचालन व्यवसाय के लिये वृहत्मात्रा में पूंजी एकत्रित करने का नवीनतम साधन है जिसका जन्म विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। संयुक्त स्कंध प्रमंडलों के कारण ही व्यापार-वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात हो सका है।

संयुक्त स्कंध प्रमंडलों की प्रणाली देश में क्रमशः लोकप्रिय होती जा रही है, तथा हाल ही में संयुक्त स्कंध प्रमंडल अधिनियम (१९५६) द्वारा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की भांति ही मध्यप्रदेश में भी अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थाओं तथा वाणिज्य-गृहों का संचालन संयुक्त स्कंध प्रमंडल संगठन प्रणाली के आधार पर ही हो रहा है।

निम्नांकित तालिका मे मध्यप्रदेश के संयुक्त स्कंध प्रमंडलों संबंधी सूचना प्रस्तुत की जा रही है:—

तालिका क्रमांक ६९

संयुक्त स्कंध प्रमंडल

(१९५४-५५)

संयुक्त स्कंध प्रमंडलों की संख्या	५२६
दत्त अंशपूंजी (लाख रुपयों में)	२,६२२
प्रति संयुक्त स्कंध प्रमंडल पीछे दत्त पूंजी (लाख रुपयों में)	४.९८

सूचना स्रोतः— १. पंजीयक, संयुक्त स्कंध प्रमंडल, भारत सरकार, मध्यप्रदेश, नागपुर

२. संयुक्त स्कंध प्रमंडलों की प्रगति १९५५, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में कुल ५२६ संयुक्त स्कंध प्रमंडल हैं, जिनकी दत्त पूंजी २,६२२ लाख रुपये है।

संयुक्त स्कंध प्रमंडलों की स्थापना का संबंध किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक, वाणिज्य व व्यवसाय संबंधी उन्नति से रहता है। पिछले अनेक वर्षो से इस क्षेत्र में औद्योगीकरण की नवीन लहर प्रवर्तित हो रही है तथा अधिकोषण संबंधी सुविधाओं का भी विस्तार

हो रहा है। अतएव निकट भविष्य में ही मध्यप्रदेश में उद्योग-धंधों एवं वाणिज्य-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये नवीन प्रमंडलों की स्थापना की आशा की जा सकती है।

अभिकोषण.

उद्योग एवं वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में अधिकोषों का महत्व सर्व विदित है। अधिकोषों के माध्यम से ही साख की अधिक सुविधा प्राप्त होती है तथा उससे आर्थिक समृद्धि को गति मिलती है। भारत के विभिन्न राज्यों मे वर्तमान प्रकार के उन्नत एवं सुसंगठित अधिकोषों की स्थापना के पूर्व महाजन एवं ग्रामीण साहूकार लघु उद्योग-धंधों एवं व्यवसाय के हेतु पूंजी की पूर्ति किया करते थे किंतु अब संयुक्त स्कंध प्रमंडलों की स्थापना तथा बड़े-बड़े उद्योगों के कारण इस बात की बढ़ती आवश्यकता दिन-प्रति-दिन महसूस होती है कि अधिकोषण की सुसंगठित वैज्ञानिक प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाय।

निम्नांकित तालिका में मध्यप्रदेश के अधिकोषण संबंधी समंक प्रस्तुत किए गए हैं:—

तालिका क्रमांक ७०

प्रतिवाणिज्यीय अधिकोष पीछे जनसंख्या का विभाजन

(१९५३-५४)

वाणिज्यीय अधिकोषों की संख्या ..	१४१
प्रतिवाणिज्यीय अधिकोष पीछे जनसंख्या	१,८५,००० (लगभग)

सूचना स्रोत:—भारत के अधिकोषण एवं मुद्रा समंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सन् १९५३-५४ में मध्यप्रदेश में कुल १४१ वाणिज्यीय अधिकोष थे, जिन पर राज्य की लगभग २६१.० लाख जनसंख्या की सेवा का भार था। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि सन् १९५३-५४ के समंकों के अनुसार राज्य के प्रतिवाणिज्यीय अधिकोष पीछे लगभग १,८५,००० व्यक्तियों की सेवा का भार है।

सहकारी अधिकोष

वाणिज्य जगत में सहकारी अधिकोषों का महत्व भी कम नहीं है। ये अधिकोष भी आर्थिक सहायता देकर उद्योगों के द्रुतविकास मे अधिकाधिक सहायक होते हैं। निम्नांकित तालिका मध्यप्रदेश में विभिन्न वर्षो में सहकारी अधिकोषों की संख्या व उनकी शाखाओं संबंधी सूचना प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक ७१

१ लाख रुपये से अधिक अंशपूंजीवाले सहकारी अधिकोष (कार्यालय संख्या)

वर्ष	सहकारी अधिकोषों की संख्या	कार्यालयों (जिनमें मुख्य कार्यालय भी सम्मिलित हैं) की संख्या
१	२	३
१९५२—५३	३२	८४
१९५३—५४	३६	८८
१९५४—५५	४२	१०२

सूचना स्रोत:—भारत मे अधिकोषण, वर्ष १९५५ से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में वर्ष १९५२-५३ की तुलना में वर्ष १९५४-५५ में सहकारी अधिकोषों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष १९५२-५३ में सहकारी अधिकोषों की संख्या ३२ थी जबकि वर्ष १९५४-५५ में यही संख्या बढ़कर ४२ हो गई। उसी प्रकार सहकारी अधिकोषों के कार्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सन् १९५२-५३ में राज्य में सहकारी अधिकोषों के कुल कार्यालयों की संख्या केवल ८४ थी जबकि सन् १९५४-५५ में यही संख्या बढ़कर १०२ हो गई। उपर्युक्त समंकों से राज्य के सहकारी अधिकोषों के विकास का क्रम आंका जा सकता है।

निम्नांकित तालिका में मध्यप्रदेश के १ लाख रुपये से अधिक अंशपूंजीवाले सहकारी अधिकोषों की वित्तीय स्थिति का विभिन्न वर्षों के अनुसार तुलनात्मक चित्रण किया जा रहा है:—

तालिका क्रमांक ७२

१ लाख रुपये से अधिक अंशपूंजीवाले अधिकोष (वित्तीय स्थिति)

('००० रु. में)

वर्ष	कार्यालय संख्या	दत्त अंश-पूंजी	वर्षान्त में विभिन्न अधिकोषों द्वारा प्राप्त ऋण एवं निक्षेपित राशि	वर्ष में लाभ(+) या हानि(–)	कुल प्राप्त ऋण	सहकारी समितियों व प्रतिभूतियों में विनियोजन
१	२	३	४	५	६	७
१९५२–५३	८४	२,७८२	२६,५३८	४५६	२४,०३३	५,०५८
१९५३–५४	८८	३,८३५	३२,१०१	५२०	२७,७९२	४,१६९
१९५४–५५	१०२	६,६०८	४५,१७५	७७५	३६,१८०	११,९३१

सूचना स्रोत:—भारत में अधिकोषण, वर्ष १९५५ से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सन् १९५२-५३ की तुलना में सन् १९५४-५५ में मध्यप्रदेश के सहकारी अधिकोषों की दत्त अंशपूंजी में काफी वृद्धि हुई। सन् १९५२-५३ में अधिकोषों की दत्त अंशपूंजी २,७८२ हजार रुपये थी, जबकि सन् १९५४-५५ में यही बढ़कर ६,६०८ हजार रुपये हो गई। उसी प्रकार इन्हीं वर्षों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्राप्त ऋण एवं निक्षेपित राशि में भी वृद्धि हुई। सन् १९५१-५२ में यह राशि २६,५३८ हजार रुपये थी जबकि सन् १९५४-५५ में यही राशि ४५,१७५ हजार रुपये हो गई। उल्लेखनीय है कि राज्य के सहकारी अधिकोषों को वर्ष १९५४-५५ में कुल ७७५ हजार रुपये का लाभ हुआ जबकि सन् १९५२-५३ व १९५३-५४ में उन्हें क्रमशः ४५६ हजार रुपये तथा ५२० हजार रुपये का लाभ हुआ था। इस प्रकार यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के सहकारी अधिकोष दिनोंदिन प्रगति कर रहे हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में सहकारी अधिकोषण पद्धति का पर्याप्त विकास हुआ है। साथ ही भावी औद्योगिक रूपरेखा को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि शीघ्र ही मध्यप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में भी अधिकोषण एवं साख का विकास

होगा तथा इस प्रदेश में औद्योगिक एवं व्यावसायिक पूंजी के संग्रहण एवं विनियोजन में अधिकोष अपना महत्वपूर्ण दायित्व सम्पन्न कर सकेंगे। मध्यप्रदेश में सम्मिलित किया जाने-वाला अधिकांश भाग कृषि-प्रधान है अतएव हमें इस बात की पूरी-पूरी आशा रखना चाहिये कि आगामी कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सहकारी अधिकोषों का भी विकास अधिक द्रुतगति से हो सकेगा।

दुर्ग जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जानेवाले विशाल इस्पात के कारखाने व भोपाल के पास शीघ्र ही स्थापित होनेवाले भारी विद्युत् संबंधी कारखाने के कारण तथा मध्यप्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण इस बात की पूर्ण आशा है कि मध्यप्रदेश में अधिकोषण का तीव्र गति से विकास हो सकेगा, तथा उसके कारण राज्य की कृषि-अर्थ-व्यवस्था एवं वाणिज्य-व्यवसाय को एक नवीन गति प्राप्त हो सकेगी।

अल्प-बचत आन्दोलन

अल्प-बचत योजना राष्ट्रीय समृद्धि की कुंजी है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत की शस्य-श्यामला कही जानेवाली भूमि सभी प्रकार के अभावों से ग्रस्त थी। भारत का जीवन-प्राण कृषक निर्धनता के पाश में आबद्ध दैवी प्रकोपों पर रुदन कर रहा था। दूसरी ओर अशिक्षा के घोर तिमिर ने देश के शान-गौरव तक को आच्छन्न कर रखा था किंतु स्वतंत्रता के शंखनाद ने सुप्त, उत्पीडित एवं कर्त्तव्यविमूढ़ कोटि-कोटि भारतवासियों को नव-जीवन प्रदान किया है। आज स्वतंत्र भारत की गणतांत्रिक सरकार भारत की उन्नति के महान् कार्यक्रमों में संलग्न है। राष्ट्र के नव-निर्माण की इस वेला में भारतीय जनता की सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिये सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वय के प्रस्ताव हैं जिनके लिये विपुल द्रव्यराशि की आवश्यकता है। संपूर्ण रूप से जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राष्ट्र की संपदा में वृद्धि करने क साथ-साथ सामाजिक सेवाओं जैसे अधिक स्कूलों, अधिक अस्पतालों, आरोग्य केन्द्रों आदि की भी व्यवस्था की जा रही है।

भारत जैसे राज्य में इन योजनाओं को कार्यरूप देने के लिये सरकार माध्यम भर होसकती है। सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने में आन्तरिक बल तो जनता ही प्रदान करती है। अतएव जनता के सहयोग से, जनता के ही धन से जनकार्य करने की दृष्टि से भारत सरकार ने अल्प-बचत आन्दोलन का प्रारंभ किया है। अल्प-बचत योजना द्वारा न केवल मितव्ययता एवं बचत की अच्छी आदत पड़ती है बल्कि कम तथा अधिक सभी प्रकार के आर्थिक साधन सम्पन्न व्यक्ति भी राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में यथासाध्य योगदान कर देश के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा सकते हैं।

कभी-कभी कम साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के मन में ये विचार घूम जाते हैं कि उनकी इतनी अल्प-बचत से राष्ट्रीय सुख एवं समृद्धि की इन विशालकाय योजनाओं के लिये आवश्यक विपुल धनराशि में क्या सहायता प्राप्त होगी? किन्तु सहकारिता ही एक ऐसा बल है जिससे तुच्छ तिनके भी मिलकर मोटे रस्सों का रूप धारण कर लेते हैं। जब चार-चार पैसे ही कोटि-कोटि जनता से एकत्रित होते हैं तो रुपयों का अम्बार लग जाता है।

अल्प-बचत योजना के द्विमुखी लाभों को देखते हुये विशाल मध्यप्रदेश की जनता ने भी प्रशंसनीय योगदान दिया है। यहां न केवल अल्प-बचत आन्दोलन की प्रायः सभी मदों पर विपुल धनराशि का संग्रह हुआ है बल्कि अल्प-बचत आन्दोलन के विस्तार हेतु अनेक रचनात्मक कार्य भी किये गये हैं। यदि अधिक समृद्ध व्यक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित ऋणों में अपना धन विनियोजित कर लाभ उठा सकते हैं तो सीमित आर्थिक साधनोंवाले व्यक्ति भी अल्प-बचत योजना के सक्रिय भागीदार बन

भविष्य की अनियमितता के लिये द्रव्यराशि संग्रह कर सकते हैं। इन धनराशियों पर ब्याज की अच्छी दर दी जाती है तथा यह आयकर से मुक्त होती है। अल्प-बचत आन्दोलन के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न मदों एवं उन पर जनता द्वारा किये गये विनियोजन का सारभूत विवरण निम्न है :—

१२ एवं ७ वर्षीय नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट

ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिये धन विनियोजन के उत्तम साधन हैं, जो अपने लगाये हुए धन की कुछ काल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स ५, १०, ५०, १००, ५००, १,००० और ५,००० रुपये के अभिधानों के होते हैं और सेविंग्ज बैंक का काम करनेवाले किसी भी डाकखाने से प्राप्त किये जा सकते हैं। किंतु इनकी कुछ परिसीमायें भी होती हैं। एक व्यक्ति अपने लिये अथवा एक वयस्क एक अवयस्क के लिये अधिक से अधिक २५,००० रुपये की सीमा तक ही इन सर्टिफिकेटों को खरीद सकता है किंतु दो वयस्क संयुक्त रूप से ५०,००० रुपये की सीमा तक के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। उनका रुपया दोनों को, एक को या उनमें से जीवित रहनेवाले किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। लोकहितैषी, शैक्षणिक तथा धार्मिक संस्थायें अधिक सीमा तक इनका क्रय कर सकती हैं। इन सर्टिफिकेटों के भुनाने में भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। सर्टिफिकेटों को लेनेवाला १॥ वर्ष के पश्चात् इच्छानुसार कभी भी इन सर्टिफिकेटों को भुना सकता है। ५ रुपये वाले सर्टिफिकेट १ वर्ष के उपरान्त भी भुनाये जा सकते हैं। अधोलिखित तालिका से पता चलता है कि १०० रुपये वाले सर्टिफिकेटों पर लगाया हुआ रुपया अवधि की समाप्ति पर या इसके पूर्व कैसे बढ़ता है :—

तालिका क्रमांक ७३

१२ एवं ७ वर्षीय नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स की विनियोजित राशि में वृद्धि

	१०० रु. की विनियोजित राशि में वृद्धि	
	रुपये	आ.
१ वर्ष पश्चात्—	..	..
१॥ ,,	१०१	४
२ ,,	१०२	८
३ ,,	१०५	०
४ ,,	११०	०
५ ,,	११५	०
६ ,,	१२०	०
७ ,,	१२५	०
८ ,,	१३०	०
९ ,,	१३५	०
१० ,,	१४०	०
११ ,,	१४५	०
१२ ,,	१५०	०

सूचना स्रोत:—राष्ट्रीय बचत आयुक्त के प्रकाशन, सूचना तथा प्रसार विभाग, भारत सरकार

यहाँ उल्लेखनीय है कि ३१ मई १९५७ से भारत सरकार ने १२ एवं ७ वर्षीय नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स का प्रचलन बन्द करके १ जून १९५७ से नये १२ वर्षीय नेशनल प्लॉन सर्टिफिकेट्स जारी किये हैं।

पूरी अवधि की समाप्ति के पश्चात् इन नेशनल प्लॉन सर्टिफिकेटों पर ५.४१ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है अर्थात् १२ वर्ष में १०० रुपये वाले सर्टिफिकेट के १६५ रुपये प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त होनेवाला ब्याज आय कर से भी मुक्त होता है।

मध्यप्रदेश राज्य में अल्प-बचत आन्दोलन की सफलता, राज्य में सेविंग्ज सर्टिफिकेटों द्वारा एकत्रित द्रव्यराशि से आंकी जा सकती है। १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में पूर्व मध्य-भारत में ४२,५३,५३० रुपयों के नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट का सकल विक्रय हुआ था; किंतु उसी वर्ष १५,१०,०३० रुपये के मूल्यवाले सर्टिफिकेटों को भुनाये जाने के कारण यहां पर शुद्ध विक्रय द्वारा एकत्रित राशि २७,४३,५०० रुपये ही कही जावेगी। उसी प्रकार विंध्यप्रदेश क्षेत्र और भोपाल क्षेत्र में भी इन सर्टिफिकेटों में पर्याप्त धनराशि विनियोजित की गई थी। वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में विंध्यप्रदेश एवं भोपाल राज्यों में क्रमशः ४,०३,१९० तथा १,९३,५२० रुपयों के सर्टिफिकेटों का विक्रय किया गया था, किंतु उसी वर्ष क्रमशः २२,३२५ रुपये तथा ९२,७६५ रुपये मूल्यवाले सर्टिफिकेटों का भुगतान भी करना पड़ा। इस प्रकार विंध्यप्रदेश और भोपाल में क्रमशः ३,८०,८६५ तथा १,००,७५५ रुपये की शुद्ध बचत रही है। महाकोशल एवं विदर्भ के अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं किंतु यदि संपूर्ण रूप से भूतपूर्व मध्यप्रदेश की चर्चा की जाय तो कहा जावेगा कि ऊपर उल्लिखित वित्तीय वर्ष में १,०४,६२,६९५ रुपयों के सर्टिफिकेट खरीदे गये थे तथा ४०,७७,७३५ रुपयों के सर्टिफिकेटों का भुगतान किया गया था। इस प्रकार यहां ६३,८४,९६० रुपयों की शुद्ध रूप से बचत रही है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक

बचत का मूल उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संग्रह करना है। अतएव आवश्यकतानुसार बचत की धनराशि उपलब्ध होने की अभिलाषा स्वाभाविक है। इसीलिये भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक जैसे मद को अपनी योजना में प्रेक्षणीय स्थान दिया है। इस मद में कोई भी वयस्क स्त्री-पुरुष या अवयस्क की ओर से अभिभावक या दो वयस्क संयुक्त रूप से धन जमा कर सकते है। खाता खोलने के लिये कम-से-कम दो रुपये की द्रव्यराशि जमा करनी पड़ती है तथा एक व्यक्ति अधिक से अधिक १५,००० रुपये तथा दो व्यक्ति संयुक्त रूप से ३०,००० रुपये तक जमा कर सकते हैं। चूंकि इस मद में सप्ताह जैसी छोटी अवधि में एक बार रुपया निकालने की सुविधा प्रदान की गई है इसलिये इस पर दिये जानेवाले ब्याज की दर भी कम ही रखी गई है। खाते में एक साल के दौरान में २५ से १०,००० रुपये तक की राशि पर (संयुक्त खाते में २०,००० रुपये तक) २½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज और १०,००० रुपये से अधिक शेष रकम (संयुक्त खाते में २०,००० से अधिक) पर १¾ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है।

अल्प-बचत आन्दोलन की प्रचारात्मक गतिविधियों का प्रभाव प्रत्यक्षतः ग्रामीण क्षेत्रों पर न पड़ने के कारण यहां इस मद द्वारा संग्रहीत धनराशि संतोषजनक ही कही जा सकती है। वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में मध्यभारत क्षेत्र के विभिन्न पोस्ट ऑफिस

सेविंग्ज अधिकोषों में १,४९,३८,१९५ रुपये, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में ३१,६१,७९७ रुपये तथा भोपाल क्षेत्र में २९,०८,२०६ रुपये जमा किये गये थे। किन्तु उसी वर्ष मध्यभारत के अधिकोषों को १,१०,१८,७५३ रुपये द्वारा अपने आर्हताओं की अनियमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी। विन्ध्यप्रदेश और भोपाल के पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज अधिकोषों से भी क्रमशः १८,९३,९६२ तथा २२,२८,५४६ रुपये प्रत्याहरण किये गये। इस प्रकार इस मद द्वारा शुद्ध धनराशि संग्रह की दृष्टि से मध्यभारत से ३९,१९,४४२ रुपये विन्ध्यप्रदेश और भोपाल से क्रमशः १२,६७,८३५ व ६,७९,६६० रुपये प्राप्त हुए हैं। मध्यप्रदेश से भी इस मद द्वारा विपुल धनराशि प्राप्त हो सकी है। ऊपरिनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में यहां पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक के खातों में ६,३३,३५,३९५ रुपये जमा किये गये थे तथा ५,१५,९०,६३४ रुपये का प्रत्याहरण होने के कारण शुद्ध रूप से इस मद द्वारा १,१७,४४,७६१ रुपये का संग्रह किया जा सका।

ट्रेजरी सेविंग्ज डिपॉजिट

कभी-कभी लोग अपनी संचित धनराशि को कुछ वर्षों तक पूर्ववत् निक्षिप्त रखना चाहते हैं किन्तु उससे नियमित रूप से वार्षिक आय भी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ट्रेजरी सेविंग्ज डिपॉजिट सर्टिफिकेट ही खरीदना श्रेयस्कर होता है। इच्छुक व्यक्ति बम्बई-कलकत्ता जैसे प्रमुख नगरों के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में या अन्य नगरों की स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की ऐसी शाखा में जो सरकारी खजानों का कार्य करती हैं, रुपये जमा कर सकता है किन्तु इस मद में १०० रुपये के हिसाब से २५,००० रुपये तक ही धन जमा किया जा सकता है। संयुक्त रूप से दो व्यक्ति और संस्थाओं के लिए यह सीमा ५० हजार रुपये है। धर्मार्थ संस्थाएं १ लाख रुपये तक की धनराशि निक्षिप्त कर सकती हैं। रुपया जमा होने के दस वर्ष पश्चात् रुपया वापस कर दिया जाता है साथ ही परिपक्व तिथि के पूर्व भी रुपया जमा करने की तिथि से एक वर्ष पश्चात् रुपया वापस निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। दस वर्ष की अवधि से पूर्व रुपया लेने की अवधि में निम्न दर से कटौती की जाती है:—

तालिका क्रमांक ७४
ट्रेजरी सेविंग्ज डिपॉजिट विवरण

यदि नीचे लिखी अवधि के पश्चात् मूल धन वापस लिया जावे	लेकिन नीचे लिखी अवधि के पूर्व	तो प्रत्येक १०० रु. पर कटौती की दर		
१	२	३		
वर्ष	वर्ष	रु.	आ.	पा.
१	२	३	८	०
२	३	५	०	०
३	४	५	८	०
४	५	६	०	०
५	६	६	४	०

यदि नीचे लिखी अवधि के पश्चात् मूल धन वापस लिया जावे	लेकिन नीचे लिखी अवधि के पूर्व	तो प्रत्येक १०० रु. पर कटौती की दर		
१	२	३		
		रु.	आ.	पा.
६	७	६	०	०
७	८	५	४	०
८	९	४	०	०
९	१०	२	४	०
१०	पूरी अवधि	कोई कटौती नहीं		

सूचना स्रोतः—राष्ट्रीय बचत आयुक्त के प्रकाशन, सूचना तथा प्रसार विभाग, भारत सरकार

ये सर्टिफिकेट किसी भी उच्च अधिकारी के नाम पर जमानत के रूप में हस्तांतरित किये जा सकते हैं तथा इन पर ३॥ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज भी दिया जाता है। मध्य-प्रदेश की जनता ने भी इस मद के लाभपूर्ण आयोजन का महत्व स्वीकार करते हुए तथा नवनिर्माण के कार्यक्रमों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए इस पर काफी रुपये विनियोजित किये हैं।

मध्यप्रदेश के मध्यभारत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में इस मद पर ६,७२,४०० रुपये विनियोजित किये गये थे तथा परिपक्व तिथि न होने से उस वर्ष एक भी सर्टिफिकेट का भुगतान नहीं हुआ तथा वहां उपर्युक्त रुपयों का शुद्ध एकत्रीकरण हुआ है। उसी प्रकार भोपाल क्षेत्र तथा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में भी क्रमशः २ हजार और ६९ हजार रुपये के सर्टिफिकेट विक्रय किये गये थे और सर्टि-फिकेटों के भुनाने में कुछ भी द्रव्यराशि न दी जाने के कारण शुद्ध रूप से उस वर्ष नव-निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इन रुपयों की सहायता प्राप्त हो सकी है। इस संदर्भ में भूतपूर्व मध्यप्रदेश से भी उसी वित्तीय वर्ष में १४,९०,००० रुपये संग्रहीत किये गये, तथा ५,१०० रुपये मूल्य के सर्टिफिकेटों का भुगतान किया गया। इस प्रकार भूतपूर्व मध्यप्रदेश में १४,८४,९०० रुपये की धनराशि इस मद द्वारा संग्रहीत हुई है।

दस-वर्षीय नेशनल प्लॉन सर्टिफिकेट

ये सर्टिफिकेट सभी प्रकार के बचत करनेवालों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सर्टिफिकेट ५, १०, २५, ५०, १००, ५०० रुपयों के मूल्य के हैं तथा किसी भी सेविंग्ज बैंक के कार्य करनेवाले डाकघर से प्राप्त किये जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लिए या एक वयस्क किसी अवयस्क के लिए २,५०० रुपये की सीमा तक यह सर्टिफिकेट खरीद सकता है। दो व्यक्ति संयुक्त रूप से ५,००० रुपये की सीमा तक के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। इनमें १ वर्ष के बाद कभी भी सर्टिफिकेट भुनाये जाने की भी सुविधा प्रदान की गई है तथा पूरी अवधि के उपरान्त इन सर्टिफिकेटों पर ४.५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। इस ब्याज द्वारा प्राप्त आय पर किसी प्रकार का भारतीय आय-कर और अतिरिक्त आय-कर नहीं लगाया जाता।

राज्य में अल्प-बचत आन्दोलन के इस महत्वपूर्ण अंग ने भी आशातीत सफलता प्राप्त की है। मध्यप्रदेश के मध्यभारत क्षेत्र में ही शुद्ध रूप से अर्थात् भुनाई हुए धन-राशि को सकल विक्रय में से घटाकर उपरिनिर्दिष्ट वर्ष में ९,१०,४०० रुपयों के नेशनल प्लॉन सर्टिफिकेट विक्रय किये गये थे। भोपाल क्षेत्र से भी ८३,०६५ रुपये एकत्रित हुए थे किन्तु विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में उस वर्ष २,४३,८०० रुपयों के सर्टिफिकेट विक्रय होने तथा ३,१६,३२५ रुपये के सर्टिफिकेटों का भुगतान होने के कारण शुद्ध रूप से एकत्रीकरण किये जाने के बदले ७२,५२५ रुपयों का पास से ही भुगतान किया गया है। भूतपूर्व मध्यप्रदेश के २२ जिलों में ये सर्टिफिकेट ३८,४३,४७५ रुपये के बिके हैं।

एन्यूइटी सर्टिफिकेट

प्रायः सभी व्यक्तियों को बालकों की शिक्षा एवं अपने आश्रितों के भरण-पोषण तथा अपनी वृद्धावस्था के लिए समुचित आर्थिक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मासिक आय की व्यवस्था करने हेतु पन्द्रह-वर्षीय सर्टिफिकेट योजना में धन लगाना सर्वोत्तम उपाय है। इन सर्टिफिकेटों पर लगाया हुआ धन ३॥ प्रतिशत चक्रवृद्धि व्याज के साथ मासिक किश्तों के रूप में १५ वर्ष के समय में लौटा दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट ३,५००, ७,०००, १४,००० तथा २८,००० रुपये के होते हैं तथा इनके लेनेवाले को १५ वर्ष तक क्रमशः २५, ५०, १०० तथा २०० रुपये की मासिक किस्त प्राप्त होती है। ये मासिक किश्तें इस मद में रुपया लगाने की तारीख़ से ठीक एक महीने बाद प्रारंभ हो जाती हैं। इस मद में विनियोजित द्रव्य का दुरुपयोग भी नहीं हो सकता क्योंकि इन रुपयों को एक पूरी धनराशि में लौटाने की व्यवस्था नहीं है। यदि एन्यूइटी की अवधि के पूर्व ही सर्टिफिकेटधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष रुपयों की किश्तें उसके उत्तराधिकारियों को दी जाती हैं तथा किसी भी परिस्थिति में शेष रुपया एक ही साथ लौटाने की सुविधा नहीं है। सर्टिफिकेट कोई भी वयस्क या अवयस्क की ओर से संरक्षक या विधि-विहित संरक्षक खरीद सकता है किन्तु एक वयस्क द्वारा २८ हजार, दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से ५६ हजार तथा प्रत्येक अवयस्क के नाम पर संरक्षक द्वारा २८ हजार तक ही ये सर्टिफिकेट खरीदने की परिसीमायें बांध दी गई हैं।

मध्यप्रदेश की जनता ने एक ओर जहां इस योजना से लाभ उठाया है वहीं दूसरी ओर उसे राष्ट्रीय नवनिर्माण के कार्यक्रमों में सहयोगी होने का भी गौरव मिला है। वर्ष १९५५-५६ में मध्यभारत क्षेत्र में इन सर्टिफिकेटों से १,८२,००० रुपये शुद्ध विक्रय रूप में प्राप्त हुए थे। पूर्व विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र से भी ७,००० रुपये शुद्ध विक्रय के रूप में प्राप्त हुए थ। उसी प्रकार भूतपूर्व मध्यप्रदेश में उक्त वर्ष में इस मद के द्वारा १,८२,००० रुपये प्राप्त हुए थे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश में अल्प-बचत योजना ने सर्वांगीण प्रगति की है अर्थात् योजना की सभी मदों द्वारा सन्तोषजनक धनराशि एकत्रित हो सकी है। यदि अल्प-बचत योजना के विभिन्न मदों के सकल विक्रय द्वारा एकत्रित धनराशि की दृष्टि से देखा जाय तो विदित होता है कि सामान्यतः राज्य में पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक का आयोजन ही सर्वाधिक सफल रहा है। तत्पश्चात् नेशनल सेविंग्ज

सर्टिफिकेटों द्वारा सर्वाधिक धनराशि एकत्रित हो सकी है। इस क्रम-निर्धारण में नेशनल प्लॉन्ग सर्टिफिकेट्स, नेशनल ट्रेजरी सविंग्ज सर्टिफिकेट्स, नेशनल एन्यूइटी सर्टिफिकेट्स का स्थान क्रमशः तृतीय, चतुर्थ और पंचम आता है।

इस प्रकार अल्प-बचत योजना द्वारा संगृहीत धनराशि अनेक विपरीत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सन्तोषजनक अवश्य कही जा सकी है किन्तु आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। अल्प-बचत योजना में धनराशि विनियोजन से होनेवाले द्विमुखी लाभों की जानकारी अभी सर्व-साधारण जनता तक नहीं पहुंच सकी है। इस कार्य के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य स्थानों में भी अल्प-बचत सप्ताह या अल्प-बचत पखवाड़ों का आयोजन किया जाता है तथा प्रचार-पुस्तिकाओं का वितरण किया जाता है। अल्प-बचत आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से अधिकृत मध्यस्थों एवं व्यवस्थापकों की भी नियुक्ति की जाती है। इस कार्य में महिला-बचत आन्दोलन भी बड़ी सीमा तक सफल रहा है।

सरकार के ये उत्साहवर्द्धक उपाय निस्संदेह राष्ट्र-निर्माण के लिए धनराशि एकत्रित करने के अतिरिक्त धन विनियोजन के लिए जनता को उपादेय एवं सुगम मार्ग दर्शाते हैं। इससे न केवल जनता के धन से ही जनकार्य सम्पन्न होंगे वल्कि विदेशी ऋणों पर दी जाने-वाली व्याजराशि भी बच जावेगी। आशा है कि नवनिर्माण की इस वेला में मध्यप्रदेश भी अधिकाधिक योगदान देगा तथा जनता इस पुनीत कार्य में अधिकाधिक सहयोग देगी।

साक्षरता एवं शिक्षा

लोककल्याणकारी शासन का प्रमुख ध्येय देश व समाज के नागरिकों को शिक्षित व सुसंस्कृत करके देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को प्रशस्त करना है। शिक्षा किसी भी देश के नागरिक जीवन का वह मूल मंत्र है जिसके माध्यम से देश के जन-जीवन में नये राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का प्रादुर्भाव होता है तथा जिसका आधार प्राप्त कर देश का भौतिक व आध्यात्मिक कलेवर नया रूप प्राप्त करता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय शिक्षा को केवल साक्षर व्यक्तियों की संख्यावृद्धि का ही स्वरूप प्राप्त था तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् लोकतंत्रीय सरकार का ध्यान देश के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कलेवर को प्रभावित करनेवाली शिक्षा की ओर गया तथा राष्ट्र पुनर्निर्माण की दृष्टि से देश में शिक्षा के नवीन मूल्यों को प्रस्थापित किया गया। आज देश में शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षर व्यक्तियों की वृद्धि न होकर ऐसे शिक्षितों की वृद्धि है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा के गहन मूल्यों को समझ सकें; देश के ग्राम्य-क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, उद्योग एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति कर सकें तथा देश के प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके देश के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति कर सकें।

शिक्षापद्धति का वर्तमान स्वरूप

भारत की समस्त शिक्षा-योजनाओं में यांत्रिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा को विशिष्ट महत्व दिया गया है। इन व्यापक शिक्षा योजनाओं का मूल ध्येय देश के आर्थिक पुन-र्निर्माण के लिए ऐसे व्यक्तियों की पूर्ति है जोकि खेतों पर, बांधों पर तथा सिंचाई व विद्युत् उत्पादन परियोजना केन्द्रों पर कुशलता से कार्य कर देश का उत्पादन बढ़ा सकें; ऐसे व्यक्तियों को तैयार कर सकें जोकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति कर ग्रामों, नगरों एवं श्रमिक क्षेत्रों में जनसाधारण के लाभार्थ कार्य कर सकें। भारतीय जन-जीवन में शिक्षा के महत्व को इसी तथ्य से आंका जा सकता है कि सन् १९४६-४७ में विविध भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं पर शासन व निजी प्रबंधकों द्वारा कुल ५७ करोड़ रुपये का व्यय हुआ था जबकि यही व्यय वर्ष १९५४-५५ में द्विगुणित होकर १६४ करोड़ हो गया। केवल इतना ही नहीं, स्वतंत्रताप्राप्ति के प्रारंभिक ५ वर्षों में शासन की शक्तियों के सीमित रहते हुए भी माध्यमिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया गया। १९४७ में मैट्रिक की परीक्षा में सम्पूर्ण भारतवर्ष में केवल २.३७ लाख छात्र बैठे थे। यही संख्या वर्ष १९५१-५२ में ५.८६ लाख हो गई। इसी प्रकार विज्ञान एवं कला के स्नातकों की संख्या १९४७ में २४,८१४ थी जोकि १९५४-५५ में

५७,०५२ हो गई। उपरोक्त वर्षों में वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

शिक्षा-विकास का कार्यक्रम एवं शिक्षा का भावी स्वरूप

शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्षों जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं उनमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि संविधान लागू होने के १० वर्षों के अन्दर देश के समस्त बालकों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाय। प्राथमिक शालाओं को आगे चलकर बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया जा रहा है तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में भी बहुमुखी औद्योगिक शालाओं की स्थापना हो रही है। वर्तमान प्राथमिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है।

बुनियादी शिक्षा के विस्तार हेतु विविध राज्यों में बुनियादी प्रशिक्षण शालाओं एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई है जहां से शिक्षक प्रशिक्षित होकर विविध बुनियादी केन्द्रों में कार्य कर सकेंगे। बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नये बुनियादी शिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना, बुनियादी शालाओं की स्थापना, वर्तमान शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करना, शालाओं में शिल्प व कारीगरी के कार्य सिखाना तथा छात्रों में स्वयं से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना महत्वपूर्ण माना गया है।

नवगठित मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में प्रारंभ से ही शिक्षा संबंधी अनेक कठिनाइयां रही हैं अत: स्वतंत्रता के पूर्व इन क्षेत्रों में शिक्षा का उतना विस्तार न हो सका जितना कि चाहिए था; किन्तु स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् शीघ्र ही राज्य के अनेक भागों में सामन्ती शासन की समाप्ति कर लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया गया। आज राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को सर्वप्रभुतासम्पन्न लोकशासन के अन्तर्गत ले लिया गया है तथा राज्य के प्रत्येक भाग में शैक्षणिक-सांस्कृतिक प्रगति के मार्ग प्रशस्त किये जा रहे हैं। राज्य की नवीन शिक्षा नीति में जहां उच्च शिक्षा हेतु प्रौद्योगिक व चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रावधान किया गया है वहां उच्च, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा के विकास के भी प्रयत्न किये गये हैं। जो प्रौढ़ नियमित शालाओं में नहीं जा सकते हैं किन्तु जिनका देश की भावी समृद्धि के हित में साक्षर होना आवश्यक है उन्हें विविध समाज कल्याण केन्द्रों में रात्रिशालाओं में शिक्षा दी जा रही है ताकि वे साक्षर हो सकें व स्वास्थ्य, स्वच्छता, नियमित जीवन व आर्थिक हित की विविध योजनाओं का ज्ञान प्राप्त कर अपनी संस्कृति को अशिक्षा व अज्ञान के अभिशाप से दूर रख सकें। राज्य शासन द्वारा शिक्षा-विकास संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत यह प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज का कोई भी वर्ग निर्धनता व साधनहीनता के कारण शिक्षाप्राप्ति से वंचित न रह जाय। इस हेतु राज्य में हरिजन बालकों, पिछड़ी जाति के बच्चों व शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। मध्यप्रदेश की शिक्षा-विकास नीति के सफल क्रियान्वय हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में २,०६२.८५ लाख रुपये की शिक्षा योजना बनाई गई है जिसके अनुसार राज्य के कुल ७०,०३८ गांवों एवं २०२ छोटे-बड़े

विभाग/जिला	साक्षर पुरुष	साक्षर स्त्रियां	कुल
शहडोल	३०,९२६	२,५६८	३३,४९४
इन्दौर विभाग ..	५,०६,९२६	१२२,६८६	६,२९,६१२
इन्दौर	१,१२,१७३	४१,१११	१,५३,२८४
रतलाम	४३,९२६	९,७०९	५३,६३५
उज्जैन	६३,३२५	१५,५०९	७८,८३४
मन्दसौर ..	७८,०९९	१२,९२८	९१,०२७
देवास	३०,७७४	५,४६७	३६,२४१
धार	३९,८२०	६,८७७	४६,६९७
झाबुआ	६,५४१	२,५२७	९,०६८
निमाड़ (खरगोन)	६६,२०२	११,००७	७७,२०९
निमाड़ (खंडवा) ..	६६,०६६	१७,५५१	८३,६१७
ग्वालियर विभाग ..	२,१४,४२७	२८,३६१	२,४२,७८८
ग्वालियर ..	६४,६९८	१२,३५६	७७,०५४
भिंड	४३,२३१	३,७३५	४६,९६६
मुरैना	४२,९६५	३,६३४	४६,५९९
शिवपुरी ..	२३,४७८	२,९५७	२६,४३५
गुना	२७,६०९	४,५९७	३२,२०६
दतिया	१२,४४६	१,०८२	१३,५२८
भोपाल विभाग ..	२,३४,२७६	४३,०८०	२,७७,३५६
सीहोर	३९,३३०	११,०८२	५०,४१२
रायसेन	१४,७००	३,२२३	१७,९२३
विदिशा	२५,४७५	३,८८९	२९,३६४
होशंगाबाद ..	६५,९७०	१२,४१६	७८,३८६
बैतूल	३६,७६३	६,७६४	४३,५२७
राजगढ़	२४,७५०	२,६३७	२७,३८७
शाजापुर.. ..	२७,२८८	३,०६९	३०,३५७
योग ..	२१,४९,९१७	४,१६,३१६	२५,६६,२३३

टिप्पणी:—सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत:—जनगणना का प्रतिवेदन, १९५१

निम्नांकित तालिका राज्य के ७ संभागों का साक्षरता का प्रतिशत स्पष्ट करती है:—

तालिका क्रमांक ७६

साक्षरता-प्रतिशत

(१९५१)

संभाग	साक्षरता-प्रतिशत		
	पुरुष	स्त्रियां	योग
१	२	३	४
रायपुर संभाग	१४.९	२.६	८.६
बिलासपुर संभाग	१२.९	२.३	७.६
जबलपुर संभाग	२०.७	४.८	१२.८
रीवां संभाग	१०.७	१.१	६.०
इन्दौर संभाग	२१.३	५.४	१३.५
ग्वालियर संभाग	१४.३	२.२	८.६
भोपाल संभाग	१४.९	२.९	९.१
सम्पूर्ण राज्य	..	..	९.८४

टिप्पणी:—सुनेल के समंक समायोजित नहीं हैं

सूचना स्रोत:—जनगणना प्रतिवेदन, १९५१

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि गत जनगणना के अनुसार राज्य में कुल २५,६६,२३३ व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें से पुरुषों की संख्या २१,४९,९१७ थी तथा स्त्रियों की संख्या ४,१६,३१६ थी। समष्टि रूप से राज्य में साक्षरता का प्रतिशत ९.८४ है। निम्न सारणी में मध्यप्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक वर्गों की संख्या दी गई है जिससे गत जनगणना के अनुसार राज्य में विभिन्न विषयों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होती है:—

तालिका क्रमांक ७७

साक्षर व्यक्तियों का वर्गीकरण

(१९५१)

वर्ग	पुरुष	स्त्री	योग
१	२	३	४
साक्षर	१९,०८,१७६	३,६६,१३२	२२,७४,३०८
माध्यमिक शाला उत्तीर्ण ..	१,३४,८४४	२५,९९०	१,६०,८३४
उच्च माध्यमिक शाला उत्तीर्ण	६१,७८०	७,७६९	६९,५४९
कला एवं विज्ञान में इण्टर-मिजिएट	११,८५८	१,८३८	१३,६९६
कला एवं विज्ञान में स्नातक	८,५१९	१,०६४	९,५८३
प्रशिक्षण प्रशिक्षित ..	४,०९६	१,०२९	५,१२५
इंजीनियरिंग	७९९	१६	८१५
कृषि	३१८	१	३१९
पशुचिकित्सा	१७६	२	१७८

साक्षरता प्रतिशत

(१९५१)

वर्ग	पुरुष	स्त्री	योग
१	२	३	४
वाणिज्य	८५४	९	८६३
विधि..	३,१००	३३	३,१३३
स्वास्थ्य विशेषज्ञ ..	२,०१०	२०९	२,२१९
कला एवं विज्ञान में स्नातकोत्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण	२,२१७	२१४	२,४३१
अन्य	९,२८१	७,९३६	१७,२१७
योग ..	२१,४८,०२८	४,१२,२४२	२५,६०,२७०

टिप्पणीः—सुनेल व सिरोंज के समंक समायोजित नहीं किये गये हैं

सूचना स्रोतः—जनगणना, १९५१

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश में समस्त शिक्षित जनसंख्या में प्रौद्योगिक व व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत न्यून है। सन् १९५१ की जनगणनानुसार उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जो सामान्य पत्र पढ़ एवं लिख सके। उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि राज्य में प्रौद्योगिक विषयों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कला आदि विषयों में शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत कम है। इसके मल मे राज्य मे प्रौद्योगिक विषयों के अध्ययन हेतु पर्याप्त शिक्षण संस्थाएँ न होना ही है किन्तु आशा है कि शिक्षण संस्थाओं की यह कमी अधिक दिनों तक न रह सकेगी तथा शीघ्र ही सम्पूर्ण राज्य में व्यापक रूप से शिक्षा-विकास हो सकेगा। निम्न सारणी में मध्यप्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं का सिंहावलोकन किया गया है, जिससे राज्य में प्रारंभिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, उच्च शिक्षण संस्थाओं व प्रौद्योगिक विषयों से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थिति, उनसे लाभ प्राप्त करने-वाले छात्रों की संख्या व उन संस्थाओं पर व्यय की जानेवाली राशि ज्ञात होती है:—

तालिका क्रमांक ७८
मध्यप्रदेश में शिक्षण संस्थाएँ
(१९५६–५७)

संस्था का प्रकार	शासकीय	अशासकीय	योग
१	२	३	४
पूर्व प्राथमिक शालाएँ	१६	४६	६२
प्राथमिक शालाएँ.—			२१,०४०
बालकों के लिये	१२,०४६	७,५५२	..
बालिकाओं के लिये	१,२२१	२२१	..
माध्यमिक शालाएँ.			१,३११
बालकों के लिये	७५२	४२१	..
बालिकाओं के लिये	१२०	१८	..
उच्च विद्यालय.—			३४६
बालकों के लिये	१२९	१५८	..

संस्था का प्रकार	शासकीय	अशासकीय	योग
१	२	३	४
वालिकाओं के लिये	४०	१९	..
बुनियादी शालाएँ	१०७२	५११	१५८३
उच्चतर माध्यमिक उद्देश्यीय विद्यालय ..	१६	१	१७
अन्तर महाविद्यालय	२२	९	३१
प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय ..	..	..	३६
पुरुषों के लिये	३२	२	..
स्त्रियों के लिये	२	..	..
अवर स्नातक प्रशिक्षण विद्यालय	३	..	३
स्नातकोत्तर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय ..	८	१	९
औद्योगिक संस्थाएँ	५	२	७
उत्पादन शिक्षण-केन्द्र	७	..	७
उद्योग शालाएँ	१३	१	१४
व्यावसायिक शालाएँ	२२	६	२८
कृषि शालाएँ	१२	..	१२
वाणिज्य शालाएँ	..	३	३
जनता महाविद्यालय	..	२	२
वाणिज्य महाविद्यालय	१	३	४
कला महाविद्यालय	१०	११	२१
विज्ञान महा-विद्यालय	६	..	६
विधि महाविद्यालय	१	४	५
चिकित्सा महाविद्यालय	३	१	४
यांत्रिक महाविद्यालय	३		३
अन्य संस्थाएँ व महाविद्यालय	१,२२६	१	१,२२७
सस्थाओं का सकल योग	१६,७८८	८,९९३	२५,७८१

सूचना स्रोत—शिक्षा विभाग भूतपूर्व विंध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित पत्रिका "विन्ध्य शिक्षा" नवमध्यप्रदेश अंक व दिसंबर १९५६ .

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश में समष्टि रूप से २५,७८१ विविध शिक्षण संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में पूर्व प्राथमिक शालाओं से लेकर उच्च वैज्ञानिक व तांत्रिक विषयों की शैक्षणिक संस्थाओ का भी समावेश है। उपरोक्त समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में से १६,७८८ शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन शासन द्वारा होता है जबकि शेष ८९९३ शिक्षण संस्याएँ विविध गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शासन द्वारा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही विविध नियमों द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं का नियमन भी किया जाता है। राज्य मे पूर्व प्राथमिक शालाओं

की संख्या ६३ है जहां कि ५ वर्ष से कम की आयु के बच्चों को मांटेसरी शिक्षा पद्धति द्वारा अक्षर ज्ञान करवाया जाता है साथ ही उनकी अभिरुचि अध्ययन की ओर मोड़ी जाती है। प्राथमिक शालाओं की संख्या २१,०४० है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल की समाप्ति तक प्राथमक शालाओं की संख्या और भी बढ़ जावेगी क्योंकि भावी शिक्षा योजनाओं के अनुसार राज्य के प्रत्येक भाग को शिक्षा के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न किया जावेगा। राज्य में बुनियादी शालाओं की स्थापना की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय राज्य में कुल १,५८३ बुनियादी शालाएँ कार्यरत हैं। साथ ही १७ उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं जहा कि छात्रों को विविध तांत्रिक व व्यावसायिक विषयों में शिक्षा दी जाती है। राज्य मे ७ शासकीय शिक्षण उत्पादन केन्द्र हैं जहां कि छात्रों को हाथ से कार्य करने सवधी उद्योग मे प्रशिक्षित किया जाता है। उद्योग, कृषि, वाणिज्य तथा अन्य व्यावसायिक कार्यो के लिये प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में अनेक शालाएँ चल रही हैं। उच्च अध्ययन हेतु राज्य मे २ जनता महाविद्यालय, ४ वाणिज्य महाविद्यालय, २१ कला महाविद्यालय, ६ विज्ञान महाविद्यालय, ४ चिकित्सा महाविद्यालय व ३ यांत्रिक महाविद्यालय हैं जहां कि विविध विषयों में छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाती है। राज्य में १,२२७ ऐसी शिक्षण संस्थाएँ व महाविद्यालय हैं जिन्हें किसी विशेष श्रेणी मे नही रखा जा सकता किन्तु इन सस्थाओं द्वारा छात्रों को अध्ययन संबंधी लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

आज सम्पूर्ण प्रदेश को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत लाने के प्रयत्न चल रहे हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य के प्रत्येक ५ गांवों के बीच एक प्राथमिक शाला की स्थापना की योजना बनाई जारही है। शिक्षा संबंधी विकास को गति देने हेतु विभिन्न सामुदयिक योजना केन्द्रों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे ग्रामों में जनता के सहयोग से प्राथमिक शालाओं, बुनियादी शालाओं एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के कार्य को गति प्रदान करें।

विश्वविद्यालय

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के विकास के भी पूर्ण प्रयत्न किये जावेंगे। अभी तक राज्य में सागर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई विश्वविद्यालय नहीं था किन्तु जबलपुर व उज्जैन में दो नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। खैरागढ़ में इन्दिरा संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में विश्वविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हो सकेगा साथ ी प्रदेश में आर्थिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी सुविधायें भी उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में उच्च शिक्षा हेतु नवीन विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना, वर्तमान महाविद्यालयों का विकास तथा अनुसंधान संबंधी सुविधाओं की पूर्ति का प्रावधान किया गया है। संगीत एवं कला के विकास हेतु हाल ही में खैरागढ़ में जो संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वह राज्य एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में संगीत एवं ललित कलाओं से संबधित ज्ञान के विस्तार में योगदान कर सकेगा। जबलपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में शासन द्वारा एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय एवं अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है जहां कि छात्रों

को विविध विषयों पर उच्च कोटि का संदर्भ साहित्य उपलब्ध हो सकेगा तथा वे शासन द्वारा नियुक्त योग्य पदाधिकारियों के निर्देशन में विविध विषयों पर अन्वेषण एवं अनुसंधान कर सकेंगे।

प्रौद्योगिक एवं चिकित्सा संबंधी शिक्षा

राज्य में अभी प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की कुछ कमी है। यही कारण है कि राज्य में डॉक्टरों, इंजीनियरों एवं पशु-चिकित्सकों की कमी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जबलपुर स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विकास कार्य किया जायगा तथा अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जायेगा। जबलपुर व भोपाल के चिकित्सा महाविद्यालयों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने लगभग २॥ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। जबलपुर स्थित पशु-चिकित्सा महाविद्यालय का भी विस्तार किया जायेगा ताकि पशु-चिकित्सा हेतु अधिक विशेषज्ञों की प्राप्ति हो सके। प्रौद्योगिक क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञों की प्राप्ति हेतु रायपुर में एक भूगर्भ विद्या संबंधी महाविद्यालय की स्थापना की गई है जहां कि भूगर्भ एवं धातु-परीक्षण संबंधी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। रायपुर में एक आयुर्वेदीय महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है जहां कि छात्रों को आयुर्वेदिक पद्धति पर आयुर्विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। साथ ही एक आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है जहां कि प्रतिवर्ष ३५ छात्र शिक्षा पा सकेंगे। भोपाल में नवीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के प्रयत्न चल रहे हैं।

छात्रों को शिक्षण-शुल्क-सुविधाएँ

शिक्षा के व्यापक प्रचार के हित में प्रदेश के विभिन्न भागों में छात्रों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इन सुविधाओं का स्वरूप राज्य में सम्मिलित विविध क्षेत्रीय इकाइयों में पृथक्-पृथक् है किन्तु शीघ्र ही इन सुविधाओं में एकरूपता लाई जायेगी तथा सम्पूर्ण राज्य इन सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। इस समय पुनर्गठित मध्यप्रदेश के महाकोशल क्षेत्र में ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा उन छात्रों को मैट्रिक परीक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है—

(१) जिनके अभिभावक भूमिहीन कृषक मजदूर हैं।

(२) जिनके अभिभावक ऐसे किसान हैं जिनके पास २० एकड़ से कम भूमि है।

(३) जिनके अभिभावक ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी आय १०० रुपये प्रतिमाह से कम है।

(४) जिनके अभिभावक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के हैं।

(५) जिनके अभिभावक ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं जिनके पास ५० एकड़ से कम जमीन है या जिनकी आय का कोई और साधन नहीं है या जो आय-कर तथा व्यवसाय-कर नहीं देते हैं; और

(६) जिनके अभिभावक ऐसे आरक्षी कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु शासन की सेवा करते हुई हो।

मध्यप्रदेश में साक्षरता

१९५१

प्रतिशत में

२०
१५
१०
५

१७·३
३·५
शेष मध्यप्रदेश

१७·४
३·७
मध्यभारत

१०·९
१·१
विन्ध्यप्रदेश

१२·३
३·९
भोपाल

१६·३
३·२
नवीन मध्यप्रदेश

पुरुष

स्त्री

महाकोशल के अतिरिक्त मध्यभारत क्षेत्र के १६ जिलों में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा छात्राओं को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सीहोर एवं रायसेन जिलों में शहरी क्षेत्रों में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए निःशुल्क अध्ययन का प्रावधान है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम कक्षा से १०वीं कक्षा तक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक सभी के लिए निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था है तथा ९वीं व १०वीं श्रेणी के ऐसे छात्रों का शिक्षण शुल्क माफ है जिनके कि अभिभावक आय-कर या कृषि-कर नहीं देते हैं। हाल ही में घोषणा की गई है कि विभिन्न भागों मे दी जानेवाली शैक्षणिक सुविधाओं में संपूर्ण राज्यीय स्तर पर साम्य स्थापित किया जायगा तथा शैक्षणिक सुविधाओं को और भी अधिक व्यापक बनाया जायगा।

नवीन अनुसंधान एवं अन्वेषण सुविधाएँ

आधुनिक युग विज्ञान का युग है तथा विश्व प्रतिदिन विज्ञान के नवीन चरण रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। राज्य में ज्ञान-विज्ञान के व्यापक प्रचार एवं छात्रों की नई शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा कृषि, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, खनिजशास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग व आर्थिक विषयों पर अन्वेषण हेतु विविध पुरस्कार व छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। तत्संबंध में राज्य की दो संस्थाओं—शासन साहित्य परिषद् एवं कला परिषद्—का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिनके माध्यम से प्रत्येक वर्ष साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र मे योग्य प्रतिभाओं की मौलिक कृतियों, उत्कृष्ट अनुवादों व अनुसंधानों पर विशेष पुरस्कार दिये जाते है तथा छात्रों एवं शैक्षणिक जगत से संबंधित व्यक्तियों को समाजकल्याणकारी नवीन गवेषणाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर अन्वेषण हेतु जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज व कलानिकेतन में बहुमूल्य यंत्र आदि सामग्री मंगाई गई है जिसमें कि छात्रों को प्रौद्योगिक विषयों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। यहां के छात्रों को प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा विविध औद्योगिक क्षेत्रों के योग्य प्रौद्योगिकों के निर्देशन में व्यावहारिक शिक्षा के विस्तृत ज्ञान-दान की दृष्टि से भेजा जा रहा है।

राज्य में "एलोपैथी" तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान हेतु भी इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में विशेष व्यवस्था की गई है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में "पैथालाजी" (Pathology) एवं शल्य चिकित्सा के अन्वेषण के लिये विभाग स्थापित किया गया है तथा इस महाविद्यालय में चिकित्साशास्त्र के स्नातकोत्तरीय अध्ययन (Post-graduate studies) की भी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार इंदौर के महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय में "कार्डियालाजी" (Cardialogy) व "हिमटोलाजी" (Hæmatology) विभाग क्रमशः हृदय रोगों व रक्त रोगों के निदान व तत्संबंधी अन्वेषण हेतु स्थापित किया गया है जिन्हें शासन की आर्थिक सहायता द्वारा और विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। हाल ही में उपरोक्त दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में "एक्सरे" व रसायनशाला संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु भी व्यवस्था की गई है जहां कि छात्र उच्च प्रशिक्षित चिकित्साशास्त्र विशेषज्ञों के निर्देशन में कार्य कर सकेंगे। आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु इंदौर में औषधि अन्वेषण-शाला की स्थापना की गई है तथा रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में भी तत्संबंधी

अनुसंधान के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त इन सब अनुसंधान सुविधाओं के कारण राज्य में नवीन शिक्षा मूल्यों का जन्म हो रहा है तथा इससे न केवल छात्र ही वल्कि उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनता को भी अनेकानेक लाभ हो रहे हैं।

उपर्युक्त विवेचन से मध्यप्रदेश में शिक्षा संबंधी स्थिति स्पष्ट होती है। यद्यपि शिक्षा एवं साक्षरता का अधिकाधिक प्रचार करने में राज्य सरकार क्रियाशील है तथापि राज्य में अभी भी शिक्षा-विकास का पर्याप्त क्षेत्र अवशेष है।

लोकस्वास्थ्य

मानव जीवन में स्वास्थ्य की महत्ता सर्वोपरि है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है इसीलिए पुराणों में वर्णित सात सुखों में "निरोगी काया" को सर्वाग्रिम स्थान प्रदान किया गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि स्वस्थ नागरिकों द्वारा ही राष्ट्र-कल्याण संभव है। स्वास्थ्य न केवल वैयक्तिक सम्पत्ति है बल्कि स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति होते हैं। लोकस्वास्थ्य की इस महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में जागरूकता रखना अर्थात् जनता के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक व चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएँ जुटाना राज्य सरकार के प्रमुख राष्ट्रीय कर्तव्यों में से एक है। लोकस्वास्थ्य से यहां हमारा तात्पर्य मोटे तौर से उन सिद्धांतों से है जिनका उद्देश्य संपूर्ण रूप से मानव के स्वास्थ्य में वृद्धि करना तथा अस्वस्थता से उसकी रक्षा करना है।

मध्यप्रदेश शासन नागरिकों के लिए समुचित चिकित्सा-व्यवस्था करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार ने लोकस्वास्थ्य संबंधी अपने गुरुतर भार को पूर्णरूप से संभाला है। फलस्वरूप मध्यप्रदेश की जनता को चिकित्सा संबंधी पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। मध्यप्रदेश राज्य में लोकस्वास्थ्य के अन्तर्गत कार्यक्रमों में न केवल रुग्ण व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक औषधालयों के निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि रोगों के नियंत्रण के लिए शुद्ध जल पूर्ति, सफाई तथा रोग-निबंधक दवाओं तथा इंजक्शनों का प्रयोग भी किया जा रहा है। किसी भी राज्य में लोकस्वास्थ्य की दिशा में किये गये प्रयासों की सफलता सरकार द्वारा इस मद पर किये जानेवाले व्यय, जनता द्वारा उठाये गये लाभों तथा फलस्वरूप मृत्यु-दर में कमी एवं मनुष्यों की औसत आयु में वृद्धि होने से आंकी जा सकती है। अधोलिखित तालिका में राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किये गये रुग्णों की संख्या प्रस्तुत की गई है :—

तालिका क्रमांक ७९

इलाज किए गये रोगियों की संख्या
(१९५१)

वर्ष	अन्तर्कक्ष	बाह्यकक्ष	योग
१	२	३	४
१९४९ ..	८९,४२२	३८,३७,७३६	३९,२७,१५८
१९५० ..	८०,१४३	३३,३५,७१२	३४,१५,८५५
१९५१ ..	१,२१,६९५	८२,९८,८८०	८४,२०,५७५

सूचना स्रोत.—१. भारत का सांख्यिकीय संक्षेप १९५१–५२–५३–५४
२. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भूतपूर्व मध्यप्रदेश

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की स्थानीय संस्थाओं, वैयक्तिक सहायताप्राप्त चिकित्सालयों एवं शासकीय सहायताप्राप्त औषधालयों आदि विभिन्न प्रकार के औषधालयों एवं चिकित्सालयों में वर्ष १९५१ में ८४,२०,५७५ रुग्णों की चिकित्सा की गई थी जिसमें १,२१,६९५ अन्तर्कक्ष तथा ८२,९८,८८० वाह्यकक्ष रोगी सम्मिलित थे। ये समंक निश्चित ही राज्य के चिकित्सालयों में शैय्याओं की व्यवस्था तथा सुयोग्य व्यवस्था के द्योतक हैं। वर्ष १९५१ के पूर्व १९५० में भी ३४,१५,८५५ विविध प्रकार के रोगग्रस्त व्यक्ति लाभान्वित हुए थे, जिनमें ८०,१४३ अन्तर्कक्ष तथा ३३,३५,७१२ वाह्यकक्ष रोगी थे। वर्ष १९४९ में भी ८९,४२२ अंतर्कक्ष तथा ३८,३७,७३६ वाह्यकक्ष रोगियों की चिकित्सा की गई थी।

लोकस्वास्थ्य मद के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना तथा रोगों के निरोध के लिये स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण बनाने आदि कार्यों का भार राज्य सरकार पर ही रहता है। योजनाकाल के पूर्व अपनी सीमित आय के कारण लोकस्वास्थ्य हेतु किये गये प्रयासों में द्रुतगति से वृद्धि संभव न हो सकी थी किन्तु वर्ष १९५१ में जब प्रथम पंचवर्षीय आयोजना का प्रादुर्भाव हुआ तो राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के सम्मिलित प्रयासों से इस दिशा में सर्वांगीण प्रगति हुई है। प्रथम पंचयर्षीय योजना के अंतर्गत रोगों के नियंत्रण तथा नवीन चिकित्सालयों एवं औषधालयों के निर्माण का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि राज्य में इन योजनाओं ने आशातीत सफलता प्राप्त की है।

वर्ष १९५६ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आशाप्रद प्रादुर्भाव हुआ है। इस योजना के लक्ष्य राज्य की भावी प्रगति के उद्घोषक हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में नवीन औषधालयों का निर्माण तथा मातृसदन एवं शिशुकल्याण केन्द्र आदि खोलकर समुचित स्वास्थ्यप्रद वातावरण के निर्माण के कार्य किये जावेंगे।

राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नवीन औषधालयों का निर्माण किया जावेगा तथा चिकित्सालयों की सामान्य शय्याओं में भी वृद्धि की जावेगी। इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सीहोर व रायसेन जिलों के नगर चिकित्सालयों में लगभग ५६० शय्याओं की वृद्धि की जावेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में १२ शय्यावाले ७ अस्पताल खोले जावेंगे जिन पर लगभग ४६.७१ लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान किया गया है। मध्यभारत क्षेत्र में भी १९१ ग्रेडेड औषधालय खोले जायेंगे तथा चिकित्सालयों की सामान्य शय्याओं में १,१९९ शय्याओं की वृद्धि की जावेगी। इस कार्य के लिए योजनाकाल में १,४३३.११ लाख रुपये व्यय होंगे। रीवां नगर के गांधी मेमोरियल अस्पताल में ६० शय्याओं की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतना, सीधी पन्ना, दतिया, उमरिया, टीकमगढ़ एवं छतरपुर के सातों जिला अस्पतालों में २५–२५ शय्याओंवाले एक-एक महिला वार्ड का प्रबंध किया जायगा। इन जिला अस्पतालों को

दन्त चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा तथा पेथोलॉजी संबंधी समस्त यंत्रों से सुसज्जित किये जाने से जनता को वहीं तत्संबंधी सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त होशंगाबाद, मंडला, बैतूल तथा बालाघाट के मुख्य चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया जा चुका है जिन पर १०.०८ लाख रुपये द्वितीय योजनाकाल मे व्यय किये जायेंगे। छिंदवाड़ा और सागर जिलों के स्त्री चिकित्सालयों का भी प्रान्तीय-करण हो चुका है जिस पर ९.७३ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़ व बिलासपुर मे ४ गुप्तरोग केन्द्र भी स्थापित किये जावेंगे जिन पर ३.०४ लाख रुपये व्यय होंगे। जो व्यक्ति जिला अस्पतालों तक न जा सकें वे ग्राम में ही लाभान्वित हो सकेंगे। नौगाव के क्षयरोग चिकित्सालय, को जिसमें इस समय ७० शैय्याओं की व्यवस्था है, को २०० शैय्याओं से पूर्ण एवं एक्सरे प्लान्ट तथा अन्य आधुनिक सामग्री से सुसज्जित किया जायगा जिसमे ४.३२ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। छतरपुर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़ में क्षयरोग के लिये चिकित्सालय खोले जायेंगे जिसमे ५ लाख रुपये व्यय होंगे। रीवा, पन्ना, सीधी एवं टीकमगढ़ में गुप्तरोग के और ४ चिकित्सालय खोले जावेंगे जिनमें २.५ लाख रुपये व्यय होंगे। भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र मे १६ संतति निग्रह केन्द्रों की स्थापना भी की जावेगी। विक्षिप्तालयों की महत्ता को अनुभव करते हुए राज्य के विक्षिप्तालयों का पुनर्व्यवस्थापन भी किया जा रहा है।

ऐलोपैथी पद्धति के चिकित्सालयों के अतिरिक्त योजनाकाल मे राज्य के मध्यभारत क्षेत्र में ही ११८ आयुर्वेदिक औषधालय खोले जावेंगे तथा ९४ अश्रेणीबद्ध (Unclassified) औषधालयों को 'ब' वर्ग के आयुर्वेदिक औषधालयों में परिणित किया जावेगा। ४० आयुर्वेदिक औषधालयों को 'अ' श्रेणी तथा ७९ औषधालयों को 'ब' श्रेणी के अन्तर्गत कर दिया जायगा। इन सब कार्यो के व्यय हेतु ९.७५ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। भूतपूर्व मध्यभारत क्षेत्र में ही १.३५ लाख के व्यय से आयुर्वेदिक फार्मेसी का पुनर्गठन किया जायेगा।

द्वितीय योजनाकाल में रोगों के नियंत्रण के लिए भी समुचित प्रयास किये जावेंगे। इस शीर्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण तथा राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण के लिए पर्याप्त द्रव्यराशि का प्रावधान किया गया है। कोढ़रोग नियंत्रण के लिए राज्य में सहायक केन्द्रों की भी स्थापना की जारही है। क्षयरोग के नियंत्रण हेतु बी. सी. जी. आन्दोलन को सफल बनाने के लिए भी योजनाकाल में व्यय निर्धारित किया गया है।

राज्य मे एलोपैथी तथा आयुर्वेदिक पद्धति की पर्याप्त तथा समुचित चिकित्सा के अतिरिक्त डॉ० एस० सेन द्वारा स्थापित भारत का एकमात्र नवेगांव (जिला छिंदवाड़ा) होमियोपेथी आरोग्यधाम भी स्थित है। २६ जनवरी १९५५ में यह आरोग्यधाम सरकार द्वारा ले लिया गया है। इस आरोग्यधाम में ५० शय्याओं की व्यवस्था की गई है जिसमें से १० क्षयरोग के लिए सुरक्षित हैं। यह आरोग्यधाम पेट संबंधी व मस्तिष्क संबंधी क्षय व अनेक कष्टसाध्य रोगों को अच्छा करने में सफल रहा है तथा कम व्यय पर उत्तम चिकित्सा प्राप्त कराने में अद्वितीय कहा जा सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में क्षयरोग निवारक केन्द्रों तथा क्षयरोग शय्याओं की समुचित व्यवस्था है। राज्य में महाकोशल क्षेत्र के ८ जिला मुकाम चिकित्सालयों में

प्रत्येक में १० शय्यावाला विरुजालय संलग्न किया जायगा तथा जिला चिकित्सालयों में क्षयरोग संबंधी शय्याओं की व्यवस्था की जावेगी जिनके लिए क्रमशः १३.०४ तथा ३३.७६ लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। राज्य के उत्तरी क्षेत्र भूतपूर्व मध्यभारत में भी ६ शय्यावाले ८ और क्षय विरुजालय खोले जायेंगे तथा क्षयरोग हेतु १५४ शय्याओं की वृद्धि की जावेगी। इन कार्यों के लिए योजनाकाल में १५.०१ लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

बाल-मृत्यु की ऊंची दर को देखते हुए मातृसदन तथा शिशुकल्याण केन्द्रों की महत्ता भी राज्य में बहुत अधिक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रशंसनीय कदम उठाये हैं। पंचवर्षीय योजनाकाल में भोपाल नगर में ३ मातृसदन एवं शिशुकल्याण केन्द्र तथा रायसेन व सीहोर जिलों की तहसीलों के सदर मुकाम में ५ मातृसदन एवं शिशुकल्याण केन्द्र खोले जावेंगे। इन केन्द्रों पर ५.०० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

जबलपुर नगर में १८९.८९ लाख रुपये की लागत से चिकित्सा महाविद्यालयों तथा विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए संलग्न अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रायपुर में २५.१० लाख रुपये की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण हो चुका है तथा ग्वालियर में भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के निर्माण पर ५.४० लाख रुपये व्यय होंगे। इस शीर्षक के अन्तर्गत पुराने आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा तथा मध्यभारत क्षेत्र में ही वैद्यों के प्रशिक्षण के लिए ०.२२ लाख रुपये व्यय होंगे। मध्यभारत में ०.४५ लाख की लागत से आयुर्वेदिक शिक्षण चिकित्सालय के विस्तार की भी योजना क्रियान्वित की जावेगी।

भूतपूर्व महाकोशल, मध्यभारत एवं विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में १९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ८१.८७ लाख रुपयों की लागत से स्थापित किये जायेंगे तथा जनता की सेवा के लिये भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में १.३ लाख रुपये से २ चलते-फिरते नेत्र चिकित्सालय और ७ दन्त चिकित्सालय स्थापित किये जावेंगे जिसमें २.०२ लाख रुपये व्यय होंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोकस्वास्थ्य पर १,४३३.११ लाख रुपयों का व्यय, योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा राज्यीय प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि लोकस्वास्थ्य की दिशा में राज्य में द्रुतगति से प्रगति होगी ताकि स्वस्थ एवं प्रसन्न जनता के स्वस्थ मस्तिष्कों के सुदृढ़ विकास से राज्य निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता रहेगा एवं सुख तथा समृद्धि को प्राप्त होगा।

समाज-कल्याण

लोकप्रिय जन-कल्याणकारी शासन की नीति का प्रमुख अंग समाज-कल्याणकारी योजनाएँ होती हैं जिनके आधार पर उस शासन के अन्तर्गत आनेवाले समाज के विविध घटक विकसित होते है। आज सम्पूर्ण भारत एक लोकतांत्रिक जन-कल्याणकारी शासन के अन्तर्गत कार्य कर रहा है तथा उसके विभिन्न भागों को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न करने हेतु व्यापक प्रयत्न चल रहे हैं। इन सारे प्रयत्नों के मूल मे हमारे लोकप्रिय जनशासन की जन-कल्याणकारी भावना का ही प्राधान्य है। वैसे समाज-कल्याण एक व्यापक शब्द है। एक ओर उसमें समाज के विविध अंगों के सामूहिक कल्याण का भाव है तो दूसरी ओर वर्तमान दूषित समाज व्यवस्था से सम्पूर्ण जनजीवन को उच्च जीवन स्तर की ओर ले जाकर समाज के सभी वर्गो के चहुंमुखी विकास का भाव निहित है। यही कारण है कि आज जब शासन एक ओर मजदूरों एवं सर्वहारा-जनता की व्यक्तिगत एवं सामाजिक कुरीतियों के निवारण का प्रयत्न करता है तो मद्यपान, द्यूतक्रीड़ा एवं अन्य अनैतिक व्यापारों के निवारण जैसी योजनाओं को भी प्रश्रय देता है ताकि समाज में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा कायम हो सके तथा समाज अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक शक्तियों को सामाजिक कुरीतियों में व्यय न करके जन-कल्याण के राष्ट्रमंगलकारी कार्यो में लगावे।

मध्यप्रदेश की इकाइयों में उपरोक्त विचार को अपनी प्रशासनिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग मान लिया गया था यही कारण है कि सम्पूर्ण प्रदेश में पिछले वर्षो में अनेक ऐसी योजनाओं को हाथ में लिया गया है जिनका कि सीधा सम्बन्ध राज्य के हजारों बालक-बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास से है, लाखों नवयुवतियों एवं मध्यमवर्गीय महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक अभ्युत्थान से है तथा राज्य के हजारों की संख्या में फैले मजदूरों, किसानों व अल्प-वेतनजीवियों के जीवन स्तर उत्थान से है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के शब्दों में कहा जावे तो स्वतंत्रता के पश्चात् भारत एक मौन क्रांति से गुजर रहा है जिसका कि प्रभाव उसके समस्त राष्ट्रीय जीवन पर स्पष्ट है तथा यदि हमने इस मौन क्रांति की विविध शक्तियों को बुद्धिमानीपूर्वक व्यवहृत किया तो निश्चित ही ये शक्तियां हमें हमारे सहकारी समाज के महान् लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकेंगी। कहना न होगा कि हमारा सहकारी समाज का पवित्र लक्ष्य एक मूलभूत लोक-कल्याणकारी शासन की स्थापना ही है।

भारतीय योजना आयोग द्वारा समाज-कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रमुख रूप निम्न विषयों को लिया गया है :—

(१) नारी-कल्याण एवं बाल-कल्याण;
(२) भिक्षावृत्ति निवारण;
(३) विविध सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करनेवाली संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करना;
(४) शारीरिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उत्थान सम्बन्धी गतिविधियां संचालित करना;
(५) युवक-कल्याण;
(६) मद्यनिषेध।

मध्यप्रदेश का निर्माण करनेवाले चारों घटक राज्यों द्वारा उपरोक्त कार्यों को मान्यता प्रदान की गई है तथा समाज-कल्याण सम्बन्धी क्षेत्र मे व्यापक योजनाओं को प्रश्रय दिया जा रहा है। भूतपूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन् १९५४-५५ मे मध्यप्रदेश समाज-कल्याण परिषद् का गठन किया गया था ताकि राज्य मे विविध समाज-कल्याण-कारी संस्थाओं का संगठन किया जा सके। आज महाकोशल के प्रत्येक जिले मे एक समाज-कल्याण योजना केन्द्र संचालित किया जा रहा है जहां कि प्रौढ शिक्षा, नारी, बाल एवं युवक कल्याण सम्बन्धी विविध योजनाओं को व्यवहृत किया जा रहा है। इस प्रकार मध्यप्रदेश के समस्त समाज-कल्याण योजना केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ों को लाभ पहुंच रहा है। मध्यप्रदेश के विविध क्षेत्रों मे भिक्षुकों की समस्या का ज्ञान हो सके इस दिशा मे भिक्षुक सर्वेक्षण सम्बन्धी कदम उठाये गये है। जबलपुर नगरनिगम तथा राज्य शासन के संयुक्त प्रयत्नों से जबलपुर मे भी एक भिक्षुक सदन की स्थापना की गई है जहां कि प्रारंभ में लगभग २८० भिक्षुक रह सकेंगे। जबलपुर में इस समय अपराधी बालकों का सर्वेक्षण चल रहा है तथा भारतीय समाज-कल्याण परिषद् के सहयोग से इस समस्या के वर्तमान स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि अशिक्षा, पैतृक आचरण एवं अस्वस्थ साहित्य एव चित्रपटों आदि के कारण बालकों मे फैलनवाले दुर्गुणों को रोका जा सके तथा उस सम्बन्ध में कोई समुचित योजना बनाई जा सके।

मध्यप्रदेश के विविध भागों मे युवक-कल्याण सम्बन्धी व्यापक योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है तथा शारीरिक विकास की योजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु "एन. सी. सी." तथा "होमगार्ड्स" की योजनाओं के अतिरिक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्रो के लिये शारीरिक प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। ग्रामों एवं कस्बों मे शारीरिक विकास की सुविधाएँ उपलब्ध हो सके इस हेतु विविध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत एक व्यायाम शाला का प्रावधान किया गया है। नारी-कल्याण की दिशा मे राज्य के विविध केन्द्रो मे अखिल भारतीय समाज-कल्याण परिषद् तथा अखिल भारतीय महिला मण्डल की योजनाओं के अनुसार "महिला-कल्याण निकेतन" स्थापित किये गये है जहांकि महिलाएँ परस्पर मिलती-जुलती है, अपनी समस्याओं का अध्ययन करती है तथा अपनी समस्याओं के निवारण का प्रयत्न करती है। इन केन्द्रों में सिवणकला तथा कढ़ाई-बुनाई सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि

महेश्वर का मन्दिर (निमाड़)

ओंकारेश्वर मन्दिर, ओंकारमान्धाता (निमाड़ जिला)

महिलाएँ अपने अवकाश का समय व्यर्थ ही न गंवाकर किसी आर्थिक महत्व के कार्य में लगा सकें।

मध्यभारत क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में विविध श्रमिक-कल्याण योजनाओं को व्यवहृत किया गया है। इन्दौर, रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर एवं विदिशा आदि केन्द्रों में मजदूर प्रशिक्षण केन्द्र, युवक व्यायाम शालाएँ, नारी-कल्याण केन्द्र एवं बाल-सुधार केन्द्रों की स्थापना करके राज्य के समाज-कल्याण कार्य को नवीन गति दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व मध्यभारत शासन द्वारा ४९७ लाख रुपये की योजनाएँ विविध सामाजिक सेवा कार्यों हेतु बनाई गई थीं जिनका प्रमुख ध्येय मजदूरों, किसानों, महिलाओं एवं तरुणों का बौद्धिक व सांस्कृतिक स्तर उठाकर उन्हें विकास के पथ-पर अग्रसर करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शासन द्वारा युवक प्रशिक्षण को प्राधान्य दिया गया है तथा इस योजना के अनुसार सन् १९५६-५७ में मध्यभारत क्षेत्र के हजारों युवकों को ए. सी. सी. प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जायगा। युवकों में समाज कल्याण-कार्यों, सहकारिता एवं संगठन की भावना जाग्रत हो सके इस हेतु मध्यभारत क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में १३ से १६ वर्ष की वयवाले समस्त शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य शारीरिक प्रशिक्षण योजना बनाई गई है।

नवगठित मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक श्रमिकों का अपना विशिष्ट महत्व है अतएव यहां के श्रमिकों की समस्या शासन के लिए एक प्रमुख समस्या है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रमिकों के सांस्कृतिक-सामाजिक उत्थान हेतु कामगार रात्रि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गए हैं जहांकि श्रमिकों के बौद्धिक विकास के साथ ही साथ मनोरंजन का भी प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की मद्यपान व द्यूतक्रीड़ा आदि सामाजिक कुरीतियों के निवारण का भी प्रयत्न किया गया है। महिला श्रमिकों के लिए शिशु-कल्याण केन्द्रों तथा मातृ-सदनों की स्थापना करना शासन की एक अपनी महत्वपूर्ण योजना है जिसके कि अन्तर्गत विविध औद्योगिक केन्द्रों में शासन व उद्योगपतियों द्वारा ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहांकि जब स्त्रियां निर्माणियों में कार्य करने जाती हैं तो उनके बच्चों की देखभाल की जाती है।

नवगठित मध्यप्रदेश में विलयित भोपाल एवं विन्ध्यप्रदेश की समाज-कल्याण योजनाओं का अपना विशिष्ट महत्व है। आज भोपाल क्षेत्र में गांवों में वाचनालयों, स्वास्थ्य-सेवा केन्द्रों तथा पंचायत घरों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह सारा कार्य वहां की जनता की स्वयं की प्रेरणा से हो रहा है।

विन्ध्यक्षेत्र में समाज-कल्याण-कार्यों का विस्तार शहरों से गांवों की ओर किया गया है तथा अब प्रत्येक गांव में पंचायत घर स्थापित किये जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त बाल-सुधार केन्द्र, युवक-कल्याण समितियां एवं महिला-कल्याण संगठन तैयार किये गये हैं जिनके कार्यकर्ता गांवों मे घूम-घूमकर सम्पूर्ण प्रदेश में परम्परा से पुरातनवादी महिलाओं एवं युवतियों में नवीन विकास का मार्ग-प्रदर्शन करते है। इस क्षेत्र मे विविध समाज-कल्याण-कार्यों को सुविधानुसार क्रियान्वित किया जा सके इस हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में २११ लाख रुपये की योजना बनाई गई थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७० लाख रुपये की योजना इस क्षेत्र के

विकास के लिए बनाई गई है जिससे कि मध्यप्रदेश के इस वनाच्छादित पिछड़े हुए क्षेत्र मे सामाजिक विकास का एक नवीन अध्याय प्रारंभ हो सकेगा।

निम्न सारणी में नवगठित मध्यप्रदेश में विलयित मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल की क्षेत्रीय इकाइयों में राज्य शासन द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में समाज-कल्याण संबंधी योजनाओं पर किया गया व्यय दर्शाया गया है:—

तालिका क्रमांक ८०

प्रथम पंचवर्षीय योजना में समाज-कल्याण संबंधी व्यय

(लाख रुपयों में)

घटक	पंचवर्षीय सकल व्यय	वर्ष १९५५-५६ के अन्त तक का संभाव्य व्यय
१	२	३
भूतपूर्व मध्यभारत	४९७.००	६०८.१२१
भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश	२११.००	१४९.३०
भूतपूर्व भोपाल	१८५.०४	१९९.३१

सूचना स्रोत :—(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना (योजना आयोग, भारत सरकार, १९५२)
(२) मध्यभारत एवं भोपाल के वित्त मंत्रियों के भाषण, १९५६-५७
(३) मध्यभारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना
(४) विन्ध्यप्रदेश का विकास व्यय, १९५६-५७

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में समाज-कल्याण एवं समाज-सेवाओं की ओर विशिष्ट ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् मध्यप्रदेश की विविध इकाइयों में मद्यनिषेध जैसे सामाजिक रोग की ओर भी विशिष्ट ध्यान दिया गया है तथा महाकोशल एवं भूतपूर्व मध्यभारत में इस योजना पर पर्याप्त व्यय किया गया है। इस समय महाकोशल के कतिपय जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध कर दिया गया है। भूतपूर्व मध्यभारत का कुल २,११४ वर्गमील का क्षेत्र मद्यनिषेध योजना के अन्तर्गत है जहां की कुल जनसंख्या लगभग ३ लाख अनुमानित की जाती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल क्षेत्रों में भी मद्यपान के विरुद्ध एक आन्दोलन खड़ा किया गया है तथा विविध प्रचार साधनों के माध्यम से जनता में मद्यपान के विरुद्ध वातावरण तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना व समाज-कल्याण

मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विविध समाज-कल्याण योजनाओं को एक विशिष्ट महत्व दिया गया है। निम्न तालिका में मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निवास-स्थान सम्बन्धी योजनाओं युक्त विविध समाज-

कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय की अनुमानित राशि दी गई है जिससे मध्यप्रदेश में समाज-कल्याण-कार्यों को दिया गया महत्व प्रतिपादित होता है:—

तालिका क्रमांक ८१

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सामाजिक-सेवाओं पर व्यय (१९५६-६१)

व्यय की मद	राशि (लाख रुपयों में)
(१) शिक्षा	२,०६३
(२) स्वास्थ्य	१,४३३
(३) निवास व्यवस्था	४५०
(४) अन्य सामाजिक सेवाएँ	९२८
योग	४,८७४

सूचना स्रोत :—(१) योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश मे समाज-सेवाओं सम्बन्धी विविध मदों को समुचित महत्व प्रदान किया गया है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, आदि अनेक समाज-कल्याणकारी योजनाओं के लिये समुचित राशि निर्धारित की गई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जहां एक ओर समाज के विविध घटकों की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का प्रयत्न किया गया है वहीं उन समस्याओं के निवारण हेतु एक रचनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। भोपाल नगर में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ५०० मकानों का निर्माण किया जायगा जहांकि औद्योगिक श्रमिक निवास कर सकें। उसी प्रकार सीहोर में भी १०० नवीन श्रमिक निवास-स्थानों का निर्माण-कार्य आरंभ कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आगामी पांच वर्षो में भूतपूर्व भोपाल राज्य के विविध क्षेत्रों में १८५ परिवारों को सहकारी संगठन के आधार पर बसाया जायगा। इन्हीं क्षेत्रों मे १०० जनजाति परिवारों को अन्य भागों में आगामी पांच वर्षो में बसाया जायगा। इसी प्रकार राज्य के उत्तरी जिलों में डबरा, नागदा, महीदपुर व जावरा में नवीन श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये जायंगे। ग्वालियर, इन्दौर, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, रायपुर, सतना, रीवां, कटनी आदि स्थानों में इसके पूर्व ही श्रमिक क्षेत्रों में कार्य करने हेतु विविध संगठन कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश में नारी-कल्याण, युवक-कल्याण, बाल-कल्याण व सामाजिक हित की अन्य योजनाओं की ओर भी विशिष्ट रूप से ध्यान दिया गया है जिससे कि इस प्रदेश को लगभग २.६१ करोड़ जनसंख्या की सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य में अपराधी एवं अपंग बालकों के प्रशिक्षण की

भी व्यवस्था की गई है तथा इस दिशा में केंद्रीय समाज-कल्याण मंडल के परामर्श से कार्य संचालित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई विविध समाज-कल्याण योजनाओं के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में नवीन समाज सुधारों का सूत्रपात हो सकेगा तथा समाज-कल्याणकारी सहकारी राज्य की स्थापना की दिशा में एक नवीन मार्ग प्राप्त हो सकेगा जिसका कि लक्ष्य सदियों से शोषित-प्रताड़ित समाज के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाकर एक स्फूर्ति-पूर्ण सर्वगुण-सम्पन्न समाज की स्थापना करना है।

'श्रम ही जीवन है'—पत्थर फोड़ते हुए आदिवासी

अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियाँ

लोककल्याणकारी जनशासन का प्रमुख ध्येय नागरिकों को विना जाति, धर्म एवं वर्गभेद के समान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान की सुविधाएँ प्रदान करना होता है ताकि देश के सभी नागरिक अवाधित रूप से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद शीघ्र ही केन्द्रीय शासन का ध्यान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो की ओर गया जिन्हें स्वतंत्रता की छत्र-छाया में शिक्षा, सभ्यता एवं उच्च विचारों के प्रकाश की आवश्यकता थी ताकि ये युग-युग से पिछड़े हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग भी अपना नव-निर्माणकर देश की सुख-समृद्धि का लाभ उठा सके एवं अपने व्यापक सहयोग द्वारा भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्राचीन गौरव अक्षुण्ण रख सकें। देश की अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े हुए लक्ष-लक्ष व्यक्तियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु भारतीय संविधान द्वारा देश के इतिहास में सर्वप्रथम वार व्यापक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है तथा उनके साथ समानता एवं सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार न करना एक सामाजिक अपराध घोषित किया गया है।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गो के समुचित उत्थान हेतु देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायः समस्त राज्य सरकारों को आदेश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन पिछड़े हुए वर्गो के पुनरुत्थान हेतु व्यापक योजनाएँ बनायें तथा उन्हें व्यवहृत करें। आदिम जाति वन्धुओं एवं पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्तियों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दी जानेवाली विधानदत्त सुविधाएँ जिन्हें कि देश मे सर्वत्र व्यवहृत किया जा रहा है निम्न हैं :—

न किसी कुएं, तालाव या स्नान घाट आदि जैसे जनोपयोगी स्थानों से ही दूर रखा जा सकता है।

(२) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अधिकार है कि वे योग्यतानुसार राज्य के किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकें।

(३) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अधिकार है कि वे कोई भी विधिमान्य उद्योग, व्यापार या व्यवसाय कर सकें।

(४) संविधान द्वारा देश के समस्त नागरिकों को शिक्षा सम्बन्धी दिये गये मौलिक अधिकारों के अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के शिक्षार्थियों को किन्हीं भी जातीय या वर्ग सम्बन्धी कारणों से शिक्षणगृह में प्रवेश न देना या प्रवेश देने में कोई भेदभाव रखना वर्जित किया गया है।

(५) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रहें इस हेतु भारतीय संविधान द्वारा उन्हें संसद् व राज्य विधान मंडलों में विशेष स्थान प्रदत्त किये गये हैं।

उपर्युक्त समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन सफलतापूर्वक चलता रहे तथा देश के पिछड़े हुए अनुसूचित वर्गों का अभ्युत्थान हो सके इस हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्र में एक अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा उसे सम्पूर्ण देश को पिछड़े हुए वर्गों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से अन्य छः प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित किया गया है जहांकि प्रादेशिक सहायक आयुक्त द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी कल्याण-कार्यों का संचालन किया जाता है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियाँ

मध्यप्रदेश के अधिकांश भाग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त पिछड़े हुए हैं साथ ही यहां वन्य-क्षेत्र अधिक होने के कारण अनेक जातियों में सामाजिक विकास नहीं हो सका है। मध्यप्रदेश की सकल जनसंख्या की लगभग २८.२८ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति व आदिम जाति जनसंख्या इन्दौर संभाग के झाबुआ जिले में है जहांकि जिले की सकल जनसंख्या की ८६.८० प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों की है। झाबुआ के अतिरिक्त अनुसूचित जातीय व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र क्रमशः वस्तर, मण्डला, सरगुजा, धार, निमाड़, वैतूल, शहडोल, टीकमगढ़ एवं पन्ना आदि जिले हैं जहांकि जिले की सकल जनसंख्या की क्रमशः ७२.३८, ६५.१२, ५४.२३, ५३.२, ५१.३९, ४०.२८, ३९.६८, ३०.१७ व ३०.२ प्रतिशत है। अगले पृष्ठ की तालिका में मध्यप्रदेश के विविध संभागों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की जिलेवार जनसंख्या दी गई है.

संभाग व जिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सकल संख्या (२ व, ३ का योग)
१	२	३	४
निमाड़ (खरगोन)	८०,७११	३,०९,२३३	३,८९,९४४
निमाड़ (खंडवा)	५९,२८७	४७,२५२	१,०६,५३९
रतलाम	५०,९७०	४१,७६८	९२,७३८
उज्जैन	१,२५,५५९	३७१	१,२५,९३०
***जबलपुर संभाग**	**५,१८,७०५**	**६ ३८,०२८**	**११,५६,७३३**
बालाघाट	७४,२४५	६०,५९५	१,३४,८४०
छिन्दवाड़ा और सिवनी	८८,३४१	२,४५,३६५	३,३३,७०६
जबलपुर	१,०८,११५	..	१,०८,११५
सागर और दमोह	२,२३,४५१	..	२,२३,४५१
मंडला	२४,५५३	३,३२,०६८	३,५६,६२१
रायपुर संभाग	**४,९१,४२४**	**७,६०,९२३**	**१२,५२,३४७**
बस्तर	४९,८५७	६,११,६०१	६,६१,४५८
दुर्ग	१,८६,०३१	१,४९,३२२	३,३५,३५३
रायपुर	२,५५,५३६	..	२,५५,५३६
रीवां संभाग	**४,४७,४५३**	**४,१६,७४२**	**८,६४,१९५**
छतरपुर	१,२२,५३२	१९,०९७	१,४१,६२९
पन्ना	४५,२२६	३३,०९३	७८,३१९
रीवां	६९,९८२	३,८१४	७३,७९६
सतना	५८,५५१	२५,२५७	८३,८०८
शहडोल	२७,६६८	२,२९,९८७	२,५७,६५५
सीधी	४१,०४७	७७,१३७	१,१८,१८४
टीकमगढ़	८२,४४७	२८,३५७	१,१०,८०४
मध्यप्रदेश का कुल योग ..	३४,९०,७६१	३८,६५,२५४	७३,५६,०१५

टिप्पणी:—सुनेल व सिरोंज के समंक समायोजित नहीं हैं

*नरसिंहपुर जिले के समंक शामिल नहीं हैं

सूचना स्रोत:—"जनगणना" १९५१

संभागों के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (१९५१)
१०,००,०००
७,५०,०००
५,००,०००
२,५०,०००
०
भोपाल
बिलासपुर
ग्वालियर
इन्दौर
जबलपुर
रायपुर
रीवा
अनुसूचित जाति संख्या
अनुसूचित जन-जाति संख्या

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित वर्गों की सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः बस्तर, मंडला, सरगुजा, धार, निमाड़, बैतूल, शहडोल आदि जिलों में है। संभागीय वितरण की दृष्टि से मध्यप्रदेश के समस्त अनुसूचित वर्गों की जनसंख्या की लगभग २१.५५ प्रतिशत जनसंख्या इन्दौर संभाग में ही है। इन्दौर के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की सकल अनुसूचित जनसंख्या का १०.८६, १६.९०, १९.७४, ९.०५, १०.०९ तथा ११७.१ प्रतिशत भाग क्रमशः जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, भोपाल व रीवां संभाग में निवास करता है। राज्य के सुदीर्घ आंचल में फैले हुए अधिकांश आदिवासी नगरों व कस्बों से दूर, सघन वनप्रदेशों में छोटे-छोटे समूह बनाकर रहते हैं तथा उनके अपने विशिष्ट रीति-रिवाज हैं। अनेक क्षेत्रों में तो आदिवासियों ने अपना स्थायी जीवनयापन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है तथा वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर आते-जाते रहते हैं। किन्तु अब स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार द्वारा आदिवासी जनों के उत्थान की ओर विशेष ध्यान देना आरंभ कर दिया गया है तथा शासन की विशिष्ट आदिमजाति-कल्याण योजनाओं के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में सभ्यता एवं संस्कृति का नवजीवन जागृत हो रहा है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां विविध क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक क्षेत्रों व जातियों को राष्ट्रपति के आदेशानुसार अधिसूचित कर दिया गया है तथा इन क्षेत्रों की आदिमजातियों को शासन द्वारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। निम्न पंक्तियों में मध्यप्रदेश की कतिपय विशिष्ट अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सूची दी जा रही है :—

प्रमुख अनुसूचित जातियां

१. बसोर या बुरूद, २. बहना, ३. बलाही या बलाई, ४. चमार, ५. डोम, ६. मांग, ७. मेहतर या भंगी, ८. मोची, ९. सतनामी, १०. अघेलिया, ११. बेदर, १२. चदार, १३. दहैत या दहायत, १४. देवार, १५. धानुक, १६. दोहोर, १७. धीसीया (धातिया), १८. होलिया, १९. कैकाड़ी, २०. कटिया, २१. खंगार, २२. कोरी, २३. मादगी, २४. महार व मेहस, २५. रुझार आदि-आदि।

प्रमुख अनुसूचित जनजातियां

१. अंध, २. बैगा, ३. मैना, ४. मारिया-भूमिया, ५. भटरा, ६. भील, ७. भुजिया, ८. बिजवार, ९. बिरहोर, १०. धनवार, ११. गडाबा, १२. गोंड, १३. हलवा, १४. कमार, १५. कवार, १६. खारिया, १७. कोंध, १८. कोल, १९. कोलम, २०. कोरकू, २१. कोव, २२. मझवार, २३. मुंदा, २४. नागेसिया, २५. निहाल, २६. ओरान, २७. परधान, २८. पारधी, २९. परजा, ३०. सोंटा, ३१. सवारा, ३२. संथाल, ३३. न्यार, ३४. पनिका, ३५. पाव, ३६. सौर आदि-आदि।

उपर्युक्त विभिन्न अनुसूचित जातियों व जनजातियों में पृथक्-पृथक् प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ये बोलियां मालवा, धार, ग्वालियर, रतलाम आदि क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की हैं जबकि विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में पृथक् प्रकार की बोलियां आदिवासी

बोली जानेवाली कतिपय बोलियों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं जिससे ज्ञात होता है कि भिन्न-भिन्न आदिवासी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं :—

१. हलबी, २. गोंडी, ३. माडिया, ४. परजा (धुरवा), ५. कुरुख (ओरांव), ६. झारिया, ७. कोरबा, ८. मुन्डा, ९. कोरकू।

उपरोक्त विभिन्न बोलियां प्रमुखतः रायपुर, रायगढ़, बस्तर, मंडला, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग व शहडोल आदि क्षेत्रों में प्रचलित हैं। भूतपूर्व मध्यभारत के अनेक क्षेत्रों में मालवी व राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश बोलियां बोली जाती हैं। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक तो इन आदिवासियों की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था किन्तु अब क्रमशः आदिवासी क्षेत्रों में समाज-कल्याण योजनाएं व्यवहृत की जारही हैं तथा आदिवासियों के जीवनस्तर को उन्नत किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में समाज-कल्याण-कार्य

सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से हमारे प्रदेश की आदिवासी जातियां उतनी पिछड़ी हुई नहीं हैं जितनी कि आसाम, बंगाल आदि की आदिमजातियां। किन्तु मध्यप्रदेश की आदिमजाति बस्तियों में निर्धनता, अशिक्षा व बेरोजगारी की समस्याएं प्रमुख हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि अब शासन का ध्यान आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों की समृद्धि की ओर तीव्र गति से आकर्षित हो रहा है तथा इन बस्तियों के सामूहिक कल्याणार्थ विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। आदिवासियों के कल्याणार्थ एक पृथक् आदिमजाति-कल्याण -विभाग है जिसके अन्तर्गत विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों में शिक्षा-साक्षरता, सहकारिता, कृषि विकास, लघु-उद्योग विकास तथा पंचायत राज्य जैसी आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालित किया जाता है। आदिमजाति-कल्याण विभाग के अतिरिक्त भी शासन के शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, समाज-कल्याण विभाग व विकास विभाग द्वारा आदिमजाति क्षेत्रों म शैक्षणिक उत्थान, लघु-उद्योगों के विकास, खेती की उन्नति व बेरोजगारी के निवारण हेतु व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं जिनका कि प्रमुख ध्येय राज्य के लाखों आदिमजातिभाइयों के उत्थान हेतु पृष्ठभूमि तैयार करना है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विविध समाज-कल्याण योजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र में विविध स्थानों पर समाज-कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं जहां आदिवासी नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु विविध योजनाओं को व्यवहृत किया जाता है तथा आदिमजाति नागरिकों को दवा, दूध एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरित किये जाते हैं। इसी योजना के अन्तर्गत रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, मंडला, छिंदवाड़ा एवं सीहोर आदि स्थानों में बहुधंधी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई है ताकि आदिवासियों के सहयोग से सहकारिता आन्दोलन बढ़ाया जा सके तथा आदिवासियों को सहयोग व सहकारिता के आधार पर आर्थिक पुनर्निर्माण का पाठ पढ़ाया जा सके। इन्हीं समाज-कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत महाकोशल हरिजन सेवक संघ, जबलपुर

को ६०,००० रुपयों का अनुदान दिया गया है जिससे अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता-निवारण तथा शैक्षणिक विकास सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। राज्य पुनर्गठन के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा "मध्यप्रान्त एवं बरार अनुसूचित जातियों (की नागरिक अपात्रताएं दूर करने का) कानून, सन् १९४७" व "मध्यप्रान्त व बरार मंदिर प्रवेशाधिकार अधिनियम, सन् १९४७" अधिनियम अनुसूचित वर्गों के सामाजिक उत्थान हेतु पारित किये गये थे जिनके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों पर सामाजिक प्रथा, चलन व अन्य प्रकार से लादी गई कुप्रथाओं को दूर किया जा रहा है तथा उन्हें मंदिर प्रवेशाधिकार देकर सवर्ण हिन्दुओं के समान अधिकार दे दिये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा, सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता के विरुद्ध, वैधानिक कदम उठाना देश की लोककल्याणकारी संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के भाग तीन मूल अधिकार के ७०वें अनुच्छेद के अनुरूप ही है जिसमें लिखा गया है कि "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।"

मध्यप्रदेश शासन द्वारा केवल अधिनियम बनाकर ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों को लाभ नहीं पहुंचाया गया है बल्कि इन वर्गों में शिक्षा, सहकारिता एवं सामूहिक नव-जागरण की भावना का विकास करने हेतु विविध क्रियात्मक कदम उठाये गये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्गों के छात्रों को अपने माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शिक्षाकाल में १० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा उन्हें शाला व छात्रावास में प्रविष्ट होने का शुल्क नहीं देना होता। अब अनेक स्थानों पर हरिजन छात्रों के लिए पृथक् छात्रावास बनाये जा रहे हैं जहाँ कि उन्हें पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हाल ही में शासन शिक्षा विभाग द्वारा अस्पृश्यता-निवारण के उद्देश्य से स्वीकृत योजना के अनुसार उन सवर्ण छात्रों को विशेष वृत्ति प्रदान को जावेगी जोकि हरिजन छात्रों के साथ हरिजन छात्रावासों में रहना पसन्द करेंगे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राज्यकीय उच्चविद्यालयों तथा व्यावसायिक शिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित वर्गों के छात्रों से महाविद्यालय प्रवेश-शुल्क व मासिक शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाता। महाकोशल के १७ जिलों में प्रत्येक जिले को ४०० रुपये वार्षिक अनुदान हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले को ३०० रुपये सालाना अनुदान हरिजन छात्रों के लिए लेखन-पठन की सामग्री क्रय हेतु दिया जाता है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त भी अनेक गैर-सरकारी संगठनों को शासन के शिक्षा विभाग, समाज-कल्याण विभाग व आदिमजाति-कल्याण विभाग द्वारा विशिष्ट अनुदान दिये जाते हैं जिनका उपयोग हरिजनों के गृह-निर्माण, कुंआ निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा, औषधालय व अन्य सामूहिक विकास के कार्यों में किया जाता है। अगले पृष्ठ की सारणी में नवगठित मध्यप्रदेश के तीन घटकों (पूर्व मध्यभारत, पूर्व विन्ध्यप्रदेश व पूर्व भोपाल) में शासन द्वारा वर्ष १९५४-५५ में विविध अनुसूचित वर्गों के छात्रों को दी गई छात्रवत्तियों की सूची दी गई है।

तालिका क्रमांक ८३

अनुसूचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

(१९५४-५५)

घटक	छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	प्रदत्त छात्रवृत्तियां: अनुसूचितजातियां			अनुसूचित जन जातियां			अन्य पिछड़ी जातियां			प्रदत सकल छात्रवृत्तियां
		नयी छात्र-वृत्तियां	पुरानी चालू छात्रवृत्तियां	योग	नयी छात्र-वृत्तियां	पुरानी चालू छात्रवृत्तियां	योग	नयी छात्र-वृत्तियां	पुरानी चालू छात्रवृत्तियां	योग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
पूर्व मध्यभारत ..	१२७	२६	१२	३८	२	१	३	५९	२३	८२	१२३
पूर्व विन्ध्यप्रदेश ..	४०	१	३	४	..	१	..	२०	१४	३४	३९
पूर्व भोपाल ..	१२	२	१	३	..	..	..	५	४	९	१२

सूचना स्रोत:—"अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की १९५४ की रिपोर्ट" दूसरा भाग, परिशिष्ट १३ (क) व १३ (ख)

वनवासियों का 'गेंडी-नृत्य'

आदिवासियों की कलाभिरुचि के प्रतीक उनके आभूषण
व
कलाकृतियां

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश मे अनुसूचित जातीय वर्गों व अनुसूचित जनजातीय वर्गों के छात्रों को शासन द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में विशिष्ट सुविधाएं दी गई हैं जिनसे कि आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अनुसूचित जातियों के छात्रों का शैक्षणिक विकास संभव हो सका है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए शासकीय सेवाओं के समान विविध व्यावसायिक व प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थाओं में स्थान सुरक्षित कर दिये गये ताकि अनुसूचित जातीय छात्रों का शैक्षणिक विकास अवरुद्ध न हो सके। इसी योजना के अनुसार भूतपूर्व मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में वर्ष १९५४-५५ में कुल ११६ स्थानों में से २२ स्थान अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे गये थे। जबलपुर, भोपाल व इन्दौर स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों, रायपुर व इन्दौर स्थित आयुर्वेदिक शालाओं तथा जबलपुर स्थित पशुचिकित्सा महाविद्यालय तथा कलानिकेतन (टेक्नीकल हाई स्कूल) में भी अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए १० से १५ प्रतिशत तक स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान

नवगठित मध्यप्रदेश के विविध क्षेत्रों में हरिजनों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए न केवल राज्य सरकार द्वारा ही प्रयास किये गये हैं बल्कि केन्द्रीय सरकार से भी समय-समय पर आर्थिक अनुदान प्राप्त होते रहे हैं जिनसे कि राज्य में अनुसूचित वर्गों की आर्थिक-सामाजिक समृद्धि में नवीन रक्त संचरित हो सका है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु प्रत्येक दिशा में व्यापक प्रयत्न किये गये हैं। पूर्व मध्यभारत में जनजातियों के आर्थिक विकास की दृष्टि से "मध्यभारत अनुसूचित क्षेत्र भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण अधिनियम, १९५३" पारित किया गया था जिसका ध्येय आदिवासियों में भूमि बांटकर उन्हें कृषि-कार्यों में लगाना था। पूर्व मध्यभारत में अनुसूचित वर्गों व अनुसूचित जनजाति वर्गों को ऋण-मुक्त करने तथा साहूकारों की सूदखोरी को नियंत्रित करने हेतु ऋण-मुक्ति संबंधी अधिनियम भी पारित किया गया है जिससे निर्धनता, अशिक्षा व अज्ञान के परिणामस्वरूप समाज के इन पिछड़े हुए वर्गों का शोषण अब क्रमशः कम हो रहा है तथा नये जीवन के अंकुर फूट रहे हैं।

स्वतंत्रता के पूर्व विन्ध्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए कोई योजना नहीं थी· किन्तु अब विन्ध्या व सतपुड़ा की हरीतिमायुक्त उपत्यकाओं व विन्ध्या की सघन वनवीथियों में रहनेवाले लाखों आदिवासियों के आर्थिक व सामाजिक विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। आज सम्पूर्ण विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सन् १९५२-५३ में सतना, पन्ना, टीकमगढ़, शहडोल, रीवां, छतरपुर आदि क्षेत्रों में तत्कालीन विन्ध्य सरकार द्वारा ६,००० रुपये की पाठ्य-सामग्री स्कूल के बच्चों के लिए दी गई थी तथा आदिमजातीय छात्रों को १७,८५० रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये थे। प्रौढ़ व्यक्तियों में पढ़ने-लिखने की रुचि उत्पन्न हो सके इस उद्देश्य से विन्ध्यक्षेत्र में भामर (सिंगरोली) तथा चरी (जतारा) में रात्रि-पाठशालाओं की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की रात्रि-पाठशालाओं में लगभग १,२०० व्यक्ति

शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रदेश में दतिया, निवारी, सीधी, गांधीग्राम, किशनगढ़, गोविन्दगढ़, नवगांव तथा चरणपादुका आदि स्थानों में आठ आश्रम स्थापित किये गये है जहां कि आदिवासी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही साथ भोजन, वस्त्र व रहने की भी निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं। भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित वर्गों के सहयोग से १२ सहकारी साख समितियां चल रही हैं जिनके अधिकांश सदस्य हरिजन व गोंड हैं।

भोपाल मे नया प्रयोग

आदिवासी वर्गो व हरिजनों के उत्थान हेतु रायसेन, सीहोर व भोपाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में पिछले दिनों अनेक अभिनव प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप आज इन क्षेत्रों के पिछड़े हुए वर्गो में अभिनव जागृति का निर्माण हो रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य गिल्लौर (नसरुल्लागंज तहसील), सेमलपानी, हर्रई (गोहरगंज तहसील), मलासा व फूलमार में क्रमशः ५८, ३०, ३०, ३० व २२ हरिजन परिवारों व आदिवासी परिवारों के बसाने से संबंधित है जहां आज इन वर्गो में नये जीवन के दर्शन हो रहे हैं। भोपाल के निकटवर्ती क्षेत्रों में वद्दू जीवन व्यतीत करनेवाले आदिवासियों में कृषियोग्य भूमि भी बांटी गई है तथा ऐसी कृषि सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिनकी सदस्यता हरिजनों व आदिवासियों के लिए ही हो। वर्ष १९५१ से १९५४ तक सीहोर व रायसेन जिलों में हरिजनों व अन्य पिछड़े हुए वर्गो में बांटी गई भूमि के समंक निम्न प्रकार से हैं:—

	एकड़ भूमि
(१) हरिजन	३३,०००
(२) आदिवासी	१५,५००
(३) अन्य पिछड़े वर्ग	८,५००

मध्यप्रदेश के अनेक भागों में अब हरिजनों व आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी संगठन संगठित किये जा रहे हैं तथा कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं जहां इन वर्गो को सहकारिता के आधार पर आर्थिक पुर्ननिर्माण की प्रेरणा दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों व प्रौढ़ों सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था विविध आदिवासी क्षेत्रों में की गई है जिससे इन वर्गो में शिक्षा का अधिकाधिक विकास हो सके तथा आदिवासी एवं हरिजन भाई भी अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों से परिचित हो सकें। मध्यप्रदेश के आदिवासी उसके प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं तथा आज भी यहां के आदिवासियों के सुमधुर लोकगीतों के स्वरों, सामूहिक लोकनृत्यों व गोंड युवतियों की पायल की झंकारों में इस क्षेत्र की आदिसंस्कृति के दर्शन होते हैं। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् हमारे आदिवासी भाइयों को अपने लोकजीवन की झांकियां प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया गया है जिनके उच्चस्तर एवं अनुपमता के प्रमाण मध्यप्रदेश की करमा नर्तकियों व आदिवासी युवकों को प्राप्त राष्ट्रपति पुरस्कार हैं जोकि राष्ट्रपति द्वारा विविध अवसरों पर हमारी सांस्कृतिक टोलियों को प्रदत्त किये गये हैं।

आज मध्यप्रदेश के विविध अनुसूचित जाति केन्द्रों व आदिवासी क्षेत्रों के जीवन को नयी विकासधाराओं में बांधने का प्रयत्न किया जा रहा है, परिणामस्वरूप नवगठित मध्यप्रदेश के लोकजीवन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ सकेगा। आदिवासी

वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों में आज आर्थिक सम्पन्नता हेतु नये कुटीर उद्योग-धंधों का विकास किया जा रहा है, सहकारी कृषि संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं, पशुपालन व मुर्गीपालन केन्द्र खोले जा रहे हैं तथा समाज-कल्याण की दिशा में सर्वत्र शिशु-कल्याण केन्द्र, महिला-कल्याण केन्द्र, महिला-चिकित्सालय व परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप आदिवासी-जीवन में नये जीवन-अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में आदिमजाति कबीलों के कल्याणार्थ पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य-कल्याण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित किया जायगा ताकि आदिवासी जनता व अन्य पिछड़े हुए वर्गों में नवीन सामाजिक-आर्थिक मूल्यों का जन्म हो सके जोकि मध्यप्रदेश के पिछड़े हुए वर्गों के ही लिए नहीं वरन सम्पूर्ण प्रदेश के लिए एक शुभ चिन्ह प्रमाणित हो।

मद्यनिषेध

मद्यपान एवं द्यूतक्रीड़ा जैसे सामाजिक दोषों का भारतवर्ष प्राचीनकाल से ही विरोधी रहा है। सामाजिक ह्रास को प्रश्रय देनेवाली इन प्रथाओं को भारतीय संस्कृति ने आदिकाल से ही जघन्य सामाजिक अपराधों के रूप में स्वीकार किया है तथा मनुस्मृति, गीता एवं महाभारत आदि अनेक पौराणिक ग्रंथों में मद्य को एक वर्जित पेय स्वीकार किया गया है तथा उसके सेवनकर्ताओं को सामाजिक अपराधी की संज्ञा से जाना है। विविध ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अग्रसर इस बीसवीं सदी में भी विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवविज्ञानज्ञाताओं ने मद्यपान को मानव समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक ह्रास की पृष्ठभूमि तैयार करनेवाला निरूपित किया है तथा मद्यपान को मानवजाति के मानसिक अधःपतन का मार्ग स्वीकार कर उसे एक जघन्य सामाजिक अपराध घोषित किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मद्य-निषेध को स्वराज्य के चार स्तम्भों में से एक कहा करते थे । मद्यपान के आर्थिक व सामाजिक कुपरिणामों को ही दृष्टिगत करते हुए उन्हें सन् १९३१ में कहना पड़ा था कि "अगर मुझे एक घण्टे के लिए सारे भारत का तानाशाह बना दिया जाय तो पहला काम मैं यह करूंगा कि तमाम शराबखानों को मुआवजा दिये बिना ही बन्द करा दूंगा।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे शान्तिप्रिय व्यक्ति की मद्यपान के विरुद्ध यह रोषपूर्ण उक्ति मद्यपान के व्यापक कुप्रभावों की ही परिचायक है।

मद्यपान के व्यापक आर्थिक-सामाजिक कुपरिणामों को विनष्ट करने के ध्येय से ही भारतीय संविधान की धारा ४७ के अनुसार मद्यनिषेध कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख अंग स्वीकार किया गया है तथा उस धारा के अनुसार भारतीय गणतन्त्र के विविध राज्यों तथा प्रशासनिक इकाइयों पर यह वैधानिक दायित्व प्रतिष्ठित किया गया है कि वे मद्यनिषेध को अपनी बृहत्तर समाज-कल्याण योजनाओं का एक आवश्यक अंग स्वीकार करें। भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में "मद्यनिषेध हमारी राष्ट्रीय नीति का प्रमुख अंग तथा एक व्यावहारिक तरीका है तथा उत्तरोत्तर सफलता के लिए यही तरीका अपनाया जाना चाहिये।"

मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ से ही मद्यनिषेध के प्रयत्न चलते आये हैं किन्तु स्वतंत्रताप्राप्ति के पूर्व तक नवगठित मध्यप्रदेश की कुछ विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों पर स्वेच्छाचारी शासन होने के कारण मद्यनिषेध की लोककल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रगति न हो सकी। उस समय विभिन्न घटकों के समक्ष केवल आबकारी-कर की राशि वसूल करने का ही दृष्टिकोण था तथा समय की गति के साथ कर की दर बढ़ाई जाती रही एवं इस प्रकार मद्यसेवी मजदूरों, कृषकों एवं निम्नवेतन-

राजधानी से २० मील दूर शिवलिंग मंदिर, भोजपुर

मोलादेवी मंदिर, ग्यारसपुर (विदिशा)

वर्गों का शोषण होता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारा लोककल्याणकारी जन-शासन इस सामाजिक कुप्रथा को न सह सका तथा उसने सन् १९३७ के उत्तरदायी कांग्रेसी शासन की परंपरा को अपनी भावी योजनाओं का आधार माना तथा मद्यपान-उन्मूलन हेतु शासन अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ संलग्न हो गया।

पूर्व मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम सन् १९३८ में मद्यनिषेध अभियान को शासकीय स्तर पर स्वीकार किया गया था तथा तत्कालीन "मध्यप्रान्त एवं बरार" के ९,३३३ वर्गमील क्षेत्र में मद्यनिषेध घोषित किया गया था। अगले दो वर्षों में सम्पूर्ण प्रान्त के एक-चौथाई भाग से भी अधिक भाग (२२,२८७ वर्गमील क्षेत्र) को मद्यनिषेध के अन्तर्गत ले लिया गया। प्रथम अप्रैल १९३८ से व्यवहृत होनेवाले मद्यनिषेध क्षेत्रों में वर्तमान मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण सागर जिले को, होशंगाबाद जिले के नरसिंहपुर क्षेत्र को तथा कटनी-मुड़वारा की औद्योगिक बस्तियों को लिया गया था। सन् १९३९ में रायपुर की कतिपय जमींदारियों को छोड़कर सम्पूर्ण रायपुर क्षेत्र को मद्यनिषेध के अन्तर्गत ले लिया गया। अगस्त-सितम्बर १९३९ में द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने पर उत्तरदायी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने पदत्याग कर दिया तथा इसी समय से मद्यनिषेध कार्यक्रम में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ। किन्तु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा समर्थित मद्यनिषेध कार्य-क्रम के प्रसार को अधिक समय तक न रोका जा सका तथा १ अक्टूबर १९४८ से ४ वर्षों में सम्पूर्ण प्रदेश को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित करने का संकल्प किया गया। पिछले १० वर्षों की अवधि में राज्य शासन अपनी आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक कठिनाइयों एवं व्यावहारिक साधनों की असमर्थता के कारण अपने संकल्प को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका है फिर भी अब तक वर्तमान मध्यप्रदेश के निमाड़ जिले को होशंगाबाद जिले के कुछ क्षेत्र को, बिलासपुर की जांजगीर तहसील को, कटनी शहर को, तथा पूर्व मध्यभारत की कुछ औद्योगिक बस्तियों को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आज हमारे शासन के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि राज्य के अनेक क्षेत्रों में मद्यपान के विरुद्ध वातावरण तैयार होता जा रहा है।

मध्यप्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मद्यपान को एक अनिवार्य सामाजिक गुण समझा जाता है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जोकि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की जनसंख्या में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, मद्यपान को विशिष्ट महत्त्व प्रदान किया जाता है। अब महाकोशल एवं भूतपूर्व मध्यभारत में आंशिक मद्यनिषेध घोषित कर दिया गया है तथा भोपाल, रीवां, सतना, शहडोल आदि क्षेत्रों में भी मद्यपान की प्रवृत्ति को कम कराने के प्रयत्न तीव्र गति से चल रहे हैं।

महाकोशल में लगभग २७,००० वर्गमील क्षेत्रों में आंशिक मद्यनिषेध घोषित किया जा चुका है जिससे कि लगभग ५० लाख तक की जनसंख्या प्रभावित हुई है। पूर्व मध्यभारत क्षेत्र में लगभग २,११४ वर्गमील के क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू है जिससे ३ लाख जनसंख्या प्रभावित है। १ अप्रैल १९५० से विदिशा जिले के अन्तर्गत ८५० वर्ग मील के सिरोंज-लटेरी क्षेत्र के मद्यनिषेध का विस्तार किया गया है जिससे लगभग ९६,००० लोगों को लाभ पहुंचा है। भोपाल एवं विन्ध्यप्रदेश में मद्यनिषेध प्रचार की विविध नीतियों को अपनाया गया है ताकि जनता मद्यपान से

होनेवाली आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयों से परिचित होकर स्वयं मदिराविरोधी हो जाय।

स्वतंत्रता के पश्चात् अब इन क्षेत्रों में आबकारीकर से अधिकाधिक राशि प्राप्त कर राज्य की अर्थपूर्ति की दूषित नीति का परित्याग कर दिया गया है तथा अब क्रमशः सम्पूर्ण राज्य में मद्यनिषेध प्रचार पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश आज आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से एक नयी करवट ले रहा है। आगामी कुछ वर्ष उसके नवनिर्माण की भावी रूपरेखा के संकल्प के दिन होंगे जबकि वह अपने जनजीवन को अधिक स्वस्थ एवं समृद्ध करने की योजना बनायगा। नवनिर्माण के इन संकल्पों के क्षणों में मध्यप्रदेश अपने समाज के परमशत्रु मद्य-राक्षस के विनाश को कभी नहीं भूलेगा।

लोकवित्त

प्रत्येक लोककल्याणकारी शासन अपने आर्थिक एवं वित्तीय संसाधनों का संगठन इस प्रकार से करता है जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था सुसंगठित व सन्तुलित रह सके तथा उसके वित्तीय साधनों से राज्य के नागरिकों को अधिकतम लाभ पहुंच सके। आर्थिक नियोजन के इस युग में 'लोकवित्त' वह आधारशिला है जिसका आधार प्राप्त कर राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रासाद अपनी सम्पूर्ण भव्यता के साथ खड़ा होता है। साथ ही शासन की सुसन्तुलित वित्तीय नीति के अनुसार 'लोकवित्त' सर्वसामान्य जनता की समृद्धि का साधन सिद्ध होता है। संक्षेप में राज्य की प्रगति हेतु उसके समस्त आर्थिक साधनों को संचित कर उनका समुचित एवं सुनियोजित उपयोग करना ही प्रत्येक शासन की लोकवित्त नीति का मूल उद्देश्य होता है।

लोकवित्त व आयोजनाएँ

प्रजातंत्रात्मक शासनप्रणाली में राज्य के कर्तव्यों व दायित्वों में अधिक वृद्धि हो जाती है और जब राज्य जन-हित व जन-कल्याण के उद्देश्यों से नियोजित अर्थनीति का आयोजन करता है तो उसकी सफलता अधिकांशतः वित्तीय प्रशासन तथा पर्याप्त वित्तप्राप्ति हेतु अपनायी गई कर-नीति, ऋण-नीति तथा वित्तीय प्रबन्ध पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रत्येक लोकशासन को अपने लोककल्याणकारी उद्देश्यों की सम्पूर्ति हेतु समय-समय पर अपने राज्य के वित्तीय संगठन का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन करना पड़ता है तथा राज्य द्वारा अर्जित आय एवं राज्य द्वारा किये जानेवाले व्यय में सन्तुलन स्थापित करना पड़ता है। अर्थविशारदों के अनुसार एक सुसंगठित अर्थव्यवस्थावाला राज्य वह है जहां वित्तव्यवस्था व आय एवं व्यय सभी दृष्टियों से सुसन्तुलन हो तथा जहां शासन को अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों के सफल निर्वाह हेतु अन्य राज्यों की ओर न देखना पड़े। अनेक बार अविकसित अर्थ-व्यवस्थावाले क्षेत्रों में आर्थिक पुनर्निर्माणकाल में घाटे की वित्तव्यवस्था को भी स्वीकार करना पड़ता है किन्तु यह स्थिति प्रत्येक प्रकार से अल्पकालीन ही होती है तथा ऐसी दशा में शासन को शीघ्रातिशीघ्र अपनी आयोजना के अनुसार सुसन्तुलित वित्त-व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ती है।

मध्यप्रदेश की वित्त-नीति

मध्यप्रदेश के अधिकांश क्षेत्र अविकसित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। न तो यहां उद्योग-धंधों का ही समुचित विकास हो पाया है और न ही इनमें कृषि-संगठन ही वैज्ञानिक प्रकार से हो सका है किन्तु राज्य की अनेकानेक आर्थिक विकास की योजनाओं एवं विपुल आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों की पृष्ठभूमि में समष्टि रूप से मध्यप्रदेश के

वित्तीय संसाधनों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि शीघ्र ही मध्यप्रदेश एक सुदृढ़ वित्तव्यवस्था का राज्य प्रमाणित हो सकेगा।

नीचे मध्यप्रदेश के वर्ष १९५७-५८ के आय-व्ययक का संक्षिप्त विश्लेषण दिया जारहा है जोकि राज्य की वित्तव्यवस्था पर प्रकाश डाल सकेगा।

मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

यह अनुमान है कि वर्ष १९५७-५८ में मध्यप्रदेश राज्य की आय ५,०८८.५४ लाख रुपये और व्यय ५,४३६.९४ लाख रुपये होगा। इस प्रकार राज्य को कुल ३४८.४० लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है। निधि से राजस्व लेखे में ४००.०० लाख रुपये के स्थानान्तर का प्रस्ताव है। आय-व्ययक के उक्त अंकों में १५०.०० लाख रुपयों के अतिरिक्त करों की व्यवस्था भी शामिल हे।

राजस्व तथा व्यय

निम्न तालिका में मध्यप्रदेश के वर्ष १९५७-५८ के राजस्व एवं व्यय (राजस्व लेखे से लिये गये) के प्रमुख मदों का वर्गीकरण दर्शाया गया है:—

तालिका क्रमांक ८४

राजस्व तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

राजस्व के शीर्ष	१९५७-५८ आय-व्ययक अनुमान	व्यय के मद	१९५७-५८ आय-व्ययक अनुमान
कर-राजस्व	२५१२.१९ (४९.३७)	सामान्य व्यय ..	४११७.३३ (७५.७३)
गैर-राजस्व	११५८.९९ (२२.७८)	विकास व्यय ..	१३१९.६१ (२४.२७)
भारत सरकार से अनुदान ..	१०१७.३६ (१९.९९)		
निधियों से स्थानान्तरण ..	४००.०० (७.८६)		
योग ..	५०८८.५४ (१००.००)	योग ..	५४३६.९४ (१००.००)

टिप्पणी:—कोष्ठक में दिये गये अंक कुल राजस्व में या कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाते हैं

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

करों और शुल्कों से राजस्व

वर्तमान और प्रस्तावित-करों के आधार पर वर्ष १९५७-५८ के कुल ५,०८८.५४ लाख रुपयों के राजस्व में से आशा की जाती है कि कर-राजस्व से २,५१२.१९ लाख

गैर-कर राजस्व के स्रोत	१९५७-५८ (आय-व्ययक अनुमान)
लोक प्रशासन	५७७.८७
नागरिक कार्य	४९.०१
विद्युत् योजनाएं (शुद्ध प्राप्तियां)	४.३६
विविध तथा असामान्य मदें	१६२.४९
योग	*१५६९.७९

*टिप्पणी:—गैर-कर राजस्व के उक्त अनुमानों में केन्द्रीय सरकार से वर्ष १९५७-५८ में अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली ४१०.८० लाख रुपये की रकम शामिल है। उक्त रकम को छोड़कर राज्य के गैर-कर राजस्व की रकम १,१५८.९९ लाख रुपये होती है।

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार से राज्य को प्राप्त होनेवाला अनुदान राज्य के १९५७-५८ के राजस्व का कुल १९.९९ प्रतिशत होगा। निम्न सारणी में अनुदान का विभाजन दर्शाया गया है:—

तालिका क्रमांक ८७

भारत सरकार से अनुदान

(लाख रुपयों में)

भारत सरकार से अनुदान	१९५७—५८ (आय-व्ययक अनुमान)
विकास एवं अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं	३१३.०५
सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं तथा स्थानीय विकास-कार्य	१७१.३१
आदिमजाति-कल्याण योजनाएं	१६७.००
गाडगिल समिति का निर्णय	१५.००
संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के अन्तर्गत सहायकअनुदान	
(१) राजस्व अंतरअनुदान	२००.००
(२) प्राथमिक शिक्षा	५१.००
(३) साधनों में अंतर	१००.००
योग	१०१७.३६

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न मदें जैसे राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग, प्रशासकीय सेवाएं, ऋण सेवाएं, राष्ट्रनिर्माण, विकास एवं सामाजिक सेवाएं व अन्य नागरिक व्यय सम्मिलित हैं। निम्न तालिका से इन मदों पर होनेवाले व्यय की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है:—

तालिका क्रमांक ८८

राजस्व लेखे पर व्यय

(लाख रुपयों में)

व्यय के मद	१९५७-५८ (आय-व्ययक अनुमान)
राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग	५३५.५५
सामान्य प्रशासन	३६०.३२
पुलिस	४९४.५६
शिक्षा	१०७२.९६
चिकित्सा एवं लोक-स्वास्थ्य	४०८.१०
कृषि, पशुचिकित्सा तथा सहकारिता	४१९.९६
नागरिक कार्य	४०८.७१
सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं तथा स्थानीय विकास कार्य	३३३.११
विविध तथा अन्य मद	१४०३.६७
योग	५४३६.९४

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

राजस्व लेखे के कुल व्यय ५,४३६.९४ लाख रुपयों में विकास व्यय (१,३१९.६१ लाख रुपये) का प्रतिशत २४.२७ है।

पूंजी की लागत

उक्त शीर्ष के अंतर्गत राजस्व लेखें के बाहर होनेवाले व्यय आते हैं, जिनकी पूर्ति उधार ली गई निधि से की जाती है। इसमें राज्य शासन द्वारा सिंचाई, नागरिक निर्माण-कार्य, कृषि-सुधार एवं अनुसंधान, औद्योगिक विकास एवं परिवहन जैसी मदों पर किये जानेवाले पूंजीगत व्यय शामिल हैं। अगले पृष्ठ की तालिका में वर्ष १९५७-५८ में विभिन्न मदों पर व्यय कीजानेवाली पूंजी की लागत के तुलनात्मक अंक दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक ८९

पूंजीगत लागत

(लाख रुपयों में)

पूंजी की लागत	१९५७-५८ (आय-व्ययक अनुमान)
सिंचाई, नौपरिवहन, बांध तथा जल-निकास कार्य	३९७.८३
वहुउद्देशीय नदी योजना	३३२.३५
औद्योगिक विकास	३४२.४०
नागरिक कार्य	८९३.४८
अन्य मदें	१५१.३७
योग ..	२११७.४३

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

कुल २,११७.४३ लाख रुपयों की पूंजी की लागत में विकास व्यय (१,३८५.४९ लाख रुपये) का प्रतिशत ६५.४३ है।

ऋण तथा अग्रिम

पूंजी की लागत के अतिरिक्त जिसका कि उल्लेख किया जा चुका है, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु राज्य शासन कृषकों, स्थानीय संस्थाओं, औद्योगिक संस्थाओं, शासकीय कर्मचारियों व गैर-सरकारी पक्षों को ऋण तथा अग्रिम राशि दिया करता है। निम्न तालिका में वर्ष १९५७-५८ के लिए राज्य शासन द्वारा शुद्ध भुगतान की राशि दर्शायी गई है:—

तालिका क्रमांक ९०

ऋण तथा अग्रिम

(लाख रुपयों में)

	अग्रिम	वसूलियां	शुद्ध अग्रिम
कृषकों को अग्रिम	३५५.९७	२५८.९९	९६.९८
विविध तथा अन्य ऋण तथा अग्रिम ..	१,१२७.१७	५६४.२३	५६२.९४
योग ..	१,४८३.१४	८२३.२२	६५९.९२

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्यय, १९५७-५८

राज्य शासन द्वारा कुल ऋण व अग्रिम की राशि (१,४८३.१४ लाख रुपये) में विकास कार्यों के हेतु ८६१.८१ लाख रुपयों की राशि अर्थात् ५८.११ प्रतिशत भाग निर्धारित है।

विकास व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत होनेवाले व्यय को प्रायः राष्ट्रनिर्माण एवं समाजसेवाओं पर व्यय निरूपित किया जाता है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय इस प्रकार के व्यय के प्रमुख घटक होते हैं। जनता की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है।

वर्ष १९५७-५८ के लिए राज्य का विकास व्यय निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है:—

तालिका क्रमांक ९१
विकास व्यय के स्रोत

(लाख रुपयों में)

व्यय के स्रोत	आय-व्ययक अनुमान १९५७-५८
राजस्व लेखा	१३१९.६१ (३७.००)
पूंजीगत व्यय	१३८५.४९ (३८.८४)
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	८६१.८१ (२४.१६)
योग ..	३५६६.९१ (१००.००)

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

टिप्पणी:—कोष्ठक में दिये गये अंक विकास व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं

लोक-ऋण

लोक-ऋण के अन्तर्गत स्थायी ऋण, अल्पकालीन ऋण, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम व यदि कोई अन्य ऋण हो तो वे आते हैं। राज्य सरकार के लिए ऋण का प्रमुख साधन केन्द्रीय सरकार ही है। इस प्रकार के ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत किये जानेवाले भारी पूंजीगत व्ययों की पूर्ति हेतु दिये जाते हैं। योजना के कारण बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को खुले बाजारों से भी ऋण प्राप्त करना होता है। प्राप्तियों एवं व्यय की कमी के संतुलन हेतु सदाकदा शासन को अल्पकालीन ऋणों के प्रसार तथा सरकारी हुंडियों का जारी करना भी आवश्यक होता है।

निम्न तालिका में वर्ष १९५७-५८ के लोक-ऋण की विस्तृत जानकारी दर्शाई गई है:—

तालिका क्रमांक ९२
लोक-ऋण

(लाख रुपयों में)

लोक-ऋण के शीर्ष	लिया गया ऋण	पुनर्भुगतान किया गया ऋण	शुद्ध लोक-ऋण (+) या (—)
स्थायी ऋण ..	२००.००	०.५१	(+) १९९.४९
अल्पकालीन ऋण ..	५००.००	५२८.००	(—) २८.००
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	२४५९.७४	५३२.३०	(+) १९२७.४४
अन्य ऋण ..	७२.५०	..	(+) ७२.५०
योग ..	३२३२.२४	१०६०.८१	(+) २१७१.४३

लोक-लेखे में वर्ष १९५७-५८ में कर्ज, निक्षेप व प्रेषण लेन-देन द्वारा १८१.९२ लाख रुपयों की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई है। ये निम्न प्रकार है:—

तालिका क्रमांक ९३
लोक-लेखा

(लाख रुपयों में)

शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान १९५७-५८
कुल प्राप्तियां	+५५५५.४५
कुल वितरण	—५३७३.५३
शुद्ध प्राप्तियां	+१८१.९२

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

लेन-देन के परिणाम

राज्य के वर्ष १९५७-५८ का प्रारम्भ ५४.८५ लाख रुपयों की शेष राशि से हो रहा है। राजस्व अनुभाग के लेन-देनों से ३४८.४० लाख रुपयों का तथा अन्य लेन-देनों से ४२४.०० लाख रुपयों का घाटा होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर कुल ७१७.५५ लाख रुपयों का घाटा होगा।

निम्न विवरण में राज्य शासन की शुद्ध वित्तीय स्थिति दर्शायी गई है:—

तालिका क्रमांक ९४
लेन-देन के शुद्ध परिणाम

(लाख रुपयों में)

लेन-देन के मद	आय-व्ययक अनुमान १९५७-५८
(क) प्रारम्भिक शेष	+५४.८५
(ख) समेकित निधि :	
(अ) राजस्व प्राप्तियां	५०८८.५४
(ब) राजस्व लेखे पर व्यय	५४३६.९४
(ग) राजस्व आधिक्य (+) या घाटा (—)	—३४८.४०
(ड) पूंजी की लागत	—२११७.४३
(इ) लोक-ऋण (शुद्ध)	+२१७१.४३
(फ) राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (शुद्ध) ..	—६५९.९२
शुद्ध समेतिक निधि ..	—९५४.३२
(घ) आकस्मिक निधि	..
(ङ) लोक-लेखा (शुद्ध)	+१८१.९२
(र) अंतिम शेष	—७१७.५५

सूचना स्रोत:—मध्यप्रदेश का आय-व्ययक, १९५७-५८

समष्टि रूप से नवगठित मध्यप्रदेश आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है अतएव शीघ्र ही विविध विकास योजनाओं के क्रियान्वय पर उनके विकास संसाधनों का विदोहन संभव हो सकेगा जिससे न केवल राज्य के नागरिकों का ही आर्थिक-सामाजिक विकास संभव हो सकेगा वल्कि राज्य की राजस्व-प्राप्तिक्षमता भी बढ़ सकेगी। इससे राज्य की वित्त-व्यवस्था में तो सुदृढ़ता आवेगी ही साथ ही राज्य का आर्थिक विकास भी द्रुतगति से हो सकेगा।

ग्राम-पंचायतें

पंचायतें प्रजातंत्र की रीढ़ मानी जाती हैं। किसी भी लोकतंत्रीय शासन का ध्येय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होता है ताकि शासन का संचालन समाज के कलश से न होकर उसकी नींव के पत्थरों से हो सके। भारतीय समाज व शासन के नींव के पत्थर वे गांव हैं जिनकी भित्ति पर हमारी समस्त अर्थ-व्यवस्था आधारित है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात् शासन का ध्यान गांवों के पुनर्निर्माण की ओर गया तथा भारतीय संविधान की सफलता व सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य के लोक-शासन को ग्राम्य-शासन के आधार पर संगठित किये जाने के प्रयत्न किये गये।

नवगठित मध्यप्रदेश के ७०,०३८ आबाद गांवों में स्थापित ग्राम-मंडल, ग्राम-पंचायतें, न्याय-पंचायतें व जनपद सभाएँ देश में प्राचीन काल से समर्थन प्राप्त ग्राम-राज्य की ही द्योतक हैं। महात्मा गांधी भारतीय लोकतंत्र की सफलता ग्राम राज्य की स्थापना में ही मानते थे। गांधीवाद के अनुसार शासन का चरम विकेन्द्रीकरण ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न है जिसके कि फलस्वरूप समाज का हर वर्ग अपने उत्तर-दायित्वों व कर्त्तव्यों से प्रेरित होकर समाज में पूर्ण लोकतंत्रीय आदर्शों की पूर्ति कर सकेगा।

पूर्व इतिहास

नवगठित मध्यप्रदेश के निर्माण के पूर्व ही उन राज्यों में जिनके संयोजन से इस राज्य ने नवीन रूप ग्रहण किया है, इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। मध्यप्रदेश के गांवों में ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों की स्थापना उसके भावी सामाजिक व राज-नैतिक लोकतंत्र के विकास की द्योतक है। मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के ही पूर्व मध्यभारत क्षेत्र में पंचायत बोर्डों के नाम से अत्यंत पुरानी संस्थाएं ग्वालियर राज्य के समय से कार्य कर रही थीं और उनका मुख्य कार्य अपने सीमा क्षेत्रवर्तीय ग्रामों में उचित न्यायदान देना था। आगे चलकर मध्यभारत राज्य शासन द्वारा इन पंचायत बोर्डों के प्रशासन में पर्याप्त सुधार किये गये व उन्हें शासकीय प्रश्रय देकर अधिक सक्षम बनाया गया। इसी समय पंचायतों के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया व पूर्व मध्यभारत के उत्तरदायी शासन द्वारा पुराने ढंग के पंचायत बोर्डों के स्थान पर नवीन ग्राम-पंचायतों, केन्द्र-पंचायतों व मंडल-पंचायतों की स्थापना, ग्रामों की जनसंख्या, उनके स्वरूप व परिस्थितियों के अनुसार की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित सस्ती न्याय व्यवस्था स्थापनार्थ न्याय-पंचायतों की भी स्थापना की गई, जिनका ध्येय ग्रामवासियों में सामूहिक-शक्ति का सम्मान करने की प्रवृत्ति जागृत करना था। आज इन संस्थाओं ने स्थानीय स्वशासन के संगठनों का रूप धारण कर लिया है और इनके संरक्षण में पाठशालाओं, औषधालयों पंचायतों आदि के भवन निर्माण, सामूहिक विकास व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा-विकास आदि से संबंधित अनेक जनहितकारी कार्य सम्पन्न किये जाने लगे हैं।

पूर्व विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल राज्यों में भी ग्रामों में ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों का एक जाल सा बिछा दिया गया है। विन्ध्यप्रदेश में एक पटवारी के क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत व तीन पटवारियों के क्षेत्र में एक न्याय-पंचायत कार्य कर रही है। भोपाल क्षेत्र में ग्राम-पंचायतों का संगठन सर्वाधिक सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। वहां ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों का संगठन व्यापक रूप से किया गया है। साथ ही ग्राम-पंचायतों में अधिक कार्यशीलता व सक्षमता आ सके इस हेतु कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। कुछ पंचायत कार्यकर्त्ताओं को उत्तर प्रदेश के विविध केन्द्रों में जहां कि पंचायतें अत्यंत ही कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भेजा गया था तथा उन्हें अब पंचायतों में नियुक्त किया गया है। इस क्षेत्र में भोपाल पंचायत राज्य अधिनियम की केवल उन धाराओं को ही व्यवहृत किया गया है जिनका संबंध पंचायतों की स्थापना से है। न्याय पंचायत संबंधी धाराएं पंचायतों को पंचायत-शासन का पूर्ण ज्ञान होने तक स्थगित रखी गई है।

महाकोशल के अनेकों ग्रामों को ग्राम-पंचायतों के अन्तर्गत ले लिया गया है तथा ये पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में न केवल स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के ही उत्तरदायित्वों को वहन करती हैं बल्कि अपने अन्तर्गत ग्रामों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्थान का भी कार्य सम्पन्न करती हैं। संक्षेप में यदि यह कहा जाय कि नवगठित मध्यप्रदेश के १.७१ लाख वर्ग मील के आंचल मे विस्तृत हजारों ग्रामों मे स्थित ग्राम-पंचायतें इस प्रदेश के लोकतंत्रीय शासन के प्रेरणा-केन्द्र हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

पंचायतों की वैधानिक स्थिति

इतिहास साक्षी है कि भारत की बहुमुखी संस्कृति को जीवित रखने में उसकी प्राचीन-तम ग्राम व्यवस्था ने बहुत बड़ा काम किया है। यही कारण है कि प्रारंभ से ही देश के प्रत्येक भाग में विकेन्द्रित पद्धति पर विविध संगठन संचालित होते रहे है जिनका मुख्य ध्येय लोकतंत्रीय आदर्शों पर समाज-व्यवस्था संचालित करना था। आगे चलकर विदेशी आक्रमणों व विदेशी शासन-व्यवस्था के कारण प्राचीन ग्राम्य-व्यवस्था विश्रृंख-लित हो गई तथा ग्राम-पंचायतों व अन्य ग्राम संगठनों का परंपरा से निर्मित स्वरूप समाप्त होने लगा। अंग्रेजी काल में पंचायतें उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा राजकीय सत्ता का केन्द्रीयकरण क्रमशः तहसीलों व जिलों के आधार पर होता गया। ग्राम-व्यवस्था के इस ह्रास के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज में एक अव्यवस्था-सी नजर आने लगी तथा यही कारण था कि ब्रिटिश शासन द्वारा सन् १७८७ में अपने हितों को ग्रामों में सुरक्षित रखने हेतु इस दिशा में कुछ किया जा सका। १८७० में ब्रिटिश शासन द्वारा एक सीमा तक विकेन्द्रीकरण की नीति अपनायी गयी जिसके फलस्वरूप सन् १८८२ में शिक्षा, स्वच्छता और आरोग्य के साथ ही साथ स्थानीय विकास व अकाल निवारण जैसे कार्य भी पंचायतों को दिये गये। आगे चलकर पंचायत-व्यवस्था के सम्पूर्ण अनुसंधान हेतु सन् १९०७ में एक विकेन्द्रीकरण आयोग बिठाया गया जिसने सुझाव दिया कि प्रशासनिक दक्षता के हित में ग्रामों को न्याय करने का अधिकार दिया जाय व लगान में से कुछ अंश ग्राम संस्थाओं को अपने विकास कार्यों हेतु दिया जाय। आगे चलकर मांटेग्यू-चेम्सफार्ड सुधारों व साइ-मन कमीशन के प्रतिवेदन में पंचायतों का महत्व स्वीकार किया गया जिसके लिए देश श्री गोपालकृष्ण गोखले का सदैव आभारी रहेगा। उन्हीं के प्रयत्नों के कारण

तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने भारत में स्वायत्त शासन व स्थानीय विकास के महत्व को स्वीकार किया था। किन्तु उस समय भी देश में उल्लेखनीय रूप से पंचायतों के कार्य में उन्नति नहीं हो पायी। सन् १९३५ में जब सर्व प्रथम बार देश के विविध प्रान्तों में लोकप्रिय शासन की स्थापना हुई तो पंचायतों को एक उपयोगी ग्राम संस्था के रूप में देखा जाने लगा।

सन् १९४७ में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ग्राम-पंचायतों के नवनिर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा अधिकांश राज्यों में स्थानीय साधनों के अनुकूल ग्राम-पंचायतों का गठन किया गया। नवगठित मध्यप्रदेश के विविध घटकों में ग्राम-पंचायतों के अस्तित्व के महत्व को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु उस समय केवल पूर्व मध्यप्रदेश में ही सन् १९४७ में पंचायत अधिनियम ही पारित हो सका। आगे चलकर जब देशी रियासतों के भारतीय गणतंत्र में विलयन की घोषणा हुई व विविध स्थानों पर लोकप्रिय शासन की स्थापना की गयी तब सन् १९४९ में पूर्व मध्यभारत व पूर्व विन्ध्यप्रदेश में भी पंचायत अधिनियम पारित किये गये ताकि गावों में शीघ्रातिशीघ्र ग्राम स्वायत्त संस्थाएँ संगठित की जा सकें। पूर्व भोपाल में सन् १९४७ में ही पंचायत अधिनियम पारित कर लिया गया था। आज मध्यप्रदेश के अधिकांश ग्राम ग्राम-पंचायतों, न्याय-पंचायतों, केन्द्र-पंचायतों व मंडल-पंचायतों जैसी ग्राम्य संस्थाओं के अन्तर्गत ले लिये गये हैं। इन संस्थाओं को स्थानीय विकास संबंधी समस्त वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं तथा ये संगठन राज्य की भावी ग्रामीण उन्नति के प्रतीक हैं।

वर्त्तमान स्थिति

नवगठित मध्यप्रदेश के विविध घटकों में इस समय समष्टिरूप से १२,७४० ग्राम-पंचायतें, १,८७६ न्याय-पंचायतें, १०७ केन्द्र-पंचायतें, ५८ जनपद सभाएं व १६ मंडल-पंचायतें कार्य कर रही हैं। मूल रूप से उपरोक्त समस्त संस्थाओं का ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की शिक्षा, आरोग्य व प्रशासनिक व्यवस्था देखना रहता है किन्तु फिर भी ग्राम-पंचायतों, केन्द्र-पंचायतों व मंडल-पंचायतों के अधिकार भिन्न-भिन्न होते हैं। न्याय-पंचायतें अपने पंचों की राय से ग्रामों में छोटे-छोटे झगड़ों व वाद-विवादों को हल करने में योगदान देती हैं, जिनसे कि ग्रामों के स्थानीय मामलों को कम व्यय व शीघ्रता से ग्रामीणों के बीच ही निपटाया जा सके। निम्न सारणी में नवगठित मध्यप्रदेश की विविध क्षेत्रीय इकाइयों में संचालित की जानेवाली ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों की संख्या दी गई है :—

तालिका क्रमांक ९५
ग्राम-पंचायतें व न्याय-पंचायतें
(१९५६—५७)

	ग्राम-पंचायतें	प्रति ग्राम-पंचायत पीछे ग्रामीण जनसंख्या	न्याय पंचायतें	प्रति न्याय-पंचायत पीछे ग्रामीण जनसंख्या
१	२	३	४	५
१. महाकोशल ..	६११६	२,२३०	८०२	१७,००८
२. पूर्व मध्यभारत ..	४७११	१,६८८	४८९	१६,२६६
३. पूर्व विन्ध्यप्रदेश ..	१८०६	१,९७९	५८५	६,११०
४. पूर्व भोपाल ..	१०७	७,८१७	..	..
	१२,७४०	१,८०२	१,८७६	१२,२३८

सूचना स्रोत:—"आर्थिक समीक्षा"

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश के समस्त भागों में ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों का गठन कर दिया गया है जिससे कि ग्रामों को अपने विकास-कार्य हेतु लोकतांत्रिक पद्धतियों पर सुसंगठित होने का अवसर प्राप्त हो सके। भोपाल संभाग के अधिकांश क्षेत्र में केवल ग्राम-पंचायतें ही कार्य कर रहीं हैं, न्याय-पंचायतों का गठन वहां अभी नहीं हो पाया है तथा वर्तमान परिस्थितियों में ग्राम-पंचायतें ही ग्रामों में न्याय व्यवस्था संचालित करती हैं। मध्यभारत क्षेत्र में ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों के अतिरिक्त केन्द्र-पंचायतों व मंडल-पंचायतों का भी गठन किया गया है जो कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों व जिलों के स्तरों पर कार्य करती हैं व अपने सीमा क्षेत्र के गावों में विकास-कार्य संचालित करती हैं। महाकोशल के १७ जिलों में ग्राम-पंचायतों व न्याय-पंचायतों के अतिरिक्त जनपद सभाओं का गठन भी तहसील स्तर पर किया गया है जोकि ग्राम्य क्षेत्रों व कस्बों में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के समान कार्य करती हैं। इस समय महाकोशल क्षेत्र में कुल ५८ जनपद सभाएँ कार्य कर रही हैं तथा मध्य-भारत क्षेत्र में १०७ केन्द्र-पंचायतें व १६ मंडल-पंचायतें कार्य कर रही हैं।

मध्यप्रदेश के सुदीर्घ आंचल पर विस्तृत हजारों ग्रामों के लिए ग्राम-पंचायतें व न्याय-पंचायतें महान् प्रेरणादायक सिद्ध हुई हैं। इन ग्राम-पंचायतों के फलस्वरूप न केवल शासन को ही ग्रामीण जीवन की समस्याओं व आवश्यकताओं से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो सका है बल्कि इससे ग्रामवासियों में भी लोकतंत्रीय परम्पराओं का सूत्रपात हो सका है। वास्तविक रूप से ग्राम-पंचायत हमारे लोकतंत्रीय जीवन की जनचेतना की केन्द्र विन्दु वन गई हैं तथा इन ग्राम-पंचायतों के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक संगठन के प्रमुख प्रचारक वन गये हैं जिनके कि परिश्रम व कार्य-प्रणाली के फलस्वरूप हमारे प्रदेश में ग्राम विकास की सुदृढ़ नींव का निर्माण हो सकेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

किसी भी आयोजना का प्रमुख ध्येय राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक शक्तियों को सुसंगठित कर देश का विकास करना होता है। यही कारण है कि आयोजना को आर्थिक समृद्धि की प्रमुख धुरी के नाम से निरूपित किया गया है जिसका आधार प्राप्त कर देश का आर्थिक-विकास-चक्र तेजी से घूमता है। पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्थावाले राष्ट्रों के लिए तो योजनाओं का और भी अधिक महत्व है। इन क्षेत्रों में देश के आर्थिक संसाधन एवं शक्तिस्रोत विश्रृंखलित एवं अज्ञात रहते हैं तथा देश को किसी सुसंगठित योजना के अभाव में इन संसाधनों को विदोहित करके उनके आर्थिक लाभ उठाने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। योजनाएँ इन पिछड़े हुए देशों को अवसर प्रदान करती हैं कि वे अपने आर्थिक विकास एवं औद्योगिक शक्ति के प्रमुख घटकों का समुचित आकलन कर सकें तथा उन्हें समाज के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए नियंत्रित कर सकें। स्वतंत्रता के पूर्व भारतवर्ष में इस प्रकार की कोई भी सुसंगठित सर्वतोमुखी योजना नहीं बनी थी जिसके अनुसार देश के विशाल आर्थिक संसाधनों, प्राकृतिक शक्तियों एवं धरा की अन्तराल गहराइयों में छिपे शक्तिस्रोतों तथा देश के कोने-कोने में बिखरी श्रमिक शक्ति को सुनियंत्रित कर, सदियों से आर्थिक दृष्टि से शोपित-पीड़ित राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संचालन किया जा सके।

योजना का आविर्भाव

स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र पश्चात् ही देश के लोक-कल्याणकारी शासन का ध्यान देश के आर्थिक उत्थान की ओर गया तथा शासन ने देश के गतिशील आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु एक सुसंगठित अर्थनीति का आश्रय लेना स्वीकार किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का नियोजन भारत सरकार का इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित २ ३५६ करोड़ रुपयों की प्रथम पंचवर्षीय योजना भारतीय जनजीवन के आर्थिक उत्थान की रोचक कहानी है। पिछले पांच वर्षों में देश ने अथक परिश्रम करके देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना सम्पूर्ण की है। आज देश में एक नवीन स्फूर्ति व ओज के प्रादुर्भाव के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आर्थिक शोषण से प्रताड़ित गांवों में नयी जिन्दगी का गीत गाया जा रहा है तथा सूखी बंजर भूमि को छोटी-बड़ी ग्राम विकास योजनाओं के द्वारा लहलहाती हुई खेती का हरित परिधान पहनाने का प्रयत्न चल रहा है। देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हो, देश के नागरिकों का जीवन-स्तर उच्च हो सके, प्रत्येक नागरिक को अधिकतम स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें तथा देश में सेवा नियोजन की सुविधाओं में अभिवृद्धि हो सके इसके तीव्र प्रयत्न चल रहे हैं। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस दिशा में दूसरा कदम

है जोकि देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को सुसंगठित करके समाज के बहुमुखी विकास के पथ प्रशस्त कर सकेगी।

उद्देश्य

भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं:—

(१) राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि। स्थूल रूप से ५ प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जावेगी। इस प्रकार योजनाकाल के अंत में २५ प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(२) आधारभूत उद्योगों का विकास करना एवं तीव्र औद्योगीकरण करना।

(३) सेवा-नियोजन सुविधाएँ उपलब्ध कराना, तथा

(४) समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को न्यून कर प्रत्येक व्यक्ति को समान आर्थिक सुविधाओं युक्त सामाजिक न्याय प्रदान करना।

जनजीवन पर प्रभाव

उपरोक्त उद्देश्यों से युक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक विकास के उत्थान की योजना है तथा वह देश के सहस्रों ग्रामों व कोटि-कोटि जनों की आकांक्षाओं व आदर्शों को मूर्तरूप प्रदान करने की चेष्टा का प्रतीक है। यह निर्विवाद सत्य है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जिसकी कि समाप्ति मार्च १९५६ में हुई है देश के आर्थिक व सामाजिक कलवर को नवीन रंग प्रदान किया है तथा जिसके कारण भारत के आर्थिक इतिहास में सर्वप्रथम बार ऐसी आर्थिक व सामाजकि व्यवस्था का पथ प्रशस्त हुआ है जोकि स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की मान्यताओं पर आधारित हो, जिसमें जाति, वर्ग, विशेषाधिकार के भेद न हों, जहां रोजगार की संभावनाएँ और उत्पादन बढ़े तथा आर्थिक विषमता का ह्रास होकर सामाजिक न्याय का साध्य उपलब्ध हो सके किन्तु हमें इस सत्य को भी दृष्टि तिरोहित नहीं करना चाहियें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता के रूप में तो हमने अपने राष्ट्रीय विकास का प्रथम सोपान ही समाप्त किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे विकास के कदमों में और भी तीव्रता लायगी तथा इसके साफल्य पर भारत के सात लाख गांवों एवं सैकड़ों कस्बों, नगरों एवं उप-नगरों में विस्तृत जनजीवन, अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा कर सकेगा।

मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा लगभग १७१ हजार वर्गमील में विस्तृत २.६१ करोड़ जनसंख्या को आर्थिक व सामाजिक अभ्युत्थान के नवीन अवसर प्रदान हो सकेंगे। मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कि निर्माण राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप भूतपूर्व मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश तथा महाकोशल क्षेत्र की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के सम्मिलन से हुआ है, जहां एक ओर प्रदेश को १२ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या के विकास की योजना है वहां योजना द्वारा मध्यप्रदेश के लगभग ७०,०३८ ग्रामों में रहनेवाली लगभग २३० लाख जनसंख्या को भी दृष्टि से ओझल नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सकल व्यय १९० करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जोकि मार्च १९५६ से मार्च १९६१ की पंचवर्षीय अवधि में प्रदेश के आर्थिक-संसाधनों के विकास एवं प्रदेश के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु व्यय किया जावेगा।

स्थूल रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सकल व्यय, खेती एवं विकास योजनाओं, सिंचन एवं शक्ति-साधन, उद्योग व खनिज, यातायात, समाजसेवा आदि शीर्षकों में विभक्त किया गया है। निम्न सारणी से ज्ञात हो सकेगा कि योजनाकालीन सकल व्यय का सर्वाधिक भाग सिंचन-शक्ति स्रोतों पर व्यय किये जाने को है जिससे कि प्रदेश में सिंचाई एवं विद्युत् उत्पादन क्षमता का विकास हो सकेगा:—

तालिका क्रमांक ९६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का व्यय विभाजन

	व्यय की मद	व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)	व्यय में प्रतिशत
१.	कृषि एवं सामुदायिक विकास ..	४२.६८	२२.३६
२.	विद्युत् एवं सिंचाई	७२.७३	३८.१०
३.	उद्योग एवं खनिज	१०.३४	५.४२
४.	यातायात एवं संवहन	१३.००	६.८१
५.	व्यापार एवं वाणिज्य	०.०६	०.०३
६.	शिक्षा	२०.६३	१०.८०
७.	स्वास्थ्य	१४.३३	७.५१
८.	आवास	४.५०	२.३६
९.	अन्य सामाजिक सेवाएँ	९.२८	४.४६
१०.	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान ..	३.३५	१.७५
		१९०.९०	१००.००

सूचना स्रोत—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सकल व्यय लगभग १९०.९० करोड़ रुपयों की राशि का आंका गया है जिसमें से ७२.७३ करोड़ रुपयों की राशि विद्युत् एवं सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। राज्य में विद्युत् एवं सिंचाई परियोजनाओं पर इतनी बड़ी राशि के व्यय का मूल उद्देश्य राज्य में व्यापक सिंचाई योजनाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ा-कर राज्य में उपभोग्य वस्तुओं की आवश्यक पूर्ति करना है। विद्युत् परियोजनाओं के परिणामस्वरूप न केवल बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों का ही विकास हो सकेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोकि नवगठित मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं, लघु उद्योग-धंधे भी स्थापित हो सकेंगे।

स्थूल रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संचालित की जानेवाली विविध विकास योजनाओं को दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड में वे सब योज-नाएँ आती हैं जिनका कि प्रत्यक्ष संबंध कृषि व औद्योगिक उत्पादन-वृद्धि से है तथा दूसरे खंड में सामाजिक सेवा संबंधी योजनाएं हैं। उत्पादन-वृद्धि संबंधी योजनाओं में कृषि एवं सामुदायिक विकास, सिंचाई व विद्युत् परियोजनाएं, उद्योग व खनिज विकास,

यातायात व संवहन तथा व्यापार एवं वाणिज्य विकास योजनाओं संबंधी मद आते हैं तथा सामाजिक सेवाओं संबंधी खंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान तथा अन्य विविध सामाजिक सेवाओं संबंधी मद आते हैं। मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के शीर्ष मे योजना की सकल व्यय राशि का लगभग ७२.६९ प्रतिशत भाग अर्थात् १३८.७५ करोड़ रुपयों के व्यय का प्रावधान रखा गया है तथा सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकों पर सकल व्यय का २७.३१ प्रतिशत भाग व्यय करने का प्रावधान रखा गया है जोकि ५२.१५ करोड़ रुपये के लगभग होता है।

कृषि एवं सामुदायिक विकास

नवगठित मध्यप्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है अतएव इस राज्य की अर्थ-व्यवस्था में कृषि एवं ग्रामीण विकास का एक विशिष्ट महत्व है। इस हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में योजनाकालीन सकल व्यय राशि का २२.३६ प्रतिशत भाग व्यय किया जावेगा जोकि ४२.६८ करोड़ रुपये हैं। निम्न सारणी द्वारा कृषि एवं सामुदायिक विकास के अन्तर्गत विविध उत्पादक व आर्थिक-सामाजिक हितों के कार्यो पर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में व्यय की जानेवाली राशि को दर्शाया गया है जिससे ज्ञात हो सकेगा कि इस अवधि में विविध मदों पर कितनी राशि व्यय की जा रही है:—

तालिका क्रमांक ९७

कृषि एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय
(१९५६–६१)

व्यय का मद	व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)
१. कृषि उत्पादन	६.७६
२. भूमि विकास	६.७६
३. पशु संवर्द्धन	३.८५
४. दुग्ध पदार्थ व दुग्ध वितरण	०.७८
५. वन	२.७७
६. मत्स्योद्योग	.२५
७. सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं तथा पंचायत	१७.३६
८. सहकारिता	३.७९
९. विविध	०.३६
योग ..	४२.६८

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास व कृषि विकास योजनाओं के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन वृद्धि, भूमि विकास, पशु संवर्द्धन, वन विकास, मत्सोद्योग विकास तथा सहकारिता आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि-उत्पादन में वृद्धि तो होगी ही साथ ही ग्रामीण

क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर आर्थिक विकास भी प्रशस्त हो सकेगा। उपरोक्त मदों में सर्वाधिक व्यय राशि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर रखी गई हैं जिन पर कि कुल १८.६१ करोड़ रुपयों के व्यय का अनुमान है। वास्तव में ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनेवाली आर्थिक व सामाजिक क्रांति की परिचायक हैं जिससे ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तम कृषि साधनों व सहकारिता का विकास संभव हो सकेगा।

सिंचाई व विद्युत् परियोजनाएं

नवगठित मध्यप्रदेश में वर्तमान स्थिति में औद्योगिक विकास का पर्याप्त क्षेत्र है। औद्योगिक विकास हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य में एक ओर औद्योगिक व उपभोग्य वस्तुओं के निर्माण हेतु अधिक कच्चे माल की उत्पत्ति की जावे तथा दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन की गति को तीव्र करने हेतु शक्ति-साधनों का विकास किया जावे। मध्यप्रदेश के अपने शक्ति-स्रोतों का विदोहन उपयुक्त प्रकार से नहीं हो पाया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सिंचाई एवं विद्युत् योजनाओं को पर्याप्त महत्व दिया गया है जिससे कि राज्य के खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य औद्योगिक व कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो सके साथ ही विद्युत्-उत्पादन द्वारा ग्रामों तथा नगरों में लघु एवं वृहत् प्रमाप उद्योग-धंधों का भी विकास हो सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व विद्युत् योजनाओं पर समष्टि रूप से ७२.७३ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। निम्न सारणी में सिंचाई व विद्युत् योजनाओं के विविध शीर्षों पर व्यय विभाजन के समंक दिये गये हैं:—

तालिका क्रमांक ९८

सिंचाई व विद्युत् परियोजनाओं पर व्यय

	व्यय का मद	व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)
१.	बहुमुखी परियोजनाएं	२५.३९
२.	वृहत् व मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएँ	१५.३४
३.	लघु सिंचाई परियोजनाएं	७.८२
४.	जल-विद्युत् परियोजनाएं	०.०६
५.	विद्युत् परियोजनाएं (थर्मल)	२३.९४
६.	विविध	०.१८
	सकल व्यय ..	७२.७३

सूचना स्रोत:—योजना विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त विभाजन से स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य में बहुमुखी परियोजनाओं पर जिनसे कि विद्युत्-उत्पादन तथा सिंचाई संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी, २५.३९ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है जबकि थर्मल व जल-विद्युत् परियोजनाओं पर २४.०० करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। राज्य में सबसे बड़ी बहुमुखी सिंचाई योजना चम्बल घाटी योजना है जिसके अन्तर्गत विशाल गांधी सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है। गांधी सागर बांध का निर्मा इस योजना

की प्रथम कड़ी है तथा इस बांध की पूर्ति पर बांध-स्थल पर ९२,००० किलोवाट विद्युत् का उत्पादन हो सकेगा तथा राजस्थान व मध्यप्रदेश क्षेत्र को लगभग ११,००,००० एकड़ भूमि में सिंचाई संभव हो सकेगी। वर्ष १९५६ तक केंद्रीय शासन द्वारा इस योजना के कार्यान्विय हेतु राजस्थान व मध्यप्रदेशीय सरकारों को क्रमशः २२७ लाख रुपयों व ४५५ लाख रुपयों का ऋण दिया गया है।

विद्युत् योजनाओं में कोरबा कोयला क्षेत्र की थर्मल विद्युत् योजना राज्य की प्रमुख विद्युत् योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है जिसकी संपूर्ति पर ९०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी तथा इस योजना पर कुल १,२२८.८६ लाख रुपयों के व्यय का अनुमान किया गया है। इससे भिलाई के लौह-स्पात कारखाने को भी विद्युत् प्रदान की जा सकेगी। उपरोक्त योजना के अतिरिक्त तवा बहुमुखी योजना पर १३.९५ लाख रुपयों के व्यय का अनुमान है। चम्बल नदी बहुमुखी योजना पर कुल ७७.१५ लाख रुपयों के व्यय का अनुमान है। चम्बल घाटी योजना तथा तवा नदी योजना की संपूर्ति पर राज्य की लगभग २० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई संभव हो सकेगी व समष्टि रूप से २,३२,५०० किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी जिससे न केवल सूखी व बंजर भूमि में खेत लहलहा उठेंगे बल्कि विद्युत्-उत्पादन के फलस्वरूप ग्रामों में लघु उद्योग-धंधों का भी विकास हो सकेगा साथ ही बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को भी आवश्यक सस्ती चालक-शक्ति उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त बड़ी-बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त महानदी नहर का पुनर्निर्माण (रायपुर), सागर जिले का पीलानदी बांध, खंडवा जिले का सुक्ता नदी बांध, पंपावती तालाब योजना, इंदौर जिले की चोरल नदी योजना, शाजापुर जिले की चिलार नदी योजना, सतना जिले की रविगवां योजना तथा पन्ना जिले की केन घाटी योजना कतिपय अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं में से हैं।

खनिज व उद्योग

नवगठित मध्यप्रदेश खनिज संपत्ति का विशाल स्रोत है तथा कोयला, मैंगनीज, लोहा व हीरा आदि के भूगर्भस्थ निक्षेपों में राज्य पर्याप्त संपन्न है किंतु अभी तक राज्य की बहुमूल्य खनिज संपत्ति का आवश्यक विदोहन न हो सकने के कारण न तो राज्य में उद्योग-धंधों का ही विकास हो सका है और न ही राज्य में औद्योगिक क्षमता ही निर्मित हो सकी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस संबंध में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत वर्तमान खदानों के विकास व उनके तत्वों को निकालने में वैज्ञानिक तरीके अपनाने संबंधी प्रयोग तो हुए ही हैं साथ ही नवीन खदानों के अनुसंधान का भी प्रावधान रखा गया है। कोरबा कोयला खदानों का विदोहन राज्य की खनिज विकास योजना नीति का ही एक भाग है तथा भिलाई का कारखाना उद्योगों व खनिज संपत्ति के व्यापक विकास में सहायक सिद्ध हो सकेगा।

इस मद पर राज्य शासन द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल १०.३४ करोड़ रुपयों के व्यय का प्रावधान रखा गया है जोकि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकालीन सकल

व्यय का ५.४२ प्रतिशत भाग होता है। उद्योग व खनिज संपत्ति पर विविध मदों पर व्यय कीजानेवाली राशि का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है :—

तालिका क्रमांक ९९

खनिज व उद्योगों पर व्यय विभाजन

	व्यय के मद	व्यय करोड़ रुपयों में
१.	निर्माणी उत्पादन (उपभोग्य वस्तुएं)	०.९३
२.	ग्राम व लघु प्रमाप उद्योग	९.२५
३.	खनिज संपत्ति का सर्वेक्षण	०.११
४.	विविध	०.०५
	योग ..	१०.३४

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा खनिज व उद्योग-धंधों पर व्यय कीजानेवाली राशि का लगभग ९० प्रतिशत भाग ग्राम व लघु प्रमाप उद्योगों पर व्यय किया जाने को है जिससे कि गैर-नगरीय क्षेत्रों में व्यापक सेवा-योजन संबंधी संभावनाएं बढ़ सकेंगी व उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा। खनिज संपत्ति के विदोहन के क्षेत्र में कोरबा कोयला खदानों का विदोहन करना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जिसके कार्यान्वय पर वर्ष १९६०-६१ तक लगभग ४० लाख टन कोयला ति वर्ष निकलेगा। कोरबा कोयला क्षेत्र में अब तीव्र गति से खनन कार्य आरंभ किया गया है ताकि वर्ष १९६०-६१ तक उन खदानों से उत्पादन प्राप्त हो सके। 'इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स' के सर्वेक्षण समंकों के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में कुल १,१२० लाख टन मैंगनीज निक्षेप है जिनमें से लगभग १,००० लाख टन मैंगनीज मध्यप्रदेश की विविध खदानों में सुरक्षित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कोयला व लोहे के साथ-साथ मैंगनीज भंडारों का भी समुचित विदोहन किया जावेगा।

यातायात एवं संवहन

मध्यप्रदेश यातायात व संवहन सा नों में पर्याप्त पिछड़ा हुआ ह । अनेक भाग पहाड़ी व पठारी होने के साथ ही साथ एक बड़ा क्षेत्र वनाच्छादि त भी है। यही कारण है कि अब तक राज्य में यातायात साधनों का समुचित विकास नहीं हो सका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मद पर १३ करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है जिससे कि राज्य में सड़कों का सुधार, नयी सड़कों, पुलों तथा रपटों का निर्माण तथा यात्रियों के लिए बस-सर्विस आदि की व्यवस्था की जावेगी।

शिक्षा

वर्तमान नवगठित मध्यप्रदेश में शिक्षा-प्रसार के लिए काफी क्षेत्र है। राज्य के आंतरिक पहाड़ी वनाच्छादित भागों में अभी शिक्षा की ज्योति जाना शेष है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना राज्य की अशिक्षा, गरीबी व अज्ञान के विरुद्ध एक नियोजित संघर्ष है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य की शिक्षा-योजनाओं पर लगभग २०.६३ करोड़ रुपयों के व्यय का प्रावधान रखा गया है जिसमें से सर्वाधिक व्यय राशि प्राथमिक शिक्षा पर रखी गई है। अगली सारणी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विविध शैक्षणिक क्षेत्रों में व्यय की जानेवाली राशि का व्यय विभाजन प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक १००
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय

व्यय के मद	(करोड़ रुपयों में)
१. प्राथमिक शिक्षा	७.९४
२. माध्यमिक शिक्षा	४.४९
३. प्रौद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा	१.१२
४. विश्वविद्यालयीन शिक्षा	३.१४
५. उच्च व्यावसायिक व प्रौद्योगिक संस्थाएं ..	२.१३
६. समाज शिक्षा	०.८३
७. शारीरिक शिक्षा	०.११
८. ए. सी. सी. तथा एन. सी. सी.	०.०४
९. विविध	०.८३
योग ..	२०.६३

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि शिक्षा संबंधी सकल २०.६३ करोड़ रुपये के व्यय में से लगभग ७.९४ करोड़ रुपये केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किये जावेंगे। प्राथमिक शिक्षामात्र पर इतना बड़ा भाग व्यय करने का मूल ध्येय राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के बच्चों को अशिक्षा के अज्ञान से दूर लेजाकर उचित शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है। इसी अवधि में राज्य के प्रमुख केंद्रों—ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर आदि—में व्यावसायिक शिक्षा व बहुमुखी बुनियादी शालाएं स्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही राज्य के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों, पशु-चिकित्सा शालाओं, पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालयों के विकास का भी प्रावधान रखा गया है। राज्य में जबलपुर, उज्जैन तथा खैरागढ़ में तीन नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। साथ ही अनुसंधान हेतु भी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं पर विशिष्ट ध्यान देने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल १४.३३ करोड़ रुपयों की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि में से लगभग ४.९६ करोड़ रुपया चिकित्सालयों व औषधालयों पर व्यय किया जावेगा। निम्न सारणी में विभिन्न मदों पर व्यय की राशि दी जा रही है:—

तालिका क्रमांक १०१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजनाओं पर व्यय

व्यय के मद	(करोड़ रुपयों में)
१. चिकित्सा व औषधालय	४.९६
२. जल-पूर्ति	२.८४
३. नालियों व सफाई पर व्यय	०.०३
४. रोगों पर नियंत्रण	१.७२
५. मातृसदन व बाल-कल्याण केन्द्र	०.६९

व्यय के मद	व्यय (करोड़ रुपयों में)
६. परिवार नियोजन	०.०५
७. प्रयोगशाला संबंधी सेवायें	०.२०
८. स्वास्थ्य शिक्षा व प्रशिक्षण	२.८७
९. आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों पर व्यय	०.६१
१०. विविध	०.३६
योग ..	१४.३३

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोक स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु विविध स्वास्थ्य सेवाओं पर उचित ध्यान दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जबलपुर, भोपाल, इंदौर तथा ग्वालियर के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को आधुनिकतम चिकित्सा साधनों से सुसज्जित किया जायगा; साथ ही रायपुर व इंदौर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के विकास का भी प्रयत्न किया जायगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजनाओं पर विशिष्ट ध्यान दिया गया है तथा अपंग बच्चों, क्षय रोगियों व अन्य संक्रामक रोगों की रोक-थाम हेतु विशेष योजनाएं बनाई गई हैं।

आवास

राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तथा विशेषकर औद्योगिक व वाणिज्य दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्रों में आवास गृहों की पर्याप्त कमी है तथा इससे मध्यम वर्ग तथा श्रमिक वर्ग को विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवास संबंधी इन समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है तथा मध्य वर्गीय परिवारों, श्रमिकों व अन्य निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों के आवास हेतु आवश्यक प्रबंध किये गये हैं। इस संबंध में शासन द्वारा उद्योगपतियों व सेवा-नियोजकों को श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों के गृह-निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। शासन द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से भोपाल, जबलपुर, इंदौर, राजनांदगांव, ग्वालियर व देवास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों व लघु-वेतन कर्मचारियों के लिये आवास-गृह बनवाये गये हैं। समष्टि रूप से इस हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४.५० करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया है। निम्न सारणी में विभिन्न प्रकार के आवास-गृहों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय की जानेवाली राशि का व्यय विभाजन दिया जारहा है :—

तालिका क्रमांक १०२
आवास व्यवस्था पर व्यय

व्यय के मद	व्यय (करोड़ रुपयों में)
१. औद्योगिक आवास-गृह	०.६९
२. ग्रामीण क्षेत्रों में आवास-गृह	०.१९
३. नगरीय भूमि-विकास	०.९२
४. विशेष गृह-निर्माण योजनायें	२.६२
५. विविध	०.०८
योग ..	४.५०

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

वादल ... ़जा, चंदेरी (गुना)

वेधशाला, उज्जैन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ग्रामीण व नगरीय समस्त क्षेत्रों में आवास समस्या के समाधान का प्रयत्न किया जा रहा है। उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त भोपाल में, भोपाल नगर के संवर्धन व विकास हेतु एक 'मास्टर प्लान' बनाया जारहा है जिसमें राज्य की राजधानी के विकास व आवास समस्या के समाधान हेतु विशेष प्रावधान रखे जावेंगे। राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के निवास हेतु पृथक् बस्ती बनाई जा रही है जिससे कि भोपाल नगर की आवास समस्या के समाधान में योग प्राप्त हो सकेगा।

विविध समाज सेवायें

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति कल्याण, नारी व बाल कल्याण तथा युवक कल्याण जैसी विविध लोकोपकारी योजनाओं के कार्यान्वय का प्रावधान रखा गया है जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग में जागृति व्याप्त हो सके तथा युग-युगों से पिछड़े हुए कतिपय वर्गों में नवजीवन संचरित हो सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विविध समाज कल्याण योजनाओं पर व्यय की जानेवाली राशि में से सर्वाधिक व्यय जन-जाति कल्याण योजनाओं पर किया जावेगा। तत्संबंध में जन-जाति क्षेत्रों में सहकारिता एवं कृषि-संबंधी विकास कार्य भी संचालित किये जावेंगे। निम्न सारणी में विविध समाज सेवाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जानेवाला व्यय विभाजन प्रस्तुत किया गया है :—

तालिका क्रमांक १०३

समाज सेवा कार्यों पर व्यय

व्यय के मद	व्यय (करोड़ रुपयों में)
१. श्रम कल्याण	१.२७
२. जन-जाति कल्याण	४.९०
३. अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों संबंधी कल्याण कार्य ..	१.९९
४. समाज कल्याण विस्तार परियोजना	०.४४
५ नारी कल्याण, बाल कल्याण व युवक कल्याण ..	०.३६
६. शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों संबंधी कल्याण कार्य	०.०९
७. अन्य कल्याण कार्य	०.२३
योग ..	९.२८

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि समाज कल्याण संबंधी विविध मदों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को चिकित्सा, उनके अध्ययन, उनके प्रशिक्षण व जीवनस्तर उत्थान संबंधी प्रयत्न किये जावेंगे। नारी कल्याण व युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत स्त्री-शिक्षा आदि के कार्यक्रमों को नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जावेगा तथा युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत युवक मंडलों की स्थापना, अध्ययन केंद्रों का संचालन व किशोर केंद्रों की स्थापना आदि का प्रावधान है, जहां कि युवक-युवतियां सामूहिक रूप से सहकारिता, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रश्नों पर विचार विमर्श कर सकें तथा संगठित होकर राज्य के विकास कार्यों में हाथ बंटा सकें।

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य की भाषाओं, लोक साहित्य तथा लोक भाषाओं के विकास, स्वायत्त शासन संस्थाओं के संगठन, कारागस्त व्यक्तियों के कल्याण तथा राज्य में आर्थिक व सांख्यिकीय, संगठन के विस्तार की व्यवस्था रखी गई है ताकि राज्य में हो रहे विकास कार्यों का सही मूल्यांकन हो सके। निम्न तालिका में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान के मद पर व्यय की जानेवाली राशि का विवरण दिखाया गया है:—

तालिका क्रमांक १०४

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान कार्यों पर व्यय

व्यय के मद	व्यय (करोड़ रुपयों में)
१. राष्ट्रीय व क्षेत्रीय भाषाओं का विकास ..	०.१८
२. प्रचार कार्यक्रम	०.६६
३. स्थानीय स्वायत्त शासन संगठन	१.९६
४. कारागस्त व्यक्तियों के कल्याण कार्य	०.०९
५. आर्थिक व सांख्यिकीय संगठन	०.४६
योग ..	३.३५

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त व्यय विभाजन से स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय व क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर ०.१८ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। उक्त राशि से राष्ट्रभाषा हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य संचालित किये जावेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ४६ लाख रुपयों की राशि आर्थिक व सांख्यिकीय संगठन के सुसंगठन व विस्तार पर व्यय की जावेगी जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक व सांख्यिकीय संगठन को सुदक्ष बनाकर राज्य के आर्थिक व प्राकृतिक साधनों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी संग्रहीत करना है ताकि योजना के सफल कार्यान्वय हेतु आधारस्वरूप विश्वसनीय सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध हो सके। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कतिपय औद्योगिक व उन्नत नगरों में आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण की योजनायें कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान है जिससे कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध हो सके। भिलाई में इसी प्रकार का एक सर्वेक्षण राज्य के आर्थिक व सांख्यिकीय संचालनालय के तत्वावधान में चल रहा है, जिसके द्वारा भिलाई में खड़े किये जा रहे विशाल लौह-इस्पात के कारखाने के आर्थिक व सामाजिक परिणामों का अध्ययन क्रमबद्ध श्रृंखलाओं में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के द्वितीय सबसे बड़े राज्य की क्रांतिकारी योजना है जिसके सफल कार्यान्वय पर न केवल लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई होने के कारण खाद्यान्न में वृद्धि हो सकेगी बल्कि इस काल में भिलाई का विशाल इस्पात कारखाना, भोपाल का भारी विद्युत् सामान निर्मित करनेवाला कारखाना तथा कोरबा की कोयला खदानों तथा चंबल एवं कोरबा के विद्युत् घरों से उत्पन्न विद्युत् शक्ति के सहयोग से राज्य के औद्योगिक जीवन में एक नवीन बल संचरित हो सकेगा।

सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवायें

२ अक्टूबर १९५२ का दिवस संपूर्ण भारतवर्ष के लिये चिरसंचित आकांक्षाओं की पूर्ति का दिवस था, जबकि भारतीय इतिहास में सर्व-प्रथम वार संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग ५ लाख से भी अधिक ग्रामों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में आर्थिक–सामाजिक निर्माण का क्रांतिकारी कार्य आरंभ हुआ। यह सामुदायिक विकास कार्य संपूर्ण विश्व में अपने प्रकार का अभिनव प्रयोग है।

भारतीय जन-जागरण की प्रतीक सामुदायिक विकास योजनायें बुनियादी तौर पर 'जनता के द्वारा ही जनता के लिये' देश की आर्थिक समृद्धि एवं जन-जागरण की कहानी का आरंभ है जिनके कि माध्यम से देश का वर्तमान आर्थिक दृष्टि से जीर्ण-शीर्ण कलेवर एक विकासशील नव रूप धारण कर सकेगा तथा इन योजनाओं की सफलता के परिणाम-स्वरूप देश की ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री वी. टी. कृष्णमाचारी के शब्दों में 'हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश की जनता का स्व-संचालित आंदोलन है जिसका अंतिम उद्देश्य देश के ग्रामीण अर्थ-तंत्र में आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक जन-जीवन में पारस्परिक एकता एवं सहयोग की भावना का विकास करना है'।

हमारी सामुदायिक विकास योजनाओं का सूत्रपात एवं क्रियान्वय इतने विशाल देश की ३६ करोड़ से भी अधिक जनता के लाभार्थ एक अभिनव प्रयोग तो है ही; किन्तु इन योजनाओं का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि ये योजनायें अपने में बहु-हितकारी उद्देश्यों को समाविष्ट करती हैं। सामुदायिक विकास संवर्गों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में एक ओर जहां कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन की शिक्षा तथा ग्रामीण नागरिकों को आधुनिकतम वैज्ञानिक कृषि-साधनों का उपयोग करने व उत्तम बीज व उत्तम उर्वरकों का उपयोग कर कम भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के साधनों से परिचित कराया जाता है तो दूसरी ओर उन्हें ग्रामनेताओं, विकास अधि-कारियों एवं ग्रामसेवकों द्वारा स्वयं संगठित हो कर अशिक्षा, द्यूतक्रीड़ा, मद्यपान, बहु-विवाह आदि जैसी अनेकानेक निंद्य सामाजिक कुरीतियों से मुक्त रहने का आचरण भी सिखाया जाता है। हमारे ग्रामजीवन में पारस्परिक बंधुत्व एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करना विविध सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रमुख ध्येय स्वीकृत किया गया है तथा इसी ध्येय को मूर्तिमान करने के उद्देश्य से विविध सामुदायिक संवर्गों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम-पंचायतों, न्याय-पंचायतों एवं सहकारी विक्रय मंडलों व साख समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर स्वनेतृत्व एवं सहकारिता की भावना जागृत की जाती है। सामुदायिक विकास योजनाओं के बहु-उद्देश्यीय लाभों का ही फल है कि अब देश

का ग्रामीण कलेवर संवरता जा रहा है तथा क्रमशः ग्रामों में आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक विकास की धारा अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती जा रही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यों को एक विशिष्ट महत्व दिया गया था तथा अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ-सौराष्ट्र से बंगाल-आसाम तक की विस्तृत क्षेत्रीय परिधियों के लाखों ग्रामों को पूर्ण रूप से इन लोक-कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत ले लेने की योजना प्रस्तावित की गई है।

सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के उद्देश्य

समष्टि रूप से केंद्रीय सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा विविध विकास योजनाओं के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है:—

(१) कृषि व भूमि-विकास

(अ) बंजर व पड़ती भूमि को कृषि-योग्य बनाना।

(ब) सिंचाई हेतु जल-प्रदाय व्यवस्था करना। यह कार्य नहरों, कुओं, तालावों, पोखरों, नालों, नदियों व ट्यूब वेल्स के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था करना।

(स) ग्रामों में उत्तम बीज का वितरण, योग्य कृषि-साधनों की पूर्ति, पशु विकास हेतु सहायता, उत्तम खाद की पूर्ति, सहकारिता के आधार पर विपणन व्यवस्था करना, पशु संवर्द्धन हेतु रेतन केंद्रों की स्थापना व भूमि सर्वेक्षण आदि की व्यवस्था करना।

(द) ग्रामों में मत्स्योद्योग का विकास करना। फलों व साग-सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना तथा वनों की व्यवस्था एवं संरक्षण करना।

(२) यातायात एवं संवहन व्यवस्था

(अ) ग्रामों व क़स्बों को कच्ची व पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना तथा ग्राम्य क्षेत्रों, समीपवर्ती नगरों व व्यापार विपणियों के मध्य यातायात व्यवस्था का विकास करना।

(ब) सड़क यातायात की व्यवस्था, यातायात सेवाओं की वृद्धि व पशुओं के आवागमन की सुगम व्यवस्था का प्रबंध करना।

(३) शिक्षा

(अ) अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(ब) माध्यमिक शिक्षा, समाज शिक्षा व वाचनालयों की व्यवस्था करना।

(स) अध्ययन केंद्रों व पुस्तकालयों की स्थापना करना।

(४) स्वास्थ्य

(अ) स्वच्छता व जन-स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना।

(ब) रोगियों की सुश्रूषा, गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था व प्रसूति गृहों की सुविधायें प्रदान करना।

(५) प्रशिक्षण

(अ) वर्तमान सिंचाई साधनों के विकास-हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ब) कृषकों को कृषि प्रशिक्षण देना, कृषि विस्तार सहायकों को प्रशिक्षित करना, कृषि निरीक्षकों, स्वास्थ्य सेवा-संबंधी कार्यकर्त्ताओं तथा सामुदायिक विकास संवर्ग के अन्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करना।

(६) सेवा नियोजन

(अ) कुटीर उद्योगों, मध्य प्रमाण उद्योगों एवं लघु प्रमाप उद्योगों को विकसित करने की योजनायें कार्यान्वित करना ताकि अधिकाधिक व्यक्तियों को बेरोजगारी से बचाकर रोजगार दिया जा सके।

(७) विकास क्षेत्रों में वाणिज्य, घरेलू सेवाओं व समाज कल्याण सेवाओं संबंधी कार्यों में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देना।

(७) समाज कल्याण व आवास व्यवस्था

(अ) विकास क्षेत्रों में सामूहिक सांस्कृतिक प्रदर्शनियों, मेलों तथा मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(ब) विकासक्षेत्रो में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, श्रमदान एव सहकारिता के आधार पर समाज कल्याण गतिविधियों को संचालित करना।

(स) ग्रामों व नगरीय क्षेत्रों में आवास की स्वास्थ्यप्रद व्यवस्था करना व ग्रामों का वैज्ञानिक व सुधरे ढंग पर पुनर्निर्माण करना।

उपर्युक्त विकास कार्यों को विकेंद्रित पद्धति पर संचालित किया जा सके तथा देश के संपूर्ण ग्रामों को सरलतापूर्वक इन विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके इस हेतु सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा विकास कार्य को सामुदायिक परियोजना संवर्गों एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य हेतु एक प्रकार का स्थायी संगठन है जिसके कि अन्तर्गत ग्राम्य क्षेत्रों में कृषि-विकास, प्राथमिक शिक्षा, पशुसंवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं यातायात के विकास के प्रयत्न संचालित किये जाते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग के प्रमुख पदाधिकारी को संवर्ग विकास पदाधिकारी कहते हैं जो अन्य विशिष्ट सहायकों की सहायता से अपने क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करता है। किसी भी राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग की सफलता के प्रमुख घटक उस संवर्ग के ग्रामसेवक होते हैं जिनका ग्राम के नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है तथा जो अपने क्षेत्र के विकास कार्य को गति प्रदान करते हैं।

सामुदायिक विकास परियोजना केंद्रों के अन्तर्गत विविध सामुदायिक विकास संवर्ग रहते हैं जिनके अन्तर्गत अधिक व्यापकता के साथ विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है परन्तु ये केंद्र अस्थायी स्वरूप के रहते हैं जिनका विघटन अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में होता है। प्रत्येक परियोजना केंद्र के अन्तर्गत ३ सामुदायिक विकास संवर्ग होते हैं जो लगभग ३ वर्ष तक चलते हैं तथा निर्धारित लक्ष्यपूर्ति पर इन विकास

संवर्गों को राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे चलकर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों को सामुदायिक विकास संवर्गों में बदल दिया जाता है जहां व्यापक पैमाने पर विकास कार्यक्रम संचालित होता है। लक्ष्यउपलब्धि के पश्चात् इन संवर्गों को पुनः सेवा संवर्गों में बदल दिया जाता है जोकि एक स्थायी विकास संगठन होने के कारण स्थायी रूप से कार्य करते रहते हैं। सामुदायिक विकास संवर्गों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों के अन्तर्गत आनेवाले ग्रामों को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है। ५ से १० ग्रामों की इकाई को एक ग्रामसेवक की सेवायें दी जाती हैं जोकि उन ग्रामों की सामूहिक विकास योजनाओं का अध्ययन कर अपने वरिष्ट विकास पदाधिकारियों को समय-समय पर अपेक्षित सूचनाएं देता रहता है तथा शासन की विविध योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिये वह शासन व ग्रामवासियों के मध्य मध्यस्थ का कार्य संपादित करता है। सामुदायिक विकास में जनता का आर्थिक सहयोग भी अपेक्षित रहता है फिर चाहे वह धन श्रम सामग्री या आवश्यक अन्यान्य उपकरणों के रूप में ही क्यों न हो। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्य में जनता, राज्य सरकार व केंद्रीय शासन तीनों ही अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं। जिन विकास परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्माण सामग्री संबंधी सहायता दी जाती है वहां पूंजीगत व्ययों में केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा ३:१ में व्यय विभाजित किया जाता है। आगम व्ययों को राज्य व केंद्रीय शासन के मध्य बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय शासन के निर्णयानुसार किसी भी विकास संवर्ग के आरंभ के ३ वर्ष के पश्चात् सामुदायिक विकास संवर्गों का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। केंद्रीय शासन द्वारा किये गये निर्णयों के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक समस्त राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों एवं सामूहिक परियोजनाओं के कर्मचारियों के वेतन पर होनेवाले आगम व्यय के लिये केंद्र द्वारा दी जानेवाली सहायता पूर्ववत् जारी रहेगी। केंद्र द्वारा इस प्रकार के व्ययों पर ५० प्रतिशत राशि देने का नियम है किन्तु यह राशि ६ करोड़ रुपयों से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में सर्व-प्रथम २ अक्टूबर १९५२ को इन लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं का प्रारंभ किया गया था। नवगठित मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ३१ दिसम्बर १९५६ तक समष्टि रूप से १६२ सामुदायिक विकास संवर्ग व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग थे जिससे कि नवगठित मध्यप्रदेश में १,०२,८१,७७८ जनसंख्या के क्षेत्र को विविध विकास योजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया था। पृष्ट भाग पर दी हुई तालिका में नवगठित मध्यप्रदेश का निर्माण करनेवाले विविध घटकों के अनुसार विविध सामुदायिक विकास केंद्रों की संख्या व उनके श्रृंखलाबद्ध विकास का क्रम दिग्दर्शित कराया गया है जिससे ज्ञात हो सकेगा कि नवगठित मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में सामुदायिक विकास संवर्गों या खंडों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या क्या है व उनका श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास किस गति से हुआ है।

तालिका क्रमांक १०५

सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या व उनका क्रमिक विकास

क्षत्र	परिवर्तित सामुदायिक विकास संवर्ग			राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में परिवर्तित सामुदायिक परि-योजना एवं विकास संवर्ग, शृंखला १९५६–५७
	१९५५–५६ शृंखला	१९५६–५७ शृंखला	कुल कार्यरत सामुदायिक विकास संवर्ग (३१ दिसंबर १९५६ तक)	
१	२	३	४	५
१. महाकोशल ..	७	२७	३४	१२
२. भूतपूर्व मध्य-भारत राज्य	३	४	७	८
३. भूतपूर्व विंध्य-प्रदेश राज्य	३	१	४	३
४. भूतपूर्व भोपाल राज्य	३	२	५	४
योग ..	१६	३४	५०	२७

राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग			कुल कार्यरत राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग (३१ दिसंबर १९५६ तक)	सकल योग
१९५४–५५ शृंखला	१९५५–५६ शृंखला	१९५६–५७ शृंखला		
६	७	८	९	१०
११	..	३६	५९	९३
३	७	११	२९	३६
२	५	५	१५	१९
१	२	२	९	१४
१७	१४	५४	११२	१६२

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के विविध भागों में समष्टि रूप से १६२ सामुदायिक विकास संवर्ग व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग कार्य कर रहे हैं जिनमें से सामुदायिक विकास संवर्गों की संख्या ५० व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या ११२ है। क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से महाकोशल, मध्यभारत क्षेत्र, विंध्यप्रदेश क्षेत्र व भोपाल क्षेत्रान्तर्गत समष्टि रूप से क्रमशः ९३, ३६, १९ व १४ विविध विकास संवर्ग

कार्य कर रहे हैं जिनमें से महाकोशल, मध्यभारत क्षेत्र, विंध्यप्रदेश व भोपाल क्षेत्रों में सामुदायिक विकास संवर्गों की संख्या क्रमशः ३४, ७, ४ व ५ है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या प्रत्येक घटक में क्रमशः ५९, २९, १५ व ९ है। निम्न सारणी में नवगठित मध्यप्रदेश के ७ प्रशासकीय संभागों (कमिश्नरियों) के अन्तर्गत कार्य करनेवाले विविध सामुदायिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या इन संवर्गों से लाभान्वित ग्रामों की संख्या व उनकी जन-संख्या दी गई है जिससे ज्ञात हो सकेगा कि राज्य के किस संभाग में कितने विकास संवर्ग कार्य कर रहे हैं व उनकी कार्य-सीमा में कितने ग्राम आते हैं जिनकी जन-संख्या को इन विकास संवर्गों का लाभ प्राप्त हो रहा है :—

तालिका क्रमांक १०६

संभागों में सामुदायिक विकास संवर्ग व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

संभाग	सामुदायिक विकास संवर्गों की संख्या	राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या	योग कॉलम २ व ३	लाभान्वित ग्राम	लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
१. इन्दौर ..	६	१७	२३	४,३३९	१४,७५,६३९
२. ग्वालियर ..	४	८	१२	२,५८०	८,३८,४८३
३. रीवां ..	३	१५	१८	४,४६१	१२,४७,०२५
४. भोपाल ..	८	२१	२९	६,३५५	१६,७७,६३६
५. जबलपुर ..	१३	१३	२६	५,३३१	१५,१९,८९३
६. विलासपुर ..	९	१४	२३	३,४४४	१४,११,६५४
७. रायपुर ..	७	२४	३१	५,१४५	२१,११,४४८
योग	५०	११२	१६२	३१,६५५	१,०२,८१,७७८

सूचना स्रोत :—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के ७ विभिन्न संभागों में समष्टि रूप से १६२ विविध विकास संवर्ग संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से इन्दौर संभाग में कुल २३, ग्वालियर में १२, रीवां में १८, भोपाल में २९, जबलपुर में २६, विलासपुर में २३ व रायपुर में ३१ विकास संवर्ग कार्यरत हैं। विकास संवर्गों की संख्या से सर्व-प्रथम स्थान रायपुर संभाग का है जहां कि संवर्गों की संख्या ३१ है। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः भोपाल व जबलपुर संभागों को प्राप्त है। विविध विकास संवर्गों के अंतर्गत ली गई सर्वाधिक जन-संख्या की दृष्टि से भी रायपुर संभाग का स्थान सर्व-प्रथम है जहाँ कि २१,११,४४८ जन-संख्या के क्षेत्र को कुल ३१ विकास संवर्गों के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा रहा है।

विकास संभागों (कमिश्नरियों) में विकास कार्यक्रम

संम्पूर्ण राज्य में द्रुतगति से संचालित की जानेवाली सामुदायिक योजनाओं का पूर्ण अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि विविध, सामूहिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों के विकास, उनके अन्तर्गत लाभान्वित ग्रामों की संख्या व जन-संख्या का अध्ययन संभागीय इकाइयों के अनुसार विस्तृत रूप से किया जाय। आगामी पृष्ठों

में राज्य के विविध संभागों में संचालित सामुदायिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है जिससे ज्ञात हो सकेगा कि किस संभाग में सबसे पहला विकास संवर्ग या केंद्र किस तिथि को स्थापित हुआ था व उस संभाग में विकास कार्यक्रम किस क्रम से अपने संभाग के ग्रामों में चहुंमुखी विकास पथ प्रशस्त करता हुआ लोक कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

इन्दौर संभाग

इन्दौर संभाग में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का श्रीगणेश २ अक्टूबर १९५३ में सर्व-प्रथम सामुदायिक परियोजना केन्द्र, राजपुर, सामुदायिक विकास संवर्ग, मल्हारगढ़ एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, देवास, झाबुआ व शाहपुर के उद्घाटन से हुआ। उपरोक्त सामुदायिक संवर्गों एवं खंडों की स्थापना भविष्य के उज्जवल कार्यक्रम का एक सूत्रपात ही था। वर्ष १९५३ में प्रारंभ किये गये परियोजना केन्द्र राजपुर एवं विकास संवर्ग, मल्हारगढ़ अपनी तीन वर्ष की विकास अवधि पूर्ण कर २ अक्टूबर १९५६ से राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में परिवर्तित किये जा चुके हैं। इसी प्रकार उपरोक्त वर्ष में प्रारंभ किये गये तीनों विस्तार सेवा खंड सामुदायिक विकास संवर्ग में परिवर्तित किये जा चुके हैं। ३१ दिसंबर १९५६ तक इस संभाग में कार्यरत विकास संवर्गों की समस्त संख्या २३ है जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दी गई है:—

तालिका क्रमांक १०७

इन्दौर संभाग में सामुदायिक विकास संवर्ग एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिला	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्ग मीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
१. इन्दौर ..	१. इन्दौर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१८०	३५८	६८,०००
	२. मऊ (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५४	१००	२३२	५६,७६२
२. धार ..	१. वदनावर (रा. वि. से. सं.)	१-४-५५	१७३	४११	६६,००८
	२. कुक्षी (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५५	१४०	३४१	६५,७४८

जिला	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्ग मीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
३. देवास	१. देवास (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	२३३	३९०	६७,१५२
	२. खातेगांव (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	१६८	४०८	४२,६७४
४. रतलाम ..	१. आलोट (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५४	२००	३५२	७२,०७७
	२. जावरा (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	१४०	२५०	४४,२५५
५. मंदसौर	१. मंदसौर (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५५	२२५	४९०	८४,७९९
	२. सीतामऊ (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	२४५	४९६	८०,६३५
	३. मल्हारगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	२०४	३६६	६९,७०५
६. उज्जैन	१. उज्जैन (सा. वि. सं.)	२-१०-५४	२८५	५३८	८२,९७२
	२. महीदपुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५५	२२७	४३४	७३,२७७
७. झाबुआ	१. झाबुआ (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	२८८	३२४	६७,८४२
	२. अलीराजपुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१६३	४२८	४८,१४१
८. निमाड़ (खरगोन) ..	१. भीकनगांव (रा. वि. से. सं.) .	१-४-५६	२७८	५४७	६८,७७०
	२. राजपुर (रा. वि. से. सं.) .. .	२-१०-५३	८३	२५८	५८,५१७
	३. कसरावद (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५३	३८८	२३०	६४,२४१
	४. थिकारी (रा. वि. से. सं.) .	२-१०-५३	११८	२६४	५७,८१५
९. निमाड़ (खंडवा) ..	१. शाहपुर (सा. वि. सं.) .. .	२-१०-५३	१३७	२९५	५७,७८९
	२. खंडवा (सा. वि. सं.) .. .	१-४-५४	१२२	२३९	१,००,०००

३. हरसूद (रा. वि. से. सं.) ..	..	१-४-५४	१११	२२४	३४,५५४
४. खाकनार (रा. वि. से. सं.)	..	२-१०-५६	१३१	२८८	४३,१०६
राष्ट्रीय विकास सेवा संवर्ग १७					
सामुदायिक विकास संवर्ग ६					
कुल योग .. २३	..		४,३३९	८,१७१	१४,७५,६३९

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन्दौर संभाग में ३१ दिसम्बर १९५६ तक कुल ६ सामुदायिक विकास संवर्ग व १७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग कार्य कर रहे थे जिनमें से वर्ष १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६ व १९५६-५७ में क्रमशः ७, ४, ४ व ८ विकास संवर्ग स्थापित किये गये थे। तीन सामु-यिक विकास संवर्ग १९५३-५४ में व तीन १९५४-५५ में स्थापित किये गये थे। राष्ट्रीय विस्तार संवर्ग १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६ व १९५६-में क्रमशः ४, १, ४ व ८ स्थापित किये गये हैं।

ग्वालियर संभाग

इन्दौर संभाग की तरह ही ग्वालियर संभाग में भी सामुदायिक कार्यक्रम का प्रारंभ २ अक्टूबर १९५२ में सामुदायिक परियोजना केन्द्र, हरसी की स्थापना से हुआ। इसी तिथि को इस संभाग में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, दतिया एवं मुरैना की भी स्थापना हुई। सामुदायिक परियोजना केन्द्र, हरसी अपनी ३ वर्ष की विकास अवधि पूर्ण कर अक्टूबर १९५६ से राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, डबरा, भितरवार एवं मुरार में परिवर्तित हो गया है। उपर्युक्त तिथि को प्रारंभ किये गये दोनों रा. वि. सेवा खंडों का परिवर्तन भी सामुदायिक विकास संवर्गों में हो चुका है। ग्वालियर संभाग के कुल ६ जिलों में ३१ दिसम्बर १९५६ तक कुल १२ विकास केन्द्र कार्य कर रहे थे जिनमें से ८ राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग व ४ सामुदायिक विकास संवर्ग थे। इसी अवधि तक समष्टि रूप से २,५८० ग्रामों को इन १२ विकास संवर्गों के अन्तर्गत ले लिया गया था जिनका कि क्षेत्रफल ६,४०४ वर्गमील था व जन-संख्या ८,३८,४८३ थी। पृष्ठभाग पर दी हुई तालिका में ग्वालियर संभाग में कार्यरत विविध सामुदायिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई है।

तालिका क्रमांक १०८

ग्वालियर संभाग में सामुदायिक विकास संवर्ग एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्ग-मीलों में	विकास संवर्ग के अन्तर्गत लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
१. ग्वालियर ..	१. डबरा (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	१६७	७३८	७०,५९५
	२. भितरवार (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	१७२	७२०	५९,९२१
	३. मुरार (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	१८८	६७७	५५,६८२
२. भिण्ड ..	१. लहार (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५४	१६६	२६०	७४,४७४
	२. अटेर (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	१८५	२५७	८७,६४७
३. मुरैना ..	१. मुरैना (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५३	१०८	२०४	६६,७५८
	२. पोरसा (अंबाह) (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५५	७७	२१२	७९,५५७
४. शिवपुरी ..	१. शिवपुरी (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५४	२२८	७५५	५३,०१८
	२. कोलारस (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५५	३६८	८९४	९२,१४६
५. गुना ..	१. राघोगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५४	५११	७७४	८३,३२४
	२. गुना (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	२५५	६४०	४३,७००
६. दतिया ..	१. दतिया (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५३	१५५	२७३	७१,६९१
राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग	८		२,५८०	६,४०४	८,३८,४८३
सामुदायिक विकास संवर्ग	४				
कुल योग ..	१२				

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

पिछली तालिका से स्पष्ट है कि ग्वालियर संभाग में वर्ष १९५३-५४ में कुल ५ सामुदायिक विकास संवर्ग व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग स्थापित किये गये थे, १९५४-५५ में ३ विकास संवर्ग स्थापित किये गये व १९५५-५६ व १९५६-५७ की अवधि में प्रत्येक वर्ष दो-दो विकास संवर्ग स्थापित किये गये हैं।

रीवां संभाग

रीवां संभाग के ७ जिलों में कुल १८ विकास संवर्ग संचालित किये जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत ४,४६१ ग्रामों को ले लिया गया है। इन ग्रामों की जनसंख्या १२,४७,०२५ है। कुल १८ विकास संवर्गों में से १५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग हैं व ३ सामुदायिक विकास संवर्ग हैं। निम्न तालिका द्वारा रीवां संभाग के अन्तर्गत कार्यरत विविध विकास संवर्गों की स्थिति स्पष्ट की गई है :—

तालिका क्रमांक १०९

रीवां संभाग में सामुदायिक विकास संवर्ग एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
१. रीवां	१. हनुमना (सा. वि. सं.)	२-१०-५४	३४२	३७१	६३,६९०
	२. मऊगंज (रा. वि. से. सं.)	१-४-५५	३४९	३४५	५९,६४४
२. शहडोल ..	१. कोतमा (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	१९०	३९७	६९,८८६
	२. जैयारी (रा. वि. से. सं.)	१-४-५५	१४६	३६७	६७,११५
	३. पुष्पराजगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	२७२	६८०	६६,२८३
३. सीधी	१. देवसर (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	४१७	९२०	७५,८४१
	२. सिहावल (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	३११	३०९	६५,५९६

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथी	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
४. सतना ..	१. मुझगवां (रा. वि. से. सं.) (चित्रकूट). ..	२-१०-५४	४४१	७७५	७८,९६३
	२. मैहर (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५५	२५३	४४०	७९,६९९
	३. सोहावल (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५२	१६४	२०५	७५,०७६
५. पन्ना ..	१. पन्ना (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	२३३	६०५	६०,०४९
	२. गुनौर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	२५८	४६७	५२,८७१
६. छतरपुर ..	१. मल्हैरा (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	१५१	४५५	५१,४५१
	२. राजनगर (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५५	१३८	४५५	७२,७६०
	३. नौगांव (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५४	१३६	३५५	८८,५७४
७. टीकमगढ़ ..	१. नेवारी (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५५	२९३	४५३	९८,४३९
	२. जतारा (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	१९४	३३७	७३,९९३
	३. वलदेवगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	१६५	३२९	४७,०९५
राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग १५					
सामुदायिक विकास संवर्ग ३					
योग .. १८	..	..	४,४६१	८,२६५.३	१२,४७,०२५

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

पिछली तालिका से स्पष्ट है कि रीवां संभाग में समष्टि रूप से १२,४७,०२५ जनसंख्या का ८,२६५ वर्गमील क्षेत्र विविध विकास योजनाओं के अंतर्गत १९५२ से ३१ दिसम्बर १९५६ तक ले लिया गया है। रीवां संभाग में सर्वप्रथम २ अक्टूबर १९५२ को सतना जिले के सोहावल क्षेत्र में सामुदायिक विकास संवर्ग स्थापित किया गया था जिसे आगे चलकर २ अक्टूबर १९५६ को राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग में परिवर्तित कर दिया गया था। रीवां संभाग में सर्वाधिक ग्रामों की संख्या सीधी जिले के देवसर सामुदायिक विकास संवर्ग में है, जिसके अन्तर्गत ९२० वर्गमील क्षेत्र घेरा गया है।

भोपाल संभाग

भोपाल संभाग में नवगठित मध्यप्रदेश के विविध संभागों की अपेक्षा सामुदायिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या सर्वाधिक (२९) है। ३१ दिसम्बर १९५६ तक के उपलब्ध समंकों के अनुसार भोपाल संभाग में ८ सामुदायिक विकास संवर्ग व २१ राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग कार्य कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत ६,३५५ ग्रामों के १३,०१६ वर्गमील में विस्तृत क्षेत्रफल की १६,७७,६३६ जनसंख्या को विविध विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। निम्न तालिका द्वारा भोपाल संभाग के अंतर्गत कार्यरत विविध विकास संवर्गों की स्थिति स्पष्ट की गई है :—

तालिका क्रमांक ११०

भोपाल संभाग में सामुदायिक विकास संवर्ग एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जनसंख्या.
१	२	३	४	५	६
१. सीहोर ..	.. १. सीहोर (रा. वि. से. सं.) ..	.. २-१०-५२	३०२	६१२	७६,५६४
	२. फन्दा (रा. वि. से. सं.) ..	.. २-१०-५२	३०३	५१७	६७,६५४
	३. ईछावर (रा. वि. से. सं.) ..	.. २-१०-५२	१६०	४२९	३४,८२९
	४. बैरसिया (सा. वि. सं.) ..	.. २-१०-५३	३१०	५४८	६५,६७८
	५. आष्टा (सा. वि. सं.) ..	.. २-१०-५३	३००	५६२	८३,१०८

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जनसंख्या
१	२	३	४	५	६
	६. बुधनी (रा. वि. से. सं.)	१-७-५५	१५७	४१६	३७,३२५
	७. नसरुल्लागंज (रा.वि.से.सं.) ..	२-१०-५६	१६९	५२२	३२,७४६
२. रायसेन	१. सांची (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५३	२३६	५२६	४३,४१२
	२. उबैदुल्लागंज (सा.वि.सं.)	२-६-५२	२३३	६८३	४६,०९०
	३. बरेली (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	२५०	५५१	७०,४०१
	४. बेगमगंज (सा. वि. सं.)	२-१०-५४	२३२	३५१	४१,३९०
	५. गैरतगंज (रा.वि.से.सं.)	२-१०-५६	१७३	३६१	२८,२६०
	६. सिलवानी (रा.वि.से.सं.)	२-१०-५४	२५५	४९७	३५,५८४
	७. उदयपुरा (रा.वि.से.सं.)	१-७-५५	१५६	३२२	५०,१७८
३. शाजापुर ..	१. सुसनेर (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५४	२२२	४९९	७९,०७२
	२. आगर (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	२८१	५६२	९०,३२७
४. राजगढ़	१. जीरापुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५५	२२४	३२६	५९,८२९
	२. पछोर (रा. वि. से. सं.) .. .	२-१०-५३	१८०	३३८	७६,२२३
५. भेलसा (विदिशा)	१. भेलसा (रा. वि. से. सं.)	१-४-५६	४४५	७११	९१,१४९
	२. भेलसा (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	२४८	४०८	४६,३६८

६. बैतूल ..	१. बैतूल (सा. वि. सं.) ..	१-४-५४	१७४	१७८	६१,४०१
	२. प्रभातपट्टन (सा.वि.सं.) ..	२-१०-५३	१२९	३७३	५४,८७८
	३. शाहपुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	२०१	३१३	५०,८४६
	४. भीमपुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१९७	३६३	३३,८४७
७. होशंगाबाद ..	१. टिमरनी (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५३	११४	२४८	५६,५६३
	२. सिवनी मालवा (रा.वि.से.सं.) ..	१-४-५४	२०१	३९५	६२,८५०
	३. बावई (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५२	१७०	५९३	५६,९८८
	४. पिपरिया (रा.वि.से.सं.) ..	२-१०-५२	१८२	४०६	९५,०७१
	५. सोहागपुरा (रा.वि.से.सं.) ..	२-१०-५२	१५१	३९८	७८,९१५
रा. वि. से. सं ..	२१				
सा. वि. सं. ..	८				
योग	२९		६,३५५	१३,०१६	१६,७७,६३६

सूचना स्रोत:—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भोपाल संभाग में ३१ दिसंबर तक कुल २९ विकास संवर्ग कार्य कर रहे थे। इनमें से ७ विकास संवर्ग २ अक्टूबर १९५२ को क्रमशः सिहोर, फंडा, इछावर, उबैदुल्लागंज, बावई, पिपरिया व सोहागपुर में सामुदायिक विकास संवर्ग के रूप में प्रारंभ किये गये थे जिन्हें कि आगे चलकर राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में परिवर्तित कर दिया गया था। इनमें से उबैदुल्लागंज स्थित संवर्ग २ अक्टूबर १९५२ को 'फोर्ड फाउन्डेशन पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में आरंभ किया गया था जिसे आगे चलकर १ अप्रेल १९५४ को राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग के रूप में बदल दिया गया था तथा अब पुनः १ अप्रेल १९५५ से उस संवर्ग को सामुदायिक विकास संवर्ग में परिवर्तित कर दिया गया है।

जबलपुर संभाग

जबलपुर संभाग में समष्टि रूप से कुल २६ विकास संवर्ग कार्य कर रहे हैं जिनसे कि ५,३१५ गांवों को लाभ पहुंच सका है। जबलपुर संभाग में बरघाट व तामिया राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों को प्रारंभ में अनुसूचित जनजाति कल्याण संवर्गों के रूप में स्थापित किया गया था किन्तु अब उन्हें राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों का रूप प्राप्त है तथा वहां सब सामान्य राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों में होनेवाले कार्यों के अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्तियों के सामूहिक विकास के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। निम्न तालिका द्वारा संभाग के विविध जिलों व ग्रामों में विस्तृत सामुदायिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों का ज्ञान हो सकेगा :—

तालिका क्रमांक १११

जबलपुर संभाग में सामुदायिक विकास संवर्ग एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अंतर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जनसंख्या
१	२	३	४	५	६
१. जबलपुर ..	१. बरेला (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	१८४	२०६	६९,२८४
	२. पाटन (सा. वि. सं.)	१-४-५४	२१०	२४९	५१,७०१
	३. मुड़वारा (सा. वि. सं.)	१-४-५४	१५०	२४६	९१,००४
	४. बोहरीबंद (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	११४	१७२	६१,३८४
	५. शहपुरा (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	२४६	३०६	५४,५१३
२. सागर ..	.. १. राहतगढ़ (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	२३०	३२०	४९,०००
	२. रेहली (सा. वि. सं.)	१-४-५४	२५८	२३०	७२,५४७
	३. खुरई (सा. वि. सं.)	१-४-५४	१८८	२३९	४५,५३९

	४. देवरी (रा. वि. से. सं.)	१- ४-५६	२४२	३१०	४८,४६५
	५. बांदा (विनैका) (रा. वि. सं. सं.) ..	१- ४-५४	१८०	३१६	५५ १८१
३. दमोह	१. बटियागढ़ (सा. वि. सं.)	१- ४-५४	१९८	२४०	३८,९९८
	२. पथरिया (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	१४९	२६५	५५,४००
४. नरसिंहपुर ..	१. गोटेगांव (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	२४८	३०३	६१,०९९
	२. हरई हवेली (रा. वि. से. सं.) ..	१- ४-५४	२२२	३२१	६१,९१६
५. छिंदवाड़ा ..	१. छिंदवाड़ा (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१३०	१२५	७२,७९७
	२. पांढुरना (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	१६४	३०५	७३,५७४
	३. चौरई (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	१९७	३६०	६२,२९४
	४. तामिया (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	२१२	५१३	२९,२३४
६. सिवनी	१. सिवनी (सा. वि. सं.)	१- ४-५४	३०१	५११	९९,३०५
	२. कहानीखास (सा. वि. सं.) ..	२-१०-५३	२४३	२९२	४३,६०१
	३. वरघाट (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	१४३	२८०	८२ १४७
	४. लखनादोन (सा. वि. से सं.) ..	२-१०-५६	३०१	१८४	५०,७२९
७. मंडला	१. मंडला (रा. वि. से. सं.)	१- ४-५४	१८०	१४१	६०,७८२
	२. नारायणगंज (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५३	२५४	१६६	४९,८७६

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के आरम्भ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अन्तगत लाभान्वित जनसंख्या
१	२	३	४	५	६
	३. वजाग करंजिया (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५३	१२०	२०८	३३,९६२
	४. निवास (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	१८७	३१२	४९,५६१
राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग १३					
सामुदायिक विकास संवर्ग १३					
योग .. २६		..	५,३३१	७,१२०	१५,१९,८९३

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त तालिका के अनुसार सम्पूर्ण जबलपुर संभाग में २६ सामुदायिक विकास संवर्ग व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग कार्य कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत ७,१२० वर्गमील के क्षेत्र में विस्तृत १५,१९,८९३ व्यक्तियों को विविध विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले में आधारताल ग्राम में बुनियादी कृषिशाला शाखा है जहां कि ग्राम सेवकों को बुनियादी कृषि संबंधी विषयों में १ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अंत तक जबलपुर संभाग में सागर, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी व दमोह जिलों में क्रमशः ११, १३, ११, ६, ८ व ७ नये विकास संवर्ग स्थापित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

बिलासपुर संभाग

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़ व सरगुजा जिलों में क्रमशः ९, ६ व ८ विकास संवर्ग कार्य कर रहे हैं जिनसे कि ३,४४४ गांवों की १४,११,६५४ जनसंख्या को विविध विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सका है। इस संभाग की लगभग ४४.४ प्रतिशत ग्रामीण जनता विविध लोककल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आगई है। अगली तालिका में बिलासपुर संभाग में कार्यरत विविध सामुदायिक सिकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों का चित्र दिया जा रहा है जिससे इस संभाग के विविध क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का सम्यक अध्ययन हो सकेगा।

तालिका क्रमांक ११२

विलासपुर संभाग में सामुदायिक विकास सवर्ग एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिले का नाम	विकास सवर्ग का नाम	विकास सवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास सवर्ग के अतर्गत ग्रामो की सख्या	क्षेत्र वर्गमीलों मे	विकास सवर्ग के अंतर्गत लाभान्वित जनसख्या
१	२	३	४	५	६
१. विलासपुर	१. मस्तूरी (स. वि. स.)	२-१०-५३	१७१	३०४	१,०७,५३४
	२. लोर्मी (स. वि. स.)	२-१०-५३	२३४	२०२	६७,०००
	३. नवागढ़ (स. वि. सं.)	१-४-५४	१११	२५०	९९,१४०
	४. शक्ति (सा वि. सं.)	२-४-५४	१२४	१२१	६६,४१५
	५. कटघोरा (रा. वि. से. स.) ..	१-४-५६	१५८	१८१	५५,३२८
	६. पन्डरी अनरोरा (रा. वि. से. सं) ..	२-१०-५६	२१९	४७६	५४,३९०
	७. मुंगेली (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	२७६	२३१	७५,२४१
	८. मरवाही (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१००	३००	५१,६०४
	९. अकलतरा (रा. वि. से. सं) ..	२-१०-५६	८२	१५१	६१,०४४
२. रायगढ	१. रायगढ (सा. वि. सं.)	१-४-५४	१५५	१६०	७९,२२२
	२. मरायलेन्द्रा (सा. वि. सं) ..	२-१०-५३	२०१	१४२	७१,९१०
	३. घरघोड़ा (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५४	८२	१७६	३०,३१३
	४. जशपुर नगर (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५६	११९	५४८	६६,७१०

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	क्षत्र वर्गमीलों में	विकास संवग के अन्तर्गत लाभान्वित जनसंख्या
१	२	३	४	५	६
	५. वगोचा (रा. वि. से. स.) ..	२-१०-५६	१४२	५५२	६५,९६२
	६. धरमजयगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१८२	४१४	६७,३०५
३. सरगुजा ..	१. सोतापुर (सा. वि. सं.)	२-१०-५३	१४६	३१५	८७,१२७
	२. सूरजपुर (सा. वि. सं.)	१-४-५४	१६९	११८	८२,८९२
	३. वैकुंठपुर (सा. वि. सं.)	१-४-५४	१४४	१६१	५४,४७३
	४. रामचंद्रपुर (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५४	१२०	५४६	३०,८३१
	५. खरगवां (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-५४	९०	२५३	४२,३४९
	६. कुसमी (रा. वि. से. सं.)	२-१०-५६	१०५	४१२	३६,४२०
	७. महेन्द्रगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१३१	१७७	३५,३४५
	८. भरतपुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-५६	१८३	१०६	२४,१००
राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग १४					
सामुदायिक विकास संवर्ग ९					
योग .. २३		..	३,४४४	७,०९६	१४,११,६५४

सूचना स्रोतः—योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण बिलासपुर संभाग में कुल २३ विकास संवर्ग संचालित किये जा रहे हैं। बिलासपुर संभाग की सकल ग्रामीण जनसंख्या लगभग ३२,८०,२०० है जिसमें से दिनांक ३१ दिसंबर १९५६ तक उपलब्ध समंकों के अनुसार इस संभाग में १४,११,६५४

व्यक्तियों को विविध विकास संवर्गों के अंतर्गत ले लिया गया है। विलासपुर संभाग में समस्त ग्रामों का लगभग ४२.४ प्रतिशत भाग विविध सामुदायिक व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया है जो कि इस संभाग की ग्राम्य-जनता के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं।

रायपुर संभाग

रायपुर संभाग में समष्टि रूप से ३१ विविध विकास संवर्ग हैं जिनमें से ९ रायपुर ज़िले में, ९ दुर्ग जिले में, ९ वस्तर ज़िले में व ४ वालाघाट जिले में हैं। समष्टि रूप से रायपुर संभाग की ५४.६ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को विविध विकास संवर्गों के अन्तर्गत ले लिया गया है। रायपुर संभाग के ८,१३१ ग्रामों में से ५,१४५ ग्रामों को विविध विकास खंडों के अन्तर्गत ले लिया गया है जोकि सम्पूर्ण रायपुर संभाग के ग्रामों के ४४.१ प्रतिशत होते हैं। निम्न तालिका द्वारा रायपुर संभाग की सामुदायिक विकास सम्बन्धी प्रगति का दिग्दर्शन कराया गया है:—

तालिका क्रमांक ११३

रायपुर संभाग में सामुदायिक विकास संवर्ग व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अन्तर्गत लाभान्वित जन-संख्या
१	२	३	४	५	६
१. रायपुर	१. कौड़िया (सा. वि. सं.)	२-१०-१९५३	१०९	१८७	३४,०३१
	२. राजिम (सा. वि. सं.)	१-४-१९५४	१३६	२६४	५८,४५५
	३. पल्लारी (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-१९५४	११४	१००	५८,०७१
	४. विलाईगढ़ (रा. वि. से. सं.) ..	१-४-१९५६	२१८	२५०	७३,२५१
	५. अभानपुर (रा. वि. से. सं.) ..	२-१०-१९५२	१५१	२८२	१,७१,२०९
	६. कुरुड़ (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५२	१३४	१८२	७२,६२५

जिले का नाम	विकास संवर्ग का नाम	विकास संवर्ग के प्रारंभ होने की तिथि	विकास संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	क्षेत्र वर्गमीलों में	विकास संवर्ग के अन्तर्गत लाभान्वित जनसंख्या
१	२	३	४	५	६
	७. चांदखुरई (रा.वि. से. सं.)	२-१०-१९५२	१८५	३८४	१,०५,९९५
	८. सरायपाली (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५६	२४१	२८०	७९,४२५
	९. देवभोग (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५६	१७१	२२१	६४,७३४
२. दुर्ग	१. खैरागढ़ (सा. वि. सं)	१-४-१९५४	२२७	२२९	६७,२१६
	२. नन्दगांव (सा. वि. सं.)	१-४-१९५४	१५४	३११	९०,४८१
	३. बेरला (रा. वि. से. सं.)	१-४-१९५४	१४७	३१८	७०,८६०
	४. साजा (रा. वि. से. सं.)	१-४-१९५६	११८	२०८	७०,९१३
	५. कवर्धा (रा. वि. से. सं.)	१-४-१९५४	१८३	२१४	६२,०३४
	६. वालोद (रा. वि. से. सं.)	१-४-१९५६	१६७	२७०	६१,६६३
	७. दुर्ग (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५६	१०४	२१३	८७,६७८
	८. छुईखदान (रा. वि. से. स.)	२-१०-१९५६	३०१	३२८	६६,२०२
	९. पाटन (सा. वि. सं.)	२-१०-१९५३	१६२	२९७	८७,६७८
३. वस्तर	१. चर्मा (सा. वि. सं.)	२-१०-१९५३	१६४	२४८	६०,०००
	२. कोंडागांव (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५२	१७०	५०२	४७,११४
	३. भोपाल पट्टम (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५२	२८८	४७२	२८४०८
	४. अन्तागढ़ (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५२	१३७	९१	१९,७२५
	५. दातेवारा (रा. वि. से. सं.)	२-१०-१९५६	१२१	२९७	५३,२३३

	६. काकेर (रा. वि. से. स.) ..	२-१०-१९५६	१५४	३४८	४८,३६२
	७. सुकमा (रा. वि. से. म.) ..	२-१०-१९५६	१२८	६५०	५५,७४१
	८. फरसगाव (रा. वि. से. स.)	२-१०-१९५६	१७२	४५३	४०,१०३
	९. नारायणपुर (रा. वि. से. स)	२-१०-१९५६	१७५	१६१	२६,६२७
४. वालाघाट ..	१. लाँजी (मा. वि. स.) ..	२-१०-१९५३	१६३	२३८	७८,३२५
	२. वैहर (रा. वि. से. म.) ..	१-४-१९५६	१४८	३०४	३८,०८७
	३. खैर लाजी (रा. वि. से. स.)	२-१०-१९५६	८४	१७७	७८,९५२
	४. वाराशिवनी (रा. वि. मे. म)	२-१०-१९५३	१४३	३०७	१,४५,६१०
राष्ट्रीय विस्तार सेवा सवर्ग २४					
सामुदायिक विकास सवर्ग ७					
योग .. ३१		..	५,१४५	८,९१४	२१,११,४४८

सूचना स्रोतः—योजना एव विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रायपुर संभाग के विविध क्षेत्रों में सामूहिक विकास संबंधी दिशा में आशातीत प्रगति हुई है। रायपुर संभाग के सामुदायिक विकास अधिकारियों के सतत प्रयत्नों व दुर्ग, वस्तर व रायपुर जिले के नागरिकों के उत्साहस्वरूप ही वहां सामूहिक विकास संबंधी कार्यक्रम में आशातीत विकास हो सका है। यही कारण है कि रायपुर संभाग की सकल ग्रामीण जनसंख्या का ५४.६ प्रतिशत भाग विविध सामूहिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक रायपुर संभाग के विविध जिलों में कुल ७६ नये विकास संवर्ग स्थापित किये जाने का प्रावधान है जिनमें से रायपुर, दुर्ग, वस्तर व वालाघाट में क्रमशः २३, २२, २१ व १० नये संवर्ग स्थापित करने की योजना है जिनमें से लगभग आधे नये संवर्ग अभी तक स्थापित किये जा चुके हैं।

नवगठित मध्यप्रदेश एक कृपिप्रधान राज्य है तथा उसकी आर्थिक सुदृढ़ता के प्रमुख स्तंभ उसके विस्तृत आंचल पर फैले हुए लगभग ७०,०३८ ग्राम हैं जहां कि समष्टि रूप से लगभग २३० लाख व्यक्ति निवास करते हैं। यही कारण है कि मध्यप्रदेश की प्रगति उसके ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति पर निर्भर करती है। आगामी पृष्ठों में मध्यप्रदेश के विविध भागों में हुई सामूहिक प्रगति का सिंहावलोकन किया गया है।

राज्य के सामुदायिक विकास पर एक विहंगम दृष्टि

उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम ७ विविध प्रशासकीय संभागों में विभक्त मध्यप्रदेश के कुल ७०,०३८ ग्रामों में से ३१ दिसम्बर १९५६ तक ३१,६५५ ग्रामों को विविध सामूहिक व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया है। इन ग्रामों में राज्य की सकल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग ४.७ प्रतिशत भाग निवास करता है जिनकी कि संख्या १,०२,८१,७७८ है।

निम्न तालिका में राज्य में ३१ दिसम्बर १९५६ तक संचालित कुल १६२ विकास संवर्गों द्वारा, जिनमें ५० सामुदायिक विकास संवर्ग व ११२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग सम्मिलित हैं, लाभान्वित जनसंख्या व ग्रामों का सांख्यिकीय अध्ययन किया गया है:—

तालिका क्रमांक ११४

सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या व ग्राम

(३१ दिसम्बर १९५६ तक)

संभाग	सकल ग्रामीण जनसंख्या	विविध विकास संवर्गों के अंतर्गत जनसंख्या	विविध विकास संवर्गों के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	कुल ग्रामों की संख्या	विविध विकास संवर्गों के अंतर्गत लाभान्वित ग्राम	विविध विकास संवर्गों से लाभान्वित ग्रामों का प्रतिशत	सामुदायिक विकास परियोजनाओं, सामुदायिक विकास संवर्गों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्गों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
इन्दौर ..	३५,८२,७०४	१४,७५,६३९	४१.२	१०,८९१	४,३३९	३९.७	२३
ग्वालियर ..	२३,८४,७७५	८,३८,४८३	३५.२	६,५५८	२,५८०	३९.३	१२

३. रीवां	..	३१,४२,१११	१२,४७,०२५	३९.७	१०,५१५	४,४६१	४२.४	१८
४. भोपाल	..	२६,६१,११७	१६,७७,६३६	६३.०	९,८१०	६,३५५	६४.८	२१
५. जबलपुर	..	४०.७४,७४०	१५,११,८९३	३७.३	१३,१२८	५,३३१	४०.६	२६
६. बिलासपुर	..	३२,८०,२००	१४,११,६५४	४४.४	८,१३१	३,४४४	४२.४	२३
७. रायपुर	..	३८,१२,४८२	२१,११,४४८	५५.४	११,००५	५,१४५	४६.८	३१
योग	..	२,२९,३८,७०९	१,०२,८१,७७८	४४.८	७०,०३८	३१,६५५	४५.१	१६२

सूचना स्रोतः—(१) जनगणना, १९५१

(२) योजना एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश की सकल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग ४५.१ प्रतिशत भाग विविध सामूहिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया है। भोपाल संभाग की लगभग ६३ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सामूहिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया है जबकि यही प्रतिशतता रायपुर संभाग में ५५.४, बिलासपुर में ४४.४, इन्दौर संभाग में ४१.२, रीवां संभाग में ३९.७, जबलपुर संभाग में ३७.३ व ग्वालियर संभाग में ३५.२ है।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक विकास संवर्ग रायपुर संभाग में संचालित किये जा रहे हैं जहां कि विविध विकास संवर्गों के द्वारा २१,११,४४८ जनसंख्या का क्षेत्र अपने कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत लिया गया है किन्तु ग्रामों की संख्या की दृष्टि से भोपाल संभाग द्वारा सर्वाधिक ग्राम (६,३५५) अपने कार्यक्षेत्र में लिये गये हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से भी भोपाल संभाग के सकल ग्रामों का लगभग ६४.८ प्रतिशत भाग विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रों के अन्तर्गत ले लिया गया है जबकि यही प्रतिशतता रायपुर संविभाग में ४६.८, बिलासपुर संभाग में ४२.४, जबलपुर संभाग में ४०.६, रीवां संभाग में ४२.४, इन्दौर संभाग में ३९.६, ग्वालियर संभाग में ३९.३ है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शासन का ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं का अधिकाधिक विकास करके राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु कृषि, उत्पादन बढ़ाना है। इस दिशा में भारत शासन द्वारा सक्रिय कदम उठाये गये हैं व केन्द्र में सामुदायिक विकास प्रशासन के स्थान पर एक पृथक् सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख ध्येय ग्राम के अर्थतंत्र में सुधार करके विविध प्रकार से कृषि-उत्पादन बढ़ाना है। यह मंत्रालय सामुदायिक विकास प्रशासन का उपयोग कृषि विकास कार्यों में करते हुए अपनी योजना बनायेगा।

व कृषि मंत्रालय के सहयोग से सामूहिक विकास कार्यक्रम द्वारा देश के कृषि-उत्पादन की वृद्धि का प्रयत्न करेगा। नवगठित मध्यप्रदेश द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि व सामुदायिक विकास हेतु ४२.६८ करोड़ रुपयों के व्यय का प्रावधान किया गया है जिनसे राज्य के ७०,०३८ गांवों में नूतन विकास के चरण प्रशस्त हो सकेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में नवगठित मध्यप्रदेश के प्रमुख अंग महाकोशल में कुल २२३ नये विकास संवर्ग स्थापित करने की योजना स्वीकृत की गई है जिसका क्रियान्वय तीव्र गति से हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सागर जिले में ११, दमोह जिले में ७, जबलपुर जिले में १३, होशंगाबाद जिले में ९, नरसिंहपुर जिले में ६, निमाड़ (खंडवा) जिले में ९, मंडला जिले में ११, बैतूल जिले में ९, छिंदवाड़ा जिले में ८, सिवनी जिले में ८, रायपुर जिले में २३, बिलासपुर जिले में २४, दुर्ग जिले में २२, बस्तर जिले में २१, रायगढ़ जिले में १३ व सरगुजा जिले में १९ नवीन संवर्ग स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है जिसमें से अनेक संवर्ग स्थापित कर दिये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल की समाप्ति तक राज्य के सातों संभागों के ७०,०३८ गांवों की लगभग २३० लाख ग्राम्य जनता को विविध सामूहिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अंतर्गत ले लिया जावेगा।

कर्मचारीगण व प्रशिक्षण

सामुदायिक विकास संवर्गों में कार्य सुचारु रूप से हो सके इस हेतु योग्य व प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश में इस प्रकार के मुख्य ६ प्रशिक्षण केन्द्र होशंगाबाद, बैतूल, ग्वालियर, रायपुर, भोपाल व छतरपुर जिलों के क्रमशः पवारखेड़ा, बैतूल, अंतरी, लमांडी, बैरागढ़ (भोपाल) व नोगांव स्थित केन्द्रों में चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त अधारताल (जबलपुर), बारासिवनी (बालाघाट) व चांदखुरई (रायपुर) में बुनियादी कृषि-शालायें भी कार्य कर रही हैं जहां कि ग्रामसेवकों व अन्य विकास अधिकारियों को कृषि संबंधी विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। बैतूल तथा पवारखेड़ा के प्रशिक्षण केन्द्रों में विभागीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाता है जबकि रायपुर जिला स्थित लमांडी केन्द्र में बाहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को भी लिया जाता है। यहां छः माह प्रशिक्षण दिया जाता है। बैतूल प्रशिक्षण केन्द्र में कृषि तथा पशु-चिकित्सा विभागों, राष्ट्रीय सेवा-व्यवस्था, सामुदायिक विकास खंडों या संवर्गों में कार्य करनेवाले क्षेत्रीय-ग्रामसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस केन्द्र में बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामसेवकों को ३ माह का प्रशिक्षण दिया जाता है व बहुउद्देशीय प्रशिक्षण न प्राप्त किये हुए ग्रामसेवकों को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। बैतूल, लमांडी (रायपुर) व पवारखेड़ा (होशंगाबाद) प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमशः २००, १०० व २०० प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

सामान्यतः एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग में १९ छोटे-बड़े कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकतानुसार इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। अगली तालिकाओं द्वारा एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग व एक सामुदायिक विकास संवर्ग के विभिन्न पदों पर कार्य करनेवाले कर्मचारियों की संख्या सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ढांचे के आधार पर दर्शायी जा रही है।

तालिका क्रमांक ११५

राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारी	संख्या
संवर्ग विकास अधिकारी	१
कृषि विस्तार अधिकारी	१
पशु कृषि क्रय विस्तार अधिकारी	१
सहकारिता विस्तार अधिकारी	१
लघु उद्योग व ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी	१
समाज शिक्षा संगठक (१ पुरुष व १ महिला)	२
ओवरसियर	१
ग्रामसेवक	१०
प्रगति सहायक	१
योग	१९

सूचना स्रोत:—सामुदायिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एक सामुदायिक विकास संवर्ग में एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग में आवश्यक कर्मचारी तो कार्य करते ही हैं साथ ही निम्न तालिका में उल्लेखित अतिरिक्त कर्मचारियों की भी सामुदायिक विकास संवर्ग में नियुक्ति करना होती है—

तालिका क्रमांक ११६

सामुदायिक विकास संवर्ग के कर्मचारी (बुनियादी संवर्ग)

कर्मचारी	संख्या
ग्रामसेविकायें	२
स्कंध लिपिक (स्टाक मेन)	२
स्वास्थ्य अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर)	१
कम्पाउण्डर	१
महिला-स्वास्थ्य-निरीक्षिका	१
परिचारिकायें (दाइयां)	४
स्वच्छता निरीक्षक	१
हलकारे (मेसेंजर)	२
योग	१४

सूचना स्रोत:—सामुदायिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार

यह विभाजन स्थूल रूप से किया गया है तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा संवर्ग एवं सामुदायिक विकास सेवा संवर्ग में कर्मचारियों की संख्या को न्यूनाधिक किया जा सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विविध ग्रामोत्थान योजनाओं के क्रियान्वय व कृषि-उत्पादन बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा जो सामुदायिक विकास का एक पथक् मंत्रालय स्थापित किया गया है जोकि जम्मू-काश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत के सामुदायिक विकास केन्द्रों में तीव्रतर विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा तथा कृषि मंत्रालय के सहयोग से सम्पूर्ण देश के ग्राम-जीवन को अधिक विकासशील बनाने का प्रयत्न करेगा।

प्रगति के नित बढ़ते चरण

नवगठित मध्यप्रदेश को राज्यव्यापी सामुदायिक विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप राज्य के ग्राम्यक्षेत्रों में नवीन उत्साह व प्रगति का वातावरण निर्मित होता जारहा है तथा इन योजनाओं की उपयोगिताएं समझते हुए ग्रामीण जनसमुदाय स्वयं विकास कार्यों की ओर अग्रसर होरहा है। ३१ दिसंबर १९५६ तक सामुदायिक विकास कार्यों को सफल बनाने हेतु राज्य की जनता द्वारा नगद, श्रम तथा सम्पत्ति के रूप में अनुमानतः २,१७,१९,००० रुपये प्रदान किये गये तथा समष्टि रूप से राज्य के १६२ विकास संवर्गों पर ३१ दिसंबर १९५६ तक ६,१४,७५,००० रुपये व्यय किये गये। सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु ५,६३,१११ मन उन्नत बीज तथा ७,१२,८४४ मन रासायनिक खाद वितरित किया गया। इसी अवधि में ३,७३,०५६ एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया। सिंचाई कार्यों हेतु नये कुएँ व तालाब बनाये गये जिससे कि १,५३,१३३ एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत लायी गई। पीने योग्य पानी की पूर्ति हेतु ३,९२२ कुंओं का निर्माण किया गया तथा ३,१९० कुओं की मरम्मत की गई।

विविध सामुदायिक विकास संवर्गों के अन्तर्गत शिक्षा-विकास की योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रचार करने हेतु विविध विकास खण्डों के अन्तर्गत ३,९६८ नवीन शालायें स्थापित की गई हैं, ६८४ शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया है तथा ३,८४६ प्रौढ़ शालाएं स्थापित की गईं जिनमें ७१,९३७ प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया। सामुदायिक विकास संवर्गों के अन्तर्गत ग्राम्य-क्षेत्रों में सामूहिक विकास संबंधी विचारधारा का प्रसार हो सके व जनता स्वसंगठन द्वारा अपनी आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर हो सके इस हेतु विकास संवर्गों में सार्वजनिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है तथा कुल ९,२३८ सार्वजनिक संस्थाओं को स्थापना की गई है जिनमें युवक संघ, कृषक संघ महिला समितियां जैसी संस्थाएं हैं।

३१ दिसंबर १९५६ तक कुल १,०७१ मील पक्की सड़कों व २,९९१ मं ची सड़कों का निर्माण किया गया तथा ४,६६५ मील वर्तमान सड़कों को सुधारा . .।। ३,६६७ नयी सहकारी समितियों की स्थापना की गई तथा सहकारी समितियों के १,२५,१०४ नये सदस्य बनाये गये। समाज सेवा की दिशा में २,५१७ पंचायतें स्थापित की गई तथा ९,६७८ विकास मण्डलों व ग्राम सभाओं की स्थापना की गई।

सामुदायिक विकास योजनायें देश की द्रुत प्रगति की योजनायें होने के का सम्पूर्ण देश में उनके सफल कार्यान्विय का साहसपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। नवगठित मध्यप्रदेश

के १७१ हजार वर्गमील क्षेत्र में विस्तृत २६१ लाख जन-जीवन भी राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में किसी भी प्रकार पीछे नहीं है। नवगठित मध्यप्रदेश के प्रत्येक कोने में आज हजारों सरकारी व गैरसरकारी कार्यकर्ता दीन-हीन गांवों को नवीन लावण्यपूर्ण कलेवर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। नवगठित मध्यप्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सामुदायिक विकास योजनाओं के महत्वपूर्ण मद पर लगभग ४,२६७.८४ लाख रुपयों का व्यय अनुमानित किया गया है। संभावना ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वय पर राज्य एक बहुमुखी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा तथा राज्य के विभिन्न भागों में विस्तृत सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के फलस्वरूप राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक प्रगति के अभिनव वातावरण का निर्माण हो सकेगा।

राज्य सरकार एवं विधान-सभा

भारतीय संविधान द्वारा केन्द्र व राज्यों में स्वनियंत्रित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है जिसके अनुसार केन्द्र में संसद तथा राज्यों में विधान-सभाओं का गठन किया जाता है। संसद व विधान-सभाओं में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाते हैं तथा इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में जिस दल का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक होता है संविधानानुसार उसी दल की सरकार कार्य करती है।

नवगठित मध्यप्रदेश की विधान-सभा में समष्टि रूप से २८८ प्रतिनिधि हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों में से राज्य का शासन उत्तरदायी लोकतंत्रीय सरकार द्वारा चलाने हेतु मुख्य मंत्री सहित १२ मंत्रियों तथा ९ उपमंत्रियों के मंत्रिमंडल का संगठन किया गया है। नवगठित मध्यप्रदेश की २८८ सदस्यीय विधान-सभा में विभिन्न राजनैतिक दलों की स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गई है :—

तालिका क्रमांक ११७

मध्यप्रदेश राज्य विधान-सभा में विभिन्न दलों की स्थिति

दल	(प्रतिनिधियों की संख्या)
(१) कांग्रेस	२३२
(२) प्रजा-समाजवादी दल	१२
(३) भारतीय साम्यवादी दल	२
(४) भारतीय जनसंघ	१०
(५) हिन्दू महासभा	७
(६) रामराज्य परिषद्	५
*(७) स्वतंत्र	२०
योग ..	२८८

* समाजवादी दल के सदस्य भी शामिल हैं।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य विधान-सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कांग्रेस दल का है जिसके कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या २३२ है। अन्य राजनैतिक दलों में प्रजा समाजवादी दल के १२, भारतीय साम्यवादी दल के २, भारतीय जनसंघ के १०, हिन्दू महासभा के ७, रामराज्य परिषद् के ५ प्रतिनिधि चुने गये हैं। उपरोक्त

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त २० प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हैं जिसमें समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या भी शामिल है। विधान-सभा के बहुमत-वाले दल के बाद सर्वाधिक प्रतिनिधियोंवाला राजनैतिक दल प्रजा-समाजवादी दल है। आगामी पृष्ठों में मध्यप्रदेश की राज्य विधान-सभा के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों, उनके निर्वाचन क्षेत्रों व सम्बन्धित राजनैतिक दलों के नाम दिये जा रहे हैं जिससे राज्य विधान-सभा के सदस्यों, उनके निर्वाचन-क्षेत्रों तथा उनके दल संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी:—

तालिका क्रमांक ११८

मध्यप्रदेश विधान-सभा के सदस्य

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
१	श्री मदनलाल	आगर	जनसंघ
२	श्री छतरसिंह (अ. आ. जा.)	अलीराजपुर (सु.)	कांग्रेस
३	डॉ. देवीसिंह	आलोट	कांग्रेस
४	श्री मियाराम (अ. जा.)	आलोट (सु.)	कांग्रेस
५	श्री भुवनभास्करसिंह	अकलतरा	कांग्रेस
६	श्री रामहित	अमरपाटन	जनसंघ
७	श्री रामनिवास चित्रलाल	अम्बाह	कांग्रेस
८	श्री व्रजभूषण	अम्बिकापुर	कांग्रेस
९	श्री प्रीतिराम कुर्रे (अ. जा.)	अम्बिकापुर (सु.)	कांग्रेस
१०	श्री लखनलाल गुप्ता	आरंग	कांग्रेस
११	श्री जगमोहनदास (अ. जा.)	आरंग	कांग्रेस
१२	श्री रामदयालसिंह	अशोकनगर	कांग्रेस
१३	श्री दुलीचन्द (अ. जा.)	अशोकनगर (सु.)	कांग्रेस
१४	श्री हरिज्ञानसिंह	अटेर	प्र. स. द.
१५	श्री कन्हैयालाल मेहता	वड़नगर	कांग्रेस
१६	श्री मनोहरसिंह मेहता	वड़नावर	कांग्रेस
१७	श्री मुरलीधर बटाईलाल असाटी	वैहर	कांग्रेस
१८	श्री हरिसिंह बख्तसिंह (अ. आ. जा.)	वैहर (सु.)	कांग्रेस
१९	श्री नन्दकिशोर जैसराम शर्मा	वालाघाट	कांग्रेस
२०	श्री केशोलाल गोमाश्ता	वालोद	कांग्रेस
२१	श्री बृजलाल वर्मा	वालोदावाजार	प्र. स. द.
२२	श्री नैनदास (अ. जा.)	वालोदावाजार (सु.)	कांग्रेस
२३	श्री स्वामी कृष्णानन्द रामचरन	वंडा	कांग्रेस
२४	श्री छोटेलाल	वांधोगढ़	कांग्रेस
२५	श्री रवीन्द्रनाथ भार्गव	वरघाट	कांग्रेस
२६	श्री चन्द्रिकाप्रसाद	वरगी	कांग्रेस
२७	श्री वीरेन्द्रसिंह मोतीसिंह	वड़वाहा	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
२८	श्री गुलाल (अ. आ. जा.) ..	बड़वानी (सु.) ..	जनसंघ
२९	श्री राजकुमार वीरेन्द्रबहादुरसिंह ..	बसना	स्वतंत्र
३०	श्री लक्ष्मणप्रसाद	बेमेतरा	कांग्रेस
३१	श्री शिवलाल (अ. जा.) ..	बेमेतरा (सु.) ..	कांग्रेस
३२	श्री रामकिशन	ब्योहारी	स्वतंत्र
३३	श्रीमती झलकनकुमारी (अ. आ. जा.)	ब्योहारी (सु.) ..	कांग्रेस
३४	श्री भगवानसिंह	बेरसिया ..	कांग्रेस
३५	श्री हरिकृष्णसिंह (अ. जा.) ..	बेरसिया (सु.) ..	कांग्रेस
३६	श्री दीपचन्द गोठी	बैतूल	कांग्रेस
३७	श्री मोकमसिंह (अ. आ. जा.)	बैतूल (सु.)	कांग्रेस
३८	श्री सोमदत्त देव (अ. आ. जा.) ..	भैंसदेही (सु.) ..	कांग्रेस
३९	श्री चक्रपाणि शुक्ल	भाटापारा ..	कांग्रेस
४०	श्री जितेन्द्र विजयबहादुर ..	भटगांव	स्वतंत्र
४१	श्री मूलचन्द (अ. जा.)	भटगांव (सु.) ..	कांग्रेस
४२	श्री उदयराम	भिलाई	कांग्रेस
४३	श्री गोविन्दसिंह (अ. आ. जा.) ..	भिलाई (सु.) ..	कांग्रेस
४४	श्री नरसिंहराव दीक्षित	भिन्ड	कांग्रेस
४५	श्री मनोहरराव जटार	भोमा	कांग्रेस
४६	श्री ठाकुर दीपसिंह (अ. जा.) ..	भोमा (सु.) ..	कांग्रेस
४७	श्री शाकिरअलीखां	भोपाल	भा. सा. द.
४८	श्री लक्ष्मणसिंह	बयावर	स्वतंत्र
४९	श्री बरेदी (अ. आ. जा.) ..	बिछिया (सु.) ..	कांग्रेस
५०	श्री कुंजीलाल खूबचन्द	विजयराघोगढ़ ..	कांग्रेस
५१	श्रीमती चन्दाबाई (अ. आ. जा.) ..	विजयराघोगढ़ (सु.)	कांग्रेस
५२	श्रीमती गायत्री	बिजावर ..	कांग्रेस
५३	श्री हंसराज (अ. जा.)	बिजावर (सु.) ..	कांग्रेस
५४	श्री बी. आर. पम्भोई (अ. आ. जा.)	बीजापुर (सु.) ..	कांग्रेस
५५	डॉ. शिवदुलारे	बिलासपुर ..	कांग्रेस
५६	पं. श्यामाचरण शुक्ल	बिन्द्रावनगढ़ ..	कांग्रेस
५७	श्रीमती श्यामकुमारीदेवी (अ.आ.जा.)	बिन्द्रावनगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
५८	रानी पद्मावती देवी	वीरेन्द्रनगर ..	कांग्रेस
५९	राजकुमारी सूरजकला	बुधनी	कांग्रेस
६०	श्री ए० क्यू० सिद्दिकी ..	बुरहानपुर ..	कांग्रेस
६१	श्री रामकृष्ण	चांपा	कांग्रेस
६२	श्री सागरसिंह सिसोदिया ..	चाचौड़ा	कांग्रेस
६३	श्री शशिभूपणसिंह	चन्द्रपुर	स्वतंत्र

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
६४	श्री बेदराम (अ. जा.)	चन्द्रपुर (सु.) ..	कांग्रेस
६५	श्री दशरथ जैन	छतरपुर	कांग्रेस
६६	श्री गोविन्ददास (अ. जा.) ..	छतरपुर (सु.) ..	कांग्रेस
६७	श्रीमती विद्यावती	छिंदवाड़ा ..	कांग्रेस
६८	श्री नोखेलाल (अ. जा.) ..	छिंदवाड़ा (सु.) ..	कांग्रेस
६९	श्री मुन्नडू (अ. आ. जा.) ..	चित्रकोट (सु.) ..	कांग्रेस
७०	श्री कौशलेन्द्रप्रताप बहादुरसिंह ..	चित्रकूट	रा. रा. प.
७१	श्रीमती कनककुमारी (अ. आ. जा.)	चौकी (सु.) ..	कांग्रेस
७२	श्री हरिश्चन्द्र मरोठी	दमोह	कांग्रेस
७३	श्री शिवराम (अ. आ. जा.) ..	दन्तेवाड़ा (सु.) ..	कांग्रेस
७४	श्री श्यामसुन्दरदास 'श्याम' ..	दतिया	कांग्रेस
७५	श्री बालाप्रसाद मिश्र	देवरी	कांग्रेस
७६	श्री माईलाल	देवसर	स्वतंत्र
७७	श्री जगदेवसिंह (अ. आ. जा.) ..	देवसर (सु.) ..	प्र. स. द
७८	श्री नन्दलाल जोशी	देपालपुर	कांग्रेस
७९	श्री सज्जनसिंह विश्नार (अ. जा.)	देपालपुर (सु.) ..	कांग्रेस
८०	श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन ..	देवास	कांग्रेस
८१	श्री बापूलाल किशन (अ. जा.) ..	देवास (सु.) ..	कांग्रेस
८२	श्री गणशराम	धमधा	कांग्रेस
८३	श्री पुरुषोत्तमदास	धमतरी	कांग्रेस
८४	श्री झिटकू (अ. आ. जा.) ..	धमतरी (सु.) ..	कांग्रेस
८५	श्री वसन्तराव प्रधान	धार	हि. महा.
८६	राजा चन्द्रचूड़प्रतापसिंह देव ..	धर्मजयगढ़ ..	कांग्रेस
८७	श्री उमेदसिंह (अ. आ. जा.) ..	धर्मजयगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
८८	श्री खूबचन्द बघेल	धारसिवां ..	प्र. स. द
८९	श्री द्वारकाप्रसाद	डिन्डोरी	कांग्रेस
९०	श्री अकाली (अ. आ. जा.) ..	डिन्डोरी (सु.) ..	कांग्रेस
९१	श्रीमती जमितकुंवरबाई (अ. आ. जा.)	डोंडी लोहरा (सु.)	कांग्रेस
९२	श्री धन्नालाल जैन	डोंगरगांव ..	कांग्रेस
९३	श्री विजयलाल	डोंगरगढ़	कांग्रेस
९४	श्री भूतनाथ (अ. जा.)	डोंगरगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
९५	श्री विश्वनाथ तामस्कर ..	दुर्ग	प्र. स. द
९६	श्री किशोरीलाल	गाडरवाड़ा ..	कांग्रेस
९७	श्री नव्वा (अ. जा.)	गाडरवाड़ा (सु.) ..	कांग्रेस
९८	श्री विमलकुमार	गरोठ	जनसंघ
९९	श्रीमती सरस्वतीदेवी शारदा (अ. आ.)	गरोठ (सु.) ..	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
१००	श्री गौरीशंकर शास्त्री	घरगोड़ा	कांग्रेस
१०१	राजा ललितकुमारसिंह (अ. आ. जा.)	घरगोड़ा (सु.) ..	कांग्रेस
१०२	श्री मुरलीधर घुले	गिर्द	कांग्रेस
१०३	श्रीमती सुशीलादेवी	गोहद	कांग्रेस
१०४	श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान ..	गोटेगांव ..	कांग्रेस
१०५	श्री मथुराप्रसाद दुबे	गोरल्ला	कांग्रेस
१०६	श्री दौलतराम..	गुना	कांग्रेस
१०७	श्री शिवनाथप्रसाद	गढ़	जनसंघ
१०८	श्री रामचन्द्र सरवटे	ग्वालियर ..	भा.सा.द.
१०९	श्री लक्ष्मणराव नायक	हरदा	कांग्रेस
११०	श्रीमती गुलाबबाई (अ. जा.) ..	हरदा (सु.) ..	कांग्रेस
१११	श्री कालूसिंह शेरसिंह	हरसूद	कांग्रेस
११२	श्री रामसिंह गलवा (अ. आ. जा.)	हरसूद (सु.) ..	कांग्रेस
११	श्री गयाप्रसाद पाण्डे	हटा	कांग्रेस
११४	श्री कड़ोरा (अ. जा.)	हटा (सु.) ..	कांग्रेस
११५	श्री नन्हेलाल भूरेलाल	होशंगाबाद ..	कांग्रेस
११६	श्री त्र्यं. वि. द्रविड़	इन्दौर	कांग्रेस
	श्री बाबूलाल पाटोदी	इन्दौर शहर मध्य ..	कांग्रेस
११८	श्री होमी दाजी	इन्दौर शहर पूर्व ..	स्वतंत्र
११९	श्री मिश्रीलाल गंगवाल	इन्दौर शहर पश्चिम	कांग्रेस
१२०	श्री हरिप्रसाद चतुर्वेदी	इटारसी	कांग्रेस
१२१	श्री कुंजीलाल दुबे	जबलपुर १ ..	कांग्रेस
१२२	श्री जगदीशनारायण	जबलपुर २ ..	कांग्रेस
१२३	श्री जगमोहनदास	जबलपुर ३ ..	कांग्रेस
१२४	महाराजा प्रवीरचन्द्र देव.. ..	जगदलपुर ..	कांग्रेस
१२५	श्री देहरूप्रसाद (अ. जा.) ..	जगदलपुर (सु.) ..	कांग्रेस
१२६	श्री लक्ष्मेश्वरलाल पालीवाल ..	जांजगीर.. ..	कांग्रेस
१२७	श्री कैलाशनाथ काटजू ..	जावरा	कांग्रेस
१	राजा विजयभूषणसिंह देव ..	जशपुर	कांग्रेस
१२९	श्री जोहन (अ. आ. जा.) ..	जशपुर (सु.) ..	कांग्रेस
१३०	श्री कामताप्रसाद	जतारा	कांग्रेस
१३१	श्री वीरेन्द्रकुमार	जावद	जनसंघ
१३२	श्री नूरसिंह (अ. जा.)	झाबुआ (सु.) ..	कांग्रेस
१३३	श्रीमती गंगाबाई (अ. आ. जा.) ..	जोबट (सु.) ..	कांग्रेस
१३४	श्री छोटेलाल काशीप्रसाद ..	जौरा	स्वतंत्र
१३५	श्रीमती प्रतिमादेवी	कांकेर	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
१३६	श्री विसराम (अ. आ. जा.) ..	काकेर (सु.) ..	कांग्रेस
१३७.	श्रीमती मंजुलाबाई वागले ..	कन्नौद	कांग्रेस
१३८	श्री गोतम शर्मा	करेरा	कांग्रेस
१३९	श्री रमणीकलाल अमृतलाल ..	कटंगी	कांग्रेस
१४०	श्री वनवारीलाल	काटघोड़ा ..	कांग्रेस
१४१	दीवान रुद्रशरण प्रतापसिंह (अ.आ.जा.)	काटघोड़ा (सु.) ..	कांग्रेस
१४२	श्री धर्मराजसिंह	कवर्धा	रा. रा. प.
१४३	श्री सरदू (अ. आ. जा.) ..	केसकल (सु.) ..	कांग्रेस
१४४	श्री वीरेन्द्रसिंह	खाचरोद	हिं. महा.
१४५	श्री ऋतुपरन किशोरदास ..	खैरागढ़	कांग्रेस
१४६	श्री शंकरलाल राजाराम तिवारी ..	खैरालांजी ..	कांग्रेस
१४७	श्री भगवन्तराव मंडलोई	खंडवा	कांग्रेस
१४८	श्री देवकरण बालचन्द्र (अ. जा.) ..	खंडवा (सु.) ..	कांग्रेस
१४९	श्री रमाकान्त खोड़े ..	खरगोन	कांग्रेस
१५०	श्री सवाईसिंह (अ. आ. जा.) ..	खरगोन (सु.) ..	कांग्रेस
१५१	श्री प्रभूदयाल	खिलचीपुर ..	कांग्रेस
१५२	श्री रिषभकुमार मोहनलाल ..	खुरई (सु.) ..	कांग्रेस
१५३	श्री भदई हलके (अ. जा.) ..	खुरई (सु.) ..	कांग्रेस
१५४	श्री तेजलाल हरिश्चन्द्र	किरणपुर ..	कांग्रेस
१५५	श्री मोतीराम ओडगू (अ. जा.) ..	किरणपुर (सु.) ..	कांग्रेस
१५६	श्री वैदेहीचरण	कोलारस	कांग्रेस
१५७	श्री सोयाम जोगा (अ. आ. जा.) ..	कोंटा (सु.) ..	कांग्रेस
१५८	श्री काशीराम तिवारी	कोटा	कांग्रेस
१५९	श्रीमती सूरजकुंवर (अ. आ. जा.) ..	कोटा (सु.) ..	कांग्रेस
१६०	श्री हरिराजकुंवर	कोतमा	कांग्रेस
१६१	श्री रतनसिंह (अ. आ. जा.) ..	कोतमा (सु.) ..	कांग्रेस
१६२	श्री रतनसिंह (अ. आ. जा.) ..	कुक्षी	कांग्रेस
१६३	श्री तख्तमल जैन	कुरवाई	कांग्रेस
१६४	श्री भोपालराव पवार	कुरुद	कांग्रेस
१६५	श्रीमती प्रेमकुमारी	लहार	कांग्रेस
१६६	श्री गोकुलप्रसाद (अ. जा.) ..	लहार (सु.) ..	कांग्रेस
१६७	श्री वसन्तराव उइके (अ. आ. जा.)	लखनादो ..	कांग्रेस
१६८	श्री रामनिवास बांगड़	लश्कर	कांग्रेस
१६९	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ..	लोंडी	कांग्रेस
१७०	श्री गंगाप्रसाद	लोर्मी	रा. रा. प.
१७१	श्री नेमीचन्द	महासमुन्द ..	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
१७२	श्री बाजीराव मिरी (अ. जा.) ..	महासमुन्द (सु.) ..	कांग्रेस
१७३	श्री वल्लभदास सीताराम ..	महेश्वर	कांग्रेस
१७४	श्री सीताराम साधो (अ. जा.) ..	महेश्वर (सु.) ..	कांग्रेस
१७५	श्री रामेश्वरदयाल तोतला ..	महीदपुर	कांग्रेस
१७६	श्री दुर्गादास भगवानदास सूर्यवंशी (अ. जा.)	महीदपुर (सु.) ..	कांग्रेस
१७७	श्री गोपालशरणसिंह	मैहर	कांग्रेस
१७८	श्री अर्जुनसिंह	मझौली	स्वतंत्र
१७९	श्री सुन्दरलाल	मनासा	जनसंघ
१८०	श्री रणजीतसिंह (अ. आ. जा.) ..	मनावर-पूर्व (सु.) ..	हिं. महा.
१८१	श्री शिवभानु (अ. आ. जा.) ..	मनावर-पश्चिम (सु.)	कांग्रेस
१८२	श्रीमती नारायणीदेवी	मंडला	कांग्रेस
१८३	श्री श्यामसुन्दर	मन्दसोर	कांग्रेस
१८४	श्री ब्रजेन्द्रलाल	मनेन्द्रगढ़	कांग्रेस
१८५	श्री रघुवरसिंह (अ. आ. जा.) ..	मनेन्द्रगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
१८६	श्री रुक्मिणी रमण प्रतापसिंह ..	मनगवां	स्वतंत्र
१८७	श्री मारुतराव लाहनू	मसौद	स्वतंत्र
१८८	श्री बशीरअहमद	मस्तूरी	कांग्रेस
१८९	श्री गणेशराम अनन्त (अ. जा.) ..	मस्तूरी (सु.) ..	कांग्रेस
१९०	श्री अच्युतानन्द	मऊगंज	स्वतंत्र
१९१	श्री सहदेव (अ. जा.)	मऊगंज (सु.) ..	कांग्रेस
१९२	श्री रमईसिंह (अ. आ. जा.) ..	महादवानी (सु.) ..	कांग्रेस
१९३	श्री युगलकिशोर	मेंहगांव	प्र. स. द.
१९४	श्री रुस्तमजी जाल	महू	कांग्रेस
१९५	श्रीमती चन्द्रकला सहाय ..	मुरार	कांग्रेस
१९६	श्री यशवन्तसिंह	मुरैना	कांग्रेस
१९७	श्रीमती चमेलीबाई चिरंजीलाल सागर (अ. जा.)	मुरैना (सु.) ..	कांग्रेस
१९८	श्री आनन्दराव सोनाजी	मुंलतई	स्वतंत्र
१९९	श्री खलकसिंह	मुंगावली	हिं. महा.
२००	श्री अम्बिकासाव	मुंगेली	रा. रा. प.
२०१	श्री रामलाल घसिया (अ. जा.) ..	मुंगेली (सु.) ..	रा. रा. प.
२०२	श्री रामदास लल्लूभैया ..	मुड़वारा	स्वतंत्र
२०३	श्री रामेश्वर (अ. आ. जा.) ..	नारायणपुर (सु.) ..	कांग्रेस
२०४	श्रीमती सरलादेवी	नरसिंहपुर ..	कांग्रेस
२०५	श्री राधावल्लभ विजयवर्गीय ..	नरसिंहगढ़ ..	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
२०६	श्री भंवरलाल जीवन (अ. जा.) ..	नरसिंहगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
२०७	श्री बिसाहूदास	नवागढ़	कांग्रेस
२०८	श्री सीताराम जाजू	नीमच	कांग्रेस
२०९	श्री लक्ष्मीनारायण	नेवारी	प्र. स. द.
२१०	श्री नाथूराम (अ. जा.)	नेवारी (सु.) ..	कांग्रेस
२११	श्री साहजू (अ. आ. जा.) ..	निवास (सु.) ..	कांग्रेस
२१२	श्री कुंजविहारीलाल गुरु	नोहटा	कांग्रेस
२१३	श्री उदयभानुशाह (अ. आ. जा.) ..	पगरा (सु.) ..	कांग्रेस
२१४	श्री कपिलदेव नारायणसिंह ..	पाल	कांग्रेस
२१५	श्री भंडारी (अ. आ. जा.) ..	पाल (सु.) ..	कांग्रेस
२१६	श्री परमानन्द मोहनलाल ..	पानागर	कांग्रेस
२१७	श्री देवेन्द्रविजयसिंह	पन्ना	स्वतंत्र
२१८	श्री कामताप्रसाद	परासिया	कांग्रेस
२१९	श्री फूलचंद (अ. आ. जा.) ..	परासिया (सु.) ..	कांग्रेस
२२०	श्री नकनारायणसिंह	पाटन	कांग्रेस
२२१	श्रीमती देवादेवी (अ. जा.) ..	पाटन (सु.) ..	कांग्रेस
२२२	श्री नरेन्द्रसिंह	पवई	कांग्रेस
२२३	श्री रामदास (अ. जा.) ..	पवई (सु.) ..	कांग्रेस
२२४	श्री वृन्दासहाय	पिछोर (गिर्द) ..	कांग्रेस
२२५	श्री राजारामसिंह (अ. जा.) ..	पिछोर (गिर्द) (सु.)	कांग्रेस
२२६	श्री लक्ष्मीनारायण	पिछोर (शिवपुरी) ..	हिं. महा.
२२७	श्री लालनसिंह (अ. आ. जा.) ..	पुष्पराजगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
२२८	श्री रामकुमार	रायगढ़	प्र. स. द.
२२९	श्री शारदाचरण तिवारी	रायपुर	कांग्रेस
२३०	श्री रामचरण दुबे	राजगढ़	स्वतंत्र
२३१	श्री जे. पी. एल. फ्रांसिस	राजनांदगांव ..	प्र. स. द.
२३२	श्री मंगीलाल ताजसिंह (अ. आ. जा.)	राजपुर (सु.) ..	कांग्रेस
२३३	श्री लालगोविन्द नारायणसिंह ..	रामपुर बघेलन ..	कांग्रेस
२३४	कुमारी सुमन जैन	रतलाम	कांग्रेस
२३५	श्री मणिभाई जवेरभाई ..	रेहली	कांग्रेस
२३६	श्री जगदीशचन्द्र जोशी	रीवाँ	स्वतंत्र
२३७	श्री बालमुकुन्द कन्हैयालाल ..	सबलगढ़ ..	कांग्रेस
२३८	श्री बाबूलाल चमार (अ. जा.) ..	सबलगढ़ (सु.) ..	कांग्रेस
२३९	श्री मोहम्मदशफी	सागर	कांग्रेस
२४०	श्री राजाबहादुर लीलाधरसिंह ..	सक्ती	प्र. स. द
२४१	श्री खुमानसिंह	सांची	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
२४२	राजा दौलतसिंह (अ. आ. जा.)	सांची (सु.)	कांग्रेस
२४३	श्री जयदेव सतपती	सरायपाली	कांग्रेस
२४४	राजा नरेशचन्द्रसिंह	सारंगगढ़	कांग्रेस
२४५	श्री नान्हू दाई (अ. जा.)	सारंगगढ़ (सु.)	कांग्रेस
२४६	श्री शंकरलाल गर्ग	सरदारपुर	कांग्रेस
२४७	श्री शिवानन्द	सतना	कांग्रेस
२४८	श्री विश्वेश्वरप्रसाद (अ. जा.)	सतना (सु.)	कांग्रेस
२४९	श्री रायचन्द भाई	सौसंर	कांग्रेस
२५०	श्री रनचूसिंह (अ. आ. जा.)	सोसंर (सु.)	कांग्रेस
२५१	मौ० इनायतुल्लाखां तरजी मशरिकी	सीहोर	कांग्रेस
२५२	श्री उमरावसिंह (अ. जा.)	सीहोर (सु.)	कांग्रेस
२५३	श्री बरकू (अ. आ. जा.)	सेंधवा (सु.)	कांग्रेस
२५४	श्री कामताप्रसाद	सेवढ़ा	कांग्रेस
२५५	श्री महेन्द्रनाथसिंह दादू	सिवनी	कांग्रेस
२५६	श्री केशोराव यशवंतराव	शाहपुर	प्र. स. द.
२५७	श्री प्रतापभाई	शाजापुर	कांग्रेस
२५८	श्री किशनलाल (अ. जा.)	शाजापुर (सु.)	जनसंघ
२५९	श्री रघुनाथ	श्योपुर	हिं. महा.
२६०	श्री मालोजी	शिवपुरी	स्वतंत्र
२६१	श्री तुलाराम (अ. जा.)	शिवपुरी (सु.)	कांग्रेस
२६२	श्री विष्णुचरण	शुजालपुर	कांग्रेस
२६३	श्री चन्द्रप्रताप	सीधी	प्र. स. द.
२६४	श्री काशीप्रसाद पांडे	सिहोरा	कांग्रेस
२६५	राजा हरभगतसिंह (अ. आ. जा.)	सिहोरा (सु.)	कांग्रेस
२६६	श्री श्याम कार्तिक	सिंगरोली	स्वतंत्र
२६७	श्रीमती चम्पादेवी	सिरमौर	कांग्रेस
२६८	श्री मदनलाल	सिरोंज	हिं. महा.
२६९	श्री भंवरलाल	सीतामऊ	कांग्रेस
२७०	श्री हरिभजनसिंह (अ. आ. जा.)	सीतापुर (सु.)	कांग्रेस
२७१	श्री शम्भूनाथ शुक्ल	सोहागपुर (शहडोल)	कांग्रेस
२७२	श्री नारायणसिंह दंगलसिंह	सोहागपुर	कांग्रेस
२७३	श्रीमती मंजाबाईजू (अ. आ. जा.)	सोहागपुर (सु.)	कांग्रेस
२७४	श्री भागीरथसिंह पूरनसिंह	सोनकच्छ	जनसंघ
२७५	श्री वीरेन्द्रनाथ शर्मा	सूरजपुर	कांग्रेस
२७६	श्री महादेवसिंह (अ. आ. जा.)	सूरजपुर (सु.)	कांग्रेस
२७७	डॉ. वी. वी. राय	सुरखी	कांग्रेस

	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
२७८	श्री हरिभाऊ	मुमनेर	जनसंघ
२७९	श्रीमती यज्ञसेनी कुमारी (अ. आ. जा.)	तनवर (सु.) ..	कांग्रेस
२८०	श्री वंशपतीसिंह	रयोंयर	कांग्रेस
२८१	श्री नाथूलाल (अ. आ. जा.) ..	धांदला	स्वतंत्र
२८२	श्री रामकृष्ण	टीकमगढ़ ..	कांग्रेस
२८३	डॉ. शंकरदयाल शर्मा	उदयपुरा.. ..	कांग्रेस
२८४	श्रीमती राजदाकुंवर किशोरीचन्द नारायण.	उज्जैन उत्तर ..	कांग्रेस
२८५	श्री विश्वनाथ वासदेव अयाचित ..	उज्जैन दक्षिण ..	कांग्रेस
२८६	श्री अजयसिंह	विदिशा	कांग्रेस
२८७	श्री हीरालाल पिप्पल (अ. जा.) ..	विदिशा (सु.) ..	कांग्रेस
२८८	श्री थानसिंह टीकाराम	वारासिवनी ..	कांग्रेस

सूचना स्रोत:—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश

टिप्पणी :—मु. = सुरक्षित, अ. जा. = अनुसूचित जाति, अ. आ. जा. = अनुसूचित आदिम जाति, प्र. स. द = प्रजा समाजवादी दल, भा. सा. द. = भारतीय साम्यवादी दल।

संसद में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व

नवगठित मध्यप्रदेश के कुल ३६ प्रतिनिधि भारतीय लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों में कांग्रेस दल के ३५ प्रतिनिधि हैं तथा १ प्रतिनिधि हिन्दू महासभा का है। निम्न पंक्तियों में भारतीय लोकसभा में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्तियों, उनके निर्वाचन क्षेत्रों व दल की सूची दी जा रही है :—

तालिका क्रमांक ११९

लोकसभा में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि

	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
१	श्री राधाचरण	ग्वालियर ..	कांग्रेस
२	श्री सूरजप्रसाद*	ग्वालियर ..	कांग्रेस
३	श्री वृजनारायण	शिवपुरी	हिं. महा.
४	श्रीमती विजया राजे सिंधिया ..	गुना	कांग्रेस
५	श्री लीलाधर जोशी	शाजापुर.. ..	कांग्रेस
६	श्री कन्हैयालाल*	शाजापुर.. ..	कांग्रेस
७	श्री राधेलाल व्यास	उज्जैन	कांग्रेस
८	श्री मानकलाल	मन्दसौर	कांग्रेस
९	श्री अमरसिंह*	झाबुआ	कांग्रेस
१०	श्री कन्हैयालाल खादीवाला ..	इन्दौर	कांग्रेस
११	श्री रामसिंह वर्मा	निमाड़ (खरगौन) ..	कांग्रेस

	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल
१२	श्रीमती मैमूना सुलताना ..	भोपाल	कांग्रेस
१३	श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी ..	सागर	कांग्रेस
१४	श्रीमती सहोदराबाई मुरलीधर* ..	सागर	कांग्रेस
१५	सेठ गोविन्ददास	जबलपुर ..	कांग्रेस
१६	श्री मगनलाल बागड़ी	होशंगाबाद ..	कांग्रेस
१७	श्री बाबूलाल सूरजभान	निमाड़ (खंडवा) ..	कांग्रेस
१८	श्री भीखूलाल लक्ष्मीचन्द चांडक ..	छिंदवाड़ा ..	कांग्रेस
१९	श्री नारायणराव वाडिवा † ..	छिंदवाड़ा ..	कांग्रेस
२०	श्री मंगरू बाबू उइके † ..	मंडला	कांग्रेस
२१	श्री चिन्तामन दिवरूजी ..	बालाघाट ..	कांग्रेस
२२	श्री मोहनलाल बाकलीवाल ..	दुर्ग	कांग्रेस
२३	श्री सुरती किस्तइया †	बस्तर	कांग्रेस
२४	राजा वीरेन्द्रबहादुरसिंह ..	रायपुर	कांग्रेस
२५	रानी केशरकुमारी देवी † ..	रायपुर	कांग्रेस
२६	श्री विद्याचरण शुक्ल	बालोदा बाजार ..	कांग्रेस
२७	श्रीमती मनीमाता*	बालोदा बाजार ..	कांग्रेस
२८	श्री बाबूनाथसिंह	सरगुजा	कांग्रेस
२९	श्री महाराजकुमार चंडीकेश्वरसरनसिंह जू देव †	सरगुजा	कांग्रेस
३०	श्री अमरसिंह सहगल	जांजगीर	कांग्रेस
३१	श्री रेशमलाल	बिलासपुर ..	कांग्रेस
३२	श्री आनन्दचन्द्र जोशी	शहडोल	कांग्रेस
३३	श्री कमलनारायणसिंह†	शहडोल	कांग्रेस
३४	श्री शिवदत्त	रीवां	कांग्रेस
३५	श्री मोतीलाल मालवीय	खजुराहो	कांग्रेस
३६	श्री रामसहाय*	खजुराहो	कांग्रेस

सूचना स्रोत:—मुख्य चुनाव अधिकारी मध्यप्रदेश।

टिप्पणी :—(*) चिन्हवाले प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करते हैं तथा (†) चिन्हवाले प्रतिनिधि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व प्रतिदर्शित करते हैं।

उपरोक्त सूची से स्पष्ट है कि नवगठित मध्यप्रदेश की ओर से लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की ओर भी ध्यान दिया गया है। समस्त ३६ प्रतिनिधियों में से ५ प्रतिनिधि अनुसूचित जाति वर्गों में से हैं तथा ७ अनुसूचित जनजातियों के हैं।

तालिका क्रमांक १२०

राज्य सभा में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि

अ. क्र.	नाम	पार्टी
१	श्री अवधेशप्रतापसिंह	कांग्रेस
२	श्री भानुप्रतापसिंह	,,
३	श्री भैरोंप्रसाद	,,
४	श्री बनारसीदास चतुर्वेदी	,,
५	श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय	,,
६	श्री रामसहाय	,,
७	श्रीमती कृष्णा कुमारी	,,
८	श्री मोहम्मदअली	,,
९	श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय	.
१०	श्री रामेश्वर उमराव अग्निभोज	,,
११	श्री रघुवीरसिंह	,,
१२	श्रीमती रुकमनी देवी शर्मा	,,
१३	श्री आर. पी. दुबे	,,
१४	श्रीमती सीता परमानन्द	,,
१५	श्री त्र्यंबक दामोदर पुस्तके	,,
१६	श्री व्ही. एस. सरवटे	,,

सूचना स्रोत:—'इण्डिया', १९५७

राज्य सभा में उक्त सभी सदस्य कांग्रेस दल के प्रतिनिधि हैं ।

प्रमुख उद्योग

विज्ञान के इस युग में किसी भी देश के सुदृढ़ आर्थिक विकास हेतु बड़े उद्योगों की स्थापना अपरिहार्य है किन्तु भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय तक औद्योगिक विकास *की गति अत्यन्त धीमी रही है। भारतीय उद्योगों को प्रारम्भ से ही विदेशी प्रतिस्पर्धा* का भीषण सामना करना पड़ा और इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में ही अनेक उद्योग समाप्त हो गये। जो उद्योग इन आघातों का सामना करने में समर्थ हुए उनका भी उचित राजकीय संरक्षण के अभाव में पूरा विकास नहीं हो सका।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व तक अटूट एवं अमूल्य खनिज सम्पत्ति, वनोत्पत्ति, कृषि-उत्पत्ति एवं जल-शक्ति से परिपूर्ण होते हुए भी भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश बना रहा। सम्पूर्ण देश की स्थिति के अनुरूप मध्यप्रदेश भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ ही रहा। वन एवं खनिज संपत्ति में देश के कई प्रदेशों में अग्रणीय इस प्रदेश में तब तक कोई आशातीत प्रगति नहीं हो पायी थी किन्तु पिछले ९ वर्षों के अथक प्रयत्नों व उत्साहवर्धक प्रगति को दृष्टिगत करते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश ने पर्याप्त औद्योगिक प्रगति की है तथा इसका औद्योगिक भविष्य निःसंदेह उज्ज्वल है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किया है कि नये मध्यप्रदेश में औद्योगिक प्रगति एवं विकास की अत्यधिक संभावनाएँ हैं। प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण नवगठित मध्यप्रदेश देश में औद्योगिक क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने लिखा है "इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की प्रचुरता है तथा नर्मदा एवं बेतवा की जलविद्युत् योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर इस क्षेत्र में तथा विशेषकर निमाड़-होशंगाबाद तथा दुर्ग-बिलासपुर क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के प्रारम्भ होने की पूरी संभावनाएँ हैं"। नैसर्गिक साधनों से भरपूर मध्यप्रदेश में अभी बड़े पैमाने पर अनेक उद्योग कार्यशील हैं।

इस अध्याय के अगले पृष्ठों में मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योगों का वर्णन किया गया है।

सूती वस्त्रोद्योग

सूती वस्त्रोद्योग राज्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्योग है जोकि न केवल राज्य की औद्योगिक प्रगति का ही द्योतक है, वरन् राज्य के अनेकों परिवारों को अपने भरण-पोषण हेतु आजीविका प्रदान करता है। इस समय राज्य में

सूती कपड़े की १९ मिलें हैं। निम्नांकित तालिका राज्य के सूती वस्त्र-उद्योग संबंधी जानकारी प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक १२१

सूती वस्त्रोद्योग

	जिले का नाम		मिलों की संख्या	करघों की संख्या	तकुओं की संख्या	औसत दैनिक सेवायोजन
१.	सीहोर	..	१	४००	१४,८७६	२,६००
२.	ग्वालियर	..	३ (केवल २ कार्य-रत).	१,५५५	७१,६४२	६,४२२
३.	इन्दौर	..	७	६,३२१	२,३२,१९८	१६,५२६
४.	उज्जैन	..	४	२,५८१	१,०५,४६८	६,८७५
५.	देवास	..	१	१९२	१२,०४०	४०८
६.	रतलाम	..	१	४४०	१९,१०८	१,६६०
७.	मन्दसौर	..	१	११०	१०,०४८	५७९
८.	निमाड़	..	१	७३०	३०,३२३	१,७११
९.	दुर्ग	..	१	८१०	२९,९३५	१,३००
	योग	..	२०	१३,१३९	५,२५,६३९	३८,०८१

सूचना स्रोत:—उद्योग संचालक, मध्यप्रदेश

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में सूती वस्त्रोद्योग काफी प्रगति पर है। राज्य के सीहोर, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर, निमाड़, व दुर्ग जिलों में सूती वस्त्रोद्योग की इकाइयाँ स्थापित हैं तथा इस प्रकार इन क्षेत्रों में राज्य की १९ मिलें वस्त्र-उत्पादन कर रही हैं। समष्टिरूप से राज्य की इन मिलों में १३,१३९ करघे व ५,२५,६३९ तकुए हैं तथा औसत रूप से इन मिलों में प्रतिदिन ३८,०८१ श्रमिक कार्य करते हैं। राज्य की सर्वाधिक मिलें इन्दौर में हैं जिनकी संख्या ७ है। इन मिलों में १६,५२६ श्रमिक औसतन प्रतिदिन कार्य करते हैं तथा इनमें करघों व तकुओं की संख्या क्रमशः ६,३२१ व २,३२,१९८ है। तत्पश्चात् सूती वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उज्जैन का क्रम आता है। यहां भी ४ मिलें हैं जिनमें ६,८७५ मजदूर औसत रूप में प्रतिदिन काम करते हैं। इन मिलों में करघों की संख्या २,५८१ है तथा तकुओं की संख्या १,०५,४६८ है। ग्वालियर में सूती कपड़े की ३ मिलें हैं जिनमें ६,४२२ मजदूर प्रतिदिन औसत रूप से काम करते हैं तथा इनमें १,५५५ करघे व ७१,६४२ तकुए वस्त्रोत्पादन में कार्यरत हैं।

रेशमी वस्त्रोद्योग

राज्य में रेशमी वस्त्रोद्योग का भी स्थान है। इस समय राज्य में कुल १६ रेशम

रेशम की मिलें हैं जिनमें प्रतिदिन औसतन १,२६८ मजदूर काम करते हैं। निम्नांकित तालिका रेशमी उद्योग संबंधी जिलेवार जानकारी प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक १२२

रेशमी वस्त्रोद्योग

जिले का नाम		मिलों की संख्या	करघों की संख्या	तकुओं की संख्या	औसत दैनिक सेवायोजन
१. ग्वालियर	..	१	२६८	..	४००
२. उज्जैन ..	..	१	..	..	५००
३. इन्दौर ..	..	२	३६	..	९४
४. बुरहानपुर	..	१२	२०३	१३,०००	२७४
योग	..	१६	५०७	१३,०००	१,२६८

सूचना स्रोत:—उद्योग संचालक, मध्यप्रदेश

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य में बुरहानपुर में सर्वाधिक रेशमी कपड़ों की मिलें हैं। बुरहानपुर में इनकी संख्या १२ है जिनमें २०३ करघे व १३,००० तकुए हैं तथा जिनमें औसतन २७४ व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं।

शक्कर उद्योग

शक्कर उद्योग मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। शक्कर उद्योग के हेतु आवश्यक गन्ना राज्य में बहुतायत से होता है। सन् १९५५-५६ के नवीनतम फसल पूर्वानुमानों पर आधारित समंकों के अनुसार राज्य की ७६ हजार एकड़ भूमि गन्ने की फसल के अन्तर्गत है। राज्य का यह सुविशाल क्षेत्र शक्कर उद्योग के लिए समुचित मात्रा में कच्चे माल अर्थात् गन्ने का उत्पादन करता है। राज्य में शक्कर की ७ मिलें पंजीकृत हैं जिनमें से ५ मिलें कार्यरत हैं। निम्नांकित तालिका में राज्य में शक्कर उद्योग संबंधी सांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत की गई है:—

तालिका क्रमांक १२३

शक्कर उद्योग

विवरण	समंक		
	१९५४–५५	१९५५–५६	*१९५६–५७
१. काम के कुल दिन	२३५	२०७	८८९
२. औसत काम के दिन ..	४५	११९	१७७
३. कुल पेरा गया गन्ना (मनों में)	३०,१७,०७३	८३,५०,७१९	१,३७,५५,४५८
४. कुल उत्पादित शक्कर (मनों में)	२,८५,६१९	७,९९,०३६	१३,३४,५८०
५. कुल उत्पादित शीरा (मोलेसिज) (मनों में)	१,१५,०२३	३,२१,४६५	५,३०,९००

विवरण	समंक		
	१९५४—५५	१९५५—५६	*१९५६—५७
६. गन्ने से प्राप्त उत्पादित शक्कर का प्रतिशत	९.४६	९.५७	९.७
७. गन्ने से प्राप्त उत्पादित राव का प्रतिशत	३.८१	३.८५	३.८६

टिप्पणी:—सन् १९५४-५५ व १९५५-५६ के समंकों में सीहोर शुगर मिल्स के समंक सम्मिलित नहीं हैं।

*प्रावधिक।

सूचना स्रोत:—उद्योग संचालक, मध्यप्रदेश

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग का विकास प्रगति पर है। सन् १९५४-५५, १९५५-५६ व १९५६-५७ के समंकों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। सन् १९५५-५६ एवं १९५६-५७ दोनों ही वर्षों में राज्य में ५ शक्कर मिलें शक्कर उत्पादन कर रही थीं किन्तु सन् १९५५-५६ में इन मिलों में औसत काम के दिन ११९ ही थे जबकि १९५६-५७ में इन मिलों में औसतन १७७ दिन काम किया गया अर्थात् इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा औसतन ५८ दिन अधिक काम किया गया। उसी प्रकार सन् १९५५-५६ में राज्य की इन शक्कर मिलों में केवल ८३,५०,७१९ मन गन्ना ही पेरा गया था जबकि सन् १९५६-५७ में कुल १,३७,५५,४५८ मन गन्ना पेरा गया। परिणामस्वरूप राज्य में सन् १९५६-५७ में शक्कर उत्पादन भी अधिक हुआ। सन् १९५५-५६ में मध्यप्रदेश की इन ५ शक्कर की निर्माणियों ने ७,९९,०३६ मन शक्कर उत्पादित की थी जबकि सन १९५६-५७ में इनके द्वारा कुल १३,३४,५८० मन शक्कर उत्पादित की गई। शक्कर का यह अधिक उत्पादन निःसंदेह राज्य के शक्कर उद्योग के विकास का द्योतक है।

कागज उद्योग

कागज का उपयोग समुदाय के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास का परिचायक है। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से यह समाज की आर्थिक सुदृढ़ता का भी प्रमाण होता है। जैसे-जैसे समाज की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति होती जाती है, सामान्य नागरिक को अपनी जीवनोपयोगी सुविधाएँ सुलभ होती जाती हैं; वैसे ही उनकी बौद्धिक एवं मानसिक चेतना भी जागरूक होती जाती है और आज के युग में इस मानसिक एवं बौद्धिक तृप्ति के हेतु कागज का अपना विशिष्ट महत्व है। कागज पर छपे अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक ग्रंथ, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ आदि ही समाज की मानसिक भूख को शान्त कर उसे बौद्धिक तृप्ति प्रदान करने में सफल होती हैं।

मध्यप्रदेश में कागज उद्योग के हेतु आवश्यक कच्चा माल प्रचुर मात्रा में प्राप्य है। यही कारण है कि राज्य में अखबारी कागज उत्पादन करनेवाली नेपा मिल चल रही है। बीसवीं शताब्दि में पुस्तक-पुस्तिकाओं के अतिरिक्त अखबारों का भी अपना विशिष्ट महत्व है। अखबारों ने आज के युग की दृष्टि को काफी विस्तार एवं व्यापकता

प्रदान की है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग ७५,००० से ८५,००० टन तक अखबारी कागज का उपयोग होता है। इसके आयात के परिणामस्वरूप देश का लगभग ६ करोड़ से अधिक रुपया विदेशों को चला जाता है तथा इस प्रकार देश को आर्थिक हानि होती है। कागज उद्योग के लिए आवश्यक प्राकृतिक कच्चे माल की पर्याप्तता को दृष्टिगत रखते हुए ही मध्यप्रदेश में अखबारी कागज का सर्वप्रथम कारखाना निमाड़ जिले (नेपानगर) में खोला गया है। इस कारखाने के उपयोग के लिए सलाई एवं बांस की पूर्ति होशंगाबाद, बैतूल एवं निमाड़ के वनों से संभव होती है क्योंकि इन वनों में ये वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। नेपा मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमता ३०,००० टन अखबारी कागज का उत्पादन अनुमानित की गई है। इस प्रकार मध्यप्रदेश का यह कारखाना भारत के करीब एक-तिहाई अखबारी कागज की मांग की पूर्ति कर सकेगा तथा राष्ट्र एवं राज्य के बौद्धिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगा। कागज का एक और कारखाना विन्ध्य क्षेत्र की वनस्पति का उपयोग करने हेतु शहडोल के समीप निजी पूंजी से स्थापित किये जाने के प्रयत्न चल रहे हैं।

इस्पात उद्योग

भिलाई का इस्पात उद्योग यद्यपि अभी अपनी प्रारंभिक निर्माण अवस्था में है, तथापि शीघ्र ही यह राज्य के भाग्योदय का प्रतीक बन जावेगा। भिलाई एवं उसके आसपास स्थित मध्यप्रदेश के क्षेत्र खनिज सम्पदाओं के अक्षय भण्डार हैं। इन्हीं खनिजों की उपयोगिता का समुचित उपयोग करने हेतु भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण हो रहा है। भिलाई के समीप ही कोरबा प्रदेश में कोयले के पर्याप्त भण्डार हैं। हाल ही में किये गये सर्वेक्षणों से अनुमानतः इस क्षेत्र में लाखों टन कोयले के संचय भूगर्भित हैं। उसी प्रकार डेल्ली-राजहरा क्षेत्र में कच्चे लोहे के विशाल संचय हैं। साथ ही इस्पात उद्योग के हेतु आवश्यक फायर क्ले, चूना, डोलोमाइट, बाक्साइट, मेंगनीज आदि खनिज भी भिलाई उद्योग के हेतु सरलता से समीपस्थ क्षेत्रों से उपलब्ध किये जा सकते हैं।

भिलाई कारखाने की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता औसत रूप से प्रति वर्ष १० लाख टन इस्पात उत्पादन करने की है। आवश्यकता पड़ने पर कालान्तर में यह कारखाना २५ लाख टन इस्पात भी उत्पादित कर सकेगा। इस कारखाने द्वारा प्रमुखरूपेण १,००,००० टन रेल की पटरियें, ९०,००० टन स्लीपर बार, १,७५,००० टन निर्माण के काम में आनेवाला भारी सामान, २,३५,००० टन व्यापारिक छड़ें व १,५०,००० टन रीरोलिंग के लिए ब्लेडें तैयार किये जाने की योजना है।

सन् १९५९ के अन्त तक यह कारखाना इस्पात उत्पादन करने लगेगा और निःसंदेह ही यह राज्य में एक नवीन औद्योगिक चेतना निर्माण करेगा।

विद्युत् उद्योग

विद्युत् के उत्पादन एवं उपभोग से राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक प्रगति आंकी जाती है। इसीलिए देश के नवनिर्माण कार्यो में विद्युत् योजनाओं के क्रियान्वय पर समुचित जोर दिया जा रहा है। विद्युत् योजनाओं को संचालित करने के हेतु आवश्यक सामान एवं यंत्र-सामग्री हमें विदेशों से ही मंगवानी पड़ती है जिसके फलस्वरूप देश का करोड़ों रुपया देश के बाहर चला जाता है। गत कुछ वर्षों के समंक देखने से ज्ञात होता है कि भारत प्रतिवर्ष लगभग ३० करोड़ रुपये विद्युत् सामग्री के आयात पर व्यय करता है।

आरंग का जैनमन्दिर (रायपुर जिला)

विष्णुमंन्दिर, जाँजगीर (विलासपुर जिला)

उल्लेखनीय है कि इस व्यय में भारी विजली के सामानों के आयात का मूल्य लगभग १८ से २० करोड़ रुपया रहा है। विद्युत्-विकास की अनेकानेक योजनाएँ सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने हेतु देश में यंत्र-सामग्री की अतीव आवश्यकता होगी। अतः यह आवश्यक है कि भारत में ही भारी विद्युत् साज-सामग्री के उत्पादन की व्यवस्था हो अन्यथा इन के आयात के फलस्वरूप राष्ट्र को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल में भारी वैद्युतिक सामान बनाने के लए एक सुविशाल कारखाने का निर्माण किया जानेवाला है। इस दिशा में प्रारंभिक कार्य का श्रीगणेश हो चुका है।

मध्यप्रदेश का यह विशाल कारखाना इंग्लेण्ड के एसोशिएटेड एलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नामक कम्पनी की मदद से खोला जावेगा। अनुमानतः इस कारखाने पर कुल २५ करोड़ रुपये का व्यय होगा। आशा है कि सन् १९६० तक यह कारखाना भारी वैद्युतिक सामग्री का उत्पादन करने लगेगा और अनुमानतः २०-२५ करोड़ रुपयों की यंत्र-सामग्री प्रतिवर्ष तैयार होने लगेगी। इस कारखाने में निम्न वस्तुओं के उत्पादन की योजना है:—

हाइड्रोलिक टरवाइन और जेनरेटर	३,५०,००० किलोवाट प्रतिवर्ष। (अधिकतम मात्रा ५० हजार किलोवाट)
डीजेल इंजिनों के हेतु जेनरेटर	६८,००० किलोवाट प्रतिवर्ष।
के. वी. और उससे ऊपर के ट्रान्सफार्मर ..	१० लाख के. वी. ए. प्रतिवर्ष।
स्टेटिक कपैसिटर	१,०८,००० के. वी. ए. प्रतिवर्ष।
ट्रेक्टर मोटर	१,५०,००० अश्वशक्ति प्रतिवर्ष।
ए. सी. औद्योगिक मोटर, २०० अश्वशक्ति से ऊपर वाली।	१,००,००० अश्वशक्ति प्रतिवर्ष।

निःसन्देह मध्यप्रदेश में इस विद्युतीय कारखाने के निर्माण से त्वरित औद्योगिक विकास की आशाएँ बंधती हैं।

सीमेण्ट उद्योग

राज्य में सीमेण्ट उद्योग का भी अपना महत्व है। मुरैना जिले में बाँमौर में स्थित ए. सी. सी. लिमिटेड सीमेण्ट कम्पनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता ६०,००० टन है। सन् १९५५ में इसके द्वारा ६४,५३५ टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ। ए. सी. सी. लिमिटेड कैमोर के सीमेण्ट के कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता २,३७,३६० टन है तथा सन् १९५५ में इसके द्वारा ३,६९,७८५ टन सीमेण्ट का उत्पादन किया गया।

निम्नांकित तालिका में मध्यप्रदेश के सन् १९५० से १९५५ तक के उत्पादन समंक प्रस्तुत किये जा रहे हैं:—

तालिका क्रमांक १२४

सीमेंट उद्योग

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
१९५०	३,९८,११८
१९५१	३,९९,१३३
१९५२	३,९३,५२८
१९५३	४,११,२९६
१९५४	४,४२,७४३
१९५५	४,३४,३२०

सूचना स्रोत:—ए. सी. सी. बाँमौर व कैमोर निर्माणियों के प्रतिवेदन

पिछली तालिका से स्पष्ट होता है कि सन् १९५० की तुलना में सन् १९५५ में राज्य के सीमेंट उत्पादन में काफी प्रगति हुई है। सन् १९५० में राज्य में ३,९८,११८ टन सीमेंट उत्पादन हुआ था जबकि सन् १९५५ में सीमेंट उत्पादन वृद्धिगत होकर ४,३४,३२० टन हो गया था।

वर्तमान सीमेंट फैक्टरियों के अतिरिक्त राज्य में ए. सी. सी. (दुर्ग), भिलाई में, सांवलाराम मोरे द्वारा नीमच में तथा हिन्दुस्तान इनवेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा बिलासपुर में सीमेंट फैक्टरियों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। भिलाई ए. सी. सी. कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता १,६५,००० टन पोर्टलैण्ड तथा ८५,००० स्लेज सीमेंट उत्पादन करने की होगी। अन्य सीमेंट फैक्टरियों की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमशः १,५०,००० टन तथा १,३७,५०० टन होगी।

राज्य के अन्य उद्योग

इन उद्योगों के अतिरिक्त भी राज्य में कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं जो एक ओर राज्य का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर हजारों व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं। भोपाल की स्ट्रा प्रॉडक्ट फैक्टरी प्रति वर्ष ४,५०० टन कार्डबोर्ड (कागज का पुठ्ठा) का उत्पादन करती है तथा इसमें प्रति दिन औसतन ३९९ मजदूरों को काम मिलता है। रतलाम की कार्डबोर्ड मिल द्वारा प्रति माह औसतन १८५ टन कार्डबोर्ड तैयार होता है। राज्य का पॉटरीज उद्योग भी महत्वपूर्ण है। ग्वालियर पॉटरीज लिमिटेड, ग्वालियर प्रति माह ९०० टन पॉटरीज सामग्री का उत्पादन करती है। जबलपुर स्थित परफेक्ट पॉटरीज कंपनी लिमिटेड के चीनी मिट्टी के बरतन देश के दूर-दूर के भागों में जाते हैं।

ग्वालियर की जे. बी. मंघाराम बिस्कुट फैक्टरी की प्रति दिन उत्पादन क्षमता ९ टन बिस्कुट तथा १५ टन कनफेक्शनरी है तथा सन् १९५६ में इसके द्वारा १,३७५.२६ टन बिस्कुट तैयार किये गये थे। उज्जैन की विद्युत् मैटेलिक्स प्रति वर्ष २९,५५,८०० रेजर ब्लेड बनाती है। ग्वालियर की इम्पीरियल मैच कम्पनी की उत्पादन क्षमता ५०० ग्रास बॉक्स प्रति दिन बनाने की है। रायगढ़ जूट मिल्स की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष २,८०० टन माल तैयार करने की है। राज्य में कुल तेल मिलों की संख्या ४७७ है जिनमें २४,२०० मजदूर काम करते हैं। उसी प्रकार राज्य में जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों की कुल संख्या ३९२ है जो २९,५०० श्रमिकों को काम देती है। इसके अतिरिक्त भी राज्य में चमड़े, रबर, वनोपज आदि पर आधारित तथा इंजीनियरिंग, फ्लोर मिल, स्टार्च फैक्टरी आदि अनेक उद्योग चल रहे हैं।

विकास की संभावनाएँ

उद्योगों का विकास प्रमुखतः प्राप्त कच्चे माल एवं शक्ति साधनों पर निर्भर करता है। सौभाग्य से मध्यप्रदेश में इन दोनों की ही पर्याप्तता है। शक्ति उत्पादन करने के लिए राज्य में अनेकों छोटी-बड़ी नदियां, जिनके व्यर्थ बहजानेवाले जल का समुचित उपयोग कर जल-विद्युत् पैदा की जा सकती है। मध्यप्रदेश खनिजों की दृष्टि से भी समृद्ध है। राज्य में छोटे-बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक अनेकों खनिज प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण है अतः इन साधनों के सम्यक् उपयोग से राज्य में अनेकानेक छोटे-बड़े उद्योग-धंधों का विकास संभव हो सकेगा। वैसे भी भिलाई के इस्पात उद्योग और भोपाल के भावी विद्युत्-सामग्री के कारखाने की स्थापना से राज्य की औद्योगिक प्रगति को एक नवीन गति मिलेगी तथा आशा है कि यह निरंतर बढ़ती ही जावेगी।

लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योग

भारत समस्त संसार में अपने कुटीर तथा लघुप्रमाप उद्योगों के कारण विख्यात था। वह काल भारतीय उद्योग का स्वर्णिम काल था जबकि देश के ग्रामों में बनी हुई वस्तुएँ सुदूर पूर्व तथा यूरोप के कई देशों को भेजी जाती थीं। ढाके की महीन मलमल के लिए यह देश समस्त संसार में प्रसिद्ध था। देश के छोटे-छोटे ग्रामों में हस्तकौशल द्वारा निर्मित वस्तुएँ भारतीयों के कलात्मक दृष्टिकोण का सन्देश संसार के प्रत्येक भाग में पहुँचाती थीं। परन्तु बृहतप्रमाप उद्योगों के प्रादुर्भाव के साथ ही साथ इन उद्योगों का ह्रास होना प्रारम्भ हुआ। यंत्रों द्वारा बनी सस्ती व अधिक आकर्षक वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में लघुप्रमाप उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ न टिक सकीं तथा क्रमशः हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान बृहत् प्रमाप उद्योगों से बनी वस्तुएँ लेती गईं।

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। भारत एक कृषि-प्रधान देश होने के नाते कृषि एवं उस पर आश्रित छोटे-छोटे धन्धों की दृष्टि से देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन व्यक्तियों के लिए कुटीर उद्योग आवश्यक हैं जिनके पास न बड़ी पूंजी है और न बड़े साधन। साथ ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसे उद्योगों का विकास होना अत्यावश्यक है जो कृषकों को उनकी दो फसलों के बीच के अवशेष काल में काम दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध बना सकें। बृहद्प्रमाप उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास निःसंदेह हमारी औद्योगिक प्रगति का परिचायक है परंतु केवल इसी एक कारण को लेकर कुटीर उद्योगों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उत्पादन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बृहत्प्रमाप उद्योगों द्वारा उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता तथा कुटीर उद्योगों के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। यह अनुमान किया गया है कि भारत में ६०० से ७०० लाख तक मनुष्यों का श्रम कार्याभाव के कारण नष्ट हो रहा है। इस विशाल मानव-श्रम का उपयोग आर्थिक दृष्टि से अविकसित देश के लिए केवल कुटीर उद्योगों द्वारा ही संभव है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने इन उद्योगों के पुनरोद्धार की ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। कुटीर एवं लघुप्रमाप उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने सन् १९४२ में एक अखिल भारतीय कुटीर उद्योग मंडल की स्थापना की थी। तदनुसार नवम्बर सन् १९५२ में इसके स्थान पर अखिल भारतीय हस्तकला मंडल एवं फरवरी सन् १९५३ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना की गई ताकि इनके माध्यम से कुटीर उद्योगों का समुचित विकास किया जा सके।

वर्ष १९५१ की जन-गणना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आये हुए २५० लाख श्रमिकों में से २३० लाख श्रमिक लघुप्रमाप उद्योगों में कार्य करते हैं। नवीनतम अनुमान के अनुसार आजकल देश में लगभग २ करोड़ व्यक्ति कुटीर उद्योगों में काम करते हैं। निम्न तालिका में विभिन्न कुटीर उद्योगों में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या दर्शायी गई है:—

तालिका क्रमांक १२५

भारत में लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योगों द्वारा सेवा-नियोजन
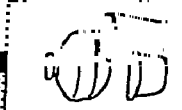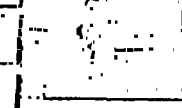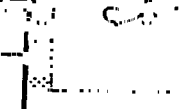
उद्योगों का नाम	कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या
वस्त्र उद्योग	५०,००,०००
चर्म उद्योग	२४,००,०००
लकड़ी उद्योग	२०,००,०००
धातु उद्योग	४०,००,०००
बरतन, खपरे व ईंट उद्योग	२०,००,०००
रासायनिक एवं वनस्पति उद्योग	१०,००,०००
खाद्य पदार्थ उद्योग	२०,००,०००
वेशभूषा एवं साबुन उद्योग	११,००,०००
विविध उद्योग (खिलौने बनाना)	६,००,०००
योग	२,०१,००,०००

सूचना स्रोत:—संचालक उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश

कुटीर उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उससे कार्य करनेवाले की वैयक्तिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अक्षुण्ण रहती है तथा वह कार्य भी अपनी रुचि व इच्छानुसार कर सकता है। विशेषकर कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में उसकी अपनी इच्छा का प्राधान्य रहता है।

मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है जिसका कारण खेतों तथा वनों से लघुउद्योगों में व्यवहृत कच्चे माल का बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना है। सन् १९३८ में प्रदेशों में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों की स्थापना के साथ ही इन उद्योगों के पुनरोत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। फरवरी १९३९ में पूर्व मध्यप्रदेश में एक अस्थायी अधिकारी की नियुक्ति भी कुटीर उद्योगों एवं ग्रामोत्थान के हेतु की गई थी फलस्वरूप रस्सा बनाने, बांस की वस्तुएं बनाने, निवार बुनने, ऊन कातने, कम्बल बुनने, विभिन्न वन पदार्थों का उपयोग करने, फलों से पेय पदार्थ तैयार करने, मधुमक्खी पालन, बेंत बनाने तथा सुगन्धित तेल इत्यादि के निर्माण करने से सम्बन्धित प्रदर्शनियों का आयोजन होसका।

देश में कुटीर उद्योगों द्वारा अधियोजन
५०,००,०००
४०,००,०००
२४,००,०००
२०,००,०००
११,००,०००
१०,००,०००

मध्यप्रदेश के महाकोशल क्षेत्र में इन उद्योगों का प्रथम सर्वेक्षण सन् १९०८ में पूर्व मध्यप्रदेश के तत्कालीन कृषि संचालक द्वारा किया गया था। उन्होंने शासन को इन उद्योगों को सहायता देने का सुझाव दिया। इसके उपरान्त सन् १९२८-३० में प्रान्तीय अधिकोषण जांच समिति द्वारा भी इन उद्योगों संबंधी एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया गया था।

इस समय नवगठित मध्यप्रदेश में निम्नलिखित लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योग चल रहे हैं:—

(१) इंजीनियरिंग उद्योग.
(२) बरतन उद्योग.
(३) स्टील प्रोसेसिंग.
(४) खेती-बारी के औजार बनाना.
(५) घड़ी उद्योग.
(६) सीमेन्ट टाइल्स और मेंगलौर टाइल्स उद्योग.
(७) छाता उद्योग.
(८) सायकिल पार्ट्स उद्योग।
(९) अजवान, रोंषा एवं तेल बनाने का उद्योग.
(१०) शर्बत उद्योग.
(११) गैस मेन्टल उद्योग.
(१२) रासायनिक उद्योग.
(१३) हाथ-करघा एवं कताई उद्योग.
(१४) गलीचा बुनाई उद्योग.
(१५) रस्सा, बाल्टी उद्योग.
(१६) धान कुटाई उद्योग.
(१७) बीड़ी बनाने का उद्योग.
(१८) चर्म उद्योग.
(१९) लकड़ी के काम का उद्योग.
(२०) चटाई बुनाई उद्योग.
(२१) गन्ने एवं ताड़ से गुड़ बनाने का उद्योग.
(२२) तेल निकालने का उद्योग.
(२३) मधुमक्खी पालन उद्योग.
(२४) रेशम उद्योग.
(२५) साबुन उद्योग.
(२६) रंगरेजी उद्योग.
(२७) लाख उद्योग.
(२८) हस्तनिर्मित कागज उद्योग.
(२९) स्लेट व स्लेट की पेन्सिल बनाने का उद्योग.
(३०) कपड़े, कागज व मिट्टी के खिलौने बनाने का उद्योग.

नीचे इन उद्योगों में से कुछ प्रमुख उद्योगों का वर्णन दिया गया है:—

हाथ-करघा एवं कताई तथा खादी उद्योग:—कुटीर उद्योगों में सर्वाधिक महत्व-पूर्ण एवं शासन तथा अन्य संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करनेवाला यह एकमात्र उद्योग है। साथ ही कृषकों के लिए यह आंशिक समय के लिए उत्तम सहायक धन्धा भी है। मध्यप्रदेश में यह उद्योग काफी प्रगति पर है तथा लाखों व्यक्ति पूर्णत: या आंशिक रूप से इसके सहारे अपना जीवन यापन करते हैं।

हाथ-करघे पर कपड़ा बुनने का उद्योग चन्देरी, महेश्वर, रतलाम, इन्दौर, ग्वालियर एवं उज्जैन में केन्द्रित है। प्राचीन काल से ही चन्देरी महीन एवं सुन्दर साड़ियों तथा दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी प्रकार महेश्वर की साड़ियां भी अपनी सुन्दरता एवं टिकाऊपन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं। साथ ही मन्दसौर, उज्जैन, गौतमपुरा, ग्वालियर तथा इन्दौर में कपड़ों की रंगाई एवं छपाई का काम भी अच्छा होता है। सन् १९५१ तक प्राप्त समंकों के आधार पर राज्य में कार्यरत हाथ-करघों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

महाकोशल	५०,०२६
पूर्व मध्यभारत	१५,५००
पूर्व भोपाल	१,५००
योग	६७,०२६

कुटीर उद्योगों में खादी का अपना विशेष स्थान है। खादी उद्योग की सबसे आवश्यक एवं आधारभूत बात अच्छे एवं सस्ते चर्खों का निर्माण तथा सुगमता से उनकी उपलब्धि है। सरकार ने हाल ही में खादी उद्योग की सहायता एवं विकास की दृष्टि से अम्बर चर्खा योजना स्वीकृत की है। राज्य में खादी उत्पादन के दो केन्द्र टीकमगढ़ और छतरपुर में तथा दो केन्द्र सीधी और शहडोल में खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

गुड़ उद्योग:—इस उद्योग में लोगों को वर्ष के कुछ ही दिनों के लिए काम मिल पाता है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी को आंशिक रूप में यह कम करता है। विन्ध्य क्षेत्र में ताड़ और खजूर के वृक्षों की प्रचुरता है। टीकमगढ़ जिले में ये विशेष रूप से पाये जाते हैं। इन वृक्षों से प्राप्त नीरा से ताड़ गुड़ बनाने के उद्योग से टीकमगढ़ में एक ताड़गुड़-उत्पादन केन्द्र खोला गया है। साथ ही केन्द्रीय सरकार को ऐसे ही २० केन्द्र और खोलने की योजना भी भेजी गई है। टीकमगढ़ के इस केन्द्र के साथ एक गलीचा और दरी उद्योग विभाग भी जोड़ा गया है जहां इन उद्योगों सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है।

हस्तनिर्मित कागज उद्योग:—मध्यप्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना एवं विकास के समस्त आवश्यक साधन प्राप्त हैं। अतएव कुटीर उद्योग के आधार पर इसके विकास की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं। महाकोशल एवं विन्ध्य क्षेत्र के जंगलों में कागज के लिए कच्चे माल के रूप में बांस, सलाई घास, इत्यादि प्रचुरता से प्राप्य हैं। अनुमान लगाया गया है कि केवल विंध्य क्षेत्र के जंगलों से ही कागज के लिए लगभग ३ लाख टन बांस प्रति वर्ष प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त चिथड़े, कपड़े, रद्दी जूट, पायरा, कांस, साल अथवा लाइव घास, मसया घास या अन्य किसी भी प्रकार की घास

जो दो फुट की ऊंचाई तक बढ़ती है, केले की छाल, रद्दी गद्दा, कागज के टुकड़े तथा पुराने कागज के पदार्थ जिनका उपयोग कागज बनाने के काम में किया जा सकता है आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। हाथ से बना कागज टिकाऊ होता है इस कारण इसका उपयोग दस्तावेज लिखने, मुद्रांक कागज बनाने तथा चित्रकारी के कागज बनाने के काम में होता है।

चर्म उद्योग:—यद्यपि देश में चमड़े के बड़े-बड़े कारखाने खुल गये हैं तथापि चमड़ा कमाने का उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में आज भी विद्यमान है। मध्यप्रदेश में चमड़ा कमाने के लिए मुख्यतः बबूल के पेड़ की छाल जैसी वस्तुओं का उपयोग होता है। चमड़ा कमाने की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में इसके विकास में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इनके अतिरिक्त बाजार की समस्या भी उपस्थित होती है। वर्तमान समय में समस्त उत्पादन के कुछ अंश का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है तथा शेष गांवों अथवा शहरों में विक्रय कर दिया जाता है। पर शहर में ग्रामीण लोगों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता इसलिए इस उद्योग में उत्पादित चमड़े का विक्रय सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है।

इन्हीं सब कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए रीवां में एक सहकारी चर्म उद्योग एवं चर्मशोधन संस्था प्रारम्भ की गई है। इस संस्था का उद्देश्य चर्मकारों को चर्म उद्योग एवं चर्मशोधन की शिक्षा देना एवं उनका मार्गदर्शन करना है। आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित यह संस्था चर्मकारों को आधुनिक प्रणाली द्वारा उद्योग चलाने की शिक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार की एक संस्था सामुदायिक योजना के अन्तर्गत नागोद में खोली गई है।

बीड़ी उद्योग:—मध्यप्रदेश की जलवायु बीड़ी बनाने के काम में आनेवाले तेन्दू के पत्तों के लिए उपयुक्त है तथा अत्यधिक मात्रा में तेन्दू के पत्तों की उपलब्धि ही इस प्रदेश में बीड़ी उद्योग के विकास का प्रमुख कारण है। राज्य में इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र जबलपुर, कटनी, सागर, बिलासपुर, रीवां तथा दतिया जिलों में हैं। आजकल यह उद्योग ग्रामीण कृषकों का ध्यान अपनी ओर अधिकाधिक आकर्षित कर रहा है।

लाख उद्योग:—भारत को लाख के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है तथा लाख उत्पादन में समस्त लाख उत्पादक क्षेत्रों में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। लाख का उपयोग विद्युत् वस्तुओं, ग्रामोफोन के रेकार्ड एवं वार्निश इत्यादि बनाने के काम में होता है। इसके अतिरिक्त चूड़ियां तथा खिलौने बनाने के काम में भी लाख प्रयुक्त होता है। इस क्षेत्र में इस उद्योग के विकास के लिए काफी सम्भावनाएँ हैं।

तेल निकालने का उद्योग:—मध्यप्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में तिलहन की पैदावार होने के कारण यहां तेल निकालने का उद्योग बड़े प्रमाण पर चलाया जाता है। आजकल तेल निकालनेवाली मशीनों के अविर्भाव से घानी के तेल के उद्योग का विकास रुक गया है परन्तु अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि मिल द्वारा तेल निकालने पर उसके अनेक जीवन तत्वों का विनाश होता है। अतः यह स्पष्ट है कि घानी द्वारा निकाला गया तेल उत्तम एवं जीवन-तत्वों से परिपूर्ण होता है। इस कारण इस उद्योग के उन्नत होने की अनेक संभावनाएँ हैं।

धान कुटाई:—छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चावल का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है तथा धान की पैदावार के साथ ही इसकी कुटाई एक आवश्यक क्रिया है। जो कार्य पहले कुटीर उद्योगों के आधार पर होता था वही अब मशीनों द्वारा हो रहा है। लेकिन अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग संघ द्वारा किये गये प्रयोगों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि धान के मिलों द्वारा कूटे जाने पर उसमें निहित एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अनेक जीवन तत्वों का विनाश होता है। राज्य के चावल उत्पादक क्षेत्रों में इस उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावना है।

बांस उद्योग:—मध्यप्रदेश के जंगलों में बांस प्रचुरता से पाया जाता है। बांस से विभिन्न प्रकार की घरेलू उपयोगी वस्तुएँ जैसे टोकरियां, चटाइयां इत्यादि बनाई जाती हैं। बांस का उपयोग घरों के छप्पर बनाने में भी किया जाता है। आजकल बांस से आधुनिक प्रकार की कुर्सियां, मेज, अलमारियां इत्यादि भी बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बांस से बच्चों के खिलौने भी बनाये जाते हैं। इस दृष्टि से इस उद्योग के विकास की बहुत सम्भावनाएँ हैं।

ढलाई उद्योग:—इस प्रदेश में ढलाई उद्योग विशेषतः इन्दौर, भोपाल, जबलपुर रायपुर, उज्जैन आदि नगरों में पाया जाता है। इस उद्योग की भट्टियों में लोहे के अतिरिक्त एल्युमिनियम और गन मेटिल की भी ढलाई का काम किया जाता है।

होजियरी उद्योग:—यद्यपि यह उद्योग मध्यप्रदेश का एक नवीन उद्योग है फिर भी इस उद्योग ने काफी मात्रा में उन्नति की है। यह लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योग के ही रूपों में चलाया जाता है।

साइकिल के पुर्जे बनाने का उद्योग:—इस उद्योग की उन्नति भी सराहनीय है एवं दक्षिण भारत में इसके माल की बहुत मांग है। इस उद्योग द्वारा चेन कव्हर, स्टेन्ड, केरियर आदि बनाये जाते हैं। कई कारखाने बेबी चेअर्स और तीन पहिये की साइकिलें भी बनाते हैं।

साबुन उद्योग:—यह उद्योग मुख्यतः कुटीर उद्योग के रूप में ही चलाया जाता है। कपड़े धोने का साबुन प्रचुर मात्रा में तैयार किया जाता है। इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल कास्टिक सोडा एवं तेल हैं। अ० भा० खादी व ग्रामउद्योग आयोग साबुन बनाने के लिए ऐसे तेलों के उपयोग को प्रोत्साहन देरहा है जोकि खाने के काम में न लाये जाते हों। इस योजना से खाने के तेल की बचत होगी तथा अन्य पदार्थों का उपयोग बढ़ेगा।

घड़ी उद्योग:—घड़ी उद्योग राज्य में अपने ढंग का एक ही उद्योग है। इन्दौर नगर में केवल एक ही कारखाना है जोकि घड़ी निर्माण के कार्य में कई वर्षो से लगा हुआ है। परन्तु यह उद्योग आर्थिक सहायता की कमी के कारण उचित उन्नति नहीं कर सका। राज्य का उद्योग तथा व्यापार विभाग इस उद्योग को उन्नतिशील बनाने का सम्पूर्ण प्रयत्न कर रहा है।

अन्य उद्योग:—ऊपर लिखे गये इन मुख्य उद्योगों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन के साथ समरसता प्राप्त करली है। लोहे तथा बढ़ईगीरी के उद्योग भी ग्रामीण जीवन के अभिन्न अंग हैं। गांव के लोहार एवं बढ़ई गांव की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त तांबे एवं पीतल के बरतन इत्यादि बनाने के उद्योग भी महत्वपूर्ण हैं।

छत्तीसगढ़ का कोसा उद्योग सर्वप्रसिद्ध है, शिवपुर और रीवां के खिलौने भेड़ाघाट के सगमरमर के खिलौने, ग्वालियर के कागज के खिलौने, इन्दौर के चमड़े के खिलौने इत्यादि भी इस उद्योग के कुछ उदाहरण हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में कुटीर उद्योग और लघुप्रमाप उद्योग बड़ी मात्रा में प्रदेश के श्रमिकों को कार्य-सुविधा प्रदान करने में समर्थ हैं। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो चुका है तथा घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए समुचित कदम उठाये जा रहे हैं। इस हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त किये जाने की योजना है, जो राज्य के प्रत्येक जिले में लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना, सगठन व विकास की देखरेख करेगा।

निम्नलिखित लघुउद्योग सम्बन्धी योजनाएँ शासन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित करने के हेतु स्वीकृत की हैं:—

(१) मॉडेल वुड वर्किंग वर्कशॉप, जबलपुर
(२) पॉटरी सेन्टर, जबलपुर
(३) वर्कशाप एन्ड फाउन्ड्री, रायपुर
(४) अम्ब्रेला रिब्स, महू
(५) कटलरी ट्रेनिंग सेन्टर, रामपुरा, मगरोनी
(६) प्रेन्ड मेटल इंडस्ट्री, विदिशा
(७) सायकल पार्ट्स फैक्ट्री, गुना
(८) इलेक्ट्रिक फैन्स एण्ड फ्रेक्सनल मोटर, देवास
(९) वुड-वर्किंग इंस्टिटयूट, इन्दौर
(१०) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेन्टर, जावरा
(११) कार्पेन्ट्री सेन्टर, राजगढ़
(१२) ब्रश-मेकिंग सेन्टर, ग्वालियर
(१३) मॉडेल वुड-वर्किंग ट्रेनिंग सेन्टर, धार
(१४) मॉडेल ब्लेकस्मिथी, शिवपुरी
(१५) मॉडेल ब्लेकस्मिथी, सीहोर
(१६) मॉडेल फुट-वेअर यूनिट, भोपाल
(१७) ट्रेनिंग फॉर ग्लास बीड्स, भोपाल

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योगों का अपना विशिष्ट स्थान है तथा विकास के इस काल में उनका भविष्य उज्ज्वल है। इन उद्योगों के विकास के प्रति राज्य सरकार की रुचि देखते हुए एवं राज्य की औद्योगिक सम्पदा एवं स्रोतों को परिलक्षित कर यह आशा बँधती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-वधि में इन उद्योगों का आशाजनक विकास होगा तथा अनेक ग्रामों में लघुप्रमाप एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना संभव हो सकेगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार उत्पादन का विकेन्द्रीकरण संभव होकर वह राज्य की सामान्य जनता के आर्थिक उन्नयन हेतु अपरिमित योगदान देगा तथा उत्पादन में वृद्धि कर राज्य को अधिकाधिक सुखी बनाने में सहायक होगा।

श्रम-कल्याण

श्रम राष्ट्र की औद्योगिक समृद्धि की आधार-शिला है जिसके सहकार्य पर ही औद्योगिक समृद्धि की दृढ़ आधार-शिला का निर्माण किया जा सकता है एवं औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। श्रम का ही आधार उद्यो ों को गति दे सकता है। यही कारण है कि आर्थिक संयोजन में श्रम-कल्याण-विषयक विकास-योजनाओं को विशेष महत्व दिया जाता है तथा उद्योग-धंधों के समुचित विकास के लिये उत्पादन के अन्य विविध साधनों के समान ही श्रम की महत्ता को भी विशिष्ट मान्यता प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान भी देश के नागरिकों को यह आश्वासन देता है कि राज्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिनियम निर्माण कर विशिष्ट आर्थिक संगठनों द्वारा अथवा अन्य किन्ही उपायों द्वारा औद्योगिक व कृषिसंबंधी सभी श्रमिकों को समुचित रोजगार, जीवन-यापन योग्य भृति, कार्य करने के लिए उचित वातावरण व साधन, उत्तम जीवनस्तर, मनोरंजन के साधन तथा सामाजिक एवं नैतिक विकास हेतु आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न करेगा ताकि हमारे राष्ट्र के औद्योगिक विकास की मूल धुरी—श्रम—को क्रमशः विकास की ओर लाया जा सके।

भारतीय गणतंत्र के संविधान की जनकल्याण-विषयक मौलिक धाराओं को दृष्टि में रखते हुए ही आज विविध राज्यों में अनेक नवीन श्रम-कल्याणकारी योजनाओं को जन्म दिया जा रहा है तथा केंद्र द्वारा नियोजित विविध लोक-कल्याणकारी योजनाओं को कार्य-रूप में व्यवहृत करके श्रमिक-जीवन के उत्थान का प्रयत्न किया जा रहा है।

"श्रम-कल्याण" एक व्यापक शब्द है जिसमें एक ओर जहाँ श्रमिकों की रोजी-रोटी की समस्या हल करने तथा उनके ऊपर वृहत् प्रमाप औद्योगिक व्यवस्था के कारण होनेवाले प्रतिकूल प्रभावों को प्रतिबन्धित करना है तो दूसरी ओर श्रमिक और उसके आश्रितों को एक सुखी एवं समृद्धिशाली जीवन प्रदान करना है। मध्यप्रदेश में श्रम-कल्याण के उपर्युक्त दोनों पक्षों को दृष्टिगत करते हुए श्रम-कल्याण योजनाये बनाई गई हैं तथा केन्द्रीय शासन द्वारा इस दिशा में उठाये गये कदमों का अनुकरण भी राज्य में संतोषजनक रूप से तीव्रगति से किया गया है। "श्रम-कल्याण" संबंधी उपर्युक्त मान्यता के संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि "श्रम-कल्याण" का क्षेत्र केवल निर्माणी क्षेत्र तक ही सीमित न होकर निर्माणियों के बाहर भी है। यही कारण है कि श्रमिकों के सर्वतोमुखी विकास के लिए श्रम-कल्याण संबंधी विविध कार्यकलापों को (अ) निर्माणी की क्षेत्र-सीमा में तथा (ब) निर्माणी के बाहर दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनपर कि राज्य शासन एवं निर्माणी प्रबंधकों दोनों पक्षों को ध्यान देना आवश्यक है।

निम्नलिखित पंक्तियों में भारतीय निर्माणी विधान, १९४८ के कतिपय विशिष्ट प्रावधानों को दिया गया है जिनसे कि श्रमिकों को कुछ सुविधायें प्राप्त हो सकी हैं:—

(अ) निर्माणी क्षेत्र की सीमा में आयोजित श्रम-कल्याण-कार्य

निर्माणी क्षेत्र की सीमा के अन्दर आयोजित श्रम-कल्याणकारी कार्यों के संगठन एवं संचालन का दायित्व प्रमुखतः निर्माणी स्वामियों व प्रबंधकों पर रहता है जिनका निरीक्षण-कार्य सामान्यतः राज्य शासन के मुख्य निर्माणी निरीक्षक द्वारा किया जाता है। निर्माणी अधिनियम, १९४८ द्वारा श्रमिकों को निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं:—

(१) निर्माणी कार्यशाला की स्वच्छता का प्रबंध जिसमें हवा, उचित तापक्रम, आर्द्रता और प्रकाश की व्यवस्था; धूल, धुआं एवं विषैली वायुओं से सुरक्षा; उचित काम के घंटे; अवकाश; भोजन के समय आदि की व्यवस्था तथा खतरनाक यंत्रों और आग से श्रमिकों की सुरक्षा का प्रबंध शामिल है।

(२) निर्माणी की स्वच्छता जिसमें शौचालय, स्नानागार, थूकदान एवं कचरादान आदि की व्यवस्था की जाती है।

(३) पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था।

(४) जलपान-गृह की व्यवस्था।

(५) विश्राम-कक्षों की व्यवस्था।

(६) श्रमिकों की चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध व आरोग्य-संबंधी प्रावधान।

(७) स्त्रियों एवं शिशुओं के लिए प्रसूति-गृह व शिशुपालन-गृह आदि की व्यवस्था करना।

(८) श्रम-कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करना।

श्रमिकों को उपर्युक्त सुविधायें प्रदान करने के लिए निर्माणियों के विभिन्न आकारों के अनुसार विभिन्न प्रमाप निर्धारित किये गये हैं तथा नवगठित मध्यप्रदेश की प्रायः समस्त बड़ी-बड़ी निर्माणियों को उक्त समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है।

राज्य के मुख्य निर्माणी निरीक्षक का कार्य इन निर्माणियों का निरीक्षण करना और यह देखना है कि निर्माणी विधान का प्रबंधकों द्वारा पूरा-पूरा पालन किया जाता है या नहीं।

(ब) निर्माणी के बाहर आयोजित श्रम-कल्याण-कार्य

इस श्रेणी में वे श्रम-कल्याण-कार्य आते हैं जोकि निर्माणी प्रबंधकों द्वारा निर्माणी कार्यक्षेत्र के बाहर आयोजित किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार इनमें राज्य शासन का भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। ये कार्य निम्नलिखित हैं:—

(१) श्रमिकों के शारीरिक-मानसिक विकास हेतु श्रम-कल्याण-कार्य जिनमें श्रमिकों को खेल-कूद, व्यायामशाला, मनोरंजन व चिकित्सा आदि की सुविधायें दी जाती हैं।

(२) शैक्षणिक सुविधायें जिनमें वाचनालय, पुस्तकालय, प्रौढ़-शिक्षा तथा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा आदि देने की व्यवस्था शामिल है।

(३) श्रमिकों की प्रशिक्षण व्यवस्था।

(४) सहकारी साख, गृह-निर्माण व भविष्य-निधि समितियों की व्यवस्था।

(५) निर्माणी यातायात व्यवस्था।

(६) औद्योगिक गृह-निर्माण-कार्य।

निम्न पंक्तियों में निर्माणी अधिनियम, १९४८ के स्वास्थ्य व श्रमिक-कल्याण संबंधी विशिष्ट प्रावधानों को दिया जा रहा है। निर्माणियों के लिए स्वास्थ्य-संबंधी प्रावधान निम्न प्रकार हैः—

१. सफाई—प्रत्येक निर्माणी का स्वच्छ व दुर्गन्धरहित होना आवश्यक है। निर्माणी में एकत्रित होनेवाली धूल या कचरे को प्रतिदिन हटाया जाना चाहिए तथा निर्माणी के उपस्कर व चलने-फिरने के मार्ग पर समुचित स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक निर्माणी का फर्श कम-से-कम सप्ताह में एक वार विशिष्ट व कीटाणुनाशक द्रव्यों से धोया जाना या पोछा जाना चाहिए। निर्माणी के कार्यकाल में जहाँ फर्श गीला हो जाता है वहाँ नमी सोखने का व गन्दे पानी के प्रवाह का भी समुचित प्रबंध होना चाहिए।

निर्माणी की आन्तरिक दीवारों पर अथवा निर्माणी की छतों व कमरों की छतों पर यदि वार्निश अथवा पेण्ट होता हो तो वहाँ पाँच वर्षों में एक वार दीवारों व छतों पर पुनः वार्निश अथवा पेण्ट किया जाना चाहिए तथा इन स्थानों को १४ माहों की अवधि में कम-से-कम एक वार साफ किया जाना चाहिए। किन्तु यदि निर्माणी की छतों व दीवालों को चूने से पोता जाता हो या रंग से पोता जाता हो तो १४ माह की अवधि में कम-से-कम एक वार इन पर चूने अथवा रंग से पुताई की जानी चाहिए। निर्माणी से निकलनेवाले कूड़े व उत्पादन-प्रणाली में बचे अवशेष पदार्थों को फिकवाने या नष्ट करने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

२. स्वच्छ वायु एवं तापक्रम नियंत्रण—प्रत्येक निर्माणी में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिसके कारण निर्माणी में शुद्ध वायु का निर्वाध प्रवाह उपलब्ध रह सके। साथ ही निर्माणी-कक्षों के तापक्रम को भी उस सीमा तक नियंत्रित करके रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। निर्माणी-कक्षों की दीवारों व छतों को इस प्रकार के पदार्थों से बनाया जाना चाहिए तथा उनकी बनावट इस भाँति होनी चाहिए कि जिससे निर्माणी-कक्षों का तापक्रम सामान्य से अधिक न होने पाये। यदि किसी निर्माणी में विशेष प्रकार का कार्य होता हो जिससे कि तापक्रम में असाधारण रूप से तापक्रम-वृद्धि की संभावना हो तो ऐसी दशा में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस तापक्रम से श्रमिकों को हानि न पहुँच सके। साथ ही इस प्रकार की क्रियाओं में काम आनेवाले औजारों आदि पर भी ताप-निरोधक आवरण होना चाहिए ताकि श्रमिकों को तापक्रम से हानि न पहुँच सके। इस संबंध में राज्य शासन को अधिकार है कि वह विशेष प्रावधान निर्धारित कर सके।

३. गर्द व धुआँ—प्रत्येक निर्माणी में उत्पादन-क्रिया के समय उड़नेवाली गर्द अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निकलनेवाले धुएँ आदि के निर्गमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। साथ ही किसी

भी निर्माणी के आन्तरिक भागों में एंजिन नहीं चलाया जाना चाहिए जब तक कि उसके धुएँ के निर्गमन की समुचित व्यवस्था न कर दी गई हो।

४. कृत्रिम नमी—अनेक निर्माणियों में कृत्रिम उपायों द्वारा निर्माणी की नमी बढ़ाई जाती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे कृत्रिम नमी निर्माण करनेवाले साधनों के व्यवहार-संबंधी नियम बना सकें, नमी की मात्रा का परिमाण नियत कर सकें तथा ऐसे स्थानों को ठण्डा रखने तथा समुचित शुद्ध वायु के प्रवाह को नियमित रख सकनेवाले उपायों को निर्दिष्ट कर सकें। साथ ही नमी उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त पानी शुद्ध व पीने योग्य होना चाहिए।

५. भीड़-भाड़ न हो—श्रमिकों को शुद्ध वायु प्राप्त हो सके इस हेतु प्रावधान रखा गया है कि इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व की प्रत्येक निर्माणी में ३५० घनफुट स्थान प्रति श्रमिक पीछे रखा जाय ताकि निर्माणी में भीड़-भाड़ न हो सके। अधिनियम पारित होने के बाद की निर्माणियों में यही सीमा ५०० घनफुट रखी गई है।

६. प्रकाश, जल, शौचालयों व मूत्रालयों की समुचित व्यवस्था—अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक निर्माणी में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा पीने के जल की व्यवस्था समुचित ढंग से होनी चाहिए। बड़ी-बड़ी निर्माणियों में पानी ठण्डा करने की मशीनों को रखा जाना चाहिए तथा जल-वितरण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। शौचालयों व मूत्रालयों के निर्माण में पुरुषों व स्त्री श्रमिकों के पृथक्-पृथक् शौचालय व मूत्रालय होना आवश्यक है तथा वहाँ स्वच्छता व सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। शौचालय व मूत्रालय भी शासन द्वारा निर्दिष्ट ढंग से बनाये जाना चाहिए।

उपर्युक्त स्वास्थ्य-संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम के अध्याय ५, धारा ४२ से ५० तक विविध कल्याण-कार्यों का उल्लेख किया गया है जिनके अनुसार प्रत्येक निर्माणी में श्रमिकों के लिए हाथ-पाँव धोने, गीले कपड़े सुखाने व अवकाश के समय बैठने की व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान भी रखे गये हैं। साथ ही प्राथमिक उपचार संबंधी उपकरणों को निर्माणी में रखने संबंधी प्रावधान रखे गये हैं ताकि किसी अप्रत्याशित दुर्घटना के समय सहायता पहुँचाई जा सके। साथ ही श्रमिकों के लिए जलपान-गृह, भोजन-गृह तथा आराम-गृह बनवाने संबंधी प्रावधान भी हैं जहाँ कि श्रमिक अवकाश के क्षण सरलता से काट सकें। जहाँ ५० स्त्री श्रमिक या अधिक कार्य करती हैं वहाँ बच्चों के लिए पृथक् पालना-गृह (Creches) बनवाये जाने चाहिए। इनके अतिरिक्त शासन ने श्रमिकों के कल्याणार्थ ऐसी निर्माणियों में जहाँ कि ५०० श्रमिक या अधिक कार्य करते हों, शासन के नियमों के अनुरूप श्रम-कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया है जोकि श्रमिकों के हितों का संरक्षण कर सकें।

निर्माणी प्रबंधकों एवं स्वत्वाधिकारियों के दृष्टिकोण में अब परिवर्तन हो रहा है। वे अब स्वेच्छा से श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान देनेवाले कार्यों को करने लगे हैं।

मध्यप्रदेश की सीमाओं में आनेवाली निर्माणियों व खदानों में अब श्रम-कल्याण हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, निर्माणी अधिनियम, १९४८, कोयला खदान

भविष्यनिधि एवं अधिलाभांश अधिनियम, १९४२, न्यूनतम भृति अधिनियम, १९४८ तथा कर्मचारी राज्य-बीमा योजना अधिनियमों का पालन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश की श्रम-कल्याण योजनाओं का अध्ययन उसकी श्रमिक शक्ति के प्रकारों के आधार पर किया जा सकता है जिन्हें कि निम्न तीन श्रेणियों में सरलतापूर्वक विभाजित किया जा सकता है:—

१. औद्योगिक श्रमिक।
२. खनि-श्रमिक।
३. कृषि-श्रमिक।

औद्योगिक श्रमिक

नवगठित मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल राज्य होने के कारण उसके विभिन्न भागों की समस्यायें एक समान नहीं हैं। यही कारण है कि राज्य के उद्योग-धंधे भी विभिन्न आर्थिक व औद्योगिक साधनों के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। निम्न तालिका में मध्यप्रदेश की विविध क्षेत्रों मे कार्य करनेवाली निर्माणियों व उनकी श्रमशक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है जिससे राज्य के विभिन्न भागों में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या ज्ञात होती है:—

तालिका क्रमांक १२६
निर्माणियों व श्रमिकों की संख्या
(१९५४)

घटक	वर्ष	निर्माणियों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
१	२	३	४
महाकोशल	१९५४	८०१	४७,२६६
पूर्व मध्यभारत	१९५४	८१४	९५,१४२
पूर्व विंध्यप्रदेश	१९५४	५५	४,७९०
पूर्व भोपाल	१९५४	४६	६,०६१
मध्यप्रदेश का योग ..		१,७१६	१,५३,२५९

टिप्पणी:—निर्माणियों की संख्या व श्रमिकों की संख्या उन्हीं पंजीकृत निर्माणियों की है जो अपने प्रतिवेदन भेजती हैं

सूचना स्रोत:—श्रम उपायुक्त, मध्यप्रदेश

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपलब्ध समंकों के अनुसार महाकोशल, भूतपूर्व मध्यभारत, विंध्यप्रदेश व भोपाल क्षेत्रों में वर्ष १९५४ में नियमित रूप से अपने कार्य-संबंधी प्रतिवेदन भेजनेवाली निर्माणियों की संख्या क्रमशः ८०१; ८१४; ५५ व ४८ थी जबकि इसी अवधि में वहाँ क्रमशः ४७,२६६; ९५,१४२; ४,७९० तथा ६,०६१ श्रमिक कार्य कर रहे थे।

औद्योगिक दृष्टि से उत्तरी एवं पश्चिमी मध्यप्रदेश, जिसमें पूर्व मध्यभारत के अधिकांश नगर आते हैं, राज्य के शेष भागों से अधिक सम्पन्न हैं। यही कारण है कि

राज्य की सर्वाधिक मजदूर जनसंख्या इन्दौर व ग्वालियर संभागों में हैं जहाँ कि बढ़ती हुई औद्योगिक क्षमता के कारण सूती कपड़ा, सीमेंट, कांच, धातु, शक्कर, बिस्कुट, पॉटरीज व रासायनिक उद्योग दिन-प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नवगठित मध्यप्रदेश के १,५३,२५९ औद्योगिक श्रमिकों के कल्याणार्थ द्वितीय योजना में अनेक योजनायें बनाई हैं। शासन ने श्रमिककल्याण व केन्द्रीय सरकार की सामाजिक सुरक्षा (Social Security) योजना के अन्तर्गत जबलपुर, बुरहानपुर व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू की है। पूर्व मध्यभारत के क्षेत्रों में जनवरी १९५५ से राज्य कर्मचारी बीमा योजना व्यवहृत की गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप सर्वप्रथम इन्दौर, ग्वालियर, रतलाम व उज्जैन के हजारों औद्योगिक श्रमिकों को लाभ पहुँच सका है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारंभ में इन्दौर व ग्वालियर के श्रमिक क्षेत्रों में रुग्णोपचार हेतु औषधालय स्थापित किये गये हैं।

पूर्व विन्ध्यप्रदेश व भोपाल में भी औद्योगिक अधिनियमों को व्यवहृत किया गया है। औद्योगिक श्रमिक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत ग्वालियर, इन्दौर, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर, चम्बल बांध, शिवपुरी, देवास, जावरा, महीदपुर, नागदा, सनावद आदि केन्द्रों में मजदूर बस्तियों में श्रमिक कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहाँ कि श्रमिकों के शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक मनोरंजन व आरोग्य संबंधी योजनायें व्यवहृत की जाती हैं। ये श्रमिक कल्याण केन्द्र मजदूरों के सामूहिक जीवन विकास में सहायक हैं तथा उन्हें प्रतिदिन जागृति की ओर ले जारहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विविध श्रमिक कल्याण केन्द्रों में श्रमिकों के अभ्युत्थान के लिए प्रौढ़-शिक्षा व अवकाश के क्षणों में आर्थिक हित की दृष्टि से दस्तकारियाँ आदि सिखाने जैसे कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि मजदूरों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। स्त्री श्रमिकों के लिए राज्य के लगभग समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) संबंधी व्यवस्थायें लागू की गई हैं। स्त्री श्रमिकों की सुविधा हेतु सभी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जहाँ स्त्रियों को अपने बच्चों को कार्यस्थल से दूर रखना पड़ता है, शिशुगृहों का निर्माण किया गया है तथा सेवायोजकों द्वारा नियुक्त परिचारिकायें उन बच्चों की देखभाल करती हैं।

खनिक श्रमिक

मध्यप्रदेश खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से भारत के समृद्धिशील भण्डारों में से एक है। यहाँ कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, संगमरमर तथा हीरा आदि बहुमूल्य खनिजों का खनन कार्य होता है जिससे कई सौ श्रमिकों की जीविका चलती है।

राज्य में लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट व हीरा की समृद्ध खदानें हैं। वर्ष १९५१ में कोयला, मैंगनीज, चूने के पत्थर व हीरा की खदानों की श्रमिक संख्या क्रमशः ३४,३८०; १९,६३६; ६,१२१ व १,९३४ थी। वही संख्या १९५२ में बढ़कर क्रमशः ३४,८३३; २९,३८०; ६,३३४ व १,५५२ तथा सन् १९५३ में क्रमशः ३५,८५६, ४२,२२२, ६,०६३ व २,१६९ हो गई। सन् १९५४ में कोयलों की खानों में ३७,०१६ श्रमिक कार्य कर रहे थे। अब खनिक श्रमिकों को क्रमशः अधिक

सुविधायें प्रदान की जा रही हैं जिनमें कि उनके लिए वनाये जानेवाले मकानों की सुविधायें, आरोग्य, स्वास्थ्य सुविधायें व क्षतिपूर्ति सम्वन्धी प्रावधान प्रमुख हैं। अनेक खदान क्षेत्रों मे मजदूरों को सक्षम वनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है व उनके वच्चों की पढ़ाई-लिखाई हेतु भी प्रावधान किया गया है।

कृषि श्रमिक

सन् १९५१ की जनगणनानुसार सम्पूर्ण राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या ३९ लाख से अधिक है जिनमें से अधिकांश व्यक्ति या तो गांवों में ही आंशिक रूप से कोई कृषि-कार्य करके अपने जीवन-निर्वाह का प्रयत्न करते हैं अथवा फिर उन्हें अपनी आजीविका हेतु नगरों को ओर उन्मुख होना पड़ता है। राज्य में कृषि श्रमिकों की ओर क्रमशः ध्यान दिया जाने लगा है तथा रायपुर जिले के एक भाग व सीधी जिले के कृषि श्रमिकों का शोषण रोकने हेतु न्यूनतम भृति-दरें लागू कर दी गई हैं ताकि श्रमिकों को अपने जीवन-निर्वाह के लिए समुचित भृति प्राप्त हो सके। जमींदारी व मालगुजारी प्रथा के उन्मूलन ने ग्रामों में वेगार प्रथा की भी समाप्ति कर दी है तथा अव क्रमशः किसानों मे संगठन व सामूहिक विकास के प्रयत्न दृष्टिगत हो रहे हैं। कृषि श्रमिकों को वर्ष के अधिकाधिक समय में कार्य दे सकने की दृष्टि से अव ग्रामीण क्षेत्रों मे कुटीर उद्योगों व लघुप्रमाप उद्योगों का विकास किया जा रहा है ताकि ऐसे ग्रामवासियों को कार्य में लगाया जा सके जिनके पास आजीविका हेतु जमीन नहीं है अथवा वहुत कम है या वे वर्ष के कुछ माहों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वेकार रहते हैं।

राज्य में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की जटिल समस्या के समाधान की दिशा में आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से भी एक विशिष्ट वल प्राप्त हो सका है जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में लगभग १,६३,३०० एकड़ भूमि एकत्रित की जा सकी है जिसमें से अक्टूबर १९५६ के अन्त तक महाकोशल, पूर्व मध्यभारत व भोपाल तथा विन्ध्यप्रदेश से क्रमशः ९०,५१९, ६१,९४६ व १०,८६७ एकड़ भूमि एकत्रित की गई थी। समस्त उपलव्ध भूमि में से लगभग २७,००० एकड़ भूमि का वँटवारा राज्य के भूमिहीन श्रमिकों में कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग ७,००० से भी अधिक भूमिहीन कृषक परिवारों को लाभ पहुँच सका है। कृषि श्रमिकों को समस्याओं के निदान हेतु आरभ किये गये भू-दान आन्दोलन को सफल वनाने के लिए राज्य शासन द्वारा भू-दान अधिनियम पारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक जिलों में कृषि-कार्य हेतु श्रमिकों की दैनिक भृति नियत कर दी गई है जिससे जमींदारों, मालगुजारों व अन्य वड़े-वड़े भू-स्वामियों द्वारा होनेवाला भूमि-हीन श्रमिकों का शोषण रोका जा सका है।

औद्योगिक गृह-निर्माण

राज्य शासन द्वारा श्रमिकों की आवास-समस्या पर भी रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया गया है तथा इस समस्या को हल करने व लघुवेतन औद्योगिक व गैर-औद्योगिक कर्मचारियों तथा श्रमिकों की आवास-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु उद्योगपतियों व सेवायोजकों को औद्योगिक गृह-निर्माण सम्वन्धी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं। राज्य शासन द्वारा औद्योगिक गृह-निर्माण की दिशा मे ली जानेवाली रुचि का ही परिणाम है कि आज जवलपुर, रायपुर, कटनी, दुर्ग, सीहोर, इन्दौर, रतलाम,

व उज्जन में शासन व उद्योगपतियों के सहयोग से लघुवेतन कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए निवासगृह निर्मित किये गये हैं व अनेक लघुवेतन कर्मचारियों को सहकारिता के आधार पर गृह-निर्माण की सुविधायें प्रदान करने के प्रयत्न किये गये हैं। कतिपय क्षेत्रों में गृहनिर्माण सहकारी समितियाँ शासन व जनता के सहयोग से गठित की गई हैं जहाँ से गृह-निर्माणार्थ सामान्य व्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हो जाता है। इस व्यवस्था से मध्यप्रदेश के अनेक औद्योगिक केन्द्रों में आवास की समस्या के समाधान की दिशा में नवीन मार्ग खुल सके हैं। इन्दौर, भोपाल व जबलपुर में सहकारी गृह-निर्माण समितियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है व उनसे लघुवेतनभोगी कर्मचारियों व श्रमिकों को लाभ पहुँचने लगा है।

राज्य-साहाय्य गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत परफेक्ट पॉटरीज कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा श्रमिकों एवं निम्नवेतनभोगी कर्मचारियों के लिए १०० निवासगृह बनाये गये हैं जोकि सामान्य किराये पर निर्माणी कर्मचारियों को दिये गये हैं। इसी प्रकार बंगाल-नागपुर कॉटन मील, राजनांदगांव के कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए भी निवासगृह बनाये गये हैं। नेपानगर व भिलाई आदि क्षेत्रों में भी राज्य-साहाय्य गृह-निर्माण योजनायें कार्यान्वित की गई हैं। पूर्व मध्यभारत में वर्ष १९५२-५४ की अवधि में कुल ३,४४४ निवासगृह विविध औद्योगिक केन्द्रों में बनाये गये हैं जिनमें से वर्ष १९५२ में १,८५२ व १९५३-५४ में १,५९२ निवास-स्थान बनाये गये, जिनका वितरण निम्न प्रकार से है:—

तालिका क्रमांक १२७
औद्योगिक नगरों में निर्मित निवासगृह

इन्दौर	..	..	..	१,६४०
ग्वालियर	..	..	..	७००
उज्जैन	..	..	..	५५०
रतलाम	..	..	..	३००
देवास	..	..	..	११४
मन्दसौर	..	..	..	१४०
योग	..	..	..	३,४४४

सूचना स्रोत:—इंडियन लेबर ईयर बुक, १९५३-५४

भोपाल व सीहोर में वर्ष १९५४-५५ में ७,७५,००० रुपये की लागत पर २५० एकल कमरों का निर्माण किया गया है। सीहोर में इस समय २,७०,००० रुपये की लागत से १५० नवीन निवासगृहों के निर्माण की योजना चल रही है। राज्य शासन द्वारा भोपालस्थित स्ट्राँ प्रॉडक्ट लिमिटेड, भोपाल के श्रमिकों की आवास-समस्या हल करने के ध्येय से प्रमण्डल को ४८,६०० रुपये राज्य-सहायता व ७२,९८० रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिये गये हैं।

औद्योगिक विवाद

औद्योगिक विवादों की दृष्टि से मध्यप्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। शासन द्वारा श्रमिकवर्ग के अधिकारों की रक्षा-सम्बन्धी नीति के परिणामस्वरूप ही मध्यप्रदेश में क्रमश: औद्योगिक शान्ति का निर्माण होता जा रहा है।

श्रम-कल्याण की दिशा में श्रमिकों को विविध औद्योगिक विवादों में न्याय मिल सके इस हेतु राज्य में महाकोशल व पूर्व मध्यभारत क्षेत्र में एक-एक औद्योगिक न्यायालय है जिनमें एक ही न्यायाधीश हैं। साथ ही राज्य के श्रमआयुक्त पर यह दायित्व रखा गया है कि वह विविध उद्योगों में कार्य करनेवाले श्रमिकों एवं निम्न-वेतनभोगी कर्मचारियों के हितों को देखें व औद्योगिक विवादों या सेवायोजकों व सेवायुक्तों के मध्य उठनेवाले किसी भी विवाद में उचित न्याय दिलावें। इस सम्बन्ध में जबलपुर व रायपुर जिलों के सहायक श्रम-आयुक्तों को भी श्रमिक-विवादों को सुनने सम्बन्धी विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं।

राज्य में क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष १९५४ में कुल १८१ क्षतिपूर्ति के प्रकरण निपटाये गये थे तथा १९५५ में १४७ प्रकरण निपटाये गये थे जिनमें कि क्रमशः ८२,७७१ रुपये १५ आने तथा ६१,६३४ रुपये ७ आने क्षतिपूर्ति के रूप में दिलावाये गये। वर्ष १९५४ तथा १९५५ में श्रमिक न्यायालयों द्वारा निपटाये गये औद्योगिक विवादों की संख्या क्रमशः २२० व २५० थी।

कुछ औद्योगिक संस्थानों में शासन की प्रेरणा से उद्योगपतियों व श्रमिकों के सहकार्य से ऐसी समितियाँ भी गठित की गई हैं जोकि श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों की शिकायतों को सुन सकें व उनका समुचित निदान कर सकें। सेवायोजकों व सेवायुक्तों के परस्पर सहयोग से कर्मचारियों के विवादों को हल करने का उपर्युक्त प्रकार एक अभिनव प्रयोग है तथा आशा है राज्य में औद्योगिक शान्ति व सेवायोजकों तथा सेवायुक्तों में परस्पर सद्भावना रखने की दृष्टि से राज्य के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के प्रयत्न सफलीभूत हो सकेंगे।

श्रम-संगठन

किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक समृद्धि व श्रमिक शान्ति में श्रम-संगठनों का अपना विशिष्ट महत्व रहता है। श्रम-संगठनों पर श्रमिकों के हितों का संरक्षण, श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक समृद्धि व उनके विकास का भी दायित्व रहता है। भारत में इन संस्थाओं का संगठन अभी उतना व्यापक नहीं हो पाया है, न श्रम-संगठनों में प्रवीणता ही आ पाई है किन्तु फिर भी अब श्रम-संगठनों में नवीन मूल्यों का उदय हो रहा है। नवगठित मध्यप्रदेश में लगभग २५४ श्रम-संगठन कार्य कर रहे हैं। वर्ष १९५३-५४ में पूर्व मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं भोपाल में क्रमशः ६४,१२ व २२ श्रम-संघ कार्य कर रहे थे जिनकी सदस्य संख्या क्रमशः २१,३०७; २,६७७ व ६,५८१ थी।

सेवायोजक केन्द्र (Employment Exchanges)

मध्यप्रदेश के विविध भागों में इस समय सात सेवायोजक केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनका कार्य राज्य के विविध औद्योगिक व शासकीय संगठनों को कर्मचारी प्राप्त कराने में सहायता देना व बेकार व्यक्तियों को कार्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। अगली सारणी में मध्यप्रदेश के विविध भागों में स्थित सेवायोजक केन्द्रों में वर्ष १९५२ से १९५६ तक के समंक दिये गये हैं जिनसे नौकरी चाहनेवाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या व सेवायोजक केन्द्रों द्वारा विविध सेवाओं में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो सकेगी।

प्रशिक्षण एवं अध्ययन संबंधी सुविधाएँ

श्रमिक-कल्याण योजनाओं का एक अंग अकुशल व नये श्रमिकों को विशिष्ट उद्योगों व प्रौद्योगिक कार्यों हेतु समुचित औद्योगिक व प्रौद्योगिक प्रशिक्षण देना भी है ताकि श्रमिक अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त कर अधिक उत्पादन व अधिक धनोपार्जन कर सकें। इस समय जबलपुर में स्थापित कला-निकेतन, राबर्टसन इण्डस्ट्रियल स्कूल, बिलासपुर में स्थित कोनी ट्रेनिंग सेण्टर व ग्वालियर की औद्योगिक शाला इसी प्रकार की संस्थायें हैं जहां कि व्यावसायिक कार्यों हेतु छात्र प्रशिक्षित किये जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इन्दौर, ग्वालियर, बड़वानी, श्योपुर तथा राजगढ़ में प्रत्येक जगह प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, शिशिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्र (Apprentices Training Camps) व व्यावसायिक प्रशिक्षण-शालाओं के आरंभ करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार की एक योजना के द्वारा बिलासपुर में स्थित कोनी प्रशिक्षण केन्द्र के विकास का निश्चय किया गया है।

श्रमिकों का आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण व सांख्यिकीय अध्ययन

आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनों के इस नवीन युग में जबकि सुदृढ़ विकास की विशाल योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, श्रमिकों व सर्वहारा जनता की आर्थिक स्थिति का अध्ययन एक विशिष्ट महत्व रखता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए योजना आयोग की सम्मति से भिलाई क्षेत्र में आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालय के तत्वावधान में एक आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे कि उस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति व भविष्य के परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इस सर्वेक्षण का दूसरा दौर प्रारंभ किया जा चुका है जिससे ज्ञात हो सके कि ११० करोड़ रुपये की विशाल राशि से तैयार होनेवाले भिलाई लौह-इस्पात कारखाने का उस क्षेत्र के श्रमिकों व निकटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस सर्वेक्षण का तृतीय दौर भिलाई लौह-इस्पात कारखाने का निर्माण समाप्त होने पर प्रारंभ किया जायगा ताकि इस क्षेत्र के पूर्ण औद्योगीकरण के पश्चात् भिलाई के श्रमिकों तथा वहाँ के अन्य नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सेवायोजन स्थिति में भिलाई लौह-इस्पात कारखाने के कारण हो रहे परिवर्तनों का समुचित ज्ञान हो सके।

आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पिछले वर्षों जबलपुर में शिक्षित बेकारों का भी सर्वेक्षण किया गया था। इसी प्रकार के सर्वेक्षण अन्य स्थानों पर भी किये जासकते हैं जिससे ज्ञात हो सके कि राज्य के विभिन्न वर्गों में बेकारी की स्थिति क्या है तथा शिक्षित व्यक्तियों में किस प्रकार की आजीविका की माँग अधिक है।

मध्यप्रदेश में हो रहे व्यापक श्रम-कल्याण-कार्यों के सम्यक् अध्ययन से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश श्रमिकों के सर्वतोमुखी विकास में देश के अन्य राज्यों से पीछे नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में मध्यप्रदेश, भिलाई का लौह-इस्पात कारखाना, भोपाल स्थित भारी विद्युत्-सामग्री के कारखाने तथा कोरबा की कोयला खदानों के यंत्रीकरण के फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टि से नवीन महत्व प्राप्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति मे राज्य में व्यवहृत विविध श्रम-कल्याण योजनाएँ न केवल श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में ही सहायक सिद्ध हो सकेंगी बल्कि इससे राज्य के द्रुतगामी औद्योगिक विकास में भी पर्याप्त सहायता मिल सकेगी।

प्रमुख नगर

किसी भी राज्य का विकास उसके नगरों के वाहुल्य से आँका जाता है क्योंकि आज के औद्योगिक युग में विकास का मान-दण्ड वहुत वड़ी सीमा तक औद्योगिक विकास ही कहा गया है तथा सुलभ आवागमन के सावन व अन्य कारणों से उद्योग वड़े शहरों में ही स्थापित किये जाते हैं। अतएव राज्य में प्रमुख नगरों का वाहुल्य भी अपेक्षित होता है। राज्य के नगर केवल औद्योगिक विकास के ही संकेत नहीं होते वल्कि वे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक गरिमा भी सुरक्षित रखते है।

मध्यप्रदेश के ये प्रमुख नगर काल की विनाशकारी शक्ति से संघर्ष करते हुये आज भी उन ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को वनाये रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से नगरों को प्रमुखता दी जाय तो राज्य में इन्दौर, जवलपुर, ग्वालियर व उज्जैन ये ही प्रमुख नगर हैं। भोपाल नगर की जनसंख्या भी एक लाख के ऊपर है तथा नवगठित विशाल मध्यप्रदेश की राजधानी वनाये जाने के कारण इसके विस्तार, जनसंख्या तथा नागर सुविधाओं में द्रुतगति से वृद्धि संभाव्य है। इन प्रमुख नगरों के अतिरिक्त राज्य में रायपुर तथा रीवां आदि नगरों का भी अपना निज का महत्व है। निम्नलिखित तालिका में २०,००० से अधिक जनसंख्यावाले नगर तथा उनकी जनसंख्या दर्शायी गई है:—

तालिका क्रमांक १२९

२०,००० जनसंख्या से ऊपर के शहर

(जनगणना १९५१)

शहर	संभाग	जनसंख्या
१,००,००० तथा उसके ऊपर—		
इन्दौर	इन्दौर	३,१०,८५९
ग्वालियर	ग्वालियर	२,४१,५७७
जवलपुर	जवलपुर	२,०३,६५९
उज्जैन	इन्दौर	१,२९,८१७
भोपाल	भोपाल	१,०२,३३३
५०,००० से १,००,०००—		
रायपुर	रायपुर	८९,८०४
वुरहानपुर	इन्दौर	७०,०६६

शहर	संभाग	जनसंख्या
सागर	जबलपुर	६६,४४२
रतलाम	इन्दौर	६३,४०२
खंडवा	इन्दौर	५१,९४०
२०,००० से ५०,०००—		
महू केन्टूनमेंट	इन्दौर	४४,६५५
विलासपुर	विलासपुर	३९,०९९
दमोह	जबलपुर	३६,९६४
मन्दसौर	इन्दौर	३४,५४१
जबलपुर केन्टूनमेंट	जबलपुर	३४,२२५
मुड़वारा	जबलपुर	३३,८८४
रायगढ़	विलासपुर	२९,६८४
रीवां	रीवां	२९,६२३
जावरा	इन्दौर	२९,५९८
देवास	इन्दौर	२७,८७९
छिदवाड़ा	जबलपुर	२७,६५२
दतिया	ग्वालियर	२६,४४७
सिवनी	जबलपुर	२५,०२४
इटारसी	भोपाल	२४,७९५
धार	इन्दौर	२३,६५२
राजनांदगांव	रायपुर	२३,३००
गुना	ग्वालियर	२२,२२१
शिवपुरी	ग्वालियर	२१,८८७
सीहोर	भोपाल	२०,८७९
खरगोन	इन्दौर	२०,७६२
दुर्ग	रायपुर	२०,२४९
सतना	रीवां	२०,१८३

सूचना स्रोत:—जनगणना, सन् १९५१

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्यमें २०,००० से अधिक जनसंख्या वाले ३२ शहर हैं जिसमें से १लाख तथा उससे अधिक जनसंख्यावाले केवल ५ ही नगर हैं। राज्य में ५०,००० से १ लाख तक जनसंख्यावाले ५ तथा २०,००० से ५०,००० जनसंख्या वाले २२ नगर हैं।

राज्य के प्रमुख नगरों का परिचय निम्न है:—

इन्दौर:—जनसंख्या, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास की दृष्टि से इन्दौर मध्यप्रदेश का एक प्रमुख नगर है। मालवे के पठार पर समुद्री सतह से १,८२३ फुट की ऊंचाई पर स्थित यह नगर १२ वर्गमील क्षेत्रफल में फैला है। रतलाम से ८५ मील तथा उज्जैन से ४८ मील दूर पश्चिम रेलवे का इन्दौर एक

महत्वपूर्ण केन्द्र है। विंध्याचल की मनोरम गिरिश्रृंखलाओं में अवस्थित इन्दौर न केवल सरस्वती तथा खान नदी के शीतल सुखदायी कूलों का दृश्य उपस्थित करता है; वरन् पठार पर अवस्थित होने के कारण ग्रीष्म के भीषण आतप से अपने निवासियों की रक्षा भी करता है। सुखद समशीतोष्ण जलवायु यहाँ की विशेषता है।

इन्दौर नगर भी अपने ऐश्वर्यशाली इतिहास एवं गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृति का उत्तराधिकारी है। सन् १७३३ में बाजीराव पेशवा ने यह स्थान मल्हारराव होलकर को दे दिया था। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के पश्चात् महारानी अहिल्याबाई भी इस नगर की शोभा से बहुत प्रभावित हुईं तथा उन्होंने परगना कार्यालय कम्पेल से यहाँ उठा लाने की अनुमति दे दी। वह दिवस इस नगर के भाग्योदय के लिए अत्यन्त उज्ज्वल था, जब सन् १८०१ में मल्हारराव द्वितीय ने अपनी राजधानी इन्दौर बनाई। उसी समय से यह नगर दिनांक १ नवम्बर १९५६ तक भूतपूर्व मध्यभारत की गौरवशाली आंशिक राजधानी रहा। शासकीय प्रोत्साहन के कारण इसे शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं से युक्त एक प्रगतिशील औद्योगिक नगर बन जाने में अधिक देर नहीं लगी। इन्दौर में १८६८ से ही नगरपालिका स्थापित है।

औद्योगीकरण के हेतु आवश्यक प्राप्य सभी सुविधाओं ने नगर को एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र में परिणत कर दिया है। यहाँ तक कि वस्त्रोद्योग की दृष्टि से आज देशभर में इन्दौर का स्थान चौथा है। सूत कताई और बुनाई की यहाँ ७ मिलें हैं जिनमें लगभग ६,३२१ करघे तथा २,३२,१९८ तकुए हैं। इन मिलों में लगभग १६,५०० श्रमिक प्रतिदिन काम करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ साइकिल के विभिन्न पुर्जे तैयार करने की तीन डीजल के इंजिन बनाने की एक तथा नत्रजन अम्ल (Nitric Acid) तैयार करने की भी एक निर्माणी है। औद्योगीकरण के साथ ही साथ यह मध्यप्रदेश राज्य को शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करनेवाले केन्द्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

इन्दौर नगर केवल निर्माणियों के कर्णकटु स्वर से ही परिपूरित नहीं है वरन् सम्पन्न व्यापारिक केन्द्र होने के साथ ही यह अपने आकर्षक भवनों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश का अद्वितीय काँच का मंदिर नगर का एक प्रमुख आकर्षण है। पुरानी इमारतों में पुराना महल आज भी काल की ध्वंसक प्रवृत्ति से युद्ध करता हुआ विद्यमान है। नदी तट पर बनी होलकर राजवंशियों की छतरियाँ भी उनकी स्मृतियाँ ताजी करती हैं। हाल ही में किंग एडवर्ड हॉल तथा लाल बाग महल आदि इमारतें भी निर्मित की गई हैं जो दर्शनीय हैं। इन्दौर नगर का आसपास का क्षेत्र भी प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण है। नगर के आसपास अनेक रमणीय स्थानों में भी पीपल्यापाला तालाव, शिरपुर तालाव, पाताल पानी और नौलखाबाग, वाटिका गोष्ठियों, सैर-सपाटों एवं भ्रमण के लिए आदर्श स्थल कहे जाते हैं।

ग्वालियर:—दिल्ली से मद्रास जानेवाले रेलमार्ग पर तीन ओर से छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ ग्वालियर नगर ऐतिहासिक घटनाओं की जड़ निशानियों से परिपूर्ण तथा तत्कालीन युगों के शौर्य की स्मृतियों से सजीव है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या २,४१,५७७ है जिसके अनुसार मध्यप्रदेश के प्रमुख नगरों में इसका क्रम द्वितीय आता है। कहा जाता है कि

मानसिंह जैसे कलाप्रिय नृपों के शासन में रहा यह नगर तथा आसपास का क्षेत्र मराठा सरदार राणोजी सिंधिया को पेशवा से जागीर के रूप में प्राप्त हुआ था। उस समय से यह किला सिंधिया नरेशों के हाथ में ही चला आता था जब तक कि यह भूतपूर्व मध्यभारत राज्य में सम्मिलित नहीं कर दिया गया।

आज के औद्योगीकृत युग में ग्वालियर नगर भी पीछे नहीं है। वर्षों से सिंधिया राजाओं की राजधानी रहने तथा पूर्व मध्यभारत राज्य की आधे वर्ष राजधानी रहने से नगर की औद्योगिक प्रगति द्रुतगति से हुई है। यहाँ से पास ही विरलानगर में सूती कपड़ों के लिए प्रयुक्त होनेवाले यंत्रों के पुर्जों एवं ऊनी तथा कृत्रिम रेशमी कपड़ों के कारखाने हैं। जे० बी० मंघाराम की विस्कुट फैक्टरी जो न केवल भारत में वल्कि एशिया एवं सुदूर पूर्व में अपने ढंग की एक ही निर्माणी है, यहां स्थापित की गई है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति दिन (साधारणतः कार्य के आठ घंटे मानकर) २९ टन विस्कुट एवं मिठाइयाँ बनाने की है। ग्वालियर लेदर फैक्टरी में चमड़े का सामान बनता है और ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स में इंजीनियरिंग संबंधी सामान तैयार किया जाता है। ग्वालियर में निर्मित चीनी मिट्टी के बरतनों ने देशभर में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। ग्वालियर में अनेक हस्तकला-संबंधी वस्तुओं के निर्माण को भी आश्रय मिला है।

ग्वालियर नगर मध्यप्रदेश में एक प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र है। यहां कॉमर्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, टेक्नीकल इन्स्टीटयूट आदि सभी प्रकार की उच्च शिक्षण प्रदान करनेवाली संस्थाएँ हैं। यहाँ के कमला राजा गर्ल्स कॉलेज ने नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में बड़ा सहयोग दिया है। अनुसंधान-कार्य के लिए यहाँ अनुसंधान शाला की भी व्यवस्था है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है।

अनेक राजाओं की क्रिड़ास्थली इस नगर में आज भी विद्यमान अनेक दर्शनीय स्थल पर्यटकों एवं दर्शकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें से ग्वालियर दुर्ग सबसे प्रमुख है। ताजुलमा आसिर ने इसका वर्णन "भारतीय दुर्गों" को मणिमाला का जाज्वल्यमान मोती कहकर में किया था। दुर्ग पर अवस्थित अनेक ध्वंस अवशेष आज भी अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें से सबसे प्राचीन अवशेष सूर्यमंदिर है। सास-बहू के नाम से प्रसिद्ध विष्णु भगवान् के दो मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर शिल्पकला तथा इतिहास दोनों ही दृष्टियों से उल्लेखनीय है।

तोमर राजाओं के राज्यकाल की कलात्मक देन राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मान-मंदिर शौर्य, कला व नैपुण्य का अप्रतिम नमूना है। इसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि आज शुद्ध हिन्दू वास्तु-प्रकार का बना सिर्फ यही महल प्राप्य है। इस महल में दर्शकों को न केवल उत्कृष्ट निर्माण-कला के दर्शन होते हैं वल्कि आसपास के नैसर्गिक सौन्दर्य और कलापूर्ण निर्मिति से प्रभावित हो वे हर्ष और कौतूहल से अभिभूत हो जाते हैं। राजा मानसिंह द्वारा अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया गूजरीमहल भी उनकी प्रणय-गाथा दोहराता प्रतीत होता है। आजकल यह भवन प्राचीनता का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रमुख शिल्पिक अवशेषों के संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जाता है।

ग्वालियर नगर का दर्शक तानसेन का मकबरा और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखना भी नहीं भूल सकता। नगर के पास एक छोटा-सा मकबरा अकबर दरबार के

नवरत्न संगीत-सम्राट् तानसेन के अवशेष समेटे नश्वरता की अमरता पर विचार करता हुआ मौन भाव से खड़ा है। लगभग एक मील दक्षिण की ओर स्टेशन से लश्कर जाते हुए एक अप्रतिम समाधि मिलती है जोकि झांसी की प्रसिद्ध वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में निर्मित की गई थी। यह समाधि उसी स्थल पर बनी है जहाँ रानी ने अंगरेजी सेना से युद्ध करते-करते वीरगति प्राप्त की थी और उनका अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था।

जबलपुरः—राज्य पुनर्गठन आयोग ने १७१ हजार वर्गमील क्षेत्रफलवाले तथा २६१ लाख जनसंख्यावाले विशाल नवनिर्मित मध्यप्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाये जाने का अनुमोदन किया था। इसी बात से जबलपुर का महत्व स्पष्ट होता है। मध्यप्रदेश में भोपाल को छोड़कर इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर नगर शासकीय दृष्टि से समान महत्व के स्थान माने गये हैं और इनके महत्व के अनुसार ही वहाँ कार्यालयों का भी सम्यक् वितरण हुआ है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार २,०३,६५९ जनसंख्यावाला यह नगर इटारसी-इलाहाबाद रेलमार्ग का प्रमुख स्टेशन है।

मध्यप्रदेश में यह नगर हिन्दी-भाषी जनता की प्रमुख सांस्कृतिक-राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र है। इसकी महत्ता शैक्षणिक केन्द्र की दृष्टि से अक्षुण्ण है। नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ यहाँ सभी प्रकार के लगभग १८ महाविद्यालय हैं जिनमें से इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी साधनसम्पन्नता विरले ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में देखी गई है। यहां विदेश के विद्यार्थी भी विद्यार्जन के लिए आते हैं। महिलाओं के लिए महिला महाविद्यालय के अतिरिक्त यहाँ राज्यभर का अनूठा गृहविज्ञान महाविद्यालय भी है।

केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के भी महत्वपूर्ण सुरक्षा-प्रतिष्ठानों (आर्डनेंस फैक्टरीज) के कारण इसका औद्योगिक महत्व भी कम नहीं है। इन सैनिक कारखानों में से गन-कैरेज फैक्टरी, सी० ओ० डी० एवं आर्सनल प्रमुख हैं। यहीं पर टेलीग्राफ वर्कशाप भी है तथा पत्थर के नल, कांच, चीनी मिट्टी के बरतन आदि बनाये जाने के कारखाने भी यहाँ सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

सतपुड़ा पर्वत-श्रेणियों के अंक में आवेष्टित तथा नर्मदा के सुखद तीर पर बसा हुआ यह नगर और इसके आसपास का क्षेत्र प्रकृति-प्रेमियों और भ्रमणार्थियों के लिए आदर्श भ्रमणस्थल बन गया है। जबलपुर का दर्शक भेड़ाघाट और संगमरमर की चट्टानों के आकर्षण से विमुख नहीं हो सकता। यहाँ तो प्रकृति मानों अनेक सौंदर्य-प्रसाधनों से अपना रूप सँवारती प्रतीत होती है। वैसे ही नगर में गोंड राजा मदनशाह द्वारा बनवाया गया मदनमहल दर्शनीय है जिससे भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती की भी वीरतापूर्ण कहानी जुड़ी हुई है। जबलपुर में शहीद-स्मारक भवन और देवताल भी नगर के आकर्षण में वृद्धि करते हैं।

उज्जैनः—पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन नगर की गणना भारत के प्राचीनतम नगरों में की जाती है। उज्जयिनी नगर, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है

विजय का नगर है। स्कंदपुराण के अवन्तीकांड में कथा है कि अवन्ती की राजधानी भगवान् शिव द्वारा त्रिपुर राक्षस के वध करने की स्मृति में उज्जयिनी कहलायी। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या १,२९,८१७ है।

इतिहास साक्षी है कि ईसा के पूर्व ६ठवीं शताब्दी में यह प्रद्योत के शक्तिशाली साम्राज्य की ऐश्वर्यशाली राजधानी थी तथा इसका व्यापारिक संबंध विश्व के पश्चिमी देशों के प्रगतिशील नगरों से था। आज भी सूती कपड़ों की चार मिलें इसे औद्योगिक नगर का स्वरूप प्रदान करती हैं। नगर की चार सूती कपड़ों की मिलों में १,०५,४६८ तकुए तथा २,५८१ करघे हैं। इस प्रमुख उद्योग के अतिरिक्त यहाँ कुटीरोद्योग भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

प्राचीन काल से ही यह नगर विद्या का केन्द्र रहा है। सर्वप्रसिद्ध है कि भगवान् कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में आये थे। आज भी हमारी लोकप्रिय सरकार इसे शैक्षणिक केन्द्र बनाने में तत्पर है। विक्रम विश्व-विद्यालय की स्थापना से यह नगर अपने पुरातन महत्व को स्थिर रखेगा, ऐसी आशा की जाती है।

नगर में महाकालेश्वर का मंदिर, विक्रमादित्य की आराध्यदेवी हरसिद्धी, चौबीस-खंभा द्वार, गोपाल मंदिर, गढ़ कालिकादेवी, भरथरी की प्राचीन गुफा, कालभैरव, कालिया-दह महल, मंगलनाथ का मंदिर, वेधशाला आदि स्थल आज भी ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण रूप में विद्यमान हैं। इनमें से महाकाल का मंदिर एवं वेधशाला विशेषतः उल्लेखनीय हैं। महाकाल का मंदिर जो १२ ज्योतिर्लिगों में से एक है, प्रमुख आकर्षण रखता है। यह मंदिर मुसलमान आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसके स्थान पर वर्तमान मंदिर का फिर से निर्माण किया गया है। नगर का दूसरा उल्लेखनीय स्थल जन्तर-मन्तर कही जानेवाली वेधशाला है, जिसका निर्माण जयपुर के राजा श्री जयसिंह ने कराया था। केन्द्रीय सरकार इस वेधशाला के विस्तार एवं विकास की योजना पर विचार कर रही है।

रायपुरः—बम्बई-कलकत्ता दक्षिण-पूर्वी प्रमुख लाइन पर अवस्थित यह नगर ८९,८०४ जनसंख्या (सन १९५१ की जनगणना के अनुसार) को आवास प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यह इस क्षेत्र का प्रमुख नगर बन गया है। इसके आसपास के क्षेत्र का चूंकि प्रमुख उत्पादन चावल ही है अतः चावल साफ करने के कारखाने यहाँ प्रमुखता से हैं। बीड़ी का उद्योग भी यहाँ उन्नत अवस्था में है तथा यहाँ हाथ-करघे का कपड़ा भी उत्पादित किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य के कुछ कार्यालय भी यहाँ स्थापित किये गये हैं।

नगर के पास ही ११० करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित हो रहा भिलाई-इस्पात कारखाना यहाँ के द्रुतगति से होनेवाली विकास की घोषणा है। शैक्षणिक सुविधाओं की दृष्टि से भी यह राज्य के महाकोशल क्षेत्र में जबलपुर के पश्चात् प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र है।

यहाँ १४वीं शताब्दी का हटकेश्वर मंदिर है। पहले यहां हैहयवंशीय राजाओं का राज्य था जिनके महल व किले के ध्वंसावशेष आज भी मौजूद हैं। नगर के बाहर दूधाधारी का विशाल मठ भी दर्शनीय है।

रिवांः—भूतपूर्व विंध्यप्रदेश की राजधानी रीवां नगर आज भी पुराने रियासती राजाओं के ऐश्वर्य की गरिमा लिये हुए है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या २९,६२३ है। भूतपूर्व विंध्यप्रदेश सरकार ने यहाँ पर शिल्प-शिक्षा एवं काष्ठ शिल्प भवन की स्थापना की है जिसका उद्देश्य कारीगरों को काष्ठ संबंधी शिल्प की शिक्षा देना है। इसी प्रकार एक दूसरी सरकारी चर्म एवं चर्मशोधन संस्था भी रिवां में स्थापित की गई है जहाँ आधुनिक यंत्रों एवं साधनों की सहायता से चमडा पकाने की आधुनिक विधियों एवं उपयोग की शिक्षा दी जाती है।

रीवां का दुर्ग बीहर और बिछिया नदियों के संगम पर बना हुआ है। प्राकृतिक एवं निर्माणकला की दृष्टि से यहाँ वेंकट भवन, दरबार कॉलेज, मेमोरियल हॉल, घोघर नदी का पुल, लक्ष्मण बाग, लखौरी बाग, युवराज भवन आदि दर्शनीय हैं।

प्रमुख दर्शनीय स्थल

भारत के मध्यभाग में स्थित मध्यप्रदेश ने गौरवशाली ऐतिहासिक परम्परा पाई है। इतिहास के इंगितों की स्पष्ट छाप इसके अंचल पर उभरी है और इस भूमि पर ऐतिहासिक उत्थान-पतन अपने प्रमाण छोड़ते गए हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही यहां मानवीय सभ्यता फली-फूली। इसके बाद इस भूमि पर अनेक महान् साम्राज्यों एवं राजवंशों का शासन रहा। गुप्त, मौर्य, कलचुरि, वाकाटक, सातवाहन, मुगल, हिंदू, ब्रिटिश इत्यादि अनेक राज्यों का इस भूमि ने उत्थान-पतन देखा जिनकी स्मृतियाँ दर्शनीय स्थलों के रूप में आज भी इसके हृदय में अंकित हैं।

ऐतिहासिक गरिमा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश पर प्रकृति का भी वरद-हस्त है। नवीन राज्य की विस्तारशाली भूमि पर प्रकृति की विशेष कृपा है। विंध्या और सतपुड़ा की शैल-मालाओं, पर्वतों के सघन वनों, उपत्यकाओं व वन-वीथियों, नर्मदा, क्षिप्रा, चम्बल, सोन, जुहिला आदि नदियों की सुंदरतम घाटियों और उपजाऊ हरिताभ मैदानों के आकर्षण से सम्पूर्ण राज्य लबालब भरा है। इस प्रकार प्रकृति के अमित वरदान नैसर्गिक सौंदर्य-छटाओं के साथ ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरवशाली परम्पराप्राप्त मध्यप्रदेश पूरे राज्य में अनेक दर्शनीय एवं आकर्षक स्थलों को प्रस्तुत करता है। राज्य के ऐतिहासिक निर्माणों के अवशेष व प्राकृतिक सुषमा-सौंदर्ययुक्त स्थल यात्रियों व पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र हैं।

सम्पूर्ण राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व प्राकृतिक दर्शनीय स्थल बिखरे पड़े हैं जो जीवन को गौरव-गरिमा का मंत्र देते हुए सौंदर्य-तत्व और कलाभिरुचिता को प्रेरणा देते हैं। अपनी सुंदर व भव्य शिल्पकला, ऐतिहासिक चित्रकला, स्थापत्य व पुरातत्व, तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा मध्यप्रदेश कलाप्रेमियों और सौंदर्यप्रेमियों का आह्वान करता है। आगामी अध्ययन में मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

पचमढ़ी

पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। नैसर्गिक सम्पन्नता से पचमढ़ी इतना ओतप्रोत है कि मन उसकी सुन्दरता में उलझकर रह जाता है। प्रकृति ने पचमढ़ी को उन्मुक्त हाथों से दान दिया है। पचमढ़ी चित्रकार, कलाकार इत्यादि सभी सौंदर्य-रसिकों को सामग्री प्रदान करती है। साथ ही पचमढ़ी एक सम्पन्न व आधुनिक 'हिल स्टेशन' की सुविधायें भी प्रदान करती है। यहाँ की जलवायु सुखद व आरोग्यवर्धक है। सतपुड़ा की शैलमालाओं से घिरा पचमढ़ी का पठार लगभग ३,५०० फुट औसत ऊंचाई पर पिपरिया (होशंगाबाद) के निकट है।

मध्यप्रदेश
दर्शनीय स्थल
मुरैना
ग्वालियर
चित्रकूट
खजुराहो
उज्जैन
भोपाल
इन्दौर
पचमढ़ी
जबलपुर
बिलासपुर
रायपुर
पुरहानपुर
दर्शनीय स्थल
सड़कें
रेलमार्ग

मानमंदिर, ग्वालियर (फोर्ट)

पचमढ़ी की उत्पत्ति "पंचमढ़ी" से हुई प्रतीत होती है। किंवदन्ती है कि अपने वनवासकाल में पाण्डवों द्वारा यहाँ पाँच गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये गुफाएँ आज भी अपने अवशेष रूप में विद्यमान हैं। पचमढ़ी पठार में लगभग ६० से अधिक दर्शनीय स्थल हैं। पचमढ़ी के सौंदर्य-स्थलों में वनमार्ग एवं जलधाराएँ बड़ी मनोमुग्धकारी हैं। पचमढ़ी के सौंदर्य-स्थलों में वनमार्ग एवं जलधाराएँ, जलावतरण, संगम-सर, वनश्री विहार, अगम त्रिवेणी, तथा सुंदर कुण्ड आदि का शीतल निर्मल जल यात्रियों की सारी थकान एवं श्रम का परिहार कर देता है। जटाशंकर, पाण्डव गुफाएँ व प्रेमार्पित त्रिशलों से अच्छादित चौरागढ़ का दर्शन धार्मिक और भावुक दर्शकों का मन श्रद्धा और भक्ति से गद्गद कर देता है।

भेड़ाघाट

जबलपुर जिले के भेड़ाघाट का धुआँधार और संगमरमर की स्फटिक शिलाएँ दर्शकों के मन को मुग्ध कर लेती हैं। किसी चाँदनी रात्रि में यहाँ का दृश्य देखिए। जहाँ तक दृष्टि का प्रसार है चाँदी की सी चट्टानें दृष्टिगत होंगी। संगमरमर की इन विशालकाय ऊँची-ऊँची चट्टानों पर से जब नदी का जल ४०-५० फुट नीचे घाटी की गहराई में गिरता है तो जलधारा गिरने से चारों ओर रुपहला धुआँ-सा छा जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ध्वनि दूर-दूर तक सुनाई पड़ती है। निस्संदेह धुआँधार का यह तुमुल शब्दनाद दर्शक को दूर से ही आकर्षित करने लगता है और सौंदर्य-उपासक मन अपने-आप उस ओर खिंच जाता है। साथ ही भेड़ाघाट के पास नर्मदा की विस्तृत जलराशि में नौका-विहार का आनंद भी लूटा जा सकता है।

भेड़ाघाट जबलपुर से १३ मील दूर है। इसके समीप ही एक पहाड़ी पर "चौंसठ जोगिनी" का कलचुरिकालीन मठ है जिसमें ७९ खण्ड हैं। इस पहाड़ी की ऊँचाई से चारों ओर के दृश्य बड़े मनोहारी प्रतीत होते हैं। एक ओर पहाड़ियों की ऊँचाई पर हरिताभ वन खड़े हैं तो दूसरी ओर नीचे नर्मदा के सुललित जल का प्रसार दृष्टिगत होता है। जबलपुर शहर के निकट ही एक पहाड़ी पर स्थित मदनमहल का दुर्ग है जो कि गोंड राजा मदनशाह ने बनवाया था। यह सम्पूर्ण दुर्ग केवल एक विशालकाय चट्टान पर स्थित है।

इसके अतिरिक्त भी जबलपुर जिले में पुरातत्व की पर्याप्त सामग्री मिली है, जो पुरातत्व-वेत्ताओं एवं इतिहास-शोधकों के लिए आकर्षण की वस्तु है। जबलपुर के निकट ही त्रिपुरी ग्राम है जो किसी समय इतिहास प्रसिद्ध एवं महापराक्रमी कलचुरियों की उन्नत एवं सुसम्पन्न राजधानी था। त्रिपुरी आज भले ही एक ध्वस्त ग्राम के रूप में पड़ा है, किंतु कलचुरि काल में यह राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रधान केन्द्र था। मध्यप्रदेश के इतिहास में जिन कलचुरियों ने एक सम्पन्न युग का निर्माण किया था, त्रिपुरी उसी राजवंश की राजधानी थी। इनके अतिरिक्त रूपनाथ, शहीद स्मारक, कुंडलपुर, जटाशंकर, सिंगोरगढ़ आदि अनेक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान हैं।

मांधाता

ओंकार मांधाता की प्राचीन धार्मिक पवित्रता धर्मश्रद्धालुओं को अपनी ओर निरंतर आकृष्ट करती रहती है। मांधाता नर्मदा के किनारे एक पहाड़ी पर बसा है। कहा जाता

है कि ओंकार मांधाता जिन पहाड़ियों पर स्थित है वे पहाड़ियाँ भी ओम के आकार में खड़ी हुई हैं। ओंकार मांधाता हिंदुओं का पवित्र तीर्थ-स्थल है। मांधाता में अनेक प्राचीन मंदिर हैं जो मध्ययुगीन ब्राह्मण-पद्धति से बनाए गए प्रतीत होते हैं। मांधाता के ओंकारेश्वर महादेव की गणना भारत के प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंगों में होती है। नर्मदा की जलधाराओं द्वारा मांधाता पहाड़ियों के निरंतर चरण पखारने का दृश्य बड़ा मनोमुग्धकारी लगता है। पहाड़ियों की समतल भूमि पर खड़े अनेकानेक भवन, दुकानें एवं शिखर-कलशों से युक्त मंदिर नर्मदा के सलिल में अपना रूप देखते हैं—प्रतिबिम्बित होते हैं। मंदिरों के जगमगाते कलश प्रकृति की हरिताभ पृष्ठभूमि में बड़े आकर्षक लगते हैं।

ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर ईस्वी सन् ११६५ में मांधाता के प्रथम राजा द्वारा बनवाया गया था। मांधाता के उत्तरीय भाग में बना "गौरी-सोमनाथ" का मंदिर भी इसी समय बनवाया गया था। साथ ही सिद्धनाथ मंदिर भी प्रेक्षणीय है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ भी हैं जो दर्शनीय हैं। मांधाता, खंडवा-इन्दौर रेल लाइन पर स्थित मोरटक्का से ७ मील की दूरी पर है।

ग्वालियर

ग्वालियर का सर्वप्रमुख आकर्षण ग्वालियर का किला है, जिसको "भारतीय दुर्गों की मणिमाला में प्रमुख मणि" कहा जाता है। निस्संदेह ग्वालियर के किले ने कई इतिहास के क्रमों को अंकित किया है। यह पाषाण का ऐसा खुला ग्रंथ है जिसमें मध्यभारत की कहानी छिपी है। ईसा की पांचवीं शताब्दि में इसका निर्माण राजा सूरजसेन द्वारा किया गया था; कालान्तर में इसके भीतरी भागों में अनेक परिवर्तन व नव-निर्माण होते रहे हैं।

ग्वालियर के किले में ८७५ ई० का बनाया हुआ एक विष्णुमंदिर है जो पहाड़ी की चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। इसमें मध्ययुगीन भारतीय आर्य-पद्धति की झलक स्पष्ट दृष्टिगत होती है। किले की पूर्वी प्राचीर के पास "सास-बहू" के विष्णुमंदिर हैं जो कछवाहवंशी महिपाल द्वारा निर्मित कराए गए थे। इतिहास एवं वास्तुकला की दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। स्तंभों पर सभामण्डप की छत आधारित है, जिनपर अत्यन्त सुंदरता एवं आकर्षक ढंग से खुदाई का नाजुक काम किया गया है, जो अपने युग की सम्पन्नता का बोध कराता है। इसके अतिरिक्त मंदिर के बाहरी और भीतरी भाग में और भी खुदाई का काम किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सजावट दिखता है। किले में स्थित तेली का मंदिर प्रायः १०० फुट से भी ऊँचा है। यह मंदिर आठवीं से दसवीं शताब्दि की अवधि में बनाया गया प्रतीत होता है। इसके पश्चात् किले में जैनधर्मी अवशेष दर्शनीय हैं। उरवाई फाटक के पास पहाड़ियों पर काटे गए कुछ जैन तीर्थकरों के चित्र हैं। ये प्रमुखतः अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक की ऊँचाई तो ५७ फुट है। अनुमान किया जाता है कि ये अवशेष तोमरकालीन होंगे।

तोमरकालीन अवशेषों में 'मानमंदिर' भी अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। इसका महत्व यह है कि ग्वालियर किले के सम्पूर्ण भवनों और इमारतों में केवल यही इमारत हिंदू स्थापत्य-कला का पूर्ण विशुद्ध रूप प्रस्तुत करती है। मानमंदिर अपनी भव्यता एवं राजसी गरिमा से हठात् लोगों का मन आकर्षित कर लेता है।

'मानमंदिर' का प्रवेश-द्वार जिसे 'हतिया पौर' कहा जाता है, स्वयं कलात्मकता का एक आकर्षक नमूना है। इस प्रवेश-द्वार को देखकर ही महल के भीतरी भाग की सुंदरता की कल्पना की जा सकती है। महल के भीतरी भाग में विशाल आकार एवं विस्तार के सभामण्डप हैं। राजा मानसिंह द्वारा ही अपनी महारानी मृगनयनी के लिए 'गूजरी महल' नामक एक अन्य महल भी बनवाया गया था। गूजरी महल एक दुमंजिली इमारत है जिसके भीतरी दीवानखाने चारों ओर से छोटे-छोटे कमरों इत्यादि से घिरे हैं। आजकल यह इमारत पुरातत्व संग्रहालय के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जो स्वयं भी दर्शनीय सामग्री प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त तोमरों द्वारा निर्मित करन मंदिर तथा विक्रम मंदिर एवं मुगलकालीन इमारतें, यथा जहाँगीरी महल, शाहजहाँ महल इत्यादि भी दर्शनीय हैं। पुराने नगर से देखने पर इनका दृश्य बड़ा सुंदर लगता है।

किले के बाहरी भाग में भी मुगलकालीन संस्कृति की याद दिलानेवाली इमारतें, यथा आलमगीरी मस्जिद, मुहम्मद गौस का मकबरा इत्यादि इतिहास के विद्यार्थियों को आकर्षित करती हैं। मुहम्मद गौस के मकबरे के पास ही संगीत-सम्राट् तानसेन की समाधि है, जिन्होंने भारतीय संगीत के सौष्ठव को बढ़ाया, संगीत की अविरत साधना की और संगीत की ऐसी मधुर धारा बहा दी जो आज भी भारतीय संगीत-प्रेमियों के मन में गूँज रही है। तानसेन की समाधि से एकाध मील दूर दक्षिण में एक छोटी-सी सादी समाधि है, जो अपने अंक में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को विद्युत् की-सी गति देनेवाली पराक्रमी महारानी लक्ष्मीबाई के भौतिक अवशेष छिपाए हुए है। लक्ष्मीबाई की समाधि ऐसा दर्शनस्थल है जहाँ भावुक मन अनजाने अश्रु-मोतियों की लड़ी समर्पित कर देता है।

उज्जैन

भारत की प्राचीन हिंदू संस्कृति और दर्शन की प्रतीक उज्जयिनी अनेक सौंदर्य-स्थलों एवं ऐतिहासिक स्थानों से परिपूर्ण है। स्कन्दपुराण के अनुसार भगवान् शिव द्वारा त्रिपुर राक्षस का विनाश करने के उपलक्ष्य में अवन्त क्षत्रियों ने अपनी राजधानी का नाम उज्जयिनी रखा था। प्राचीन समय में यह भाग अवन्तिका कहलाता था। उज्जयिनी क्षिप्रा-तट पर स्थित है। उज्जयिनी में प्रद्योत, मौर्य, विक्रमादित्य, गुप्त, परमार तथा मुगलों आदि ने राज्य किया, अतः इन सभी कालों की दर्शनीय इमारतें यहाँ पाई जाती हैं।

उज्जैन का महाकाल मंदिर भारत के १२ ज्योतिर्लिंगों में एक है, तथा शैव-भक्तों का प्रधान केन्द्र है। प्राचीन मंदिर मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा ढहा दिया गया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण १८ वीं शती में रामचन्द्र बाबा द्वारा कराया गया है। चौबीस खंभ-द्वार अपने नाम की सार्थकता इस प्रकार सिद्ध करता है कि इन २४ खंभों पर ऊपर की छत आधारित है। अनुमान किया जाता है कि यह प्राचीन महाकाल मंदिर का बाहरी प्रवेश-द्वार रहा होगा। इसके अतिरिक्त गोपाल मंदिर, कालियादह कुण्ड, महल आदि भी दर्शनीय हैं। क्षिप्रा के रमणीक घाट उज्जैन के प्रमुख आकर्षण-केंद्र हैं। प्रशान्त जलराशि में घाट पर स्थित मनोहर दृश्यों का प्रतिबिम्ब मन को मुग्ध कर लेता है। धार्मिक मेलों के अवसर पर हजारों यात्री क्षिप्रा के पवित्र जल में स्नान कर अपने को धन्य समझते हैं। उज्जैन के दक्षिण में नक्षत्र-जगत् की गतिविधियों एवं हलचलों

का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक वेधशाला है जो जन्तरमहल के नाम से जानी जाती है। यह भी उज्जैन के दर्शनीय स्थानों में से एक है। इसका निर्माण सन् १७३३ में महाराजा जयसिंह द्वारा हुआ था। इस वेधशाला में अनेक उपकरण हैं जो मानव-जगत् को दूरतर एवं अजाने नक्षत्र-जगत् का ज्ञान कराकर दोनों का संबंध जोड़ते हैं।

बाघ की गुफाएँ

भारतीय जन-जीवन को कला के माध्यम से चित्रित करनेवाली बाघ की गुफाएँ भी सौंदर्य-प्रेमियों एवं यात्रियों के लिए कम आकर्षक नहीं हैं। वास्तव में बाघ की गुफाओं में भारतीय संस्कृति और मानवीय जीवन-व्यापारों का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। बाघ की गुफाएँ महू व इन्दौर शहरों से प्रायः १०० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित हैं। प्रायः १,५०० वर्ष पूर्व ये गुफाएँ बौद्ध-भिक्षुओं के निवास, मनन एवं चिंतन तथा धार्मिक कृत्यों के लिए बनाई गई थीं। अनुमान है कि इन गुफाओं की कुल संख्या ९ थी किंतु अब केवल ४ गुफाएँ ही अच्छी स्थिति में पाई जाती हैं।

जहाँ तक मूर्तिकला का प्रश्न है, बाघ की गुफाओं में प्रमुखतः भगवान् बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियां हैं। मूर्तियां आकार में काफी बड़ी हैं, एवं अनुमान किया जाता है कि यह मूर्तिकला गुप्तों के 'स्वर्णयुग' की होगी। इसके अतिरिक्त गुफाओं में कुछ नाग और यक्षों की मूर्तियां भी मिलती हैं। गुफाओं की चित्रकारी जितनी आकर्षक है उतनी ही रहस्यमय भी। गुफा क्रमांक ४ के रंगमहल के बाहरी भाग की चित्रकारी कुछ अधिक स्पष्ट है। प्रथम दृश्य ही देखिये—करुणा की मूर्तिमती एक रमणी विषादमग्न है और स्यात् उसकी सखी उसे धैर्य बँधा रही है। मन मे सहसा जिज्ञासा होती है कि यह करुणा की देवी कौन है? उसके विषाद का कारण क्या है? किन्तु यह औत्सुक्य प्रश्न-चिह्नों के घेरे में ही सिमिटकर रह जाता है। वैसे ही, संगीत और नृत्यों के दृश्य व राजसी जुलूस के दृश्य इत्यादि भी मन में एक अनुत्तरित समस्या का अंकुर बो देते हैं।

रंगमहल के भीतरी भाग में चित्रकारी की अनेक धुधली रेखाएँ दृष्टिगत होती हैं जिन्हें ठीक से समझा नहीं जा सकता; किन्तु अनुमान किया जा सकता है कि अपने युग में ये चित्र-दृश्य सुन्दरता, सुकुमारता और आकर्षण से भरपूर होंगे। भारत में अजन्ता और बाघ की गुफाओं की चित्रकारी प्रायः एक ही काल की है, जो प्रमुखतः बौद्धधर्म से प्रभावित है। बाघ की गुफाएँ यद्यपि आज जीर्ण दशा में हैं तथापि ये भारत के प्राचीन गौरव की कहानी चित्रित करती हैं।

उदयगिरि गुफाएँ

उदयगिरि पहाड़ी में कुल २० गुफाएँ काटी गई हैं जो जैन गुफाएँ हैं। इन गुफाओं में पहाड़ी दीवालों पर खुदाई कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गुफा क्रमांक ५ में वराहावतार का चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें भगवान् विष्णु को वराह के रूप में पृथ्वी की रक्षा करते हुए चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि में देवों और असुरों को दिखाया गया है। साथ ही गंगा-यमुना नदियों का मानवीयकरण कर उन्हें सुन्दरियों के रूप में चित्रित किया है जो वराह के लिए घटों में जल भर रही हैं। गुफा नं. १३ में शेषशायी विष्णु को चित्रित किया गया है। निस्संदेह ये चित्रण जनता की तत्कालीन धार्मिक भावना एवं कलात्मकता के प्रतीक हैं।

मध्यप्रदेश के दर्शनीय स्थलों की रेखानुकृतियाँ

माननंदिर (किला)
(ग्वालियर)

यशवन्तसागर बांध
(इन्दौर)

हेलिओडोरस का स्तम्भ
बेसनगर (विदिशा)

वेधशाला (उज्जैन)

जहाजमहल (मांडू)

उदयपुर

एक छोटे-से उपेक्षित ग्राम के रूप में पड़ा उदयपुर किसी काल में उत्थान की चरम सीमा पर था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उदयपुर में प्राप्त प्राचीन अवशेष हैं। उदयेश्वर मंदिर यहाँ एक दर्शनीय स्थान है जहाँ के उत्कीर्ण लेखों में से एक यह स्पष्ट करता है कि मालवा के परमार राजा उदयादित्य ने उदयपुर, उदयेश्वर मंदिर तथा उदयसमुद्र का निर्माण कराया था। उदयेश्वर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना है जिसपर खण्डेराव अघानी ने सन् १७७५ ई० में पीतल की चादर चढ़ाई थी। मंदिर में गर्भगृह, सभामण्डप और पार्श्वमंडप हैं। पार्श्वमण्डप के स्तंभों पर अनेक लेख खुदे हुए हैं, जो अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। मंदिर के बाहरी भाग पर हिंदू देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ खोदी गई हैं। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर आर्यावर्त वास्तु-कला का एक उत्कृष्ट नमूना है।

शाही मस्जिद तथा शेरखान की मस्जिद उदयपुर के अन्य आकर्षण हैं। शाही मस्जिद शाहजहाँ द्वारा सन् १६३२ में बनवाई गई थी। कुछ ही दूर पर 'घोड़ादौड़ की बावड़ी' है जिसकी सीढ़ियाँ इतनी बड़ी है कि घोड़े भी पानी की सतह तक उतर सकते है। उदयपुर के समीप ही पहाड़ियों पर शिव एवं सप्त मातृकाओं की मूर्तियाँ भी खुदी हुई है जो वास्तव में दर्शनीय हैं।

विदिशा

यह प्राचीन विदिशा नगरी का प्रतीक है। 'मालविकाग्निमित्र' का नायक इसी विदिशा का सूबेदार था। ११ वीं शताब्दि में यहाँ जैन व हिंदू धर्मो का सम्यक् प्रचार था। उस समय निश्चय ही यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ होगा, किंतु कालान्तर में मुसलमान आक्रमणकारियों ने उन्हें नष्ट किया। लोहांगी चट्टान पर पानी की कुण्डी व लोहांगी पीर की कब्र दर्शनीय है। गुम्बज का मकबरा भी कुछ दूरी पर स्थित है, तथा बीजामण्डल मस्जिद ११ वीं शताब्दि के एक हिंदू मंदिर को नष्ट करके बनाई गई है। ऐसा अनुमान है कि ११ वीं शताब्दि में यह मंदिर शायद मध्यभारत का सबसे विशाल मंदिर रहा हो। वर्तमान मस्जिद के एक स्तंभ के लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीन मंदिर चर्चिकादेवी का था।

भेलसा के पूर्व में २ मील पर बेसनगर स्थित है, जो प्राचीन समय में बेसनगर कहा जाता था। बेसनगर का सबसे प्रमुख आकर्षण है 'खामबाबा'। यह नाम उस गरुड-स्तंभ का है, जो हेलिओडोरस द्वारा भगवान् वासुदेव के सम्मान में बनवाया गया था। हेलिओडोरस तक्षशिला के ग्रीक राजा द्वारा विदिशा के राजा भागभद्र के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था।

ग्यारसपुर

ग्यारसपुर के खुदाई किए गए ८ स्तंभों की कतार अठखंभा नाम से प्रसिद्ध है। ये स्तंभ किसी काल में विशाल मंदिर को संभाले हुए थे किंतु आज अवशेषावस्था में हैं। पहाड़ी की ढलाई पर बने हुये बाजरा मठ कलात्मक खुदाई के कामों से परिपूर्ण होने के कारण ग्यारसपुर का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। पहाड़ी के ढलाव पर स्थित मंदिर से नीचे की गहरी घाटी का दृश्य मन को लुभा लेता है। मंदिर में विविध दृश्यों से परिपूर्ण सुंदरतम खुदाई का काम किया गया है। ग्राम की उत्तरी पहाड़ियों पर बौद्ध-स्तूपों के अवशेष दृष्टि-गत होते हैं, जो इस भाग में बौद्धधर्म के प्रचार के स्पष्ट प्रमाण है। समीप ही वैष्णव मंदिरों

के अवशेष भी हैं। हिंडोला तोरण जो कि अपने नाम को सार्थक करता है, यहाँ का एक प्रमुख स्थल है। तोरण के स्तंभों पर चारों ओर मूर्तियां खुदी हुई हैं, जो कि बड़ी कुशलतापूर्वक विष्णु के दस अवतारों का चित्रण करती हैं।

माण्डू

मुस्लिम शासकों से प्रभावित माण्डू आज भी अपने अंचल में तत्कालीन कीर्तिचिह्न लिए खड़ा है। माण्डू का किला सैनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसके दिल्ली दरवाजे, आलमगीर और भांगी दरवाजे, तथा तारापुर दरवाज़े की रक्षा के कड़े प्रबंध थे। माण्डू किले के इन ऐतिहासिक दरवाजों की चहारदीवारों में प्रायः ७० से अधिक प्राचीन चिह्न हैं, जो दर्शनीय हैं।

किले में एक ओर वे खण्डहर हैं जो कि मालवा के सुलतानों के वैभव, सम्पन्नता और ऐश्वर्य का स्मरण दिलाते हैं। जहाज महल तो जैसे जीवन और सौंदर्य का जीता-जागता प्रतीक है जिसकी दीवालें राजकीय विलासिता और प्रेमक्रीड़ाओं के अनेकानेक दृश्य देख चुकी हैं। मुंज और कपूर तालों के बीच स्थित यह वास्तव में जहाज की कल्पना को साकार करता है। हिंडोला महल भी निर्माण-कला का एक सौंदर्य-रत्न है। किले की दूसरी ओर विशाल मस्जिद तथा मकबरे हैं। मस्जिद सुंदर एवं आकर्षक मेहरावों से सुसज्जित है जो मुगल वास्तु-कला की कलात्मकता और विलासिता की परिचायक है। मस्जिद के एक ओर होशंगशाह का मकवरा तथा दूसरी ओर मुहम्मद का मकवरा इस स्थल के सौंदर्य को और भी द्विगुणित करता है। सतमंजिला विजय स्तंभ जैसे यहाँ की शोभा में चार-चांद लगा देता है। होशंगशाह का मकबरा धवल संगमरमर का बना हुआ है जो पवित्रता व सादगी का प्रतीक है तथा मुस्लिम वास्तु-कला का अंतिम नमूना है।

पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर बाजबहादुर का शाही महल है जो कि रूपमती और बाजबहादुर की प्रेमकथा की स्मृति को जागृत करता है। यह महल नासिरुद्दीन द्वारा बनवाया गया था, जिसे बाजबहादुर ने और भी सजाया संवारा। सैनिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थिति पर था। पहाड़ी की ऊँचाई पर १,२०० फुट नीचे फैले हुए नीमा मैदान का विस्तार है और दृष्टि गड़ाकर देखने से सुदूर क्षितिज में नर्मदा की चाँदी-सी चमकती पतली-सी जलधारा सम गति से बहती हुई दिखाई देती है। निस्संदेह यह दृष्य मन को मोहित कर लेता है।

बदोह पाथरी

जीर्णावस्था में पड़े बदोह के खण्डहर आज भी अपनी मूक वाणी से कह रहे हैं कि मध्ययुगीन काल में यह एक समुन्नत एवं सुसम्पन्न नगर रहा होगा। अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में इसका नाम बादनगर (बातनगर) रहा हो। बम्बई-दिल्ली रेलमार्ग के कूल्हर स्टेशन पर उतरकर बदोह तक बैलगाड़ी से पहुँचा जा सकता है। ऊबड़-खाबड़ राह पर बैलों की घंटियाँ सुमधुर शब्द सुनाती हैं और आसपास का हरिताभ दृश्य आँखों को शीतलता प्रदान करता है, तब बैलगाड़ी की इस यात्रा में भी एक अनुपम आनंद आता है। बदोह के प्राचीन अवशेषों में से गदरमल मंदिर एक आकर्षक स्थल है। यह अत्यन्त ऊँचा होने से आसपास के स्थानों से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जीर्णावस्था में पड़ा तोरण-द्वार मंदिर की भव्यता एवं विशालता का सूचक है। मंदिर की दीवालों पर सुन्दरता

और मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने होते हैं। किंवदन्तियों के अनुसार यह मंदिर किसी गड़रिये द्वारा बनवाया गया कहा जाता है।

एक तालाब के किनारे "सोलह खंभी" स्थित है। किसी काल में इन सोलह खंभों पर कोई आनंद-भवन स्थित होने का अनुमान किया जाता है किंतु आज तो केवल कलात्मक सोलह खंभों के अवशेष ही मिलते हैं। वास्तु-कला की दृष्टि से संभवतः यह निर्माण ८ वीं या ९ वीं शताब्दि में हुआ होगा। दशावतार मंदिर से कुछ ही दूर सातमढ़ी मंदिर हैं जिनमें सात मढ़ियों के होने का अनुमान था किंतु अब केवल ६ बाकी हैं। जैनमंदिरों के अवशेषों में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ अवस्थित हैं। इसके कुछ प्रकोष्ठों में ११ वीं शताब्दि के संस्कृत लेख उत्कीर्ण हैं, जो किन्हीं यात्रियों द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे। पाथरी में सप्तमातृका स्तंभ व वराह मूर्ति प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि यह स्तंभ ई० सन् ८६१ में राष्ट्रकूट राजा प्रबाल के किसी मंत्री द्वारा गरुडध्वज के रूप में संस्थापित किया गया था।

खजुराहो

अनेक भाव-भंगिमाओं का चित्रण करनेवाली मूर्त्तियों से सम्पन्न खजुराहो के जड़ पाषाणों पर चेतनता भी वारी जा सकती है। पाषाण-निर्मित निर्जीव और स्थिर प्रतिमाएँ जिव्हाहीन होकर भी जैसे मन का भाव स्पष्ट कर देती हैं। ये कठोर पाषाण की मूर्तियाँ इतने कोमल भाव व्यक्त करती हैं कि मन आश्चर्यचकित हो जाता है। विविध उपास्य देवी-देवताओं की सुंदरतम एवं भव्य मूर्तियों के साथ ही खजुराहो में अनेक कामक्रीड़ा और रति-केलि का चित्रण करनेवाली मूर्तियाँ भी हैं, जो प्रणयी जीवन की प्रणयगाथाओं को निःशब्द मूक स्वर में मुखरित करती हैं। पाषाणों के माध्यम से कलाकारों ने जैसे समस्त नायिकाभेद का रहस्योद्‌घाटन कर इन मूर्तियों में मुग्धा, गुप्ता, प्रोषित पतिका, रूपगर्विता, परकीया इत्यादि नायिकाओं का चित्रण किया है। खजुराहो के मंदिरों की मदमाती एवं कामक्रीड़ाओं की अनेक परिभाषाओं को विशद करनेवाली मूर्तियों में उद्वेगी एवं कलुषित मन भले ही अश्लीलता देखे किंतु जिन कलाकारों ने इनका निर्माण किया था उनकी भावना निश्चित ही ऐसी नहीं थी; क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ उपास्य नहीं उपासक हैं। उपास्य तो हैं देवी-देवता, जो आलों में प्रतिष्ठित हैं। जीवन के परम सौंदर्यतत्व काम एवं संभोग-तत्व के अनेक व्यापारों का विशद वर्णन वास्तव में उस दार्शनिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है, जो "सत्यं शिवं सुन्दरम्" की परिभाषा देता हुआ सौंदर्य में और सत्य में शिवम् की प्रतिष्ठा करता है। खजुराहो में अंकित मूर्तियों में ऐसी ही सौंदर्यभावना को प्राधान्य दिया गया है जो मंगल एवं कल्याण के साथ समन्वित हैं। 'इन मंदिरों और मूर्त्तिकला के निर्माण में जिस दार्शनिक प्रेरणा ने कार्य किया है, वही विकसित होकर शैव प्रत्यभिज्ञ में परिवर्तित हुआ, और कालान्तर में वही साहित्यशास्त्र में रसवाद की भूमिका बना।'

खजुराहो के मंदिरों में कन्दरिया विश्वनाथ, दूलह देव, लालगुवां महादेव, मातंगेश्वर, अवारी, लक्ष्मणेश्वर आदि प्रमुख मंदिर हैं। आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैनमंदिर हैं। इन मंदिरों में नृत्य-गीत, दर्पण में मुख देखती हुई अप्सरा, वंशीवादन का त्रिभंगी रूप, कामक्रीड़ा इत्यादि का चित्रण करनेवाली अनेक प्रतिमाएँ हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य

जीवन को 'आनन्द' तक पहुँचाने एवं उसके सौंदर्य-तत्व में शिवत्व का प्रतिस्थापन करने का है।

खजुराहो छतरपुर से २७ मील पूर्व तथा पन्ना से २५ मील उत्तर कोने पर बमीठा-राजनगर सड़क पर स्थित है। बमीठा-राजनगर सड़क सतना-नौगांव की शाखा है। खजुराहो के मंदिर और प्राचीन अवशेष ८ वर्गमील के घेरे में हैं। ये मंदिर पूर्व-मध्य-कालीन भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अनुमान है कि ये मंदिर खजुराहो के प्राचीन शक्ति-पीठ के महान् विचारकों की प्रेरणा एवं चन्देल राजाओं के प्रोत्साहन से ८ वीं से १५ वीं शताब्दि के समय में बने हैं। इन मंदिरों का स्थापत्य आर्य-शैली का है।

चचाई प्रपात

चचाई प्रपात प्रकृति-प्रेमियों के लिए एक अनन्य आकर्षण का केन्द्र है, जहाँ बीहर-नदी लगभग ३७५ फुट का बीहड़ प्रपात बनाती हुई एक मनोरम घाटी में प्रवेश करती है। रीवां से ३०-३५ मील की दूरी पर चचाई प्रपात है। पास ही इसी नाम का ग्राम भी है। भूरी-भूरी चट्टानें जो कि पानी के निरंतर आघातों से घिसकर समतल-सी बन गई हैं—इनपर बैठकर प्रपात का सौंदर्य निहारिये। जल के द्रुतगति से गिरने के कारण उत्पन्न हुआ तुमुल शब्द जहाँ कानों को आनन्द प्रदान करता है वहीं जल के गिरने से उठे हुए और चाँदी से चमकते जलकण कुहरे-से दृष्टिगत होते हैं और ऐसा ज्ञात होता है मानों चाँदी का कुहरा-सा छा गया हो। पहाड़ियों से गिरते हुए प्रपात का निरंतर शब्दनाद ऐसा मालूम होता है मानों बीहर की जल-राशि विंध्या के गुणगीत के राग अलापती हुई उसके गौरव का उद्घाटन कर रही हो। पथरीली घाटियों की चट्टानों पर बैठकर इस आर्द्रता का लाभ उठाया जा सकता है। ये जल-परमाणु शरीर पर गिरकर शरीर को जैसे तृप्ति का आनंद देते हैं एवं सारी थकान और श्रम का परिहार कर देते हैं। निस्संदेह चचाई का प्रपात प्राणों को सुखानुभव से तृप्त कर देता है।

माड़ा के भग्नावशेष

माड़ा के भग्नावशेष वे दर्शन-स्थल हैं जो भारतीय संस्कृति की एक अमिट धरोहर की छाप मन पर छोड़ देते हैं। माड़ा सिंगरौली तहसील में स्थित है। माड़ा के ये भवन भारतीय शैवधर्म के पुनरुत्थान के समय योगियों के योगाभ्यास करने तथा बौद्ध-काल में शैवधर्म की रक्षा करने के पवित्र उद्देश्य को लेकर पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं। विवाह माड़ा नामक भवन एक लंबी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इन भवनों में भगवान् शिव के पार्वती सहित ताण्डव नृत्य की भयानक एवं प्रचंड मुद्रा में बनाई गई मूर्तियाँ स्थित हैं। इन भवनों की प्रमुख विशिष्टता यह है कि इनमें जुड़ाई कहीं भी नहीं की गई है, किंतु सम्पूर्ण भवन मीलों लंबी पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं। रावण-माड़ा के भवन की विशेषता यह है कि उसमें एक ऐसी मूर्ति है, जिसमें रावण द्वारा कैलाश सहित भगवान् शंकर को सिर पर उठा लेने का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। शंकर की विविध मूर्तियाँ भी दीवालों में बनी हुई हैं। रावण माड़ा से कुछ दूरी पर एक जलस्रोत है, जहाँ सालभर पहाड़ी की चट्टान की दरार से निरंतर जलधारा प्रवाहित होती रहती है।

शिवपहाड़ी इन भग्नावशेषों का एक अन्य आकर्षण-स्थल है। ज्ञात होता है कि यह स्थान योगियों के ध्यान, अभ्यास आदि के लिए बनाया गया होगा। पहाड़ी के मध्यभाग

में दोनों ओर अटारी की तरह भवन बने हैं, तथा उनमें छोटे-छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिनमें संभवतः शैव उपासक निवास करते होंगे। पहाड़ी पर जाने के हेतु एक सीढ़ीदार मार्ग भग्नावशेष रूप में बना है। माड़ा के भग्नावशेषों के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं, किंतु अनुमान यह किया जाता है कि ये शैवकालीन सभ्यता के प्रतीक भवन आठवीं शताब्दि के हैं।

सांची

मद्रास-दिल्ली रेलमार्ग पर स्थित सांची अतीत के गौरव और उदात्त भावनाओं को अपने उर में छिपाए आज भी भगवान् बुद्ध के संदेशों को प्रतिध्वनित करता है। सामान्य से सामान्य मानव को मोक्ष-प्राप्ति का मध्यम मार्ग सुझानेवाले गौतम बुद्ध का संदेश आज भी साँची के स्तूपों के अंतराल में मानों गूंज रहा है। साँची के सौंदर्य-दर्शन के आकांक्षी प्रत्येक भावुक मन को सांची के स्तूपों के दर्शन के साथ ही स्यात् —

"धम्मं शरणम् गच्छामि।
बुद्धं शरणम् गच्छामि।
संघं शरणम् गच्छामि।"

के महामंत्र स्मरण हो आते हैं।

साँची के स्तूपों ने बौद्धधर्म का अभ्युदय एवं पतन देखा है। साँची के कुछ स्तूप सम्राट् अशोक (ई० स० ३ री शताब्दि) के काल के हैं। सम्राट् अशोक के राजत्वकाल में साँची का महत्व और भी वृद्धिगत हुआ। सांची के पुरातत्वकाल की प्रगति को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम काल ई० पूर्व तीसरी शताब्दि से ४०० ई० स० तक, द्वितीय काल ई० सन् ६०० तक और तीसरा काल १३वीं शताब्दि के अंत तक। स्पष्ट है कि साँची के निर्माण किसी एक समय अथवा काल के नहीं हैं। उनमें एक सतत गतिक्रम दृष्टिगत होता है। साँची के स्तूप बौद्धकालीन वास्तु-कला के अप्रतिम नमूने हैं। सम्राट् अशोक के द्वारा अपने राज्य में बनवाए गए अनेक स्तूपों में भगवान् बुद्ध के अस्थि-शेषों को स्थापना की गई थी। साँची के प्रमुख स्तूप में भी बुद्ध की अस्थियाँ प्रतिस्थापित की गई थीं।

साँची का प्रमुख स्तूप गोलाकार बना हुआ है, जिसके ऊपरी भाग पर एक चबूतरा बना है। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ है, जिसे 'मेघी' कहा जाता था। स्तूप के चारों ओर पत्थर का परकोटा-सा बना है, जिसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में चार प्रवेश-द्वार हैं। कहा जाता है कि प्रमुख स्तूप का निर्माण सम्राट् अशोक द्वारा कराया गया था। चारों प्रवेश-द्वारों पर बड़ी सुंदर खुदाई का काम किया गया है, जिसमें कलात्मक अभि-रुचि के साथ ही बौद्ध संस्कृति भी अनुप्राणित हो उठी है। इन प्रवेश-द्वारों पर खोदी गई मूर्तियों में बोधिवृक्ष व भगवान् बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र एवं हाथी, घोड़ों, घुड़सवारों आदि की मूर्तियाँ खोदी गई हैं। उत्तरी प्रवेश-द्वार पर जातक कथाओं को प्रतिबिंबित करनेवाले दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो बुद्ध के अविनाशी सिद्धांतों का उद्घाटन करती हैं।

इन प्रवेश-द्वारों की कलापूर्ण खुदाई की पृष्ठभूमि में खड़े सादे स्तूपों में महान् अंतर दृष्टिगत होता है। किंतु सत्य है कि इन प्रवेश-द्वारों का निर्माण बाद में हुआ है। प्रवेश-

द्वारों में यक्षिणी, सिंह इत्यादि की मूर्तियाँ भी खुदी हैं। साथ ही द्वार के सबसे ऊपरी भाग पर धर्मचक्र बना हुआ है। धर्मचक्र सिंहों अथवा हाथियों द्वारा संभाला हुआ है तथा उसके दोनों ओर यक्ष स्थित है। प्रवेश-द्वारों का एक स्थल आकर्षण एवं जिज्ञासा का महान् केन्द्र है, जहाँ सम्राट् अशोक की बोधगया-यात्रा का चित्रण किया गया है। समस्त द्वारों की खुदाई में केवल यही एक ऐसी जगह है, जहाँ कि बौद्धधर्म के लिए सर्वस्व अर्पण करनेवाले अशोक का चित्रण है।

प्रमुख स्तूप के अतिरिक्त साँची में छोटे स्तूप भी हैं। पश्चिम के स्तूप में मोगलीपट्ट व काश्यप के अस्थिशेष प्रतिस्थापित हैं। स्तूप क्रमांक ३ में बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्त एवं महामोग्गलायन की अस्थियाँ पाई गई थीं। इन अस्थियों का शोध जनरल कनिंघम ने किया था और ये लंदन के संग्रहालय में भेज दी गई थीं। किंतु ये अस्थियाँ पुन: वापस ले आई गई और नवंबर १९५२ को साँची में एक नवीन विहार बनवाकर उसमें प्रतिस्थापित की गई है। आधुनिक ढंग से बना यह चैत्यगिरि विहार भी एक प्रमुख आकर्षण एवं दर्शनीय स्थल है। दक्षिण प्रवेश-द्वार का अशोक-स्तंभ अपने भग्नावशेष रूप में खड़ा है। जब यह स्तंभ अच्छी स्थिति में था तब इसकी ऊंचाई ४२ फुट थी।

इस प्रकार साँची में अनेक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त जिस पहाड़ी पर साँची बसा है वह भी प्राकृतिक दृश्यों को प्रस्तुत करती है। यह पहाड़ी ३०० फोट ऊँची है, जिसपर अनेक प्रकार के रंगों की मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी की हरिताभ वनश्री भी बड़ी मनमोहक है।

उत्तर भारत का सोमनाथ

भोजपुर के मंदिर की रचनाशैली, विशालता, पच्चीकारी इत्यादि देखकर ऐसा आभास होता है कि भोजपुर मानों वास्तव में उत्तर भारत का सोमनाथ है। सोमनाथ में सागर का गंभीर गर्जन है तो भोजपुर में वेत्रवती का स्निग्ध कल-कल स्वर। वास्तव में मध्यप्रदेशीय भूमि में भगवान् शिव का यह भव्य प्रासाद भारतीय शिल्प-कला, मूर्तिकला एवं स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना है।

भोजपुर को पहुँचने के लिए टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों का आश्रय लेना पड़ता है। मिसरौद के कुछ आगे से चिकलौद जाने के लिए जो मार्ग फूटता है उस मार्ग पर लगभग ४-५ मील जाने के उपरान्त दाहने हाथ की ओर मुड़कर जो कच्चा मार्ग जाता है वही यात्री को भोजपुर तक पहुँचा देता है। प्रकृति के सुरम्य दृश्यों का आस्वाद लूटते, महाराज भोज द्वारा बनवाए गए बाँध की सुदृढ़ता, विशालता एवं उपयोगिता की चर्चा करते हुए यात्री बढ़ते हैं और उन्हें एकाएक भोजपुर के खण्डहरों के दर्शन होते हैं। दूर से ही इन खण्डहरों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है और अपने सांस्कृतिक उत्थान के गत दिवसों की स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं। भोजपुर मंदिर के गर्भगृह और विशाल द्वार सर्वप्रथम दर्शकों का आकर्षण करते हैं। गर्भगृह के द्वार पर भूत-भावन शंकर की दो मूर्तियाँ हैं। दोनों ही सपरिकर हैं। अनेकानेक वस्त्रालंकारों से सुशोभित शिव की प्रतिमाएँ स्निग्ध और सुंदर भावों का प्रकाशन करनेवाली भी हैं। निस्संदेह शंकर की ये दोनों मूर्तियाँ तोरण द्वार का अभिमान हैं। गर्भगृह के प्रवेश-द्वार पर पाषाण-शिलाओं पर अनेकानेक भित्तिचित्र खुदे हुए हैं। यहाँ ११ वीं-१२ वीं सदी की मूर्तिकला के उपकरण माने जाते हैं।

इन मूर्तियों में चवरें डुलाती हुई रमणियाँ, सिंह और हस्तिनी के दृश्य मन को मोह लेते हैं। प्रथम चरण पर बनी दो शंखाकृतियाँ भी कम आकर्षक नहीं हैं।

गर्भगृह के भीतरी भाग में शिवलिंग व जलहरी सिंहासन विशेष महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय हैं। भोजपुर की जलहरी की रचना का प्रकार बिलकुल स्वतंत्र एवं मौलिक है। भोजपुर की जलहरी में सौंदर्य-सृष्टि के साथ ही नूतन शैली का सूत्रपात हुआ है, जो कि प्रांतीय विशिष्टता का स्वरूप होने के साथ ही प्राचीनकाल की परम्परागत शैली का नूतन संस्करण है। ऐसी सौंदर्यपूरित जलहरी पर शिवलिंग प्रस्थापित है। शिवलिंग की सुस्निग्ध चमक मन को मोह लेती है। तीनों ओर पत्थर की सुदृढ़ दीवालें हैं। चारों दिशाओं में ४ स्तंभों के अतिरिक्त प्रत्येक दीवाल में भी दो-दो कलात्मक ढंग से बनाए गए स्तंभ हैं। इन पर दो योगिनियों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, जिनकी भाव-प्रवणता प्रेक्षणीय है। मधुछत्र भोजपुरीय मंदिर का कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण भाग है। मधुछत्र चार स्तंभों पर आधारित है। चारों स्तंभों पर तीन-तीन मूर्तियां खुदी हैं, जो भगवान् शंकर के जीवन से संबंधित हैं। शंकर-पार्वती का रसोद्रेकावस्था का सुंदर चित्रण मन को स्नेह-सागर में डुबो देता है। ये लाल पाषाण पर उत्कीर्ण हैं तथा जमीन से प्रायः ४० फीट की ऊंचाई पर हैं।

मधुछत्र शिखर का आंतरिक भाग होता है। भोजपुर मंदिर के मधुछत्र का व्यास अनुमानतः लगभग ५० फीट होगा। मधुछत्र का निर्माण सूक्ष्म, स्पष्ट और बलिष्ठ रेखाओं द्वारा किया गया है। यह मधुछत्र ११वीं-१२वीं शताब्दि की उत्कृष्टतम रेखांकनों का बहुमूल्य भंडार है, जो भिन्न-भिन्न कलियों द्वारा एकत्रित होकर विशाल स्तंभों पर आधारित चार चट्टानों पर टिका है। मधुछत्र की प्रत्येक कली के नीचे अधोमुखी मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। लकुटीश की मूर्ति मन को मोह लेती है। इस मूर्ति के हाथ में लकुटी और पुष्प हैं। मुख पर मंदस्मिति और गंभीरता है, जो वास्तव में अविस्मरणीय है। भोजपुर का यह विशाल शिवमंदिर महाराजा भोज की मूल्यवान कीर्ति-पताका है। भोजपुर शिवमंदिर के पृष्ठ भाग में ही एक जैन मंदिर के अवशेष भी हैं, जिनकी प्रायः १३वीं शताब्दि की जैन-प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं।

आशापुरी

भोजपुर से प्रायः ४ मील उत्तर की ओर आशापुरी के खण्डहर खड़े हैं, जिनमें बिखरी हुई मूर्तिकला संपत्ति दर्शनीय है। आशामाता के ध्वस्त मंदिर में ४ फीट से अधिक चौड़ी आशामाता की मूर्ति के भग्नावशेष हैं। अनुमान है कि मूर्ति के ८ हाथ थे किंतु अब केवल १ ही हाथ शेष है। सिंहवाहिनीमाता, बालक इत्यादि की मूर्तियाँ प्रेक्षणीय हैं। भग्न तोरण द्वार पर विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती इत्यादि की प्रतिमाएँ अंकित हैं। आशापुरी की शेषशायी विष्णु और जैन-प्रतिमाओं का सौंदर्य भी उल्लेखनीय है।

इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश में मुक्तागिरि, सिवनी के जैनमंदिर, असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला, बुरहानपुर की प्राचीन मुगलकालीन जल-व्यवस्था, चित्रकूट के प्रपात, सुहानिया का ककन मढ़मंदिर, पाघवली का गढ़ी का मंदिर, पवाया के खण्डहर, सुरवाया के भवनों के छतों की सुंदर पच्चीकारी, कदवाहा का महादेव मंदिर, तेराही का कलात्मक एवं आकर्षक तोरण-द्वार, चन्देरी, धार की भोजशाला के अवशेष, अहिल्याबाई की छत्री,

नचना कोठरा, पियावन प्रपात, आल्हाघाट आदि अनेक दर्शन-स्थल हैं। उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश में ऐसे अनेक प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व कलात्मक सौंदर्य-स्थल एवं दर्शनीय स्थल हैं, जो दर्शकों के जीवन में नूतन आशा, उत्साह, गौरव, सौंदर्य-भावना व आनंद की सृष्टि करने में समर्थ हैं, जो जीवन की गतिशीलता को निरंतर अनुप्राणित करते रहते हैं।

मध्यप्रदेश के दर्शनीय स्थलों की रेखानुकृतियाँ

राघोगढ़ का किला
(गुना)

तानसेन का मकबरा
(ग्वालियर)

बाग की गुफायें
(धार)

पठारी का स्तम्भ
(विदिशा)

नेमावर का मन्दिर
(देवास)

'ताजमहल', भोपाल

राज्य विधान-सभा भवन, भोपाल

राजधानी

भोपाल १७१ हजार वर्गमील भूमि में फैले हुए तथा २६१ लाख जनसंख्यावाले विशाल मध्यप्रदेश की राजधानी है। यह नगर वम्बई-दिल्ली और दिल्ली-मद्रास मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है तथा राज्य के लगभग बीचोबीच पड़ता है। यह समुद्र से लगभग १,६०० फुट ऊपर स्थित है तथा नगर का कुल क्षेत्रफल ११.५ वर्गमील है। निसर्ग से आशीर्वाद प्राप्त भोपाल नगर हरी-भरी उपत्यकाओं और सुषमा-शोभित वन-वल्लरियों के बीच में बसा है। भोपाल का गौरव भोपाल ताल नगर को अपने स्नेहिल अंक में आवेष्टित किये हुए है। नागर जीवन की सुख-सुविधाओं के साथ ही भोपाल नगर मानव को प्रकृति के सुखमय सौंदर्य का भी रसास्वाद कराता है। नैसर्गिक रूप-छटाएँ और भोपाल ताल का श्रम-परिहार करनेवाला शीतल जल दिनभर के कष्टों और थकान को मिटा देने में समर्थ है।

ऐतिहासिक विवरणों से अनुमान लगाया जाता है कि भोपाल महाराजा भोज के शासनकाल में ही वसाया गया होगा। भोपाल का पूर्व नाम भोजपाल था; किंतु कालान्तर में 'ज' का लोप होकर यह भोपाल रह गया। भोजपाल से महाराजा भोज द्वारा पालित प्रदेश का अर्थ स्पष्ट होता है। तत्पश्चात् भोपाल का इतिहास तिमिराच्छन्न है; और इसके वाद १८वीं शताब्दी में सरदार दोस्त मुहम्मदखां ने दिल्ली की अव्यवस्थित परिस्थितियों से लाभ उठाकर तत्फलस्वरूप भोपाल में अपने राजवंश की नींव डाली जिस वंश का शासन सन् १९४६ ई० तक चला और तत्पश्चात् भोपाल का भारत संघ में विलीनीकरण हो गया और अव राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भोपाल मध्यप्रदेश में सम्मिलित हो गया है।

सन् १९५१ की जनगणनानुसार भोपाल नगर की कुल जनसंख्या १,०२,३३३ है जिनमें पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्रमशः ५४,०३९ व ४८,२९४ है; अर्थात् कुल जनसंख्या की तुलना में पुरुषों व स्त्रियों की प्रतिशतता क्रमशः ५२.८ व ४७.२ है। नगर की जनसंख्या गत वर्षों की तुलना में वृद्धिगत होती जा रही है। सन् १९०१ में भोपाल की जनसंख्या ७७,०२३ थी, जबकि सन् १९४१ में यह ७५,२२८ हो गई थी, और अव १९५१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या १,०२,३३३ है। उल्लेखनीय है कि सन् १९४१-५१ के बीच जनसंख्या में ३६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। नगर के कुल १८,१२९ पुरुष व ७,५५२ स्त्रियाँ साक्षर हैं।

नगर की अधिकांश जनता गैर-कृषि कार्यो से अपना जीवन-निर्वाह करती है। कृषि पर केवल १.९५ प्रतिशत जनसंख्या ही आधारित है। निम्नांकित तालिका नगर की जनसंख्या का धन्धों के अनुसार विभाजन व तत्संबंधी प्रतिशतता स्पष्ट करती है:—

तालिका क्रमांक १३०

भोपाल नगर में धन्धों के अनुसार जनसंख्या विभाजन (१९५१)

धन्धे	जनसंख्या	प्रतिशतता
कृषि	१,९९८	१.९५
कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन	२१,०६१	२०.५८
वाणिज्य	१८,७९९	१८.३७
यातायात	७,३११	७.१५
अन्य सेवाएँ तथा विविध साधन	५३,१६४	५१.९५

सूचना स्रोत—जनगणना प्रतिवेदन, १९५१

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है नगर की अधिकांश जनसंख्या (५१.९५ प्रतिशत) जीवन-निर्वाह के हेतु अन्य सेवाओं तथा विविध साधनों पर अवलम्वित है, जबकि २०.५८ प्रतिशत जनसंख्या कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन पर अपना जीवन-निर्वाह करती है। नगर की शेष जनसंख्या में से १८.३७ प्रतिशत, ७.१५ प्रतिशत व १.९५ प्रतिशत जनसंख्या क्रमशः वाणिज्य, यातायात व कृषि-साधनों पर अवलम्वित है।

सन १९५१ की जनगणनानुसार भोपाल में प्रमुख उद्योगों एवं सेवाओं में लगे आत्म-निर्भर व्यक्तियों संबंधी निम्नांकित तालिका प्रस्तुत की गई है:—

तालिका क्रमांक १३१

भोपाल नगर में उद्योगों में लगे आत्म-निर्भर व्यक्ति

उद्योग व सेवाएँ	जनसंख्या
सूती वस्त्रोद्योग	२,७०७
वाणिज्य	५,८४५
स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लोक प्रशासन	४,६६५
यातायात परिवहन एवं संग्रहण	२,७६५
घरेलू सेवाएँ	२,४२३
नाई एवं सौंदर्यप्रसाधन की दूकानें	२३०
धोबी	३१३
होटल व उपाहारगृह	४५४

सूचना स्रोत:—जनगणना, १९५१

राज्य के अन्य बड़े नगरों की तुलना में यद्यपि भोपाल नगर अभी उद्योगों की दृष्टि से उनके समकक्ष नहीं आता, तथापि राजधानी होने से नगर के औद्योगिक विकास की अधिकाधिक संभावनाएं हैं। सन् १९५१ की जनगणनानुसार राज्य में निम्नांकित उद्योग हैं :—

तालिका क्रमांक १३२

भोपाल नगर के उद्योग-धन्धे

उद्योग	संख्या
सूती कपड़े की मिल	१
कागज, दफ्ती व अन्य कागजी सामान	१
सरेस व रासायनिक पदार्थ	१
पदार्थों को ठंडा करने का उद्योग	१
बीड़ी उद्योग	२

सूचना स्रोत :—जनगणना, १९५१

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भोपाल के उद्योग-धन्धों की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है। नगर में सूती वस्त्रोद्योग, शक्कर उद्योग, केमिकल उद्योग, बीड़ी उद्योग सदृश प्रमुख उद्योग स्थित हैं। साथ ही सीमेंट, कांच, चूना इत्यादि उद्योगों की स्थापना के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हैं। इन प्रमुख उद्योगों के सिवाय नगर में दरी बनाने, जरी का काम, चमड़ा उद्योग, खिलौने बनाना इत्यादि लघुप्रमाप उद्योग सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में भोपाल में एक भारी विद्युतीय उपकरण निर्माण करनेवाला कारखाना खुलनें जा रहा है। इस कारखाने के निर्माण में लगभग २५ करोड़ रुपये की पूंजी के व्यय होने का अनुमान है तथा यह कारखाना सन् १९६० में उत्पादन करने लगेगा। अनुमान किया जाता है कि इस कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष लगभग २०-२५ करोड़ रुपये के भारी विद्युतीय उपकरण तैयार होने लगेंगे।

१९५१ की जनगणनानुसार नगर से दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक व अर्धवार्षिक कुल मिलाकर प्रायः १८ पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं। उसी प्रकार नगर में १४ मुद्रणालय, ३ सिनेमा-गृह, २ अस्पताल तथा १ मेडिकल कॉलेज व १ डिग्री कॉलेज (कला, विज्ञान व विधि) है।

आज के युग में विद्युत् उत्पादन एवं उपभोग, समाज की प्रगति का परिचायक माना जाता है। विद्युत का अधिकाधिक जनन एवं उपभोग अधिक सुख-समृद्धि एवं समृद्ध

जीवन-स्तर का मापदण्ड होता है। निम्नांकित तालिका भोपाल नगर के सन् १९५४ के विद्युत्-संबंधी समंक प्रस्तुत करती है:—

तालिका क्रमांक १३३

भोपाल नगर में विद्युत्-उत्पादन एवं उपभोग

उत्पादन क्षमता	३,६००	किलोवाट अवर्स
विद्युत्जनित	६७.४१	लाख किलोवैट अवर्स
घरेलू कार्यों के लिए उपयोग करनेवाले उपभोक्ताओं की संख्या.	१५.६९	लाख ,,
औद्योगिक पॉवर	१२.४३	लाख किलोवाट अवर्स
लघुप्रमाप उद्योग कनेक्शन	८०	हजार ,,
नगरपालिका के जल-प्रदाय पंपिंग केन्द्र	१३.६३	लाख ,,
मार्ग पर लगे विद्युत् बल्ब	२,६१,०००	

भोपाल में एक सुव्यवस्थित नगरपालिका भी कार्य करती है। वर्ष १९५३-५४ में नगरपालिका को २१ लाख रुपये आयस्वरूप प्राप्त हुए थे, तथा उतनी ही राशि उक्त वर्ष में इसके द्वारा व्यय की गई थी।

मुस्लिम संस्कृति और शासन का भोपाल पर अमिट प्रभाव पड़ा है। नवाबों की कलाप्रियता से भोपाल में अनेक दर्शनीय इमारतों का निर्माण भी संभव हुआ है। नगर के बीच में स्थित मसजिद की गगनचुम्बी मीनार जैसे पूरे नगर पर अपनी कृपादृष्टि डालती-सी खड़ी है। अहमदाबाद महल, नवावसाहब का महल व सोफिया मसजिद इमारतें भी अपनी सुन्दरता और कलात्मकता से बड़ी मनोमुग्धकारी प्रतीत होती हैं। इसके सिवाय मिन्टो हॉल जो कि राज्य की विधान-सभा में परिवर्तन किया गया है, एक भव्य एवं आकर्षक इमारत है। साथ ही सदर मंजिल और रेवेन्यू कोर्ट इमारतों की भी निराली ही छटा एवं गरिमा है। भोपाल ताल जो कि दूर तक फैला-सा दिखता है, नगर का एक प्रमुख सौंदर्य-स्थल है। इसके अतिरिक्त भी अनेक शाही महल, सचिवालय, भदभदा बाँध, छोटा तालाब, दोस्त मुहम्मदखां का मकबरा, गौड़ महारानी शिव गुफा, लाल कोठी आदि भोपाल की महिमा बढ़ाते हैं।

शासकीय मुद्रणालय

आधुनिक युग में मुद्रणालयों की सेवाओं व उपयोगिताओं से सभी परिचित हैं। वास्तविक रूप से देखा जाय तो मुद्रण-कला आधुनिक संसार के जीवन को प्रभावित करनेवाली मुख्य शक्ति बन गई है जिससे कि किसी भी देश के नागरिक अप्रभावित नहीं रह सके हैं। केवल इतना ही नहीं, इस वैज्ञानिक युग का समस्त ज्ञान-विज्ञान मुद्रण-कला की विश्वव्यापी परिधियों में आबद्ध है और यही कारण है कि जीवन में शिक्षा व ज्ञान का महत्व समझनेवाला कोई भी व्यक्ति मानव-जीवन में मुद्रण-कला की युग-कल्याणमयी उपादेयता को अस्वीकार नहीं कर सकता।

मुद्रण-कला शासनतंत्र का तो इस युग में अपरिहार्य अंग बन गयी है, तथा, यदि अधिक स्पष्ट कहा जाय तो, यह प्रजातंत्र में उस चक्र का कार्य करती है जिसपर कि जनता की प्रवृत्तियों को मोडने का दायित्व है। प्रशासन में मुद्रणालयों का योग विशेष उल्लेखनीय

शासकीय मुद्रणालय, भोपाल

है। प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले नियमों, उप-नियमों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिये संदर्भ-ग्रंथों, प्रपत्रों व विविध प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक साहित्य का प्रकाशन मुद्रणालयों के माध्यम से ही होता है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य अपनी शासकीय आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी सुविधा के लिये शासकीय मुद्रणालय रखता है;

ताकि शासन-कार्य से संबंधित मुद्रणसंबंधी कार्य उत्तम रीति से तथा समय पर सम्पन्न हो सके। शासकीय मुद्रणालयों के कारण शासन को केवल उपर्युक्त लाभ ही न होकर प्रशासन-दक्षता व गोपनीयता रखने संबंधी भी लाभ होते हैं। शासकीय कार्यों में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब कि शासन द्वारा कतिपय विशिष्ट सूचनायें, विज्ञप्तियाँ या अध्यादेश एक नियत समय के पूर्व प्रसारित नहीं की जा सकतीं। इन सूचनाओं, विज्ञप्तियों या अध्यादेशों की गोपनीयता तभी बनी रह सकती है जब कि इनका प्रसार शासन द्वारा संचालित मुद्रणालयों द्वारा प्रकाशित सामग्री के ही माध्यम से हो। मध्य-प्रदेश में शासकीय मुद्रणालयों की स्थिति अनेक दृष्टियों से सुदृढ़ है तथा मुद्रणसंबंधी प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस समय राज्य में विविध कार्यक्षमतायुक्त शासकीय मुद्रणालय भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, रीवां व राजनांदगांव में कार्य कर रहे हैं। इन पांचों मुद्रणालयों में समग्र रूप से १,५०६ कर्मचारी कार्य करते हैं। इन मुद्रणालयों में समष्टि रूप से लगभग १,२७५ लाख फॉर्म छापे (Impressions) का कार्य एक वर्ष में किया जा सकता है। मुद्रणालय की शाखायें राज्य के विभिन्न केन्द्रों में स्थापित हैं। मुद्रणालय के कुल पाँच केन्द्र निम्नलिखित हैं:—

(१) शासकीय मुद्रणालय, भोपाल
(२) शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर
(३) शासकीय मुद्रणालय, इन्दौर
(४) शासकीय मुद्रणालय, रीवां
(५) शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव

उक्त मुद्रणलयों में से सर्वाधिक कार्यक्षमतायुक्त मुद्रणालय ग्वालियर का है, जिसे कि "अ" श्रेणी का मुद्रणालय कहा जा सकता है। यहाँ वार्षिक रूप से ६८० लाख फॉर्म छापों (Impressions) का कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। भोपालस्थित शासकीय मुद्रणालय अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। साथ ही राज्य-पुनर्गठन के फलस्वरूप बढ़े हुए कार्य को देखते हुए इस मुद्रणालय की कार्यक्षमता को राजधानी को शासकीय मुद्रणसंबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सक्षम नहीं कहा जा सकता। इन्दौर, रीवां व राजनांदगांवस्थित शासकीय मुद्रणालयों की वर्तमान क्षमता भी अपेक्षित स्तर की नहीं है। अतएव मध्यप्रदेश में न्यूनाधिक रूप से समस्त शासकीय मुद्रणालयों के विकास की आवश्यकता है; ताकि राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शासकीय कार्यों में बढ़े हुए कार्य की मुद्रणसंबंधी कठिनाइयाँ कम हो सकें व मुद्रण-कार्य में नवीन क्षमता आ सके। निम्न सारणी में दर्शाया गया है कि वर्तमान शासकीय मुद्रणालयों का विकास कर प्रत्येक मुद्रणालय में कितने कर्मचारियों द्वारा कितना कार्य हो सकेगा:—

तालिका क्रमांक १३४

शासकीय मुद्राणालयों का प्रस्तावित विकास

क्र. सं.	मुद्रणालय का नाम.	कर्मचारियों की संख्या.	कार्यक्षमता लाख फॉर्म छापों में.
(१)	शासकीय मुद्रणालय, भोपाल ..	५३१	२४५
(२)	शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर ..	४९९	६८०

क्रमांक	मुद्रणालय का नाम.		कर्मचारियों की संख्या.	कार्यक्षमता लाख फॉर्म छापों में
(३)	शासकीय मुद्रणालय, इन्दौर	..	२५४	२९२
(४)	शासकीय मुद्रणालय, रीवां	..	१६४	४१३
(५)	शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव	..	१५७	३००
	योग	..	१,६०५	१,९३०

सूचना-स्रोत:—अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शासकीय मुद्रणालयों के विकास के पश्चात् वर्तमान १,५०६ कर्मचारियों के स्थान पर १,६०५ कर्मचारी हो जाने पर अभी समस्त मुद्रणालयों द्वारा जो १,२७५ लाख फॉर्म छापों का कार्य करने की क्षमता है, उसे १,९३० लाख फॉर्म छापों के छापने तक के स्तर तक बढ़ाया जा सकेगा। समस्त पाँचों शासकीय मुद्रणालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु लगभग ४३ लाख रुपयों की नवीन यंत्रादि सामग्री क्रय करना होगा। साथ ही लगभग पाँच लाख रुपयों के व्यय से वर्तमान मुद्रणालयों के भवनों का विस्तार व उनमे आवश्यक परिवर्तन किया जायगा; ताकि नवीन यंत्रों को प्रस्थापित किया जा सके व मुद्रणालयों के भवनों को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके लिये अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय ने राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजे हैं। भोपालस्थित मुद्रणालय स्थान की दृष्टि से बहुत छोटा है और उसमे अब विस्तार नहीं किया जा सकता, इस तथ्य को ध्यान में रखकर इसके एक अतिरिक्त भाग का निर्माण बैरागढ़स्थित एक हेंगर में किया जा रहा है। नवीन योजनाओं के अनुसार शासकीय मुद्रणालयों में नवीन संयंत्र तो लगाये ही जायेंगे साथ ही राज्य की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में शासकीय मुद्रणालयों पर बढ़ते हुए दायित्वों के निर्वाह हेतु समस्त शासकीय मुद्रणालयों के संगठन को और भी सुदृढ व सक्षम बनाया जायगा। इस कार्य को दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश को राज्य के पाँचों मुद्रणालयों का विभागीय प्रधानाधिकारी नियुक्त किया गया है जो कि अपने सहायक अधीक्षकों के सहयोग से शासकीय मुद्रणालयों मे अधिक दक्षता लाने के प्रयत्नों मे संलग्न है। वैसे भी राज्य पुनर्गठन के पश्चात् जो कार्य शासकीय मुद्रणालय ने किया है वह सराहनीय है। आशा है आगामी कुछ वर्षो मे नवगठित मध्यप्रदेश के शासकीय मुद्रणालयों में अधिक दक्षता आ सकेगी जिससे न केवल प्रशासन को ही लाभ होंगे वल्कि जनता को भी लाभ प्राप्त हो सकेंगे।